राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का उन्नीसवां दिवस |संख्या: 14

शुक्रवार,

23 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा। प्रश्नकाल। मास्टर मामन सिंह।

तारांकित प्रश्नोत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

241. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर व ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है? क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ट्रोमा सेन्टर व ब्लड बैंक खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिदिन ओ.पी.डी. में लगभग 800 मरीज आने के उपरांत भी एक ही पर्ची का काउंटर है? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त पर्ची काउंटर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, स्टाफ व चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी हां। ट्रोमा सेन्टर खोलने के मापदण्डों के अनुसार 2 ट्रोमा सेन्टरों के मध्य 100 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है। भिवाड़ी से 80 किलामीटर दूर अलवर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

में तथा 75 किलोमीटर दूर बहरोड़ में ट्रोमा सेन्टर स्थापित है। अत: वर्तमान में भिवाड़ी में ट्रोमा सेन्टर खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिवाड़ी पर ब्लड स्टोरेज यूनिट हेतु दिनांक 20.02.2018 को ही लाइसेंस जारी हुआ है। ब्लड बैंक खोलने हेतु ब्लड की 2000 यूनिट वार्षिक उपभोग होना आवश्यक है। उक्त मापदण्ड पूर्ण होने पर भिवाड़ी में ब्लड बैंक खोलने पर विचार किया जाएगा।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी में वर्ष 2017 में औसत ओ.पी.डी. लगभग 512 प्रतिदिन रहा है। संस्थान पर एक पर्ची काउंटर संचालित है जिस पर पर्ची काटने वाले दो कर्मचारी कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्ची काउंटर को कम्प्यूटरीकृत कर अतिरिक्त पर्ची काउंटर खोलने क प्रयास किए जाएंगे।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी में चिकित्सकों के कुल 12 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 6 चिकित्सक कार्यरत हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी में अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 27 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 26 कार्मिक कार्यरत हैं।

संस्थान पर संस्थागत प्रसव, नि:शुल्क दवा योजना, नि:शुल्क जांच योजना, एम्बुलैंस आदि का लाभ आमजन को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण करने वाले चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पद को नियमानुसार कार्यवाही कर भरने का प्रयास किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां से मैं आता हूं वहीं से पूर्व चिकित्सा मंत्री थे तो जाते-जाते पूर्व सरकार में 14 पीएचसी, 15-16 सेन्टर की लिस्ट लगा गये और एक नये पैसे का बजट नहीं दिया। इसलिए पहले तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शुरू में तो माननीय राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री थे और अब आप सर्राफ साहब हैं तो 30 करोड़ के कार्य से यह बिल्डिंग और सारा कार्य कराया जिसमें पीएचसी भी हैं तो इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यह जो प्रश्न है और मंत्री

(मास्टर मामन सिंह यादव)

महोदय ने अभी इसमें उत्तर दिया है कि ट्रोमा सेंटर नार्म्स में नहीं आता है तो भिवाड़ी 80-100 किलोमीटर की बात नहीं है मंत्री महोदय, भिवाड़ी में दो लाख से भी अधिक की आबादी है, 3200 औद्योगिक इकाइयां वहां काम कर रही हैं जिनमें कितने श्रमिक हैं इसलिए वहां बहुत ही आवश्यक है। ब्लड बैंक का, हमारे माननीय मंत्री महोदय भडाना साहब, जो यहां पर विराजमान हैं वो हर साल अपने जन्म दिन पर 2-2 हजार और 1500-1500 का करते हैं और बहुत सारे यूथ वहां पर ब्लड डोनेट भी करते हैं तो अगर ब्लड बैंक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्षेत्र इतना बड़ा है कि एक पर्ची के काउंटर से काम नहीं चलता। इसकी तो आपने घोषणा कर दी क्योंकि यह छोटी-सी बात है। वैसे तो हमारे तिजारा में काफी पीएचसी और यह सब कुछ हो गया पर यह आवश्यकता है और वह एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्र है और भिवाड़ी राजस्थान की एक बहुत अहम नगरी है जैसे यू.पी. में नोएडा वगैरह है तो इसमें बहुत आवश्यक है। इसलिए मंत्री महोदय, पर्ची के काउंटर की तो आप घोषणा कर दीजिये और ब्लड बैंक का लाइसैंस का जो आदेश कर दिया है, जैसे ही उसकी उपलब्धता हो उसके आधार पर ब्लड बैंक भी खोलने का विचार रखेंगे? फिर मेरा एक दूसरा प्रश्न बाद में करूंगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि वहां ब्लड स्टोरेज यूनिट के तो 20 फरवरी को आर्डर हो गये और ब्लड बैंक का जहां तक सवाल है, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस पर गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

जहां तक पर्ची काउंटर का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि 2018-19 में पर्ची काउंटर को कम्प्यूटरीकृत कर अतिरिक्त पर्ची काउंटर खोलने का प्रयास हम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भावना है उसका ध्यान रखेंगे और अतिरिक्त काउंटर वहां निश्चित रूप से खोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): मंत्री महोदय ने जो पर्ची काउंटर की घोषणा की उसके लिए धन्यवाद। मेरा जो दूसरा अहम प्रश्न है, मंत्री महोदय, काफी दिन पहले मैंने आपसे एक आवेदन किया था कि पूर्व सरकार के समय सौतेला व्यवहार रखते हुए, राजनीति से प्रेरित होते हुए पहाड़ों में और

(मास्टर मामन सिंह यादव)

जहां पर वन विभाग की जमीन थी, जहां आबादी बिल्कुल नहीं है, ओ.पी.डी. नहीं है वहां पर अनावश्यक रूप से पीएचसी और सीएचसी खोल दी गई और उसके लिए हमने आपको लिखकर भी दिया था। सारेकलां, मिलकपुर तुर्क, रूपबास और हमीराका, सियासी, इसके अन्दर न तो अभी तक कोई जमीन बनी है, न बिल्डिंग बनी है और वो बिल्कुल ही अनावश्यक है, एक भी मरीज वहां पर जाता नहीं है। उसकी आपके पास रिपोर्ट भी है। सीएमएचओ, अलवर भी आपको रिपोर्ट दे चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जन-संवाद में पधारी थीं तब भी लोगों ने वहां पर मांग की थी कि साहब, अनावश्यक है। इसके अलावा ऐसी 3-4 पीएचसी हैं जो अति आवश्यक थीं लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर पूर्व मंत्री मंत्री महोदय उनको नहीं कर पाये जैसे गोठड़ा, मुख्य मंत्री आदर्श पंचायत है और किशनगढ़ और तिजारा दो विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ती है तथा तिजारा विधान सभा का सबसे बड़ा गांव है जिसको वंचित रख दिया गया इसलिए इनका उसमें ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, कमालपुर जो है वह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है उसके बीच में है। तीसरा, कोटकासिम है जो किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और मैं कोई इस तरह की बात नहीं करता और मैं चाहता हूं कि वो उसमें सबसे बड़ा गांव है तो इनमें....

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये, सवाल कीजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): एक मिनट साहब, यह प्रश्न ही है। इनमें सारी फार्मेलिटी पूरी हो गई और चुनाव आचार संहित होते-होते ये आर्डर नहीं हो पाये। फाइल कमप्लीट पड़ी हुई है तो उसके आदेश अभी तक क्यों नहीं हुए? उस दिन तो कह रहे थे कि आज ही आदेश कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी मंत्री महोदय को कहा था, कलक्टर साहब ने भी इनको अवगत करा दिया कि हां, यह आवश्यक है और बहुत जरूरी है, इनको ट्रांसफर कर सकते हो कोई आपत्ति नहीं....

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): तो मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी घोषणा कर दो, आदेश कर दो सारी फाइल कमप्लीट है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये-विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री कालीचरण सराफ)

महोदय, वैसे तो यह प्रश्न अलग से है पर इन्होंने जो पीएचसी को स्थानांतरित करने के लिए कहा है तो सीएमएचओ से तो रिपोर्ट आ गई है, कलक्टर से रिपोर्ट अपेक्षित है, रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से फिजिबिलिटी के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह जी। यह तिजारा से सम्बन्धित है।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो 28 तारीख को आपकी डिमांड का है उस दिन कर दें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने पैरा एक के जवाब में कहा है कि दो ट्रोमा सेन्टर के मध्य 100 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है। भिवाड़ी से 80 किलोमीटर अलवर और 75 किलोमीटर बहरोड़ की आपने बात कही है। ऐसे ही जब हमने सीएचसी के लिए क्वेश्चन किया तो आपने यही बात कही थी कि इतनी दूरी पर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अब पूछ लीजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नियम सरकार बनाती है और आप सरकार हैं तो क्या आबादी के आधार पर, घनत्व के आधार पर और वहां की परिस्थिति, जैसे भिवाड़ी की परिस्थिति है कि वहां लगभग ढाई लाख की आबादी रहती है, 3200 इण्डस्ट्रीज का एरिया है, बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं तो ऐसी परिस्थितियों में क्या सरकार शर्तों में रिलैक्सेशन देकर वहां ट्रोमा सेन्टर खोलेगी? एक बात कहना चाहता हूं। दूसरा, ऐसी और जगह है जैसे मेरे बीबीरानी में 15 सीनियर स्कूलें हैं, कालेज है, आई.टी.आई. है.....

श्री अध्यक्ष: और जगह अभी नहीं। माननीय सदस्य, और जगह नहीं। बस वो भिवाड़ी का जवाब आने दो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): तो क्या बीबीरानी में सीएचसी खोलेंगे? क्या बूढ़ी बावल में पीएचसी खोलेंगे? और इसमें रिलैक्सेशन देकर ट्रोमा सेन्टर भिवाड़ी में खोलने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: बीवी की रानी का नहीं है। आप जो रिलेवेंट सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिये, इधर-उधर का नहीं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि 100 किलोमीटर की दूरी का मापदण्ड है। फिर भी आपने जो कहा है, भिवाड़ी की परिस्थितियों को देखते हुए संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीरसिंह जी भायल, दूसरा पूरक प्रश्न। यह केवल भिवाड़ी है, तिजारा और भिवाड़ी है। आप इधर-उधर नहीं हों।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रोमा सेंटर के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं नहीं, नो नो। नहीं नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजिये, विराजिये। श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत। नहीं, यह भिवाड़ी से संबंधित है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जोधपुर से सांचौर, सिणधरी नेशनल हाईवे पर ट्रोमा सेंटर नहीं होने की वजह से...

श्री अध्यक्ष: वह अलग से प्रश्न है। आप अलग से सवाल कीजिये। श्री हरिसिंह रावत। यह तिजारा और भिवाड़ी से संबंधित है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां खुला हुआ है ट्रोमा सेंटर, वह चालू नहीं है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बहुत सेंसिटिव है माननीय अध्यक्ष महोदय। यह ट्रोमा सेंटर 2005 से चालू हो रखा है लेकिन डाक्टर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं नहीं, बिलकुल नहीं। अगला सवाल। श्री भजन लाल जाटव। विराजो, विराजो। नहीं, नहीं, नहीं। श्री भजन लाल जाटव।

सहकारी बैंक, वैर द्वारा फसली ऋणों का निर्धारित लक्ष्य

242. श्री भजन लाल (वैर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वैर के सहकारी बैंक द्वारा रबी व खरीफ की फसल हेतु ऋण वितरण करने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उक्त बैंक द्वारा अब तक कितना ऋण वितरित कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वैर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) विधान सभा क्षेत्र वैर में केन्द्रीय सहकारी बैंक, भरतपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में खरीफ एवं रबी ऋण वितरण के लक्ष्य एवं दिनांक 31.1.2018 तक के ऋण वितरण की विगत निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

खरीफ ऋण वितरण के लक्ष्य	**ऋण वितरण**	**रबी ऋण वितरण के लक्ष्य**	**ऋण वितरण**
3,100.00	3,111.54	1,875.00	208.67

(2) जी नहीं। फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना राज्य सरकार स्वयं नहीं करती, वरन उद्यमियों को इकाई हेतु प्रेरित करती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, मंत्री महोदय यह बताने का श्रम करें कि फसली ऋण प्रदान करने संबंधी साख सीमा है, मौजूदा सरकार प्रतिवर्ष कम क्यों कर रही है?

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत पांच वित्त वर्षों में किसान के साख सीमा में कितनी-कितनी कमी की गई तथा उसके क्या कारण रहे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा पूरक प्रश्न है इनसे, आप यह बताने की कृपा करें कि किसानों की बकाया ऋण राशि में से सरकार कितनी राशि मूल ऋण पेटे माफ कर रही है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। यह वैर से संबंधित है। वैर से संबंधित जानकारी आप दे दीजिये।

श्री भजन लाल (वैर): वैर से ही संबंधित है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है, उसमें कमी की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत सरकार में, जब आपकी सरकार थी, पांच वर्षों में वैर में आपने अल्पकालीन फसली ऋण बांटा 135.38 करोड़ रुपये का और अभी तक हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण बांट दिया है आपके वैर विधान सभा क्षेत्र में, 243.25 करोड़ रुपये और जबकि अभी आपके रबी का फसली ऋण वितरण

(श्री अजय सिंह)

अभी चालू है, अभी किया जा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने जो ऋण वितरण किया है, जो बांटा है आपके क्षेत्र में, 107 करोड़ रुपये का आपसे ज्यादा बांट दिया है और सरकार का अभी पूरा जो कार्यकाल है, उसमें मुझे लग रहा है कि आपके 170 करोड़ रुपये के लगभग आपका वहां पर हो जाएगा जोकि एक रिकार्ड होगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री भजन लाल (वैर): हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को किसी अधिकारी ने लिखकर दिया है, वह कहीं न कहीं गुमराह करने वाला है। मैं उनके सामने तथ्य रखूंगा और यह कहूंगा कि मैं आपको एक सोसायटी बता देता हूं। एक सोसायटी है आमोली, उसमें मूंडिया जाट, उसमें आमोली छोटी, आमोली बड़ी, उसमें नंगला झालाटाला, मोलोनी, सायपुर और मूंडियासाग, इतनी बड़ी सोसायटी है, उसमें 2016-17 में 16 लाख रुपये जमा कराये और आपने उसको ऋण दिया है मात्र छह लाख रुपये, आपको यह जो जवाब दिया है आपके अधिकारियों ने, कहीं न कहीं यह गलत दिया है।

दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि आप जो ऋण माफी किसानों की कर रहे हैं, वह ऋण माफी मूल, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, मूल ऋण में से कितना ऋण माफ कर रहे हैं आप? जो मूल ऋण है, उसमें से आप कितना किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं?

नम्बर तीन, किसानों का कर्जा आप माफ करना चाहते हैं, जिन किसानों ने कर्जा अपनी समय सीमा में जमा करा दिया और उन पर आज ऋण है, उन किसानों का कर्जा आप माफ करेंगे या नहीं करेंगे? यह बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में साफ-साफ माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा घोषणा की गई है कि 30 सितम्बर, 2017 तक के जो भी ओवरड्यूज और आउटस्टैंडिंग हैं, पहली बार जो भी किसान समय पर चुकारा करते हैं, उनको यह बहुत बड़ी राहत दी गई है और इतना दायरा इसका बढ़ाया गया है कि 20 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ होगा।

आप अभी पूछ रहे हैं कि कितना ऋण आपने दिया? तो मैं आपको

(श्री अजय सिंह)

बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्याज मुक्त जो ऋण हम दे रहे हैं। कांग्रेस के पांच साल के शासनकाल में 25,000 करोड़ से कम का अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को दिया गया जिसको कि आज तक 61,500 से अधिक का फसली ऋण हम दे चुके हैं। यह एक रिकार्ड है और जो अभी सरकार का कार्यकाल है, उसमें हमें माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्य दिया है कि...

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ क्या रहा हूं और मंत्रीजी महोदय, जवाब क्या दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। विराजिये।

श्री भजन लाल (वैर): मैं पूछ क्या रहा हूं? मैं यह पूछ रहा हूं कि मूल ऋण में से कितना माफ किया? मूल ऋण में से कितना माफ किया? मेरा सीधा-सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है। विराजिये, विराजिये। जवाब तो वह देंगे, वही आएगा।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): जवाब सुनो तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने पूछा, कितना कर्जा माफ हो रहा है? अभी का मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि...

श्री भजन लाल (वैर): मूल ऋण में से? मूल ऋण में से?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अजी मैं पूरा बता रहा हूं न आपको। भरतपुर जिले में जिसमें सीसीबी है, वह भरतपुर में है और धौलपुर जिला भी उसमें शामिल है। 1,02,517 किसानों का ऋण माफ होगा 337.95 करोड़ का कर्जा माफ होगा और जो कांग्रेस के समय, यूपीए के समय जो हुआ था, वह केवल 27,736 किसानों का कर्जा माफ हुआ था, 47.9 करोड़ रुपये का।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं, ऋण की सीमा बता दें। मूल ऋण की सीमा में कितना पैसा आप माफ करेंगे? आप पैनल्टी या ओवरड्यू करेंगे कि उस मूल ऋण में से माफ करेंगे? कम से कम यह सीमा तो बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। विराजिये। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि जो कर्जा माफ किया है किसानों का...

श्री अध्यक्ष: वैर, वैर से संबंधित है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हां, वैर के किसान मान लो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह मान कैसे लो? आपके कहने से नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर के किसानों का ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। किसानों का कर्जा माफ वैर में ही हुआ है।

श्री भजन लाल (वैर): माफ हो नहीं रहा तो आप लोगों का माफ कैसे हो जाएंगा?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसमें जो नियमित भुगतान करते रहे समय-समय पर और उनका अगर कोई बकाया है तो क्या सारे ऐसे किसानों को 50,000 रुपये का कर्जा माफ होगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में साफ-साफ प्रावधान है कि 50,000 रुपये तक का लघु और सीमांत, जिसने कि 30 सितम्बर, 2017 से पहले यदि ओवरड्यू था, यदि बकाया था, आउटस्टैंडिंग जो कि उसने उस समय से पहले ले लिया, सभी तक का, 50,000 रुपये तक का लघु और सीमांत का कर्जा पूरी तरह से माफ है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री घनश्याम। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: सबको देखना पड़ता है। ये आज पहली बार कर रहे हैं। आप रोज ही करते हैं। ये आज पहली बार कर रहे हैं, इनको करने दो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि हमारी सरकार में किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समिति...

श्री अध्यक्ष: ये वैर से संबंधित है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...से डेढ़ लाख रुपये का ऋण एडवांसमेंट किया जाता था। (व्यवधान) यह पूरे वैर की ही बात है, पूरे प्रदेश की बात है।

श्री अध्यक्ष: प्रदेश की नहीं, वैर की बात है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सहकारी नियम एक जैसे हैं।

श्री अध्यक्ष: चलो, विराजो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अब इन्होंने सिर्फ 35,000 से ज्यादा किसी भी किसान को एडवांसमेंट नहीं किया है। इसके साथ-साथ...

श्री अध्यक्ष: ये दे रहे हैं, यह पूछ लो। वैर से संबंधित ये दे रहे हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): और 208 ही लक्ष्य क्यों रखा? लक्ष्य बहुत ज्यादा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये उनको समझ में नहीं आएगा। बेकार में ही उलझा दिया इनको आपने। आप अपने हिसाब से करो। इन्होंने उलझा दिया। आप अपने हिसाब से करो। इन्होंने यह तो उलझा दिया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): किसानों का जो लक्ष्य है, वह ज्यादा है, 208 किसानों को ही ऋण क्यों दिया? बाकी हमारे जिले में...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): घर पर ही पढ़ा लेते इनको।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): डेढ़ लाख रुपये तक के ऋण किसानों को कांग्रेस के टाइम में दिये जाते थे...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दूसरा नहीं लिख दिया, वह पढ़ तो लो पहले।

श्री अध्यक्ष: जोगारामजी, बैठिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप एक मिनट मदनजी, सुनो तो सही। आप फालतू का व्यवधान पैदा करते हो हाउस में बिना वजह।

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिये। घनश्यामजी, सवाल पूछिये। (व्यवधान) यह तो आपके समझ में नहीं आएगा। (व्यवधान) यह डोटासरा का ही मामला है। यह समझ में नहीं आएगा आपको, लिखकर दिया है जो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): रबी का जो लक्ष्य था आपका, वह ज्यादा था। उसमें सिर्फ 208 किसानों को ही क्यों आपने इसका फायदा दिया?

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये। अब विराजिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): जब 1,875 को देना था तो 208 किसानों को ही इसका लाभ क्यों दिया?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न पढ़ा हुआ मान लिया जाये। इनका प्रश्न पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी, स्थान ग्रहण कीजिये। आ जाएगा, जवाब आ जाएगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): दूसरा मेरा पूरक प्रश्न और है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का जो डेढ़ लाख रुपये का ऋण किसानों को देने का मापदण्ड तय कर रखा है सरकार ने... क्या किसानों को डेढ़ लाख रुपये का एडवांसमेंट कर पाएगी सरकार या नहीं कर पाएगी?

श्री अध्यक्ष: मिस्टर श्रवण कुमार। विराजिये विराजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले किसान और जाने वाले किसान दो तरह के थोड़े ही हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब किसान का लोन माफ ही हो गया तो लोग रोड पर क्यों बैठे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये लोन माफ ही हो गया तो रोड पर क्यों बैठा रखा हैं इनको? जनता दुःखी हो रही है, लोग रोड पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठो बैठो। बैठो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं, आप देखो तो सही जाकर, रोड पर जनता निकल ही नहीं सकती। आप कह रहे हैं कि लोन माफ कर दिया।

श्री अध्यक्ष: विराजिये विराजिये।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने अभी बताया कि डेढ़ लाख तक का, इस तरह का प्रावधान है। वित्तीय संसाधन से हमारा पूरा प्रयास है और जो आपने किया, आप तो 25 हजार करोड़ से आगे बांट ही नहीं सके। हमने तो 61 साढ़े 61 हजार करोड़ बांट दिया है तो निश्चित रूप से, जो अभी राज्य का एवरेज भी आ रहा है प्रति किसान का तो वह है 58 हजार रुपये का। जो कि आज तक का एक रिकार्ड है। कभी भी आपके समय में इतना एवरेज, एक किसान को इतनी राशि नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष: तीसरा, पूरक प्रश्न। श्री रामपाल।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसी किसान की स्वाभाविक मृत्यु हो जाने के बाद, उसके ऋण को माफ किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वैर से संबंधित होना चाहिए। अगला सवाल श्री शंकर लाल शर्मा।

राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम नियमित करने की योजना

243. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कला महाविद्यालय दौसा में गत 15 वर्षों से स्ववित्त पोषित स्नातकोत्तर हिन्दी एवं भूगोल के पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं दोनों विषयों में आवंटित 40 सीटों पर प्रतिवर्ष 3 से 4 गुना विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं?

(2) क्या सरकार क्षेत्रीय मांग एवं छात्र हित को ध्यान में रखकर राजकीय कला महाविद्यालय दौसा में स्ववित्त पोषित स्नात्तकोत्तर हिन्दी एवं भूगोल के पाठ्यक्रम को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): (1) अविभाजित राजकीय महाविद्यालय, दौसा में वर्ष 2004 से स्ववित्त पोषित एम.ए. हिन्दी साहित्य एवं भूगोल के पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं दोनों विषयों में आवंटित 40 सीटों पर प्रतिवर्ष 3-4 गुणा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 107 के तहत राजकीय महाविद्यालयों में 05 वर्षों से अधिक की अवधि से स्ववित्त पोषित योजना के तहत चल रहे पाठ्यक्रमों को राजकीय क्षेत्र में निहित किया जा रहा है। बजट घोषणानुसार स्ववित्त पोषित योजना के तहत चल रहे, इन पाठ्यकमों एम.ए. हिन्दी साहित्य एवं भूगोल को राजकीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिनका संचालन राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा द्वारा किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री शंकर लाल शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो मुख्य मंत्री जी का और शिक्षा मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा। यह हमारी बहुत दिनों से डिमाण्ड थी कि इन विषयों को आप सरकारी तंत्र के तहत काम लें। लेकिन इसके अन्दर कुछ बातें ऐसी लग रही हैं कि इस घोषणा में सैल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में परिवर्तित किया गया। इसका तात्पर्य क्या है? साथ ही, इसको दौसा कालेज के द्वारा संचालित किया जाएगा, तो क्या इसका पूर्ण सरकारीकरण नहीं हुआ या यहां सरकारी अध्यापक लगेंगे या जो पहले संविदा पर ही कार्य कर रहे थे, वे ही कार्य करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब दीजिए, माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट चलाये या स्ववित्त पोषित। तो, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जो स्ववित्त पोषित संकाय जितने भी चल रहे थे, आपके यहां पर। एम.ए. ज्योग्राफी, एम.ए. हिन्दी और आपका जो गर्ल्स कालेज दौसा है, वहां पर एम.ए. हिन्दी ये सैल्फ फाइनैंस में 2004 और 2005 से चल रहे थे। लगभग 14 साल से, 13 साल से इनके यहां ये कोर्सेज चल रहे थे।

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी जो फीस थी, एम.ए. ज्योग्राफी में प्रत्येक बच्चे से, जो स्ववित्त पोषित के तहत, जो एम.ए. ज्योग्राफी चल रहा था, उसमें 7 हजार 400 रुपये प्रत्येक स्टूडेण्ट्स से लिए जाते थे। अब जब यह राज्य वित्त पोषित हो गया तो सरकार इस कोर्स को चलाएगी और इस सब्जैक्ट को और उसमें मात्र 1350 रुपये ही फीस स्टूटेंट को देनी होगी। इसी तरीके से एम.ए. हिन्दी में, की फीस, जो स्टूडेण्ट्स को 5400 स्ववित्त पोषित में देनी पड़ती थी, वो अब मात्र 1100 रुपये ही, उस स्टूडेंट को देना पड़ेगा।

इसी तरीके से एम.ए. हिन्दी, जो गर्ल्स कालेज के अन्दर, उसमें भी 5400 रुपये, जो बच्चे दे रहे थे वो 1100, तो ये सारे जो इनके सब्जैक्ट्स थे, जो पी.जी. के सब्जैक्ट्स थे तीनों, उन सब्जैक्ट्स को गवर्नमेन्ट चलाएगी। इसलिए जब मैंने इनके कहा कि गवर्नमेंट कालेज, दौसा चलाएगी। इसका मतलब इन्होंने जो पूछा, जो उनके गैस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही थी, उसकी बजाय गवर्नमेन्ट लैक्चरर्स, अब उन सब्जैक्ट्स को पढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। पूछिए-पूछिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): कालेज के हिसाब से जो हमारी फीस इतनी कम की है, उसके लिए धन्यवाद। पहले हमारे 14 से 15 हजार रुपये प्रत्येक बच्चे पर पड़ रहा था। अब यह बहुत कम हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि आज दौसा जिला बहुत छोटा जिला होते हुए भी, राजस्थान के अन्दर छात्रों की संख्या के हिसाब से तीसरे-चौथे नम्बर पर आता है। आप इसी से लगा लीजिए कि हमारे दौसा कालेज में आर्ट्स में 6245, साइंस-कामर्स में 1215, गर्ल्स के अन्दर 2270, हमारी 40 पंचायतें और सभी सीनियर स्कूलें, लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रही हैं। पूरा भार दौसा जिले का दौसा कालेज के ऊपर आता है। ऐसे में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन कालेजों में, हमारे राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा में हमने पहले भी मांग की है, संस्कृत, चित्रकला, संगीत, लोक प्रशासन तथा खास तौर से गर्ल्स के अन्दर भूगोल, संगीत, संस्कृत, लोक प्रशासन ऐसे विषय भी खोलकर, हमें लाभ प्रदान करने की योजना रखती हैं?

हमारा खास तौर से निवेदन है कि बच्चियों की शिक्षा के ऊपर जब भारत सरकार हर समय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और शिक्षा के ऊपर पूर्णत: ध्यान दिया जा रहा है, तो हम यह चाहते हैं कि दौसा जिला पिछड़ा हुआ जिला है और शुरू से ही यहां शिक्षा का अभाव रहा है। ऐसे में क्या दौसा गर्ल्स कालेज को आप इन सब्जैक्ट्स की अनुमति प्रदान करके, हमारे इस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान करने का इरादा रखती है? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में जब राजस्थान की मुख्य मंत्री जी ने जितने भी स्ववित्त पोषित कोर्सेज चल रहे थे, विभिन्न कालेजेज में ऐसे लगभग 64 कोर्सेज, जो लगभग 31 कालेजेज के अन्दर चल रहे थे। जो स्ववित्त पोषित से 5 साल से पुराने कोई 13 साल, 15 साल, 12 साल....

श्री अध्यक्ष: आप उनके प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां, मैं वही जवाब दे रही हूं माननीय अध्यक्ष जी। तो, ये जितने कोर्सेज चल रहे थे, वे पहली बार फाइव ईयर से पुराने स्ववित्त पोषित थे, वे सैल्फ फाइनेंस में ले लिये हैं। यह

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
गवर्नमेंट ने ले लिया स्टेट फाइनेंस में। अब जो नये कोर्सेज के बारे में माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो मांग की है। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये उन्हें स्ववित्त पोषित के अन्दर रन करें और फाइव ईयर कमप्लीट होने के बाद फिर उसे स्टेट फाइनेंस ले लेंगे । उसे स्टेट फाइनेंस के थ्रू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अलका सिंह। यह सवाल दौसा से संबंधित है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): दौसा के बारे में ही पूछ रही हूं, सर। मेरे यहां पर महिला स्ववित्त पोषित महाविद्यालय चलता है। तो, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि उसके जो कोर्सेज हैं, क्या वे भी सरकारीकरण करने के अन्तर्गत आ जाएंगे, क्योंकि यह बालिका शिक्षा से जुड़ा हुआ सब्जैक्ट है। मंत्रीजी भी महिला है, मैं भी महिला हूं तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री अध्यक्ष: पढ़ने वाली भी महिलाएं हैं, माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्य ने जो कहा मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि उनके यहां पर भी तीन कालेजेज, जो एस.आर.पी. गवर्नमेंट कालेज बांदीकुई, जिसमें बी.ए., जो ज्योग्राफी का सैल्फ फाइनेंस में चल रहा था, उसका सरकारीकरण हुआ है और उसको गवर्नमेंट में स्टेट फाइनेंस से करेंगे और 2000 फीस के 1500 के ऊपर आ जाएंगे, वे बच्चे।

एस.आर.पी. गवर्नमेंट कालेज बांदीकुई के अन्दर जो बी.एससी. बायो-मैथ्स चल रहा था, अब उसको हम लोग स्टेट फाइनेंस से करेंगे। जहां साढ़े 6 हजार उन बच्चियों की फीस लग रही थी, अब वह मात्र 1500 लगेगी।

इसी तरीके से एस.आर.पी. गवर्नमेंट कालेज के अन्दर पीजी एम.ए. हिन्दी जो चल रहा था, वह भी सैल्फ फाइनेंस में चल रहा था। अब इन्होंने जो प्रश्न किया, वह कहा कि पूरा ही जो कालेज इनका गर्ल्स कालेज, जो सैल्फ फाइनेंस में चल रहा है क्या उसको लेंगे या नहीं, क्योंकि वह पूरा सैल्फ फाइनेंस के तहत उसका नाम है, लेकिन वह एक तरह से प्राइवेट कालेज के रूप में ही रन कर रहा है। तो, इसके ऊपर विचार करेंगे, हम लोग कि क्या इसमें क्या कर सकते हैं, गुणावगुण को देखते हुए और किस तरीके से गवर्नमेंट के फाइनेंस को देखते हुए, उसके अन्दर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, इसके अन्दर विचार किया जाएगा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): नहीं, मंत्री महोदय, उसमें मैनेजमेंट कमेटी के हैड एस.डी.एम. है तो उसका क्या मीनिंग है, मतलब उसके कुछ सब्जैक्ट्स भी अगर सरकारीकरण हो जाए, तो बालिका शिक्षा को उससे बढ़ावा मिलेगा। थैंक्यू।

श्री अध्यक्ष: दे दीजिएगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): इसमें मैंने एक ही बात कही कि गुणावगुण को देखते हुए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत ठीक है। श्री रामलाल जी, दौसा से संबंधित है। इधर-उधर नहीं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दौसा महाविद्यालय में जितने पद स्वीकृत हैं, वहां स्वीकृत पदों से अधिक व्याख्याता लगा रखे हैं, नम्बर एक और जो वहां से पदस्थापित हैं, उन व्याख्याताओं को आपने डायरेक्टरेट में डैपुटेशन पर लगा रखा है। क्या बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो स्वीकृत पद हैं, और जो प्रतिनियुक्ति आपने कर रखी है। उनको आप निरस्त करने का विचार रखती हैं।

श्री अध्यक्ष: रिलेवेन्ट सवाल है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): पहली बात तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह भी बहुत क्लियर नहीं है, इन्होंने कहा कितनों को पदस्थापन किया हुआ है, उनको वापस निरस्त करेंगे, ये मुझे पर्टिकुलरली बताएं कि कौन सा पद है, जो पद स्वीकृत नहीं है, उसके अगेंस्ट में किसी को लगा रखा है?

मैं नहीं समझती हूं कि बिना पद स्वीकृत किसी को लगा सकते हैं। पद स्वीकृत होगा तो ही लगाएंगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपको सूची दे दूं तो आप तत्काल कर दोगे क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचंद भिण्डा। तीसरा पूरक प्रश्न। दौसा से संबंधित।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि हमारे घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है कि महिला शिक्षा को नि:शुल्क करेंगे।

श्री अध्यक्ष: ये दौसा से संबंधित है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, दौसा की ही बात कर रहा हूं मैं। जो बांदीकुई का कालेज है जो लड़कियां फीस देती हैं पेमेंट होता है, एसजीएम जो है वो सरकारी कमेटी है और बिल्डिंग समाज सेवकों ने बनाई है इस कारण से उस कालेज को जो पन्द्रह साल से चल रहा है, लड़कियां फीस देती हैं और पेमेंट होता है टीचर्स को उसको निश्चित तौर पर करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं, यह मेरे समझ में नहीं आता है। यही कहना चाहता हूं कि बांदीकुई के कालेज को किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदया, जवाब दे दीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने वो ही प्रश्न पूछा है जो बांदीकुई की एमएलए साहिबा ने पूछा है और वो जवाब में आलरेडी दे चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, वो रिपीट हो गया। अगला सवाल श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 26 लैक्चरर्स की कमी है झुंझुनूं में आर. मुरारका कालेज में।

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): झुंझुनूं जिले को तो आपने यों ही समझ रखा है, कोई पाकिस्तान है क्या वह? बात ही नहीं करने दे रहे हो। झुंझुनूं जिले में कालेज है आर. मुरारका महाविद्यालय उसमें 26 लैक्चरर्स की कमी है।

श्री अध्यक्ष: अलग से। मि. श्रवण कुमार, स्थान ग्रहण कीजिये। किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत आइये। यों बीच में नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अध्यक्ष जी, आप विपक्ष को कब से हाथ जोड़ने लग गये?

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी मेरे अच्छे मित्र हैं इसलिए हाथ जोड़ लेता हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): फिर भी नहीं मान रहे हैं ये तो।

श्री अध्यक्ष: ये इसी तरह राज़ी हो जाएं तो हमारे क्या है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी कद्र करते हैं। हम कद्र करते हैं आप लोग नहीं करते हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आप हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि 'पेड़ जान बंदे सब खाओ, वक्र चंद्रमा ग्रसे न राहू।'

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): श्रवण कुमार जैसे बनो।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। श्रवण जी, शांत रहें। श्री ज्ञानचंद पारख।

नगर परिषद्, पाली में पट्टों हेतु जमा पत्रावली

244. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के तहत नगर परिषद पाली में किस-किस तारीख को किस-किस क्रम में किस-किस व्यक्ति द्वारा पट्टे हेतु पत्रावली जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जमा पत्रावलियों में किस-किस प्रकरण में किस-किस तारीख को पट्टे की राशि हेतु मांग पत्र जारी किये गये एवं किस-किस प्रकरण में कब-कब राशि जमा हुई एवं उन्हें कब-कब पट्टे जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से लम्बित हैं तथा कौन-कौन से प्रकरणों को कितने-कितने समय में निस्तारित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शिविर के दौरान जमा अनेकों पत्रावलियां परिषद कार्यालय से गुम हो गई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व इनके लिये परिषद द्वारा कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं इस हेतु कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी जिम्मेवार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के दौरान विभिन्न आवेदकों द्वारा शिविर अवधि में कृषि भूमि नियमन के तहत 2766 पत्रावलियां, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 75 पत्रावलियां एवं कब्जा नियमन हेतु 106 पत्रावलियां प्राप्त हुईं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)

(2) मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर के दौरान नियमन हेतु अत्यधिक पत्रावलियां जमा होने से पट्टे की राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी नहीं किये गये, राशि गणना कर उसी दिवस आवेदक को दूरभाष पर सूचित किया गया। इस दौरान कुल 2592 पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा राशि जमा करायी गयी। जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। शिविर अवधि के दौरान कुल 2534 पट्टे जारी किये गये। जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 33 पत्रावलियों में मांग पत्र जारी किया गया, राशि जमा होने पर पट्टे जारी कर दिये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। कब्जा नियमन हेतु प्राप्त आवेदन कच्ची बस्ती क्षेत्र में होने के कारण कच्ची बस्ती डिनोटिफाई नहीं होने से नियमन नहीं किया जा सका।

(3) कृषि भूमि नियमन हेतु शेष 174 प्रकरणों में से 30 प्रकरणों में राशि जमा कराने के अभाव में, 60 प्रकरण में न्यायिक विवाद एवं 24 प्रकरणों में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट एवं 60 प्रकरण आपत्ति सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत 28 प्रकरणों में आवेदकों द्वारा सबूत प्रस्तुत नहीं करने, भूमि स्वामित्व का विवाद, विधिक राय, मौका रिपोर्ट आदि कारणों से लम्बित है। जिन पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर निस्तारित कर दिये जाएंगे।

(4) शिविर के दौरान कोई भी पत्रावली गुम नहीं हुई है। कुछ पत्रावलियां प्रक्रिया के दौरान परिषद के अन्य अनुभागों में चली गई थी, जो पुन: मिलने पर पट्टे जारी कर दिये गये हैं एवं कुछ आवेदकों से नई पत्रावलियां संधारित करवाकर शिविर अवधि के दौरान पट्टे जारी करने की कार्यवाही की गई है। कुछ पत्रावलियां कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अन्य अनुभाग में प्रक्रियाधीन होने से देरी से प्राप्त हो रही हैं यदि कोई पत्रावली नहीं पायी गई तो सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-1 मि. पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविरों का आयोजन करवाकर और उसमें कुछ नियमों में शिथिलता देकर ऐसे कई परिवार जो वर्षों से पट्टे के लिए चक्कर लगा रहे थे, उनके लिए नया रास्ता खोल दिया और कई पट्टे बन भी गये। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिलें और जैसा मंत्रीजी ने जवाब दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें आपने लिखा है कि 24 प्रकरण कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट और 60 प्रकरण आपत्ति सूचना ये 24 और 60 प्रकरण यदि पुराने हैं और उसके बाद में भी जेईएन ने मौका रिपोर्ट नहीं की या संबंधित बाबू ने आपत्ति सूचना उनके बाद वाली तो निकाल दी और इनकी नहीं निकाली तो क्या आप उनके विरुद्ध कोई न कोई कार्यवाही करेंगें? एक तो यह जवाब चाहिए मुझे और दूसरा मेरा यह है कि जो क्रम संख्या-4 में जवाब दिया आपने कि कोई पत्रावली गुम नहीं हुई है और उसमें लिखा है आपने कुछ आवेदकों से नयी पत्रावलियां संधारित करवाकर, जब पत्रावली गुम नहीं हुई तो नयी पत्रावली संधारित कराने की आवश्यकता क्यों हुई? जिन-जिन प्रकरणों में नयी पत्रावलियां संधारित करायी गयी हैं, वो किसके पास से गुम या गायब हुई हैं, यह आप जानकारी करके क्या उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करोगे? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इनके जवाब आने दीजिये फिर अगला कर लेना। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कनिष्ठ अभियंता के बारे में माननीय सदस्य ने बात की है, मैं यह कह सकता हूं कि जो पत्रावलियां हमको पहले प्राप्त हों, उसकी रिपोर्ट पहले से ही कराये जाने के निर्देश हमने नगर परिषद को दे दिये हैं। इस संबंध में एक कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। जो इन्होंने 60 लम्बित पत्रावलियों का जिक्र किया है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि नगर परिषद को आज ही निर्देशित कर दिया जाएगा कि पहले प्राप्त होने वाली पत्रावलियों की आपत्ति पहले प्रकाशित की जाए और पत्रावलियों का निस्तारण भी उनके प्राप्त होने के क्रम में किये जाने के निर्देश नगर परिषद को हम आज दे देंगें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने चूंकि इसका कार्यकाल 31 मार्च तक कर दिया है इसलिए माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मुझे माननीय मंत्री महोदय पर पूरा भरोसा है। इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन नीचे के आपके कर्मचारी जो हैं...।

श्री अध्यक्ष: फिर प्रश्न पूछने की अब क्या जरूरत है?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उनको भी आपको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। एक मेरा और निवेदन है आपसे कि जो पत्रावली जमा होती है उसका टोकन देते हैं कि इस तारीख को जमा हुई, इस नंबर से जमा हुई, उस पत्रावली में कौन-कौन से दस्तावेज संलग्न हैं उसकी चेकलिस्ट के लिए भी आप इनको पाबंद करो, ताकि कहीं कोई दस्तावेज बीच में से गायब नहीं हो जाए। एक तो मेरा यह आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हो गया आपका।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अभी तो मेरा बाकी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में जो भी आवेदक जो वहां पर अपना आवेदन करेगा उसकी रसीद प्राप्त किये जाने से पहले दस्तावेजों का अंकन उसमें कर दिया जायेगा और निर्देश हमने पूर्व में दिये हैं, लेकिन आज हम वापस और निर्देश दे देंगे, ताकि नगर परिषद को पालना सुनिश्चित करने में कोई दिक्कत नहीं आये और भविष्य में इस तरह की कहीं स्थिति नहीं होगी कि हमारा कोई दस्तावेज गायब हो गया।

श्री अध्यक्ष: हो गया पारख साहब, अब पूरा हो गया।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा एक अंतिम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: सारी समस्या हल हो गयी आपकी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक बाकी है बस। माननीय मंत्री महोदय, कई प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको पहले स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास भिजवाना होता था और फिर आपने एक नियमों में छूट दे दे और एक एम्पावर्ड कमेटी वहां स्थानीय स्तर की बना दी कि उन प्रकरणों में उसी एम्पावर्ड कमेटी में जाकर उसका निस्तारण करवा दो पर उसमें पहले जो प्रावधान था पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कि सभापति, नगर परिषद या

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नगर निगम है वो ही चेयरमैन होता था। अब आपने एसडीएम को बना दिया और उसमें हमको मैम्बर बना दिया। हमारी क्यों +++ करवाते हो आप। थोड़ा मेहरबानी करके आप...।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द ड्राप किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसकी जगह वैसी की वैसी शब्द जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: वो भी नहीं जोड़ा जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसकी जगह ऐसी न वैसी ऐसा कर दो साहब, ऐसी न वैसी कर दो तो फिर भी हो जाएगा। +++ की जगह ऐसी न वैसी।

श्री अध्यक्ष: यह भी नहीं लिखा जाए। विराजिये अब आप। आपका हो गया। पारख साहब, विराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा आग्रह है कि आप सभापति नगर परिषद या नगर निगम जो भी आपके हैं उनको वापस एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन बना दो, ताकि काम निपट जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं हालांकि एम्पावर्ड कमेटी जो हमने बनाई है, हमारे शिविरों के लिए, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं वो तो उनको बता दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि एम्पावर्ड कमेटी जो बनाई है बिलकुल उचित है बहुत सोच-समझकर बनाई है और आपको कहीं भी इससे दिक्कत नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है। सोना देवी, यह तो पाली से संबंधित है, नहीं करना। देवेन्द्र कटारा, आप भी क्या करोगे पाली से संबंधित है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): पाली के संबंध में ही है।

श्री अध्यक्ष: पाली के संबंध में कीजिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आईडीएसएमटी योजना के तहत वाणिज्य और आवासीय जोन निर्धारित है, वाणिज्य के लिये जो जोन निर्धारित है उसमें जिन्होंने अवाप्ति के दौरान क्षतिपूर्ति नहीं ली....

श्री अध्यक्ष: देवेन्द्र जी, यह तो अलग सवाल है। अलग सवाल कर लेना, नहीं, नहीं इससे संबंधित नहीं है।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): नगर परिषद पाली की आईडीएसएमटी स्कीम के पट्टों की बात है।

श्री अध्यक्ष: आप पूछ लो, पूछ लो।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आईडीएसएमटी स्कीम के तहत जो भूमि अवाप्त की गई थी उसमें जो पट्टे देने थे, उन्होंने पट्टे तो नहीं दिये और अवाप्तशुदा राशि भी प्राप्त नहीं हुई है, उनको क्या वाणिज्य में देना चाहेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछो कि पाली की कौनसी कालोनी की यह बात कर रहे हैं, किसका जवाब दूं, पाली में कालोनियां बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले ही कह दिया कि वह इर्रेलेवेंट सवाल कर रहे हैं, बैठिए। राजेन्द्र गुर्जर ने भी दबाया है लेकिन यह पाली से संबंधित है। अगला सवाल, श्री हीरालाल नागर।

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का नियमित भुगतान

245. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में कोटा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कितने लोगों को वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन दी जा रही है? भिन्न-भिन्न पेंशनवार लाभार्थियों का ब्लाकवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जिला कोष कार्यालय को उपरोक्त पेंशन के भुगतान हेतु बजट आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो कितने माह में बजट आबंटित किया जाता है? गत 4 वर्षों में कोटा जिले में सरकार द्वारा आबंटित बजट की तिथि व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(3) क्या यह भी सही है कि अक्टूबर, 2017 से सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट आबंटित नहीं करने से प्रदेश के वृद्ध, विधवा और विकलांग गत 3 माह से पेंशन से वंचित हैं? यदि हां, तो बजट आबंटित नहीं करने के क्या कारण रहे व सरकार द्वारा बजट के नियमित आबंटन हेतु व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कोटा जिले में 101246 वृद्धों 11673 विशेष योग्यजन एवं 30923 विधवाओं को पेंशन दी जा रही है। उक्त योजनाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का ब्लाकवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कोटा जिला में भी प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही बजट मांग पर बजट आबंटन किया जाता है। वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कोटा जिले को सरकार द्वारा आबंटित बजट की तिथि एवं राशि सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना में देय पेंशन दरों में दिनांक 01.07.2017 से वृद्धि की गयी है, पेंशन दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन कराया गया है। समस्त जिला कलेक्टर को पेंशनरों की संख्या एवं मांग के अनुसार बजट प्रावधान कराया जाकर नियमित बजट आबंटन किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि एकलनारी पेंशन योजना व मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन योजना में देय पेंशन दरों में 1.7.2017 से वृद्धि की गई है, उसके लिये तो मैं सरकार का और मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन यह पेंशन पूर्व में कितनी मिलती थी और अब जो वृद्धि की गई है, वह किस-किस श्रेणी

(श्री हीरालाल नागर)

में कितनी वृद्धि की गई है तथा इस पेंशन वृद्धि को सात माह हो चुके हैं, क्या इन पेंशनधारियों को वृद्धि की गई पेंशन से लगातार पेंशन दी जा रही है या उसमें देरी हो रही है? अगर लगातार नहीं मिल रही है तो उसके क्या कारण हैं तथा उन वंचित पेंशनधारियों को एक साथ बजट आबंटन करके उस पेंशन को उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं और वह कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी, इसको स्पष्ट करें?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017-18 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एकलनारी सम्मान पेंशन योजना में 60 से 75 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनके लिये राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं, उनके लिये 1500 रुपये करने का प्रावधान किया था। पोर्टल पर जितने भी परिवर्तन करने थे वह करते हुए सबको नियमित रूप से यह पेंशन राशि जारी की जा रही है, प्रतिमाह नियमित रूप से जारी की जाती है। इसमें हमने एक और प्रावधान किया कि अगर मान लीजिए किसी कारण से किसी की पेंशन रुक गई है और उसमें विभाग के स्तर पर किसी की कोई कमी के कारण रुकी है, पहले यह था कि 11 महीने तक कलेक्टर के स्तर पर प्रावधान था, कमी की दूरी हो जाती है तो कलेक्टर उसको दोबारा प्रारम्भ कर सकता था, इस समय को हमने दो साल बढ़ा दिया और किसी को भी अगर दो महीने, तीन महीने किसी कारण से लेट होती है तो पुरानी सारी पेंशन के साथ हम सारी पेंशन का भुगतान करते हैं। सारे राजस्थान में सब तरह की मिलाकर लगभग 60 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। हमने अक्टूबर, 2017 से इसको पूरा आन-लाइन कर दिया। अब बैंक अकाउंट के माध्यम से सारी पेंशन दे रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो दिव्यांगजन है, जो अपने बैंक तक नहीं पहुंच सकता, उनकी अगर खुद की लिखकर आती है तो मनीआर्डर के माध्यम से भी पेमेंट का भुगतान करते हैं। इसमें बीसी के माध्यम से भुगतान का है, कई बार दिक्कत यह भी आती है कि बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर कोई वृद्ध व्यक्ति है या कोई दिव्यांग है जिसके अंगूठे का निशान नहीं लग सकता, उसके लिये भी जब समस्या ध्यान में आई, उसका भी प्रावधान कर दिया कि जो सैंक्शन करने वाला अधिकारी है उसके पास वह व्यक्ति जाकर उसके साथ फोटो खिंचवाकर, मकान के साथ उसकी फोटो खिंचती है और वह पोर्टल पर डाल

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

देंगे, उसकी भी पेंशन हम पूरी करेंगे। प्रयास यह है कि जो भी पात्र व्यक्ति है, उस पात्र व्यक्ति को बिना किसी बाधा के पूरी पेंशन हर महीने समय पर मिलती रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बीसी के बारे में जो स्पष्ट किया, उसमें एक समस्या इन पेंशनधारियों को आती है कि जो वृद्धजन जिनके अंगूठे के निशान कम हैं या उन्हें बीसी के द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, कई बैंक के बीसी ऐसे हैं जो उनका अंगूठा लगवाने के बाद उनसे कहते हैं कि आपके अंगूठे का निशान नहीं आ रहा है और उसके कारण से उन्हें अंगूठे का निशान लगने के बाद भी उनके साथ कई फ्राड करते हैं और पूरी पेंशन उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है और कुछ पेंशन देकर उन्हें कह दिया जाता है कि दो महीने की आई है, इस तरह से उनके साथ फ्राड हो रहा है। कोई तरीका निकाला जाए कि इन वृद्धजनों को स्पष्ट रूप से जितनी भी पेंशन भेज रहे हैं वह बैंक में पहुंच रही है लेकिन उनको मिलते समय जो समस्या आ रही है, उसका कोई न कोई समाधान हो ताकि उनको जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है, वह उन तक पहुंचे और इस समस्या से उनको निजात मिले।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एक दिक्कत यह थी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जब मनीआर्डर से जाती थी, एक शिकायत रहती थी कि पेंशन तीन महीने में मिलती थी और वह भी आधी मिलने की शिकायतें बहुत रहती थीं और इसी कारण इसको भामाशाह पोर्टल पर जोड़ा, बैंक अकाउंट खोले और बैंक अकाउंट खोलकर सबकी पेंशन को बैंक अकाउंट से देने का प्रावधान किया। आपने जो बात कही जहां कहीं कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जिसके अंगूठे के निशान नहीं आते, उसको पेंशन का भुगतान नहीं होगा, यह तो असत्य है लेकिन वह बैंक में रहेगी और बैंक में अगर कोई क्लेम नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं होती है तो वापस वह ट्रेजरी में आ जाएगी लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं ले सकता, इसकी संभावना समाप्त हो चुकी है। पात्र व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठे के निशान नहीं आते, वह

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सेंक्शन करने वाले अधिकारी के पास जाकर मकान के साथ या किसी के साथ उसकी फोटो को अपलोड करके, और कई तरीके हमने दिये हैं जिसमें यह प्रमाणित हो जाये कि यही व्यक्ति है, उसके बाद उसको ई-मित्र पर पोर्टल पर डालकर यह जो अंगूठे के निशान की समस्या है, उसका भी समाधान होगा और उसकी पेंशन मिल जाएगी, इसके आदेश निकाल चुके हैं।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष: नो, नो, बैठिए। श्री विद्याशंकर नन्दवाना, बिल्कुल नहीं, आप मिल लीजिए, मैंने उनको पुकार लिया है। बैठिए, बैठिए, क्लियर हो जायेगा।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन लोगों की पेंशन बढ़ाई है।

श्री अध्यक्ष: कोटा से संबंधित ही कीजिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): हां, कोटा से संबंधित ही है। मेरे जिले में जिला कलेक्टर महोदय ने 2.2.2018 को पूरी पंचायत समिति की समीक्षा की, आज भी कई लोगों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिल रही हैं। जो वृद्ध हैं, उसको जो पहले 500 मिलती थी अब 750 मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय अभियान चलाकर या इसकी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि एक बार बढ़ी हुई पेंशन हर पात्र व्यक्ति को समय पर मिल जाए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने कहा कि कुछ इस तरह की शिकायतें आती हैं, लेकिन उसमें जो लास्ट पीपीओ आर्डर हुआ है। उसमें जो ऐज थी, उस ऐज के हिसाब से 60 साल, 75 साल की उम्र होने के बाद आटोमेटिकली पोर्टल पर वह डेट चढ़ती है और उसके हिसाब से पेंशन का रिवीजन हो जाता है। कई बार पीपीओ आर्डर में अगर डेट अलग है तो उसके कारण दिक्कत आती है। उसमें भी हमने कहा कि और कोई प्रमाण दे देगा, अपनी ऐज का प्रूफ देगा कि 60 साल या 75 साल हो चुकी है, वह प्रमाणित होती है और सही मानी जाती है, तो उसका भी रिवीजन करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, सोना देवी। क्या आप करेंगी?

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: यह कोटा से है।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): यह प्रदेश का जनरल सवाल है।

श्री अध्यक्ष: जनरल नहीं। श्री संदीप शर्मा, पूरक प्रश्न।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में...

श्री अध्यक्ष: कोटा तक सीमित रहिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा शहर में पेंशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। वर्तमान में जो पेंशन आवेदनकर्ता हैं उसे पहले निगम के सैक्टर में जाना पड़ता है और उसके बाद वह फार्म निगम कार्यालय जाता है, निगम कार्यालय से एसडीओ आफिस जाता है। एसडीओ आफिस से वह फार्म ट्रेजरी में जाता है और इस दौरान कई सारे फार्म लापता भी हो जाते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया को आनलाइन भी कर दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारी पैंडेसी है। मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार इसको एक ही सिंगल विंडो पर करने का विचार रखती है? तथा जो पेंशन के लिए दिव्यांगों की श्रेणी 7 से बढ़ाकर 21 कर दी थी, लेकिन उसके लिए अभी कोई नई गाइड लाइन राज्य सरकार ने जारी नहीं की है, जिससे बड़े असमंजस की स्थिति है और जो दिव्यांग हैं, वे पूरी तरह से नई श्रेणी में आने वाले हैं, वे पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इनके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? तथा थैलेसिमिया, सीकील, शैल डिजीज, कैंसर रोगी, मल्टीपल और सेरेब्रल पाल्सी जो चार फीट से कम हाइट के व्यक्तियों को दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल करने का सरकार विचार रखती है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो विषय रखे हैं। एक तो इन्होंने प्रक्रिया के बारे में बात की है। प्रक्रिया में हम, जैसे पहले एप्लीकेशन आती है, उसका वेरिफिकेशन करके फारवर्ड करने का काम या तो नगर निगम से होता है या फिर जिला परिषद के माध्यम से या फिर पंचायत समिति के माध्यम से होकर आता है। इसमें यह बात सही है कि उसमें काफी विलम्ब लगता था। आनलाइन करने के बाद ये जानकारी आ जाती है कि

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

कौनसी एप्लीकेशन किस स्टेज पर पैंडिंग है? हमनें यूडीएच में पंचायत राज के साथ भी कुछ किया है कि एक्सपीडाइट हो और फोर्म्स के वेरिफिकेशन का जो काम है, वह भी जल्दी एक्सपीडाइट हो और हमारे पास जल्दी से जल्दी इन्फोर्मेशन आये। जल्दी से जल्दी उसकी सैंक्शन हो। आनलाइन के बाद इस प्रक्रिया में समय कम लगेगा और जल्दी होगा और जहां पर पैंडेंसी होगी, उसको परस्यु करके जल्दी से जल्दी निकल जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम होगा।

दूसरी बात, आपने जो दिव्यांगों की बात की है। इसी सदन में कुछ दिन पहले मैंने दिव्यांगों की गाइड लाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। केन्द्र सरकार में पहले 7 तरह की दिव्यांगता थी, जिसे बढ़ाकर 21 किया है। इसके दिशा-निर्देश नहीं आये थे, लेकिन जनवरी में उनके दिशा-निर्देश आ गये हैं, उनकी आज्ञा भी हमने निकाल दी है। जल्दी ही हम मेडिकल डाक्टर्स की ट्रेनिंग का कैम्प करेंगे और उनके सर्टिफिकेट जारी होते ही, जितने भी पेंशन के बैनेफिट्स हैं एवं और जो भी बैनेफिट्स हैं, वे उनको पूरे मिल जाएं, इसको सुनिश्चित करने का काम हम लोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री जीतमल जी। यह कोटा से है। कोटा से संबंधित कीजिये।

श्री जीतमल खांट (गढी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन पेंशनधारियों ने बैंकों से ऋण ले रखा है, जब लाभार्थी राशि आहरण करने के लिए जाता है। बैंकर्स पेंशन की राशि सीधे ऋणी खाते में जमा कर देते हैं। क्या राशि सीधे लाभार्थी के हाथ में आये, इसके लिए क्या आप संबंधित बैंक को कोई दिशा-निर्देश देने का विचार रखते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है कि 2013 में ही पेंशन की स्कीम लागू हुई थी और जिस तरह से लागू की गयी, उसमें यह पूरा का पूरा चला तो जांच में आया कि जो मृत लोग थे, वे भी पेंशन ले रहे थे। एक ही नाम के कई लोग पेंशन ले रहे थे। जिनकी उम्र 40 साल है, ऐसे व्यक्ति भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे थे। ऐसी कई तरह की विसंगतियां थीं। आनलाइन करने के बाद आधार कार्ड से जोड़ा, भामाशाह के साथ लिंक करने के बाद जो वास्तव में पात्र

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

व्यक्ति हैं, ऐसे सब व्यक्तियों को जोड़ने के बाद जो अपात्र हैं, उनको न मिले, इसको सुनिश्चित करने की बात की गयी है।

मनीआर्डर की चर्चा आपने की है। मनीआर्डर में एक बहुत भंयकर शिकायत रहती थी कि समय पर पेंशन नहीं मिलती थी और पूरी नहीं मिलती थी और लेन-देन का भी रहता था है। उस समय इसको जो आनलाइन किया और बैंक से जोड़ा, 125 करोड़ रुपया हम पोस्टल डिपार्टमेंट को कमीशन के रूप में देते थे। जब से हमने आनलाइन किया है, उसके बाद हमने 125 करोड़ रुपया कमीशन बचाया। समय पर पूरी पेंशन पहुंच रही है। आपकी जो बात है कि उसका बैंक के साथ ऋण है। जो संबंधित व्यक्ति लोनी है, अपने बैंक को उसने क्या निर्देश दिये, उसके हिसाब से चलेगा। हमारी तरफ से कहीं नहीं है, उसके अकाउंट में हम पैसा देते हैं। वह अकाउंट का पैसा उसके खुद के अधिकार क्षेत्र में होता है। वह कहां पर ले, कैसे उपयोग करे, यह उसके ऊपर है कि वह तय कर सकता है।

प्रश्न संख्या 246

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री कन्हैया लाल, एब्सेंट।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल श्री हमीरसिंह भायल।

प्रदेश के तहसील मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

247. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो बाड़मेर जिले में अब तक कितने तहसील मुख्यालयों पर उक्त केन्द्र खोले जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से वंचित तहसील मुख्यालय समदड़ी में वित्तीय वर्ष 2018-19 में नया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति प्रत्येक पंचायत समिति में राजकीय अथवा निजी आई.टी.आई. खोलने की है।

वर्तमान में बाड़मेर जिले की 14 तहसील मुख्यालयों में राजकीय/निजी आई टी आई स्वीकृत है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या-136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आई.टी.आई. उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आई.टी.आई. स्वीकृत हो चुकी हैं।

वर्तमान में पंचायत समिति समदड़ी में 01 प्राईवेट आई.टी.आई. संचालित है। (परिशिष्ट-2)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि समदड़ी में प्राइवेट आई.टी.आई.। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिले के पचपदरा में रिफाइनरी लगने की वजह से...मेरे समदड़ी में तहसील है, पंचायत समिति है। जब तक आई.टी.आई. नहीं होगी तो जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनको तकनीकी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वे फिर वे कैसे रिफाइनरी में लगेंगे? आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समदड़ी में आई.टी.आई. खोलने का प्रस्ताव आप और मुख्य मंत्रीजी कैसे भी करके कराएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समदड़ी में आलरेडी संकल्प नाम से निजी आई.टी.आई. संचालित है और निश्चित रूप से जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि रिफाइनरी लगेगी तो हमको पैट्रो कैमिकल एवं अन्य संस्थाएं खोलने की जरूरत है तो जैसे भी होगा वित्तीय संसाधनों के हिसाब से प्रयास करेंगे कि वहां भी आई.टी.आई. खुले।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी बता रहे हैं, समदड़ी के नजदीक मैंने वहां पर आज दिन तक,

(श्री हमीरसिंह भायल)

अगर वह आन-पेपर है तो नहीं कह सकता, परन्तु वहां पर आज दिन तक नहीं देखा है। इसलिए समदड़ी में अति आवश्यक है, इसका जवाब बतायें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के क्षेत्र में आलरेडी गवर्नमेंट आई.टी.आई. संचालित है। समदड़ी में निश्चित रूप से आवश्यकता है। मैंने जो कहा कि वित्तीय संसाधनों का हिसाब देखते हुए प्रयास करेंगे कि वहां पर भी आई.टी.आई. खुले।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री शैतान सिंह।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर भड़ियाना उपखण्ड है, वह लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, वहां विंड पावर का भी काम है, सोलर का भी काम है, तो क्या वहां पर आई.टी.आई. खोलने का विचार रखते हैं? यही मेरा निवेदन रहेगा। भड़ियाना में कालेज तो दें, कालेज न दें तो कम से कम आई.टी.आई. तो दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2014-15 में जो घोषणा की थी कि हमारे यहां पर कोई भी पंचायत समिति ऐसी नहीं बचेगी, जिसके अन्दर गवर्नमेंट या प्राइवेट आई.टी.आई. न हो। निश्चित रूप से हमने वह पालना पूरी कर दी है। हमारे राजस्थान की सभी पंचायत समितियों में या तो गवर्नमेंट की है या निजी आई.टी.आई. है और गवर्नमेंट की आई.टी.आई. के लिये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वित्तीय संसाधन जैसे-जैसे हमारे पास उपलब्ध होंगे, वैसे-वैसे हम खोलते चले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी आपने बटन दबाया है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि उपखण्ड कार्यालय टाटगढ़ है, वहां पर भी क्या आप आई.टी.आई. का सैंटर खोलना चाहेंगे?

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): सबका सेम सवाल है। जैसे ही वित्तीय संसाधन होंगे, हम निश्चित रूप से हर जगह पर खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी, अगला पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि आपने जहां गिड़ा और बायतू में स्वीकृत कर दिये हैं, वहां इसी सत्र में

(श्री कैलाश चौधरी)
क्या आप स्टूडेंट को एडमिशन दे देंगे? यह बहुत वाजिब सवाल है। हमारे यहां बाड़मेर के अन्दर बहुत अच्छी स्थिति है, 16 राजकीय आई.टी.आई. हैं।

श्री अध्यक्ष: इनको व्यक्तिगत बता देना। प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

संदेश

राज्यपाल महोदय का कृतज्ञता ज्ञापन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर दिनांक 9 फरवरी, 2018 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है-

"अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक 20 फरवरी, 2018"

प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपका अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक 9 फरवरी, 2018 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिए मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।

सद्भावी कल्याण सिंह।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

संजीव कुमार, श्री, सदस्य को 21 फरवरी, 2018 से सत्रान्त तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री संजीव कुमार, सदस्य विधान सभा ने अपने पुत्र के विवाह के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2018 से सत्रांत तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नगर परिषद नागौर के आयुक्त द्वारा नियमों के विपरीत कराये गये निर्माण कार्यों एवं पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से श्यामसुन्दर वाल्मिकी निवासी सुखचैनपुरा (3KSD) के कथित हत्यारों को पुलिस द्वारा अभी तक भी नहीं पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से एम.बी.सी. का 1 प्रतिशत आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी होने के उपरान्त भी लम्बित भर्तियों में आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों द्वारा कर्ज माफी एवं फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग के कारण आन्दोलन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त पानी दिये जाने के संबंध में।

(6) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के तीन न्यायिक भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति के संबंध में।

(7) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से अन्य राज्यों से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को रीट-लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) भर्ती 2016 में शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आरटीडीसी द्वारा संचालित कई होटल व मोटल को बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के बौंली थाना के अन्तर्गत बजरी खनन माफियाओं द्वारा एक सरपंच की हत्या करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री दर्शन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र करौली की तहसील मासलपुर की ग्राम पंचायत डांडा में वन विभाग द्वारा करवाये जा रहे घटिया निर्माण कार्यों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरपंच संघ द्वारा सामाजिक अंकेक्षण एवं सभाओं का बहिष्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह यादव, डा. किरोड़ी लाल, श्री दर्शन सिंह एवं श्री मेवाराम जैन को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानूसर कस्बे को नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में।

(2) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर एवं कोटड़ी पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने जाने के संबंध में।

(3) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से नगरपालिका खैरथल एवं किशनगढ़ बास में सीवरेज एवं गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री कृष्ण कड़वा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया की खिनानियां नहर से सिंचाई हेतु किसानों के हिस्से का पूरा पानी दिये जाने के संबंध में।

(5) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(6) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गांवों को पाली जिले के बांकली बांध से पानी दिये जाने के संबंध में।

(7) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से कोटा शहर में कृषि भूमि पर

(श्री अध्यक्ष)

कालोनियां विकसित होने से 1600 हैक्टेयर कृषि भूमि को डी-कमाण्ड घोषित किये जाने के संबंध में।

(8) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध के समीप स्थित वन विभाग की 250 बीघा भूमि पर गौ-अभयारण्य बनाये जाने के संबंध में।

(9) श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के पक्की सड़कों से वंचित राजस्व गांवों में सड़क निर्माण किये जाने के संबंध में।

(10) श्री अमृत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय को 200 बैड में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(11) श्री बनवारी लाल सिंघल, सदस्य की ओर से प्रदेश में युवाओं को रोगजार नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती सुशील कंवर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मसूदा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आग्रह है आपसे, निवेदन है कि माननीय बोलने वाले...(व्यवधान)

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लगावां और वो ही प्रश्न आवे कोनी, बड़े दुख री बात है। निवेदन कियो आपने...

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज वक्ताओं की सूची बहुत लम्बी है और कल छुट्टी है इसलिए सारे बोलेंगे। 295 को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है। यह चर्चा चली है कि यहां भूत-प्रेत हैं और वे 12 बजे बाद सक्रिय होते हैं। चूंकि आज 28 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे, 6-7 माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे, घड़ी की सुई पर सुई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्योंही चढ़ी, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने गोपालन मंत्री जी से भी रिक्वैस्ट की है कि झांड़-फूंक करें। सब लोग भयभीत हो जाएंगे। इसलिए 12 बजे से पहले सदन की कार्यवाही सम्पन्न हो जाए। इसलिए सबको पढ़ा हुआ मान लें तो बड़ी कृपा रहेगी।

श्री अध्यक्ष: आपने जो कारण बताया...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने तो मांग की है कि यहां भूत है या नहीं है, उस पर एक कमेटी बनाई जाए। कमेटी से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी, यहां भूत है या नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये मानते हैं, अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कल मीडिया में जाकर कहा है। अध्यक्ष महोदय, भूतों का इलाज जितना आपके पास है, उतना किसी के पास है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: चलो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तीन बजे तक चले, साहब, पढ़ने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: यह चर्चा भी ठीक है। कभी-कभी जो है भूतों पर चर्चा हो जानी चाहिए। अभी यह रहस्य-रोमांच है, न मालूम सदियों से, हजारों सालों से चला आ रहा है। कहां कौन भूत किधर बैठा है? कैसे भूत होते हैं? कैसे नहीं होते है? इसकी जानकारी सबको करीब-करीब थोड़ी बहुत होगी, मुझे भी है। इसलिए इस विषय पर अलग से कभी चर्चा की जाए इस विधान सभा में कि भूत है या नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भूतों की चर्चा तो आज ही पहले हो जाए। हमको डर लग रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये पोपा बाई का राज है। इसकी तो बताओ डेफिनेशन, क्या था ये? ये पोपा बाई कौन थी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पोपा बाई का भूत आपको लग जाएगा तो कोई छुड़ाने नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि आप बैठ जाओ। पोपा बाई का भी भूत है आपमें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भूत क्या कहेगा तुम लोगों को?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्या? पढ़ा हुआ मान लिया जाता है। आपकी सहमति से।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 23 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं जो निम्नलिखित हैं:-

श्री नानालाल अहारी	विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ऋषभदेव में ट्रोमा भवन का निर्माण किए जाने के संबंध में
श्री शंकर सिंह राजपुरोहित	आहौर उपखण्ड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के संबंध में।
श्री ललित कुमार	बारां जिले के किशनगंज कस्बे में होली पर मनाये जाने वाले फूल डोल लोकोत्सव को पर्यटन में शामिल किए जाने के संबंध में।
श्री शंकर सिंह रावत	ब्यावर में विद्युत विभाग की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव

सूचना

कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): राजस्थान में पोपा बाई का राज चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान धरने पर बैठे हैं। राजस्थान

(श्री श्रवण कुमार)

के किसान रोड्स पर बैठे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है। रोड से उठाओ न। दुनिया कितनी परेशान है।

यह पोपाबाई का राज चलाकर राज कर रहे हैं, लोगों की चिंता नहीं है, लोगों के रास्ते बंद कर रखे हैं ...(व्यवधान) किसान रोड पर बैठे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। खाटू श्याम बाबा को जाने वाले रास्ते ...(व्यवधान) यात्रियों को परेशानी हो रही है ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमेशा आसन के आदेश की पालना की है और प्रक्रिया के माध्यम से मैंने स्थगन लगाया था और दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कि मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। आज पूरा शेखावाटी इलाका पूरा आग में ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई चिंता नहीं है ...(व्यवधान) कोई कर्जा माफ नहीं कर रहे ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): पूरा आग में जल रहा है, किसान व प्रशासन आमने सामने हैं। (व्यवधान) मैं सरकार से जवाब चाहता हूं, सरकार इस बात का जवाब दे आपने समझौता किया था तो फिर किसान आंदोलनरत क्यों है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं। इतने गम्भीर इश्यू पर स्थगन लगाया था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लेकिन आसन ने अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसान धरने पर बैठे हैं...(व्यवधान) क्या हो रहा है। शेखावाटी के किसान रोड पर बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सरकार कह रही है कि हमने आठ हजार करोड़ रुपये कर्जा माफ कर दिया, ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसका कर दिया ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपने वह समझौता वार्ता में नहीं लिखा था ...(व्यवधान) किसानों के साथ धोखाधड़ी की ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): केवल उन लोगों का कर्ज ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपने यह नहीं लिखा था कि हम सहकारी बैंक का कर्जा माफ करेंगे ...(व्यवधान) समझौता वार्ता का वादा खिलाफी किया है आपने...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा कराई जाए।

धरना

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं, किसान व प्रशासन आमने-सामने हो गए, ...(व्यवधान) कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। मैं नवलगढ़ विधायक डाक्टर राजकुमार अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठने की घोषणा करता हूं।

(माननीय सदस्य, राजकुमार शर्मा का सदन कूप में आगमन)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है। सरकार को इस पर सोचने व विचार करने की जरूरत है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, पूरा सीकर, झुन्झुनूं आंदोलन की वजह से बंद पड़ा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सारे रास्ते बंद पड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सारे रास्ते बंद पड़े हैं, नियम क्या करेंगे ...(व्यवधान) कानून तोड़ने वाले लोग, कानून तोड़ रहे हैं ...(व्यवधान) सारे रास्ते बंद पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों में स्पष्ट प्रावधान है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे रास्ते बंद पड़े हैं, किसान आंदोलन की वजह से पूरे रास्ते बंद पड़े हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कल लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन लगाया था, उस पर चर्चा हो गई थी ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): पूरे रास्ते बंद पड़े हैं। सरकार क्या करेगी, पूरे रास्ते बंद पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किसान आंदोलन और किसान कर्जा माफी की बात की थी । (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या करेगी सरकार, यह सदन ही सारा नियम ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किसान कर्जा माफी की बात की थी ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे रास्ते बंद कर दिए हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): किसानों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सरकार जान-बूझकर नहीं करना चाहती ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए । (व्यवधान) किसान के विषय पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे रास्ते बंद कर दिए। (व्यवधान)

(आसन द्वारा हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया गया)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

(आसन द्वारा हाथ के इशारे से अंकित करने से मना किया गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 000

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री 000

श्री सुरेश सिंह रावत (संसदीय सचिव): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 000

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल व नारे)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री हरिसिंह रावत (भीम): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री ललित कुमार (किशनगंज): 000

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): 000

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: अब आप कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री अध्यक्ष: यहां से बोलेंगे तो कोई अंकित नहीं होगा। पहले अपनी-अपनी सीट पर जाओ। यहां से कुछ भी कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, जो कुछ आपको मुझे कहना है अपनी-अपनी सीटों पर जाकर कहिये। वहां पर जाकर कहिये। नो, नहीं सुनता। कोई स्थगन प्रस्ताव मेरी, यह चार स्थगन प्रस्ताव, यह प्रतिपक्ष के ....(व्यवधान).

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मैं कार्यवाही चालू करता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों की व्यवस्था के संबंध में। श्री राजेन्द्र सिंह यादव। श्री राजेन्द्र सिंह यादव, नहीं बोलना चाहते? डाक्टर किरोड़ी लाल। डाक्टर साहब, बोलेंगे आप?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनको रैगुलेट तो करो, साहब।

श्री अध्यक्ष: अब यह तो अपने वैसे ही चलेगा, डाक्टर साहब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हाउस को रैगुलेट करो, साहब।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 000

श्री रामचन्द्र (डग): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल, आप बोलिए, आपकी आवाज जाएगी। आपका नोट किया जाएगा। डाक्टर किरोड़ी लालजी जो भी बोलें वह आप अंकित कीजिए, बाकी यह हल्ला करें इनका मत कीजिए। डाक्टर किरोड़ी लाल।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री अध्यक्ष: डाक्टर किरोड़ी लाल बोल रहे हैं, आप शांत रहिये। डाक्टर किरोड़ी लाल अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप शांत रहिये। इनको डिस्टर्ब करने दीजिए, सारा राजस्थान देख रहा है। डाक्टर किरोड़ी लाल, आप बोलिये। आपका वक्तव्य जाएगा और सब सुनेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान).

श्री रामचन्द्र (डग): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी को बोलने के लिए कहूं? मैं गृह मंत्रीजी को पुकारता हूं आप कहते हैं तो। (व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): 000

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हीरालाल (निवाई): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 000

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.40 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

(13.10 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(माननीय सदस्य श्री राजकुमार शर्मा द्वारा सदन कूप में आगमन)

व्यवस्था

कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन पर शासकीय वक्तव्य के माध्यम से चर्चा की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। I have something to say. Please go on your chairs. आप वहां पधार जाओ। मैं एक बार बोल लेता हूं, उसके बाद फिर भी आप आवश्यकता समझें कि नहीं, हमें वैल में ही आकर कोई बात करनी है तो आप कर लें।

मैं आपसे इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं If you feel that there has to be a deliberation on this issue, issue regarding farmers, farmer's loans and

(श्री उपाध्यक्ष)

others. तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अपना वक्तव्य इस पर दे दें। Time will be today किस वक्त दिलाऊं, इसके लिए आसन आपसे निवेदन कर देगा। इस बात पर हम वक्तव्य दिलवा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन की व्यवस्था शिरोधार्य है, उपाध्यक्ष महोदय। अगर इस पर सरकार का वक्तव्य आ जाए, उसके बाद कोई बात पूछना चाहें तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीन बजे बाद आप कोई समय निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: I'll give you time after the entire deliberations by the Hon. Minister. concerned. उसके बाद में फिर अगर आपको उसके बारे में कोई और पूछना है या कोई स्पष्टीकरण आप चाहते हैं तो...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने स्थगन लगाया था और स्थगन इसलिए लगाया था कि किसानों की ऋण माफी के बाद में जो आन्दोलन खड़ा हुआ है शेखावाटी के अन्दर, उससे कानून के हालात बिगड़े हैं, प्रशासन और किसान आमने-सामने हैं, वहां पर लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था आ गयी है। अब क्या है। आपने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक बात आपसे निवेदन कर दूं। संसदीय कार्य मंत्रीजी और आप सब विराज जाएं। इतना तो आप लोग खयाल रखें। अध्यक्षीय निर्णय जो हो गया, उसको दुबारा I cannot reconsider it. The way out was जो मैंने आपको निवेदन किया, Let the explanation come, let the deliberations come from the Minister concerned. इसके बाद में अगर आपके मन में कोई और रह जाएगा या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई संशय है, उसको आप दूर करना चाहते हैं I'll give enough time to do that and I promise you, I'll do that but then you will have to need to the request of the Hon. Chair.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि रास्ते बन्द हैं और ज्यादा बड़ा किसी न किसी प्रकार का विवाद हो सकता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें आ जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: Nothing will come on record except what I have said.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: I'll not allow that, Sir. I have considered not to take your issue.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक बार आप विराज जाएं। Let the Minister say.

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की डिमाण्ड पेयजल से संबंधित है। दूसरा, सिंचाई से संबंधित है। किसानों के लिए इससे बड़ी आज की मांग नहीं हो सकती। पूरे राजस्थान का सिंचाई क्षेत्र से संबंधित किसान है, वह आज की प्रोसीडिंग्स के प्रति टक-टकी लगाकर देख रहा है। (व्यवधान) यस। बिलकुल सही कह रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इनको मेरा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा करवायी जाए। अगर इस बात में कोई व्यवधान पैदा करता है तो उससे कोई +++ नहीं हो सकता, किसान का विरोधी नहीं हो सकता। मेरा यही निवेदन है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 14.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.14 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था

कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन पर शासकीय वक्तव्य के माध्यम से चर्चा की अनुमति

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति प्रदान करें तो।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक बार आपने व्यवस्था फर्मा दी।

श्री उपाध्यक्ष: I'll get back to you. जिस विषय पर आप सदन का ध्यान दिलाना चाहते थे आपने वो ध्यान आकर्षित कर दिया। तीन बजे अगर आप चाहे न तो मैं मंत्रीजी से इसका वक्तव्य दिला देता हूं, उसके बाद में If you have got any other queries जो आपको लगता है कि आपको चाहिए I'll do it यह कौनसा ईगो का इश्यू हो गया। बिकाज जब आपका स्थगन प्रस्ताव निरस्त हो गया तो मैं किस नियम से आपको अलाऊ करूं? I have found an alternative. जिस नियम से, जिस व्यवस्था से अपनी बात कहने की भी आपकी परिस्थिति पैदा हो जाएगी और आप अपनी-अपनी बात उस वक्त कह दीजियेगा। So at 3 o'clock, I'll allow. इसके बीच में I'll go directly to सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें आसन की व्यवस्था मंजूर है लेकिन एक असंसदीय शब्द हो गया था माननीय मंत्री महोदय के ...

श्री उपाध्यक्ष: वो That we will check.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, सर, उसको एक्सपंज करा दें बस।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री युनुस खान।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 53वां प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था

प्रतिवेदन रखने में विलम्ब के उत्तरदायित्व का निर्धारण

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, प्रतिवेदन आ रहा है जब डिमांड आधी से ज्यादा आपकी, और ये एक बार नहीं ये अनेक बार हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पूर्व में कई परिपत्र हमने जारी किये हैं। यह जो प्रतिवेदन है 2016-17 का आ रहा है, 2017-18 का भी आना चाहिए था और थोड़ा विलम्ब हुआ है। इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करके और जिस किसी कारण से विलम्ब हुआ है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निश्चित तौर पर संसदीय कार्य मंत्रालय इस पर कार्यवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, मैं आपको भी इस बात से निर्देशित करता हूं कि जो भी इसके अन्दर कारण रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): रख तो दिया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन कोई आडिट आब्जेक्शन था, उसकी वजह से थोड़ा रुक कर हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, कोई भी कारण ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सदन के पास में जो दस्तावेज समय पर आने चाहिए, वो आएं और इसमें अगर कहीं भी कोई केयर लैसनैस रही है तो आसन आपसे निवेदन कर रहा है और निर्देशित भी कर रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगे से ध्यान रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी, संसदीय कार्य मंत्री से पूछा था कि अनुदान की मांगों के ऊपर आफिसर गैलेरी में नहीं थे, तो क्या उसकी रिपोर्ट आ गयी क्या और उस पर आगे के लिए आसन की क्या व्यवस्था रहेगी? वो थोड़ा-सा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, इसकी जानकारी भी आप आसन को आज ही उपलब्ध करा दें।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति (क्र. सं. 105 से 118)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2017-18 के निम्नांकित 14 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (संख्या-5) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 105वां प्रतिवेदन;

2- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 106वां प्रतिवेदन;

3- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 107वां प्रतिवेदन;

4- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 108वां प्रतिवेदन;

5- राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 109वां प्रतिवेदन;

6- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 110वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

7- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 111वां प्रतिवेदन;

8- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 81वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 112वां प्रतिवेदन;

9- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2015-2016 के 35वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 113वां प्रतिवेदन;

10- राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2011-2012) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 74वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिश पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 114वां प्रतिवेदन;

11- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2012-2013) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 76वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 115वां प्रतिवेदन;

12- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण निगम लिमिटेड तथा जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 116वां प्रतिवेदन;

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

13- राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 79वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 117वां प्रतिवेदन; एवं

14- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-2014) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2016-2017 के 80वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2017-2018 का 118वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम लाल जी गुर्जर।

पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (क्र. सं. 5)

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु संचालन, पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभाग में पदों की स्थिति, रोस्टर पंजिका का संधारण एवं जांच तथा भर्तियों में आरक्षण की पालना संबंधी पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, 2017-2018 के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री भागीरथ चौधरी।

याचिका

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर खेल सुविधाओं के विकास हेतु नवीन खेल स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर खेल सुविधाओं के विकास हेतु नवीन खेल स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति जारी कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19, द्वितीय अवस्था, अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री सुरेन्द्र गोयल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,55,93,32.000/- (बहत्तर अरब पचपन करोड़ तिरानवे लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: डा. राम प्रताप।

मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,38,49,1,000/- (चालीस अरब अड़तीस करोड़ उनचास लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री छोटू सिंह जी।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। आदरणीय, मांग संख्या-27 और मांग संख्या-46 के बारे में मैं मेरा वक्तव्य कहना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे को जिन्होंने आई.जी.एन.पी. नहर के क्षेत्र से 171 गांवों को पानी पिलाने के लिए कार्य शुरू किया और उसका बहुत बड़ा बजट देकर 171 गांव के आम जन के पानी के लिए व्यवस्था हुई है। साथ ही धन्यवाद देता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री साहिबा को एसएमजी के 105 आरडी से मोकला, दामोदरा होते हुए म्याजलार तक नई योजना बनाने की बात कही। धन्यवाद देता हूं जैसलमेर में पूर्ववर्ती योजनाओं के बारे में कि कई जगह और कई गांवों में पानी की अव्यवस्थाएं थीं, वर्तमान समय में गांवों और ढाणियों में पेयजल की उपलब्धता जमीनी मियाद पर है।

(श्री छोटू सिंह)

आदरणीय, उसके लिए मेरे जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में तकरीबन 96 ट्यूबवैल खुदवाये और जिन गांवों को आजादी से आज तक पानी नहीं मिला उन गांवों को पेयजल की सुचारु व्यवस्था हुई, उसके लिए आदरणीय मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्री साहिबा को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा जिला है और इस जिले में पानी की व्यवस्थाएं बहुत दूर-दूर तक हैं, आदरणीय, मेरा निवेदन है कि इन व्यवस्थाओं को देखते हुए जैसलमेर जिले में पूर्व के समय में पेयजल की जो पाइप लाइनों की व्यवस्था थी, उस समय में और आज के समय में आबादी भी बहुत बढ़ गयी है और ज्यों-ज्यों सेवानिवृत्ति का समय आ रहा है, कर्मचारियों की कमी आ रही है। मैंने आदरणीय मंत्रीजी से भी कल के क्वेश्चन में निवेदन किया कि हाई कोर्ट की रोक है, हमने इसके लिए मांग भी की थी लेकिन कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हुई है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से कर्मचारी लगे हुए थे, उस समय आज के हिसाब से आबादी देखी जाए तो 50 परसेंट थी और आज वो आबादी 100 परसेंट बढ़ गयी है और स्टाफ की कमी आ रही है, आवागमन की कमी आ रही है, जैसलमेर एक विशाल क्षेत्र है जहां उपखण्ड स्थल पर भी व्हीकल चाहिए। कोई भी पाइप लाइन किसी जमाने की है वो लीक हो जाती है। मेरा विशेष निवेदन है कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहां हैण्डपम्प है और जहां ट्यूबवैल है वहां व्यवस्थाओं में पूर्ववर्ती समय में जो पाइप लाइनें लगी हुई हैं उनको अभी बदला जाए।

साथ ही विशेषकर यह ध्यान और रखा जाए कि जैसलमेर में जो पाइप लाइन नहरी क्षेत्र से जा रही है 105 आरडी से, उन पाइप लाइनों के अन्दर नहर से सीधा, डाइरेक्ट गांवों को पेयजल मिलता है। जो आपके फिल्टर नहर में लगे हुए हैं वो सब अभी नकारात्मक हैं। जिस नहर में जैसा पानी आता है, उन गांवों को वैसा ही पानी मिल रहा है। आदरणीय, मेरा विशेष निवेदन है कि जो उपखण्ड रामगढ़ है उस उपखण्ड के अन्दर आपका इंजीनियरिंग स्टाफ है लेकिन आपका वर्क चार्ज स्टाफ चाहे फिटर हो, चाहे आपका पम्प ड्राइवर हो, वहां बिलकुल नहीं है, मोटरों की अव्यवस्थाएं हैं। आपके कम से कम 500 डिवीजन हैं, आदरणीय, मेरा निवेदन है कि इतने कम स्टाफ को देखते हुए या तो इनको छोटा किया जाए या फिर इस प्रकार

(श्री छोटू सिंह)

की व्यवस्था की जाए। ताकि या तो किन्हीं एनजीओज को आप एक उपखण्ड देकर देखो कि उसमें व्यवस्था कैसी होती है और अपनी गवर्नमेंट की व्यवस्था कैसी है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप एक उपखण्ड मेरे जैसलमेर क्षेत्र में देकर उसका एग्जाम लें कि उस व्यवस्था और सरकारी तंत्र की व्यवस्था में कितना फर्क है। इसके साथ ही मेरा विशेषकर निवेदन है आदरणीय सभापति महोदय, कि जैसलमेर में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ी दूरियां हैं, चाहे आप 15 किलोमीटर पाइप लाइन ले जाओ, 10 किलोमीटर ले जाओ, उसकी जो कोस्ट आती है, उससे ट्यूबवैल की कोस्ट अभी वर्तमान समय में कम आ रही है। उस कोस्ट को देखते हए, जहां धरातल में ट्यूबवैल है, इस साल और अगले पांच सालों में मैंने देखा है, जहां कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसलमेर जिले में पानी की उपलब्धता होगी, लेकिन आज वर्तमान समय में जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है, जहां जीरे की खेती होती है और जीरे की मण्डियां लगती हैं।

आदरणीय, यह मेरा निवेदन है, जो हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, यहां उपलब्धता खूब है, आप जितना हो सके, हैंडपम्प तो हमारे यहां कामयाब नहीं हैं, ट्यूबवैल यदि मिल जाएं तो वे लम्बी दूरियां कम हो जाएंगी। साथ में, क्योंकि विद्युत व्यवस्था बहुत कम है और विद्युत व्यवस्था को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं आपने करके रखी हैं, वे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मंत्रीजी, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, जो कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा, एक बार यदि मोटर पम्प जल जाता है तो उसे बहुत समय लगता है। बहुत समय से गांवों में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, गांव की दूरियों को देखते हुए वहां पहुंच नहीं पाता है, मैं चाहता हूं जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें अधिकारी को आदेशित किया जाए कि वहां चाहे पंप हों, चाहे मोटरों की व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल ट्यूबवैल हों, चाहे कृषि कनेक्शन ट्यूबवैल हों, दोनों में बराबर आ रही है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि विशेषकर उन दोनों को अलग-अलग किया जाए ताकि 24 घंटे लाइट उपलब्ध हो, जिससे कि हमारी दूरियां कम हों और पानी की उपलब्धता भी हो सके।

मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस पूरे तंत्र को। जो व्यवस्थाएं आप कर रहे हो, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए, आने वाला समय जो गर्मी का है, उस

(श्री छोटू सिंह)

गर्मी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की हैं, उनमें आप और ज्यादा व्यवस्थाएं कराएं। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि 245 आरडीएसएमजी पूर्ववर्ती सरकार के समय जो पाइप लाइन, 7 ग्राम पंचायतें और कम से कम 15 ढाणियां 245 आरडीएसएमजी की रामगढ़ से निकलती थीं, उस स्कीम का आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है, उसमें विशेषकर रेलवे विभाग भी आ गया है और मैं सोचता हूं उसके बारे में आपको जानकारी होगी, वह कार्य पूर्ण करवाया जाए। इसके साथ में मैंने धन्यवाद दिया है कि एसएमजी की 105 आरडी से जो पाइप लाइन की आपने योजना बनाई है, उसमें कम से कम 40 गांव और ढाणियां लाभान्वित होंगी तो उस पाइप लाइन को आप जल्दी से शुरू कराएं। साथ ही मेरा निवेदन है कि डीएनपी के गांव, जो डेजर्ट नेशनल पार्क में आते हैं, उन गांवों में पूर्ववर्ती समय में रोक थी कि कोई पाइप लाइन नहीं लगा सकता, कोई वहां ट्यूबवैल नहीं खोद सकता, तो मेरा निवेदन है अभी इस समय ग्रेवल ट्रैक के आर्डर हो गए हैं और उसमें ट्यूबवैल और अपनी कई जीएलआर क्षतिग्रस्त हैं, उन्हें वापस रिपेयर किया जाए ताकि वहां के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके।

साथ ही, मेरा जैसलमेर जिला ऐसा जिला है, जहां फ्लोराइड युक्त पानी है। आपकी व्यवस्था है, आपने आरओ प्लांट जगह-जगह लगाकर रखे हैं। मैं 2-3 आरओ प्लांट का उद्घाटन भी करके आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा और गांव वालों ने भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया अपनी सरकार को, लेकिन इस प्रकार के कई गांव हैं जो आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। मेरा आपसे निवेदन है विशेषकर कि जो गांव रह गये हैं, जो ढाणियां हैं, उनके लिए आरओ प्लांट की व्यवस्था कराएं। साथ ही मेरा निवेदन है कि जीएलआर, सीएसआर...अब जैसे कई गांव हमारे जैसलमेर में ऐसे हैं जो 4 हजार की आबादी के अन्दर नहीं आते हैं और 4 हजार की आबादी के अन्दर नहीं आने से उनमें घर-घर नल कनेक्शन नहीं हो सकता। इसके अन्दर विशेष कोई जैसलमेर जिले के लिए छूट दी जाए, क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा जिला है, जहां किसी को यह पता नहीं है कि घर में नल भी आता है, लेकिन यह व्यवस्था जब हो सकती है कि जहां आपकी गाइड लाइन को देखते हुए, हमारे दूसरे जिलों की जनसंख्या को देखते हुए, हमें इसका लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन इसकी कुछ रियायतें भी जैसलमेर जिले के लिए बरती जाएं तो हमें लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही उक्त मांग के अन्दर जो व्यवस्थाएं

(श्री छोटू सिंह)

सरकार द्वारा की गई, मैं पुन: माननीय मंत्री महोदय को, माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इसके साथ ही मैं मांग संख्या-46 के बारे में बोलना चाहता हूं। आदरणीय मंत्रीजी विराजे हैं। जैसलमेर जिला ऐसा जिला है, जो पश्चिमी छोर पर आता है और पश्चिमी छोर पर आने के कारण, चाहे वह नहर का पश्चिमी छोर हो, चाहे वह अंतिम जिला हो, वह हमेशा पीड़ित रहता है। उसका कारण ही यही है कि जहां से नहर निकलती है, आखिरी छोर जैसलमेर में आता है और हमेशा जब हम हमारे शेयर की मांग करते हैं तो यही सोचा जाता है पानी और बीच में किसी भी प्रकार से पहुंच नहीं पाता है। और दूसरे प्रदेश जहां पंजाब से यह पानी निकलता है, वहां हमेशा यही सोच रहती है कि जैसलमेर तक यह पानी नहीं पहुंचे। हमारा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, आदरणीय मंत्रीजी, उसके अन्दर यदि पूर्णतया पानी आ जाए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जैसलमेर में पैदा होने वाला अनाज पूरे विश्व को पूरा हो सके, इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसके वंचित रहने का कारण यह है कि जिस प्रकार से नहर रवाना होती है और हमारा बुवाई का सीजन होता है, उसी हिसाब से वहां से हमें पानी नहीं मिलता है। कई बार आपने देखा होगा, पूर्ववर्ती सरकार में तो दुनिया भर के आंदोलन हुए थे, वर्तमान सरकार में भी किसानों के कई बार आंदोलन हुए। उसका कारण ही यही है कि बीज बोने के टाइम न्योता दे देते हैं कि पानी पहुंच जाएगा। जब भी हम बीज बोकर तैयार होते हैं और उसका उगाही का समय आ जाता है तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल कम हो जाती है। आदरणीय मंत्रीजी, निवेदन है विशेषकर नहरों के बारे में कि इसकी सुचारु व्यवस्था की जाए और जैसलमेर जिले का जो शेयर है, जो हिस्सा है, जितने तन में हमारा हिस्सा है, वह हमें पूर्णतया मिलना चाहिए। यह आपसे अपेक्षा रखते हैं।

साथ में निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर जो जैसलमेर की नहरें हैं, यहां हमेशा आंधियां चलती हैं और आंधियों के कारण ब्राउन सैण्ड से ये डैम बने हुए हैं, लाइनिंग भी हुई है, लेकिन एक-एक का काम कभी भी नहीं। आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ रिपेयर के कामों में भी खामियां हैं और कुछ नहरों के लेवल में बड़ा डिस्टर्ब है। आदरणीय, तेरहवीं विधान सभा में हमने विशेषकर इन नहरों के बारे में विचार किया। टिबरा एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके अंतिम छोर पर आज तक पानी नहीं पहुंचा। बहुत

(श्री छोटू सिंह)

सारी कोशिशें कर लीं। काम होने के बावजूद मेरा निवेदन है एक विशेष नई टीम बनाकर इसके पूरे लेवल लिए जाएं ताकि कहां-कहां पानी कितना स्टोरेज में रह सकता है, किस हिसाब से रह सकता है, किस हिसाब से इनके खालों के आउटलैट दिए हुए हैं।

मेरा विशेषकर दूसरा निवेदन है कि जो भी पानी बहाव से निकलता है, उसका कम्प्यूटरिंग किया जाए ताकि आम किसान को इसकी जानकारी मिले कि हमारा हिस्सा...for example 150 क्यूसैक्स हैं, 300 क्यूसैक्स हैं, 360 क्यूसैक्स हैं तो उसकी क्षमता के हिसाब से पानी मिलना चाहिए और आमजन को उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हमारी भी मीटिंगे हुईं। हम गए, लेकिन आम किसान की यह शिकायत है कि हर माइनर के अन्दर समितियां बनाई गईं, समिति का अध्यक्ष है। वहां के लोकल सरपंच भी हैं। आदरणीय, मेरा विशेष निवेदन है, सुझाव भी है, जब भी हमारी मीटिंग जन प्रतिनिधियों के साथ में हो, सरपंच और जो कमेटी के सदस्य हैं, कमेटी का अध्यक्ष है, उनको हमारे साथ बुलाया जाए ताकि उनकी जो प्राब्लम हो, उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हाथों-हाथ साल्व हो सके।

आदरणीय, विशेषकर नहरों के अंदर एक हमारी पाइप माइनर रामगढ़ है, उसके लिए मेरे खयाल में अभी काम तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन सुना ऐसा है कि उसको ओपन माइनर के अन्दर माननीय मंत्रीजी ने इसके लिए टैंडर पद्धति शुरू की है, मेरे खयाल में टैंडर भी हो गए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उस जमींदोज पाइप माइनर को ओपन माइनर करने के लिए हमारा कार्य शुरू किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, वहां के वायुमण्डल को देखते हुए, मौसम आधारित परिस्थितियों को देखते हुए हमेशा ये वंचित रहते हैं। कुछ तो मौसम साथ नहीं देता है।

मौसम के साथ में यहां की नहर पद्धति का जो तंत्र है वह तंत्र जैसलमेर के लिए विशेषकर हमारे योग में संयोग नहीं देता है। किसान-आम जन की शिकायत क्या है कि जैसलमेर में जो पानी वहां से रवाना होता है तो पंजाब से हनुमानगढ़ रोक देता है, गंगानगर रोक देता है और जैसलमेर के आखिरी छोर तक आता है तो केवल पेयजल के लिए ही पानी पहुंच पाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसलमेर एक ऐसा

(श्री छोटू सिंह)

जिला है जहां पर सब कुछ आपको मिलता है, वहां का रेवेन्यू मिलता है, वहां की पवन चक्कियों और सोलर सिस्टम से बिजली मिलती है, वहां से खनिज मिलता है और सबसे बड़ी सारे जैसलमेर की लैंड आपको मिलती है, आने वाले समय में हम सोच रखेंगे कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिसके अन्दर हमारे प्रदेश को पूर्ण व्यवस्थाएं मिलेंगी, नहीं तो वहां रहने के लिए जगह जरूर मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों की उपलब्धता को देखते हुए जैसलमेर की आम जन की सुविधा को देखते हुए आप नहर तंत्र को ठीक करके अंतिम छोर तक हमारे आम किसान को खुश करने के लिए नहर में पानी की व्यवस्था करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुन: आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी। (अनुपस्थित)।

श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी का यह संकल्प है कि किसानों की आय को दुगुना करें। यह संकल्प तभी पूरा होगा कि किसान के पास जो जमीन है, वहां पानी मिल जाए उसको खेती के लिए, सिंचाई के लिए। अभी भी हमारे यहां हाल क्या है, जमीन है सौ बीघा लेकिन परिवार पालने के लिए नरेगा में काम करना पड़ता है उसको, अगर इस जमीन से उत्पादन हो जाए तो किसान के घर में खुशहाली आ सकती है। आय दुगुनी तभी होगी जब हम प्रयास करके जितनी भूमि को सिंचित कर सकते हैं, उसके लिए कोई न कोई योजना बनाकर उसको धरातल पर ले आएं और उसमें अभी भी काफी गुंजाइश है, ऐसा नहीं है कि गुंजाइश नहीं है। अभी भी वर्षा का बहुत-सा पानी बहकर कहीं न कहीं चला जाता है। इस पानी से खुशहाली आनी चाहिए वह कई जगह तबाही का कारण भी बन जाता है। हमारी सरकार ने प्रयास बहुत किए हम उसमें काफी सफल भी रहे हैं लेकिन जितनी आवश्यकता है, उतना काम अभी हुआ नहीं है, बहुत काम करने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। हम जहां-जहां महसूस हो कि यहां पानी व्यर्थ जा रहा है उसको रोककर किसी प्रकार से सिंचाई के उपयोग में ले लें तो शायद हम प्रधान मंत्रीजी के संकल्प को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखते होंगे हमारे क्षेत्र में पानी बरसता है, बाढ़ आती है, किसी के काम में नहीं आता है, कइयों का नुकसान कर जाता है। हम बड़ी योजनाओं की ओर ध्यान दें लेकिन छोटे-छोटे एनीकट, खडीन बनाकर भी हम किसान के घर में खुशहाली ला सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम पानी में ज्यादा खेती कैसे हो, ज्यादा सिंचाई कैसे हो, उसके भी कई सारे वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं पर अभी भी कई किसानों को इसकी जानकारी नहीं है। अधिकांश किसानों ने उसको अपनाया नहीं है। हमको उस दिशा में भी प्रयास करना होगा कि कम पानी का बेहतर उपयोग करके ज्यादा फसल ले सकें, यह काम भी हमको करना होगा। हमारा जो सिंचाई का तंत्र है उसको भी सुदृढ़ करना होगा। हमारी नहरें क्षतिग्रस्त हैं। पानी व्यर्थ चला जाता है, समय पर नहरों की सफाई नहीं होती है, उसमें भी पानी व्यर्थ जाता है। पहले हमारे पटवारी होते थे इर्रिगेशन के, वह भी अब नाम मात्र के बच गए तो सही जगह पर सही पानी पहुंच जाए तो इस व्यवस्था में भी कमी आई है, गिरावट आई है, उस तंत्र को भी हमको ठीक करना होगा। यदि हमने काम किया, प्रधान मंत्रीजी का जो संकल्प है उसको हम राजस्थान की धरती पर पूरा कर देंगे। अब आपको पता ही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 14.4 प्रतिशत यहां भू भाग है, कोई मामूली नहीं है, वर्षा का अगर देश का औसत देखें तो मात्र 1 प्रतिशत वर्षा हमारे यहां होती है। भू भाग हमारे यहां 10.4 प्रतिशत और वर्षा का औसत 1 प्रतिशत। तो उसमें बहुत कुछ चुनौती वाला काम हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि इतने बड़े भू भाग को सिंचाई से कैसे लाभांवित करें। हमारे पास जो सतही जल की उपलब्धता है, वह भी मात्र 1.16 प्रतिशत, यानी बहुत कम और दोहन योग्य जो भू जल है हमारे पास वह भी बड़ी मात्रा में नहीं है वह भी 1.72 प्रतिशत। हमारा सारा का सारा प्रकृति की मेहरबानी पर ही निर्भर है। बारिश हो जाए और एक फसल किसान ले ले, यहां तक हम सीमित हो रखे हैं। हमारे पास सिंचाई योग्य क्षेत्रफल 257 लाख हैक्टेयर, कोई मामूली नहीं होता यह, पूरे देश का जो सिंचाई योग्य क्षेत्रफल है वह भी इतना बड़ा कहीं और प्रदेश में नहीं है और हमारे पास कुल सिंचित क्षेत्र है वह मात्र 42.25 लाख हैक्टेयर, कुल सिंचाई योग्य क्षेत्रफल की तुलना में मात्र 15 प्रतिशत उसके आसपास ही हैं हम, ज्यादा नहीं है। अभी भी 215 लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है जो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, बरसात आ जाए तो फसल मिल जाए और वर्षा नहीं हो तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वह जमीन बेकार। किसान वही नरेगा में काम करके अपने परिवार का पेट पाले। इस सैक्टर को बढ़ाने का हमारे पास एक चुनौतीपूर्ण काम है। हमारी सरकार ने इस चुनौती को जिस तरीके से लिया है और जिस गति से हमने इस सैक्टर में काम किया है, वह भी अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि यदि कोई सरकार चाहे तो खुशहाली ला सकती है। हमारी सरकार ने गत चार वर्षों में 5632.25 करोड़ रुपए खर्च कर 494592 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने में हमने सफलता हासिल की है, मामूली नहीं होता, 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल को अतिरिक्त सिंचाई इन चार सालों में किया है। अगर हम इसी गति से काम करते रहे तो हम निश्चित रूप से एक खुशहाल प्रदेश के रूप में बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा नहर परियोजना पर फव्वारा सिंचाई पद्धति लागू कर हमारी सरकार ने 12717 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सृजित की है, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार के कार्य को केन्द्र सरकार ने भी बहुत सराहा है। पहली बार ऐसा हुआ इन चार सालों के दौरान हमें दो बार प्रशंसा पत्र मिले हैं, केन्द्रीय सिंचाई मंडल ने दिनांक 29.12.15 को नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई में अधिकतम और दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए हमने प्रशंसा पत्र प्राप्त किया, इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी का आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि यह आपकी मेहनत और आपका प्रयास है। जल उपभोक्ता संगमों द्वारा सिंचाई प्रबंधन में प्रभावी कार्य और उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 29.12.16 को भी सेंट्रल बोर्ड आफ इर्रिगेशन एवं पावर अवार्ड में हमें सम्मानित किया गया। कुछ न कुछ किया होगा तभी केन्द्र सरकार की एजेंसियों ने हमको सराहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गम्भीरता से हमारे सिंचाई मंत्री हमारे जल संसाधन मंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं।

हम राजस्थान को निश्चित रूप से खुशहाल प्रदेश बनाने में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पानी की, वर्षा की बहुत कमी रहती है और राजस्थान का बहुत बड़ा बांध जवाई बांध भी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

हमारे ही जिले में स्थित है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे उप मुख्य सचेतक को, जो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे हिस्से का पानी बहकर गुजरात चला जाता है वो हमारे हिस्से का पानी हमको मिल जाए और उसमें मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री को भी, हमारे जल संसाधन मंत्री को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। हमने डी.पी.आर. बनवा दी, करोड़ों रुपये हमारी सरकार ने खर्च किये। हमने बी.एफ.आर. भी बनवा दी और आवश्यकता है बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति जारी करने की। अगर यह स्वीकृति जल्दी ही हमारे अपने कार्यकाल में जारी करवा देते हैं, काम होने में हो सकता है वक्त लगे, समय लगे पर शुरूआत हमारी सरकार के कार्यकाल में हो जाए। इसके लिए सिंचाई मंत्री से आग्रह करूंगा कि जवाई बांध हम एक बार नहीं, हम कई बार साल में भर सकते हैं और वर्षा से नहीं, बिना वर्षा भी जो पानी बहकर गुजरात जाता है उसके माध्यम से भर सकते हैं। इससे हमारे जिले की पेयजल समस्या का भी समाधान हो जाएगा और जो हमारे क्षेत्र असिंचित इलाका है उसको भी सिंचाई के लिए बहुत बड़ा वरदान के रूप में यह काम साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अपने क्षेत्र में एक हेमावास बांध है। पिछले चार सालों में तीन बार वो ओवर-फ्लो हुआ है और पानी आगे व्यर्थ बहकर बाहर गया है। हमारी कई वर्षों से डिमांड है कि इसकी क्षमता को और बढ़ाया जाए। पाली शहर के पास स्थित है और शहर में भी वो कई बार बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इसकी क्षमता का प्रस्ताव अनेकों बार भिजवाया हुआ है और अगर आप एक फीट इसकी क्षमता बढ़ा देंगे तो इसकी क्षमता 350 एमसीएफटी और बढ़ जाएगी। अभी इसकी 2200 के करीब क्षमता है और लगभग 15 परसेंट इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी जिससे कई किसानों का भला हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 27 फीट का यह बांध है और 12 फीट इसमें मिट्टी भरी हुई है तो आवश्यक भी हो गया क्योंकि आप 12 फीट मिट्टी निकाल नहीं सकते इसलिए जरूरी है कि इसकी क्षमता बढ़े। इसकी जो नहरें उन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। अगर नहरें भी सही हो जाएं, दुरुस्त हो जाएं तो शायद हम ज्यादा इलाके को सिंचित कर पाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बांध के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो पश्चिमी राजस्थान का दूसरा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सबसे बड़ा बांध सरदारसमंद बांध है। पिछले कई सालों से उसकी क्या हालत है? उसके कैचमेंट क्षेत्र में इतने अनाधिकृत निर्माण हो गये कि अतिवृष्टि होने के बाद भी वो बांध अपनी क्षमता का 25 परसेंट पानी भी नहीं भर पा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिये थे कि इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए पर उसके बावजूद भी इसके कैचमेंट क्षेत्र में एक नहीं, अनेक अनाधिकृत निर्माण किसी न किसी तरीके से कर लिये गये। स्वीकृति जारी की, बाढ़ बचाव कार्य, कैचमेंट के दोनों किनारों पर दीवार बनी थी, बना दी बीच में और पानी को रोक दिया और एक नहीं, तीन जगह ऐसा काम हो गया। बाद में जब किसान वापस उच्च न्यायालय गये तो माननीय उच्च न्यायालय ने फिर सरकार को आदेश दिये कि इसके कैचमेंट क्षेत्र में जो भी अनाधिकृत निर्माण हैं उनको चिन्हित करके सरकार हटवाये। जब माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दे दिये तो मेरा आग्रह रहेगा कि आपके विभाग ने उन सारे अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित भी कर लिया तो अगर हटाने का आदेश आप कर दो तो इस बांध के कमांड क्षेत्र में जितने भी काश्तकार हैं, जो पिछले कई वर्षों से इन अनाधिकृत निर्माणों के कारण सिंचाई से वंचित रह रहे हैं उनके खेतों में भी पानी पहुंच जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या है और किसानों ने कई बार इसके लिए प्रदर्शन, आन्दोलन और धरना भी दिया है पर पता नहीं हम क्यों उन अनाधिकृत निर्माणों को नहीं हटा पा रहे हैं, आदेश के बाद भी क्यों नहीं हट रहे हैं। इस बात को सरकार को गम्भीरता से लेना होगा और बहुत जल्दी आदेश जारी करके जितने भी अनाधिकृत निर्माण हैं उन सबको हटाना होगा। जहां पानी को बाधा पहुंचाने वाला कोई कार्य हो गया, कहीं सड़क बन गई, पानी की आवक का रास्ता था और फोर-लेन बन गई, सिक्स लेन बन गई, रास्ता छोटा हो गया जिससे पानी बिखर कर दूसरी जगह जा रहा है, वहां नुकसान कर रहा है तो उन जगहों के लिए भी चाहे आपको एन.एच. को कहना पड़े या जिस एजेंसी ने, जिस कम्पनी ने हाईवे बनाया है उसको निर्देश देना पड़े तो वो भी देकर इस बांध के कैचमेंट का पानी है वो इस बांध तक पहुंच जाना चाहिए, इसके लिए भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही क्षेत्र में एक राडिया नदी गुजरती है, उसके आगे कोई बांध नहीं है और आगे लूणी मिलती है और उसके बाद में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कच्छ में जाकर इसका सारा का सारा पानी बर्बाद हो जाता है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन भी किया है और वापस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रेड़िया नदी के बिल्कुल पास में रोहट का बांध, तालाब है जिसके ऊपर अभी सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि खर्च की है वहां पर एक डाइवर्जन बना दिया जाए और उस नदी का पानी रोहट बांध या तालाब, क्योंकि आपका उसमें एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उस तालाब में डाल दिया जाए। वहां इतना पानी आता है कि रोहट तालाब ओवर-फ्लो होगा तो दूधली तालाब में पानी जाएगा और दूधली ओवर-फ्लो होगा तो डूंगरपुर तालाब में पानी जाएगा और डूंगरपुर ओवर-फ्लो होगा तो आपके अपने खांडी बांध में वो पानी पहुंच जाएगा वर्ना आपका खाडी बांध भी पानी के लिए तरस जाता है। इस एक काम से कई गांवों को आराम हो जाएगा। यहां डाइवर्जन बनने से पीछे की ओर के जो 12 गांव हैं वहां का भू-जल स्तर भी काफी बढ़ जाएगा। ये 13 और 4, 17 गांवों के काश्तकारों को निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब हम लगातार किसानों के लिए काम करते आ रहे हैं, हमने किसानों के करोड़ों रुपये के कर्जे भी माफ किये हैं तो हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि किसान की इतनी आय हो जाए कि कर्जे माफी के लिए वो सरकार के सामने कभी अपना हाथ न फैलाये। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि हम इन 13 गांवों के काश्तकारों को इस एक ही काम से निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सम्पन्न कर सकते हैं।

मेरा आपसे एक और आग्रह रहेगा कि मेरे क्षेत्र में एक घराणा गांव में बड़ा तालाब है जो राजा-महाराजाओं के जमाने का बना हुआ है। पहले उससे सिंचाई भी होती थी पर बाद में चूंकि कच्ची नहरें थीं जिसमें मिट्टी आ गई तो बन्द हो गई। उस बांध का पानी न तो पेयजल के काम आता है चाहे इन्सान के लिए हो या पशु के लिए हो। वो कोने में एक तरफ बना हुआ है और किसी भी काम में वो पानी नहीं आता। उस बांध की क्षमता है वो गरोलिया बांध मेरे क्षेत्र में है, वायड़ बांध मेरे क्षेत्र में है उससे भी ज्यादा है। पक्का काम नहीं करवा सके कोई दिक्कत नहीं है पर अगर कच्ची नहरों का निर्माण करके इस बड़े तालाब के पानी को हम उस घराणा गांव के किसानों को उपलब्ध करा दें तो वहां के सैंकड़ों किसान सम्पन्नता की ओर निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब कई बार बाढ़ आई, पानी व्यर्थ

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गया तो हमने छोटे-छोटे एनीकट बनवाये, कहीं खड़ीन भी बनवाये, कहीं धोरे भी बनवाये। मेरी रोहट तहसील में लगभग 48 एनीकट, खड़ीन या धोरे, जो आपके विभाग ने कभी बनाये थे और बाद में कुछ को आपने पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया होगा वो अलग बात है। उनके बनने से वहां कई काश्तकारों को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ था, उनकी हजारों बीघा जमीन को भी उससे पानी मिला था। उन 48 एनीकट, खड़ीन या धोरों में से 18 क्षतिग्रस्त हो गये और वो काम नहीं आ रहे हैं। उनका पानी व्यर्थ बहकर जा रहा है, किसान के खेत की मिट्टी को काटकर उसके खेत को बर्बाद कर रहा है। बाकी के जो हैं वो भी मरम्मत योग्य हैं, उनकी भी मरम्मत की आवश्यकता है और बहुत लम्बी राशि इसमें नहीं लगेगी। अब कई बार होता यह है कि नरेगा से काम करवा दो पर नरेगा में लेबर लगते नहीं हैं, कुछ पक्का काम भी होता है इसलिए कई बार स्वीकृति मिलती नहीं है तो ये जो 17 एनीकट आपके क्षतिग्रस्त पड़े हैं और बाकी के जो मरम्मत योग्य हैं उनको चाहे नरेगा से आप करवाओ, चाहे विभाग के खर्चे से करवाओ अगर इनको आप ठीक करवा देंगे तो ये 48 छोटी-मोटी आपकी सम्पत्तियां हैं, उनके माध्यम से भी सैकड़ों किसानों को खेती करने का अवसर प्रदान हो जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय को, पहले हमारे यहां एक लोर्डिया फीडर था, जो शहर के बिल्कुल बीचों-बीच में बाँध है। वर्षों से इसकी मांग थी कि जब अतिवृष्टि होती है, ज्यादा बरसात होती है, यह बांध चूंकि शहर के बीच में स्थित है और यह बांध जब भी ओवरफ्लो होता था तो शहर की जितनी भी निचली बस्तियां हैं, उनमें यह तबाही मचाता था। दो साल पहले भी इन बस्तियों में जहां लगभग 20,000 की आबादी रहती होगी, वहां 15-15 दिन पानी पड़ा रहा है और जब आपसे आग्रह किया तो आपने इस लोर्डिया फीडर की 2.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर चैनल गेट और पक्की नहर का निर्माण करवाकर, जितनी आवश्यकता बांध को है, बांध में पानी और आवश्यकता बांध में नहीं है तो एक चैनल गेट लगाकर उस बांध का पानी सीधा नदी में डालकर पाली शहर को आपने बाढ़ की स्थिति से बचाया है, उसके लिए आपका आभारी रहूंगा, पूरे पाली शहर की जनता भी आपकी आभारी रहेगी।

ऐसा ही खारडा बांध है, उसकी जो फीडर है, वह भी वर्षों से क्षतिग्रस्त

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

थी। अतिवृष्टि होती है। वर्षा होने के बाद भी फीडर के क्षतिग्रस्त होने के कारण वह पानी बांध में जितनी मात्रा में पहुंचना होता है, उतना पहुंचता नहीं था। आपसे मांग थी, आपसे आग्रह किया तो आपने एक करोड़ रुपये की राशि देकर उस फीडर को सुदृढ़ करने का जो काम किया है। वहां भी 60 गांव लगते हैं उस बांध के कमांड क्षेत्र में और आपका यह काम होने से बांध में बड़ी मात्रा में पानी आएगा पहले की तुलना में और पहले की तुलना में ज्यादा इलाका सिंचित होगा। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घारिया बांध है, जो एक बार नहीं, कई बार क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बने हैं, बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। उसके लिए आपने 41.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर, यह कोई मामूली स्वीकृति नहीं है, 41.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर, आपने जो काम किया है, उस क्षेत्र की जनता आपको हमेशा हृदय से धन्यवाद देगी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट में। आपने बाणियाबास बांध में भी, खुलाक बांध में भी लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि देकर हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है क्योंकि वह मामूली काम नहीं किया है आपने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं, वह काम के मामले में इतनी गम्भीरता रखते हैं कि कोई भी जानकारी इनको मिलती है तो पूरा प्रयास करते हैं कि उस काम को किस प्रकार धरातल पर उतारा जाए और उसका परिणाम भी हमने हमारे क्षेत्र में देखा है और जो मांग मैंने आज की है आपको इस सदन के माध्यम से, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब जवाब देंगे तो हमारे उन कामों की आप निश्चित रूप से यहां घोषणा करेंगे।

मैं एक छोटी-सी मांग इन पेयजल मंत्रीजी से करते हुए दो मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय पेयजल मंत्रीजी, आप मेरे जिले से हैं। आपको पता है कि दो साल पहले मैं कितना पीड़ित था। मेरी पीड़ा आपने हमारे कई कार्यक्रमों में सुनी है और जिस दिन से आपने काम संभाला है, आपने 80 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति देकर हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया।

मैं आपका आभारी हूं और जो क्षेत्र पानी से बहुत ज्यादा त्रस्त था, रोज के 100 फोन आते थे कि आज यहां पानी नहीं पहुंचा, आज टैंकर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भिजवाओ, आज वहां पानी नहीं पहुंचा। पिछले छह महीने से एक भी फोन किसी गांव से इस बात का नहीं आ रहा है कि हमारे यहां पानी नहीं है। आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सिर से उतारा, उसके लिए आपका धन्यवाद।

मेरी दो छोटी-छोटी योजना आपके विभाग की पैंडिंग हैं। एक तो खावलता कलां, खावलता खुर्द की लगभग 4.75 करोड़ रुपये की, आप थोड़ा भिजवा देना। (व्यवधान) नहीं, पाली के मामले में ये पूरे उदार हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां नहीं कहता तो भी कर देते। पर बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए सदन के माध्यम से कह दूं और दूसरा, मेरे सिंगारी आदर्श ग्राम पंचायत है, उसमें जनता जल की योजना 80 लाख रुपये की है तो जाते ही आप तो फटाफट उस पर दस्तखत कर देना। इतना ही आपसे कहना है। आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति बहुत-बहुत आभार क्योंकि मैं आम तौर पर तैयार होकर बोलता हूं। आज मैं बिना तैयारी के पकड़ा गया हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जल संसाधन पर अपन विचार कर रहे हैं। राजस्थान की भिन्न-भिन्न योजनाओं के बारे में, भिन्न-भिन्न मांगों के बारे में विचार करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो जल राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। दो उदाहरण देकर मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात को शुरू करना चाहूंगा।

सीरिया में आज लड़ाई चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण पानी है। वहां छह साल अकाल पड़ता था, तीन साल बरसात होती थी। 10 साल लगातार अकाल पड़ने से गांवों में पानी सूख गया, पेयजल के लिए पानी नहीं रहा। लोग शहरों में आ गये। लड़ाई हुई। आपस में तीन गुट बन गये। आज अमेरिका और रूस दोनों वहां पर बम्बारमेंट करके लोगों की यह स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक उदाहरण वहां का है।

दूसरा उदाहरण मालदीव का है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मालदीव में आज सारी स्थिति पैदा हुई है, वह पानी की कमी के कारण से हुई है। यह पानी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है तो आज पेयजल पर भी है और सिंचाई पर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी है और हमारे दो माननीय मंत्रीजी, जो हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, वे दोनों ही आज इनका जवाब देंगे। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। वे भले आदमी हैं। कभी-कभी डाक्टर साहब को गुस्सा आ जाता है। आज तो मैंने पहली बार देखा कि डाक्टर रामप्रतापजी को भी गुस्सा आ रहा है। यह कोई राम का ही प्रताप हुआ है आज। सुरेन्द्र गोयल साहब भी जनसंघ के समय से हमारे साथ हैं। ये भी काम ठीक कर ही रहे हैं। मेरा इनको कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं दो बात निवेदन करना चाहूंगा।

पहला यह करना चाहूंगा कि इस बार के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री, मुख्य मंत्रीजी ने 52,000 करोड़ रुपये की योजनाएं घोषित कीं। वह एक रास्ता है हमारी पेयजल की समस्याओं के समाधान का। वह रास्ता है, अच्छा रास्ता है लेकिन उसके लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। यह सबसे बड़ी समस्या है। तो उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि देखिये, 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपन ने 2.89 लाख हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित की थी जबकि चार वर्ष जो अपने अभी तक निकले हैं, इसमें बिन्दु संख्या-28, जो अपना बजट का भाषण है, उसमें लिखा है कि हमने 50,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता को प्राप्त किया है। यह फर्क बड़ा है यद्यपि नहरों के सुधार का और मरम्मत का जो काम किया है, वह बड़ा काम है लेकिन इस सिंचाई की क्षमता को प्राप्त करने में हम सिर्फ 50,000 हैक्टेयर तक सीमित रहे हैं और 2017-18 का जो बजट हमारा था, उसमें 2015.85 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसके अगेन्स्ट में हम, पेज नम्बर 6 और 24 देखिये प्रगति प्रतिवेदन आपका, उसमें 1110.41 करोड़ रुपये व्यय कर पाये हैं, बाकी हम व्यय नहीं कर पाये हैं। इसका कारण क्या है? हमने रुपये का प्रावधान किया है लेकिन हम रुपया व्यय नहीं कर पाये, इसका कारण मैं जानना चाहूंगा।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि 13 लघु परियोजनाएं हमने इन चार साल में पूरी की हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक भी वृहत् और मध्यम सिंचाई योजना न हम प्रारम्भ कर सके, न हम परिपूर्ण कर सके तो सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी बात है।

अब हमारे लिए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिए और हम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सबके लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह ईआरसीपी प्रस्तावित योजना है, 52,000 करोड़ रुपये की योजना माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बताई। 2018-19 का अपना बजट है, वह एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर का बजट है और 2018-19 के बजट में उसके लिए केवल 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है पेज नम्बर 52, निष्पादन आय-व्ययक 2018-19, तो 52,000 करोड़ रुपये की योजना, उसमें से ये 13 जिलों की ईआरसीपी की योजना है, वह 37,000 करोड़ रुपये की योजना है तो इन 37,000 करोड़ रुपये की योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी बेसिन से कुल्लू, कुन्नी, पार्वती, कालीसिंध, मेज, चाकड़ा नदी के अधिशेष जल को बनास में, मोरेल में, बाणगंगा में, कालीसिंध में, गम्भीरी में एवं पार्वती नदी में डाले जाने की योजना है...

इस योजना के लिए केवल 10 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है। अब इस योजना में 50 बातें हैं। पर्यावरण की मंजूरी लेनी है, वन विभाग की मंजूरी लेनी है, डी.पी.आर. बनानी है। ये सारी बातें हुए बिना, हमने इस योजना की पेयजल एवं सिंचाई दोनों के लिए बजट में घोषणा की और प्रावधान केवल 10 करोड़ का किया। मैं माननीय मंत्रीगणों से यह आशा करूंगा कि वे बताएंगे कि इस योजना की शुरुआत कब करेंगे? अगर यह योजना पूरी होती है तो जयपुर जिला, सवाईमाधोपुर जिला, करौली जिला और पूर्वी राजस्थान की जो पेयजल समस्या है, उसके समाधान का रास्ता निकलता है, लेकिन इसमें वह प्रावधान नहीं है।

दूसरी योजना, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, जयपुर के लिए बहुत जरूरी है। वह है 6 हजार करोड़ की ब्राह्मणी बनास परियोजना है। इस योजना के अन्तर्गत ब्राह्मणी नदी का पानी बनास में आएगा, बीसलपुर में आएगा और फिर ईसरदा में जो बांध बना हुआ है, उसमें जाएगा और उसका सरप्लस जल, हम रामगढ़ तक भी ला पाएंगे। यह सब इसमें कहा है, लेकिन 2018-19 के बजट में, इसके लिए केवल 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 6 हजार करोड़ की परियोजना है। योजना बढ़िया है, योजना को परिपूर्ण करना भी आवश्यक है, लेकिन 6 हजार करोड़ की योजना, आपकी डी.पी.आर. ही नहीं बनेगी, 20 करोड़ में आपका क्या होगा? इसलिए इस 20 करोड़ को आगे कैसे करेंगे, यह पूछना चाहता हूं।

माही-अनास की जो घोषणा की थी, उसमें तो सरकार ने परिवर्तन कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया। इसलिए उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार साबरमती बेसिन से जल जवाई बांध, माननीय सदस्य चले गये हैं। जवाई बांध के लिए साबरमती बेसिन से 6 हजार करोड़ की योजना की घोषणा की गयी, लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं है, बजट में घोषणा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वित्तीय प्रावधान उसमें नहीं रखा गया है। बजट भाषण में टोटल 52 हजार करोड़ की, जो घोषणाएं की गयी हैं, उसमें 70 करोड़ रुपये का टोटल प्रावधान किया गया है। अगर 52 हजार करोड़ की योजना का प्रावधान, केवल 70 करोड़ में होगा, तो 70 करोड़ में तो इनका कोई भी काम पूरा नहीं होगा।

इसलिए मेरी मांग है कि अगर इन योजनाओं को पूर्ण करना है तो इसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। अब बजट में प्रावधान न सही, वित्त पोषण की अन्य व्यवस्थाएं भी हैं, कर्जा लेकर करते हैं, आई.डी.बी.आई. से करते हैं, एशियन बैंक से करते हैं, जिनसे भी करते हैं। हम उनसे करेंगे, यह करेंगे तो हमारी पेयजल की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा।

इसी प्रकार झुंझुनूं, सीकर, अलवर और भरतपुर के लिए ताजेवाला हैडवर्क्स और ये दोनों जो हैडवर्क्स हैं। ताजेवाला हैडवर्क्स पर अपन काम करके, पेज नं. 52 निष्पादन आय-व्ययक 2018-19 में आपने कहा है कि 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इसकी लागत 20 हजार करोड़ रुपये है। सरप्लस वाटर जो जमुना का है, वो झुंझुनूं और चूरू जिले को देने के लिए, हमारे पास वाटर उपलब्ध है, लेकिन उसके हमारे पास संसाधन नहीं है।

इसी प्रकार नांगलिया पिक-अप पर, जो घोषणा की है पेज नम्बर 22 पर, उसमें भी 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जाखम तथा देवास के लिए तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं है। घोषणा अच्छी है।

इसी प्रकार ये जो काम है, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा करुंगा कि वे जब बताएंगे तो बताएंगे कि हम इनको किस प्रकार पूरा करेंगे। इसी प्रकार राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार (जीका) कार्यक्रम है। उसके अन्दर भी जितनी बातें कही गयी हैं उन सब बातों के लिए बजट प्रावधान नहीं है। उस पर मैं ज्यादा समय न लगाकर माननीय मंत्रीजी से आग्रह करुंगा कि उनके बारे में भी बताने का श्रम करेंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दूसरा पाइन्ट, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि राजस्थान को जो अपना हक है, वो हक नहीं मिल रहा पानी का और उसके लिए हम लड़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। कावेरी के जल विवाद के समय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नदियां राष्ट्रीय सम्पदा है और राजस्थान ही वह प्रान्त है, जिसके कारण इंडस बेसिन ट्रीटी हुई और हमको तीन नदियों का पानी मिला-सतलज, रावी, व्यास का, चिनाब का और झेलम का पानी पाकिस्तान को दिया। विश्व बैंक ने समझौता करके दिया और उसका 60 प्रतिशत पानी अकेले राजस्थान को मिलना चाहिए था। यह वर्ल्ड बैंक की उसमें है।

जो हमें 8 एम.ए.एफ. पानी दिया गया, फिर उसके बाद में समझौता हुआ 8.06 एम.ए.एफ. पानी दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय के मुख्य मंत्री थे स्व. शिवचरण जी माथुर, कांग्रेस का राज था और 0.6 एम.ए.एफ. पानी हम स्व. श्री राजीव गांधी जी के दबाव में हम छोड़ कर आ गये थे। स्व. इन्दिरा जी के दबाव में हम छोड़कर आ गये थे। लौंगेवाला कोर्ड हुआ था और इराडी कमीशन बना था और वह पानी हमारा चला गया, वो यूज करने लग गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वो 0.6 एम.ए.एफ. जो वाटर था, वो हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमको कितना पानी अब मिल रहा है और कितना प्रोरेटा पानी हम प्राप्त कर पाये हैं, इस बात की जानकारी राजस्थान की जनता को प्राप्त होना चाहिए। कुल 600 क्यूसेक पानी राजस्थान को मिलना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आज तक 600 क्यूसेक पानी राजस्थान को नहीं मिला। जबकि राजस्थान ने जो अपना ढांचा पानी लेने का है पूरा तैयार कर लिया।

आज पूरा पानी भी हमको मिले तो हम पानी ले सकते हैं, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम वाटर, जो अब तक मिला है वह 470 क्यूसेक पानी मिला है। उसमें भी कई बार 100 क्यूसेक की कमी हो जाती है, सतलुज, रावी, व्यास के तीनों नदियों का जो पानी मिलता है। हां, आप बता देना।

उसी प्रकार नर्मदा का जो पानी 0.5 एम.ए.एफ. का, वह पानी भी हमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पूरा प्राप्त नहीं हुआ है और राजस्थान को जो पानी प्राप्त होना चाहिए था वह पानी हमको पूरा नहीं प्राप्त हो रहा है।

इसलिए उसके लिए हमको कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर हम जाएं तो जैसे तमिलनाडु ने और कर्नाटक ने अपना फैसला करा लिया। राजस्थान भी अपना फैसला कराए। हम इसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते हैं। हमने आज तक तीनों हैडवर्क्स ताजेवाला, रोपड़, फिरोजपुर और हरिके, जो हैडवर्क्स हमारे हैं, आज भी वे भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अन्तर्गत नहीं है, वे पंजाब के पास है।

जब हमारे किसानों को गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंदोलन करना पड़ता है, तब हमारे इंजीनियर जाकर, वहां पर पानी खुलाने की कोशिश करते हैं, या किस प्रकार का पानी देते हैं, कैंसर की ट्रेन हो गई है, कई प्रकार की बातें कहते हैं।

मैं चाहूंगा मंत्रीजी हमको बताएं कि पिछले वर्षों में कुल जितना पानी इन बांधों में आया नदियों के माध्यम से और उसमें से 8.6 एम.ए.एफ. के हिसाब से प्रोरेटा, हमको कितना पानी मिल पा रहा है और कितना नहीं मिल पा रहा है। इस बात को अगर स्पष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा उचित होगा।

अब मैं संक्षेप में माननीय पेयजल मंत्री महोदय को आग्रह करूंगा कि भू-जल स्तर जो है, 60 परसेंट स्थान पर हमको पेयजल भू-जल से उपलब्ध हो रहा है। वो दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। हमारे जितने ब्लाक्स हैं वे सारे ब्लाक 203 ब्लाक डार्क जोन में चले गये हैं और 30 ब्लाक में खारा पानी है, 6 ब्लाक सेमी क्रिटिकल जोन में हैं 8 ब्लाक सुरक्षित हैं। वे भी इसलिए, क्योंकि उनका पानी खारा है। काम में नहीं आ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान भर में 33210 खारे पानी के ब्लाक हैं। उनमें से 16344 राजस्थान में है, तो हमारे यहां सबसे ज्यादा खारा पानी है, जो काम में आने वाला नहीं है। फ्लोराइड युक्त जो पानी है उसके 33211 खण्ड हैं हिन्दुस्तान में, जिनमें से 8609 राजस्थान में बताएं हैं, 56 प्रतिशत हमारे राजस्थान में हैं। हमारे पास जो पानी है, जो पानी बचा हुआ है, जो पीने के लिए है वो खारा है या फ्लोराइड युक्त है। इसलिए हम केवल भूगर्भ जल से काम नहीं कर सकते, इसलिए सतही जल जो है, जब तक अधिक से अधिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पेयजल की हमारी कहावत है, गांवों में थी, आजकल तो बदल गयी वो कहावत कि

'घी ढुळयां म्हारा कीं नीं जासी,

पानी ढुळयां म्हारो जी बळे'।

तो पानी के दुरुपयोग को भी हम समझा नहीं पाये। यह एक बहुत पुरानी हमारी कहावत थी, लेकिन पानी का आजकल दुरुपयोग होता है, बन्द नहीं कर पाते हैं, मिस यूज होता है, उस पर भी नियंत्रण करने का हम उपाय नहीं कर पाये। यह हमारी पानी की समस्या है तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान में वर्षा का औसत, वो भी कम है और जितना है, उसका हम वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से कर नहीं पा रहे हैं....

मैं एक आग्रह करूंगा कि हमारी सारी नदियां सूख गईं, जिनसे वाटर रिचार्ज होता था। जयपुर में जितनी भी नदियां थीं आस-पास की, शेखावाटी में नदियां थीं या जहां-जहां हमारी नदियां थीं वो सूख गई हैं। कब्जा हुआ है, बरसात कम हुई है। इस कारण से पुन: उन सारी नदियों को जाग्रत करने का काम जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे।

(15.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर जयपुर और सांगानेर के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय को मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने हमें यहां पर कहा था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, यहां पर प्रश्नों के द्वारा। इन सबके द्वारा बार-बार कहा था कि हम आपके काम को पूरा करेंगे। पृथ्वीराज नगर हमारा एक सबसे बड़ा सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में है। बहुत कुछ हिस्सा उद्योग मंत्रीजी के पास में भी है तो माननीय गृह मंत्रीजी ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में कहा था कि इसके बाद पृथ्वीराज नगर के नियमन का मामला नहीं उठेगा। वह काम पूरा हो गया और आपने भी यह कहा था कि इसके बाद पानी का मामला नहीं उठेगा, आपने स्वीकृति जारी कर दी लेकिन पृथ्वीराज नगर में पानी का काम बिलकुल भी नहीं हुआ। आपकी तरफ से काम है लेकिन नीचे काम बदल गया या तो पैसे नहीं हैं। जेडीए ने भी साठ करोड़ रुपये दिये लेकिन पृथ्वीराज नगर का काम बिलकुल चालू नहीं हुआ है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार से मेरे प्रश्न के जवाब में आपने बताया था कि 29.9.2016 को इसकी वित्तीय स्वीकृति भी हमने जारी कर दी। इसी प्रकार मदरामपुरा का भी आपने कहा था कि मदरामपुरा के लिए हमने पानी की व्यवस्था जारी कर दी और जेडीए ने केशावाला में उसके लिए ओवरहैड टैंक की जगह भी दे दी। जगह चिन्हित भी कर ली गयी लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार गोरधन नगर के लिए भी चार स्थानों पर टंकियां बननी थीं, ओवरहैड टैंक्स उनकी मंजूरी हुई, उनका काम चालू भी नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो समस्या है हमारी पानी की, इसका आप समाधान करें। उसका रुपया तो सारा जमा हो गया। स्वीकृति आपकी जारी हो गयी, लेकिन उस पर काम चालू नहीं हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक आश्चर्य होगा कि सरकार जयपुर में केवल 35 परसेंट पानी की सप्लाई कर रही है। जयपुर सारे शहर में 35-40 परसेंट जगह ही सरकार की सप्लाई है 60 परसेंट सप्लाई नहीं है, 1800 से अधिक कृषि कालोनियां हैं जयपुर की। कृषि भूमि पर बनी हुई जिनका आज भी रूपान्तरण नहीं हुआ है, उनमें हमारा पानी नहीं है और मैंने प्रश्न पूछा तो उसका जवाब दिया कि सरकार की योजना नहीं है। सरकार नहीं चाहती, उसमें पानी देने की हमारी कोई योजना नहीं है तो एक कालानी में पानी मिल रहा है और उसके पास में पानी नहीं है और अगर वो पानी आना है तो वो कहते हैं कि ईसरदा में बांध बनेगा। ईसरदा से डाइरेक्ट लाइन आयेगी तो ईसरदा के बांध की क्या स्थिति है इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है और जयपुर की सबसे बड़ी समस्या है

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में बसाने वालों ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, तीनों तरफ बांध थे, रामगढ़ का बांध था वो भरता था। इतना आनन्द आता था। आज रामगढ़ का बांध भरता नहीं है, उसके पुनर्भरण की क्या व्यवस्था है। बीच में जलमहल था, पोंडरिक उद्यान था, तालकटोरा था। इन तीनों को भरने के बाद में व्यवस्था होती थी। इधर आगे चंदलाई का बांध था, रामचन्द्रपुरा का बांध था। तीन-चार बांध और थे, ख्वास जी का बांध था। ये सब बांध थे। वो सारे के सारे कुछ बांध तो हमारे 1981 की बाढ़ में टूट गये थे और रामगढ़ का बाँध खाली है, आगे बांध खाली है, तो इनमें तो पुनर्भरण नहीं है तो रिचार्ज नहीं होता। हां, अब आपने द्रव्यवती प्रोजेक्ट शुरू किया है, पर द्रव्यवती प्रोजेक्ट में नीचे आपने पक्का कर दिया तो 46

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किलोमीटर तक कोई वाटर रिचार्ज का उसमें भी प्रावधान नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है और सौ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पक्का होने से जयपुर शहर में वाटर रिचार्ज बिलकुल समाप्त हो गया। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह है कि राजस्थान का पानी कितना हमको प्रो-रेटा मिल रहा है और उसको पूरा लेने के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं और जो घोषणाएं हमने की हैं उनके वित्त पोषण की क्या व्यवस्था है? यह बहुत बड़ा सवाल है और पेयजल के बारे में साठ परसेंट इलाका जो भूगर्भ से होता है उस खारे पानी को, ड्राई बनते हुए जोन्स को हम किस प्रकार कर सकेंगे और मुख्य रूप से आज के दिन में सांगानेर की, पृथ्वीराज नगर की, गोवर्धन नगर की, मदरामपुरा की और इन सारी कालोनियों में जो पेयजल की व्यवस्था बची हुई है उसके बारे में आपका क्या विचार है। मैं समझता हूं कि जो-जो योजनाएं आपने स्वीकृत की हैं, जो विधान सभा में जवाब दिया है और स्वीकृति की घोषणा की है उन सब के आप क्रियान्वयन करने के अधिकारियों को आदेश देंगे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार की तरफ से मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। पहले सहकारिता मंत्री और उसके बाद में गृह मंत्री।

शासकीय वक्तव्य

कर्ज माफी को लेकर जारी किसान आन्दोलन

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि कर्ज माफी के बारे में सदन को मैं यथास्थिति के बारे में बताऊं।

बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12 फरवरी, 2018 को बिन्दु संख्या-1 में घोषणा की है कि सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋणों में समस्त शास्तियों एवं ब्याज को माफ किया जाएगा। इससे यह भी सभी कृषक ओवरड्यू से आउटस्टेंडिंग की श्रेणी में आ जाएंगे अर्थात् जिस किसान ने दो या तीन वर्ष पूर्व ऋण लिया है और वो समय पर चुकारा नहीं कर सका है तो उस पर जो भी बैंक के द्वारा ब्याज लगाया गया या शास्ति लगाया तो उस सबको माफ करने की घोषणा की गयी।

(श्री अजय सिंह)

दूसरे बिन्दु संख्या-2 में घोषणा की गयी है कि सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के 30 सितम्बर, 2017 तक के आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से पचास हजार रुपये तक के कर्जे की एकबारीय माफी की घोषणा की गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 सितम्बर, 2017 तक जिसने भी अल्पकालीन फसली ऋण ले लिया है, उसका पचास हजार रुपये तक का ऋण माफ है। यूपीए के समय भी जो ऋण माफी की योजना आई थी, उस ऋण माफी की योजना में केवल डिफाल्टर को जो ओवरड्यूज थे किसान के उनको माफ किया गया था। जो किसान समय पर चुकारा कर रहा था अपने ऋण का उसको किसी तरह का लाभ यूपीए सरकार के समय जो दिया गया था उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका ध्यान रखते हुए कि गुड बोरोअर जो अच्छा, सच्चा किसान है, जो समय पर ऋण चुका रहा है उसको भी लाभ दिया है। वो लाभ ऐसे मिला कि 30 सितम्बर तक यदि किसान ने मान लो एक लाख रुपये अपने बैंक से ऋण ले लिया है, अल्पकालीन फसली ऋण और उसने उसके बाद अक्टूबर, नवम्बर में, दिसम्बर में, जनवरी में यदि वापस पूरा का पूरा जमा करा दिया है तो भी पचास हजार रुपये उसमें से माफ होंगे। माननीय सदस्यों को मैं यह बताना चाहूंगा कि ये कभी भी नहीं दिया गया। हमेशा डिफाल्टर को ही दिया जाता है तो इस बारे में आपको बताना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये बैंक केवल सहकारी बैंक ही होंगे न? केसीसी कार्ड तो नहीं होंगे न? जिन्होंने केसीसी ले रखा है स्टेट बैंक से वो नहीं होगा क्या? यह तो बताइये न आप।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह केवल सहकारी बैंकों के लिए है। जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि इसमें गैर सहकारी बैंक हैं या नहीं हैं। जो अभी ऋण माफी की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है उसमें केवल सहकारी बैंक हैं, लेकिन बिन्दु संख्या-53 जिसमें यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गयी है, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा की गयी है और माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक कमेटी अन्तर विभागीय कमेटी के गठन की घोषणा की गयी थी।

(श्री अजय सिंह)

वह कमेटी माननीय गृह मंत्रीजी की अध्यक्षता में बन गई है और 28 फरवरी को 5 बजे उसकी मीटिंग भी रख दी गई है। मैं आपको बताता हूं कि कमेटी किन बिन्दुओं पर विचार करेगी। पहला बिन्दु, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के दायरे में आने वाले कृषकों की श्रेणियों का वर्गीकरण/ निर्धारण। दूसरा बिन्दु, प्रदान की जाने वाली राहत की सीमा, प्रकार व प्रक्रिया का निर्धारण। तीसरा, अगर गैर सहकारी बैंक अथवा अन्य बैंकों को आयोग के दायरे में शामिल किया जाना है तो उनको शामिल किये जाने की शर्तों का निर्धारण। चौथा बिन्दु, अन्य बिन्दु जो भी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उसमें विचारार्थ आये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें Let him complete this thing. I will give you chance to speak, no problem, as far as that is concerned.

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति संवेदनशील रही है। इसका सबूत यह है कि किसानों को जो ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाता है, जो गत सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय 25 हजार करोड़ से कम का ऋण किसानों को वितरित किया गया था, उसको हमने और आगे बढ़ाया। जो योजना मैदान में थी उसको हिमालय सी ऊंचाई हमने दी है, साढ़े इकसठ हजार करोड़ का फसली ऋण अभी हम बांट चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लक्ष्य दिया है कि सरकार के रहते-रहते विभाग का प्रयास है कि 80 हजार करोड़ का फसली ऋण हम हमारे किसानों को दें, जो कि एक रिकार्ड होगा। इसके बारे में मैं आपको कुछ जिलों के बारे में भी बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हमने ऋण को बांटा है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि अजमेर में कांग्रेस सरकार के समय 673.55 करोड़ का फसली ऋण आपने बांटा था, हम अभी तक 1882.47 करोड़ का ऋण बांट चुके हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ...(व्यवधान) यह किताब हम नहीं पूछ रहे हैं, हम तो यह पूछ रहे हैं कि लघु...

श्री उपाध्यक्ष: अगर आप लोग चाहते हो... This cannot be done like that. अगर आप लोग चाहते हो तब तो मैं वक्तव्य दिला दूं. And if you are not interested in listening, then I am not bound by your insistence. Please don't hold the entire House to ransom. I will not allow that.

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, अलवर में कांग्रेस शासन में 841.84 करोड़ के ऋण बांटे गये थे, हमने 2010.94 करोड़ के ऋण बांटे हैं। बांसवाड़ा में 456.65 करोड़ के ऋण कांग्रेस के समय बांटे गये थे, हमने उसे बढ़ाकर 1018.65 करोड़ के ऋण हमने बांटे हैं। बाड़मेर जिले में 1464.61 करोड़ रुपये का ऋण कांग्रेस के समय बंटा था, हमने उसे बढ़ाकर 3665.57 करोड़ का ऋण हमने बांटा है। भीलवाड़ा में आपने 917.52 करोड़ का ऋण बांटा था, अभी तक 2914.52 करोड़ का ऋण हम बांट चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में 790.61 करोड़ का ऋण आपने बांटा था और हम अभी तक चित्तौड़गढ़ में 2042.99 करोड़ का ऋण बांट चुके हैं। प्रतापगढ़ में आपने 276.94 करोड़ का ऋण बांटा था, हमने उसे बढ़ाकर 627.37 करोड़ का ऋण बांटा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके समय जो भी ऋण दिया गया उसको बहुत ज्यादा हमने बढ़ाया है और हमारा लगातार प्रयास है कि उसमें बढ़ोतरी करें। अभी मैंने पहले बताया भी था कि अभी 58 या 59 हजार रुपये प्रति व्यक्ति औसत आ रहा है जो कि कभी भी नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा जो माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा अभी घोषणा की गई है, मैं उसके बारे में भी कुछ जिलों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको सीकर के बारे में बताना चाहूंगा। सीकर में 107452 किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा और 465.5 करोड़ रुपये किसानों के माफ होंगे। यदि हम पुराने समय में देखें, यूपीए सरकार के समय से इसकी तुलना करें तो उसमें सीकर के 7188 किसानों को लाभ मिला था और सिर्फ 15.58 करोड़ किसानों के माफ हुए थे। इसी तरह से अगर हम बांसवाड़ा को देखें तो 105683 किसानों को इसका लाभ मिलेगा और 264.4 करोड़ रुपये का किसानों का ऋण माफ होगा। यूपीए सरकार के समय केवल 23288 किसानों को इसका लाभ मिला था और केवल 25.84 करोड़ रुपये की ऋण माफी हुई थी। भीलवाड़ा में 106071 किसानों को इसका लाभ मिलेगा और 340.6 करोड़ रुपये का उनका कर्ज माफ किया जाएगा। यूपीए सरकार के समय केवल 20942 किसानों को इसका लाभ मिला था और केवल 24.40 करोड़ रुपये था। इसी तरह से चित्तौड़गढ़ में अभी 88097 किसानों को लाभ मिलेगा, 341.3 करोड़ रुपये के किसानों के ऋण की माफी होगी। यूपीए सरकार के समय केवल 23578 किसानों को लाभ मिला था और केवल 24.27 करोड़ रुपये की माफी हुई थी। चूरू जिले में 78284

(श्री अजय सिंह)

किसानों को इसका लाभ मिलेगा, 185.6 करोड़ रुपये किसानों के माफ होंगे। यूपीए सरकार के समय चूरू जिले में केवल 5643 किसानों को इसका लाभ मिला था और केवल 4.74 करोड़ रुपये की राशि थी, जो बहुत कम थी। दौसा जिले में 92856 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, 272.4 करोड़ रुपये की कर्ज माफी होगी और यूपीए सरकार के समय केवल 9444 किसानों को लाभ मिला था 18.74 करोड़ रुपये का। इसी तरह से जयपुर जिले में 96136 किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलेगा और 264.8 करोड़ रुपये उनके माफ होंगे और यूपीए सरकार के समय जयपुर जिले में केवल 10311 किसानों को यह लाभ मिला था और उसमें भी 13.76 करोड़ रुपये का लाभ किसानों को मिला था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सन्नाटा टूट न जाए, सुनो। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य को मैं बता दूं कि चाहे बीकानेर में कम हो लेकिन ...(व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें, बीकानेर में अबकी बार 56 करोड़ 86 लाख का लाभ मिलेगा और आप यह भी सुन लें कि आपकी सरकार के समय आपने जो लाभ दिया था वह 2 करोड़ 12 लाख का आपने किसानों को मुआवजा दिया था।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मंत्री महोदय, कितने लोगों को मिलेगा, यह बता दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): बीकानेर में लगभग 14 हजार लोगों को मिलेगा और आपके समय 2 हजार लोगों को मिला था, आप यह मत भूलिए। आपसे हमने बहुत ज्यादा ऋण माफी की है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ऊंट के मुंह में जीरा।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले में 118541 किसानों को लाभ मिलेगा और झुंझुनूं में 492.5 करोड़ रुपये का लाभ आपके किसानों को मिलेगा, जो कभी भी नहीं मिला है और जब यूपीए सरकार थी तो केवल 2525 किसानों को फायदा मिला है और वह भी केवल 3 करोड़ 70 लाख का। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका बहुत दायरा बढ़ाया गया है, लाखों किसानों को इससे फायदा मिलेगा। जोधपुर का बताना चाहूंगा कि 134915 किसानों को लाभ मिलेगा और 544 करोड़ 2

(श्री अजय सिंह)

लाख रुपये वहां माफ होगा। यूपीए सरकार के समय केवल 5027 किसानों का कर्जा माफ हुआ था, वह भी सिर्फ 6 करोड़ रुपये था। कहां 6 करोड़ रुपये और कहां आपके 544 करोड़ रुपये। पाली में मैं बताना चाहूंगा कि 70241 किसानों को लाभ मिलेगा, 183.8 करोड़ रुपये के उनके कर्ज माफ होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुंह खुले के खुले हैं, इसको कहते हैं सांप सूंघना।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): यूपीए के समय केवल...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, जब चुनाव में जाओगे तो पता चल जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आसन ने कह दिया, बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी आगे-आगे देखो, होता है क्या?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अभी आप जब घर जाओगे, इतने में ही बच्चे बता देंगे कि पापा किसान का कितना ऋण माफ हुआ है। गांव-गांव के अन्दर और घर-घर के अन्दर माफ होगा, आप चिंता मत करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई फायदा करोगे तब मिलेगा, यह तो आप केवल ढोल बजाने वाली बात कर रहे हो। कुछ भी नहीं मिला है। जमीन सौ बीघा है, बीस बीघा जमीन है ...(व्यवधान) हम सब जानते हैं, हम किसान के बेटे हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने नहीं किया। मैंने कहा कि आपकी जो मैदान की योजनाएं थीं, उनको हमने हिमालय जैसी ऊंचाइयां दी हैं। आप किसी भी तरीके से, किसी भी बिन्दु के ऊपर जो भी किसानों से संबंधित है, जो सहकारिता से संबंधित है, आप बता दीजिए है, हमने सबके अन्दर बढ़-चढ़कर कार्य किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सुबह इसी के संबंध में एक विषय आया था कि किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं इसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष जी, आपको बताना चाहूंगा कि हमने, हमारे अभी तक के कार्यकाल में 2109601.86 मैट्रिक टन फसलों को खरीदा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह उत्पादन का कितना प्रतिशत है, मंत्री महोदय, वह भी बता दें? कितना उत्पादन किसान ने किया और आपने समर्थन मूल्य पर कितना खरीदा, वह परसेंटेज बता दें?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): बता रहा हूं, आप सुनो तो सही। मैं बता रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, 2109601.86 मैट्रिक टन हमने सभी फसलों को खरीदा और जिन-जिन फसलों को खरीदा मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूं। हमने मूंगफली खरीदी, गेहूं खरीदा, चना खरीदा, सरसों, मसूर, मूंग, उड़द और सोयाबीन की फसल हमने खरीदी है और अगर इसकी कीमत आंकी जाए तो होती है 6504 करोड़ 32 लाख रुपये। आपके पूरे कार्यकाल को देखें, अभी तो और आठ महीने का टाइम पड़ा है। अगर हम आपके कार्यकाल को देखें तो आपने जो पूरी फसलें खरीदीं, वे थीं 782776.77 करोड़ मैट्रिक टन।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगर आपकी इजाजत हो, मंत्री महोदय, अगर एक सैकिण्ड आप मुझे इजाजत दे दो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): आप पहले सुन लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं कोई दूसरी बात के लिये कह रहा हूं। यह कोई कांग्रेस और बीजेपी का कम्पीटिशन नहीं है। आपने किसान से सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया था, उसका क्या हुआ? वह हिसाब देने का समय है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जब परमिशन नहीं है तो +++

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सचेतक महोदय कह रहे हैं कि कांग्रेस-बीजेपी से कोई स्पर्धा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अच्छी स्पर्धा तो हमेशा होनी चाहिए। हमने हमेशा प्रयास किया है कि जो आपने किया, उससे हम अच्छा करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल सरसों का एक दाना समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अजी, यह भी मैं आपको बता दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, इनकी पूरी फसल का मूल्य अगर हम देखें तो हमारा मूल्य 6504.32 करोड़ रुपये और आपका अगर देखें तो यह 1180.38 करोड़। आपने सिर्फ 1180.38 करोड़ रुपये की फसलों की खरीददारी की है। हमने आपसे बहुत ज्यादा की है। अगर मैं मूंगफली के बारे में आपको बताना चाहूं

(श्री अजय सिंह)

तो आपने सिर्फ 13911 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी है। उसके बनिस्पत हमने अभी 357038 मैट्रिक टन मूंगफली खरीदी है। आप अगर गेहूं को देख लें। आपने 738233.25 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा। हमने उसको और बढ़ाकर 1058652.51 मैट्रिक खरीदी है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कालूलाल जी कह रहे हैं कि 'नाना-नाना भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, तू मेरा मामा नहीं' वे वहां से मूंगफली के लिये इशारा कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं तो यह कह रहा हूं कि आपसे तीन सौ गुना ज्यादा।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, एक मिनट...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जनता आपको कह रही है कि मामा मामा भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, और तू जनता का मामा नहीं'

श्री उपाध्यक्ष: इसको रिकार्ड पर लें क्या? रिकार्ड पर लें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं। ये यही कह सकते हैं। इनके शरीर का डीलडौल इसीलिए हुआ है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): इनके नाना ने यही कहा था, इसलिए इनको याद है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, वैसे यह प्राथमिक शाला के प्रथम वर्ग के विषय हैं जो बच्चों को बताये जाते हैं। अब आपने क्या सदन को नाबालिग करार दे दिया?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो कर्ज माफी की घोषणा की है, वह निश्चित रूप से एक साहसिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है और यदि हम देश की आजादी के बाद के पुराने इतिहास को देखें तो किसानों को पहली बार सही कर्ज माफी मिलेगी। इसके अलावा मैं अभी चार लाइनें भी कहना चाहता हूं। आपने जो स्पर्धा की बात की है। मैं मेरी सरकार के बारे में यह कहना चाहता हूं कि - मैं तो दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह रिपीट है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): सुनो तो सही।

मैं तो दीपक हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है,

यह हवा तो मुझे बेवजह परेशान करती है।

कह दो हवा से, अपने आपको आजमा के बताये,

ये बार-बार दीपक बुझाती है, एक दीपक जलाकर तो दिखाए।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्री महोदय।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मेरा एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक में आ जाएगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सर, एक में नहीं आ पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ, दोनों वक्तव्य आते हैं। गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के उपरांत...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय गृह मंत्रीजी का वक्तव्य इसके बाद का है। एक बार मेरी हाथ जोड़कर विनती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य हमेशा पहले आता है। फिर माननीय सदस्य सवाल कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। Let both the versions come then I'll give you time. No problem.

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि जो कुछ भी पुलिस ने कार्यवाही की, उसको सदन के सामने रखने का अवसर आपने मुझे दिया। कल लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया था, उस समय कहा था कि जयपुर में हाईकोर्ट की डी.बी. ने जुलाई में फैसला किया था कि यहां कोई भी किसी भी राजनैतिक पार्टी का कोई धरना, प्रदर्शन, रैली नहीं होगी। दिसम्बर में उसमें थोड़ा-सा अमेंडमेंट किया, जब लोगों ने एप्रोच किया कि इसका अर्थ तो यह है कि हम सरकार के सामने अपनी बात लेकर जा ही नहीं सकते, तब उन्होंने छूट दी थी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अगर आप अपनी कोई विरोध रैली करनी चाहें तो, ऐसी छूट दी थी। इस रैली के आयोजन के लिए महापड़ाव की घोषणा 22 तारीख को की थी और उस घोषणा के साथ हमने उन सब लोगों से व्यक्तिगत बात की कि आप यहां नहीं आ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकेंगे। कानून आपको यहां पर आने की इजाजत नहीं देता है। हमारी मजबूरी हो गयी है, लेकिन जब अलग-अलग स्थानों से रैली लेकर रवाना हो गये और जगह-जगह यह लगा कि यहां तक किसान पहुंचेगा और इसलिए हमको प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ा और उसके कारण हमने लोगों की गिरफ्तारी की। उसके बाद भी 22 तारीख को विभिन्न स्थानों से लोग चले और उनको हमने रोकने का प्रयत्न किया। दिनांक 22.02.18 को सीकर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान आंदोलन के संबंध में प्रदर्शन की घटनाएं हुईं। प्रदर्शन के दौरान 7 स्थानों पर जाम लगाये गये। कुल 332 किसानों को गिरफ्तार किया गया। जिनमें 165 को जमानत पर छोड़ा गया। वर्तमान में 167 लोग न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जिला सीकर में रामू का बास तिराहा, जयपुर-बीकानेर नेशनल हाईवे-52 पर किसानों द्वारा जाम जारी रखा गया। अन्य सभी स्थानों से देर शाम तक जाम खोल दिया गया। राम प्रसाद जांगिड़, तहसील सचिव ने रामू का बास, जिला सीकर में भाषण में घोषणा की कि दिनांक 23.02.18 को सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन, मुख्य मंत्री महोदय के पुतले दहन किये जायेंगे तथा 24.02.18 को पूरे राजस्थान में चक्काजाम किया जाएगा। आज दिनांक 23.02.18 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -52 से रामू का बास तिराहा जयपुर-बीकानेर बाएपास पर दिनांक 22.2.18 से किसानों द्वारा लगाया गया जाम जारी है। वर्तमान में लगभग दो हजार किसानों द्वारा सभा की जा रही है। सड़क पर धरणार्थियों द्वारा टेंट लगा दिया गया है तथा भाषण दिए जा रहे हैं। किसान आंदोलन का नेतृत्व श्री सागर खाचरिया, सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा, हरफूल सिंह, सुभाष जांगिड़ कर रहे हैं। तेजपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जय प्रकाश एडीएम, सीकर द्वारा मौके पर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की गई। मौके पर एक उप-अधीक्षक पुलिस, दो पुलिस निरीक्षक और 50 पुलिस बल तैनात है। भरतपुर में नत्थी सिंह कामरेड, महामंत्री, सार्दुलशहर, गंगानगर में दिव्यांशु जाट, महासचिव, एसएफआई, रायसिंहनगर से नरेन्द्र विश्नोई, तहसील अध्यक्ष, एसएफआई, हनुमानगढ़ से इन्द्रजीत सिंह, अध्यक्ष, खेती बचाओ-किसान बचाओ मोर्चा और भादरा में रोहिताश सोलंकी, सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन कर एसडीएम को मुख्य मंत्री, राज्यपाल महोदय और प्रधान मंत्री के नाम से ज्ञापन दिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष 30-35 किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। रामू का बास, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 जयपुर-बीकानेर बाई पास पर सीकर पर जाम की स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस सीकर द्वारा जयपुर से सीकर और आगे जाने वाले यातायात को सीकर के आगे, सीकर से जयपुर की तरफ आने वाले यातायात को दर्शनार्थियों को वैकल्पिक सड़क मार्गों से निकाला जा रहा है। रास्ता जाम होने की वजह से बीकानेर से खाटू आने वाले दर्शनार्थियों को भी मार्ग डायूवर्ट करने से थोड़ी असुविधा हुई है। मुझे इसके लिए खेद है किंतु वैकल्पिक मार्ग से आवागमन सुचारु रूप से किया जाकर उन्हें असुविधा न हो, इसका ध्यान रखा है। मैं सदन का बहुत आभारी हूं आज इस स्टेटमेंट के माध्यम से मेरे पास अभी तक लगभग 165 लोग जो हिरासत में हैं, क्योंकि जिस कारण मैंने हिरासत में लिया था, वह प्रिवेन्टिव एक्शन किया था कि वे लोग यहां आकर के किसी प्रकार का कानून न तोड़ें। मैं आपके माध्यम से सदन में उन सबको मुक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मामले पर आपने सदन के अन्दर समय रखा। अलग से माननीय मंत्रियों का आपने वक्तव्य दिलाया। सहकारी मंत्री जी आपने इतनी सारी घोषणाएं कीं, आप पिछली सरकार से तुलना भी कर रहे थे। मैं कह रहा हूं जब इतना कुछ दे दिया किसानों को तो आज यह हालात ऐसे क्यों बने? आप रूक जाओ एक बार जब मैं बीच में नहीं बोला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इनको कह दो कि मैं मेरी बात रख दूं जो मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवधान न करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आपने किसानों के साथ समझौता किया 12.9.2017 को। उसमें बिंदु संख्या एक पर आज दिनांक 13.9.17 को सकारात्मक वातावरण में वार्ता की गई। किसानों के पचास हजार रुपये तक कर्ज माफी की मांग के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय के लिए विभिन्न राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल एवं अन्य राज्यों द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया एवं इसका राजस्थान की परिस्थितियों के संदर्भ में प्रभाव के अध्ययन, परीक्षण एवं विश्लेषण हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं

(डा. राजकुमार शर्मा)

तकनीकी कमेटी गठित किया जाना प्रस्तावित है, जो इस संबंध में समस्त संबंधित पक्षकारों में विचार-विमर्श कर एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह आपके बीच में समझौता हुआ। समझौते में आठ-नौ बिंदु थे किसानों के पूरे राजस्थान के उन पर आपने अलग-अलग जमा करें। सम्पूर्ण कर्ज माफी उन्होंने बोली, आपने उसको निल छोड़ दिया इसका मतलब सम्पूर्ण कर्ज माफी आप नहीं करना चाहते और आपने कह भी दिया कि हम नहीं करना चाहते। पचास हजार रुपये की कर्ज माफी के लिए आपने कमेटी बनाई। कमेटी आपकी गई भी। उस कमेटी की रिपोर्ट आपने सार्वजनिक नहीं की। आपने 12.9.17 को समझौता किया और एक महीने के अन्दर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसको लागू करने की बात कही। आपने माननीय मुख्य मंत्रीजी से घोषणा कराई 12.2.2018 को यानी पांच महीने बाद। पांच महीने तक जब बीच के अन्दर 30 दिसम्बर को मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के पास में डाक्टर्स की हड़ताल से उपजे हालात के ऊपर इस्तीफा पेशकश किया, उसमें मैंने सैकिण्ड़ बिंदु लिखा था कि आपने किसानों के साथ जो समझौता वार्ता की है अगर उसका पालन नहीं करोंगे तो जैसे डाक्टर्स की हड़ताल से भयावह हालत बने, लोग मर गए लापरवाही से तो प्रशासन और किसान हमारे शेखावाटी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वहां भी ऐसे हालत बनेंगे। उस समय मैंने आधा किया था। आपने कहा कि हमने इतने रुपए तक का लोन माफ कर दिया है जिसमें सहकारी बैंकों से जो पैसा लेगा उसका ही हम करेंगे माफ और जो ईमानदार किसान है, जो 95 परसेंट है जिन्होंने ईमानदारी से अपनी किश्तें जमा कराई हैं, उनका भी हम करेंगे। यह आप आज बोल रहे हो। आपने इसमें भी नहीं बोला है। इसमें भी मुख्य मंत्रीजी से घोषणा नहीं करवाई है इस बात की। यह कंफ्यूजन है। मैं प्रार्थना करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को भेजिए धरने स्थल पर जाकर वहां पर बताकर आ जाएं उनको। मंत्रीजी जाएंगे और कौन जाएगा। हम भी साथ चल चलेगे डर क्यों रहे हो आप? आपको किसानों के रूप में भूत क्यों नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब मंत्री जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। मैं डाक्टर रामप्रताप जी को बहुत संजीदा मानता हूं और है भी, ठीक है जो भी आज भावावेश में बात हो गई लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप अधिकारी भी रहे हैं। आपने अधिकारी वाले आंकड़े पेश कर दिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज क्या हालात बने हुए हैं? इन हालातों पर अगर हम लोग

(डा. राजकुमार शर्मा)

समझाइश से, माननीय गृह मंत्रीजी ने कह दिया, अधिकारियों ने रिपोर्ट भेज दी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसान भूखे-प्यासे पड़े हुए हैं, उनमें 500-700 महिलाएं भी हैं। राजस्थान की महिला मुख्य मंत्री होने के नाते महिलाओं का धरने पर बैठना, अनशन पर बैठना यह हमारे लिए सबके लिए शर्म की बात है।

आदरणीय गृह मंत्रीजी हालात बिगड़े थे डाक्टर्स वाली हड़ताल में सिर्फ चिकित्सा मंत्रीजी के बयानबाजी से। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, गुलाब जी भाई साहब, कृपया करके अधिकारियों के कहने से किसानों को प्रताड़ित मत करो। रात-रात भर छापे मार रही है पुलिस। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, चलो नेता हैं, जेल चले गये लेकिन आम किसान जो अपनी बात रखने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा है, उसको भी दबोच रही है आपकी पुलिस और आपने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि जयपुर के अन्दर आंदोलन नहीं होगा या कोई भी धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का तो यह भी आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का तो यह भी आदेश है कि डकैती और हत्या भी नहीं हो। रोज डकैती और हत्याएं हो रही हैं। किसान अपनी बात रखने के लिए आए, युवा अपनी बात रखने के लिए आए उसको परमिशन नहीं दी जाती। व्यापारी अपनी बात रखने के लिए आए उसको धरने की परमिशन नहीं दी जाती। मैं आपसे न्याय की उम्मीद करता हूं, इसलिए करता हूं कि आज इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय। सिर्फ एक स्थगन लगाया था, वह इसलिए लगाया था कि ऋण माफी वाले मामले में अभी किसानों के अन्दर कंफ्यूजन है। उनको यह लगता है कि जो डिफाल्टर्स है, पांच परसेंट, उन्हीं का ही कर्ज माफ करोंगे आप। पिच्यानवे परसेंट जो ईमानदार किसान हैं, उन्होंने पैसा जमा करा दिया उनके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया। मैं यह नहीं कह रहा, सम्पूर्ण कर्ज माफी आपने पहले ही मना कर दिया समझौते के अन्दर लेकिन चार-चार राज्यों के अन्दर आप लोग घूम कर आए। वहां के राज्यों ने किस आधार के ऊपर सब किसानों के कर्ज माफ कर दिए। अगर पचास हजार रुपए भी रखा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और इसमें किसानों को सीमांत और लघु के अन्दर मत रखिए। आपकी अगर नीयत साफ है किसानों की मदद करने की तो पचास हजार रुपए तक का जो कर्ज है, वह सब किसानों का आप माफ कर दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको

(डा. राजकुमार शर्मा)

सब लोग दुआ देंगे। आपकी लोग तारीफ करेंगे वर्ना आपके मंत्री जवाब दे देंगे, आप लोग मेज को थपथपा देंगे लेकिन वास्तविकता में उसका जो कुरूप निकलकर आएगा, वह कुरूप आएगा आंदोलन के रूप में। आज आंदोलन की स्थिति यह है, आप उनको प्यार से समझाइए। आपके अधिकारियों के ऊपर मत छोड़िए, मैं अभी भी कह रहा हूं। आप अधिकारियों पर मत छोड़िए उस समझौते को। आप किन्हीं भी पांच आदमियों को चाहे पक्ष-विपक्ष के सबको आप ले जाइए। उनसे बैठकर बात कीजिए। वर्ना दो तीन दिन होली का त्यौहार आ रहा है। त्यौहार के समय अगर कानून-व्यवस्था बिगड़ गई, किसान अगर सारे सड़कों पर आ गए तो आने वाले समय के अन्दर कानून-व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए गम्भीर मुद्दा है एक-दूसरे पर आप आरोप-प्रत्यारोप कुछ भी करते रहो। लेकिन इस गंभीर विषय पर हम सबको चिंता और चिंतन करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं समझता हूं मेरी भावना मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद है कि यह सरकार अपना दंभ छोड़ते हुए, गुरूर छोड़ते हुए, घमंड को छोड़ते हुए उस किसान के पास सच्चाई को रखे कि हम आपको इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसान आपको निराश नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई के साथ जाइए, झूठ के सहारे मत जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों को यह मालूम नहीं था कि सिर्फ पांच परसेंट किसानों का ही कर्जा माफ हो रहा है, आज इनके वक्तव्य से सारी बात स्पष्ट हुई। माननीय गृह मंत्रीजी ने कल ही, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको अपनी भावना पहुंचाई थी। सरकार के दरवाजे खुले हैं, अगर किसान वार्ता के लिए आना चाहें तो सरकार वार्ता के लिए तैयार है। माननीय गृह मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया कि हिरासत में जितने भी किसान थे उन सबको आज छोड़ दिया गया है। आप मध्यस्थ की भूमिका निभाओ, हम आपको आमंत्रित करते हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप 50 हजार तक का सभी किसानों का ऋण माफ कर दो, उपाध्यक्ष महोदय, मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने अपने वक्तव्य में कहा था...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 50 हजार रुपये तक का सभी किसानों का ऋण माफ कर दो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने अपने वक्तव्य में कहा था ...(व्यवधान) अपनी बात में, किसान को कंफ्यूजन है, किसान को मालूम नहीं था कि 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। आपने खुद ने यह कहा था, अब आप अपनी बात से पलटो मत। इस बात को लेकर जाओ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं नहीं मुकर रहा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गांव-गांव, ढ़ाणी-ढ़ाणी में किसानों को बताओ कि वसुन्धरा जी की सरकार ने एक शानदार काम किसानों के लिए किया है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको बातें बनाना आता है। मैं तो इनका बहुत जूनियर हूं। मैं इतना कहता हूं आपके चूरू के रास्ते में वे किसान पड़ते हैं, कृपा करके आप पधारो न। पधारो न, आगे-आगे मैं मेरी गाड़ी लेकर चलूंगा, आप चलो तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर सदन को स्पष्ट करना चाहूंगा, सरकार ने कहा, वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। गृह मंत्रीजी ने कल शाम को ही समाचार भेज दिया, सब को रिहा कर दिया। आज इस सदन के माध्यम से राजस्थान के आवाम को यह मालूम पड़ गया कि 20 लाख किसानों के कर्ज माफ हो रहे हैं कोई एक दो के नहीं। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं, हम सब किसानों के हितैषी हैं, तो हमें आगे बढ़कर इस गतिरोध को तोड़ना चाहिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): तो आप 50 हजार रुपये तक का सब किसानों का माफ कर दो न...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): किसानों को आग मत लगाओ। (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): तो आप 50 हजार रुपये तक का किसानों का ऋण माफ कर दो न। 50 हजार रुपये तक का सब किसानों का ऋण एक साथ कर दो न। बीच में क्यों नियम डाल रहे हो। नियम डालकर उनको गुमराह क्यों कर रहे हो। कंफ्यूजन की स्थिति तो आप पैदा कर रहे हो। 50 हजार रुपये तक का लोन सम्पूर्ण कर्ज, उपाध्यक्ष महोदय, सभी किसानों का करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय आज निर्णय करने का नहीं था। और किसी का माफ करना है, नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये और विषय है। जिस वक्त, जिस दिन समय हो उस वक्त, आप लोग आपस में बात करके जो भी इसका निर्णय हो, लें। आज जो विषय था वह यह था कि किन परिस्थितियों में, क्या बात आपके मन में थी, उस बात को आपने सरकार को अवगत कराया और सरकार का अपना जो भी वक्तव्य था वह आ गया। अब मैं पांच-पांच मिनट का समय दूंगा, क्योंकि विषय आपका था इसलिए मैंने आपको ज्यादा समय दिया। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको दूंगा, आप उत्तेजना नहीं फैलाएंगे। Don't be dramatic. Let's be very realistic and I'll give you also, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, But don't be negative. Let's have some positive energy in this House.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज आप मेरा रूप देखकर दंग रह जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी आपके सुराज संकल्प पत्र में किसानों से कर्ज माफी का वादा था, उसको लेकर किसान आपसे आस लगाए बैठे थे। उस आस में ही वह किसान आपकी तरफ यह देख रहा था कि जो वर्षों से दस, पन्द्रह, बीस साल से किसान कर्ज के नीचे दबा हुआ था, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा था, अपने बेटे-बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहा था, किसान की जमीन गिरवी रखी हुई थी वह छुड़वा नहीं पा रहा था, वह किसान यह चाहता था कि आपके वादे के मुताबिक आप उसके कर्ज को माफ करोगे।

आपने 50 हजार रुपये तक की बात की तो किसान ने यह माना कि हमारा 50 हजार रुपये तक का सम्पूर्ण कर्जा यह सरकार माफ करेगी। आपने केवल फसली अल्पकालीन ऋण को माफ करने की बात की है। उसमें भी सहकारिता में मात्र 30.9.2018 को जो लोन लिया हुआ था, मैं गलत हूं तो आप मुझे बाद में बता देना, करैक्ट कर देना। होता क्या है कि ख़रीफ़ और रबी की फसल के लिए किसान आपसे ऋण लेता है। ख़रीफ़ का समय समाप्त हो गया था, जैसे-तैसे अपनी जमीन गिरवी रखकर किसान ने पैसा जमा करा दिया, क्योंकि उसको दुबारा रबी के लिए लेना था। क्योंकि 30 सितम्बर के बाद रबी का लोन मिलता है, लगभग सितम्बर के महीने में कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला, लेकिन किसान को ऋण नहीं मिला। यह ऋण बिना ब्याज के कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, आपकी सरकार ने 2003 से

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

2008 तक में नहीं किया था। निश्चित रूप से किसान को लाभ मिले लेकिन ख़रीफ़ का पैसा जमा करा दिया, जैसे-तैसे, कैसे भी करके और आपने रबी का पूरा ऋण आपने नहीं दिया। जो किसान पांच-दस साल से केसीसी लेकर, कर्ज के नीचे दबा हुआ था, अपने बेटे को भी नहीं पढ़ा रहा था, आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा था, उसकी जमीन बिक रही थी, सेठ-साहूकार ले रहे थे, वह किसान आज आक्रोशित है। आक्रोशित होकर आपसे मांग कर रहा है कि हमारे 50 हजार के सम्पूर्ण कर्ज को आप माफ करो, पूरा नहीं तो 50 हजार का तो करो, आपने वह नहीं किया इसलिए यह हालात पैदा हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर किसान को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नाम लेकर उन्हें यहां अपनी वाजिब मांग के लिए इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ही किसान नेताओं को जेल में डालने की बजाय चर्चा करनी चाहिए थी, केवल टेलीफोनिक वाला मुद्दा नहीं था। क्योंकि आप और हम किसान के वोट से जीतकर आए हैं। उनको आपने बहुत ज्यादा आस जगा दी थी। उस आस के कारण किसान यह चाहता था कि हमारा चाहे किसी भी बैंक से लिया हुआ हो, कम से कम 50 हजार रुपये तक का तो कर्जा आप माफ करोगे। यह चीज थी और आपने इसमें पेच लगा दिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, आज लघु सीमांत और सीमांत में नोशनल शेयर वाला भी है, बंटाई के ऊपर जमीन काश्त करता है उसने भी लोन ले रखा है। ख़रीफ़ का जमा करा दिया और आपने रबी का पूरा नहीं दिया, तो कुछ ही लोगों को फायदा मिलेगा। आज अकेले मेरे सीकर ज़िले में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, अकेले सीकर में 20 हजार करोड़ का है। आप साढ़े चार करोड़ माफ की बात कर रहे हो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्रीजी से बात करके, सदन चलते हुए, सदन में घोषणा करा दीजिए कि राजस्थान प्रदेश के किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण तो हम माफ करेंगे चाहे वह किसी भी बैंक से, कभी भी, किसी भी रूप में किसान ने लोन लिया हो, बाकी 50 हजार से ऊपर का है, वह जब दस महीने बाद हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम किसान का माफ कर देंगे। (व्यवधान) हम माफ करेंगे, हम कह रहे हैं हम किसान का माफ करेंगे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए आपने जो किसान से वादा किया था वह वादाखिलाफी करने के कारण से, आज गृह मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों को छोड़ दिया, लेकिन उस किसान को अपने हाल पर मत छोड़िए। उसने आपसे बहुत बड़ी आस लगाई है। यहां पर आंकड़े मत पढ़िए कि कांग्रेस ने यह नहीं किया था, आपने यह नहीं किया, यह कांग्रेस और बीजेपी का कम्पीटिशन नहीं है। आप सरकार में हो इसलिए आपका दायित्व है कि जो वादा आपने किसान से किया है वह आप पूरा करें। अगर आप वादा पूरा नहीं करते हो तो किसान आंदोलन भी करेंगे और आपके घुटने टेकने का भी काम करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आने वाले चुनाव में उपचुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करने का काम भी करेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मंत्री जी ने एक बात कही लघु कृषक और सीमांत कृषक। लघु कृषक की डेफिनेशन यह नहीं है कि किसी के पांच बीघा या दस बीघा है। एक किसान के पांच बेटे हैं सब अलग-अलग हो गए और उनकी सीमा में दस-दस बीघा जमीन आ गई, खाते में उसके बाप का नाम बोल रहा था, बाप तो लघु कृषक है ही नहीं न, तो आप कर्जा माफ नहीं करोगे। राजेन्द्र जी, बात तो सही है न, सच्चाई की हां तो भरनी ही पड़ेगी।

नम्बर दो, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। आप खेत और खलिहान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यहां आकर भूल गए, कि हम तो बहुत बड़ी जगह से आए हैं। 70 परसेंट खेत और खलिहान में रहने वाले लोगों के वोट लेकर आप आते हो। अगर आप यही बात करोगे, तो आपको नवम्बर में वहां जाना है, हालत तो डोटासरा जी ने बताई सूपड़ा साफ होने वाली, वह होनी ही थी। कांग्रेस ने क्या किया, उसका नतीजा जनता ने दे दिया न, उसे रखा थोड़े ही, 25 सीट भी मुश्किल हो गई। अगर यही आप कम्पीटीशन में करके बार-बार दोहराओगे तो उन लोगों को क्यों जगा रहे हो कि उन्होंने किया वह हम भी करेंगे। आप तो ऐसा करो कि, आपने 8 हजार करोड़ रुपये का लोन माफ कराया, दो हजार करोड़ रुपये और आएगा, पूरे राजस्थान में वाह-वाही हो जाएगी। कर दो 10 हजार करोड़ का...

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दो हजार वाला कैलकुलेशन कहां से लाए हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह तो मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो घोषणा करो । आप उसकी चिंता मत करो। आंकड़े पर मत जाओ। आपको जीतकर आना है, 40 सीट प्राप्त करनी है या 50 सीट प्राप्त करनी है तो आपको पूरा कर्ज माफ करना ही पड़ेगा। यह मेरी भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय, I'll give you also आमेर से आने वाले माननीय सदस्य I'll give you all but then restrict your deliberations to 2-to-5 minutes. वैसे तो कोआपरेटिव की डिमांड 26 को है, आप दिल खोलकर बोलना। कई आंकड़े लेकर आना, कई पृष्ठभूमि लेकर आना, कई व्याकरण उपलब्ध करवाना। आप लोग पूरे शास्त्र पढ़ देना अगर कहीं कमी खामी रह गई हो तो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किसान कर्ज माफी को लेकर, जब पिछले दिनों आंदोलन चला था, और सीकर सहित राजस्थान के प्रमुख राजमार्गों को किसानों ने जाम भी किया था और उस समय सरकार ने सचिवालय के अन्दर उन किसान नेताओं के साथ एक समझौता किया था। केरल के अन्दर आपके यहां विधायकों की टीम भी गई थी और केरल माडल लागू करने की बात आपने कही थी। लिखित समझौता था, उपाध्यक्ष महोदय। उसके अन्दर यह था कि 50 हजार तक का किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिये दिल्ली की सरकार से बात की जाएगी। दिल्ली की सरकार ने अभी बजट के अन्दर जो खरीफ की फसल है उसको बाजार मूल्य से, लागत से डेढ़ गुना ज्यादा के अन्दर खरीदने का आदेश तो किया है लेकिन रबी की फसल का उसके अन्दर अभी भी कोई अता-पता नहीं है। मैं आपसे मांग करुंगा कि दिल्ली के अन्दर भी आपकी सरकार है। आप स्वामीनाथन कमेटी की अगर रिपोर्ट लागू करेंगे तो निश्चित रूप से देश के अन्दर किसानों का भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद, चाहे सरकार बी.जे.पी. की रही, चाहे कांग्रेस की रही, किसान हमेशा सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे दूसरी कोई विपदा हो, लेकिन सरकार कहीं न कहीं राइडर लगा देती है और आपदा के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

नाम पर और फसल बीमा योजना के साथ जो हजारों करोड़ रुपये कम्पनियां ले जाती हैं, वह पैसा भी, किसानों को प्रीमियम का पैसा ...(व्यवधान) एक मिनट के लिये, कम्पनियां नहीं देतीं। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। तो मैं गृह मंत्रीजी से मांग करूंगा कि इन किसान नेताओं की जो मांग है, राजस्थान के किसानों का 50 हजार करोड़ का सम्पूर्ण कर्जा आप माफ करें। इसमें 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ेगा। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 50 हजार रुपये का कर्जा हम लघु सीमांत और सीमांत का करेंगे। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आठ हजार करोड़ का प्रावधान रखा। लेकिन अधिकारी यह कह रहे हैं कि आठ हजार करोड़ का भी माफ नहीं होगा। सिर्फ दो हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान के अन्दर माफ होगा। मैं मांग करता हूं कि 82 हजार करोड़ का पूरा कर्जा राजस्थान के किसानों का माफ करें।

गृह मंत्रीजी, आपको इस बात का धन्यवाद कि आपने इस बार किसानों पर लाठी और गोली नहीं चलवाई और उनको रिहा कर दिया। हमें तो यह था कि रावला, घड़साना और 2003 से 2008 के अन्दर जिस तरह आपने किसान आन्दोलन को कुचला था, कहीं इस बार भी सरकार किसान आन्दोलन को कुचले नहीं। (व्यवधान) रुको एक बार, रुको। इसके लिये तो गृह मंत्रीजी आपको धन्यवाद कि आपने शांतिपूर्वक तरीके से किसान नेताओं को रिहा कर दिया।

उपाध्यक्षजी, मैं फिर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर आप राजस्थान को रिसर्जेण्ट करना चाहते हो, कल राजपालसिंहजी बड़ा भाषण दे रहे थे तो राजस्थान रिसर्जेण्ट एम.ओ.यू. करने से और उद्योगपतियों से नहीं होगा। आपको किसान को रिसर्जेण्ट करना होगा। किसान रिसर्जेण्ट होगा, जब उसका पूरा कर्जा माफ होगा, किसानों की बिजली फ्री होगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी तब जाकर राजस्थान रिसर्जेण्ट होगा।

अब चुनाव आने वाले हैं, साहब, और चुनाव में जाने से पहले कोई एक-आध ऐसा भला काम कर दो ताकि जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, इक्कीस की, उससे नीचे आप नहीं जाओ। बाकी मुझे लगता है कि नेनो गाड़ी के अन्दर बैठकर आओगे 2018 के अन्दर। आओगे कहां से, सारे के सारे जिले साफ हो रहे हैं। मैं जिस जिले से आ रहा हूं वहां तो एक भी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब अपन डीरेल हो रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है, वह कोई अंतर्यामी ही बता सकता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं उस पर ही आ जाता हूं। (व्यवधान) अच्छा ठीक है, साहब, मैं मेरी बात पर आ जाता हूं।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि आपने, उच्च स्तरीय कमेटी ने जो समझौता किसान नेताओं के साथ किया था, उस समझौते को हूबहू लागू करें और हमारे सहकारिता मंत्रीजी से जो जवाब दिला रहे हो, ये जितना ज्यादा यहां बोलेंगे न, उतने ही ज्यादा पीछे इनके वोट कम हो रहे हैं। वहां हुआ कुछ भी नहीं है। इन्होंने कुछ को-आपरेटिव्ज जरूर दी हैं अपने लोगों को और वह आनन-फानन के अन्दर माफ करा दी, लेकिन नागौर जिले के किसान का भला नहीं हुआ। वह बात तो जब आपको पता लगेगी, जब आचार संहिता लगेगी। अभी लोग डर रहे हैं कि तीन-चार महीने बाकी हैं आचार संहिता के अन्दर। पता लग जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मांग करता हूं कि राजस्थान के किसान का सम्पूर्ण कर्ज माफ हो। किसानों पर असत्य मुकदमें दर्ज किये, वे वापस लिये जाएं। किसान नेताओं को रिहा किया, इसके लिये, गृह मंत्रीजी, आपको धन्यवाद, कि आपने शांतिपूर्वक तरीके से बिना लाठी-गोली चलाये, और इस बार तो आपने रिकार्ड बना दिया इस सरकार के अन्दर कि एक भी किसान पर गोली नहीं चलाई। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) हनुमानजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बाकी पिछली बार तो सौ को मारा था आप लोगों ने। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल जिस तरीके के हालात बने हैं, उसके लिये किसान जिम्मेदार नहीं हैं। किसान को बड़ी उम्मीदें थीं, बहुत पहले से वह इंतजार कर रहा था कि उसकी कर्ज माफी की, जो किसान नेताओं के साथ चर्चा हुई थी और सहमति बनी थी, उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। कई महीनों के इंतजार करने के बाद भी, जब बजट के अन्दर कर्ज माफी की घोषणा की जाती है, उसके बाद में गांव में बैठे हुए किसान को यह पता लगता है कि उसके साथ सरासर धोखा हुआ है। उस कारण से यह हालात बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय से

(श्री नवीन पिलानिया)

पूछना चाहता हूं कि तकरीबन 40 लाख लघु और सीमांत कृषक हैं। यह इनकी किताबों में आंकड़े दर्ज हैं, 40 लाख, और उसके ऊपर भी इन्होंने केवल 22 लाख लघु और सीमांत, वह भी अल्पकालीन फसल ऋण, और वह भी जो केवल को-आपरेटिव बैंक से लिये हुए हैं, उनकी कर्ज माफी की है। इसलिये किसान जानता है उसके साथ धोखा हुआ है, 35 लाख 50 हजार के.सी.सी. कार्ड हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): प्रश्न ही कर सकते हैं कि भाषण दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप कृपया करके बैठ जाइये, जब मैं बोल रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: Let him reply.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): केवल प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भाषण नहीं दे सकते।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष: I'll ask Hon. Minister to give a reply on that.

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): कृपा करके बैठ जाइये। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। उसके बाद में आप बोलियेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 35 लाख 50 हजार के.सी.सी. कार्ड धारक किसान हैं। उसमें भी लघु और सीमांत हैं। इतना भेदभाव, जब टोटल मिलाकर 40 लाख लघु और सीमांत किसान हैं, उसमें केवल आप 22 लाख को कवर कर रहे हो, उसमें भी राइडर लगा रहे हो, केवल अल्पकालीन ऋण, उसमें भी राइडर लगा रहे हो कि केवल को-आपरेटिव बैंकों से लिया जायेगा तो यह किसानों के साथ सरासर धोखा है। उसमें यह लिखा हुआ है कि 8 हजार करोड़ का बोझ आएगा। मैं सरकार की धोखाधड़ी की लिमिट बताना चाहता हूं। पृष्ठ दो पर लिखा है, पृष्ठ एक पर लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं एक मिनट निवेदन करता हूं। को-आपरेटिव पर जब डिमाण्ड आये न, तब आप डेफिनिटली विद स्टेटिक्स और आपके पास में जो भी सपोर्टिंग डाकूमेंट्स हैं और गवर्नमेंट के जो भी आपके पास क्रिडेन्शल्स हैं,

(श्री उपाध्यक्ष)

आप उनको प्रस्तुत करना। आज एक ऐसा विषय था कि मौजूदा हालात के अन्दर किस प्रकार से सदन ...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वे मैम्बर्स को कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): एक मिनट में कन्क्लूड करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 22 लाख को इन्होंने लिया है, उसके लिये जो बजट में प्रावधान है, वह कर्ज माफी का केवल 2 हजार करोड़ का प्रावधान है। दो हजार करोड़ को अगर आप 22 लाख किसानों में भी डालते हैं, जिनको ये लेकर चल रहे हैं, तो 7-8 हजार से ज्यादा किसी के पल्ले नहीं आता है। इसीलिये किसान के साथ धोखा हुआ है।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हरमाड़ा तक नगर निगम आता है। आपने उनको हरमाड़ा तक क्यों नहीं आने दिया। राजावास में आप व्यवस्था करते। राजावास के खेतों में व्यवस्था करते। किसान वहां तक आता और अपनी बात रख सकता था। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी मेहरबानी।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे मैं आपसे एक निवेदन करूं। जो आपका इकोनोमिक्स का स्टेटिक्स है, You know एक नोशनल हैड होता है इस नोशनल हैड में कुछ पैसे पार्क कर दिये जाते हैं। लास्ट टाइम जब हमने ऋण माफी की थी, जो ब्याज माफ किया था। You know how much was the amount? It was 1 Lakh. That is a notional amount. Definitely, later on, the Government will add more amounts to it. और मंत्रीजी का अगर आप वक्तव्य सुनो तो जिस आयोग का गठन हुआ है, वह सारी जो आप बात बता रहे हैं, उन सारी बातों को कंसीडर करके जो भी इसमें डिफाइन होगा Anyone who is availing concessional loan on a concessional interest rate will definitely qualify for it. Whether he is from the Cooperatives or otherwise. That is the reason they have made this Aayog. यह आयोग तय करेगा, कैसे सारे किसान और कृषक, जिन्होंने किसी भी प्रकार का लोन अन्य किसी इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है And if they are availing for crop and where they are paying subsidized rate, they will definitely get qualified. Let the Aayog do its work. When you meet in September, you again can come out in case अगर कहीं भी इस आयोग के गठन के उपरांत फिर भी कोई विसंगति आ जाती है We will meet again before we go to the Elections, I am sure. And definitely we can actually delib-

(श्री उपाध्यक्ष)

erate, amplify and even scrutinise the entire doings of the Government of Rajasthan. That's the end of it. Now why everyone is so excited about it? I am sure you all want to call attention to those people who are on the roads, so that you can have your report card and CR made accordingly.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक छोटा-सा निवेदन कर रहा था। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सुराज संकल्प पत्र का जिक्र किया। मैं यह सुराज संकल्प पत्र टेबल करना चाहूंगा। इसके पेज 14 से लेकर पेज 16 तक हमने किसानों से क्या-क्या वादा किया, उसका जिक्र है। उसमें एक जगह भी अगर यह वादा किया हो, हमने सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात की हो, या 50 हजार रुपये के कर्जे के माफ की बात की हो, तो यह मैं टेबल करना चाहूंगा

(16.00 बजे)

क्योंकि रिकार्ड में सारी बात साफ जाए, राजस्थान के अवाम के पास साफ जाए, यह जो संकल्प पत्र में हमने जो वादा किया था सिंचाई का लगान माफ करेंगे, हमने माफ किया। संकल्प पत्र के सारे वादे, इसमें अधिकांश हमने पूरे किये हैं। अब तक आप किसानों को गुमराह करते रहे। मैंने भी सोचा कि इसमें क्या लिखा होगा? चूंकि, मैं भी इसका सदस्य था इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहो तो मैं टेबल कर दूं, यह बिलकुल लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं और अब सारी बात स्पष्ट हो गयी कि यह 20 हजार से ज्यादा किसानों का ऋण माफ हो रहा है, इनको स्वागत करना चाहिए। यह सांप सूंघना इसको कहते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसका।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): 20 लाख, 20 हजार नहीं, 20 लाख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हां, 20 लाख से ज्यादा किसानों का ऋण माफ हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: मैं उन सारे माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। जो विषय बाकी सदस्यों ने अपनी-अपनी अभिव्यक्ति में उठा लिये हैं या अभिव्यक्त कर दिये हैं, इसका रिपीटीशन नहीं हो। उसके अलावा अगर कोई भी आपका ऐसा कोई विषय है या कोई ऐसा बिंदु है जिससे आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहते हैं, उस तक आप सीमित रहिये। हम एक घंटे से इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं क्योंकि सबको समय दिया, कइयों ने बहुत ज्यादा समय ले लिया. So I will start with the lady at the end. श्रीमती अंजु देवी धानका, if you have anything to say.

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं अभी यहां पर थोड़ी देर से सुन रही हूं तो मेरे दिमाग में एक बात आई है और थोड़ा-सा डिफरेंट है इसलिए मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, कोई मेरी ऐसी तैयारी नहीं है। बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही है जबसे बजट आया है कि 50 हजार का लोन जो सरकार ने माफ किया है, सभी चाहते हैं कि वह एक लाख का हो जाए और दूसरा, जो को-आपरेटिव बैंक से कर्ज माफी की है, वह भी सभी बैंकों से हो, ऐसा सभी कह चुके हैं तो मैं उसको फर्स्टली रिपीट नहीं करूंगी। उसे रिपीट नहीं करना चाहती।

कुछ नई बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि तैलंगाना राज्य में, एक छोटा-सा ही है राज्य तो लेकिन वहां पर किसानों को आठ हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है फसल से पहले तो अगर राजस्थान सरकार चाहे तो यह नियम यहां पर भी कोई एक्ट लाकर किया जा सकता है। क्योंकि पार्टियां सिर्फ किसानों के कंधे पर सिर रख-रखकर सत्ता में आ जाती हैं तो यह कुछ इसके स्थाई समाधान की क्यों नहीं हम बात करते? मेरा कहना सिर्फ यही है कि अब जब इस पर कभी भी चर्चा हो तो इसके स्थाई समाधान की बात हो क्योंकि किसानों को तो ओलों को और कभी पानी की कमी और कभी किसी न किसी प्राकृतिक आपदा और कम मूल्य का सामना करते रहना पड़ता है। तो, क्यों नहीं इसके स्थाई समाधान की बात करें बजाय इसके कि एक ही चीज को रिपीट कर करके समय बर्बाद किया जाए तो मेरा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि तैलंगाना की तर्ज पर किसानों को आठ हजार का अनुदान फसल पूर्व दिया जाए ताकि प्राकृतिक आपदा से वह एश्योर्ड हो सकें, उनको इंश्योरेंस एश्योर्ड करने के लिए, बल्कि इससे एक बहुत फायदा हमको यह मिलेगा कि जो किसान खेती छोड़ रहे हैं, जो अपने बच्चों को खेती में नहीं डाल रहे हैं वह इससे आगे बढ़ेंगे और खेती को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि अभी जो खेती बोते हैं उसको यही डर लगा रहता है कि आगे चलकर यह खेती हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी तो उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उसके हम स्थाई समाधान की बात करें, थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। Please don't get excited.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारी समितियों के माध्यम से लोन को माफ करने के लिए ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो आपके सचेतक जितना समय लेते हैं न उसके बाद आप लोगों के लिए तो कोई समय बचता नहीं है। यह तो आप आसन की उदारता समझिए कि आपको समय दे देते हैं वर्ना आपका समय तो आपके सचेतक ले जाते हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इस उदारमना आसन के हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका आदेश होगा तो आज के बाद मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं आसन का पूरा सम्मान करता हूं। मैं तो केवल मात्र, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कह रहा था कोई ज्यादा नहीं किसी को बोलना, यह कटारियाजी की अध्यक्षता में इस सरकार ने आठ कमेटियां बना दीं। सात की तो रिपोर्ट आई नहीं, आठवीं की कब आ जाएगी? यह बता दें बस।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि जितनी भी कमेटियां हैं, सबकी रिपोर्ट दे चुका हूं। अगर आपके ध्यान में नहीं है तो उसका क्या कर सकता हूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन में तो आई नहीं आज तक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सदन में आने की जरूरत नहीं थी। जिस काम के लिए किया वह काम कर दिया है। क्या समझते हैं?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सारी रिपोर्टों का सदन में आना जरूरी नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उन रिपोर्टों को खुद देखें। डोटासरा साहब, ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको मालूम है कि सारी कमेटियों की रिपोर्टें सदन में नहीं आतीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ समय के लिए अपन यह तय कर लें कि अपने-अपने सामान्य ज्ञान में थोड़ी-सी वृद्धि कर लें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वह रिपोर्ट तो कालू लालजी के भूत ले गये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: जो उपलब्ध समाचार है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, यह भी कम से कम इस बात का ध्यान रखें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गम्भीर मुद्दा चल रहा था, सहकारी समितियों के लोन को माफ करना और अन्य संस्थाओं के लोन को माफ नहीं करने के पीछे कारण यह है कि हमारे समय यह जो डेढ़ लाख रुपये का के.सी.सी. के माध्यम से, सहकारी समिति के माध्यम से लोन दिया जाता था, उसके विपरीत आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए जो लोनी इस सरकार के अन्दर बने हैं उनको 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रुपये से ज्यादा किसी किसान को लोन नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से वाहवाही, माफ किया सरकार ने, माफ होगा लोगों का, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से सहकारी समितियों के नाम पर बार-बार आप माफ कर रहे हैं तो इसको हम जनता के सामने लेकर आना चाहते हैं और किसानों का जो लोन माफ हो रहा है, वह 50 हजार तक माफ नहीं हो रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसी का 15 हजार होगा, किसी का 17-18 हजार होगा, किसी का 20 हजार होगा और यह भी तब माफ होगा जब वह डिफाल्टर है। जिन लोगों ने समय पर लोन माफ करा दिया है, वह यह कैसे भूल गये कि के.सी.सी. के माध्यम से जो लोग अलटा-पलटी करते हैं, साहूकारों के यहां से, इधर-उधर से ब्याज, राठौड़ साहब, दो मिनट। और यह जो सिर्फ लोन माफी, आज राजस्थान के अन्दर किसानों में जो आक्रोश पैदा हुआ है, यह आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसानों को कर्जा माफ करवाना है। इस आक्रोश के पीछे आपकी जो बिजली की व्यवस्था है जो आज राजस्थान का किसान खेत के अन्दर जब पानत करने जाता है और रात को 11 बजे से लेकर सुबह पाँच तक खेत के अन्दर ठंडे पानी के अन्दर खड़ा रहता है जब हम सोते रहते हैं, यह भी उसका एक कारण है कि उस बिजली व्यवस्था में हमने आज तक सुधार करने की बात नहीं सोची। जो फसलों का समर्थन मूल्य है, जिस तरह से अधिकारी प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसान आम चीजों के अन्दर चक्कर काटता रहता है और जो तमाम हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के कारण किसान के अन्दर यह आक्रोश उपजा हुआ है इसलिए हम बार-बार यह प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार जो कदम उठा रही है हम इसमें कमी नहीं निकालना चाहते क्योंकि अल्टीमेटली

(श्री धीरज गुर्जर)

कुछ न कुछ पैसा किसानों का माफ होगा लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जिन्होंने सहकारी समिति के अलावा भी लोन ले रखा है और जरूरी नहीं कि जो डिफाल्टर हैं उनका पैसा भी अगर आप माफ कर दें और साथ ही जो बार-बार हम इस सदन के अन्दर चर्चा कर रहे हैं, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अन्दर चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो उसके तंत्र के मध्य के अन्दर लोग हैं और अगर हम जनता को ही...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वह की वह बातें आ रही हैं जो पहले किसी वक्ता ने कह दीं। आप रिपीटीशन क्यों कर रहे हैं? यह समझ में नहीं आया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): किस वक्ता ने कही? आप 15 हजार रुपये माफ कर रहे हो, यह किसने कहा आपको?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह सब बातें सबने कह दीं, एक-एक करके सब बोलते गये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सहकारी समितियों के माध्यम से मदन राठौड़जी, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आप विराज जाओ। आप विराज जाओ। अब रिपीटीशन आपकी तरफ से भी बहुत होता है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, व्यवधान ही यह मदन राठौड़ साहब करते हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह छोटी तलवार, जो बड़ी तलवार के साथ जो छोटी तलवार फ्री है, बहुत उत्पात करती है, इस सदन के अन्दर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, उप सचेतक महोदय को आप निर्देशित करें कि आपकी मौजूदगी में उप सचेतक महोदय को आसन इजाजत नहीं देगा रिपीटीशन करने की। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के इतिहास में इससे शानदार रूलिंग कोई हो नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष: आप आसन को प्रभावित करने की नाकाम कोशिश न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन के संज्ञान में यह भी रहे कि आज 26 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और यह भूत की बात और विधान सभा में चल निकली है, कई लोग थरथर कांपेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आज प्रत्यक्ष रूप में इसका पूरा का पूरा विश्लेषण हो ही जाए, 12 बजे बाद देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं आपको इसी आसन पर बैठा हुआ मिलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूत पर ही अगर शुरुआत करनी है तो फिर मैं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: इस पर अगर आपको कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी तो आसन उसमें विशेष अनुमति प्रदान भी करेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से, एक मिनट सुनो...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): शास्त्रोक्त बातें, नीति-रीति, भूत-प्रेत के बारे घनश्यामजी का ज्ञान बहुत ही जबरदस्त है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से जवाब देने के लिए गौपालन मंत्री श्री ओटारामजी महाराज विराजे हुए हैं, यह वह सारे झाड़-फूंक और सारी बातें विस्तृत रूप से बताएंगे, इसकी अनुमति भी आसन हमें दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह केवल भूतनी निकालते हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन की उदारता के कारण कई ऐसी बातें इस गम्भीर विषय के बीच में आ गयीं लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज किसान अगर पेड़ पर लटक कर आत्महत्या करें तो उसमें बी.जे.पी. और कांग्रेस की बात नहीं है, वह हमारे सबके लिए जो हम सदन के अन्दर बैठते हैं क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं इसलिए हमारे सबके लिए यह लज्जा की बात है और आज वाकई राजस्थान का किसान दु:खी है क्योंकि कभी अतिवृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी पानी नहीं होना, कभी फसलों में कीड़ा लगना, पिछले चार साल के अन्दर किसान लगातार जिस तरह से मुआवजे से प्रभावित हुआ है और उसको मुआवजा अब तक, मैं तो भीलवाड़ा जिले की ही बात करता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर अब तक किसानों को 2013-14 का मुआवजा भी पूरा नहीं मिल पाया है

(श्री धीरज गुर्जर)

इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस गम्भीर विषय के अन्दर सरकार, हम अपनी तरफ से भी यह कह रहे हैं कि हमारे लिए यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। हमारी रगों के अन्दर किसान का खून है और किसान के आशीर्वाद से ही इस सदन के अन्दर हम खड़े होकर बोल रहे हैं इसलिए अगर सत्ता पक्ष के लोग चलना चाहेंगे तो हम भी, पूरा विपक्ष इनके साथ चलकर किसानों के पास चलेंगे और हम किसानों का भला चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: भंवरसिंहजी। You want to say something, but please don't repeat, whatever has been said. Just take care.

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चला और उस आंदोलन को करने वाले आदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच में नवम्बर में जो वार्ता हुई, सितम्बर माह में और उसमें पचास हजार रुपये किसानों का कर्ज माफ किये जाने की सहमति सरकार के द्वारा दी गयी।

उसमें एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी को केरल का दौरा भी करवाया गया। उस कमेटी का क्या निर्णय है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह निर्णय आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन पंजाब, तमिलनाडु ऐसे कई राज्य हैं, जहां के किसानों के वहां की सरकारों ने ऋण माफ भी किये हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा 2018 में राजस्थान के लघु और सीमांत श्रेणी के सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन, फसली ऋण लेने वाले जो किसान हैं, उनके जो ऋण हैं, वह माफ करने की घोषणा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 50 हजार रुपये राजस्थान के प्रत्येक किसान के माफ करने का जो समझौता हुआ था, एक तो सरकार उसमें पीछे हट गयी और सिर्फ और सिर्फ को-आपरेटिव सोसायटी वाले किसानों के ऋण माफ करने की बात कही। वह ठीक है, लेकिन उसमें भी राइडर लगा दिया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लघु और सीमांत श्रेणी का। राजस्थान भर के अलग-अलग जिलों के माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये। जयपुर का आप बता रहे हैं, टोंक का बता रहे हैं, दौसा का बता रहे हैं, सीकर का बता रहे हैं, झुन्झुनूं का बता रहे हैं। कल भी इन्होंने बीकानेर का नाम नहीं लिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी मंत्री महोदय ने बीकानेर जिले का नाम नहीं लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने बीकानेर जिले में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वैसे अभी कृषि और सहकारिता, दोनों पर डिमांड बाकी है। आपको मैं पूरा समय दे दूंगा, आप एक-एक चीज का पूछ लेना और मंत्रीजी को हम कहेंगे कि वह आपकी हर एक बात का जवाब दें। अगर आज हम कृषि और सहकारिता की डिमांड चर्चा पर ले आये तो फिर तो मेरे खयाल से आप उस समय बोल लेना। अब हम थोड़ा-सा ...(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तमाम जिलों में किसानों की जोत दो बीघा, चार बीघा, दस बीघा तक है, लेकिन बीकानेर हमारा रेगिस्तानी जिला है। बीकानेर, जैसलमेर के माननीय विधायक बैठे हैं और हमारा भूमिगत दायरा एक हैक्टेयर और दो हैक्टेयर वाले दो परसेंट भी किसान नहीं हैं और हमारे जिलों को इस योजना का मात्र 5 परसेंट लाभ मिल पाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर यही निवेदन करना चाहूंगा कि या तो सभी किसानों के ऋण माफ किये जाएं, जो को-आपरेटिव के हैं, अन्यथा बीकानेर, जैसलमेर, जो रेगिस्तानी जिले हैं, जहां भूमिकी वैल्यू कम है, रेतीली है और वहां पर लोगों के पास क्षेत्रफल की दृष्टि से जमीन ज्यादा है, लेकिन वास्तव में वहां उपज कम होती है, तो ऐसे किसानों के लिये लघु और सीमांत श्रेणी का अलग से पैमाना तय किया जाए जिससे कि बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के किसानों को भी सरकार की इस महत्वपूर्ण घोषणा, जो सरकार के मंत्री बता रहे हैं, सरकार वाहवाही लूट रही है, तो कम से कम यदि बीकानेर और जैसलमेर जिले के लोगों को भी आप फायदा देना चाहते हैं तो लघु और सीमांत श्रेणी का जो दायरा पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी आठ बीघा और 16 बीघा तक किया है, वह किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार से तो मैं चर्चा नहीं करा सकता।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं यही निवेदन करना चाहूंगा और अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन करता हूं How can I allow you to actually deliberate on issues? For a quite long time we have been trying to deliberate on that. I am sorry about Shakuntala Ji, Manoj Kumar Ji, Sona Devi, Nandkishore Ji and you also Kalu Lal Ji. Do you want to speak? मैं आपसे निवेदन करता हूं We have got demands on 26th again and you can आप हर चीज पर You can again deliberate on these issues. I am sure the Government will be in a position to give you more refined, exhaustive answers on that. अब

(श्री उपाध्यक्ष)

मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूं क्योंकि आसन आपका अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन आसन भी समय से बंधा हुआ है We have 40 people to speak and I am asking अभी मैं पूरे सदन को यह बात निवेदन कर रहा हूं, मैं 40 में से किसी भी व्यक्ति को कभी भी पुकार सकता हूं, इसलिये जो बोलना चाहें, इस सदन में उपस्थित रहें और अगर बोलने के बाद मंत्री के जवाब सुनने से पहले चले गये तो मैं उस सारे वक्तव्य को विलोपित करा दूंगा। Manoj Kumar Ji, let's do it on the day of the Agriculture demand. हमारी रिक्वेस्ट मान लें आप। श्री बृजेन्द्र जी ओला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण डिमांड पेयजल और सिंचाई पर सदन में विचार हो रहा है। व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है, सुविधाओं के बिना रह सकता है पर हवा और पानी के बिना जीवन कुछ घंटे के लिये ही सीमित हो जाता है। उन पर आज सदन में विचार-विमर्श हो रहा है। मेरे से पूर्व दो बहुत विद्वान माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। राजस्थान के लिये सिंचाई का जो महकमा है, वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां बात आई कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में सिंचाई विभाग में कोई काम नहीं हुए हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे अधिक यदि सिंचाई के क्षेत्र में कभी काम हुआ है तो 1952 से लेकर, जब आदरणीय सुखाड़ियाजी इस सदन के नेता हुआ करते थे, उस समय हमारी इंदिरा गांधी कैनाल बनी, उस समय भाखड़ा कैनाल बनी, उस समय चम्बल का सिस्टम बना, उस समय जाखम का सिस्टम बना, उस समय गांधी सागर बना, जितनी भी वृहत् पेयजल योजनाएं थीं, वह सारी उस समय कमपलीट हुईं। उसके बाद वर्तमान सरकार के समय में कई वृहत् सिंचाई योजनाओं का जिक्र आया, पर एक भी वृहत् सिंचाई परियोजना कमपलीट नहीं हो पायी है। आप चाहे यह जो बारां में सिंचाई परियोजना है, उसकी चर्चा कर लें, चाहे आप नर्मदा की चर्चा कर लें, आप चाहे यमुना की चर्चा कर लें, हमारे जो अन्तराज्यीय जल विवाद हैं, उनका हमेशा माननीय मंत्री महोदय, विभाग की यह जो प्रगति रिपोर्ट है, इसमें चर्चा होती थी, इस

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

बार उस पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है और यमुना के जल के बारे में इस पर डेढ़ पेज की हमेशा ही एक चर्चा आती थी, इस बार वह इसमें नहीं आयी है। अलबत्ता बजट भाषण में एक पैरा में यह चर्चा आई है कि हम पाइप से यमुना का पानी, जो हमारा समझौता हुआ, वह लाएंगे। यमुना के पानी पर दिल्ली, हरियाणा, यू.पी., हिमाचल और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ, उस समझौते के तहत सैंट्रल वाटर कमीशन ने उसको मंजूरी दी और उसी समझौते के तहत अपर यमुना बोर्ड का गठन किया गया। उसमें यह व्यवस्था थी और हमारे उस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दी। पर उससे आगे वह बात बढ़ नहीं पायी।

माननीय मंत्रीजी ने इसी सदन में कहा था कि हरियाणा अगर अलग देश होता तो हमारे से पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करता। अब मंत्रीजी के विभाग की जो इसमें घोषणा की गयी है बजट में, उसमें यह कहा गया है कि केन्द्रीय प्राधिकरण ने हमारी रिपोर्ट की फिजिबिलिटी को वेटेज कर लिया है। जब आपका सारा काम पहले हुआ हुआ था, सैंट्रल पावर कमीशन ने उस योजना को मंजूरी दी हुई थी, यमुना अपर बोर्ड में उसको मंजूर कर दिया था और सारी बातें हो गयी थीं, बात महज यह होनी थी कि हरियाणा और राजस्थान के मध्य एम.ओ.यू. बनाकर आपने भेज दिया पर हरियाणा ने उस पर साइन नहीं किये। अब आपको क्या गारंटी है कि यह जो नई प्लानिंग करके आये हैं कि आप पाइप लाइन से पानी लाएंगे तो हरियाणा उस पर अपनी सहमति दे देगा। हमको तो झुन्झुनूं और चूरू को उसमें पानी चाहिये मंत्रीजी, चाहे आप बाल्टी में लाकर दे दो हमको।

आपने इस सदन में कहा था कि अगर हरियाणा देश होता तो हमारे साथ पाकिस्तान से भी खराब व्यवहार करता। अब क्या उसके विचार बदल गये हैं? क्या हरियाणा ने आपको यह कह दिया है कि हम इस एम.ओ.यू. पर साइन कर देंगे? क्या आपका पहले वाला यह एम.ओ.यू. है, या आपने नया एम.ओ.यू. बनाकर भेजा है? आपने जिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात की है, उसके अलावा आप इसमें कितने आगे बढ़े हैं?

आप भले आदमी हैं। मैंने देखा है, पहले सरकारों ने बहुत चिट्ठियां लिखीं, आपने भी बहुत चिट्ठी लिखी हैं, मुख्य मंत्रीजी ने भी लिखीं हैं, पर हरियाणा इतनी आसानी से मानने वाला है नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी किसी सुविधा का उपयोग करता है तो वह क्यों छोड़ेगा।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कावेरी जल पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और उस निर्णय में पहली बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, नहीं तो पानी स्टेट सब्जैक्ट माना जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह इंगित किया है कि पानी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। तो उस बिन्दु को लेकर क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार रखते हैं? यही नहीं, मैंने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रीजी का एक वक्तव्य पढ़ा फाइनेंशियल टाइम्स में, कि हम पहले तो पर्टिकुलर किसी विवाद के लिए एक ट्रिब्युनल बनाते थे, पर अब हम सारे जो नदी जल विवाद हैं, उनके लिए एक ट्रिब्युनल बनाएंगे और यह व्यवस्था करेंगे कि दो साल में उसका निर्णय आ जाये। तो क्या ऐसा ट्रिब्युनल बनाने की बात है? कोई राज्य सरकार के संज्ञान में है? अगर ऐसा है तो उसका लाभ उठाया जाना चाहिए।

(16.21 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

क्या राज्य सरकार यमुना के पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों नहीं रखती है? सभापति महोदय, 17 साल से यह समझौता होने के बाद हमको जो पानी मिलना चाहिए था, उससे हम वंचित हैं और वह भी मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं जहां आठ ब्लाक हैं, उसमें से बहुत सारे ब्लाक तो अति दोहन की स्थिति में हैं, कुछ क्रिटिकल दोहन की स्थिति में हैं। एक ब्लाक ठीक है, पर उसका पानी पीने लायक नहीं है। जो भी सरकारें आयीं, हम उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते रहे हैं कि कब यह पानी झुन्झनूं और चूरू जिले में आएगा। अबकी बार तो प्रगति रिपोर्ट से वह इश्यु ही गायब हो गया, पर बजट में थोड़ी-सी दो लाइन उस पर आयी हैं। मेरे से पहले सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सिर्फ बीस करोड़ की व्यवस्था की है, बीस हजार की योजना में। तो उसमें तो आपकी डीपीआर ही नहीं बनेगी बीस करोड़ में तो। उसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जब आप जवाब दें, इस पर प्रकाश डालें।

श्री सभापति: कृपया शांति रखें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपने 52 हजार करोड़ की योजनाएं इस बजट में सिंचाई विभाग के लिए रखी हैं और उसमें बजट आपने रखा है, 70 करोड़ रुपये का। आपको पूरा ही 03 हजार 01 सौ करोड़ के आसपास इसमें बजट मिला पूरे डिपार्टमेंट को। तो आपने घोषणाएं तो इतनी कर दीं,

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आप उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? किसी का तो उसमें सर्वे नहीं होगा, किसी की डीपीआर नहीं बनेगी, किसी का उसमें लिटरेचर ही नहीं बनेगा। कोई विशेषज्ञ ही नहीं मिलेंगे। तो यह बड़ी दयनीय बात है कि आपने घोषणाएं तो बहुत कर दीं और फाइनेंशियल व्यवस्थाएं आपने की नहीं हैं।

आपने नदी बेसिन, एक बोर्ड बनाया था, एक्ट लेकर आये थे। उसके बाद आपने यह कहा था कि हम कई नदियों को आपस में जोड़ेंगे। उसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। मैं जिस जिले से आता हूं, उसमें एक मात्र बरसाती नदी है, काठली नदी। वह दक्षिण से लेकर उत्तर तक बहती थी, उस नदी के बैंक्स पर जो गांव या जमीन पड़ते थे, उससे वाटर रिचार्ज हो जाता था। आज स्थिति यह है कि उस नदी के पास जो गांव या जमीन पड़ती है, सबसे ज्यादा फ्लोराइड उनमें है क्योंकि ऊपर का पानी था, उस नदी से रिचार्ज हुआ था, उसका दोहन कर लिया गया और वह नदी अब आती नहीं है। उसको बिलकुल खतम कर दिया। उसमें अवैध खनन कर दिया। उसमें अवैध एनीकट बना दिये। उसमें अवैध कब्जे कर लिये। आपने उस समय नदी विकास प्राधिकरण बनाया था, आपने सदन को यह आश्वासन दिया था कि जो नदियां खतम हो गयीं, हम उनको पुनर्जीवित करेंगे। वह आप नहीं कर पाये।

इसके अलावा आपकी जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं, परवन परियोजना है, उस पर आप ज्यादा कोई बढ़ा नहीं पाये। आपने पिछली बार इस सदन में, जितने भी माननीय सदस्य बोले थे, सबको कुछ न कुछ दिया था। मुझे नहीं पता, उनका क्या रिजल्ट रहा। वह योजनाएं पूरी हुईं या नहीं हुईं।

आज सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठायी। उन्होंने कहा कि जयपुर के पास जो नदियां थीं, हम भी जब आते थे, छोटे थे तो रींगस की नदी में पानी रहता था, रानोली की नदी में पानी रहता था, बांडी नदी में पानी रहता था। शाहपुरा के पास है महाराज का आश्रम है, उसमें तो बारह महीने ही पानी चलता रहता था। आज स्थिति यह है कि किसी नदी में भी एक बूंद पानी है नहीं। यह स्थिति कैसे आयी। यह स्थिति ऐसे आयी कि हमने राजनैतिक आधार पर, कोई गया, उसको थोड़ा-सा कह दिया, एनीकट दे देंगे आपको। जो मेजर रामगढ़ का हिस्सा था, जिसमें पानी आता था, उसमें अतिक्रमण हो गये। बिना प्लानिंग के उसमें एनीकट बना दिये गये। आज स्थिति यह है कि रामगढ़ बांध जो सारे जयपुर को पानी देता था, आज वह खुद ही पानी के लिए तरस रहा है।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

इसी तरह से कालख बांध है, यहां जयपुर के पास, उसकी क्या स्थिति हुई? आपने यह कहा था कि बूंदी जिले में जो नदी है, उससे पानी लाकर इसको रिचार्ज करेंगे। आपने उसमें क्या कदम उठाये? वह काम कितना आगे बढ़ा? इसकी आपके डाकूमेंट में कोई चर्चा नहीं है इसलिए मेहरबानी करके, पानी का काम ऐसा है कि इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। हमने भू-जल का बहुत उपयोग कर लिया। अब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर वह रिचार्ज नहीं होगा तो हम कुछ भी छोड़ कर नहीं जाने वाले हैं। आज राजस्थान में 60 परसेंट लोग बिलकुल सूखे से प्रभावित हैं।

माननीय सभापतिजी, आप जिस जिले से आते हैं, लूणी नदी के लिए कई बार आप यहां बोलते हैं, आप सूकली के लिए बोलते हैं। आप दूसरी नदियों के लिए बोलते हैं। क्या हालत उनकी हो गयी? पहले एक बार जब हम वहां दौरे पर गये तो लूणी नदी की ऐसी स्थिति थी कि बिलाड़ा से पानी की ऊंची टंकी को भी बहा कर ले गयी थी और आज उसकी क्या स्थिति है। वह आज एक गन्दा नाला बन गया है जिसमें फैक्ट्रियों की गन्दगी जाती है, सिवाय इसके कुछ नहीं है। तो राजस्थान के किसी भी कोने को ले लें। सिवाय मंत्रीजी जिस जिले से आते हैं, वह तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, वहां तीन-चार सिस्टम हैं। वहां भाखड़ा सिस्टम हैं, वहां महाराजा गंगासिंह के टाइम की गंग कैनाल है जिसको बीकानेर नहर भी बोलते हैं। वहां इन्दिरा गांधी नहर है। घग्घर फ्लड है। घग्घर फ्लड का पानी पाकिस्तान में जाता है। हरियाणा ने शायद ओटू में कोई बांध बनाकर उसको अपने यहां काम में लेने की कोशिश की है तो हमको भी उस पर कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे आप जिस जिले से आते हो, वहां के लोगों को तो अच्छा पानी मिले। वहां भी आज आन्दोलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पहले तो यह स्थिति थी कि खुले में पानी जाता था और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे, पर आज उसका इतना एरिया बढ़ गया है या उसकी इतनी आवश्यकता हो गयी है कि उसको भी आपके यहां घग्घर फ्लड है, बहुत सारे गांवों में वहां सेम आयी हुई है, उस पानी को आप वहां से लेकर सीकर, चूरू, झुन्झुनूं में दे सकते हैं घग्घर फ्लड के पानी को। इस पर आपको विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, पेयजल बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस सदन में शायद ही कोई सदस्य ऐसा होगा जो पेयजल पर नहीं बोलना चाहता हो, पर समय की पाबन्दी है, इसलिए नहीं

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

बोल पाते होंगे लेकिन पेयजल के मामले में 60 परसेंट तो हम भू-जल पर निर्धारित हैं। थोड़ा-सा एरिया ऐसा है, जिसमें हम सरफेस वाटर से उन लोगों को पानी दे पाते हैं। अपने यहां 118 वृहत् पेयजल योजनाएं हैं और उनमें सबमें आपने यह दिखाया है कि ये प्रगतिरत हैं।

2015-16 का बजट जब माननीय सदन की नेता ने यहां रखा था तो उन्होंने कुछ वृहत् पेयजल योजनाओं की चर्चा की थी कि हमने हमारे पहले वाले कार्यकाल में शुरू की थीं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। मैं आज भी आपको यह बताना चाहता हूं कि उनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो आज भी पूरी नहीं हुई हैं। आपका, इस सरकार का यह उत्तरार्द्ध का पीरियड आ गया, पिछले सरकार के समय में आपने उनको शुरू किया था।

हमारे यहां इंदिरा गांधी नहर पर आधारित पेयजल योजना झुन्झुनूं, सीकर के लिए, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को छोड़कर मन्जूर की गयी थी, पूर्ववर्ती सरकार ने उसमें 956 करोड़ रुपये मन्जूर किये, पूरी योजना 33 हजार करोड़ की थी पर चूंकि वित्तीय साधन इतने ही उपलब्ध थे तो उसमें झुन्झुनूं और खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र को कवर किया जाना था और आज से दो साल पहले उसका पानी वहां की जनता को मिल जाना चाहिए था। पर अभी तक उसकी सुविधा वहां की जनता को नहीं दे पाये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपने बजट में आर.ओ. की घोषणा की। उन आर.ओ. की घोषणाओं में भी आपने 3152 की स्वीकृति जारी की और पूरा कर पाये हैं 2226 आर.ओ. प्लांट की और इस बजट में आपने और घोषणा कर दी।

इसी तरह से आपने सोलर पम्प वाले ट्यूबवैलों की घोषणा की, उनमें भी आप पीछे चल रहे हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाये हैं। आज भी, 70 साल की आजादी के बाद आज भी आपके 43 हजार से ज्यादा मानव बसावट हैण्डपम्प पर निर्भर है। अपन किस युग में जी रहे हैं? हैण्डपम्प का पानी कई जगह तो ऐसा होता है कि उसको पशु भी नहीं पी सकते। आपके यहां 20 हजार से अधिक वो बसावटें हैं, वो हैबिटेशन के पोटेबल पानी के हिसाब से जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति हम यहां रख रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं जिस जिले से आता हू वो पूरा का पूरा भूजल पर निर्भर है और आपने हमको वहां पूरे जिले को 35 तो ट्यूबवैल दिये हैं शहरी क्षेत्र में और 65 दिये हैं ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे जिले में और वो भी ड्राई के अगेंस्ट दिये हैं। इसी तरह से आपने चार सिंगल फेज दिये हैं पूरे झुन्झुनूं जिले में ग्रामीण क्षेत्र में और चार सिंगल फेज आपने शहरी क्षेत्रों में दिये हैं।

आपने यहां घोषणा करवा दी कि 100-100 हैण्डपम्प एक-एक विधान सभा क्षेत्र में। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

आपने यहां घोषणा करवायी कि 100-100 हैण्डपम्प प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दिये जाएंगे। जब आपके 43 हजार मानव बसावटें हैण्डपम्प पर आधारित हैं तो उन 100-100 हैण्डपम्प से क्या होगा? हमारे यहां तो खैर, हैण्डपम्प काम ही नहीं देते हैं, हमारे यहां तो या तो नलकूप काम देता है या सिंगल फेज नलकूप काम देता है। यह आपके विभाग की स्थिति है, माननीय जलदाय मंत्रीजी। न आपकी प्रयोगशालाएं ठीक काम कर रही हैं। आपकी पाइप की स्कीम हैं उनमें भी यह स्थिति है कि 30-30 साल पुरानी पाइपें उनमें हैं। आप चार साल से इस सदन में यह घोषणा कर रहे हैं कि हम जनता जल योजनाओं को सुचारु रूप से चलायेंगे। जनता जल योजनाएं सुचारु रूप से तब तक नहीं चल सकतीं जब तक आप उनको पी.एच.ई.डी. के अण्डर में लेकर नहीं चलाएंगे। इसमें कभी तो केन्द्रीय फाइनेंस आयोग, जो पंचायत और संस्थाओं को पैसे देता है, उनसे व्यवस्था करवाते हैं, कभी आप कहते हैं इसमें एसएफसी से बिल भरे जायेंगे। वो कभी तो बिल भर देते हैं, कभी जो उनको चलाने वाले हैं उनको काम कर देते हैं, कभी उसकी मोटर ठीक नहीं होती है। तो आप मेहरबानी करके इन जनता जल योजनाओं को विभाग के अधीन लें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): सभापति जी, एक मिनट और लूंगा।

जो आपकी गांवों की जल प्रदाय योजनाएं हैं, जो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, विशेषकर जो आपकी रीजनल स्कीम हैं वो ठीक से नहीं मिल पाती हैं। जो पहले हैं उनको तो ठीक पानी मिल जाता है पर टेल वाले लोगों को उसमें ठीक पानी नहीं मिलता है।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

सभापति महोदय, बातें तो कई और थीं पर आपने तीन-चार बार निर्देशित कर दिया। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, नहीं, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ दो-तीन डिमांड्स हैं वो ही कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, समय भी कम है, काफी चर्चाएं हो गयी हैं लेकिन इतना जरूर है कि चाहे पेयजल हो या सिंचाई हो, हमारे मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री महोदय ने दूरदर्शिता रखी है, इसमें इनको धन्यवाद देना चाहिए। जैसे पूर्व में खाली लोकार्पण, पत्थर वगैरह लगाये और आप बिलकुल उपयोग में लाये।

अभी पूर्व वक्ता ओला जी बोल रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 40-40 वर्षों तक राज घर में रहा, कोई एकाध तो समझौता कर लेते। अब झुन्झुनूं वाला यमुना समझौता आज दिन तक क्यों नहीं किया? कहीं पर भी जो इण्टर स्टेट समझौते हैं, जो राज्य का हक है, आज दिन तक इसकी कोई चिंता नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आज सदन को और सदन के माध्यम से जनता को यह बताएं कि इस सरकार ने कैसे-कैसे समझौते राजस्थान के हक में किये हैं, आज नहीं आने वाली सदी भी इस बात को याद करेगी कि आज नहीं वर्षों तक इस राजस्थान में पानी की समस्या नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पेयजल का विषय है, खाली एक विषय जो बार-बार आया है नर्मदा से जालौर जिले को पानी देना है। आपने राजस्थान भर में चाहे उदयपुर हो, जयसमंद हो, चाहे बीसलपुर हो, चाहे माही हो, सभी जगह पूरे राजस्थान में व्यवस्था की है। अब पश्चिमी राजस्थान, चाहे पाली हो, जालौर हो, सिरोही हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जमीनी जल नहीं है। आखिर कहीं न कहीं आपको प्राकृतिक जल से व्यवस्था देनी पड़ेगी पेयजल के लिए। जालौर जिले के 739 गांवों में नर्मदा से व्यवस्था देनी है। उसमें डीआर, एफआर और ईआर तीन प्रोजेक्ट, अब दो में काम लगभग-लगभग पूरा होने जा रहा है। ईआर प्रोजेक्ट है, 256 गांवों में जिस क्लस्टर से पानी देना है, मेन लाइन 374 करोड़ की वो तो आपने पास कर दिया और उसमें भी आपके

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

खाली 171 करोड़ खर्च हुए हैं। अब आगे क्या होगा? 256 गांवों का जो क्लस्टर प्रोग्राम है, आप मेन लाइन में पानी तो ले आये, जब तक उसके आगे सप्लाई की व्यवस्था नहीं होगी तो लाये हुए पानी की उपयोगिता क्या होगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यही निवेदन करना चाहूंगा कि जालौर की और आहौर की रानीवाड़ा, भीनमाल, मतलब भीनमाल शहर से इन चार विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर ईआर प्रोजेक्ट से जो पानी जाना है, उसके लिए कुछ न कुछ घोषणा जरूर करें। लम्बा प्रोजेक्ट है लेकिन उस प्रोजेक्ट को चालू रखने के लिए आपकी कुछ न कुछ घोषणा होनी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है बाकी निश्चित रूप से नर्मदा का पानी पहुंचा है।

मैं सिंचाई मंत्री और आपको, दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस आपदा ने सांचौर में नहर तोड़ी है उसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, त्वरित गति से ढाई सौ करोड़ रुपये देकर वो नहर ठीक हो रही है, उसकी भी मानीटरिंग करने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी नहर ठीक हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पेयजल मंत्री महोदय को इतना ही निवेदन है कि एक तो पुरानी पाइप लाइन है, जहां 30, 35 वर्ष, 40 वर्ष से पुरानी पाइप लाइनें जमीन में हैं, उनसे पानी की सप्लाई होती है, उन पाइप लाइनों को बदलने की कोई न कोई स्कीम हो, नीचे ए.ईएन., एक्स.ईएन., एस.ई. तक कहें, एक क्राइटेरिया लगा दीजिए 30 वर्ष से पुरानी पाइप लाइन को बदलने के लिए। नहीं तो बार-बार फूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, एक गांव डिस्टर्ब हुआ, दूसरा हुआ। बस एक मेरा यही निवेदन है।

एक सिंगल फेज कनेकशन वाले विषय में भी निवेदन है, मेरे यहां वाटर लेवल नीचे बिलकुल खारा और फ्लोराइड युक्त है इसलिए जितना भी आप दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज माही 1966 का गुजरात सरकार के साथ समझौता था, अभी ओला जी बोल रहे थे, उस समय के राजस्थान सरकार के और गुजरात सरकार के मंत्री महोदय के बीच एक समझौता हुआ कि जब नर्मदा का पानी कच्छ की भूमि में पहुंच जाएगा तब माही का पानी जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही, इन चारों जिलों के लिए माही का पानी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दिया जाएगा। आज दिन तक वो समझौता, नर्मदा का पानी पहुंच गया, इस समझौते का क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात का भी आज खुलासा करें जो हमने किया है वो आपके माध्यम से जनता को मालूम पड़े।

इसके बाद जवाई पुनर्भरण, एक बहुत बड़ी स्कीम, इस पश्चिमी राजस्थान के लिए है। जोधपुर राज घराने ने आजादी से पहले जब यह बांध बनाया, एक बहुत अच्छी कल्पना को लेकर और आज जोधपुर में राजस्थान कैनाल का पानी आ गया तो उसकी उपयोगिता बाकी जिलो में है।

माननीय सभापति महोदय, इसकी डीपीआर बन गई, 6 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसको गति दें। इसका कारण है, बनास से गुजरात में जो पानी जाता है उसको मोड़ कर जवाई बांध में डालना जिससे जवाई बांध बारह महीनों भरा रहेगा। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि इससे पेयजल की तो सुविधा होगी ही सिंचाई के मामले में भी यह भी एक गंगानगर जैसी सुविधा हमारे पाली और सिरोही जिले भी हो जाएगी। पानी की उपलब्धता होने पर यहां जमीन बहुत अच्छी है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है ईरिगेशन मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कि आहौर जवाई बांध से 110 मीटर डाउन फ्लो में है, जहां पर पानी आपको लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, नर्मदा का जो पानी आप आहौर को दे रहे हैं बिलकुल टेल पर है, यह 200 मीटर की ऊंचाई पर है सांचौर से और आहौर है वह जवाई से 110 मीटर की ढलान पर है इसलिए जब जवाई बांध का पुनर्भरण हो जाए तो आहौर को पेयजल की व्यवस्था भी आप जवाई से करें, आज जवाई से 22 गांव सिंचित होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जवाई बांध पुनर्भरण के बाद जो कमांड एरिया में सर्वे हुआ है, मेरे आहौर के गांव भी इसमें जोड़ें।

माननीय सभापति महोदय, आपने काफी काम किया है। भैंसवाड़ा डाइवर्जन के बारे में मैं मंत्री महोदय और अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मौके पर आकर ऐसा जोरदार काम किया जिसमें मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन का विषय भी पूरा होता है। जवाई नदी में आज से तीस साल पहले सूकड़ी नदी जो अन्दर गिरती है और उसको रोक दिया गया था,

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

भैंसवाड़ा के पास हमने उस नदी को प्रारम्भ करके वहां डाइवर्जन दिया, उस डाइवर्जन से यह हुआ कि जालौर में जो बाढ़ आती थी वह भी बच गई और 16 गांवों को चीरती हुई वह सरदारगढ़ बांध वह आज से बीस साल, पच्चीस साल पहले सरदारगढ़ बांध 9 करोड़ रुपए की लागत से उस समय में बना था, आज दिन तक उसमें पानी नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस भैंसवाड़ा डाइवर्जन में ...(व्यवधान) 5-7 करोड़ रुपए का काम है, यह 16 गांवों के कुएं रिचार्ज करते हुए वापस सरदारगढ़ बांध जो...।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: आपने जिन माननीय सदस्यों की लिस्ट दी है, माननीय उप सचेतक महोदय, वे कृपया सदन में हाजिर होने चाहिए। जिन माननीय सदस्यों की लिस्ट आपने दी है, कम से कम वे तो सदन में हाजिर हों।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पारित होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 की कार्य सूची पूर्ण होने और दोनों मांगें पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, भैंसवाड़ा डाइवर्जन वाले विषय के बारे में बताना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्रीजी ने पिछली वर्षा के समय 1 करोड़ 65 लाख रुपए दिए थे, उसके लिए

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

4 करोड़ के लगभग और आवश्यकता होगी, आज यह घोषणा करें तो यह 16-17 गांवों के लिए जीवनदायी होगा।

माननीय सभापति महोदय, केवल दो मिनट मैं मेरे विषय के ले रहा हूं। बावरला बांध और बाकीया बांध, इन दोनों बांधों की खाळियों को पक्का करने की व्यवस्था भी माननीय मंत्रीजी करवाएं। एक नौसरा बांध भी है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह तीनों बांध खातेदारी जमीन में हैं, पेटे काश्त, उन बांधों का पानी समय पर खाली नहीं होगा तो उसमें खेती नहीं होगी, इसलिए उसमें ऐसा एक कंडीशनल कमांड क्षेत्र बना दिया जाए कि पानी जब भर जाता है, इनका कमांड क्षेत्र ज्यादा कर दिया है, अब उसमे पानी पड़ा है तो पेटे काश्त वालों को खेती करने को नहीं मिल रही है और उस पानी की उपयोगिता भी नहीं हो रही है तो दोनों काम करने के लिए ऐसा एक कंडीशनल, अपन एक कमांड एरिया बना दें जिससे हमारे क्षेत्र के उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

माननीय सभापति महोदय, बीबलसर एमटीएस, वहां पर बहुत बड़ी पानी की आवक है, वहां पर एक मिनी डैम जिसको कहें, बनाने की आवश्यकता है। भाद्राजून, नीमलाव, मीठड़ी नदी पाली जिले से वहां फैलती है, पानी इतना पड़ा रहता है, लगभग 20 हजार बीघा जमीन में पानी भरा पड़ा रहता है, उस पानी को ड्रेनेज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था आप कराएं तो बहुत बड़ा लाभ 20 हजार बीघा जमीन में खेती और हो सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, एक विषय जवाई बांध पुनर्भरण के बाद यह पूरे राजस्थान का विषय है, जिस भी नैचुरल नदी पर बांध बनाया जाता है, उसमें इर्रिगेशन और पीएचईडी की डिमांड के बाद जो कुछ भी पानी बचा रहता है उसका थोड़ा बहुत रेशो उस नदी में छोड़ना चाहिए जिससे नदी हमेशा जीवित रहेगी, नदियां रिचार्ज हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई कि वे बहुत सजग हैं और इसमें जो-जो भी विषय उठाए गए हैं उनको ले लेंगे। हजारों-लाखों हैक्टेयर भूमि पाकिस्तान की इन नदियों के लीकेज के कारण से सिंचित हो रही थी. उस लीकेज को भी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

आप लोगों ने खतम करके हमारे इस देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ दिया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिस विषय पर चर्चा चल रही थी, आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहिए कि कर्ज माफी के लिए जो कमेटी बनाई थी, पक्ष और विपक्ष की तो चार प्रदेशों में जो गये और विपक्ष के साथ नहीं गये, नहीं गये तो नहीं जाने का कारण सदन को मालूम पड़ना चाहिए, अगर उनके नेताओं ने उन सदस्यों को जाने से मना किया है तो किसान विरोधी हैं, मतलब कांग्रेस के लोग किसान विरोधी हैं उनके नेताओं को, उनके सदस्यों को उस कमेटी में जाने नहीं दिया गया, जिससे किसानों की कर्ज माफी की जो आवाज यहां उठा रहे हैं, इस बात को प्रतिपक्ष को निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में इस बात का खुलासा करें कि आप उस कमेटी में क्यों नहीं गए, आपके नेताओं ने यदि मना किया है तो इस बात का खुलासा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सदस्य, राजेन्द्र सिंहजी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर बोलने का आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मांग संख्या 27, पेयजल पर मैं अपनी एक-दो बात कहना चाहता हूं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र के अन्दर इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा कैनाल, गंग कैनाल, चारों तरफ से उसे पीने के लिए पानी हमें उपलब्ध रहता है लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के अदूरदर्शी निर्णय के कारण हमारी जो पीएचईडी की स्कीम बनी वह ठीक ढंग से नहीं बनने के कारण गांव के पर्टिकूलर बीच में जहां स्कीम बनाई जाए वहां वाटर वर्क्स का ओवर हैड टैंक हो या कोई अन्य जल के स्रोत हों, वह सारा का सारा पानी गांव के अन्दर बीच में उन्हीं लोगों को मिलता रहा जिन्हें हमेशा से मिलता था लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि हमारे श्रमिक, हमारे जो मजदूर भाई या कमजोर वर्ग के लोग जो गांव के चारों तरफ फिरनी में रहते हैं या बाहर की तरफ रहते हैं, उनको आज तक भी पानी नसीब नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी प्रदेश की माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे पीएचईडी मिनिस्टर साहब का, उन्होंने इस ओर गौर किया।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

पूरे क्षेत्र में नई स्कीमें बनाईं और मुझे यह कहते हुए आज खुशी हो रही है कि गंगानगर जिले के अन्दर और विशेषकर मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 100 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य पीएचईडी विभाग द्वारा कराए जा रहे हैं और प्रत्येक घर के अन्दर पानी पहुंचाने के लिए या उसके घर तक किसी जीएलआर में स्टोरेज करने के लिए जो नई पाइप लाइन स्वीकृत की गई है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से हमारे आदरणीय मंत्रीजी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक-दो समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयसर मंडी हमारी बहुत पुरानी मंडी है, 30-35 साल पहले वहां पर पाइप लाइन बिछाई गई लेकिन वह अब इतनी गहरी हो गई कि उससे पानी सप्लाई होना मुश्किल हो गया और वह बीच-बीच में टूट गई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी अनाज मंडी होने के बावजूद भी हमारे मंडीवासियों को पानी मिलने में दिक्कत रहती है।

एक हमारी पाइप लाइन है, वहां से बदलवाकर नई पाइप लाइन लगवाने के साथ ही उस वाटर वर्क्स के लिए जो खुले में खाळे के अन्दर पानी आता है, उसमें बीच में डारोडी भी बनी हुई है, वहां भी इस तरह का बंद पाइप करके डाल दिया जाए ताकि वह पानी गंदा नहीं हो और स्वच्छ पानी जो पीएचईडी की स्कीम है, उसकी डिग्गियों में आए, उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके साथ-साथ हमारी बहुत बड़ी एक बुगिया ग्राम पंचायत है। 3 एसएडी का बहुत बड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय है। इसी तरह से हमारी सात जगह की एक पंचायत मुख्यालय के साथ-साथ मोकलसर, जानकीदासवाला और हमारे निरबाणा, बहुत बड़े गांव होने के साथ वहां अभी तक ओवरहैड टैंक का निर्माण नहीं हुआ, नई स्कीमें नहीं बनीं, पुरानी स्कीमें भी पूरी तरह से जर्जर होकर के खराब हो चुकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन रहेगा हमारे माननीय पीएचईडी मंत्री महोदय से कि इन स्कीमों को, जो आपके पास विचाराधीन हैं, उन्हें स्वीकृत करके वहां नए निर्माण कार्य शुरू करवाएं ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को उसमें राहत मिल सके। साथ ही एक निवेदन मैं इस मौके पर माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

जनता जल योजना में हमारे जितने भी कर्मी लगे हुए हैं, उन सबको पिछले लगातार साल-डेढ़ साल से, हालांकि उनको भुगतान भी बहुत थोड़ा है, 21 सौ-साढ़े 21 सौ रुपए उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान भी पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इतनी कम मजदूरी में काम करने वाले हमारे मजदूरों को जब भुगतान नहीं मिलता तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत गम्भीर विषय है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय से कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए उनकी मजदूरी, जो पूर्व की बाकी पड़ी हुई है, वह दिलवाने का श्रम तो करें ही, साथ ही साथ हम उनके लिए कोई...

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री सभापति: बिना मेरी अनुमति के कोई बोल रहा है, वह अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): ...उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, उनको कुछ राहत देकर उन्हें हम परमानेंट पीएचईडी के कर्मचारी बनाएं या पंचायत के कर्मचारी उन्हें नियुक्त करें। इस तरह की योजना की मैं उम्मीद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 40 सिंचाई पर अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, 1970 के आसपास सुखाड़िया मंत्रिमण्डल के टाइम इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ, भाखड़ा नहर का निर्माण हुआ, अनेकानेक योजनाओं का निर्माण हुआ। हमारे पूर्ववर्ती गंगानगर जिले के अन्दर गंग कैनाल का निर्माण भी उससे पहले हो चुका था, लेकिन 70 के आसपास आते-आते जिस तरह से हमारी इन योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बगैर देख-रेख के राम भरोसे छोड़ दिया गया, 1975 के आते-आते, 1980 के आते-आते लगभग पूरे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्दर वाटर-लोगिंग शुरू हो गई।

1978 से 1980 के बीच में चाहे वह मसीतावाली हैड के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे हमारे बड़ोप्पल के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे मेरे सूरतगढ़ क्षेत्र के पदमपुरा और संगीता का सवाल हो, वहां की जमीन पूरी तरह से वाटर-लोगिंग से प्रभावित हुई। वहां एक-एक जमीन में 4-4, 5-5 फुट पानी रहने लगा। आगे निर्माण नहर का ठीक ढंग से नहीं करवा पाए और पीछे उस वाटर-लोगिंग को ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए। इस वजह से आज जो हम किसानों की स्थिति पर बात करते हैं, किसानों की कर्ज माफी की बात करते हैं, आखिर

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर उस दिन टेल के किसान को पूरा पानी मिलता, अंतिम छोर तक अगर नहर का पानी मिलता और उस क्षेत्र में जहां 50 मन बीघे का धान होता और जहां 35 मन बीघे की गेहूं हो रही थी, अगर उस किसान के खेत में सेम की समस्या नहीं हुई होती तो आज किसान खुशहाल होता और शायद कर्जे से इतना दबा हुआ नहीं होता। यह स्थिति होने के बाद उसे किसी ने नहीं संभाला। किसी ने इंदिरा गांधी नहर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री को, आज से चार साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, जन-जन की नेता मुख्य मंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली, उसके बाद उस पर गम्भीरता से कार्यवाही शुरू हुई।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप जी को, जिन्होंने इस विषय को गम्भीरता से लिया। दिन और रात मेहनत करके, उस पूरे क्षेत्र में दौरा करके, समय-समय पर आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत करवाकर इस क्षेत्र की सेम की समस्या का समाधान करने के लिए जो काम किया, वह अपने आप में एक अनूठी पहल है। जिस तरह से अनूपगढ़ ब्रांच की रीलाइनिंग का काम शुरू हुआ, उस दिन लोगों को महसूस नहीं हो रहा था। किसी ने यह सोचा नहीं था कि इस तरह से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज सदन को बताते हुए मुझे खुशी है कि जिस क्षेत्र में 3-4 फुट पानी गढ़ा था, चाहे वह पदमपुरा की जमीन थी, चाहे संगीता गांव की जमीन थी, चाहे करणीसर के खेत थे, मुझे आज इस बात की खुशी है कि उनमें आज फसलें लहरा रही हैं। उसके अन्दर सेम की समस्या आज पूर्ण रूप से खतम हो चुकी है। अनूपगढ़ ब्रांच का रीलाइनिंग का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय का मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ हमारे उन काबिल अभियंताओं का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद में उस सेम की समस्या का समाधान किया। इसी तरह से सूरतगढ़ ब्रांच की रीलाइनिंग का काम चल रहा है। वह अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। हमारे बड़ोप्पल की सेम की समस्या के हल के लिए जिस तरह से वहां पम्पिंग सैट लगाकर उस पानी को उठाकर डिप्रेशन में डालने का काम किया जा रहा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। बात करने को हम कर लेते हैं, उस पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया, हम यह कर रहे हैं और आने वाले समय में यह करेंगे। बात करना और काम करके दिखाना, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे एटा सिंगरासर के लिए लगातार 1974-75 से लोगों को यह दिखाया जा रहा था कि हम यहां किसी नहर का निर्माण करेंगे। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पानी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से शायद नहर का निर्माण सम्भव नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री महोदय ने और हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने और हमारे सभी काबिल अधिकारियों ने इस पर एक बहुत अति-महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उस निर्णय के आधार पर जब भी नहर बने, तब पानी की उपलब्धता हो, उस पर कोई विचार न करते हुए आम किसानों को विशेष पैकेज के रूप में 1 हजार बिजली के कनेक्शन देकर जो राजस्थान की सरकार ने काम किया है, जो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है, निश्चित रूप से वह इस क्षेत्र के लिए बहुत अनूठी पहल है। आप जब उस क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो किस तरह से वहां सरसों की फसल लहरा रही है, किस तरह से वहां जौ और गेहूं की फसल पक रही है, यह अपने आपमें कोई छोटी बात नहीं है। हम किसी भी बात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से सारे माइनरों का पक्का का निर्माण चल रहा है, जिस तरह से अन्य माइनरों के साथ-साथ भाखड़ा के निर्माण के लिए भी आज मैं निश्चित रूप से आदरणीय मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहूंगा कि भाखड़ा की बीबीएम प्रणाली का पूरे ठीक ढंग से सारी हमारे सूरतगढ़ तक जहां टेल एंड होता है, वहां तक सभी नहरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ अनूपगढ़ ब्रांच से निकलने वाली जो संगीता माइनर है, उसका भी पुनर्निर्माण कराके उस क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाए। जो हमारी नहरें हैं, जिनका नवनिर्माण हो रहा है, वह अपने आपमें एक अनूठी पहल है। उसके अलावा जो भी नहरें रह चुकी हैं, उनका भी पुनर्निर्माण कराया जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे 243 से 415 हैड के बीच में जितने हमारे माइनर हैं, जितने हमारे किसान हैं, पानी का फ्लो कम होने की वजह से निश्चित रूप से....

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): बस एक मिनट माननीय सभापति महोदय...उनके अन्दर कोई इस तरह की व्यवस्था करें। साथ ही जिस तरह से

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

उसमें रैगुलेशन में हमारे बारियां की जाती हैं, उसमें साढ़े 7 से साढ़े 8 दिन का सम्भव होता है, वह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे अभियंताओं के बीच में, हमारे सभी सम्माननीय अधिकारियों के बीच में बैठकर कोई इस तरह की व्यवस्था तय करें ताकि वह रैगुलेशन सही हो। साथ ही साथ पोंग डैम से आने वाले पानी की अभी पिछली सरकारों द्वारा 1395 से 1390 के बीच में पोंग डैम की हाइट का निर्धारण कर दिया था, इसमें इससे ज्यादा पानी नहीं आएगा। पोंग डैम के पानी लेने की क्षमता 1400 फुट की है, तो मेरा यह निवेदन रहेगा कि उस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाए और अगर सम्भव हो तो उस डैम का भी जो हमारी क्षमता हो, उसे बढ़ाने का काम करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): इन बातों के साथ एक मैं विशेष रूप से नम्र निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि आज किसानों की फसल पूरी तरह से पकाव पर है। जिस तरह से पिछले तीन सालों में आपने इतना पानी दिया है, राजस्थान की सरकार की सरकार द्वारा जो सिंचाई का इतना पानी दिया गया है, एक बार कम से कम हमें एक ग्रुप और चलाकर किसानों की गेहूं, चने और सरसों की फसल पकाने का काम आप निश्चित रूप से कराएंगे, ऐसा मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से विश्वास व्यक्त करता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती द्रोपती जी।

(17.00 बजे)

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि पीएचईडी और सिंचाई विभाग के क्षेत्र में मेरी विधान सभा में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। कांग्रेस की सरकार और अपनी सरकार की अगर तुलना करें तो सबसे ज्यादा काम अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का, मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की पीएचईडी यानी मांग संख्या 27 से सम्बन्धित मांग रखती हूं

(श्रीमती द्रोपती)

जिसमें माननीय मंत्री महोदय के सामने ये बातें रखूंगी ताकि ये इनका जल्दी से जल्दी समाधान करें। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के पीएचईडी में 4 के.एम. बुधवालिया, ग्राम पंचायत चाईया, 6 एसपीएम सरदारपुरा खालसा, ग्राम पंचायत 22 एजी, इसका गांव है 23 एजी की वाटर वर्क्स स्कीम रावतसर तहसील की है और पीलीबंगा तहसील की 16 पीबीएन, 14 पीबीएन और सुन्दरसिंहवाला की स्कीम हैं जो अपने विभाग के अन्दर विचाराधीन पड़ी हैं इसलिए अगर ये स्कीमें मंजूर कर दी जाएं तो इन लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और जनता में खुशी होगी।

सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत जाखड़ावाली का चक, 51000 आरडी की बात कर रही हूं कि यहां से सूरतगढ़ ब्रांच निकलती है और इस गांव के पास से ही यह निकलती है। इस गांव में हैण्डपम्प के द्वारा फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं तो यह बहुत बड़ी समस्या है इसलिए अगर 51000 आरडी की स्कीम को स्वीकृत किया जाएगा तो वहां की जनता भी शुद्ध पेयजल से लाभान्वित होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगी कि 1टी सुलतानवाला, 2 जेडब्ल्यू बड़ोपल, 4 एलकेएस (बी), 2 एलजीडब्ल्यू के लिए भी वाटर वर्क्स की स्कीम यहां विभाग में विचाराधीन पड़ी हैं। उसमें अगर नये वाटर वर्क्स की स्वीकृति मिल जाएगी तो उन गांवों को भी शुद्ध पानी पीने का लाभ मिलेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं जो स्वजलधारा में आते हैं, 36 एमओडी और 22 आरडब्ल्यूडी। ये बड़े-बड़े गांव हैं और यह स्कीम बन्द हो चुकी है। इसलिए अगर यह स्वजलधारा योजना है इसको पीएचईडी विभाग कवर कर लेती है तो वहां बहुत सुन्दर वाटर वर्क्स भी बना हुआ है, अलग से पैसा भी नहीं लगेगा और पीएचईडी में शामिल होने के बाद वहां की जनता को भी शुद्ध पेयजल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं मंत्रीजी से मांग करती हूं कि यह मांग भी जनता के हित में आप करेंगे।

सभापति महोदय, पीलीबंगा गांव की आबादी बहुत ज्यादा है। वहां पर वाटर वर्क्स छोटा है तो मैं वहां पर भी बड़े वाटर वर्क्स का निर्माण करवाने का आपके सामने प्रस्ताव रखती हूं कि यहां पर भी पानी का स्टोरेज हो जाए इतना डैम बनाया जाए।

(श्रीमती द्रोपती)

सभापति महोदय, मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में रावतसर एक नगरपालिका है जो सेमग्रस्त एरिया है। क्योंकि मेरा अधिकांश एरिया सेमग्रस्त ही है और जब से शहर बना है तब से वहां पीने के लिए जो पीएचईडी की पाइप लाइन डाली हुई है वो सीमेंटेड पाइप लाइन हैं जो सीपेज हो चुकी हैं। अगर उनका सीपेज सही करें तो एक बार का मैं आपको बताऊं कि वाटर वर्क्स के दो कर्मचारियों ने सीपेज सही करने के लिए वहां खड्ढा खोदा था जिसमें ऊपर से मिट्टी धंसने की वजह से वो दोनों अन्दर धंस गये। हालांकि जैसे-तैसे करके हमने दो लड़कों को तो निकाल लिया लेकिन सीपेज सही नहीं हो रही और शहर के अन्दर जगह-जगह सीपेज है। लम्बे समय से उसकी मांग आ रही है और वो 7-8 फीट गहरी भी है। शहर में जो पाइप हैं वो ऊंची-नीची जगह होने की वजह से, सेम होने की वजह से पीएचईडी की पाइप हैं वो गहरी चली गईं और उनका सीपेज सही नहीं हो रहा तो अगर अब जो पीएचईडी की स्कीम कर रखी है उसमें वो नई पाइप लाइन पूरे शहर में बिछ जाए तो पूरे शहर को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कालीबंगा की बात करूं तो यहां पर 2016 के अन्दर 340.19 लाख रुपये की वाटर वर्क्स की स्कीम स्वीकृत हुई थी। यह दोनों मंत्रियों से सम्बन्धित है। यहां सिंचाई मंत्री भी बैठे हैं और पीएचईडी मंत्री भी बैठे हैं तो मैं दोनों से मांग करती हूं कि जब सिंचाई विभाग ने यह एसएसडब्ल्यू से स्वीकृति दे दी तो कौनसी इसमें अड़चन आ रही है कि वहां पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं सिंचाई मंत्री से कहना चाहूंगी कि जो अधिकारी यह मोघा स्वीकृत नहीं कर रहे हैं उनको आप जल्दी से आदेश फरमाएं कि जब हमारी एसएसडब्ल्यू से स्वीकृति हो गई तो फिर आप इसको क्यों रोक रहे हो। वहां की जनता में भी आक्रोश फैला हुआ है कि जब हमारी सरकार ने हमें पीने के पानी के लिए पैसे मंजूर कर दिये तो हमें एक छोटा-सा मोघा मंजूरी देने की अनुमति हो जाए तो वहां पीने के पानी की सुविधा हो जाएगी। उस गांव में फ्लोराइड युक्त पानी वो लोग पी रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि जनता के हित में यह काम भी आप जल्दी से करवाएं।

महोदय, अब मैं मांग संख्या 46 सिंचाई पर बोलना चाहूंगी। पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में आईजीएनपी की मुख्य नहर की आरडी 96.300 के दायीं तरफ सेम का पानी उठाने के लिए ग्राम विकास समिति द्वारा पम्प लगाये

(श्रीमती द्रोपती)

गये थे। वहां पर दोनों साइड में पम्प लगे हुए हैं बायीं तरफ और दायीं तरफ, लेकिन बायीं तरफ का तो सरकार वहन कर रही है, वहां पम्प भी लगे हैं, मोटरें भी लगी हैं और सरकार बिजली का बिल वगैरह भी वहन कर रही है लेकिन दायीं तरफ भी सेमग्रस्त वहां के किसान हैं तो उसको भी अपनी सरकार उठा लेगी तो वहां के लोगों को भी फायदा होगा। इसका बिजली के बिल का भुगतान भी 50 लाख से ज्यादा का बकाया पड़ा है। अगर वो राज्य सरकार वहन कर लेती है तो वहां के किसानों को भी सेम के पानी से सुविधा मिल जाएगी।

सभापति महोदय, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में केसरदेसर वितरिका एवं आईजीएनपी मुख्य नहर के मोघे बुर्जी संख्या 109 व 122 के किसानों को राजकार्य के लिए सूरतगढ़ जाना पड़ता है और सूरतगढ़ से भी आगे विजयनगर जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि सूरतगढ़ की दूरी रावतसर के गांवों के लगभग 75 किलोमीटर पड़ती है जिससे किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। वहां रावतसर खण्ड कार्यालय की दूरी 15 किलोमीटर ही है तो अगर यह रावतसर कर दिया जाए तो वहां के किसानों को विजयनगर या सूरतगढ़ नहीं जाना पड़ेगा और 15 किलोमीटर दूर रावतसर के कार्यालय के अन्दर ही उनका काम हो जाएगा।

सभापति महोदय, मैं रावतसर खण्ड की बात करूं तो केडीडी, केएचडी, सीएलडी एवं जेबीडी नहरों का निर्माण काफी समय पूर्व हुआ था। वर्तमान में नहरें जर्जर हालत में हैं जिससे टेल के किसानों को पूरा पानी मिले इसके लिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि रावतसर खण्ड की केडीडी, केएचडी, सीएलडी एवं जेबीडी नहरों का पुन: निर्माण कराया जाए ताकि वहां के काश्तकारों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिल सके।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की सम्पूर्ण नहरें जैसे बीपीएम माइनर, सीवाईएम माइनर, बीपीएसएम माइनर एवं डीडब्ल्यूएम माइनर इत्यादि की जीर्ण-शीर्ण हालत है जिन्हें पुन: पक्का किया जाए।

सभापति महोदय, जिन नहरों का निर्माण कार्य हो रहा है उन नहरों की कुछ पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जहां-जहां नहरों का काम चल रहा है और जहां-जहां पुलियाओं की आवश्यकता है वहां नई पुलिया बनाई जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

(श्रीमती द्रोपती)

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र का कुछ इलाका सेमग्रस्त है और जब भी सेम नाला बना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगी कि सेम पीड़ित किसानों को जिस तरह से सेम नाले से फायदा हो रहा है तो जिन-जिन खेतों में सेम नाला निकला है उन खेतों में किसी व्यक्ति के एक खेत के दो पार्ट हो गये तो उनमें पुलिया बनाई जाए ताकि वो काश्तकार उसी पुलिया के द्वारा अपने खेत में दूसरी तरफ चला जाए। उनको आने-जाने में लम्बे किलोमीटरों की दूरी अपने खेत में आने के लिए करनी पड़ती है तो जहां-जहां सेम नाले बने हैं वहां -वहां पुलिया की जहां आवश्यकता हो वहां पुलियाओं की भी आप स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही एक गांव अमरपुरा व लुढाणा के बीच घग्घर नदी आती है और वर्षा ऋतु में घग्घर नदी का पानी आता रहता है। वहां एक ही पंचायत के अन्दर आने के लिए वहां के काश्तकारों को चाहे वो कर्मचारी ही क्यों न हो जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनको सर्वे करने के लिए पंचायत हैडक्वार्टर पर आने के लिए 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर वहां पर काजवे बनाया जाए तो पंचायत घर में आने के लिए उनको एक किलोमीटर-डेढ़ किलोमीटर का ही सफर तय करना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी कि यह भी स्वीकृत किया जाए। सभापति महोदय, गुरसरमोडिया की आरडी 116 हैड का निर्माण ठीक करके मोडिया वितरिका के टेल के किसानों को पूरा पानी दिया जाए।

एसपीडी नहर को माणकथेड़ी तक बढ़ाया जाए क्योंकि पूर्व में यह 6 नम्बर डिप्रेशन से माणकथेड़ी माइनर बनी हुई थी, जिससे लगभग 20 वर्षों तक माणकथेड़ी और बडोपल के किसानों को फायदा हुआ था और यह माइनर चल रही थी...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): एक मिनट माननीय सभापति महोदय, एक

(श्रीमती द्रोपती)

मिनट, बस हो गया मेरा। इसी 6 नम्बर डिप्रेशन का पानी है, यह अब बंद हो गया है तो यह माणकथेडी माइनर का रकबा अनकमांड हो गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि एसपीडी नहर का विस्तार किया जाए जिससे वहां के किसानों को राहत मिलेगी।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद द्रोपतीजी।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): एक मिनट का समय दें माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट करते-करते पांच मिनट और हो गये ऊपर।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है माननीय सभापति महोदय। एक मिनट बस, आप टाइम देख लो। 5.10 हुए हैं, 5.11 बजे तक पूरा कर दूंगी।

केएचडी वितरिका के आरडी 7 पर नया मोगा, 2 केएचडी-ए स्वीकृत किया जाए ताकि खेदासरी के किसानों की लम्बित जो मांग है, उसको भी पूरा किया जाए।

पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कई खालें 30 वर्ष पुराने बने हुए हैं, जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनके लिए भी मैं मांग करती हूं जो जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं, उनको दुबारा पक्का बनाया जाए। जैसे चक 45 एनडीआर, 46 एनडीआर, 47 एनडीआर इत्यादि।

मैं अंत में एक मांग और करना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय। हमारी आईजीएनपी की नहर है, जो हरिके पतन से शुरू होती है और पंजाब, हरियाणा क्रोस करते हुए अपने राजस्थान में आती है तो जैसे ही राजस्थान में आती है तो वहां पंजाब हरियाणा के लोग हैं, वे फैक्ट्रीज का गंदा पानी उसमें डालते हैं और बहुत ही महामारी जगह-जगह फैल रही है...

श्री सभापति: इससे मंत्री महोदय वाकिफ हैं। धन्यवाद।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): ...तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि फैक्ट्रीज का पानी है पंजाब हरियाणा सरकार का, वह पूरी तरह से बंद किया जाए ताकि साफ पानी अपने को मिले। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ठीक-ठीक, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी मेहर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल और सिंचाई के मामले में मांग पर बहस है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पानी के बिना जीवन अधूरा है। पानी और सिंचाई, इससे पूरे प्रदेश की और पूरे आमजन की विकास और समस्या जुड़ी हुई है। पिछले चार साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इस मामले में सरकार पूर्णत: गम्भीर नहीं रही। बजटों में बहुत सारी घोषणाएं तो ऐसी लुभावनी की गईं पर उनके लिए बजट को पूरी तरह खर्च करने पर सरकार पूरी तरह संवेदनहीन रही है। जब तक पानी और सिंचाई के मामले में सरकार गम्भीर नहीं होगी, तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक प्रदेश की आप बात करो तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं पेयजल की और सिंचाई विभाग की, जो 10-10, 15-15 साल से लम्बित पड़ी हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र और करौली सवाई माधोपुर जिले की चम्बल-नादौती पेयजल योजना है। पिछले 15 साल से सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। कई बार मंत्रीजी भी इस योजना के बारे में वहां दौरा कर चुके हैं। खुद मुख्य मंत्री महोदया भी वहां जाकर कई बार इस मामले को देख चुकी हैं, पर इस मुद्दे पर पूर्णतया गम्भीर नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दो महीने पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों ने इस मांग को लेकर धरना दिया और वह धरना 67 दिन तक चला, 67 दिन चलने के बाद भी जब सरकार उस पर नहीं सुनी तो किसानों ने आमरण अनशन किया और उस आमरण अनशन पर मैं भी वहां किसानों के साथ बैठा। कहीं पर सरकार ने सुनी, मुख्य मंत्रीजी ने बात की और वहां किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य मंत्री महोदया से बात करने आया और वार्ता में मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि हम आपकी सारी मांगों को मान लेंगे और यह 11 सूत्री मांग-पत्र है, उस पर हम पाजिटिवली विचार करेंगे, इन मांगों को मान लेंगे और एक महीने के अन्दर-अन्दर इनके परिणाम आपके सामने आ जाएंगे।

जहां तक चम्बल नादौती सवाई माधोपुर पेयजल योजना की बात थी तो उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 31 मार्च को हम इस पानी को

(श्री घनश्याम)

नादौती की धरती पर ले आएंगे वर्ना उस कम्पनी के मालिक को जेल भेज देंगे। यह उन्होंने मीटिंग में कहा। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता नहीं कि वह पानी 31 मार्च तक आ जाएगा। पिछले 15 साल से इस कम्पनी में कई बार आधिकारिक रूप से वह घोटाले सामने आये हैं। सैकड़ों करोड़ रुपयों के घोटाले इस नादौती पेयजल योजना पर हो चुके हैं जिनके प्रमाण भी मेरे पास हैं। अगर सरकार ने पानी और सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से प्रदेश के आमजन के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां हैण्डपम्प और ट्यूबवैल खराब पड़े हुए हैं। सिंगल फेज और ट्यूबवैल डार्क जोन घोषित करने के बाद वहां पिछले चार साल में एक भी नहीं लगे। 30-30 हैण्डपम्प सरकार के द्वारा दिये गये, वह भी पूरे नहीं कर पाये। कहीं 10 या 15 हैण्डपम्प काटते हैं और अधिकारी उनको दिखा देते हैं कि ये फिजिबल नहीं है या पानी नहीं है। इस तरह की समस्याएं पैदा करते रहते हैं। आमजन को अगर हमको सुविधा देनी है। अगर हम पीने का पानी मुहैया नहीं करा सकते तो इससे ज्यादा सरकार के लिए कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा चम्बल नदी का मामला भी पूरा नहीं हुआ है। इन्टैक वैल अभी तक बना नहीं है और पानी लाने की बात करते हैं तो वह पानी अभी दो-चार महीने, छह महीने तक नहीं ला सकते हैं। इस मामले में मंत्रीजी को, सरकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। आप दुबारा एक बार वहां मौके पर जाकर देखें, वहां काम सिर्फ पाइप लाइन का चल रहा है। टंकियां भी आपके द्वारा बनाई गई हैं, वह टंकियां भी आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कम्पनी को आपने इस बात की हिदायत नहीं दी कि इनमें बनने के बाद पानी भरा जायेगा तो वह पानी उनमें डाला नहीं और उनमें दरारें आ गई हैं। यह मामला बड़ा गम्भीर है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से जगतपुरा में पेयजल की योजना थी, उसमें भी भारी घोटाला हो गया है, 145 करोड़ रुपये का घोटाला मेरे संज्ञान में आया है। मैं आपके माध्यम से इस मामले को मंत्रीजी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जिस कम्पनी को टेण्डर हुआ है, वह कम्पनी ने फर्जी तरीके से अपने सी.ए. से कागज बनाकर क्रेडिन्शियल पेश की जाती है,

(श्री घनश्याम)

वह कर दी गई और उस फर्म को काम दे दिया गया। उसके बाद जब शिकायत हुई और शिकायत के बाद उसका टेण्डर कैंसिल होने की कगार पर था और दुबारा फिर उसी कम्पनी को काम दे दिया गया है और उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके भी पूरे दस्तावेज मेरे पास हैं। पूरी जांच, अधिकारियों की जो रिपोर्ट है, सारे मामले हैं...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन थे मंत्री? पहले वाले या ये वाले? कौन से थे? आप कह रहे हो न कि मंत्रीजी मिले हुए हैं। कौन से मिले हुए हैं?

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, सरकार में मंत्री कोई भी हो, चाहे पहले वाले हों चाहे अब हो। पहले वाले का ही है मामला तो, पर अब आज जो पोस्ट पर हैं, वह जांच कराएंगे। यह कोई बात नहीं है। मंत्री तो बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस की सरकार आने वाली है तो इससे तो कोई बात नहीं है। यह तो लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पर जनता से जुड़े हुए जो मामले हैं, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, इस पर सरकार को बहुत ज्यादा गम्भीर होना चाहिए।

इसके साथ-साथ एक बात कही है। जब आंखों में पानी नहीं होता तो जनता को भी आप लोग पानी नहीं पिला सकते। मुझे तो ऐसा लगता है, सरकार की आंखों में पानी नहीं है। सरकार पूरी तरह इस मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सिंगल फेज गांवों में जनता जल योजना के तहत लगे हुए हैं। उनका पैसा भी आप जमा नहीं करा पा रहे हैं, वे सारे सिंगल फेज कनेक्शनों से जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

जो आर.ओ. प्लांट सरकार ने पूरे प्रदेश में लगाये हैं, तो इनके मेंटीनेंस का काम भी आप ठीक तरीके से दिखवाएं। जो भी व्यवस्था है, वह आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। कई जगह फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो वह थोड़े दिनों में ही आर.ओ. प्लांट चाक हो जाते हैं और उनसे जनता को कोई फायदा मिल नहीं पा रहा है। जब इतना पैसा सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसमें ज्यादा पैसा खर्च होने के बावजूद भी जनता को लाभ नहीं मिले तो इस मामले को आप माननीय मंत्री महोदय, अपने संज्ञान में लाएं।

(श्री घनश्याम)

प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा तो यह दुगनी करने की बात है, यह पानी के बिना दुगनी नहीं हो सकती है

प्रदेश में जो पानी की समस्या है, वैसे तो बरसात ही कम हो रही है, पर हमारे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, वहां ग्राउण्ड लेवल पर पानी नहीं है। आज किसान एक-एक हजार का, आठ-आठ सौ रुपये का टैंकर लाकर पानी पीने को मजबूर है और वह भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। फ्लोराइड युक्त और गन्दा पानी पीने को आज हमारे किसान मजबूर हैं। इसके लिए आपको एक नई योजना बनाकर चम्बल से जो पानी आने वाला है, उसको जल्दी से जल्दी आप लाएंगे, तो निश्चित रूप से किसानों को, आम जन को इसका फायदा मिलेगा।

इसके साथ, जो हमारे सिंचाई मंत्रीजी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में जितने भी डैम हैं। हमारे क्षेत्र में जो डैम हैं, कुछ सिंचाई विभाग के हैं, उन पर भी काम नहीं हो रहा है। उनकी नहरें भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं और जो ग्राम पंचायत के डैम हैं। गांव में हमारे यहां डेजर्ट एरिया है तो छोटे-छोटे तालाब और डैम गांव वाइज बना रखे हैं। पहले तो लोग सामूहिक रूप से काम करते थे, आज हर आदमी अपने खेत में कुंडा बना लेते हैं तो ऐसे तालाबों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है। सरकार को इन तालाबों की दुबारा मरम्मत करके और उनमें ओपन वैल बनाने की एक स्कीम लागू करनी चाहिए। जहां ग्राउण्ड लेवल पर पानी नहीं है तो तालाब के पेटे में, अगर हम कुआ बनाएंगे, तीस फुट या बीस फुट चौड़ा, अगर ओपन वैल बनाएंगे तो वह जनता के लिए एक वरदान वाली स्कीम साबित हो सकती है। उसमें झील का पानी आता है और उन कुओं से जनता को पीने के लिए पानी हम उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसके साथ-साथ, जहां तक...माननीय सभापति महोदय, +++ उनको आप समय ज्यादा देते हो...

श्री सभापति: कृपया अपने शब्दों को वापस लें, यहां सबका कार्यक्रम रिकार्ड होता है, ऐसा नहीं है। न, नो-नो...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उनको समय ज्यादा दिया आपने...

श्री सभापति: सभी का समय उतना ही फिक्स, जितना यहां रिकार्ड होता है। ऐसे नहीं बोलें कभी भी...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): तो अब प्रदेश की, ऐसी क्षेत्र की बहुत-सी समस्या है...

श्री सभापति: वो अलग विषय है, आपने क्या कहा, +++

श्री घनश्याम (टोडाभीम): .. चलो, वो शब्द वापस लेते हैं।

श्री सभापति: हां, बस ठीक है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में और करौली जिले में गायों की संख्या बहुत ज्यादा है। वैसे प्रदेश में भी है। वहां पर जो आवारा गायें घूम रही हैं, उनके लिए आपको पीने के पानी की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। पिछले साल 10 हजार गायें पीने के पानी की वजह से मर गयीं। इस साल भी अब दुबारा मेरे पास फोन आ रहे हैं। हमारे यहां एक पहाड़ है, जो तीस किलोमीटर लम्बा और 6 किलोमीटर चौड़ा है। गांव के लोग उन गायों को उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। बरसात के दिनों में तो गायों को पानी भी मिल जाता है और चारा भी मिल जाता है और जैसे ही बरसात खतम होती है, तो वहां चारा भी सूख जाता है, चारे की भी कमी हो जाती है। पीने के पानी के वहां कोई संसाधन नहीं हैं।

पिछले साल हमने एस.डी.ओ. को, कलक्टर को ले जाकर, वहां की व्यवस्था दिखाई तो दो या तीन टैंकर पानी डाला जाता था अब वह भी बन्द हो गया। कल फिर दुबारा वहां पांच-सात गायें मर गयी हैं। तो, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां ट्यूबवैल हमने भी खुदवाई है, आपने भी वहां दो ट्यूबवैल बनवा रखी हैं। वे दोनों ट्यूबवैल्स बन्द पड़ी हैं और अगर पुन: वे ट्यूबवैल चालू हो जाएं और गायों को पानी मिल जाए, तो उन गायों का जीवन बच सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो धौलादांता एरिया है, उसमें ट्यूबवैल्स को चालू करवाया जाए और एकाध ट्यूबवैल और करवायी जाए। उससे गायों का जीवन बच सकता है अन्यथा इस साल वहां पांच-सात हजार गायें हैं, वे सब मौत के मुंह में चली जाएंगी।

मैं जो हैण्डपम्प बंद पड़े हैं, उनकी समस्या भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने सौ हैण्डपम्पों की घोषणा की है। इन हैण्डपम्पों को आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत करें तो जल्दी से जल्दी लोगों को फायदा मिलेगा। इस साल जो अकाल पड़ रहा है और जो पीने के पानी की समस्या, आप नादौती के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वहां किसी तरह का आस-पास कोई पानी न

(श्री घनश्याम)

तालाब का है और न उसका है। पांचना डैम में जो पानी था, लिफ्ट की वजह से उस पानी को भी हमने निकाल दिया नदी के द्वारा। अब पीने के पानी का वहां आसपास कहीं कोई संसाधन नहीं है, तो या तो आप चम्बल के पानी को पांचना डैम में डालकर, नहरों के द्वारा छोड़ें, तब वहां की जनता की समस्या हल हो सकती है अन्यथा आने वाले दिनों में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में, करौली जिले में पीने के पानी की घोर समस्या आएगी। पहले भी किसानों ने आंदोलन किया और अब दुबारा किसान 31 मार्च के बाद, अगर पानी नहीं मिला तो निश्चित रूप से, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि वहां निश्चित रूप से आंदोलन होंगे। आप और कोई योजना, जितनी भी आपकी हैं, उनको भले ही न करें, किसानों के आपने ऋण माफ करने की जो बात कही है, यह तो थोथी बात है। न ऋण माफ होंगे, न कोई किसानों को कोई फायदा मिलेगा....

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...पानी की जो व्यवस्था है इसको आप सुचारु करें, जनता को पानी पिलाएं, बस इसी के साथ सभापति जी ने जो बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती अलका जी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल और 46 सिंचाई पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं आपकी। सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। क्षेत्रफल 10.4 परसेंट, आबादी की दृष्टि से 5.5 परसेंट आबादी राजस्थान में है और सतही जल की उपलब्धता 1.16 परसेंट है। राजस्थान में जल की उपलब्धता वर्षा पर निर्भर है और वर्षा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है।

आज राजस्थान में 243 ब्लाक्स हैं, उसमें से 25 ब्लाक्स ही हैं, जो कि बिलकुल सुरक्षित हैं और साधुवाद देना चाहूंगी मांननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच को कि जल स्वावलम्बन अभियान के वजह से, आज राजस्थान के 50 ब्लाक्स सुरक्षित हैं, 196 ब्लाक्स डार्क जोन में हैं और 20 ब्लाक्स संवेदनशील हैं। मतलब बहुत ही भयावह स्थिति राजस्थान में पेयजल की है और इसका कारण यह है कि पानी के लिए हम वर्षा पर निर्भर हैं।

(श्रीमती अलका सिंह)

53 साल तक कांग्रेस ने यहां राज किया, लेकिन बिना किसी कार्य योजना के कोई दूरदर्शी सोच उन्होंने नहीं रखी। यही कारण है कि राजस्थान में इस तरह की भयावहता पानी की हो गयी है। अगर, मैं यह कहूं कि आइंस्टीन ने जो कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वार जो होगा, वह पानी के लिए होगा। तो, राजस्थान के संदर्भ में वह काफी कुछ सही है।

हमारी सरकार आने के बाद हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में घोषणा की थी, ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड बनाने की। उस ग्रिड को बनाया, क्योंकि हमारी 90 परसेंट योजनाएं भूजल पर आधारित हैं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा पेयजल की उपलब्धता के लिए 2008 से 2013 के बीच में बहुत-सी योजनाएं चालू की गई थीं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की कोई सोच और कोई विजन और कोई कार्य योजना नहीं होने कारण, वे सब ठण्डे बस्ते में चली गयी थीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी इनकी गम्भीरता का, किसी भी मामले में गम्भीर नहीं थे। आज काफी शोर मचा रहे थे, किसान के लिए। किसान के लिए पानी ग्रामीण किसान और शहरी सभी क्षेत्रों के लिए, लेकिन किसान के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है।

पूर्व मुख्य मंत्रीजी का जो क्षेत्र है जोधपुर, वहां पर 740.50 करोड़ की योजना थी, जो कि रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, फिल्टर प्लांट लगाने के लिए थी, लेकिन नवम्बर 2013 तक 740 करोड़ में से केवल 125 करोड़ ही खर्च पाये। ये हाल तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र का था, तो बाकी क्षेत्रों के बारे में उनकी क्या सोच होगी। हमारी सरकार का अगर कम्पेरिजन देखा जाए तो 4 वर्षों पेयजल पर हमने खर्च किया 18 हजार 71 करोड़ रुपये, कांग्रेस ने 5 वर्षों में किया 12 हजार 225 करोड़ रुपये।

कांग्रेस के 2012 से 2013 के समय में केन्द्र सरकार की पेयजल स्वच्छता मंत्रालय ने रैंकिंग की थी सभी राज्यों की, तो हमारा प्रदेश तीसरे से आठवें पायदान पर आ गया था। उस समय केन्द्र में भी सरकार कांग्रेस की ही थी और यही कारण था की पूर्ववर्ती सरकार की ढुलमुल नीति के कारण राजस्थान में पेयजल के 602 करोड़ रुपये जो आये थे, वे सारे के सारे डूब गये, क्योंकि इन्होंने जल नियामक बोर्ड का गठन नहीं किया। यूरोपीयन कमीशन से 366 करोड़ रुपये और 13वें वित्त आयोग के 236 करोड़ रुपये सिर्फ इसी कारण से डूब गये कि न तो जल नियामक बोर्ड का गठन किया, न ही कोई ठोस कार्य योजना इन लोगों ने बनायी थी।

(श्रीमती अलका सिंह)

2010 में, जो पानी के लिए पैसे आये थे, करोड़ों रुपये वे भी सारे के सारे लैप्स हो गये, क्योंकि भूजल कार्यक्रम के पुनर्भरण योजना के लिए 10 लाख इनको ढांचे बनाने थे, 5 साल में केवल ढांचे तैयार किये 70, केन्द्र ने योजना रोक दी। केन्द्र में सरकार कांग्रेस की थी, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन चूंकि सरकार काम नहीं कर रही थी सरकार की कोई योजना नहीं थी और आम जन को लाभ पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए यह योजना भी बन्द कर दी गई। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सबसे पहले इस बीड़े को उठाया कि राजस्थान में जो पानी की कमी है वो तभी पूरी की जा सकती है जब इसके अन्दर आम जन को भी जोड़ा जाए इसलिए जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की और चार वर्ष में 21 हजार गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान का उद्देश्य लिया। योजना को अभियान इसलिए बनाया कि आम जनता इससे जुड़े। अपना श्रम जो देना चाहे वो श्रम दे। पैसा देना चाहे, संसाधन देना चाहे और आज मुझे बताते हुए बहुत फक्र हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस दूरदर्शी योजना के कारण टोटल 7740 गांव, 2 लाख 23 हजार कार्य पूर्ण हो चुके हैं और इसमें 2795 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अब इस जल स्वावलंबन अभियान में सिर्फ ये ही नहीं इस कार्यक्रम की मानिटरिंग की भी पूरी व्यवस्था की है। जिओ टैगिंग और मोबाइल एप्प से इसकी पूरी मानिटरिंग हो रही है। फूलप्रूफ एक कार्यक्रम बनाया है आम जन को स्वच्छ पेयजल की सुविधा पहुंचाने के लिए। सैकिंड फेज में पौधारोपण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण भी सुधरे। अब शहरों में भी इस योजना को चालू किया है। आज मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का ही परिणाम है कि 4.75 परसेंट भू-स्तर आगे बढ़ा है। कांग्रेस के समय हर चीज में गिरावट ही आई थी चाहे वो पानी हो फसल हो या वर्षा हो, लेकिन हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोच है कि आम आदमी को किस तरह पानी, बिजली, सड़क सबकी सुविधाएं पहुंचाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप किया जाए। हम किसानों के लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमारा उद्देश्य है किसानों को वास्तविक लाभ पहुंचे।

माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि समय कम है इसलिए मेरे दौसा जिले के बारे में बात करना चाहूंगी। जब हमारी सरकार आई थी, तब दौसा में सबसे ज्यादा अगर करप्शन था तो इस पीएचईडी में था। जगह-जगह ट्यूबवैल्स खोद दिये गये थे तो वो प्राइवेट स्थानों पर थे। कई जगह ट्यूबवैल्स

(श्रीमती अलका सिंह)

थे उनके कनेक्शंस नहीं थे। पाइप लाइन बिछी थी तो वो बिलकुल जीर्ण-शीर्ण थी। टंकी बनी उसका कनेक्शन नहीं किया गया, तो हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को पकड़ा और इसकी जांच हुई। कई लोग इसमें सस्पैंड हुए और उसके बाद एक तरह से यह डिपार्टमेंट हमारे जिले में पटरी पर आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय जल संसाधन मंत्री, जलदाय मंत्री और मुख्य मंत्रीजी को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक के इतिहास में जितने काम नहीं हुए उतने रिकार्ड काम पेयजल के संबंध में हुए हैं। बांदीकुई में करीब 12 ट्यूबवैल्स सैंक्शन हुए, बसवा में 8 ट्यूबवैल्स सैंक्शन हुए, गुढ़ाकटला में 5 ट्यूबवैल्स सैंक्शन हुए, बड़ियाल जो मेरा सबसे बड़ा कस्बा है वहां 6 ट्यूबवैल्स सैंक्शन हुए और 19 स्थानीय जलप्रदाय योजनाएं स्वीकृत हुईं और उनमें से जलप्रदाय योजनाएं तो चालू हो गयी हैं, लेकिन आज भी कुछ आफिसर्स आज वहां ऐसे हैं जिनकी आत्मा में आज भी कांग्रेस बसती है। उनकी निष्ठाएं गड़बड़ हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्रीजी से भी मिली थी कि कुछ ट्यूबवैल्स जो सैंक्शंड हैं, उनको स्वीकृत हुए दो साल हो चुके हैं और पानी की भीषण समस्या है। बांदीकुई में पानी की भीषण समस्या है बसवा में, लेकिन ट्यूबवैल्स नहीं खोदे जा रहे हैं क्योंकि उनकी मंशा सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन को पहुंचाने की नहीं है। उनकी मंशा सरकार को डिफेम करने की है, तो मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जो स्वीकृत होने के पश्चात् भी कामों को सिर्फ इसीलिए नहीं कराते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठाएं कहीं और हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक इंस्टांस बताना चाहती हूं कि मेरे यहां पर बांदीकुई में और बसवा दोनों जगह पानी की बहुत समस्या है, इस वजह से टैंकर सप्लाई होते हैं। अब टैंकर का ठेका जिस ठेकेदार के पास है उसने उस ठेके को सबलैट कर दिया है, तो मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सबलैट करना कानूनन है? क्योंकि ये सबलैट आपके सारे विभाग के अधिकारियों की जानकारी में है। बसवा एक ऐसा कस्बा है जहां पानी के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं। अभी 120 टैंकर की सप्लाई वहां पिछले एक वर्ष से हो रही है, 120 टैंकर पर डे। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिली। विभाग के अधिकारियों से बात की, तो थोड़े दिन दो-चार दिन तो सिस्टम ठीक रहा, लेकिन उसके बाद भी जब सप्लाई दुरुस्त नहीं हुई

(श्रीमती अलका सिंह)

तो मैंने स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाई। उसके अन्दर कांग्रेस के बंधु भी थे। हमारे लोग भी थे और आम जनता भी थी। उस दस सदस्यीय टीम ने जब टैंकर्स की मानिटरिंग करना चालू किया, तीन दिन तक उन लोगों ने नोन स्टाप मानिटरिंग की। टैंकर वाले ने पूरी ताकत अपनी लगा दी, 22 घंटे तक उसने टैंकर घुमाये, लेकिन आश्चर्य की बात है माननीय मंत्री महोदय, 120 में से 65 से 72 टैंकर से ज्यादा वो नहीं डाल पाया, तो मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि इसमें जो घपला है उसकी जांच करें आप। यह सारा इन्द्राज है उस रजिस्टर में जिस रजिस्टर में उस कमेटी ने चैक करके उसमें नोट लगाया है, तो इस पूरे घपले की जांच करें और यह जो ज्यादा पेमेंट अगर कर दिया गया है तो उन आफिसर्स से वसूला जाए, जिनको मॉनिटरिंग का आपने पूरा जिम्मा दे रखा था। मेरे यहां पर पिछले वर्ष आपने तीस हैंडपंप स्वीकृत किये थे। सरकार की मंशा है कि आमजन को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुलभ हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्या।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): टू मिनिट्स ओनली। मैंने आपके विभाग के एक्सईएन को लिस्ट दे दी थी समय पर। आफ्टर थ्री मंथ्स मेरे पास एक ले मेन आता है, आपके डिप्टी चीफ इंजीनियर का लैटर लेकर जिसमें लिखा हुआ था कि 37 लाख रुपये स्वीकृत हो गये हैं 30 हैंडपंपों के लिए, लेकिन इसकी लिस्ट विधायक महोदया से प्राप्त कर लीजिये। मैंने उसी वक्त आपके डिप्टी चीफ इंजीनियर से बात की। उनको लैटर लिखा कि मैं यह एक्सईएन को दे चुकी हूं लिस्ट। पुन: मैं लिस्ट भेज रही हूं, लेकिन बड़े दुख की बात है माननीय मंत्री महोदय, उसके बाद में दो महीने तक काम नहीं हुआ। आपके एक्सईएन को मैंने कहा तो बोला कि मशीन पहुंच रही है, लेकिन वो मशीन नहीं आयी। जब मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया तो अचानक मशीन भी अवतरित हो गई और अब वो हैंडपंप चालू होने लग गये, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जो आफिसर्स इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो आफिसर्स काम नहीं करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम उनके खिलाफ कार्यवाही करते, क्योंकि उनकी मंशा नहीं है, उनकी मंशा है सरकार को बदनाम करने की। क्या आम जनता को नहीं पता? हम कहते हैं स्वीकृत हो गये। जब तक नहीं लगेंगे तब तक स्वीकृत कुछ नहीं माना जाता। एक याचिका और मैंने

(श्रीमती अलका सिंह)

लगाई थी कि अमुक-अमुक कतिपय जगहों पर हमें हैंडपंप की आवश्यकता है। आपके उन्हीं आफिसर्स ने जवाब दिया कि यहां इतने हैं, यहां 18 हैं, यहां 17 हैं, यहां 12 हैं, यहां 13 हैं। तीन स्थान माननीय सभापति महोदय, ऐसे थे जहां हैंडपंप का नामोनिशान नहीं था, जिन्दगी में वहां नहीं लगे। वहां खाली पड़ा हुआ था, तो मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि ऐसे आफिसर्स के खिलाफ कार्यवाही जरूर करें, ताकि जनता में...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): एक मिनट लूंगी। एक और कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया की सदाशयता है कि उन्होंने चम्बल से पानी लिफ्ट करके 13 जिलों में पानी सप्लाई करने की भी एक कार्य योजना बनाई है, तो आपकी मार्फत मैं सरकार को माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि ये पानी चम्बल से अलवर जा रहा है। बांदीकुई रास्ते में आता है तो बांदीकुई को भी उस योजना में ले लिया जाए, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा स्केयरसिटी वहां पर है और इसके अतिरिक्त मेरे यहां की जितनी भी क्षेत्रीय जल योजनाएं हैं उनको जरूर स्वीकृत करायें। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील और निवेदन करना चाहूंगी और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही जरूर करें। मैं सिर्फ डा. रामप्रताप जी का तो धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी का कि इन्होंने बहेड़िया बांध मेरे यहां पर था जो हमेशा हर साल क्षतिग्रस्त होता था, कांग्रेस के समय में। हर साल पैसा लगता था फिर टूट जाता था। पहली बार पौने चार करोड़ रुपये हमारी सरकार ने वहां स्वीकृत किये। धन्यवाद है, माननीय रामप्रताप जी को। धन्यवाद माननीय मुख्य मंत्रीजी को। आज वो पिछले चार साल से एक बार भी नहीं टूटा है और इतना पानी वहां पर है कि अगर बांदीकुई को पानी वहां से सप्लाई किया जाए तो वो पूर्ति भी की जा सकती है। इसके अलावा मैंने दो बांध और निर्माण के लिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था। गादरवाड़ा गूजरान और चौबड़ीवाला दोनों ही एनीकट आज उन्होंने स्वीकृत करके दे दिये। दोनों जगह काम चल रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को और जलदाय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है बहुत योजनाएं हैं। अगर इन सब योजनाओं पर काम चालू हो जाए, तो मेरे यहां पानी की समस्या का परमानेंट समाधान हो जाए, लेकिन जो आफिसर्स

(श्रीमती अलका सिंह)

इसमें रोक लगा रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: हो गया। यह बात आपने कह दी। धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती शिमला जी बावरी। कृपया समय की मर्यादा को ध्यान रखें, हमें कहना नहीं पड़े।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं पेयजल पर कुछ बताना चाहूंगी कि मेरी विधान सभा घड़साना में 12 करोड़ रुपये की स्कीम पास की, इसके लिये हमारी मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। घड़साना में इतनी बडी स्कीम लागू करके और 12 करोड़ रुपये देकर वहां बहुत बड़ी डिग्गी बनाकर, दो टैंक बनाकर और तीन-चार कालोनियों में नई पाइप लाइन बिछाकर, बहुत ही अच्छी तरीके से वह काम चल रहा है। पीएचईडी का आफिस भी वहां बना है। वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते थे और उनकी पानी की समस्या थी, हमारे मंत्रीजी ने उस समस्या को दूर किया है। हमारे वहां 34 हजार लोगों को शुद्ध जल पहुंच रहा है, इसके लिये मैं मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। इसी के साथ हमारी ग्राम पंचायत में 6 डीडी में एक करोड़ रुपये की स्कीम लागू की, आज वहां भी सारा काम कमप्लीट हो गया है। वहां भी बहुत अच्छी तरीके से वाटर वर्क्स बना है। इसी तरीके से 9 एमडी गांव में 75 लाख रुपये मंत्री महोदय ने दिये, वहां भी अच्छी तरीके से बनकर वाटर वर्क्स तैयार है, 2 एमएलडी ग्राम पंचायत में भी एक करोड़ रुपये देकर हमारे मंत्रीजी ने उस वाटर वर्क्स की दशा को सुधारा है, मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि पिछले एक साल से घड़साना, रावला और अनूपगढ़ में जो नये वाटर वर्क्स की स्कीम आई है और आपके पास में डीपीआर बनकर आई हुई है, एक साल हो गया मंत्रीजी, उसको आप जल्द से जल्द पास करें ताकि उस गांव को हम वाटर वर्क्स बनाकर दे सकें और लोगों की पेयजल की समस्या को दूर कर सकें।

सभापति महोदय, हमारी जनता जल योजना जो चल रही है, उसमें जितने भी वाटर वर्क्स बने हुए हैं, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे गंगानगर जिले में जितनी भी विधान सभा आती हैं, जनता जल योजना में पिछले दो साल में, पिछली बार 10 वाटर वर्क्स के हमारे से प्रस्ताव मांगे गये थे, उसमें

(श्रीमती शिमला बावरी)

10 वाटर वर्क्स के काम हो गये, लेकिन 10 वाटर वर्क्स के हमसे और प्रस्ताव मांगे गये थे, डीपीआर तैयार होकर आपके पास पहुंची हुई है, उसका भी आप जल्द से जल्द बजट देकर समाधान कराएं।

मंत्री महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे ग्राम पंचायत 6 डीडी में, 9 पीबी और 17 कैंडी में एक-एक करोड़ रुपये आपने दिये थे, आज ठेकेदार की वजह से उनका काम धीमी गति से चल रहा है, काम पूरा हो नहीं रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है, लोगों को शुद्ध जल मिल नहीं रहा है। कृपया करके उन ठेकेदारों को पाबंद करके उनका काम जल्द से जल्द पूरा करावें ताकि वहां के लोगों को हम शुद्ध जल पिला सकें।

सभापति महोदय, मैं सिंचाई पर बोलना चाहती हूं। सिंचाई में मैं हमारे डाक्टर रामप्रताप जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने जो काम किया है, वास्तव में बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारी जो आईजीएनपी और गंग नहर है वह लगभग आधे राजस्थान को कम्प्लीट करती है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने एवं हमारे डाक्टर रामप्रताप जी ने और उनके साथ में अधिकारियों की पूरी टीम ने हरिके बैराज पर जो काम किया है, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब में एक बहुत बड़ा डैम है, उस डैम पर जाकर आप देखो तो वहां 32 गेट ऐसे लगे हुए हैं जो पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है, 6 गेट हमारे आईजीएनपी नहर के हैं, 4 गेट गंग नहर के हैं। उन गेटों की एवं पूरे बुर्जों की मरम्मत करने का काम जो हमारे डाक्टर रामप्रताप जी ने किया है, वास्तव में सराहनीय है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में वहां गहलोत जी भी गये थे, सभापति महोदय, उस हरिके बैराज पर जाकर आप खड़े हो जाओ, मैं समझती हूं कि एक आदमी तो वहां जा ही नहीं सकता। उस पूरे सिस्टम को देखकर डर लगता है, वहां पर पानी की इतनी आवाज आती है, उस सिस्टम को देखकर, काले-काले गेटों को देखकर वहां अकेला आदमी तो डर जाता है। वहां पर गहलोत जी गये थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गये कि इस सिस्टम को मैं कैसे सुधारूंगा। वह घबरा कर वापस आ गये, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई, हमारे मुख्य मंत्रीजी, हमारे मंत्रीजी और हमारे सारे अधिकारियों ने वहां जाकर उस सिस्टम को देखा और उन्होंने करोड़ों रुपये देकर उस सिस्टम को सुधारा।

(श्रीमती शिमला बावरी)

आज बड़े अच्छे तरीके से वहां पर पूरा काम कमप्लीट हो गया है। इसके लिये मैं हमारे मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

हमारी अनूपगढ़ शाखा में विद्यावाली हैड से लेकर 77 आरडी तक जो काम हुआ है, सभापति महोदय, हमारी अनूपगढ़ शाखा में आने वाले जो किसान हैं, कोई गाड़ी पर आया, कोई बस पर आया, सबने आकर वह काम देखा तो काम देखकर वह दंग रह गये। पहली बार आईएनजीपी में से निकलने वाली जो शाखाएं हैं और उसमें जो काम हुआ है, वास्तव में वह ऐतिहासिक काम हुआ है। हमारे क्षेत्र के लोग हमारे मंत्रीजी को और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं।

इसके साथ-साथ जो छोटी माइनरें हैं, उसमें जो हमारी सखी माइनर है, उसमें 2 करोड़ 7 लाख रुपये देकर उसका भी बैड लेवल सही करने का काम किया है। हमारी मोमावाली माइनर में 6 करोड़ 85 लाख रुपये देकर उसका भी बैड लेवल सही करने का काम किया है। हमारी 3 केडी माइनर में भी 5 करोड़ 85 लाख रुपये देकर उसका भी बैड लेवल सही करने का काम किया है। हमारी एच माइनर में भी 3 करोड़ 16 लाख रुपये देकर सुधार करने का काम किया है। मैं मंत्रीजी को इन माइनरों के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि इन माइनरों का काम हो गया है। सभापति महोदय, हमारे बहुत सारी ऐसी माइनरें हैं जो अभी बनने वाली हैं। मैं हमारे मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि हमारे बहुत सी माइनरें ऐसी हैं जो बिलकुल ही जर्जर अवस्था में हैं और उनका जीर्णोद्धार करने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि हमारे जो डीडी माइनर है, झीमल माइनर है, केडी माइनर है, 34 आरडी से 46 आरडी माइनर है, केडी माइनर है...

श्री सभापति: कृपया शांति से सुनें। कितना महत्वपूर्ण वक्तव्य आ रहा है, आप सब शांत रहें।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): पी माइनर है, आरजेडी माइनर है, केएच माइनर है, इन माइनरों का आप बहुत ही जल्द बजट देकर इनका भी बैड लेवल सही कराने का काम करें।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): दो मिनट। सभापति महोदय, मैं हमारे मंत्रीजी को यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी जो अनूपगढ़ शाखा है, उस

(श्रीमती शिमला बावरी)

पर बिजली पैदा करने के लिये दो प्लांट लगाये थे। वह प्लांट 15-20 साल से खराब पड़े हैं। उस प्लांट के कारण ही अनूपगढ़ शाखा में एक ठोकर लगाई गई थी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि जब वह हमारा प्लांट बंद हो गया, वह चल ही नहीं रहा है तो उस ठोकर को कृपया करके आप हटाएं ताकि टेल तक पूरा पानी हम लोगों को पहुंचा सके। अधिकारियों को कह कर आप इस ठोकर का समाधान जरूर करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहती हूं कि अभी दो महीने पहले जब हमारे किसानों ने चार में से दो ग्रुप चलाने की मांग की थी तो कामरेडों ने और कांग्रेसियों ने वहां जाकर धरना प्रदर्शन भी किया। वहां पर सचिन पायलट जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता डूडी साहब भी आये थे। यह किसानों की बहुत बड़ी-बड़ी बात तो करते हैं, प्रतिपक्ष घड़साना रावला की हमेशा बात तो करते हैं लेकिन मैं इनको कहना चाहती हूं कि यह घडसाना में आये थे, सभापति महोदय, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वहां पर 200 किसानों की भीड यह इकट्ठी नहीं कर पाये और बात करते हैं बड़ी बड़ी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री सभापति: बिना परमिशन के जो बोला है, वह कुछ नहीं लिखना है।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): ये घड़साना और रावला के आंदोलन की बात करते हैं। इनके कैंडिडेट ने मात्र 12 हजार वोट लिये, ये वहां समाप्त हो गये। सिर्फ 12 हजार वोट, अपनी जमानत ही नहीं बचा पाये और उसके बाद हमारे मंत्रीजी को पता लगा, हमारे राजेंद्र भादू जी ने और विश्वनाथ जी ने बात की कि मंत्रीजी, हमें फसल के पकाव के लिये चार में से दो ग्रुप चाहिए। हमारे सभी विधायकों ने सभी किसानों से बात की और इन्होंने चार में से दो ग्रुप चलाने की घोषणा की और आज हमारे इलाके के अन्दर शानदार फसल खड़ी है। फिर भी मैं हमारे मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप किसानों को दो बार लगातार पानी दें, ताकि किसानों की बम्पर फसल हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री नारायण सिंह जी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 और 46 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। 'बादल बन अमृत बरसता, बन झरना सबको भाता, नदियां बनकर यह कल कल बहता, सीप का मोती बनकर भाता'। माननीय सभापति महोदय, पूरी पृथ्वी 71 परसेंट जल से घिरी हुई है और हमारे राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ने के कारण पानी की समस्या रहती है। प्रदेश में सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत है। राजस्थान में पेयजल की बात करें तो वर्तमान में 32785 परियोजनाएं चल रही हैं और इसमें करीब 2675 पाइप लाइन और 18158 हैण्डपम्प से पानी की आपूर्ति हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की कुछ बातों की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले में, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा में पीने के पानी के लिये डीआर प्रोजेक्ट स्वीकृत है और इसमें करीब 481 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। अभी तक हम लोगों को करीब 241 करोड़ का बजट मिल गया है और इसमें से हम लोगों के 197 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और अधिकारियों का भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस डी.आर. परियोजना का काम मार्च, 2014 में पूरा होना था। कुछ ठेकेदारों और जो कांट्रेक्टर हैं, उनकी लापरवाही के कारण यह काम अभी तक नहीं हुआ है। अभी यह मार्च, 2018 तक पूरा होना है। अभी जुलाई में जो अतिवृष्टि हुई है, उसमें हमारे सांचौर की मुख्य कैनाल टूटने के कारण ढाई सौ करोड़ मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि यह अगस्त, 2018 तक यह काम पूरा हो जाए, ताकि पीने के लिये हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 67 नए ट्यूबवैल, आर.ओ. और सोलर के लिये 29 करोड़ रुपये दिये हैं, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जालौर जिले में मंत्री महोदय ने 242 आर.ओ. दिये हैं और इन आर.ओ. का रखरखाव कंपनी को करना होता है, परन्तु एक साल से रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ा, करड़ा, शिलासन, टिटो, गुंदाऊ, लूणियासर, खारा, देवड़ा और

(श्री नारायण सिंह देवल)

इसके साथ ही जिले में कई जगहों पर आर.ओ. प्लांट खराब पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आर.ओ. प्लांट जल्दी से ठीक किये जाएं।

इसके अलावा मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जैसे पम्प सैट जलते हैं तो उनको समय पर नहीं बदला जाता है। उसका एक कारण यह भी है कि सब-डिवीजन में कुछ पम्पसैट्स आप एडवांस में रखें। कई बार टेंडर नहीं हो पाते हैं। लोडिंग-अनलोडिंग के टेंडर नहीं हो पाते हैं। समय अधिक होने के कारण कई बार फाइनेंस कमेटी के पास भी यह सारा मामला आता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि सब-डिवीजनल स्तर आप पम्प सैट भी रखें और पाइप लाइन भी रखें। कोई लीकेज है तो वह अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से आसानी से बदल सकें। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां विशेषकर सांचौर एक्स.ई.एन. आफिस में भारी लापरवाही है। आपने तीन-चार महीने पहले दूंगा और खाबरोल ढाणी में ट्यूबवैल दिये थे। गर्मी भी आ रही है, परन्तु कर्मचारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण आज दिन तक वे ट्यूबवैल नहीं खोदे हैं। पिछली जुलाई में जालौर जिले में अतिवृष्टि हुई थी। उस अतिवृष्टि के कारण हमारी पाइप लाइन, सड़कें, बिजली के पोल बह गये थे। मंत्री महोदय खुद भी वहां पर पधारे थे। कई ढाणियों और गांवों की जो पाइप लाइन थी, वे पानी में बह गयीं। मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने पाइप लाइन दी थी, परन्तु उन पाइप लाइन से अभी भी कुछ ढाणियां वंचित हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप 50-60 किलोमीटर पाइपलाइन की स्वीकृति दिलाएं ताकि वंचित ढाणियां इससे जुड़ सकें और गर्मी में उनको लाभ मिल सके।

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं और नयी भर्ती भी नहीं हो रही हैं तो जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनमें जो अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं तो आप उनको संविदा पर लगाएं। क्योंकि कर्मचारी नहीं हैं और कुछ रेवन्यू विलेज बहुत बड़े हैं, तो वहां पर उसका रखरखाव कौन करेगा? मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ पैसा हमारी पंचायतों में पीने के पानी के लिये आता है और अगर पंचायत जी.एल.आर. या टंकी बनाना चाहता है तो कुछ जगह जैसे सांचौर जिले में एन.ओ.सी. नहीं देने के कारण वह काम नहीं हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी एन.ओ.सी. देने के लिये एक आदेश फर्माएं।

(श्री नारायण सिंह देवल)

इसके अलावा मैं सिंचाई के ऊपर मेरी बात रखना चाहूंगा। इस बजट में करीब 52 हजार करोड़ रुपये की लागत से कई परियोजनाओं की स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है तो इससे राजस्थान में बहुत बड़ा लाभ होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में मंत्रीजी ने करीब 13 करोड़ रुपये सात नये और पुराने बांधों के लिये स्वीकृत किये हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। पिछली जुलाई में रानीवाड़ा और जालौर में करीब 1200 मिलीमीटर बारिश हुई और 48 घंटे के अन्दर चार सौ से साढ़े चार सौ मिलीमीटर बारिश होने के कारण रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सारे एनिकट व बांध और खडीन बह गयी है। उसी कड़ी में जैतपुरा का जो बांध था, वह भी टूट जाने के कारण उसके पूर्व की साइड में करीब डेढ़ सौ मीटर की मिट्टी की बनी हुई दीवार टूटने के कारण खेतों में भारी नुकसान हुआ। कई घर बह गये, जान-माल का नुकसान हुआ और पशुओं का भी हुआ। किसानों के जो खेत हैं, उनको वहां जाकर देख भी नहीं सकते तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। वैसे मंत्रीजी बहुत ही सज्जन हैं और मैं आशा करता हूं कि आज ही जैतपुरा बांध की स्वीकृति की घोषणा करेंगे।

(18.00 बजे)

दूसरा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि रानीवाड़ा विधान सभा में एक राजी का बास बांध है, वह भी टूटा हुआ है। इसका विभागीय परीक्षण भी हो गया है। ज्योलोजिकल सर्वे भी हो गया है। उसकी रिपोर्ट यहां तक आ गई है। इसकी स्वीकृति के लिए भी मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

तीसरी बात मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट के अन्दर आपने वणधर बांध के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए दिये थे, वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर बारिश आ गई तो वह काम भी जल्दी से चालू हो और उस बांध के अन्दर माइनर की आवश्यकता है ताकि किसानों के खेतों में पानी मिल सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सांचौर से लगती हुई 11 पंचायतें...(व्यवधान)

श्री सभापति: वक्तव्य पूरा होने के बाद होता है। पहले नहीं होता है।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): व्यवस्था का प्रश्न है। दस प्रतिशत सदस्य भी सदन में नहीं हैं। सदन इस स्थिति में नहीं चल सकता। आपको तो पता है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप गिन लीजिए, कितने हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): गिनो, 19 जने हैं सिर्फ, 20 जने नहीं हैं यहां, 20 जनों के बिना सदन नहीं चल सकता। बाकी आपकी मर्जी है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सांचौर से लगती हुई रानीवाड़ा विधान सभा की 11 पंचायतें हैं और उन 11 पंचायतों के बीच में से नर्मदा की माइनर....

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापति महोदय, व्यवस्था तो करवाइए कम से कम। इस हालत में सदन चल रहा है। दस परसेंट सदस्य भी यहां मौजूद नहीं हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने दो लोगों को बाहर निकलने को कहा। उनको बाहर निकलवाया। आपने दो लोगों को बाहर निकलवाया अभी।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): यह व्यवस्था का प्रश्न है, राठौड़ साहब। मैं सभापति महोदय को निवेदन कर रहा हूं। यह सदन के प्रसंज्ञान में जरूर लिया जाए कि दस प्रतिशत सदस्य नहीं होते हुए भी सदन चल रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): हैं न, गिनो न, आप गिनती तो करो।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सांचौर से सटी हुई रानीवाड़ा विधान सभा की 11 पंचायतें हैं, उन 11 पंचायतों के पास से नर्मदा नदी की माइनर चल रही है और सांचौर व चितलवाड़ा तहसील के कई गांवों में, खेतों में खार या लवणयुक्त टाइप हो गया है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): धीरे-धीरे जमीन बंजर हो जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए रानीवाड़ा विधान सभा की जो 11 पंचायतें हैं सुरावा, गुगदाऊ, सांकड़पुर, दांता, पांचला, सीड़िया, नैनोल। वहां पर आप निर्देश दें कि वहां धीरे-धीरे पानी काम नहीं आएगा तो इन गांवों को फायदा मिले। आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रामलाल जी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): निर्देश जरूर छोटा-सा दें। कम से कम दस परसेंट सदस्य तो रहें। प्लीज निर्देशित करें।

श्री सभापति: दस परसेंट सदस्य यहां हैं।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): वह आप देख लें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): जब माननीय सदस्य ने उठाया था, उस समय नहीं थे, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप तो बाहर थे। तब भी थे और अब भी हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46 सिंचाई के ऊपर मुझे विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय यदि वास्तविकता में हम देखें तो आज प्रदेश के अन्दर चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, इन दोनों ही स्थितियों में आम आदमी के मन की अभिव्यक्ति अगर मैं शब्दों के माध्यम से करना चाहूं तो सभापति महोदय मैं यह कह सकता हूं- "धरती जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे कुंए तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पर बरस जाना हे मेघा किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है।"

सभापति महोदय, यह वास्तविकता है। इस पानी की वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी कई जगह मुश्किल हो जाता है। यह भी कटु सत्य है कि इस पानी का कोई विकल्प भी नहीं है। यह प्रकृति का प्रसाद है। वैज्ञानिकों ने अभी इतनी प्रगति भी नहीं की है कि पानी का कोई विकल्प तैयार कर सकें। कोई ऐसा कैप्सूल या टैबलेट का भी आविष्कार नहीं हुआ जिसको लेने से शरीर के अन्दर पानी की आपूर्ति हो सकती है। सभापति महोदय, प्राकृतिक प्रसाद को बचाना, वाटर रिचार्ज करना, बहते हुए पानी को रोकना और सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए, इंसान के लिए उपलब्ध कराना, यह हम सबके लिए एक चुनौती है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना भविष्य की चिंताओं को देखते हुए शुरू की और आज प्रदेश के अन्दर आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए यह योजना काम कर रही है। फर्स्ट फेज के अन्दर 3600 ग्राम पंचायतों को लिया गया, सैकिण्ड फेज के अन्दर 4200 ग्राम पंचायतों को लिया गया और थर्ड फेज के अंदर प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों के साथ शहरी क्षेत्रों के अन्दर

(श्री रामलाल शर्मा)

भी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू की गई। यह जन-जागृति का एक अभियान है और आने वाले समय के अन्दर इसके बेहतरीन परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की चिंता जाहिर की। यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि यदि आज से तीस साल पीछे के जयपुर जिले की हम बात करें तो तीस साल पहले कई नदियां जिनके अन्दर त्रिवेणी नदी है, बांडी नदी भी है, मेंडा नदी भी है और इन नदियों के अन्दर जल हमेशा 12 महीने बहता हुआ दिखाई देता था। आज इन तीस सालों के अन्दर पूरे का पूरा ज्योग्राफिकल सिस्टम चैंज हो गया। आज बहता हुआ जल तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर इन नदियों के अन्दर कई फीट गहराई पर भी हम खोदकर देखें तो पानी मिलना मुश्किल है। सभापति महोदय, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है कि विरासत के अन्दर आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? अभी झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी कि जब रामगढ़ का पानी जयपुर में लाया गया था तो जयपुर के बाशिंदे यह कहते थे कि अब तो गयी सौ साल की और सौ साल के अन्दर जयपुर के बाशिंदों को पीने के पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन तत्कालीन समय के अन्दर रामगढ़ का बांध 15-20 साल से ज्यादा वह चल नहीं पाया। आज पूरा जयपुर ही नहीं आसपास के कई जिले बीसलपुर के ऊपर डिपेंड हैं। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, पेयजल की जो कमी आ रही है, उसको देखते हुए हमारे को विकल्पों के ऊपर चिंता करनी चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, उसके ऊपर अभी से काम शुरू भी करना चाहिए।

आज यदि जयपुर जिले के अन्दर हम देखें तो रामगढ़ का बांध खाली है, बुचारा का बांध खाली है, कालख का बांध खाली है, जो सांभर झील पूरे जिले की प्रसिद्ध झील थी, जो विश्व के मानचित्र पर भी है, आज वह झील सूखने के कगार पर पहुंच गई। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि इन प्राकृतिक स्रोतो को हम किस तरीके से पुनर्जीवित कर सकते हैं या बरसात के पानी को रोककर हम किस तरीके से इनका सदुपयोग कर सकते हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सामोद के अन्दर एक राजोला का बांध था। 1996 के अन्दर तेज बरसात की वजह से राजोला का बांध टूट कर बहकर चला गया और आज स्थिति यह है कि उस एक बांध की वजह से महार और सामोद के अन्दर वाटर रिचार्ज होता था। किसानों के

(श्री रामलाल शर्मा)

ट्यूबवैलों के अन्दर पानी रहता था। आज महार और सामोद के अंदर भी दूसरी जगह से पीने का पानी लाया जा रहा है। इसलिए एक तो सामोद का जो राजोला का बांध टूट गया था, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजोला के बांध को पुन: तैयार कराया जाए ताकि उसके अन्दर बरसात का पानी इकट्ठा हो सके।

सभापति महोदय, सरकार ने बेहतरीन योजनाएं पिछले चार सालों के अन्दर दी हैं। चाहे वह नहरों के सुदृढ़ीकरण की योजना हो, चाहे वह नदियों को जोड़ने की योजना हो, चाहे फ्लोराइड पानी से मुक्ति देने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाने का काम हो। इन चार सालों के अन्दर यह वास्तविकता है कि कहीं पर भी छोटा-मोटा पीने के पानी का विरोध देखने को मिलता हो, वह बात अलग है, लेकिन कोई गम्भीर समस्या या पीने के पानी के लिए लोग सड़कों पर नहीं आएं। यह सरकार के कुशल प्रबंधन का परिणाम है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को भी धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करूंगा कि आज वर्तमान के अन्दर जिस तरीके से कई कांग्रेस के माननीय सदस्य इस प्रकार से सदन के अन्दर अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि सारी की सारी समस्याएं पिछले चार सालों के अन्दर आयी हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले चार सालों के अन्दर पीने के पानी की जितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, अगर तत्कालीन समय की सरकारें इसकी चिंता करतीं तो मेरे खयाल से आज यह समस्याएं हमारे सामने दिखाई नहीं देती। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि ...(व्यवधान) घनश्याम जी मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। भविष्य के गर्भ में किसी का कुछ छिपा हुआ नहीं है। आज आप मोटर साइकिल से आए थे, हो सकता है कल साइकिल के लायक भी नहीं रहो। ज्यादा बड़ी बातें मत करो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मेरी चौमूं नगरपालिका जो क्षेत्र है, उस नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर 2012 के अन्दर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में पीएचईडी से वाटर सप्लाई हटाकर नगरपालिका को हैंड ओवर की थी। मेरे खयाल से नगरपालिका उस पेयजल व्यवस्था को संभाल पाने में सक्षम नहीं है, पर्याप्त नहीं है...

(श्री रामलाल शर्मा)

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह नगरपालिका को पेयजल आपूर्ति हैंड ओवर की गई थी उसको वापस पीएचईडी के माध्यम से कराया जाए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 4 सालों में बहुत से काम हुए हैं। छाटी-छोटी पेयजल योजनाएं गांव-ढाणियों को जोड़ने के लिए बनाई गई हैं। मैं मंत्री महोदय को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि मेरे नागल बगड़ी में सवा दो करोड़ की एक पेयजल योजना पिछले चार-पांच दिन पहले ही इन्होंने स्वीकृत की है। कालाडेरा के अन्दर भी है, देवपुरा के अन्दर भी है, सीतारामपुरा भी है, डेहरा भी है, सामोद और महार के अन्दर भी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई। उसके लिए भी मंत्रीजी का धन्यवाद दूंगा।

मंत्रीजी, मेरी तीन-चार छोटी-छोटी पेयजल योजनाएं हैं। वैसे तो मुझे यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका उदार मन, उदार हृदय है और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुल्तानपुरा, सामोद, महार हाडौता, कानरपुरा, गोविन्दगढ़, खनिपुरा, ढोढसर, गुडल्या, आस्टी, कालाडेरा, बारावालो की ढाणी आदि के अन्दर छोटी-मोटी पेयजल की समस्या है। आपसे मेरा विनम्र शब्दों में इतना निवेदन है कि इनका तखमीना बनाकर, जितनी जल्दी हो सके आपके विभाग के सामने हम प्रस्तुत हो सकें, तो जितना जल्दी हो सके इनकी पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए आप इनको स्वीकृत करने का काम करें।

सभापति महोदय, अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि पेयजल योजना के अंदर आपकी जो भी स्कीम है, वास्तविकता है कि मैन पावर की वजह से कई जगह पानी की आपूर्ति में व्यवधान पैदा होता है। मैन पावर की व्यवस्था आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपके हैंडपम्प मिस्त्री को पेयजल आपूर्ति की सुचारु व्यवस्था करने के लिए उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों को निर्देश दे सकते हैं कि वह स्थानीय मद से उनकी व्यवस्था करें। कई पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ आदमी के अभाव में वह सुचारु रूप से चल नहीं पा रही हैं। इसलिए इस बात को आप गम्भीरता से लेते हुए इसके समाधान का क्या रास्ता निकल सकता है वह भी निकले।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक अंतिम निवेदन और करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 20 लाख से 50 लाख रुपये

(श्री रामलाल शर्मा)

तक के लोग मकान बना रहे हैं लेकिन 50 हजार रुपये वाटर रिचार्ज पर वह खर्च नहीं कर रहे। आपका कानून भी बना हुआ है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी इतने वर्गमीटर का कोई मकान बनाता है तो उसमें वाटर रिचार्ज का सिस्टम लागू करना उसके लिए नितांत आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में बड़े-बड़े काम्प्लेक्स बन रहे हैं लेकिन उन नियमों के अभाव में, इसको गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी के लिए हम विरासत में जल छोड़ पाए उसके लिए कठोर कानून बनाने की भी आवश्यकता है। बरसात का पानी बहकर व्यर्थ जाता है उसको किस तरह से रोककर जमीन में डाल सकते हैं या उसको इकट्ठा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री भंवरसिंह जी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं है?

श्री सभापति: आपका नाम आएगा, नैक्स्ट आप ही हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 पेयजल योजना, मांग संख्या-46 सिंचाई व इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आपने वक्तव्य देने का समय दिया, आपका आभार।

सभापति महोदय, अभी सदन में करीब तीन-चार घंटे पहले किसानों के मुद्दे पर प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा अपना विरोध प्रकट किया जा रहा था, तब हमारे माननीय इर्रिगेशन मंत्री महोदय इतने गुस्से में आ गए, इतना आवेश में आ गए कि न जाने किस तरह के शब्द, शायद हम यहां इस सदन में बोल नहीं सकते, सदन में इस प्रकार से उन्होंने हमें संबोधित किया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): कोई शब्द मंत्रीजी ने नहीं कहे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): वह आपने भी सुने, हमने भी सुने। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र (डग): हमने भी सुने, ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने यह कहा था कि आज इतनी बड़ी किसानों की मांग पर चर्चा है, उस पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उन शब्दों को विलोपित भी करवा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अच्छी मांग है वास्तव में, लेकिन आपके हाल देखो, 160 में से कितने हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्री रामचन्द्र (डग): सब अपने-अपने बांध का प्रयोजन करने के लिए बाहर बैठे हैं। सब ला रहे हैं अपनी अपनी पर्ची। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाहर क्या कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष की हालत देखिए।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य दीजिए। जिस विषय के लिए खड़े हुए हैं वह बोलिए आप तो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): किसानों के मुद्दे पर मंत्री महोदय हमारे ऊपर इतना आवेशित हो रहे थे और सत्ता पक्ष की लाबी, हां पक्ष लाबी है, अभी कुछ समय पहले ऐसी स्थिति आ गई थी कि संख्या 20 से कम हो गई थी।

श्री सभापति: नहीं हुई थी कम, 20 से अधिक थी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, हमारे सरकारी उप सचेतक महोदय, मदन जी राठौड़ साहब, लाबी में इधर-उधर भागकर, लेकर आए, जैसे-तैसे उन्होंने हाउस को आर्डर में लाने का....

श्री सभापति: सदन में सदस्य संख्या नियमानुसार थी और अभी भी है। आप अपना वक्तव्य दें, जिसके लिए आप खड़े हुए हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, आप आसन पर विराज रहे हैं, आपका वक्तव्य सर्वोपरि है। मैं हमारे बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर ज़िलों की लाइफ लाइन कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करना चाहूंगा। हमारे इन तीन-चार ज़िलों में सिंचाई का मुख्य स्रोत इंदिरा गांधी नहर है।

सबसे पहले मैं मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान का पानी जल वितरण का वरीयता क्रम चल रहा है वह 28 फरवरी को समाप्त होने जा रहा है। बीकानेर और जैसलमेर

(श्री भंवरसिंह)

जिला जो सैकिण्ड फैज में आता है मैं उसकी बात करना चाहूंगा। प्रथम और द्वितीय चरण में जो बिजाई का समय होता है उसमें थोड़ा फर्क होता है। हम सैकिण्ड फैज के बीकानेर, जैसलमेर ज़िले के किसान हैं वह थोड़ी देरी से बिजाई करते हैं। 28 फरवरी का सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया कि पानी बंद करने जा रहे हैं। अगर 28 फरवरी को सिंचाई का पानी बंद कर दिया जाता है तो किसानों की पकी-पकाई फसल है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। किसान वैसे भी बुरे दिनों से गुजर रहा है।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि बहुत कम समय है, आप जब अपना वक्तव्य दें तो, 28 फरवरी के बाद मार्च का महीना है, 28 फरवरी को समाप्त होने वाले रेगुलेशन को, लगातार चार में से दो समूह की दो बारियां बनाकर, कम से कम दो बारियां अतिरिक्त बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ ज़िले के किसानों को दिलवाएं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, यह चार ज़िले सिंचाई इंदिरा गांधी नहर से करते हैं और पेयजल भी इसी नहर से पीते हैं। इसके साथ-साथ करीब राज्य के 10-12 ज़िलों में इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल हेतु भी जाता है।

सभापति महोदय, पंजाब की औद्योगिक इकाइयां हैं उनका प्रदूषित पानी, पंजाब के कई शहरों का गंदा और रासायनिक पानी इंदिरा गांधी नहर में डाला जा रहा है। उस पानी को दस ज़िलों के लोग पी रहे हैं। वहां की जनता में कैंसर जैसी भयावह बीमारियां फैल रही हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करके, गंदे पानी को, गंगा का पानी आ रहा है जिसे हम अमृत के रूप में मानते हैं उसको शुद्ध करवाया जाए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी का बंटवारा है वह इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण के किसानों को हजार हैक्टेयर पर 5.23 क्यूसैक्स पानी सिंचाई के लिए मिलता है। जबकि द्वितीय चरण के किसानों को हजार हैक्टेयर पर 3 क्यूसैक्स पानी ही दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, हमारी जमीन ज्यादा रेतीली है। वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, तापमान भी ज्यादा रहता है। जमीन पानी भी ज्यादा सोखती है। मैं

(श्री भंवरसिंह)

समझता हूं कि हमारे बीकानेर और जैसलमेर जिले के किसानों के साथ अन्याय है।

सभापति महोदय, वर्ष 2000 या 2001 में राज्य सरकार के एक आदेश से प्रथम चरण के किसानों को 3.50 क्यूसैक्स प्रति एक हजार हैक्टेयर तथा द्वितीय चरण् के किसानों को 3 क्यूसैक्स प्रति एक हजार हैक्टेयर करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण के पानी का बंटवारा है वह राज्य सरकार द्वारा, खुद के निर्णय पर आज तक नहीं किया गया है। जिससे द्वितीय चरण के बीकानेर, जैसलमेर जिले का क्षेत्र है, नहर से सिंचित होना प्रस्तावित था उस क्षेत्र के किसानों को आज भी नहर के पानी का इंतजार है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्ष 2000 में राज्य सरकार के द्वारा किए गए जल बंटवारा प्रथम और द्वितीय चरण को लागू करके सिंचाई से वंचित क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जल वितरण और परामर्शदात्री समिति है उनकी अलग-अलग जगह बैठक होती है। विधायकों और अधिकारियों की प्रथम चरण की बैठक हनुमानगढ़ में होती है। द्वितीय चरण की जैसलमेर में होती है। दो अलग-अलग जगह बैठक होने से, नहर एक है लेकिन अलग-अलग जगह बैठक होने की वजह से सही निर्णय नहीं हो पाता है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर सम्भागीय मुख्यालय भी है और बीकानेर में सी.ए.डी. कमिश्नर भी बैठते हैं। पहले बीकानेर में रेगुलेशन कमेटी की बैठक होती भी रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी समय में दोनों जिलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो अधिकारी हैं उनको बीकानेर बुलाकर बीकानेर सम्भाग मुख्यालय पर वाटर रेगुलेशन कमेटी की बैठक करवाई जाए।

सभापति महोदय, हमारे नहरी क्षेत्र की वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है टेल्स पर पानी नहीं पहुंचने की। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र की जो नहरें हैं, चाहे चारणवाली ब्रांच है, चाहे बरसलपुर ब्रांच है, चाहे भूरासर ब्रांच है, चाहे कोलायत लिफ्ट है, चाहे गजनेर लिफ्ट है, चाहे बांगड़सर लिफ्ट है, इसके अलावा भी, जितनी भी हमारी नहरें हैं

(श्री भंवरसिंह)

उनकी टेल्स पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसका सबसे मुख्य जो कारण है, एक तो विभाग में ए.ईएन., जे.ईएन., एक्स.ईएन. के पदों पर तो फिर भी अधिकारी कार्यरत हैं, लेकिन नीचे का जो स्टाफ है, उसमें जो बेलदार हैं, जो चौकीदार हैं, जो पटवारी हैं, वे सारे के सारे पद लगातार खाली होते जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पानी की चोरी रोकने के लिये हमारे जिलों में जो कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों को भी प्रभावी किया जाये और उसके साथ-साथ जो नहर विभाग में हमारे खाली पद हैं, उन पदों को भी भरा जाये।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बांगड़सर लिफ्ट एक नहर चलती है। उस नहर के ...(व्यवधान) पांच मिनट में मैं करूंगा, सर।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं। नहीं, नहीं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पी.एच.ई.डी. के थोड़े, दो मिनट और।

बांगड़सर लिफ्ट के, जहां से नहर निकल रही है, उस नहर के नीचे, आसपास के जो किसान हैं, नहर से दस फीट नीचे किसानों के खेत हैं, उसके बावजूद उस पूरे बांगड़सर गांव के एरिये को असिंचित छोड़ दिया गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांगड़सर लिफ्ट के तहत जो वंचित किसान हैं, उनका दुबारा सर्वे करवाकर पुन: इस बांगड़सर क्षेत्र को कमाण्ड घोषित किया जाए। उसके साथ-साथ हमारी जो लिफ्ट नहरें हैं, उसमें रोजाना मोटरें खराब होने आदि की शिकायतें होती हैं। मैं इस पर भी ध्यान देने की बात करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पेयजल के बारे में मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, बीकानेर जिले की नोखा और कोलायत विधान सभा क्षेत्र के लिये साढे चार सौ करोड़ की एक पेयजल योजना हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद उस योजना को ठण्डे बस्ते में समीक्षा समिति में डाल दिया गया और बीकानेर तहसील के मेरे क्षेत्र के गांव, प्लस पूरा नोखा विधान सभा क्षेत्र उससे वंचित हो गया। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चार साल बीत गये, कम से कम अब इस योजना पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की कोलायत और गजनेर लिफ्ट की जो पेयजल योजना है, उसमें पूरे गांव का एक मीटर लगा दिया गया है। उसमें पूरे

(श्री भंवरसिंह)

गांव का एक बिल दे दिया जाता है। घर-घर कनेक्शन नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि या तो घर-घर में घरेलू कनेक्शन दिया जाए, अन्यथा इस योजना को, जैसे गांव में नि:शुल्क पानी पिलाया जाता है, उसी प्रकार से पिलाया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक-दो शब्द मैं और कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो ट्यूबवैल, छह घण्टे कृषि फीडर से जुड़े हुए हैं, उनको 24 घण्टे बिजली फीडर से जोड़ा जाए। ताकि कम से कम वहां लगातार लाइट रह सके।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मैं कुछ, एक-दो मांग करना चाहूंगा।

श्री सभापति: जल्दी कर लें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मेरे विधान सभा क्षेत्र का बांगड़सर लिफ्ट के दस किलोमीटर से बीटनोक और अन्य दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली एक पेयजल योजना है, जो बहुत पुरानी है और उससे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो उस योजना को, संवर्द्धन की जो योजना बनाई गई है, उसको मंत्री महोदय मंगवा करके अनुमति प्रदान करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र का सेवड़ा, नगरासर, ये दो ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां योजना होने के बावजूद गांव की ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसके लिये भी एक नवीन योजना विचाराधीन है, उसको भी मैं स्वीकृत करवाने के लिये अनुरोध करना चाहूंगा।

लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव गोविन्दसर और लाखासर, दो ऐसे गांव हैं, जो सौ परसेंट पानी से वंचित हैं। वहां भूमिगत पानी भी खारा है और नहर का पानी भी नहीं मिलता है। लोग टैंकरों से पानी ला करके पीने को मजबूर हैं। अत: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों गांवों को भी एक पेयजल योजना बनाकर स्वीकृत किया जाए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य, बहुत धन्यवाद।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे ही

(श्री भंवरसिंह)

नहीं, बीकानेर जिले में पांच सौ रुपये, जो पेयजल योजना का संधारण करने वाले लोग हैं, उनको मात्र पांच सौ रुपये दिये जाते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रकान्ताजी मेघवाल।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): जो यह कर्मचारी हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं। उनको पांच सौ रुपये के स्थान पर एक न्यूनतम जो वेजेज सरकार का है, कम से कम वह तो दिया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, आपने समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मांग संख्या 27 और 46, पेयजल और सिंचाई पर चर्चा हो रही है। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं रहीम दास जी के एक दोहे से अपनी बात को शुरु करना चाहूंगी।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुस, चून"

इस दोहे को रहीमदासजी ने जनता में पानी के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिये उस समय भी इसका बखान किया। उसी तर्ज पर राजस्थान की मुख्य मंत्री सम्माननीय वसुंधरा राजेजी ने 27 जनवरी, 2016 को इस राजस्थान की धरती पर मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना का शुभारम्भ करके इस राजस्थान की जनता के प्रति जो जवाबदेही उनकी थी, न केवल उसके प्रति उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, बल्कि इस पूरे राजस्थान की, जो धोरों का राजस्थान कहलाता है, रेतीला राजस्थान कहलाता है, उन सभी जगहों पर नदियां बहाने का काम किया, नये तालाब बनाने का काम किया, नये डैम बनाने का काम किया, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं इस बात के लिये सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि मैं खुद एक ऐसे एरिये से आती हूं, एक ऐसी विधान सभा से आती हूं, जहां के किसानों के माथे पर डार्क जोन का एक काला धब्बा लगा हुआ है। जिसकी वजह से न तो किसी तरह का उनको लोन मिल पाता है, न किसी तरह की उनको सुविधा मिल पाती है। इवन, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के समय सम्माननीय सी.एम. साहिबा ने पचपाड़ पेयजल योजना का जो शुभारम्भ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किया, मैं कहूंगी कि उसी योजना के मार्फत एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चम्बल का पानी वहां की जनता तक पहुंचा। आज उस योजना के मार्फत वहां की जनता पेयजल के लिये उसको काम ले रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि रामगंजमण्डी की धरती पर इस योजना के मार्फत, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कि तकली सिंचाई परियोजना के अलावा और किसी तरह के मिनी डैम वहां पर बन सकते हैं, तालाब वहां पर बन सकते हैं, तलाई वहां पर बन सकती है, या कोई एनीकट वहां पर बन सकता है। लेकिन इस योजना के मार्फत करोड़ों रुपये खर्च करके हम देख रहे हैं सहरावदा का डैम बनाया, जिससे आज हमारे वहां के किसान कृषि कर रहे हैं। हमने अमजान नदी पर एनीकट बनाया। जिसका लाभ वहां के किसानों को मिला। हमने धन्नावत का तालाब बनाया। आज उसका भी हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। फावा का तालाब, जिसके लिये लगातार 15 सालों से मांग हो रही थी, आज वह भी स्वीकृत हुआ है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस तालाब के बनने के बाद वहां के किसानों की तकदीर बदलेगी, उनकी तकदीर संवरेगी और जिस पेयजल संकट से वे जूझ रहे हैं, कहीं न कहीं उस पेयजल संकट में भी उनको इससे रिलीफ मिलेगा। इस बात के लिये मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि रींची के अन्दर मिनी डैम बनाया। उस मिनी डैम से जो हमारे आसपास के गांव हैं, उन्हें पेयजल में भी राहत मिली और कृषि में भी कहीं न कहीं उनको इससे राहत मिली है। यह हमारे लिये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही जब हमने तीसरे फेज को शुरु किया, उस समय मैं खुद एक एनीकट, जो हमारा खेड़ली में अमजान नदी पर मनोहरपुरा में बनना था, उनका हमने शुभारम्भ भी किया। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस योजना के निमित्त जो वन विभाग द्वारा कार्य किये गये, जो तालाब बनाया गया, कहीं न कहीं, जो टेक्नीकल फाल्ट उन तालाबों में रहा, उसमें भी अगर हम जरा सा सुधार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो कुदायला का तालाब है, उसका बहुत ज्यादा लाभ वहां की जनता को मिल सकता है। यह मैं कहना चाहती हूं। (व्यवधान) क्या साहब, मैं तो कुछ बोली ही नहीं।

श्री सभापति: आप बोलें। आप कंटीन्यू बोलते रहें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): नहीं, आप गर्दन हिला रहे हैं तो मुझे लगा कि मेरे को बैठने के लिए बोल रहे हो।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, टाइम पूरा होते ही मैं गर्दन हिलाऊंगा, पहले नहीं हिलाऊंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ धन्यवाद ही दूंगी, आप चिंता मत करो।

मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने 2006 और 2007 में रामगंजमण्डी के किसानों की तकदीर बदलने के लिए तकली मध्यम सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया, उसका इनोगरेशन, उस समय सांसद हुआ करते थे हमारे सम्माननीय कृपलानीजी भाई साहब, वह करके आए। लेकिन, सरकार की एक अच्छी सोच थी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास वहां की जनता लगातार दिखा रही है, जो विश्वास जता रही है, उसी के निमित्त उन्हें यह योजना मिली है। मैं इस योजना के लिए, सम्माननीय मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं लगातार उनको तीन-चार दिन से अवगत करवा रही हूं कि वहां के किसानों के साथ क्योंकि मैं सी.एम. साहब से मिली, उनकी मंशा अच्छी है। सम्माननीय मंत्री महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन मात्र कुछ अधिकारियों की कुछ गलती की वजह से 1500 किसानों के साथ अन्याय होने वाला है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत करवाना चाहूंगी कि जो स्कीम, जिसके लिए आपने सब कुछ मुझे, अधिकारियों ने जो पत्र लिखे सरकार को ऊपर तक, वह भी मेरे पास एक-एक पत्र मौजूद है, मैं उसके निमित्त यह बताना चाहूंगी कि 4.12.2006 को आपने धारा-4 की कार्यवाही की बांध की भूमि को अवाप्त करने के लिए। फिर 22.12.2006 को धारा-6 की कार्यवाही आपने की। उसके बाद 26.12.2006 को अतिरिक्त भूमि को भी अवाप्त किया। कुल मिलाकर पांच टुकड़ों में आपने इस भूमि को अवाप्त किया, यह सारा मेरे पास एक-एक तारीख सहित है और दुबारा से जब गांव को उठाने की बात आई तो उस समय आपने 28.6.2011 को धारा-4 की कार्यवाही के लिए सरकार के पास ऊपर आपने पत्रावली भेजी। 29.3.2012 को आपकी धारा-6 की कार्यवाही हुई उसके बाद आपको यह भी मालूम होगा कि

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

29.12.2016 को नए एक्ट के तहत धारा-11 का प्रस्ताव, आपने अवार्ड बनाकर सरकार को भेजा।

मैं लगातार सम्माननीय सी.एम. साहिबा से मिल रही हूं, मंत्रीजी से मिल रही हूं, उन्हें बड़ा दु:ख है इस बात का कि मात्र एक अधिकारी की कलम से उन 1500 परिवारों का गला घोटा जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस एक-एक पत्रावली की जांच करे कि कितनी-कितनी तारीख को कब-कब उनकी भूमि को अवाप्त किया गया क्योंकि 106 किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि को आपने नई नीति जो 2013 की नीति है, उसके मार्फत आपने अवाप्त किया है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर इस ओर हमारा ध्यान नहीं गया तो मुझे लगता है कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हमारे हाथों से हो सकता है इसलिए दुबारा से विचार किया जाए। जो कोई अधिकारी की गलती रही हो, उसमें हम लोग सुधार करें और जिस तरह से भी हम उनको उचित मुआवजा दिलवा सकते हैं क्योंकि एक किसान का मुआवजा, अभी मकान का मुआवजा आया है, अभी चार दिन पहले उनकी बिजली भी काट दी गयी, उनको मुआवजा भी नहीं मिला और मुआवजा आया है 511 रुपये का। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या 511 रुपये में मकान बन सकता है? क्या 13 हजार रुपये में मकान बन सकता है? इन सारी बातों की अगर आपके मार्फत सरकार अधिकारियों से दुबारा जांच करवाएगी तो निश्चित तौर पर हम उन किसानों को न्याय दे पाएंगे।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने लगातार रामगंजमण्डी की धरती पर जो पथरीला इलाका है, जहां पर एक बूंद पानी के लिए जनता तरसती है, हैंड पम्प्स में हम यदि 600-700 फीट गहराई तक भी ट्यूबवैल खोदें तब भी पानी नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में जो सरकार के द्वारा स्कीम्स पास की गयी हैं, स्वीकृत की गयी हैं, मैं एक-एक स्कीम को बताना चाहूंगी तो मुझे यह लगता है कि काफी समय हो जाएगा लेकिन मैं पेयजल मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने लगातार एक के बाद एक, क्योंकि हम पचपाड़ पेयजल योजना की अभी वर्तमान में हमारी स्थिति ठीक नहीं है लेकिन आपने रामगंजमण्डी को, सुकेत को, साथ लखेड़ी को 16 करोड़, 13 करोड़ और 5 करोड़ रुपये की जो स्कीम दी है, निश्चित तौर पर उससे वहां की जनता की कायापलट होगी। लगातार धरना, प्रदर्शन वहां की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जनता पीने के पानी के लिए किया करती थी। कितने टैंकर वहां पर लगा करते थे? मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। मात्र सुकेत की हमारी जो पेयजल स्कीम है, उसके लिए आपके फाइनेंस में, वित्त विभाग में हमारी फाइल पड़ी हुई है अगर उसको भी आप दिखाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाएंगे तो मैं यह विश्वास के साथ बोल सकती हूं कि यह हमारी स्कीम जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ज्यादा कुछ नहीं बोली हूं अभी।

श्री सभापति: नहीं, ज्यादा कुछ नहीं पर समय तो रुकता नहीं है न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि कोटा का शहरी क्षेत्र भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। मुझे यह मालूम है कि सरकार के आने के बाद क्योंकि पहले हमारी जो 18 कालोनियां थीं, वह ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करती थीं लेकिन जैसे ही इस गवर्नमेंट के समय वह शहरी क्षेत्र में आईं, तब से आज तक पानी के लिए जूझ रही हैं।

आपने एक स्कीम बनाई है, मंत्रीजी के पास अभी वर्तमान में एक स्कीम पड़ी हुई है। पिछली बार जो हमने मिनी डैम बनाया अखिलगढ़ का, उससे हमने कहीं न कहीं यह सोचा था कि राहत मिलेगी लेकिन उसके बावजूद भी अभी पानी पूरी मात्रा में उनको नहीं मिल पा रहा है। हमने सोचा था कि हमको 13 एम.एल.डी. पानी मिनी अखिलगढ़ डैम बनने के बाद मिलेगा लेकिन हमें कभी 6 एम.एल.डी., कभी 8 एम.एल.डी., इस तरह का पानी दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो शहरी क्षेत्र की हमारी जो स्कीम आपके पास वर्तमान में 400 करोड़ के समथिंग की पड़ी हुई हैं अगर उसको आप स्वीकृत करेंगे तो कोटा शहर की जनता को शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): साहब, कुछ भी नहीं बोला अभी तो मैंने। माननीय सभापति महोदय, कुछ भी नहीं बोला।

श्री सभापति: कुछ भी नहीं बोला पर समय तो जा रहा है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): और साल भर में बोल रही हूं, साल भर में, मैं बीच में बोली भी नहीं। मेरा निवेदन है मैं कोई गलत, मात्र...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह हमारा विषय नहीं, यह तो संसदीय कार्य मंत्रीजी से कहें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं मंडाना एरिया, सम्माननीय सिंचाई मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, आप मंत्रीजी नोट कर रहे हैं। मंडाना एरिया जो डार्क जोन होने के साथ की साथ, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि पीने के पानी के लिए अभी वर्तमान में चार-चार किलोमीटर दूर जाकर एक मटका पानी लेकर वहां की महिलाएं आती हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपने जो स्कीम बनाई है, बोरावास पदमपुरा योजना जो स्कीम वहां की बनाई है, उस स्कीम में अधिकारियों के साथ मिल-बैठकर आप यह चर्चा करें कि आखिर में इस स्कीम को हमें कब पूरा करके देना था और इसमें क्या फाल्ट है, जिसकी वजह से यह स्कीम हमारी जल्दी से जल्दी पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उसमें हमारा व्यवधान आ रहा है कि जो हमारा हाई-वे का काम चल रहा है, फोर लेन का काम चल रहा है, उसके नीचे लगातार पाइप डाले जाते हैं और फोर लेन की जैसे ही जे.सी.बी. चलती है तो वह उस पाइप लाइन को फोड़ देती है तो कहीं न कहीं मिल बैठकर चर्चा करें क्योंकि इस तरह से काम चला तो हमारी यह स्कीम पूरी नहीं हो सकती। यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन उन लोगों के ऊपर रहेगी। हमारी पूरी नौ पंचायतें पानी के लिए जूझ रही हैं। लाड़पुरा और खेराबाद का सारा हिस्सा उसमें आता है।

मैं साथ ही साथ एक और निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे एरिया में आपने सिंचाई परियोजनाएं बनाईं, पेयजल परियोजनाएं बनाईं, बहुत कम समय लूंगी साहब, मैं कुछ नहीं बोली फिर भी मैं, आपका आदेश है तो मैं माननीय सभापति महोदय के आदेश की पालना करूंगी। मेरा यह निवेदन है कि जो मंडाना एरिया है, जिसमें कहीं न कहीं हमने, पिछले समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक सर्वे हमने करवाया था और उस समय हमने कहा था कि गांधी सागर बांध से पानी लाकर, एक तालाब है वहां पर उसमें पानी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

डाला जाए और मंडाना एरिया के लिए एक सिंचाई परियोजना बनाई जाए या चम्बल, आप देखिए डोला से हम लोग नीचे उतरेंगे तो आठ किलोमीटर पर चम्बल नदी है, हम कहीं न कहीं चम्बल से लिफ्ट परियोजना वहां के किसानों के लिए बनाएं, लगातार उन किसानों का धरना-प्रदर्शन चलता रहता है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अगर यह स्कीम भी हमने बनाई तो मुझे लगता है कि पूरे मंडाना एरिया की कायापलट हो जाएगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूं कि मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में कुछ जनता जल योजनाएं थीं जो काफी समय से बंद पड़ी हैं। मेरा निवेदन है कि सारी की सारी योजनाओं को क्योंकि पचपाड़ पेयजल स्कीम हमारी दम तोड़ चुकी है वर्तमान में, हम इन योजनाओं को पुन: चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो पाएगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक मिनट। दो मिनट का समय दे दें, साहब, मैं पढ़ देती हूं। मेरी कुछ मांगें हैं, वह पढ़ देती हूं। (व्यवधान).

श्री सभापति: सम्भव नहीं है। सम्भव ही नहीं है। हां, मांगें पढ़ो न आप। एक मिनट में पढ़ो बस।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हां, मैं पढ़ देती हूं, ठीक है, साहब? एक मिनट में, ठीक है, साहब। माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहती हूं अलोद ग्राम पंचायत के ग्राम ब्रहमा की छापर को सरकारी कुआ से पचपाड़ पेयजल योजना से डाइरेक्ट जोड़ने के लिए ऐसी कोई स्कीम बनाई जाए। क्योंकि वहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी है और 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऐसी स्कीम बने, इस स्कीम को चालू करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवर्तित हमारा चेचट, मोडक

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

और खेराबास, सराउदा आदि गांवों को शहरी क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुसार हम अगर पानी की दुबारा से कोई देंगे तो बहुत बड़ा लाभ इनको मिलेगा।

एकलिंगपुरा में रामगंजमण्डी की जो हमारी पुरानी पाइप लाइन है, जो पी.एच.सी.सी. वहां पर बनी हुई है, उसको बदलने की नितांत आवश्यकता है। अगर उसको नहीं बदला तो हमारी रामगंजमण्डी में पूरे के पूरे गांवों में बहुत बड़ी परेशानी हमारे लिये खड़ी होने वाली है और दूसरा रामगंजमण्डी सुकेत के साथ-साथ जो 14 गांवों की स्कीम बनाकर हमने भेजी है, उसे भी स्वीकृत किया जाए। दूसरा, हमारा जो कोटा शहर की 18 कालोनियां हैं, उनके लिये कहना चाहूंगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री हीरालाल जी नागर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, तकली सिंचाई परियोजना, प्लीज मेरा निवेदन है उन किसानों के बारे में विचार करें और इस स्कीम में उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए। दस लाख नहीं दें, कम से कम पांच लाख, क्योंकि नई नीति के तहत उन किसानों की भूमि की अवाप्ति का काम हुआ है। नई नीति से उन किसानों को कृषि का जो मुआवजा मिला है, तो उसके बाद मकानों का तो नई नीति से मिलना ही चाहिये। इस पर आप गौर फरमाएं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हीरालाल जी नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 व 46 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जनता के विश्वास का मान रखते हुए एक सशक्त और सम्पन्न राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ बजट में सिंचाई पर 52 हजार करोड़ की लागत से जो परियोजनाओं की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर का ध्यान रखते हुए सभी जिलों को सिंचाई एवं पेयजल की योजनाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है, निश्चित रूप से उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदया ने हमारी सिंचाई की विगत चार वर्षो में 50 हजार हैक्टेयर की नवीन योजनाओं की क्षमता का

(श्री हीरालाल नागर)

सृजन किया है। प्रदेश के 13 जिलों, जिनमें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, झालावाड़, अलवर, दौसा, बारां, धौलपुर की पेयजल की दीर्घकालीन सिंचाई परियोजनाओं को भी पूरा करने के लिये 47 हजार करोड़ की लागत से जो ई.आर.पी.सी. योजना की डी.पी.आर. केन्द्र के जल आयोग को प्रस्तुत कर योजना के तहत 26 जलाशयों को जोड़कर अधिक पानी उपलब्ध कराने का जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है, उसके लिये भी मैं धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ हमारा जो जल स्वावलम्बन अभियान था, एक इतनी बड़ी सोच के साथ इस प्रदेश में, जिसकी आज महती आवश्यकता थी, इस मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जो काम इस धरातल पर हुए हैं, निश्चित रूप से इतने कम समय में, इतने अधिक काम इस जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जो भूजल संरक्षण के लिये आवश्यक थे और इस राजस्थान जैसे विशिष्ट परिस्थिति वाले प्रदेश के लिये इसकी आवश्यकता थी। आज तक के इस शासन में कभी 53 साल शासन करने के बाद कांग्रेस सरकार ने नहीं सोचा। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रदेश के बारे में जो सपना देखा था, निश्चित रूप से जल स्वावलम्बन अभियान के द्वारा यह पूरा होगा और छोटे-छोटे तालाब और तलाई ही नहीं, बड़े-बड़े काम भी इसके द्वारा हुए हैं। चाहे वह फोरेस्ट के द्वारा हुए हों, चाहे वह भू-संरक्षण के द्वारा हुए हों, चाहे सिंचाई विभाग के द्वारा हुए हों, लेकिन निश्चित रूप से इसमें हर विधान सभा में कहीं न कहीं बड़े कामों के द्वारा यह तोहफा मिला है। आज इससे हमारा भूजल संरक्षण बढ़ा है और वहां डार्क जोन कम हुए हैं और प्रदेश को जल स्वावलम्बन में कई बड़ी सौगात इसके द्वारा दी गयी हैं। उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहीं न कहीं हर योजना के साथ, सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी, वह थी बहु-प्रतीक्षित मुख्य मंत्रीजी की एक महत्वपूर्ण योजना थी और वह हाड़ौती की एक जीवन धारा है परवन परियोजना, निश्चित रूप से उसके ऊपर कांग्रेस ने जितना भी राजनीतिकरण किया उस योजना का, उसको भुनाने की कोशिश की गयी, लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना के प्रति अपने संकल्प को दोहराया और उसके प्रति लगातार प्रयास करके उसकी जितनी भी बाधाएं थीं, उनको दूर करके आज उसका शिलान्यास बारां

(श्री हीरालाल नागर)

में नितिन गडकरी जी और मुख्य मंत्रीजी ने किया। इसके लिये निश्चित रूप से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोटा, बारां और झालावाड़ के किसानों को उससे जो लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ उस पूरे क्षेत्र को मिलेगा और उसमें 1 लाख 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी और 800 गांवों को पानी मिलना था, उसको बढ़ाकर 2 लाख हैक्टेयर करने का जो सपना मुख्य मंत्रीजी का है, निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। इसके अलावा पेयजल के लिये भी 1,831 गांवों को उस योजना से जोड़ने का जो लाभ है, निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उसकी स्वीकृति जारी होती है तो निश्चित है कि राजस्थान में पेयजल के लिये ही नहीं, सिंचाई के लिये भी, यह दोनों लाभ मिलेंगे और यह हमारी आज कृषि के क्षेत्र में किसानों की माली हालत सुधारने के लिये बहुत बड़ी परवन परियोजना की सौगात है। इसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है। मैं कहना चाहूंगा सिंचाई मंत्री महोदय को, कि इसकी वितरिकाओं का और इसके नहरी तंत्र की भी शीघ्र स्वीकृति करके और यह काम भी पेरेलल में प्रारम्भ किया जाए ताकि इस सिंचाई परियोजना का लाभ किसानों को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मेरे क्षेत्र में पेयजल की कई योजनाएं माननीय जलदाय मंत्रीजी द्वारा स्वीकृत की गयी हैं, उनके लिये भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मंत्री महोदय ने जितनी भी योजनाएं भेजीं, अधिकतर स्वीकृत कर दी गयी हैं। कुछ एक-दो योजनाएं हमारी लम्बित हैं, मैं समझता हूं उनको भी मंत्री महोदय, शीघ्र स्वीकृत करने का आश्वासन आपने दिया है। इस क्षेत्र के लिये, जब से सरकार बनी, तब से मैं प्रयासरत हूं कि एक पेयजल परियोजना है, जो तीन विधान सभाओं को जोड़ती है हरिपुरा मांजी, उस पेयजल परियोजना के लिये डी.पी.आर. बनकर तैयार है, उसके लिये लगभग 300 गांवों के लिये 298 करोड़ की योजना की लागत आयी है और वित्त विभाग द्वारा भी उस पर सहमति प्रकट की गयी है। उसको मैं समझता हूं कि वित्त विभाग के द्वारा अभी इस बजट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से यह पेयजल योजना, जहां हमें खारा पानी मिलता है, फ्लोराइडयुक्त पानी है और कुछ ऐसा एरिया है जहां पर टैंकर चलते हैं, इससे टैंकरों पर हमारा अत्यधिक खर्चा आता है तो इसको परवन में जोड़ने का जो संकल्प मुख्य मंत्रीजी ने अभी इस बजट में किया है, मेरा सुझाव है कि परवन परियोजना में वहां से आप इंटेक वैल बनाकर 1,800 गांवों को जोड़ेंगे, वह परवन का ही

(श्री हीरालाल नागर)

पानी काली सिंध में आना है और इस योजना को अलग से जो डी.पी.आर. बनी हुई है, उसी मूल स्वरूप में जोड़ते हुए बाद में इसको परवन परियोजना की सब-योजना बनाते हुए इसको जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ा लाभ इस क्षेत्र के तीन विधान सभा क्षेत्र जिसमें पीपल्दा, सांगोद और लाडपुरा है, तीनों को लाभ मिलेगा और इसके लिये मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मुख्य मंत्रीजी से कहकर इस योजना को स्वीकृत कराने में निश्चित रूप से सहयोग प्रदान करेंगे।

मेरे क्षेत्र के लिये कहूंगा। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आवां और किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजना थी, उसको कांग्रेस के शासन में लघु सिंचाई परियोजना से हटाकर वहां फोरेस्ट एरिया में केवल एनीकट बना दिये गये। मेरा सुझाव है कि उसका पुन: सर्वे करवाकर उस योजना का जो मूल स्वरूप था, उसी में इसकी स्वीकृति प्रदान की जाकर पुन: सर्वे करवाया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ वहां के किसानों को सिंचाई के लिये मिल सकेगा।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक लिफ्ट की मांग बरसों से होती आ रही है। चम्बल की दायीं नहर निकलकर जा रही है और उसके मूल डी.पी.आर. में भी यह लिफ्ट परियोजना शामिल है। उसमें इसके ब्लाक दिये गये हैं, उन ब्लाकों में यह लिफ्ट योजना शामिल है, उन ब्लाकों को शामिल नहीं करते हुए यह लिफ्ट योजना नहीं बनायी गयी तो मेरा सुझाव है कि कोटा शहर में मेरे आग्रह पर सिंचाई मंत्री महोदय ने निर्देशित किया और उस पर सर्वे हो चुका है, रेवेन्यू विभाग ने सर्वे कर लिया है और जो कालोनी विकसित हो गयी, उनसे जो असिंचित जमीनें हुई हैं उनमें लगभग 1600 हैक्टेयर का वह रकबा आता है, उसको रेवेन्यू विभाग द्वारा चयनित कर लिया गया है। उस पर लिफ्ट योजना बनाकर उसको जल्दी से जल्दी उस लिफ्ट योजना को शामिल किया जाए। वहां का किसान काफी समय से आंदोलित है और उसमें वह चाहता है कि यह लिफ्ट योजना शामिल हो जाती है तो वहां एक-एक हजार फुट तक ट्यूबवैल होने के बाद भी ड्राई हो गये। वहां का किसान पलायन कर रहा है और निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस लिफ्ट योजना को मंत्रीजी अपने इस जवाब में सम्मिलित करते हुए आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही इसकी घोषणा करें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): इसके अलावा मेरी दो-तीन मांगें हैं माननीय सभापति महोदय, उनमें से डीएमएफटी फण्ड से कनवास में एक प्रस्ताव भेजा गया है, उसकी अगर शीघ्र स्वीकृति होती है तो वहां डायवर्जन चैनल बन जाए। इसके अलावा एक चांदला में चन्द्रावला, कोटसुआं और किशनपुरा में भी दो एनीकट की मेरी मांगें हैं, इनकी पूर्ति हो जाए तो निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): डीएमएफटी तो हमारा अधिकार है। रामगंजमण्डी में भी मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): डीएमएफटी सभी का अधिकार है। यह मिनरल कहीं भी नहीं होता है। यह सबका अधिकार होता है। पूरे प्रदेश का अधिकार है। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हमारे किसान धूल मिट्टी खा रहे हैं। हमारे किसानों की खेती नहीं हो रही है पूरे इण्डस्ट्रीज से। यह हमारा अधिकार है। मेरा ससुराल है वहां।

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्या। सबका अधिकार है। माननीय श्री ललित कुमारजी।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई व मांग संख्या 27 पेयजल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह आदिवासी अंचल है, सहरिया क्षेत्र है और मैं आपको निवेदन करूं कि इस राष्ट्र की या पूरे विश्व में जो हमारी संस्कृतियां हुई हैं, जहां डवलप हुए हैं, जो हमारी पुरानी धरोहर है, चाहे वह हमारे महल हों, वे सब नदियों के किनारे डवलप हुए हैं। मैं यह कहूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी दूरगामी सोच के माध्यम से आज मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान पूरे राजस्थान में चौथे फेज में चल रहा है। हाड़ौती और बारां जिले की बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना जो 60 वर्षों से और जिसकी नींव 2005 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रखी, वृहद सिंचाई

(श्री ललित कुमार)

परियोजना जिसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 200 करोड़ रुपये देकर उसका सर्वे 2005 में करवाया। बाद में बीच में सरकार नहीं होने के कारण दुबारा जब मुख्य मंत्रीजी पधारे तो उस समय 2016 में 700 करोड़ का, 2017 में 01 हजार करोड़ का और अभी वर्तमान बजट में 01 हजार करोड़ का प्रोविजन करते हुए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट आबंटन किया है। इससे पूरे बारां जिले को, मेरे किशनगंज में, अटरू में, खानपुर में, झालावाड़, कोटा के कई क्षेत्रों में पूरा लाभ मिलेगा।

इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे 60 वर्षों से लम्बित सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश सरकार से एनओसी नहीं मिलने के कारण अटकी हुई थी, माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से उसकी एनओसी मिल गयी और मिलने के कारण इस बजट में हथियादह मध्यम सिंचाई परियोजना को उन्होंने चालू कराने का, और 232 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद इस बजट में घोषणा की है इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा। इस सिंचाई परियोजना से 45 गांवों को फायदा होगा और 6885 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी। मेरा इसमें एक निवेदन है कि टाइम पीरियड जो है, फोरेस्ट का कन्वर्जन, लैण्ड रेवेन्यू, किसानों के डूब क्षेत्र के मुआवजे का प्रकरण जल्दी तैयार करके इसको चालू कराने का श्रम करें।

इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के 2003 से 2008 के कार्यकाल और 2014 से 2017 के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, वह वास्तव में देखने लायक हैं और बीच में 2009 से 2013 के कार्यकाल में एक भी सिंचाई परियोजना, जो लम्बित पड़ी हुई थी, वह चालू नहीं हुई। कोई बजट ही नहीं दिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने पहला बजट पेश किया राजस्थान का, मैं यह कहूंगा कि मेरे को 20 करोड़ रुपये गोपालपुरा सिंचाई परियोजना के लिए दिए और आज वर्तमान में टेल क्षेत्र तक 22 गांवों में पानी पहुंच रहा है। यह काम कमप्लीट होकर सब किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है।

इसके साथ-साथ 2006 में मेरी सबसे बड़ी अहमदी सिंचाई परियोजना हेतु माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 28 करोड़ रुपये दिये। फिर उसका कुछ काम चालू हुआ और बीच

(श्री ललित कुमार)

में पांच साल तक अटकी पड़ी रही। वापिस 2014 में मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद, फोरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद आज वर्तमान में अहमदी सिंचाई परियोजना पूरी हो चुकी है। उसकी एक नहर का काम चल रहा है और एक नहर का फोरेस्ट से कन्वर्जन क्लियरेंस लेना है। तो इसको लेकर हम थोड़ा-सा जल्दी कराएं। इससे लगभग छह गांवों को फायदा मिलता है।

इसके साथ-साथ मेरी विलासगढ़ सिंचाई परियोजना को जापानी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लिया है। इसमें 19 करोड़ अभी स्वीकृत हुए हैं। तो इसके लिए मेरी ओर से मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद। यह कहूंगा कि अभी इसका टैण्डर किया था। टैण्डर होने के बाद अब दुबारा मार्च तक टैण्डर करने के लिए लगाया है तो मेरा निवेदन है कि मार्च में टैण्डर होगा। अप्रैल और मई बरसात आ जाएगी तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी टैण्डर करके चालू करवाने का श्रम करें।

इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मध्यम सिंचाई और लघु सिंचाई परियोजनाओ से आज वर्तमान में किसानों को फायदा मिल रहा है। इकलेरा मध्यम सिंचाई परियोजना हो, गोपालपुरा हो, चाहे गरड़ा लघु सिंचाई परियोजना हो, अहमदी हो, पिछले कार्यकाल में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनीं जिसमें नारायण खेड़ा और सैमली फाटक डैम हमारे बनकर तैयार हो गये और इनकी नहरों के जीर्णेद्वार के लिए आप थोड़ी हमको राशि प्रदान करें।

इसके साथ-साथ दिखवानी, रातई मध्यम सिंचाई परियोजना ऐसी सिंचाई परियोजना है कि पिछले 35 वर्षों से यह तैयार है और वर्तमान में इससे लगभग दस गांवों में सिंचाई हो रही है परन्तु 35 वर्षों में किसानों की जो जमीन डूब में आयी, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुआवजा दिलाने का प्रयास करें।

इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राड़ी और नवेली दो ऐसी सिंचाई परियाजनाएं हैं, नवेली में छह गांव आते हैं और 614 हैक्टेयर भूमि सिंचिंत होती है और वहीं राड़ी में आदिवासी क्षेत्र के पांच गांव आते हैं। इससे मेरे ऊनी, पहाड़ी, हथवारी, केलवाड़ा, खीरिया गांव सिंचिंत होते हैं और इससे सीताबाड़ी लिंक सारण मतलब 80 गांवों का पानी रिचार्ज राड़ी से होता है तो दोनों सिंचाई

(श्री ललित कुमार)

परियोजनाएं फोरेस्ट के अन्तर्गत आती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हथियादेह सिंचाई परियोजना मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय ने एम पी सरकार से क्लियरेंस लेकर उसको चालू करवाकर इस बजट में जिस प्रकार घोषणा की है, वैसे ही राड़ी और नवेली को वर्ल्ड बैंक या कहीं से भी पैसा लेकर स्वीकृत कराने का श्रम करें।

इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने चार छोटे डैम और एनीकट के लिए आपसे सर्वे के पैसे मांगे और आपने दिये। इसी तरह डुंगराज नदी पर लाम्बा डैम की डीपीआर बनकर आ गयी। आपने मुझे सर्वे का पैसा दिया, वहीं छोटा झिरना लघु सिंचाई परियोजना हथवारी, खीरिया जो राड़ी के पास है, उसके लिए सर्वे की डीपीआर होकर आ गयी। वहीं जथा मझोला के लिए आपने जो पैसे दिये तो उनसे सर्वे की पूरी डीपीआर बन कर आ गयी। वहीं कूनू नदी पर मानपुर और कूनू नदी पर ही कस्बा नोनेरा, यह ऐसी बड़ी कूनू नदी है, जिस प्रकार पार्बती नदी है तो मेरा निवेदन है कि जो डीपीआर बनकर आयी है, इन तीनों चारों छोटे एनीकट को आप स्वीकृत करें ताकि इससे छोटे-छोटे आठ-दस गांव हर एनीकट पर तालाब पर हैं। उनसे फायदा मिलेगा।

वहीं एक सीताबाड़ी लिंक सारण स्टेट टाइम की पुरानी बनी हुई है। इसके जीर्णोद्धार के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि पैसे थोड़े उपलब्ध कराएं।

श्री सभापति: ललितजी, आसन को सम्बोधित करें।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): बीस लाख रुपये, दस-दस करके मैंने एमएलए लैड से भी सीताबाड़ी लिंक सारण में ध्रुव बन्ध एनीकट इसमें आता है, उसमें मैंने बीस लाख रुपये इसमें दिये। मेरा निवेदन है कि इसमें आप थोड़ा सा पैसा दें। बासूनी एनीकट पुराना है, इसके जीर्णोद्धार के लिए थोड़ी राशि उपलब्ध कराएं। वहीं काली स्रोत तालाब हमारा पुराना जब बंगाली 1971 में विस्थापित होकर आये तब उनको पानी और जमीन उनके लिए आबंटित की, उसके लिए यह बनाया गया था, आज वर्तमान में इसका 700 फिट का वेस्ट वेयर है। दस लाख रुपये मैंने मेरे एमएलए लैड से इसका वेस्ट वेयर ऊंचा करने के लिए दिये हैं, 32 लाख रुपये इसमें हमको चाहिए तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें मेरे को थोड़ा-सा पैसा देकर छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित करें।

(श्री ललित कुमार)

इसके साथ-साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अकावा सिंचाई परियोजना के माध्यम से 1800 गांवों को मेरे किशनगंज को जोड़ा है इसलिए मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं तो यह कहूंगा कि किशनगंज-शाहबाद उस आदिवासी क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं, वह माननीया मुख्य मंत्रीजी की बहुत बड़ी देन है। 2003 से 2008 के कार्यकाल में और अभी वर्तमान के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, वहां पर कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। जो काम हुए हैं, वह हमारी मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में हुए हैं।

(19.00 बजे)

मैं पेयजल पर माननीय मंत्री महोदय का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बारां जिले में जनता जल योजना की 56 पेयजल की योजनाएं चल रही हैं।

जिसमें से 19 मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और मैं कई बार अवगत करा चुका हूं, वहां मीटिंग में कई बार मंत्री महोदय को अवगत करा चुका हूं कि जनता जल योजना के जो बोर हैं, अभी वर्तमान में पानी का संकट है तो उनको गहरा कराने के लिए एक तो तुरन्त हमको परमिशन दिलाएं। इसके साथ-साथ मेरे खटका और दांता दो ग्राम पंचायतें हैं जिनमें बड़े एसएलआर के लिए टंकियां, उसके लिए बजट सैंक्शन करें, इनकी डी.पी.आर. बनाकर आपको भिजवायी है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, यह निवेदन करूंगा कि आपके कार्यकाल में घोयल, राजपुर, घटी, परानिया, बजरंगगढ़, मेहरावता में बड़े, उच्च जलाशय बनाकर तैयार हो गये हैं, आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): वहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 बड़े कस्बे पड़ते हैं, जिनकी पापुलेशन 18 से 20 हजार तक है और सब में जनता जल योजना के माध्यम से पेयजल पिलाया जाता है और पेयजल के विस्तार के लिए, जनता जल योजना के विस्तार के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बित जो आपके डी.पी.आर. बनाकर विभाग द्वारा भिजवायी गयी, उनको सैंक्शन कराने का श्रम करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री नवीन जी पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, आपका आभारी हूं, मैं तो सोच रहा था 10-11 बजे नम्बर आएगा, आप मुझ पर बड़े मेहरबान हुए, उस कृपा के लिए मैं आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज जल संसाधन, सिंचाई एवं पेयजल है, इससे महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता। चाहे वनस्पति हो वो पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मनुष्य का जीवन सम्भव नहीं है और पशु-पक्षी भी जल के बिना नहीं जी सकते। चाहे सड़कें नहीं हों लेकिन जल संसाधन, सिंचाई और पेयजल बहुत महत्वपूर्ण है।

मेरी सिर्फ आपसे थोड़ी सी गुजारिश है, सदन से भी गुजारिश है, मैं केवल फैक्ट्स और फिगर्स पर बात करता हूं, वो भी सही आंकड़ों पर, पता नहीं सत्ता पक्ष को सच्चाई सहन क्यों नहीं होती? मैं जानता हूं सच्चाई कड़वी होती है लेकिन थोड़ा-सा संयम बरतें। आज समय सीमित है, मैं उस दायरे में रहूंगा।

श्री सभापति: नहीं, मेरा इतना ही मतलब था।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): आपकी बहुत मेहरबानी।

सभापति महोदय, हमारे जो सिंचाई मंत्री महोदय हैं वो नहरी क्षेत्र से आते हैं, वहीं से जाये जन्में हैं, हमारे पड़ौसी हैं, इनसे बेहतर व्यक्ति इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं हो सकता, मैं उन्हें बधाई देता हूं और हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय भी बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी योग्यता पर कोई वो नहीं है लेकिन विभाग में जो कमियां हैं, मैं उस पर आता हूं।

सबसे पहले मैं वर्ष 2017-18 में राज्य में योजनान्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, वृहत् परियोजनाएं जो थीं उसमें बजट एलोकेशन था 1264 करोड़ रुपये और जो खर्च कर पाये हैं वो केवल 680 करोड़ रुपया खर्च कर पाये हैं। गौर फर्माएं, इसमें से केवल 53 परसेंट ही खर्च हुआ है 1264 करोड़ रुपये में से। और जो लक्ष्य रखा था वृहत् परियोजनाओं का वो रखा था 190 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 190 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध जीरो, जीरो, जीरो अचीव हो पाया है। यह वृहत् परियोजना थी।

(श्री नवीन पिलानिया)

उसके बाद में मैं आता हूं लघु सिंचाई परियोजना के हाल क्या हैं। माननीय सभापति महोदय, लघु सिंचाई परियोजना में जो बजट था वो 334 करोड़ का था और खर्च हुआ केवल 168 करोड़ रुपया लघु सिंचाई में इस पूरे साल में, 166 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया ध्यान से सुनें, व्यवधान न करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):, 168 करोड़ ही खर्च हुआ, 166 करोड़ खर्च नहीं हुआ। इसके अन्दर, सभापति महोदय, लघु सिंचाई परियोजना में लक्ष्य था 6810 हैक्टेयर सिंचित भूमि का, 6810 के एवज में 2227 हैक्टेयर हो पाया है, जो भी केवल 32 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है, और मध्यम परियोजनाओं की बात करें, 3500 हैक्टेयर का लक्ष्य था, माननीय मंत्री महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्या मंत्री महोदय का ध्यान बंटा रही हैं, मैं गम्भीर बात कर रहा हूं, मैं इस पर एतराज करता हूं। अब यह तो बात अलग है, हो सकता है कि वो कई जगह ध्यान दे सकते हों लेकिन फिर भी। (व्यवधान) नहीं, नहीं, साहब, मैं इनका मन चाहता हूं, अपनी तरफ कान से क्या होगा।

श्री सभापति: आपका वक्तव्य इनके एन्टीना में बराबर कवर हो रहा है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं बात कर रहा था मध्यम परियोजनाओं की। जो लक्ष्य था वो 3500 हैक्टेयर का था, माननीय मंत्री महोदय, इस साल जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था और उसमें से जो अचीव कर पाये हैं, बड़ा अफसोस है कि 3500 में से 150 हैक्टेयर। यह तीनों का आंकड़ा है। सम्पूर्ण आंकड़ा पकड़ लें तो पूरा बजट एलोकेशन था 2015 करोड़ रुपये का जिसमें से खर्च हो पाया है 1110 करोड़ रुपया, 905 करोड़ रुपया आप इस साल खर्च नहीं कर पाये हैं सिंचाई पर तो किसान के हालात कैसे सही हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो सम्पूर्ण लक्ष्य था वो था 10,500 हैक्टेयर सिंचित भूमि। यह लक्ष्य था 10,500, इसके एवज में आप जो कर पाये हैं वो केवल 2377 हैक्टेयर है, 22 प्रतिशत अचीव हुआ है सिंचाई में।

(श्री नवीन पिलानिया)

इसका जरा एक और मजाक देख लें। गरड़दा परियोजना जो है, 60 करोड़ का बजट एलोकेशन है, 6.6 करोड़ खर्च हुआ है, 6.6 करोड़, only 11% has been spent till now. और लैसी की बात करें एक हजार हैक्टेयर सिंचित भूमि का लक्ष्य था, उसमें से जीरो हैक्टेयर अचीव हुआ है। तो कैसे भला होगा, सभापति महोदय, जरा यह बता दें।

हथियादह की बात करता हूं, हथियादह योजना में 500 करोड़ का बजट एलोकेशन है, आप सोच भी सकते हैं क्या, 500 करोड़ के एवज में 5 लाख 63 हजार ही खर्च हुआ है जिसका प्रतिशत आता है 0.1 प्रतिशत। कैसे सम्भव है, जरा आप हालात को देखिएगा। यह मैंने मोटा-मोटी चीज बतायी है।

इसके साथ में मैं एक और चीज पर आता हूं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आई.जी.एन.पी. का बजट था केवल 305 करोड़, आई.जी.एन.पी. बहुत मोटी है, बहुत लम्बी है, 305 करोड़ का बजट था उसमें से भी केवल 140 करोड़ ही खर्च कर पाये हैं, 165 करोड़ आई.जी.एन.पी. में खर्च नहीं हुआ है। यह पृष्ठ संख्या 6 पर दिया हुआ है परियोजना की प्रगति के रूप में और इससे पहले जो टेबल बतायी थी वो पृष्ठ संख्या 31 पर दर्ज है।

इसके साथ-साथ एक और चीज जो बड़ी रोचक है। जब मैंने देखा, विश्लेषण किया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना, इसकी कहानी मैं आपको बयान करूं, जो इस टेबल में लिखी है, तालिका संख्या है 12, जो पूर्ण हुई हैं 14 साल में वो हुई हैं 2965, जो शेष कार्य रह गये थे वो हैं 463, माननीय मंत्री महोदय, इन 463 शेष रहे हुए कार्यों में से 368 कार्य इस साल लिये ही नहीं गये हैं। इस साल जो लिये गये हैं वो केवल 95 कार्य लिये गये हैं, 95 लिये गये हैं उसमें से 11 पूर्ण कर पाये हैं। यह वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की कहानी है। कहां पहुंचे हुए हैं, 463 शेष थे, इस साल 368 लिये ही नहीं गये, 95 लिये उसमें 11 पूरे किये।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज पर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ। जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय बजट प्रस्तुत कर रही थीं, बजट भाषण दे रही थीं, मैं अभिभूत हो गया, मैं तो हिप्नोटाइज हो गया था क्योंकि इतने हजार करोड़ों की घोषणाएं हुईं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

अब मैं बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 8 पर आता हूं, इसमें उल्लेख है 52 हजार करोड़ की घोषणाओं का, मुझे अफसोस है, माननीय सभापति

(श्री नवीन पिलानिया)

महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है, ये घोषणाएं नहीं हैं, सूचनाएं बन गई हैं, क्योंकि 52 हजार करोड़ रुपए में से 17 हजार करोड़ रुपए तो टीआरसीपी, इसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं है, 17 हजार करोड़ रुपए वाली में, कोई बजट प्रावधान नहीं है। अब मैं आता हूं दूसरे नम्बर पर 6 हजार करोड़ रुपए की ब्राह्मणी-बनास योजना, 6 हजार करोड़ की योजना में 20 करोड़, 6 हजार करोड़ की योजना में 20 करोड़ का बजट एलोकेशन है इस साल का, 0.33 प्रतिशत, यह सूचना है। माही बांध से अपर हाई लेवल कैनाल 2 हजार करोड़ रुपए, 2 हजार करोड़ रुपए की संभावित, 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। साबरमती बेसिन, 6 हजार करोड़ की योजना है 'जीरो' करोड़ का, 'जीरो' रुपए का बजट एलोकेशन है। इसी के साथ-साथ यह कहा गया है, यह तो है 52 हजार करोड़ की योजनाएं, उसके बाद में कहा है इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष में 25 हजार 200 करोड़ की मैं और घोषणा करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह तो बिलकुल, ...(व्यवधान) जरा संक्षिप्त में करके बोल रहा हूं। इससे इम्पोर्टेंट बात और क्या हो सकती है, बजट में जो घोषणा है। राजस्थान के ताजेवाला हैड में 20 हजार करोड़ रुपए की लागत की स्कीम, 20 हजार करोड़ रुपए लागत की स्कीम में 20 करोड़ का बजट एलोकेशन है, 0.1 प्रतिशत।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हाई लेवल कैनाल, नागलिया पिकअप वियर, 2 हजार 200 करोड़ की योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। तो यह घोषणाएं नहीं हैं, सूचनाएं हैं। इस साल तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। अंत में लिखा है, इन परियोजनाओं का वित्त पोषण न केवल स्वयं के संसाधनों से बल्कि भारत सरकार, अन्रराष्ट्रीय फंडिंग के सहयोग से प्राप्त कर किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात समझता हूं, अब मैं पेयजल पर आ गया। मैंने छोड़ दिया, इतना मोटा महकमा, सिंचाई का महकमा मैंने छोड़ दिया।

श्री सभापति: आप तो गागर में सागर भरो बस।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट तो दीजिए पेयजल योजनाओं के लिए। पेयजल पर, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: समय आपका पूरा हो गया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): समय आपने सबको बहुत दिया है।

श्री सभापति: सबको एक समान दिया है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): थोड़ा-सा और मैं पेयजल पर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): पेयजल पर एक मिनट में कैसे हो सकता है?

श्री सभापति: वह आपका विषय है।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मैं बात कर रहा हूं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की, इनके हाल बताता हूं, इनके हाल यह हैं, टोटल केन्द्र की योजनाओं के 811 करोड़ रुपए आए थे, उपलब्ध था आपके पास इस साल खर्च करने के लिए। आप खर्च कर पाए केवल 506 करोड़ रुपए केन्द्र की मदद का, 306 करोड़ रुपए आपका खर्च नहीं हुआ। अब मैं आता हूं नगरीय पेयजल योजनाओं पर। उसमें माननीय सभापति महोदय, 1 हजार 270 करोड़ रुपए का प्रावधान है और खर्च हुआ है 585 करोड़ रुपए, 685 करोड़ रुपए पूरे साल में खर्च नहीं हुआ है तो कैसे शहरों में पेयजल की स्थिति सुधरेगी और ग्रामीण पेयजल पर आता हूं। ग्रामीण पेयजल योजना, पूरा आंकड़ा है, 4 हजार 345 करोड़, ग्रामीण पेयजल योजना का और उसमें से 4 हजार 345 करोड़ में से जो खर्च हुआ है वह केवल 2 हजार 367 करोड़ रुपए, 1 हजार 979 करोड़ खर्च नहीं हुआ है। इस पूरे को जोड़ लेते हैं तो मैं जानता हूं कि 5 हजार 615 करोड़ रुपए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): उसमें से 2 हजार 950 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं 52 प्रतिशत, 2 हजार 665 करोड़ खर्च नहीं कर पाए हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, मैं जरा बात करता हूं अमृत योजना के बारे में। मैं conclude कर रहा हूं, Just give me two minutes, I'll not take more than two minutes. मैं अमृत योजना की बात करता हूं, 2015-16 में अमृत योजना आई, केन्द्र सरकार की योजना है, शहरों में पेयजल के लिए आरयूआईडीपी फेज थर्ड, कई शहरों के लिए उनमें से 19 शहरों के लिए 909 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी हुए, 905 करोड़ में से केवल 68 करोड़, Only seven percent has been spent, 837 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पाए। इसी

(श्री नवीन पिलानिया)

का उदाहरण और बताता हूं। नर्मदा एफआर क्लस्टर परियोजना, 2013, ... (व्यवधान) कृपया मेरा वक्त जाया न करें।

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): एलएलए लैड से आपने कितने रुपए खर्च किए?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बीच में नहीं बोलें, आंकड़े सुने नहीं जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): मेरे कोटे की क्या बात करते हैं, यह जनता का पैसा, विभाग का कोटा है। (व्यवधान) ।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें। आपका एक मिनट बचा है बस।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं नर्मदा एफआर की बात कर रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, नर्मदा एफआर। 2013 में इसके लिए 525 करोड़ रुपए का कार्य आदेश निकला। उसमें से 4 साल में 525 करोड़ में आप जो खर्च कर पाए हैं वह केवल 100 करोड़, चार साल में, यह स्थिति है तो जनता रोएगी नहीं तो क्यों नहीं रोएगी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शंकरलालजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। अभी खतम नहीं हुआ है। तीस सैकिण्ड बचे हैं, In thirty seconds, I will conclude.

श्री सभापति: हां, तीस सैकिण्ड़ ले लें, तीस सैकिण्ड़ ले लें।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बाड़मेर जिले की शिव व रामसर तहसील की योजना, नर्मदा पर आधारित है। (व्यवधान) 2013 की योजना है, 639 करोड़ रुपए का कार्य आदेश निकला और खर्च कर पाए हैं 170 करोड़ रुपए 4 साल में केवल 28 प्रतिशत पैसा खर्च कर पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे अचम्भा है कि ऐसे कैसे हालात ठीक होंगे, जनता में जो त्राहिमाम्-त्राहिमाम् है वह तो इसी कारण से है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय शंकरलालजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद करता हूं, राम-राम। (व्यवधान)

(19:17 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने वादे के अनुसार ही बोलना।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मैं सीधा ही बोलना चाहता हूं। मैं खुद ऐसे क्षेत्र से हूं जहां पानी की समस्या बहुत गम्भीर है। (व्यवधान) सबसे बड़ी बात अभी बहुत कुछ बातें मांग और बहुत कुछ बातें आंकड़ों के हिसाब से हो रही थीं लेकिन मैं सीधा इस पर आना चाहता हूं कि दौसा एरिया शुरू से पानी के लिए परेशान है। इसकी व्याख्या मैं एक ही लाइन से कर दूं, शुरू से एक कहावत वहां की है,

दौसा शहर चिड़ी का बासा,
अन्न घणो पर पाणी को तासा।

यह आज की कहावत नहीं है। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पिछले कार्यकाल में वहां से पांच मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद गर्मियों की ही बात नहीं, अन्य दिनों में भी ट्रेन रोकना, मटके रोज फूटना, हाईवे जाम होना, पानी के लिए अमूमन यह स्थिति बनती थी। आदरणीय सदस्य आंकड़े बता रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। उसी क्षेत्र के अन्दर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बार-बार हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी और आदरणीय मंत्री महोदय को पिछले चार साल में एक भी बार हाईवे जाम नहीं हुआ, एक भी बार कहीं मटके नहीं फूटे और ट्रेन रोकने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सीधे कैसे आओगे, मैं सीधे इसी तरीके से आना चाहता हूं कि बात बातों की नहीं, बात आंकड़ों की नहीं, सच्चाई की है, जिस क्षेत्र के अन्दर हम रह रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दौसा के अन्दर पिछले पांच साल में कांग्रेस के कार्यकाल में उस क्षेत्र को जहां पानी की परेशानी है, वहां पर पानी लाने के लिए एक भी ट्यूबवैल या बोरिंग नहीं हुआ। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले बाण गंगा के अन्दर 13 बोरिंग किए और फिर भी उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा में वादा किया था दौसा के लिए कि दौसा की जनता की प्यास की समस्या को मिटाएंगे। अभी मैं आज ही बजट घोषणा पढ़ रहा था, उसमें यह दिया है, बीसलपुर परियोजना पर 5 हजार करोड़ रुपए...।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

जिसमें नाम है केवल मात्र टोंक, जयपुर और अजमेर के लिए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उस परियोजना से, जिसमें दौसा जिले का कहीं नाम नहीं है, लेकिन 20 लाख लीटर पानी का जो वादा किया था, उसके तहत हमारे मंत्री महोदय ने 31 मार्च, 2017 को उद्घाटन करके दौसा की पानी की समस्या को दूर किया, 13 बोरिंग पहले हुए और 12 बोरिंग अभी हुए हैं। साथ ही पूर्व सरकारों ने इतनी बड़ी समस्या पानी की है, लेकिन जो असली बरसात का पानी आता है, उसको सहेजने की बजाय बाहर निकलने दिया और उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। जयपुर राजघराने के टाइम रामगढ़ बना, वहां से नहर, दौसा की पानी की समस्या को दूर करने के लिए ईसरदा का डैम बनाया। हमारे गेटोलाव का डैम बनाया और एक धार्मिक आस्था का रूप देते हुए उस गेटोलाव को तीर्थ स्थली का रूप दिया, लेकिन पिछले कार्यकालों में उस नहर को तहस-नहस ही नहीं किया, बल्कि इन्हीं की सरकार के नेताओं ने वहां पर नहर को बंद करके भट्टे बना लिये। मैं सिंचाई मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी 80 लाख रुपए देकर उस नहर को पुनर्जीवित किया। गेटोलाव में गई बार बरसात आई तो पानी पहुंचा और उसका नतीजा निकला कि गेटोलाव में विदेशी पक्षी, जो 134 तरह के हैं, जहां पानी नहीं होता था, वहां पर हमने नाव चलाई और एक नई तीर्थ स्थली का रूप आया। ऊपर वाला अबकी बार मेहरबान नहीं हुआ। पानी की समस्या रही, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, हर जगह बड़ी-बड़ी योजनाएं देकर, गांव में योजनाएं देकर, हैंडपम्प स्वीकृत करके, एकल पाइंट स्वीकृत करके पानी की समस्या को दूर किया।

पहली विधान सभा में भी मैंने कहा था कि हमारे यहां बहुत सारा एरिया फ्लोराइड वाला है और ऐसे में हमारा युवा सीधा पहले बुढ़ापे में आता था और युवा होता ही नहीं और बचपन से सीधा 55-56 में जाता था। पहली बार जो आरओ प्लांट देकर और कम से कम उस जगह को फ्लोराइड मुक्त करके उन गांव वालों को पानी पिलाने के लिए इस सरकार ने दिया। मैं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इसी तरीके से जल संसाधन के साथ जो जल स्वावलंबन योजना आई, उसके तहत हमारी बावड़ियों, एनीकटों को सही किया

(श्री शंकर लाल शर्मा)

गया, नए एनीकट बनाए और ऐसे में हमारी बाणगंगा के ऊपर सरफेस बैरियर भी बनाए, जिसके कारण वहां पानी रुकने का साधन हुआ।

इसी तरह मैं पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा कि जैसे बड़े-बड़े गांवों में- बापी, नांगल राजावतान, निगोडिया, लालडी का बास, लवाण, सैंथल, बड़ा गांव, काबलेश्वर, बीसनपुरा, तीतरवाड़ा, पीलवा, धरमपुरा, जिसके अन्दर 70-70 लाख से सवा-सवा करोड़ रुपए की योजनाएं देकर पानी पिलाने का कार्य उसमें किया। उसके बावजूद भी हमारे भाइयों को मालूम नहीं पड़ रहा कि वे कौन से आंकड़े लाते हैं, कौन-सी बात कहना चाहते हैं कि पानी के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, सिंचाई के लिए कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मेरे यहां तो सिंचाई का कोई बड़ा काम नहीं है, उसके बावजूद भी मंत्री महोदय ने हमारे नहरी क्षेत्र को सही किया, उसके अलावा एनीकट बनाए, पानी की समस्या दूर की। तस्वीर आपके सामने है, जो जीता-जागता नमूना है। आदरणीय, इसी तरीके से सबसे बड़ी मांग को मानते हुए मुख्य मंत्रीजी ने 1 हजार 38 करोड़ की ईसरदा योजना को बनाया और बनाया ही नहीं, आज वह पूर्णत: टैंडर प्रक्रिया पर आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि इसका कार्य तुरन्त चालू हो जाएगा, यही ईसरदा डैम दौसा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा जीवन-यापन का एक बड़ा कार्य होगा। इससे बड़ा हमारे लिये क्या हो सकता है।

साथ ही पानी, पानी हम शुरू से कहते हैं। राजस्थान में पानी की कमी आज नहीं हुई। राजस्थान शुरू से पानी की कमी से ग्रसित एरिया है, लेकिन सरकारों ने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। ऐसे में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 37 हजार करोड़ की योजना बनाकर 13 जिलों, जिसमें दौसा भी आता है, की पानी की समस्या को दूर करने की योजना बनाई। मैं इसके लिए बार-बार हमारी मुख्य मंत्रीजी का, माननीय मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, क्योंकि मुझे मालूम है, बहुत लंबी लिस्ट है तो इसके अन्दर मेरी छोटी-मोटी कुछ मांग भी है। उसके अन्दर सिंचाई मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ईसरदा परियोजना की जो टैंडर प्रक्रिया फाइनल हो चुकी, जल्दी ही इसका मुहूर्त करके कार्य चालू कर देंगे तो हमारे दौसा के प्रभावित लोगों के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि पहले आपने हमें एनीकट दिया, लेकिन एक

(श्री शंकर लाल शर्मा)

एनीकट और मांग रहे हैं। केवल मात्र खानवास ग्राम पंचायत, जेएलएनपुरा में एनीकट स्वीकृत कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही गेटोलाव बांध, जो इर्रिगेशन का है, जिसमें 1200 बीघा जमीन है, वह आपके इस कार्य क्षेत्र में है। इसके ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, कच्चे मकान भी बना लिए, इसको आप खाली करवाएं। यह हमारी तीर्थ स्थली भी है। इसको विकसित करने का और इसको और खुदाई करके बांध को बड़ा करने का काम भी करें। यह आपसे निवेदन है।

साथ ही जल स्वावलम्बन के तहत भारत सरकार की जल मंदिर योजना, जिसके अन्दर पहला प्रस्ताव राजस्थान में दौसा के गेटोलाव बांध का गया है, उसको भी अगर आप स्वीकृत करवा देंगे तो हमारे यहां दौसा के लिए पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं आदरणीय इर्रिगेशन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मांग कभी पूरी नहीं होती। इसके लिए ये तूंगा हैड से जो आप 20 लाख लीटर पानी दे रहे हैं, कम से कम इन गर्मियों के अन्दर, क्योंकि बरसात हमारी बैल्ट में नहीं हुई, अगर इसको हम 20 लाख की जगह 10 लाख लीटर पानी और दे देंगे तो गर्मियों के अन्दर जिस तरीके से अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई रोड जाम नहीं हुई, कहीं मटके नहीं फूटे, उससे हम पूरे साल भी उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अबकी बार बरसात की कमी के कारण हमें 10 लाख लीटर पानी और मुहैया कराया जाए।

दौसा शहर के लिए मैं कहूंगा 60 प्रतिशत आबादी के अन्दर पाइप लाइन है, 40 प्रतिशत आबादी में अभी भी पाइप लाइन नहीं है। अभी भी, क्योंकि नई कालोनियां विकसित हो रही हैं और चारों तरफ जिले के अन्दर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसे में 40 परसेंट आबादी में पाइप लाइन नहीं है। तो मैं शहर के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम इस शहर-शहर में ही हमें 20 किलोमीटर पेयजल के लिए पाइप लाइन उपलब्ध करा देंगे तो हम सम्पूर्ण दौसा शहर को पानी उपलब्ध करा देंगे। साथ ही दौसा शहर के लिए हमने आपसे 10 आर ओ के लिए भी डिमाण्ड कर रखी है। उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनको जल्दी स्वीकृत करवा देंगे तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गांवों के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके द्वारा कि ग्राम कानोता में पाइप लाइन,

(श्री शंकर लाल शर्मा)

बरडोली में भूतल जलाशय और पाइप लाइन। हमारे कुछ, दस सोलर पंप सैट निर्माण, क्षेत्रीय जल योजना में कुछ गांव हमारे ऐसे हैं, जैसे गोविंदपुरा, झाझरावाला, करताला, ऐसे कई गांव हैं, जिनमें हमने एमएलए लैड से भी, स्वयं भी कई लोगों ने बोरिंग करवाये हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर भी पानी नहीं है। बड़ी योजना में नहीं आते हैं, आबादी कम है, ऐसे में इसको भी नलकूप या पाइप लाइन द्वारा कहीं से पानी दिलवाने की कोशिश करेंगे तो वे लोग भी आपका गुणगान करेंगे और इस पानी की समस्या का निदान मिलेगा।

आज स्वजलधारा योजना सुदर्शनपुरा, नलकूप निर्माण योजना बनियाना, कुण्डल, सामराणा, बिहारीपुरा, ये जनता जल योजना के तहत है और ये चल भी रही हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा-सा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जनता जल योजना है इसके लिए बार-बार मेंटिनेंस करने में, चालू रखने में दिक्कत होती है। हमने आपसे निवेदन किया है कि इसको आप अपने विभाग में लेकर आपके यहां जो हमने योजना भेज रखी है उनको स्वीकृत करवाने की कृपा करेंगे तो मेहरबानी होगी।

साथ ही गांवों के अन्दर शुरू से ही सबसे बड़ी मुसीबत है कि पानी नीचे चला गया और पुराने हैण्डपम्प अब पाइप लाइन के कारण नीचे चले गये। ऐसे में अधिकतर हैण्डपम्प और एकल पाइंट रोज खराब हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इसके लिए सघन अभियान चलाकर गाड़ियां, पाइप और अन्य सामग्री देकर अगर हमारे हैण्डपम्प और एकल पाइंट को पूरे एरिया में सही करवा देंगे तो इसके लिए यह बहुत बड़ा काम होगा। साथ ही इनके लिए कम से कम 15 किलोमीटर पाइप लाइन की जरूरत पड़ेगी जो आज हैण्डपम्प खराब हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फ्लोराइड और टीडीएस आधिक्य वाली ग्राम पंचायतों में एक हजार की आबादी वाले गांवों में जिनके लिए कोई पेयजल योजना स्वीकृत नहीं है उनके लिए भी पेयजल योजना की स्वीकृति करवाएं। छावड़ा, तूमड़ी में नलकूप एवं पाइप लाइन, सोलर कोलेश्वर कलां के स्थान पर, माननीय बांदीकुई से आने वाली सदस्य बैठी हुई हैं, मेरे यहां एक सोलर पम्प दिया था लेकिन गांव का नाम कोलेश्वर है और उनके यहां भी कोलेश्वर खुर्द और कोलेश्वर कलां के कारण मेरा सोलर

(श्री शंकर लाल शर्मा)

बांदीकुई के अन्दर चला गया। अगर उसकी जगह आप मेरे कोलेश्वर को दे देंगे तो धन्यवाद और मेहरबानी होगी।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, वो मेरे ही गांव का किया था तो मेरी जगह पर लग गया, धन्यवाद आपको।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): चलो कोई बात नहीं। बांदीकुई के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। आप हमारी योजनाओं में और भी लेना चाहेंगे.....

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सरकार की योजना है, बड़े भाई हो वैसे तो आपको देना ही चाहिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप बड़े उदार हैं और ये सारी चीजें उधर दे रहे हैं तो थोड़ा-सा इधर की तरफ भी सरकाएं।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आपको उधर भी दीजिये और उधर दे भी रहे हैं लेकिन हम गुणगान नहीं करेंगे कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने कोई विकास का काम किया है, कोई जल स्वावलम्बन के तहत एनीकटों का काम किया है, कोई पानी देने का काम किया है। हम बड़ाई नहीं करेंगे, मांगेंगे जरूर लेकिन वो भी एक ताकत से, घृणा से और एहसान करके। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को, हमारे मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और जो योजनाएं हमने आपके यहां भेज रखी हैं उनको स्वीकृत करके जल्दी चालू करवा देंगे तो गर्मियों में हमारी पब्लिक इस पानी की समस्या से निजात पायेगी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह जी मीणा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं कि हमारा मेवाड़ एक पहाड़ी एरिया है और मेवाड़ में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी भी मुख्य मंत्री ने यह नहीं सोचा कि इस पहाड़ी एरिया के अन्दर ऐसा काम होना चाहिए जिससे पानी बच जाए मगर हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना चालू करके हमारे जो सूखे हुए ओपन कुओं और हैण्डपम्पों में पानी नहीं था उनको वापस रिचार्ज

(श्री फूलसिंह मीणा)

करवाने का काम किया तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने करवाया। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे पहाड़ी एरिया में रहने वाले जनजाति के परिवारों को पानी की जो बड़ी मुश्किल थी उससे निजात दिलाने का काम किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं कि पूर्व में मेरे विधान सभा क्षेत्र से आने वाली सदस्य बहन ने खुद के गांव में भी जो अलाब से पानी किसानों को मिलने वाला था उस नहर की मरम्मत कराने के लिए कहीं से पैसे उपलब्ध नहीं करवा पाई। जैसे ही 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 50 लाख रुपये देकर उन नहरों के सुदृढ़ीकरण का काम किया और उन किसानों को पानी का सदुपयोग करने के लिए और खेती में किसानों की कमाई बढ़ाने का काम किया तो माननीय हमारे मंत्री महोदय और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे जनजाति परिवारों के लिए यह किया। यही नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2013 में आते ही हमारे लिए अनेक योजनाएं लागू कीं। पूर्व सरकार ने 2012 में 45 लाख रुपये की लागत की एक टंकी, मोटर और पाइप लाइन को स्वीकृत किया था लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर आज की तारीख में न तो कोई टंकी में पानी आ रहा है, न वहां मोटरें हैं और न वहां पाइप हैं। टंकी की भी ऐसी दशा है जो कभी भी गिर सकती है। ऐसी कंडीशन में उन्होंने बड़े-बड़े होर्डिंग लगाये और फोटो खिंचवाये कि हमने 45 लाख रुपये लागत से भोइयों की पंचोली को पानी देने का काम कर रहे हैं मगर आज की तारीख में उस मोटर और पाइपों का अता-पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस टंकी और मोटरों की जांच होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान नहीं है मगर मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी इस अर्ज को सुनें। वो 45 लाख रुपये की जांच होनी चाहिए कि वो पाइप लाइन और मोटर कहां गई। यह बहुत ही दु:खद घड़ी है और उसके लिए हमारी जनता के साथ में जो छलावा किया, हमारी जनता के साथ में जो धोखा किया उन अधिकारियों और जो मिली-जुली संस्था थी उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बता रहा था और आपका ध्यान कहीं और था कि 2012 में 45 लाख रुपये की लागत की मोटर और पाइप लाइन भोइयों की पंचोली ग्राम पंचायत में दी थी उसका आज

(श्री फूलसिंह मीणा)

अता-पता नहीं है। यह जांच का विषय है इसलिए इसकी कार्यवाही करके इसमें जो भी सम्बन्धित अधिकारी या कोई मिली-जुली कम्पनी थी उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने की मैं मांग करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत कानपुर में 60 साल पहले टंकी बनी हुई थी जो आज जर्जर हालत में है मगर पूर्व सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही 2013 में सरकार आई और हमने हमारे माननीय मंत्री महोदय और मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराया तथा उस टंकी की रिपेयरिंग और नई जगह टंकी बनाने की जो योजना पाइप लाइन में चल रही है उसके लिए मेरी मांग है कि वो पाइप लाइन और टंकी की भी स्वीकृति देंगे तो पूरी पंचायत उससे लाभान्वित होगी नहीं तो वो टंकी कभी भी गिर सकती है और बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए मंत्री महोदय, मेरी कानपुर की पंचायत के अन्दर जो टंकी है वो 60 वर्ष पुरानी है जिसको ठीक कराने के लिए जल्दी से जल्दी आर्डर देने का काम कराएं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष पहले कलड़वास पंचायत में एक टंकी बनी हुई है मगर उस टंकी के अन्दर जो पाइप आता था उस पाइप का पता नहीं है और आज वो टंकी खाली पड़ी है और वहां पर पास में ही एक किसान है, वह उसमें खुद पानी भरकर अपने खुद के काम में ले रहा है मगर जनता के कोई काम में नहीं आ रही है। इस टंकी के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस टंकी का आप पता करके, इसको चालू करवाएंगे तो हमारे वहां पर पूरी बस्ती को पानी उपलब्ध हो पाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं। पूर्व में सरकार ने कुछ भी नहीं किया मगर जैसे ही 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और कुमारिया खेड़ा गांव और पंचायत पाई में 70.66 लाख रुपये लगाकर, वहां पर ओपन वैल खुदाकर गांव को पानी पिलाने का काम किया। माननीय पीएचईडी मंत्री महोदय ने और मुख्य मंत्रीजी ने और हमारे नन्दलाल जी मीणा साहब ने हमारे ट्राइबल फण्ड से यह पानी देकर, उस जनता को पानी पिलाने का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री फूलसिंह मीणा)

साथ ही डीकली माडल स्कूल के अन्दर पेयजल की समस्या थी। छात्रावास है, उन बच्चियों के लिए टैंकर्स द्वारा पानी आता था। कभी पानी की शोर्टेज हो जाती थी तो बच्चियां गर्मी में परेशान होती थीं। 2013 में जैसे ही हमारी सरकार आई और 29.8 लाख रुपये लगाकर दो बोरवैल करके उस स्कूल के अन्दर, उस छात्रावास में पानी की सप्लाई करके वहां पर पानी की व्यवस्था करवाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं कि पूर्व में पांच साल के अन्दर 205.25 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये थे और वर्तमान की जो हमारी सरकार है, चार साल के अन्दर 331.80 करोड़ रुपये खर्च करके और हमारी जनता को पानी उपलब्ध कराने का काम किया।

यही नहीं, मैं और बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने नगर निगम के द्वारा पांच वर्ष में पेयजल के लिए 646.99 लाख रुपये खर्च किये और हमारी सरकार आई और सरकार आते ही पहले इस पेयजल के ऊपर ध्यान दिया और 19.66 करोड़ रुपये की लागत से कुछ काम तो पूर्ण हो चुके हैं और कुछ चल रहे हैं। यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार और हमारी सरकार का एक छोटा-सा आंकड़ा बता रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजातीय एरिया होने के नाते हमारी सदस्या भी जनजाति की थीं मगर इस जनजातीय एरिया के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनजातीय एरिया में पूर्व सरकार ने पांच वर्ष में 355.86 लाख रुपये खर्च किये थे जबकि हमारी सरकार आई तो पीएचईडी के माध्यम से चार वर्ष में 19.9 करोड़ रुपये खर्च करके जनता की सुख-सुविधा के लिए जो हमारा ध्यान रखते हुए मुख्य मंत्रीजी और हमारे पीएचईडी मंत्री महोदय ने इतना बड़ा काम करके एक इतिहास कायम किया।

पूर्व वक्ता हमारे भाई बोल रहे थे कि कुछ नहीं किया, मगर मैं यह आंकड़ा बता रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जाकर चैक कर सकते हैं। एक भी आंकड़े में कोई कमी हो तो मैं आप जैसा कहेंगे, वैसा मानने को मैं तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हमारी जावरमाता, मेवाड़ का आस्था का केन्द्र है और पूरी मेवाड़ उसको पर्यटन स्थल के तौर पर... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शोर्ट कर दिया मैंने।

(श्री फूलसिंह मीणा)

मैं यह कह रहा था कि 1.13 करोड़ रुपये हमारे पीएचईडी के माध्यम से जनजाति फण्ड से हमें वह एनीकट देकर बहुत बड़ा काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलना तो बहुत चाह रहा हूं, मगर समय आपने कम दिया।

मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिरणमगरी जो शहर के अन्दर था, नगर निगम उसमें पैसे खर्च कर सकती थी, मगर पूर्व सरकार ने कुछ भी नहीं किया और हमारी सरकार आई और हमारे यूडीएच के मंत्री महोदय बैठे हैं। हमारे नगर निगम और यूआईटी के अन्दर खजाना खोल रखा है और चार करोड़ रुपये की लागत की हमारे हिरणमगरी में टंकी मंजूर करवाई और आज आठ कालोनीज को पानी मिलेगा। वह हमारी पूरी जनता आपको दुआ देगी।

मैं ज्यादा नहीं बोलकर, हमारे यूडीएच मंत्री महोदय बैठे हैं तो थोड़ी सी मेरी मांग भी है। आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि पैरीफेरी एरिया के अन्दर हमारी नाकोड़ा नगर, भैरव नगर, धोलीमगरी, तीताड़ी की कालोनीज, दक्षिणी उदयपुर में यूआईटीज की कालोनीज बनी हैं, उनमें 1700 आवास हमारी मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बना रखे हैं और वह कमप्लीट हो गये हैं। उनमें पानी की व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएं। मुख्य मंत्री महोदयाजी ने जो यह घोषणा की थी और आवास, क्वार्टर्स बन गये हैं और उनमें पानी देना हमारा कर्त्तव्य है और कलड़वास में केसरपुरा सूखी टंकी को भरवाने के लिए भी पाइप लाइन की व्यवस्था कराएं, मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करता हूं।

बड़ी का तालाब से 12 गांवों को पानी दिलाना और अम्बाबाड़ी और बायोलोजिकल पार्क में भी पाइप आया हुआ है, उसके लिए भी मंत्री महोदय, थोड़ा-सा पानी है मगर उसका थोड़ा-सा आर्डर हो जाएगा तो वह कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यही मांग करता हूं कि हमारे देवास प्रथम और देवास सैकिण्ड का पानी उदयपुर में आ रहा है। एक ऐसी योजना बनाएं जो हमारा गुजरात में पानी जा रहा है। योजना थर्ड और फोर्थ का पानी उदयपुर में, मेवाड़ में लाने के लिए अगर कोई योजना बनती है तो हमारे मेवाड़ के अन्दर, चाहे राजसमन्द हो, चाहे भीण्डर हो, कानोड़ हों, मावली हो, सबको पानी मिलेगा... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) और मैं एक

(श्री फूलसिंह मीणा)

मांग और करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, कि जनता जल योजना को या तो सौर ऊर्जा से जोड़ें या फिर हमारे पीएचईडी के हवाले कर दें तो जनता को पानी भी मिलेगा और सही भी मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आप हमारी इन मांगों के ऊपर ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर फूलचन्द भिण्डा। आपको भी कहीं बाहर जाना है और डाक्टर राजकुमारजी को भी जाना है तो आप एक-दूसरे का खयाल रख लें कि आप भी अपनी बात अभिव्यक्त कर लें और वे भी कर लें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है, ऐसा स्लोगन सब जगह लगा हुआ है और हमारे कई बार कहा गया है। रहीमजी ने भी कहा है, "रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून" लेकिन जीवन से भी तुलना की गई है। "पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, देखत ही छुप जाएगा, जो तारा प्रभात"

अभी कई माननीय सदस्यों ने एक विषय उठाया। मैं बधाई दूंगा हमारे सिंचाई मंत्रीजी को कि उनका हल उन्होंने कर दिया। हमारे माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि सिंचाई पर जो पैसा खर्च होता है, वह 31 मार्च तक होता है और जब नहर बनती है तो 31 तारीख के बाद पानी आता है, मार्च के बाद पानी आता है। फिर भी वह कह गये, खुद माननीय सदस्य कह गये कि 2000 हैक्टेयर में पानी दे दिया तो मैं बधाई दूंगा सिंचाई मंत्रीजी को कि आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उनको सफल घोषित कर दिया है...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुरुजी का क्या लाजिक है, आप बताइये। मार्च बाद में नहर में पानी आता है। यह कौनसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे आप? यह तो बताओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जब नहर बनेगी न, बजट 31 मार्च तक का है माननीय सदस्य, 31 मार्च तक का बजट है। नहर बनेगी तभी तो पानी आएगा, पहले कहां से आ जायेगा? थोड़ा सोचो तो सही। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहता हूं कई सदस्यों से...

श्री उपाध्यक्ष: गुरुदेव, आपकी पाठशाला के ये स्टूडेंट नहीं थे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ये बोरिंग की बात करते हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सबको आठ-आठ करोड़ रुपये दिये हैं और यह कहा था कि चार साल में आप 1.60 करोड़ रुपये पानी पर खर्च करेंगे। अपना-अपना मूल्यांकन कर लें, फिर हमारे मंत्रीजी को उलाहना दें, मैं यह निवेदन कर रहा हूं।

एक बोरिंग बढ़ाया नहीं हमारे कई माननीय सदस्यों ने और हमारी सरकार को जीरो पर ला टिकाया। वह खुद भी जीरो पर हैं। एक भी बोरिंग नहीं कराया 1.60 करोड़ रुपये में से और सरकार को बोरिंग पर ले आये।

उपाध्यक्ष जी, जहां से मैं आता हूं, वहां से आप स्वयं माननीय सदस्य रहे हैं। अरावली का क्षेत्र है, मेरा सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि अरावली की दोनों शाखाएं मेरे यहां से होकर जाती हैं। रेवाड़ी शाखा भी जाती है और खेतड़ी शाखा भी जाती है और नदियां भी निकलती हैं, बाण गंगा भी मेरे यहां से निकलती है, त्रिवेणी भी निकलती है, सावी भी निकलती है, लेकिन, पानी की दिक्कत यह रहती है कि जहां आता, वहां जब पर्वत नीचे से जाता है तो वहां पानी नीचे आता नहीं। इस कारण से लगातार यह स्थिति बनी रहती है, वैसे तो मंत्रीजी काफी उदार हैं। जब-जब भी निवेदन करता हूं वे करते हैं लेकिन, फिर भी अभी जो सौ हैण्डपम्प दिये हैं, ये जल्दी गड़ जाएं। एक तो यह मेरा निवेदन है।

एक जितनी स्कीमें पेंडिंग हैं, वे समय पर अब निकल जाएं तो एक महीने के बाद, उसका लाभ हमें मिल सकता है। आपके आग्रह पर मैं तो छोटा ही निवेदन कर रहा हूं। सिंचाई का जहां तक सवाल है, आप तो स्वयं साक्षी हैं, एक साथ 17 बोरिंग त्रिवेणी में सूख गये, साल भर में। उसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था सिंचाई मंत्रीजी हैं नहीं। अभी राजस्थान में यह मांग उठती है कि हिस्से का पानी लाओ, मैं तो उससे हटकर के हिस्से का पानी तो आज तक ला नहीं पाए, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि बाढ़ का पानी लाओ और बाढ़ का पानी जो हमारा लगता हुआ इलाका है श्रीमाधोपुर, कांवट, थोई का जो इलाका है, यहां अगर बाढ़ का पानी आता है, रेवाड़ी होकर के, उसके कारण से स्वत: ही बहने वाला ऐसा पाइन्ट है जिससे सांभर भी भर जाएगी, सांभर ओवर फ्लो होगी तो पुष्कर भी भर जाएगा, पुष्कर भर जाएगा तो लूणी में जाएगा और बाड़मेर तक चला जाएगा।

दूसरा पाइन्ट है, जो दौसा से आने वाले माननीय शंकर जी अभी कह

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

रहे थे, उनके लिए भी, आपके क्षेत्र से होकर के जाएगा, जमवारामगढ़ का बंधा भरेगा और बहता हुआ धौलपुर तक जाएगा, सारे जिले कवर हो जाएंगे।

तीसरा पाइन्ट, जो मेरे यहां से निकलता है, त्रिवेणी होकर के, उसके कारण से सावी बहती हुई 140 किलोमीटर धारोड़ा तक जाएगी, धारोड़ा के बाद फिर जाएगी उसमें। मैं मंत्रीजो को धन्यवाद दूंगा कि जो एक कहावत थी 'अकबर बांधी ना बधूं ना रेवाड़ी जाऊं'। सावी नदी के बारे में इन्होंने मुझे एक 4 करोड़ का एनीकट दिया, इसलिए मैं मेरी जनता की ओर से मेरी तरफ से माननीय सिंचाई मंत्री को धन्यवाद दूंगा और ये झूठा भी साबित करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हिम्मत करें तो जैसे भागीरथ गंगा को लाया वैसे एनीकट के माध्यम से रोका जा सकता है, वो उन्होंने किया है।

इसी प्रकार से चौथा पाइन्ट है बुचारा बांध, भरकर के जो सोता जाता है, जिसमें माननीय बहरोड़ वाले सदस्य हैं, माननीय मुण्डावर वाले सदस्य हैं, उनके भी पानी जाएगा और फिर वह यमुना में चला जाएगा। इस कारण से इतने पाइन्ट हैं। उसके अलावा आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए हमारे चूरू, झुंझुनूं और सीकर के माननीय सदस्य कहते हैं। मैं तो कहता हूं जब भी ज्यादा पानी बाढ़ का आएगा तो इनके यहां छोड़ देंगे तो इनके तीनों जिले भर जाएंगे पानी से, लेकिन इस स्कीम पर ताकत लगाकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 हजार करोड़ के लगभग उसका खर्चा आता है तो एक साल, दो साल में हो जाएगा। राजस्थान नहर के बारे में काफी कुछ कहा गया। मैं दो मिनट और लूंगा। 1956 में योजना बनी, राजस्थान नहर की और वह 1976 में 20 साल में पूरी होनी थी। क्योंकि दुर्भाग्य था इस देश को कांग्रेस ने शासित किया, इस कारण 1976 तक तो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गुरुजी, जब इतना बड़ा एनीकट आपको मिल गया, तो अब हम एक्सरसाइज 199 पर ही करें न, आप वाला तो तय ही है न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बिलकुल तय है, नहीं बाढ़ का पानी आना बाकी है। तो, राजस्थान नहर को माननीय उपाध्यक्ष जी, 1976 में पूरी होनी थी और गडरा रोड जानी थी, लेकिन कांग्रेस का जैसा स्वभाव है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैद जी वित्त मंत्री बन गये तो गडरा रोड तो गयी नहीं आज तक। उसको सरदारशहर ले आये। फिर,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

गहलोत साहब बन गये तो जोधपुर ले गये और फिर हमने भी थोड़ा सा करके नागौर तक ले आये। लेकिन एक्चुअल तो जो बाड़मेर तक गडरा रोड तक जानी थी, उनको तो मिला नहीं आज भी।

लेकिन, फिर भी आज माननीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी कह रहे थे कि 20 हजार हैक्टेयर में पानी भरता है, ये प्लानिंग की कमजोरी है। यहां पानी हमारे पास जो हमने सोचा नहीं था मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधान मंत्रीजी को जब मुख्य मंत्री थे, तो हमने सोचा भी नहीं था, इन्दिरा जी के भी टाइम में भी कुछ नहीं कर पाये थे, नर्मदा बांध को उसकी ऊंचाई बढ़ाकर के राजस्थान में पानी लाकर डाल दिया, अब उसकी प्लानिंग हमारी कमजोरी है, उस प्लानिंग के माध्यम से हम उसका उपयोग करे। यह थोड़ा सा आवश्यक लगता है। मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में पानी एक परसेंट है, भूमि 10 परसेंट है, और पापुलेशन 6-7 परसेंट है। इस कारण से जो वाटर मैनेजमेंट है, उसके लिए मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जल स्वावलम्बन और संरक्षण के लिए जो काम किया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। उससे हमारा कल्याण होने वाला है। इस सदन के नेता रहे माननीय भैरोंसिंह जी....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): भिण्डा जी, एक मिनट। मैं कह रहा हूं आपका नाम मुख्य मंत्री के लिए चल रहा है, आप आराम से और बड़े उससे दें भाषण।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आराम से ही बोल रहा हूं..

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दिल्ली के अन्दर चर्चा है पूरी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं इतिहास बता रहा हूं आपको...

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मुझे तो आपका लग रहा है, हनुमान बेनीवाल जी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एनीकट का जो मामला आया है न, यह कहां से आया...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वहीं से आया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां मैं बता रहा हूं इसका। इस सदन के माननीय नेता थे भैरोंसिंह जी शेखावत। एक बार खेतड़ी गये थे वो, तो रास्ते में एक साधु की कुटिया थी वहां रूके, तो उन्होंने कहा कि यहां हैण्डपम्प

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

चाहिए, हैण्डपम्प लगा दिया। जब दो-चार साल बाद दुबारा गये तो कहा हैण्डपम्प तो साल भर में सूख गया, तो कहा महाराज यह पानी कैसे आ गया तो एक कच्चा थोड़ा सा पानी रोका था मैंने इस कारण से वापस पानी आ गया। उसके बाद जितने माननीय भैरौसिंह जी ने एनीकट बनाये और जितने ये पानी के रिसोर्सेज डवलप किये, उस कारण से आज हम पानी पी रहे हैं। लेकिन इस पानी के पीने में भी एक आवश्यकता जो लगती है, उसमें हम सबको सोचना चाहिए कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। यह तो प्राकृतिक मामला है। प्राकृतिक मामला...

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय भैरौसिंह जी का कहीं पर नाम आया है, कहीं बजट में, भूल गये थे आप। अब याद आया भैरोंसिंह जी वापस।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपको कुछ ध्यान ही नहीं है, आधा सुनते हो, ऐसा लगता है आधा सुनते हो, आप। कोई बात नहीं, वो तो करके गये हैं इस कारण से बखान तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि आपके गांव की आबादी कितनी है, अगर तीन हजार है तो माननीय भैरौसिंह जी ने स्कूल खोल दी, सैकण्डरी बिना कहे, ये नोट कर लेना या जांच कर लेना अपने इलाके में जांच कर लेना अगर उसके बाद भी जांच करनी हो न तो 4600 मिडिल स्कूल खोलकर प्रत्येक पंचायत में मिडिल स्कूल खोलने वाला वो शख्स था उसका नाम माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत था, ध्यान कर लेना। आप जांच कर लेना मेरे इलाके में। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का वास्तव में सीरियस मैटर है सबको पानी चाहिए, इस कारण से दो-तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को एक तो जो पानी कहीं दूसरे गांव से आता है तो रास्ते में काटने की समस्या आती है। वहीं कटिंग की समस्या आती है तो जिनके लिए स्कीम होती है वो तो रह जाते हैं, बाकी लोग अवैध काटते हैं, इसका भी कोई कानून बनाना है तो बनाएं, लेकिन इस पर कठोरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से पानी की जो परियोजनाएं हैं वे समय पर पूरी हो जानी चाहिए। पिछली बार आपने 30-30 हैण्डपम्प दिये थे, मेरे 12-13 हैण्डपम्प अभी भी नहीं लगे। मशीन गयी थी सरकार की वो जितने करने थे, करके आ गयी। बाद में दुबारा, आजकल टेण्डर भी नहीं होते। पंचायतों का पैसा जो हम देते थे, उसके लिए कह दिया पंचायत समिति करेगी। अब पावटा में मेरी पंचायत समिति में दो बार सिंगल टेण्डर आ गया। उसमें अब क्या करें, ऐसा कोई रास्ता निकालकर के समय पर पानी पीने की

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

व्यवस्था हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. राजकुमार।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मांग संख्या 27 और 46 पर मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं दो-तीन विषय रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के सामने आपकी ओर से कि मेरे यहां पर नवलगढ़ में 20 करोड़ के लगभग की एक पेयजल योजना चल रही है और सीवरेज के साथ में है सीवरेज, ड्रेनेज प्लस वाटर सप्लाई। यह 20-22 करोड़ की योजना है ।

मैंने कुछ दिनों पहले जब आपके सामने मांग उठायी थी तो माननीय हमारे कृपलानी साहब ने तो वहां टीम भेज दी, सीवरेज वाले मामले में, तो मंजीत सिंह जी वहां पर गये थे और सब अधिकारियों को लेकर, तीन-चार राउण्ड उन्होंने किये हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इतनी बड़ी योजना है हमारा सपना था वो, लेकिन एक ऐसा ठेकेदार वहां काम कर रहा है, इस परियोजना का सत्यानाश कर दिया।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके किसी भी अधिकारी को आप वहां भेजिए। एक बार उस योजना को दिखवाइये, क्योंकि ऐसी योजनाएं उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार नहीं आती हैं। मेरे यहां पहले वाटर सप्लाई का बहुत अच्छा सिस्टम था, लेकिन सीवरेज और ड्रेनेज का जब काम शुरू हुआ था तो नई पाइप लाइनें डलीं वहां पर, एक लाख से ऊपर पाइप लाइन है। अब वो जो वहां पर एक नान टेक्निकल टाइप का व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई बीकानेर का, ठेकेदार का भी नहीं कोई सबलैट किया हुआ कोई व्यक्ति सैकिण्ड टाइप का, वो व्यक्ति उसको कुछ पता ही नहीं है, अकेला व्यक्ति पूरे 22 करोड़ की योजना को संभाल रहा है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको गम्भीरता से एक बार टीम भेजकर और उस वाटर का जो लेवल है, उसे भी आप चैक करवा लें, पुरानी जो पाइप लाइनें हैं बीस-बीस साल पुरानी, उसमें कहीं-कहीं जोड़ दी उन्होंने, अब हमें अन्दर तो पता नहीं चलता कि यह नई डाल रहा है या पुरानी कर रहा है, तो वहां पर गन्दा पानी आ रहा है, वहां मिक्स होकर के। एक उसका आप कृपा करके ध्यान दिलवाएं, भिजवाएं अपनी टीम को।

(डा. राजकुमार शर्मा)

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, हमारा झुंझुनूं जिला डार्क जोन में है। राजस्थान के बहुत से जिले डार्क जोन में हैं, उसमें नवलगढ़ विशेष है। पीने का पानी है नहीं, नये ट्यूबवैल आप स्वीकृत कर नहीं रहे हो...

(20.00 बजे)

आप जितने भी स्वीकृत कर रहे हो वो ड्राई के अगेंस्ट कर रहे हो। जिस किसान के यहां पर खेती का काम हो रहा है, पीने के पानी का काम हो रहा है वहां पर अगर उसका कुआं सूख गया तो वो खेती से भी वंचित हो गया, ढाणी में बस गया उसके घर में पानी पीने के लिए भी नहीं है। सरकार की तरफ से नया ट्यूबवैल हम लोग वहां नहीं दे सकते तो वो व्यक्ति परमिशन के लिए कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक चक्कर काटता है। डार्क जोन के चक्कर में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है आप अंदाजा लगा लो सभी माननीय सदस्यों के यहां पर यह समस्या जहां-जहां भी डार्क जोन है सबके दिक्कतें हो रही होंगी। वहां पटवारी से सेटिंग करता है, पुलिस से सेटिंग करता है उसके बाद में वो अपना ट्यूबवैल खुदवाता है। पड़ौसी ने शिकायत कर दी तो वो राशि बढ़ जाती है। यह गंभीर इश्यु है। आप इसमें दिखवाएं, क्योंकि आप लोग भी फोन करते हैं कि यह पानी पीने के लिए है कलेक्टर साहब इसको मत रोको, चलने दो, बना लेने दो। अपन लोग भी यह काम करवाते हैं। डार्क जोन में है फिर भी अपने को कहना पड़ता है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो वो व्यक्ति कहां जाएगा। अगर हम मना करें उसको कि ट्यूबवैल नहीं करा सकते आपके तो वो कहता है कि आप सरकार की तरफ से करा दो। सरकार की तरफ से हम लोग करा नहीं पाते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुख्य मंत्रीजी से बात कीजिये। आप ड्राई के अगेंस्ट तो दे रहे हैं सब जगह ट्यूबवैल। आप नये ट्यूबवैल भी सैंक्शन कीजिये। सौ-सौ हैंडपंप आपने दिये हैं, जिस क्षेत्र में सौ हैंडपंप काम करते हैं उनको आप खुदवाइये वहां पर, लेकिन झुंझुनूं, सीकर इधर हैंडपम्प का कोई मतलब नहीं है। ये वेस्टेज आफ मनी है, वेस्टेज आफ टाइम है। मैं आज भी कह रहा हूं आपको आप सौ हैंडपम्पों की जगह कुछ ऐसा प्रावधान कर दो, जो मैंने सुना है आप कर रहे हैं, ताकि वहां पर सोलर वाला हो जाए, लेकिन सोलर वाले में भी कहूंगा कि आपके अहमदाबाद की टीम काम कर रही है। मेरे क्षेत्र में दस सोलर पंप लगे हैं वो दसों के दसों में से तीन खराब पड़े हैं। अभी तक हमारा एईएन, एक्सईएन बेचारा बार-बार फोन करता है अहमदाबाद लेकिन कोई भी

(डा. राजकुमार शर्मा)

उसको देखने के लिए नहीं आता तो कोई भी कंपनी ऐसी है, तो उसकी आप कम से कम मानिटरिंग ऐसी रखो। आपके सक्षम अधिकारी बैठे हैं, उनको आप जिम्मेदारी दो कि जो सोलर पाइंट हमने लगाये हैं उन सिगल पाइंट्स के ऊपर वो नजर रखें अगर खराब हो गया तो उनकी जिम्मेदारी तय करो, ताकि वो लोग उसका आराम से पीने के पानी का लुत्फ उठा सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर मुकुंदगढ़ कस्बा है। तीन ट्यूबवैल के लिए मैंने प्रार्थना कर रखी है, 4-5 करोड़ रुपये की एक योजना भी है। बहुत-बड़ा कस्बा है। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के विधायक हैं, सबने आपको दयालु बताया, मैं आपको हमेशा दयालु बताता हूं और आप हैं भी तो कुछ दया हम पर भी करो। मुकुंदगढ़ के अन्दर आप उस योजना को स्वीकृत कर दो, ताकि मुकुंदगढ़ वाले आपको हमेशा दुआ देंगें। मुकुंदगढ़ के साथ-साथ मेरा गांव है परशुरामपुरा वहां पर बड़ी टंकी स्वीकृत हुई थी पिछली सरकार में और बसावा में हुई थी, चिराना में, ये दो-तीन गांवों में हुई थी, लेकिन समीक्षा के नाम पर उनको रद्द कर दिया था। मैंने सुना है कि उसको आप लोगों ने पुन: जीवित किया, रिसर्जेंट किया है। प्रार्थना है आपसे कि मुकुंदगढ़ के अलावा, परशुरामपुरा, डूंडलोद, बसावा, चिराना, रामपुरा और पाड़ीला, पाड़ीला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत है फ्लोराइड है बहुत सारा। आपने जांच भी करवा ली। आपने प्रश्न के जवाब में भी दिया है कि वास्तव में वहां पर बाय में पाड़ीला के अन्दर करीब सात गांव-ढाणियां हैं जहां पर बहुत फ्लोराइड है। मैं यह कह रहा हूं कि मैं जब साइंस एंड टेक्नोलोजी का मिनिस्टर था पिछली सरकार में तो हमने मेरे डिपार्टमेंट से वहां पर एक आर.ओ. प्लांट लगवाया था। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको लगे हुए साढ़े चार साल हो गये लेकिन वह आज तक चालू नहीं हुआ है। आप उसका पता करवा लें क्यों चालू नहीं हुआ है, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है। सारा कुछ वहां पर सारा सिस्टम हो चुका लेकिन वो चालू नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कह रहे हैं कि कोई बीकानेर से टीम आएगी वो आकर चालू करेगी तो आप उसका भी एक बार पता करवा लें कि आर.ओ. प्लांट साढ़े चार साल से क्यों बंद पड़ा है, वो भी चालू हो जाएगा तो वहां लोगों को मीठा पानी पीने को मिल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बागोरियों की ढाणी, गोठड़ा, टोडपुरा, गोल्याना, लोहार्गल, झाझड़, पुजारियों की ढाणी, खिरोड़ ये मेरे चालीस ग्राम

(डा. राजकुमार शर्मा)

पंचायतों में से 15-20 पंचायतें हैं जहां पर पानी की ज्यादा दिक्कत है और तो भगवान की दया से और पंचायतों में ठीक है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि मैंने दो-तीन आपको कही हैं आप उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। एक इंदिरा गांधी नहर योजना के अन्तर्गत हमारे यहां कुम्भाराम लिफ्ट योजना है। माननीय मंत्रीजी शायद मेरे को सुन रहे होंगे। आप लोगों ने कहा कि हमने इसकी डीपीआर तैयार करवा दी है। आपने सूरजगढ़ को जोड़ा, आपको धन्यवाद। आपने उदयपुरवाटी को जोड़ा, आपको धन्यवाद। आपने झुंझुनूं को जोड़ा, मण्डावा को जोड़ा, धन्यवाद। पिलानी को जोड़ा, धन्यवाद, लेकिन मेरे नवलगढ़ को जोड़े हुए को क्यों काटा? मेरे नवलगढ़ को काटने का कोई अधिकार नहीं था, वो भी आपकी जनता है। सरकार सबकी होती है। सरकार जनता की और जनता सरकार की, सब एक दूसरे के होते हैं। आपने नवलगढ़ को कुम्भाराम लिफ्ट योजना से हटाया फिर हमने जब तत्कालीन आपसे पहले जो मंत्रीजी थे, उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ सहित सीकर जिले के शेष 6 कस्बों में 865 ग्राम तथा झुंझुनूं जिले के शेष 6 कस्बे एवं 321 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालीन समाधान हेतु सर्वेक्षण कार्य व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने हेतु राशि 453.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.1.2017 को जारी कर दी, 17.1.2017 को और आज हो गई 23.2.2018 यानी 13 महीने हो गये, 13 महीनों के अन्दर भी आज तक वो डीपीआर कहां है पता नहीं चला। उसी में आपने लिखा कि इस डीपीआर को पूरा करने के लिए सलाहकार फर्म पीडी कोर जयपुर द्वारा दरों के अनुमोदन संबंधी कार्यवाही सक्षम स्तर पर प्रक्रियाधीन है और इस योजना को यानी डीपीआर बनाने के लिए आपने 12 महीने का समय दे दिया। अब तो 12 महीने भी हो गये, मैं कुछ नहीं बोला पहले भी। अब तेरहवां महीना चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो डीपीआर अगर वास्तव में कागजों से निकलकर धरातल पर आ गयी है तो नवलगढ़ को कुम्भाराम लिफ्ट योजना का फायदा आप दे दीजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पीडी कोर को जो आदेश दिया है डीपीआर बनाने का वो देखें आप किस तारीख का दिया है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): डीपीआर बनाने का आदेश दिया है आपने 17.1.2017 को।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 17.1.2018 को।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नहीं-नहीं। 17.1.2017 में आपका दिया हुआ जवाब ही पढ़ रहा हूं, 2018 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस समय आप मंत्री नहीं थे, मंत्री वो मैडम थी तो आपने लिखा है और लिखा ही नहीं सच्चाई भी है यह, 17.1.2017 को डीपीआर बनाने का निर्देश आपने दे दिया था, जिसकी राशि भी स्वीकृत थी 453.63 उसके लिए आपने बारह महीनों का समय मांगा और बारह महीनों का समय भी पूरा हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब एक महीना ऊपर चला गया है तो तेरह महीनों के अन्दर उस जिम्मेदार संस्था पीडी कोर, जो आपकी संस्था है उसको कौन मानिटरिंग कर रहा है, आपका कौन अधिकारी जिम्मेदार है? कृपा करके उनको बोलो कि नवलगढ़ भी राजस्थान में है और नवलगढ़ के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया अभी जन संवाद कार्यक्रम के तहत आयी थीं नवलगढ़ के अन्दर। वे भी वहां ज़बान देकर आयी हैं तो मुख्य मंत्रीजी की जबान तो नहीं गिरनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नवलगढ़ को बहुत जल्दी ही कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-27 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। समय काफी हो गया। ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगी। क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर सभी क्षेत्रों में पानी की समस्या है और राजस्थान के अन्दर ज्यादातर शासन कांग्रेस का रहा, लेकिन कभी कांग्रेस के भाई अभी माननीय सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग कर रहे हैं, लेकिन जब-जब बीजेपी का राज आया, हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार जल चेतना यात्रा निकाली और गांव-गांव में लोगों को जागृत किया। इस बार फिर से जब सरकार आयी तो जल स्वावलंबन योजना चालू की और हर विभाग के द्वारा चाहे पंचायती राज विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पीएचईडी हो, सारे विभागों के द्वारा और जन सहभागिता भी उसमें शामिल करते हुए जल को बचाने का काम किया, जल को एकत्रित करने की तो राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा आवश्यकता है पानी की और इसके ऊपर कभी-भी

(श्रीमती राजकुमारी)

किसी सरकार ने नहीं सोचा। क्या सरकार शासन करने के लिए आती है। हमारी मुख्य मंत्रीजी माननीय वसुन्धरा जी ने हमेशा जनता के हितों को, जनता की प्रोब्लम को समझकर काम किया। जैसा कि हमारे करौली जिले में 2003 में जब हमारी सरकार आयी तो चम्बल लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की और इसमें गंगापुर तहसील हमारे करौली जिले की नादौती तहसील और सवाईमाधोपुर तक पानी पहुंचाने के लिए वो योजना स्वीकृत की।

2008 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई और इस योजना को ठंडे बस्ते में पटक दिया। आज टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य घनश्याम जी, पानी के लिये बात कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है कि हम चाहे सदन में नहीं आयें लेकिन जनता के बीच में तो हमेशा रहे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मंत्रीजी को भेजा, विभागीय मंत्रियों ने कई बार दौरा किया और इस योजना का फिर से काम चालू किया। निश्चित रूप से यह योजना जल्द ही चालू होने वाली है। माननीय पीएचईडी मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, नादौती क्षेत्र से ही लगा हुआ हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र है, इसमें मेरी 7-8 ग्राम पंचायतें मेरे क्षेत्र की लगी हुई हैं। जैसे नादौती क्षेत्र में पानी की प्राब्लम है, इसी तरीके की उन गांवों में भी सेम पोजीशन है। हम हैंडपम्प, बोरिंग कराते हैं, वह सारे ड्राई चले जाते हैं। पीएचईडी मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो चंबल लिफ्ट परियोजना चल रही है, इसमें ग्राम पंचायत जोल, दादालपुर, महावीर जी, अकबरपुर, छाजनगांव, गांवडीमीणा, नगलामीणा, यह ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें हम हैंडपम्प भी लगाते हैं तो वह सक्सैस नहीं होते हैं। इसी के साथ में एक पटोदा ग्राम पंचायत है, सनेट है, इनकी एक योजना आपके पास विचाराधीन है। शायद आपने उसकी एप्रुवल भी दे दी है। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट को गई हुई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस योजना को आप जल्द ही स्वीकृत करेंगे तो इस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी।

मंत्री महोदय, आप विराजमान हैं, कई बार आपको अवगत भी कराया है कि चंबल का जो पानी है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि आज राजस्थान की जनता को पानी की जरूरत है, उसमें 13 जिलों के लिये पिछली बार बजट भाषण के पेज नंबर 134 पर उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं इन 13 जिलों की डीपीआर तैयार कराकर इसकी योजना बनाऊंगी। माननीय मुख्य मंत्री ने फिर से उसकी

(श्रीमती राजकुमारी)

डीपीआर बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। क्योंकि यह योजना इतनी जल्दी तैयार होने वाली नहीं है। हम यह देख रहे हैं कि आपकी सोच तो इतनी है कि आपने जनता की प्राब्लम को समझा और गर्मी में पानी के लिये जो जनता त्राहि-त्राहि करती है, मैं यह कहना चाहती हूं कि बीच में जब-जब कांग्रेस का शासन आया, जनता की प्राब्लम इनको समझ में क्यों नहीं आती। यह जब योजना बनाते हैं, जैसे चंबल लिफ्ट परियोजना ठंडे बस्ते में पांच साल तक पड़ी रही। कभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, बजट भी पड़ा रहा। आज वह बीच में इस काम को कराते तो निश्चित रूप से सवाईमाधोपुर और करौली के अन्दर अब तक पानी पहुंच चुका होता। आज नादौती और टोडाभीम में आंदोलन करवाये जा रहे हैं, वह आंदोलन जनता को नहीं करने पड़ते।

माननीय सिंचाई मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे करौली जिले में पांचना बांध है। पांचना बांध से हिण्डौन के जगर बांध में पानी की आवक कम हो गई है। इसलिए चंबल से बरसात के समय जो वेस्ट पानी जाता है, वह पानी पांचना में और पांचना से जगर बांध में डालेंगे, जगर बांध से हमारा एक तिहायदा बांध है, उसमें डालेंगे तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र का जो जल स्तर गिरता जा रहा है, हमारा जल स्तर ऊपर आ जाएगा और जो हम हैंडपम्प, बोरिंग कराते हैं, वह सक्सैस हो जाएंगे, इतना मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं।

एक दादालपुर ग्राम पंचायत में पिछली बार भी मैंने मांग पर बोला था और सिंचाई मंत्रीजी ने उस पर भी काम किया और उसकी डीपीआर तैयार हो गई, वह बजट के लिये इंतजार कर रही है। आप उसको बजट दे देंगे, पूरी कार्यवाही हो चुकी है। पांचना बांध का पानी जो बरसात में बहकर वेस्ट जाता है तो वह बांध में इकट्ठा होगा तो हमारी जो 5-7 ग्राम पंचायतें हैं जिनका जल स्तर नीचे जा रहा है, चांदन गांव, महावीर जी, नानालपुर, यह ऐसी पंचायतें हैं जिनका जल स्तर ऊंचा हो जायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो इस बांध की आप स्वीकृति जारी करेंगे।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आने वाले गर्मियों के दिनों में

(श्रीमती राजकुमारी)

आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 100-100 हैंडपम्पों की घोषणा की है तो छोटी-छोटी ढाणियों में जो पानी की समस्या है, उससे निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। साथ ही आपने जो 500 आरओ की घोषणा की है, आरओ हमारे क्षेत्र में लग रहे हैं और आरओ के माध्यम से शुद्ध पानी मिल रहा है, इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। सोलर पाइंट आपने जो गांवों में लगाये हैं, वाकई में उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय पीएचईडी मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो गांवों में आपके जो सोलर पाइंट है, गांव में लाइट नहीं जाती है, लाइट नहीं होते हुए भी लोगों को पानी मिल रहा है, इससे भी बहुत लोगों को राहत मिली है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोनादेवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान मेरे गंगानगर जिले की जनता की तरफ दिलाना चाहूंगी कि गंगानगर जिले की जनता को पेयजल की व्यवस्था नहरों के पानी से की जाती है क्योंकि वहां की भूमि का पानी फ्लोराइड युक्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान रायसिंहनगर विधान सभा की ओर भी दिलाना चाहूंगी। रायसिंहनगर में आपके विभाग की तीन योजनाएं पैंडिंग पड़ी हैं, इसके लिये मैंने पहले भी अवगत कराया। 26 FF, 62 NP, 72-78 RB पैंडिंग पड़ी है, मैं मांग करती हूं इसकी स्वीकृति दी जाये। जनता जल योजना के अन्तर्गत भी बहुत सारी जीर्णोद्धार योजनाएं और वाटर वर्क्स आपके यहां पैंडिंग पड़े हैं, मैं मांग करती हूं कि 35 ML, 12 NRD, 2 LPM, 24 PTD, 15 PTD, 6 FD, 34 NP, 1LC, 2NP, 1-4 TK, 3 NZP (बरानी), 6 LC, 4MK, 20 RB, 48 NP, भोमपुरा, बग़ीचा, राइयांवाला, 6 NZPD, 28 F, 5 FD, 19 NP, 36 PS, 33 NP, 19 PS, 34 PS यह सारी जीर्णोद्धार के लिये आपके विभाग में और जनता जल योजना में पैंडिंग पड़ी हैं, मैं मांग करती हूं कि आज आप इनकी घोषणा करेंगे। श्री विजयनगर शहर की वर्तमान जल योजना शहरी जनसंख्या को देखते हुए शहर से बाहर नई जल योजना बनाने के लिये जमीन अलाटमैंट के संबंध में फाइल राज्य सरकार को भेजी गई है, जो स्वीकृति के अभाव में पैंडिंग है। मैं मांग करती हूं कि जमीन अलाटमैंट की स्वीकृति दी जाए ताकि वहां की 2011

(श्रीमती सोना देवी)

की जनसंख्या को देखते हुए यह पेयजल व्यवस्था की जाए। श्रीविजयनगर के ग्रामीण एरिये में जनता जल योजना के तहत 4 AS, 5AS वाटर वर्क्स स्कीम का विस्तार करने हेतु 12 GB, 8 GM, 49 GB, 6 BGD, 20 GB, 23 GB, 16 AS, 14-16 SD, 1 DJM, 12 BLM, स्वीकृति के अभाव में लम्बित पडे हैं। श्रीगंगानगर जिले में पेयजल के लिये जल की आपूर्ति नहरों से होती है, यह मैंने पहले भी अवगत कराया, पुन: अवगत कराते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राजस्थान में कम से कम 8 जिले आईजीएनपी नहर का दूषित पानी ले रहे हैं। पोंग डैम पंजाब में सतलज नदी का पानी, बहुत सी फैक्ट्रियों का गंदा पानी और सीवरेज का गंदा पानी सतलज में होते हुए हमारी आईजीएनपी नहर में आता है।

आठ जिले इस गंदे पानी को यूज कर रहे हैं, मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। मैं मांग करती हूं कि इन आठ जिलों को जो कि एक कैंसर जैसी महाबीमारी को न्यौता दे रहे हैं। आई.जी.एन.पी. में जो गंदा पानी है, उसको भी शुद्ध करने की व्यवस्था की जाए, मैं मांग करती हूं।

इसके साथ ही मैं मांग संख्या 46 - सिंचाई पर माननीय मंत्री महोदय जी, डिमांड करना चाहूंगी कि फिरोजपुर फीडर 1958 में बना था, जिसमें पंजाब के हिस्से 168.5 बुर्जी का निर्माण 1958 में हुआ था, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी और 2008 में इसकी ऐज पूरी हो गयी है। आज 2018 में दस वर्ष पूरे हो जाएंगे। फिरोजपुर फीडर की एक्सपायरी डेट हो गयी है। यह बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर यह फिरोजपुर फीडर नहीं बनाया जाता है तो गंगानगर की गंगनहर जो वितरिका है, जीवनदायिनी है उसका हमें बहुत भारी नुकसान होगा, अगर यह फिरोजपुर फीडर नहीं बनाएंगे तो मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं और मांग करती हूं कि फिरोजपुर फीडर की तुरन्त प्रभाव से डीपीआर तैयार करके फिरोजपुर फीडर का निर्माण किया जाए।

इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि बागीड़ा हैड व अन्य हैडों का पानी नापने के लिये क्रास रैगुलेटर की बात आपने पिछले बजट में कही थी। एक वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। गंग कैनाल के बहुत से आउटलैट निर्धारित क्षमता से ज्यादा पानी ले रहे हैं, जिस कारण सभी वितरिकाओं में निर्धारित क्षमता से अधिक छोड़कर टेल को पूरा किया जाता है। मैं मांग करती हूं कि गंगानगर की जनता के लिये, गंगानगर के

(श्रीमती सोना देवी)

किसानों के लिये, गंगानगर के समस्त काश्तकारों के लिये टेल को पूरा करके सभी माइनरों की टेल को पूरा किया जाए।

जिस तरह से बागीड़ा हैड के सुदृढ़ीकरण एवं टेल को पूरा करने के लिये हरनोली हैड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। फिर सरकार ने इस ओर ध्यान देकर, माननीय मंत्री महोदय जी ने ध्यान देकर बागीड़ा हैड का सुदृढ़ीकरण करके उसकी टेल को पूरा करने की कोशिश की थी। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि बागीड़ा हैड की तरह हमारे बहुत से हैड निर्धारित मात्रा से ज्यादा पानी ले रहे हैं और बहुत से मोगे निर्धारित मात्रा से ज्यादा पानी ले रहे हैं। मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो निर्धारित मात्रा से अधिक पानी ले रहे हैं, उन मोगों का सुदृढ़ीकरण करके नाप के अकोर्डिंग बनाया जाए, ताकि हमारा सिंचाई का पानी वेस्ट न हो।

मैंने बहुत बार खाटा माइनर की मांग की थी। खाटा माइनर के लिए मैं केवल सात क्यूसेक पानी की बात कर रही हूं। पानी का इतना लोस हो रहा है, इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। पिछले चार साल से मैं खाटा माइनर के लिये सात क्यूसेक पानी की मांग कर रही हूं। फिरोजपुर फीडर का जिसका पंजाब से लेकर राजस्थान तक पानी आता है, उसमें जो दो सौ से चार सौ क्यूसेक पानी का लोस हो रहा है। इतने पानी का लोसेज हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि उस लोस को रोका जाये। सात क्यूसेक पानी हमारे खाटा माइनर को दिया जाये। सूरतगढ़ के बहुत से किसान एटासिंगरासर माइनर की मांग कर रहे हैं। मैं भी मांग करती हूं कि एटासिंगरासर माइनर का निर्माण किया जाये और एटासिंगरासर माइनर से आप अगर 54 गांवों को पानी देते हैं तो मैं यह भी डिमांड करना चाहूंगी कि यदि वह पानी देते हैं तो वह पानी निर्धारित मात्रा में सूरतगढ़ ब्रांच या अनूपगढ़ शाखा या गंगानगर का पानी जो भी फर्स्ट फेज में निर्धारित है, उसमें आप एक बूंद कटौती नहीं करियेगा। आप हरिके बैराज से एटासिंगरासर माइनर के लिये पानी लेकर वहां की जनता को सिंचाई सुविधा देकर इस माइनर का निर्माण कीजिएगा, मैं ऐसा अनुरोध करना चाहूंगी।

रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में करणीजी वितरिका के लिये मैंने बार -बार मांग की। आपने मौका मुआयना भी किया। मैं धन्यवाद देती हूं, लेकिन आज दिनांक तक उसका कुछ नहीं हुआ है। करणीजी माइनर के लिये भी मैं मांग करती हूं। जीबी माइनर, गोमावाली माइनर के लिये मैं मांग करती हूं।

(श्रीमती सोना देवी)

बग़ीचा में बहुत से कच्चे कट हैं। कट होने के कारण बहुत से काश्तकारों और किसानों की बारियां पिट जाती हैं। मेरे बार-बार मांग करने के बाद भी सरकार की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करती हूं कि बग़ीचा माइनर के जो कच्चे कट हैं, उसके लिये आज आप घोषणा करेंगे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नए वाटर वर्क्स के लिये नहर से आउटलैट्स की मांग कर रखी थी। जल संसाधन विभाग से जिनकी स्वीकृति आज दिनांक तक नहीं मिल पायी है जैसे ठाकरी। नहर से पानी के लिये मोगे की स्वीकृति के लिये सिंचाई मंत्री ने माननीय मंत्री महोदय जी आपको स्वीकृति नहीं दी है। या तो आप दोनों का तालमेल सही नहीं है या फिर यह क्या चक्कर है? मैं जानना चाहूंगी कि रायसिंहनगर की बहुत-सी फाइलें सिंचाई से जो कि छोटे मोगे और पेयजल के लिये वाटर वर्क्स तक जानी हैं, वे पैंडिंग पड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस तालमेल को सही बैठाइए। सही बैठाकर आप इस ओर भी ध्यान दें कि जो भी पैंडिंग पड़ी हैं, उसकी स्वीकृति दें। जैसे कि ठाकरी की मैंने मांग कर रखी है। एग्जाम्पल के लिये मैंने ठाकरी का बताया है। ऐसी बहुत-सी फाइलें पैंडिंग पड़ी हैं, इसकी ओर ध्यान दें। बरसात के समय हर वर्ष कैली आती है। सरकार को शायद पता नहीं है कि कैली क्या होती है? कैली हर वर्ष वर्षा के मौसम में आती है, जिसके कारण बहुत से काश्तकारों की बारियां पिट जाती हैं, माइनर टूट जाता है। मैंने सरकार से मांग की कि इसका कोई स्थाई निजात होना चाहिए और कैली कटर मशीन या जो भी आप उचित समझें, इसका स्थाई निदान होना चाहिए।

सीएडी विभाग द्वारा पक्के खालों के निर्माण के लिये मैंने मांग कर रखी है। वैसे सरकार ने नरेगा द्वारा मेरे एरिये में पक्के खाले बनाये हैं। एम.जे.एस.वाई., जल स्वावलंबन योजना में भी बहुत से पक्के खाले बनाये हैं। लेकिन मैं मांग करना चाहूंगी कि सीएडी द्वारा पक्के खाले बनने चाहिए। क्योंकि नरेगा या ग्राम पंचायत से लेवल सही नहीं बैठता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करती हूं कि जो सीएडी के पैंडिंग पड़े हैं। अभी भी केवल रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में मात्र 10 परसेंट ही पक्के खाले बने हैं। मैं मांग करती हूं कि गंगनहर, आई.जी.एन.पी., सूरतगढ़ ब्रांच में चाहे जी.बी. माइनर या कोई-सी भी माइनर है, उसमें जितने

(श्रीमती सोना देवी)

भी पक्के खाले पैंडिंग पड़े हैं, उनकी पुन: स्वीकृति दें। खाले बीस वर्ष पहले बने थे, उन्हें नकारा घोषित करके नये खाले बनाने की स्वीकृति दी जाए, बजट पास किया जाए, मैं यह भी मांग करती हूं।

इसके साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा आई.जी.एन.पी. की अनूपगढ़ एवं सूरतगढ़ शाखा का पुनर्निर्माण किया जाये। सूरतगढ़ ब्रांच का फर्स्ट फेज में केवल मात्र 20 किलोमीटर का नवीनीकरण किया है। मैं यह भी सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि सूरतगढ़ ब्रांच का फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड, फोर्थ, शायद फिफ्थ तक फेज आयेगा, इसको आप जल्दी-जल्दी कमप्लीट कीजिए, ताकि टेल की जनता को, टेल के काश्तकार को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि सूरतगढ़ ब्रांच की जो भी कच्ची माइनर है या फिर जो टूटी हुई माइनर है, उनका पुनर्निर्माण किया जाए। इसके साथ ही हरनोली हैड के पुल निर्माण की मैंने बार-बार मांग की थी। हरनोली हैड के पुल का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ ही गजसिंहपुर सड़क जो कि करणपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है, उसकी भी मैं मांग करती हूं। एफ.एफ.ए. माइनर की 1.700 बुर्जी पर स्थित है, जिसमें आपकी डीपीआर 37 लाख की बन चुकी है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय मंत्री महोदय जी, डीपीआर 37 लाख की बन चुकी है। इसकी भी मैं मांग करती हूं कि गजसिंहपुर और करणपुर विधान सभा क्षेत्र में यह पुल आता है और मेरा करणपुर में मायका है, इसलिए आप कृपया घोषणा करके जरूर कीजियेगा। करणपुर विधान सभा क्षेत्र में मेरा मायका है, इसलिए आप इस पुल का निर्माण जरूर करें। मेरे एरिये में अगर बजट की जरूरत है तो मेरे एमएलए लैड से आप ले लीजिएगा।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि बहुत बार नहरों से काश्तकारों द्वारा भी पानी की चोरी कर ली जाती है तो मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसका स्थाई निजात किया जाए। अगर कोई चोरी करता है तो उसके ऊपर गम्भीर कार्यवाही होनी चाहिए। वास्तव में कार्यवाही करके उसे सज़ा दी जाये, चाहे वह कोई भी काश्तकार है, इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। नहरों की सुरक्षा हेतु मैं यह कहना चाहूंगी कि नहरों के ऊपर जो पटड़े बने हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाये। नहर की साफ-सफाई की भी मैं मांग करती हूं। जो नहर में झाड़-झंखाड़ है, चाहे पिटड़ी माइनर है और चाहे सूरतगढ़ ब्रांच है, चाहे वह गंगनहर है।

(श्रीमती सोना देवी)

इसके साथ ही मैंने माननीय मंत्री महोदय जी को लिखित में दिया था कि 28 एनपी, 26 एनपी ग्राम के अन्दर ठण्डी वितरिका का पुल टूटा हुआ है, जिस पर आपने आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की है। मैंने लिखित में मांग की थी कि गांव के अन्दर ग्रामीणलोग परेशान हैं, लेकिन आपका इस ओर ध्यान नहीं गया। मैं आज मांग करती हूं कि 28 एनपी, 26 एनपी जिनके खण्ड खोल दिये हैं। वैसे तो रायसिंहनगर में, माननीय मंत्री महोदय जी का और सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि रायसिंहनगर में जल संसाधन विभाग का नया कार्यालय 'रायसिंहनगर खण्ड' के नाम से खुला है। जो कार्यालय खुला है, वह भवन विहीन है। वह विश्राम गृह में चल रहा है। यह विश्राम गृह महाराजा गंगासिंह के समय का बना हुआ है। इस भवन की हालत बहुत खराब है। उसकी छत कभी भी गिर सकती है। पीछे गिर भी गई होगी मैं तो 20 दिन से यहां हूं। इस संबंध में विभाग को मंत्रीजी सूचित कर रही हूं कि अधिशासी अभियंता के लिए भवन व अधिकारियों के लिए क्वार्टस का निर्माण किया जाए। यह भी मैं मांग करती हूं। कि 11 जोड़िया से 10 सरकारी पुल माननीय मंत्री महोदय जी मैं मांग करती हूं कि 8एसटीबी और 5एसटीबी में आवागमन रुका हुआ है, इसके लिए भी पुल का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही मैं मांग करती हूं कि अनूपगढ़ शाखा की 83-84 आरडी है शायद और 5एएस-6एएस के बीच में आवागमन का रास्ता बना हुआ है। उसके पुल के निर्माण की भी मैं मांग करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भीम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नाना लाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27, मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, जाखम बांध के नागलिया पिकअप वियर पर हाई लेवल कैनाल बनाकर जाखम बांध की 28 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम किया गया। इस क्षेत्र में इससे पांच टीएमसी पानी की बचत होगी। इसके साथ-साथ उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के लगभग 17 हजार हैक्टेयर नये क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा भी की जाएगी। इस परियोजना की लागत करीब 2 हजार 200 करोड़ की आएगी। मैं सिंचाई मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दोनदी बांध की जो नहरें, 2007-08 में हमारा राज चला गया, नहरें अधूरी रह गयी। पांच वर्षों में कांग्रेस के कार्यकाल में उन नहरों पर किसी

(श्री नाना लाल अहारी)

प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में उन नहरों को वापस देखा और सिंचाई मंत्री जी ने उसका रिवाइज एस्टीमेट बनाकर 406 करोड़ की लागत से वापस उसे चालू करवाया। आज यह नहरें वहां पर बनकर तैयार हैं। इसी के साथ-साथ घोड़ाखोज का बांध 2007-08 में चालू हुआ और 2009-10 में उस बांध को पूरा कर लिया गया।

(20.33 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

पूरा करने के बाद में जब इसकी नहरों का काम था तो वही स्थिति रही जो दोनदी बांध की नहरें थीं, ये नहरें भी कांग्रेस के राज में अधूरी छोड़ दी गई। वापस 2015-16 में इसका पुन: टैंडर किया गया। इन नहरों को वापस पूर्ण करने का काम किया। आज इन नहरों का काम पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार से सोम कागदर बांध की नहरें, जिनके लिए भी मंत्रीजी ने 101 लाख रुपया देकर उन नहरों का भी सुदृढ़ीकरण करवाया। इसके साथ-साथ अपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भैंसोर का नाका की स्वीकृति दी। यह भैंसोर का नाका पूर्व में अधूरा रह गया। कांग्रेस सरकार ने इसको देखा ही नहीं। 2016-17 में हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने और विभाग के अधिकारी ने इसका पुन: एस्टीमेट बनाकर 157 लाख की लागत से मंजूरी दी। आज यह काम प्रगति पर है। उसी प्रकार से दलियावाव बांध, जो नया बांध है, इस पर भी 216 लाख की मंजूरी देकर इसका भी शिलान्यास होकर काम चल रहा है। इसी प्रकार से कबडिया एनीकट पर भी आपने 92 लाख रुपये देकर इस काम को भी चालू करवाया। हाथियों का नाका पर भी आपने 83.73 लाख की लागत से इस काम को पूरा किया। इसके साथ-साथ दोनदी बांध जो वर्षों पहले अधूरा पड़ा था, इसको भी आपने 9 करोड़ 99 लाख 53 हजार की स्वीकृति देकर इस कार्य को भी पूरा करवाया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सोम कागदर की नहरें, घोडाखोज की नहरें, घूदर बांध की नहरें, यह सारी नहरें जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थी, आपने इन पांच वर्षों में इन सारी नहरों की मरम्मत कराकर टेल तक पानी देने का काम किया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी कुछ मांगें भी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर हरि घाटी बांध, सुलई में, घाटकोण का बांध, गड़ावत में और दलियावाव का बांध, सरेरा में इसका भी पानी लीकेज है। बहुत बड़ा

(श्री नाना लाल अहारी)

बांध है। इनका जीर्णोद्धार करके पानी के लीकेज को रोका जाए। इसी प्रकार से कोजावाडा ग्राम पंचायत में एक फूटा तालाब है, उस फूटे तालाब को भी वापस मरम्मत करके सही करने की आवश्यकता है। अनिया तालाब जो सेमारी पंचायत समिति में घोड़ासर पंचायत में है। इसकी नहरें कच्ची हैं। इसकी सारी नहरें पक्की की जाएं। सेमारी बांध की दांयी और बांयी दोनों नहरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इन नहरों को भी ठीक कराने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 2006-07 में दो बड़ी योजना मेरे विधान सभा क्षेत्र और सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के बीच में चालू हुई थी। एक सोम कमला आंबा फिल्टर प्लांट योजना और दूसरी सोम कागदर फिल्टर प्लांट योजना चालू की गई थी। सोम कमला आंबा 3331.4 लाख की लागत से चालू की गई थी। यहां पर 84 गांवों को पानी देना था, 57 गांव सलूम्बर के थे और 27 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र की सेमारी पंचायत के थे। यहां पर पाइप लाइन बिछ गई। काम चालू हो गया। फिल्टर प्लांट बनाना चालू कर दिया। कई टंकियां भी बन गईं। सेमारी ग्राम पंचायत है वह सामान्य वर्ग की ग्राम पंचायत है। सेमारी पंचायत समिति का क्षेत्र है, वह पूरा क्षेत्र बीजेपी के साथ है। उस समय अपना राज चला गया। राज जाने के बाद टंकियां, पाइप लाइन, फिल्टर प्लांट जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पड़े रहे। उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं होने के बाद, उस क्षेत्र में आने वाली सड़कों पर काम हुआ। कई पाइप लाइन व टंकियां क्षतिग्रस्त हो गईं, 24 करोड़ की लागत से काम चालू किया गया था लेकिन पांच वर्षों में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। जब अपना राज वापस आया, हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, मुख्य मंत्री से निवेदन किया तो आपने वापस इसका रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया, 6-7 करोड़ रुपया इसमें ज्यादा लगा। अगर समय रहते कांग्रेस के राज में यह टंकियां पूरी हो जातीं तो सरकार को अलग से 6-7 करोड़ रुपये नहीं लगाने पड़ते। आज इस योजना का पानी हमारे सेमारी तक पहुंच चुका है

इसी के साथ सोमकागदर की भी यही कंडीशन थी। सोमकादर नेशनल हाईवे आठ पर स्थित है, उसमें भी 19 टंकियां और पाइप लाइन ऋषभदेव तक बिछा दी । हमारा राज जाने के बाद कांग्रेस ने वहां पर काम नहीं किया। इसलिए काम नहीं किया क्योंकि ऋषभदेव बहुत बड़ा कस्बा है, वहां छह से

(श्री नाना लाल अहारी)

साढ़े छह हजार वोटर है, उसमें से पांच हजार वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें। अपनी मांगें बता दीजिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): पांच सौ से छह सौ वोट कांग्रेस को जाते हैं, इस भावना को लेकर यह काम उन्होंने नहीं किया। इसके बाद कुराडिया में 67.25 लाख रुपये दिए, कारछा में टंकी और पाइप लाइन के लिए 132 लाख रुपये दिए, निचला तालाब में 95.65 लाख रुपये, चिकला में 52.1 लाख रुपये, माइनर सिविल वर्क पम्प हाउस खैरवाड़ा में 2 लाख रुपये दिए। पुरानी पाइप लाइन बदलने के लिए ऋषभदेव में 3.65 लाख रुपये दिए।

(20.43 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषभदेव में पाइप लाइन के लिए एस्टीमेट आपके डिपार्टमेंट में भेज रखा है। उसकी लागत करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपये की है। इसी के साथ साथ सेमारी की पाइप लाइन और टंकी के लिए एस्टीमेट आपके यहां पर भेज रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि सेमारी के लिए भी 2.65 लाख रुपये की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजना है, बिखरी बस्ती है, कई जनता जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो जनता जल योजनाएं हमारी बंद पड़ी हैं उनको शीघ्र चालू करवा दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, विट्ठल शंकर जी अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर आज मैं अपने क्षेत्र के विचार रखूंगा। मेरे भीलवाड़ा ज़िले में पिछली कांग्रेस सरकार थी तब, लगभग नौ साल पहले, इन्होंने चंबल परियोजना की घोषणा की थी। इनका पांच साल का कार्यकाल गया। माननीय सी पी जोशी साहब और अशोक जी गहलोत की खींचतान में पूरे पांच साल में इस चंबल परियोजना पर कुछ भी काम नहीं हुआ। न एनएचआई की, न फोरेस्ट की कोई एनओसी आई। उस एनओसी के कारण काम शुरु नहीं हो

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पाया। जब हमारी सरकार आई और माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमने निवेदन किया कि यह जनहित की योजना है, कांग्रेस ने शुरू करवाई थी पर काम नहीं कर पाए लेकिन हमें इस योजना को चालू रखना है। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर फोरेस्ट की, एनएचआई की और जितनी भी बिजली विभाग की अड़चनें थीं उनको दूर कराकर, एक साल पहले हमारे भीलवाड़ा शहर को पानी दिलवाया। मैं इसके लिए हमारी मुख्य मंत्री, सरकार और जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस शहर में, भारत में इने-गिने स्थानों पर जब ट्रेन से पानी आता था तो भीलवाड़ा शहर में भी पानी आता था, उससे हमको पानी मिला है। इन चार साल के कार्यकाल में पूरा पैसा पास हुआ है, सारी अड़चनें और बाधाएं दूर हुई हैं और चम्बल का पानी भीलवाड़ा शहर को मिला है। यह पूरे ज़िले की योजना है। प्रत्येक रेवेन्यू विलेज को, चम्बल परियोजना से पूरे ज़िले में पानी मिलने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि इस परियोजना को जल्दी से जल्दी पूरा करके हमारे ज़िले के दूसरे क्षेत्र हैं, उनको भी चम्बल का पानी दिया जाए ताकि पेयजल की समस्या से मुक्ति मिल सके।

मेरे भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक शहरी क्षेत्र आता है, वहां बहुत बड़ी अड़चन चम्बल पेयजल आने के बाद भी है कि हमारे वहां पर जो प्राइवेट कालोनियां बनी हुई थीं, जो 15-15 साल, 20-20 साल पुरानी थीं, उन कालोनियों में प्राइवेट कालोनी के नाम से, जब चम्बल परियोजना का नक्शा पास हुआ था तो विभाग ने उसमें इनक्लूड नहीं किया। लगभग 40-50 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है। चम्बल का पानी आने के बावजूद 40-50 हजार की आबादी पेयजल से वंचित है। उन आदमियों को यह लेना-देना नहीं है कि यह प्राइवेट कालोनी है। वह कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है हमको बिजली, पानी और सड़क देने की।

जब किरण जी माहेश्वरी पीएचईडी मंत्री थीं तब भी हमने इस बाबत पूरा प्रयास किया था और उन्होंने यह लिखा था और यह डिसाइड किया था कि चम्बल परियोजना में इसको जोड़कर, प्राइवेट कालोनियों को पानी दिया जाएगा लेकिन वह भी काम नहीं हुआ। उसके बाद जब भीलवाड़ा शहर में मंत्रिमण्डल समूह आया तो उन्होंने बैठकर यह तय किया था कि इस परियोजना का पैसा यूआईटी देगी और काम चम्बल परियोजना करवाएगी। यह डिसाइड होने के बाद जीआई पाइप और पाइप की क्वालिटी का कुछ डिस्प्यूट

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

था वह भी मंत्री समूह ने वहीं से चीफ इंजीनियर से तत्काल बात करके खतम करवाया। उस बात को भी एक वर्ष हो गया, अब तक वह पानी से वंचित है। अब हमने यूआईटी और कलेक्टर से पूरी बात की है। यूआईटी पैसा देने को तो तैयार है लेकिन यूआईटी कहती है कि यह काम हम करवाएंगे। विभाग यह कहता है कि अगर यह काम यूआईटी करवाती है तो इसकी टोटल मेंटीनेंस भी यूआईटी के जिम्मे रहेगी। यह एक बहुत बड़ी अड़चन है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बाधा को दूर करें। यूआईटी पैसा देने को तैयार है। मेरी प्राइवेट जो 15-20 साल पुरानी कालोनियां हैं, जिनको पानी देने की जिम्मेदारी है उनको पानी देकर पेयजल की समस्या से मुक्ति दिलवाई जाए।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि चम्बल परियोजना के कारण जो शर्त थी, वह यह थी कि दस साल तक जिस कम्पनी ने ठेका लिया है वही कम्पनी मेंटीनेंस करेगी। भीलवाड़ा शहर से अब चम्बल का काम पूरा हो गया है तो वह कम्पनियां सुनती नहीं हैं। हम फोन करते हैं तो भी कम्पनियां नहीं सुनती हैं। परेशानी आती है। पीएचईडी कहती है कि चम्बल करेगी, चम्बल कहती है कि पीएचईडी करेगी और इनके बीच जनता पिस रही है। मेरा निवेदन है कि इस समस्या पर ध्यान दें। इतनी बड़ी योजना भीलवाड़ा शहर के लिए बनी है जिसमें चम्बल का पानी मिला है उसको सही तरीके से संचालित करने के लिए इन बाधाओं को दूर किया जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है। मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, जगसीराम। माननीय सदस्य अभिषेक जी मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल पर मुझ से पूर्व काफी माननीय सदस्यों ने दिसम्बर, 2013 से लेकर दिसम्बर, 2017 तक पेयजल परियोजनाओं पर जो समग्र व्यय था, 18071 करोड़, पूर्ण की गई वृहत् परियोजनाएं 34 करोड़, लाभान्वित गांव व ढाणियां 7698, 23 शहरी परियोजनाएं, 16440 आवासीय बस्तियां, इनको हमने पेयजल से लाभान्वित किया, गुणवत्ता प्रभावित 2194 बस्तियों में आर.ओ. प्लाण्ट स्थापित कर रहे हैं, इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक बात रखी।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मेरा मानना है कि पी.एच.ई.डी. ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार विगत चार वर्षों में बहुत बड़ी राशि जनता को शुद्ध और गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराने में लगाई। ये सारे फिगर्स गवर्नर के एड्रेस पर एक कम्पेरेटिव एनालिसिस के रुप में मैं दे चुका हूं। मैं स्पेसिफिकली हमारे माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार आपणी योजना, जो स्वर्गीय भैरोंसिंहजी लेकर आये थे और जर्मन टेक्नोलोजी पर बेस्ड थी, पानी उपलब्ध था, वी.टी.सी. चैम्बर गांव में 8 से 10 बने थे। बिसलरी से भी ज्यादा साफ पानी और घर में बैठी छत तक का प्रेशर जिस योजना में आता था, उस योजना का नाम जर्मन योजना अर्थात् आपणी योजना था। उसका टाइम पीरियड, गारण्टी पीरियड जिसे हम कह लें, वह निकल गया। रिजूवनेशन उस स्कीम का होना चाहिए।

बड़ी लम्बी जद्दोजहद के बाद और माननीय मंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से हनुमानगढ़ जिले के लिये हमने आपणी योजना का, पहले सरदारशहर, तारानगर और चूरू जाना पड़ता था, मेरे एरिये में नोहर, हैड-क्वार्टर, उप खण्ड मुख्यालय विधान सभा क्षेत्र में आपणी योजना का एक्स.ईएन. बैठाया। जो स्कीम्स पास करवानी थीं, काफी हद तक उसमें बहुत बड़ी सहूलियत मिली। उसके बाद तत्कालीन मंत्री, माननीय किरणजी ने यह घोषणा की थी कि एन.आर.डबल्यू.डी.पी., जो नेशनल वाटर रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत चार हजार की ऊपर की आबादी को घर-घर कनेक्शन हमें देना चाहिए। केन्द्र सरकार के ऐसे नार्म्स हैं। उनका बार तोड़ कर उसको तीन हजार तक क्यों लाया जाए, हमने उनको कई कारण भी बताए थे। वे इस बात से सहमत भी थे। उन्होंने विधान सभा पटल पर भी कहा था कि हम इसकी शुरुआत, आने वाले समय में तो चार से तीन, तीन से दो और यथासम्भव हजार से नीचे भी घरों को हम घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना रखते हैं। पर आपणी योजना के लिये विशेष छूट देते हुए घर-घर कनेक्शन इसलिये उपलब्ध कराये जाने चाहिए, क्योंकि इस योजना में जो रेवेन्यू कलेक्शन था, पानी का जो पैसा सरकार लेती है वह 90 प्रतिशत से ऊपर है। शहरों में तो ढोल बजाना पड़ता है। लोगों के घरों के बाहर जाकर हंगामे करने पड़ते हैं और वहां हम आपको दफ्तर में जाकर पैसे देते हैं। बहुत अच्छे स्वरूप में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वह काम आ जाएगा। आपको सारा का सारा सिस्टम, सैट-अप नहीं बदलना पड़ेगा। राइजिंग लाइंस बदलनी

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पड़ेंगी, सप्लाई पाइप बदलने पड़ेंगे, ओवर हैड ओ.एच.एस.आर. बनाने पड़ेंगे, वह अलग बात है, लेकिन मेरी समझ में एग्जिस्टिंग सैट-अप और न्यू सैट-अप के साथ रिफार्मेशन इस योजना का हो सकता है। इसमें एक क्लाज था कि तीन हजार से ऊपर के गांव जो इंटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आंतरिक वितरण प्रणाली का 50 प्रतिशत लाभार्थी/एम.एल.ए./एम.पी./ग्राम पंचायत अगर देगी तो उस योजना को हम रिजुवनेशन में, रिफार्मेशन में पास कर दें।

माननीय मंत्री महोदय को मैं इसलिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपणी योजना बनने के बाद आप वहां गये। माननीय मंत्रीजी ने पूरी विजिट की। समयाभाव की वजह से शासन सचिव नहीं जा पाये। पर उनका भी पूर्ण रूप से ध्यान था और पूरा अध्ययन भी हुआ। पिछले दिनों हुई बैठक में बड़े अच्छे तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह निर्देश दिये कि अपने को आपणी योजना को रोल माडल बनाकर कम से कम आठ-दस-बारह गांवों में, 80 से 90 और 100 करोड़ की राशि लगाकर पूरे राजस्थान के लिये यह रोल माडल स्थापित करना है कि जब यहां पर घर-घर स्थापित करने पर मीटर लगाये जा सकते हैं, लोग जो पानी पी रहे हैं, उसके लिये पैसे दे सकते हैं तो Why not in the rest of the Rajasthan. इस कंसेप्ट के साथ जो बैठक हुई थी, बहुत शानदार बैठक हुई। मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना-सा निवेदन है कि जितना इंटरेस्ट आप इसमें ले रहे हैं, आप और अधिक इसमें प्रयास करें, ताकि विधान सभा खतम होने के बाद, जल्द से जल्द हो। मैंने इस आपणी योजना के लिये बहुत मेहनत की है, साहब, बहुत भागा दौड़ी की है। दफ्तर वहां क्रियेट करवाया। दो-दो, तीन-तीन जिलों के लिये है।

मुझे आज भी याद है, एस.के. शर्मा साहब, मैं विकलांग तो नहीं कहूंगा, दिव्यांग थे, कुर्सी पर बैठते थे। जब वे विजिट करने के लिये आते थे तो आपणी योजना की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ठेकेदार बीच में काम छोड़कर चला गया। एक ओवरहैड टैंक से दस से बारह गांवों में सप्लाई होती थी। योजना इतनी अच्छी थी कि गांव से गांव जुड़ते गये। जन धन बढ़ता गया, पशु धन बढ़ता गया। वीयर-एण्ड-टीयर बढ़ता गया। कहीं पाइप्स नहीं, कहीं वाल्व नहीं, कहीं सप्लाई में दिक्कत आ रही थी। उसके बावजूद यह योजना चल रही है। क्योंकि जर्मन कंसेप्ट पर बेस्ड थी और जर्मन टेक्नोलोजी में माहिर हैं। इस योजना को बनाये रखने के लिये और इसका स्वरूप सारे

(श्री अभिषेक मटोरिया)

राजस्थान में लागू करने के लिये अतिशीघ्र जो बातें आपने कहीं, हम उनसे सहमत हैं। अब उनको आप लागू जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि धीरे-धीरे हम स्टेट में ले आएं। उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से हनुमानगढ़ जिले की, मेरी विधान सभा से, वह 70 प्रतिशत से ज्यादा आपणी योजना पर बेस्ड है। बहुत भाग दौड़ करके इनकी डी.पी.आर. हमने तैयार कराई। हालांकि अब पी.डी. कोर को इसका काम दिया है। अब पी.डी. कोर सर्वे करेगा, वह छह महीने लगा देगा। आपके डिपार्टमेंट के लोग सक्षम हैं। जितनी भाग दौड़ आपके पी.एच.ई.डी. के लोग कर रहे हैं, वे पी.डी. कोर से ज्यादा कर रहे हैं। वे लोग सक्षम हैं। पूरी डिटेल उन्होंने बना रखी है। जो क्लाज है पांच करोड़ से नीचे डिपार्टमेंट स्वीकृत करता है और पांच करोड़ से ऊपर एफ.डी. में जाती है तो उन योजनाओं को हम अतिशीघ्र स्वीकृत करें तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो आपकी मंशा है, माननीय मंत्री महोदय की कि हम अधिक से अधिक लोगों को पेयजल से लाभान्वित करें, घर-घर योजना दें। वह कारगर साबित होगी। जो इंटरेस्ट आपके डिपार्टमेंट ने दिखाया उनको हम धरातल पर तभी ला पाएंगे, इस विधान सभा के खतम होने तक, जब यह बजट सत्र समाप्त हो जायेगा, हम उन योजनाओं को धरातल पर लाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव के रूप में भी मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले, शायद पिछले वर्ष एक आदेश निकला था जिसके तहत यू.पी.वी.सी. पाइप लाइंस को एम.एल.ए., एम.पी. और योजनाओं में हम शामिल नहीं कर पाएंगे। मैं यहां तक यह बात समझ सकता हूं कि एच.डी.पी. और डी.आई. पाइप लाइन बहुत स्ट्रांग होती है, लीकेजेज नहीं होते और 99 परसेंट वाटर कैरिज वहां तक पहुंच जाता है, जहां तक हमारा ध्येय है। लेकिन इसमें दिक्कत यह रह गई कि इसको हमने एम.एल.ए., एम.पी. कोटे में भी लागू कर दिया। मेरी समझ में अब कोई एम.एल.ए., एम.पी. अपने फण्ड से यू.पी.वी.सी. अगर पाइप लाइन देता है तो उसको कठिनाई उठानी पड़ती है और एच.डी.पी. पाइप लाइन की कास्ट ढाई गुणा ज्यादा है। अब अगर हमें ढाणियों में कनेक्शन देने हैं तो जो एक लाख, डेढ़ लाख, दो लाख में काम हुआ करता था, अब वह पांच लाख तक चला गया। वह सम्भव नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट हर जगह पाइप लाइंस दे, यह भी सम्भव नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा यह जो डिसीजन था इसके ऊपर हमें री-थिंक करना चाहिए। गांव के अन्दर, एटलीस्ट, और जो छोटी ढाणियां हैं, जहां पर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वाटर है, वाटर सोर्सेज हैं, अगर वहां पर एम.एल.ए., एम.पी. फण्ड यू.पी.वी.सी. पाइप लाइंस देना चाहता है तो मैं सोचता हूं कि यह क्लाज हमें देना चाहिए, क्योंकि हम अपने कोटे से उतना ही काम कर पाते हैं, जितना डिपार्टमेंट भी कर पाता है और हम भी कर पाते हैं। वैसे तो चीफ इंजीनियर, रुरल एक करोड़ तक की पावर रखते हैं और एक शानदार अधिकारी के रूप में उन्होंने बहुत सारी पाइप लाइंस दी हैं। शायद ही कोई ऐसा एम.एल.ए. होगा, जिसको उन्होंने मना किया होगा। पर पांच लाख, दो लाख, सात लाख, छोटे-छोटे कामों के लिये चीफ इंजीनियर, रुरल के पास जाना सम्भव नहीं है। अगर यह छूट आप हमें देंगे तो इसका लाभ मिलेगा।

इसके साथ-साथ प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई थी, तो जो जनरल प्रोसीजर है एक रीजनल स्कीम्स का, कन्वर्जंस का, From PPC to finance committee, FC की एप्रूवल के बाद टेक्नीकल स्वीकृति, थोड़ा सा लेंदी है। उनका बहुत-अच्छा इंटरेस्ट था कि इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम लगता है साहब, पी.पी.सी. से एफ.सी., एफ.सी. के बाद टी.एस. और जब तक वह आता It takes around four to six complete months. जब तक वह प्रक्रिया टेण्डर बेस की आती है, बहुत लम्बा टाइम लग जाता है। मैं यह इसलिये नहीं कह रहा कि मुझे आगे आचार संहिता का या उसका कोई भय है। एक जनरल बात है कि इस प्रोसीजर को तो फालो करना पड़ेगा, लेकिन इसको शोर्ट करना चाहिये। कन्वर्जंस की, Regional schemes from PPC to FC to TS को, अगर हम शोर्टन कर देंगे तो सबके बेनिफिट में है। जो आपकी लिमिट्स में है, जितना बेस्ट पासिबल हो, आप इस पर विचार करें। उस टाइम-फ्रेम को अगर हम छोटा करेंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यह मेरे पेयजल से सम्बन्धित सुझाव थे।

साहब, सिंचाई पर तो बोलने दें। हनुमानगढ़ का हूं, साहब, यूं, आप ऐसे क्या कर रहे हैं।

सिंचाई, मांग संख्या 46 पर, मेरी समझ में, जैसा कि मैंने बताया कि पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब ने खूब अथक प्रयास किये। वैसे ही एक बहुत ही शानदार, जानकार और एक मेहनती व्यक्ति जो इस डिपार्टमेंट को हैड कर रहे हैं, उनके रहते हुए अभूतपूर्व विकास कार्य सिंचाई विभाग में हुए। Food basket of Rajasthan, जिनको हम कहते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, वहां से वे आते

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इस जानकारी का फायदा उठाकर अधिकाधिक लाभ इन जिलों को दिया है, 5633 करोड़ रुपये आई.जी.एन.पी. पर अब तक व्यय हुए। फोर वाटर कंसेप्ट परियोजना पूरे राजस्थान में लागू हो गई, और दो बड़ी वृहत् सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, 6490 करोड़, और धौलपुर लिफ्ट, लागत 852 करोड़, मध्यम सिंचाई परियोजना, हथियादेह, 232, दस लघु सिंचाई परियोजनाएं, कुल लागत 647 है, 75 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लागत 172 करोड़ रुपये। ई.आर.एम. के अन्तर्गत 275 कार्य, लागत 18.80 करोड़, नाबार्ड पोषित 24 कार्य, राशि 718 करोड़ और RRR मद के अन्तर्गत 32 कार्य, लागत 90 करोड़ जो स्वीकृत हुए हैं, इनके साथ-साथ मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे कार्य, जो आज तक, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, वे हुए हैं। .

(21.00 बजे)

अब जो दो-तीन बड़े मुद्दे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू इन चारों जिलों को इफेक्ट करते हैं, सूई ब्रांच और एटासिंगरासर माइनर, इनके बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमें किसानों को यह उनका हक है, पानी मांगना उनका हक है, कोई गुनाह नहीं, कोई गलत मांग नहीं, वाजिब मांग है लेकिन नहर बनाना और फाइनेंस किसी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हजारों-करोड़ की सड़कें बन सकती हैं, योजनाएं बन सकती हैं तो Money is not an issue. माननीय सभापति महोदय, वाटर अवेलेबिलिटी एक इश्यू है। अब पानी उपलब्धता पर मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि जो सूई ब्रांच चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की 63.30 किलोमीटर की दायीं तरफ से निकलती है इसका निर्माण 45 किलोमीटर का होना था, 25 किलोमीटर .... (व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): साहब, दो मिनट। मैं बीसवें नम्बर पर बोल रहा हूं, साहब। पहले फर्स्ट ओपनिंग की थी, मैं तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, यूं मत करो साहब, टाइम दो। साहब, दो-तीन मिनट, दो-तीन मिनट।

2007-08 में जो आई.जी.एन.पी. एरिया कर्टेल करके 16.17 लाख हैक्टेयर कर दिया गया था उसके तहत सूई ब्रांच का निर्माण भी बंद हो गया और साहवा लिफ्ट का जो सिंचित एरिया 1.02 लाख हैक्टेयर कर्टेल कर दिया

(श्री अभिषेक मटोरिया)

गया, इसमें सूई ब्रांच के रावतसर के 14 गांव, सरदारशहर के 18, लूणकरणसर के 8, कुल 40 गांव सिंचाई से वंचित रह गये और इसी प्रकार आर डी 144 पर जो एटासिंगरासर प्रस्तावित था, डिप्रेशन नम्बर-6 से पानी उठाकर डालने की स्कीम थी, उस डिप्रेशन में आज तक पानी आया ही नहीं। पानी आया ही नहीं तो उन किसानों को कांग्रेस ने गुमराह किया, हमें ऐसा नहीं करना। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो 496 से लेकर मसीतावाली हैड और जीरो से लेकर पंजाब पोर्शन का 200 आर डी के अन्दर जो री-लाइनिंग का कार्य बड़े लंबे समय से वंचित है, 950 करोड़ रुपये सेंटर ने कब दिये थे, आज दिनांक तक हुए नहीं तो उनके पीछे हमें पड़ जाना चाहिए ताकि री-लाइनिंग करने के बाद जो भी वाटर शेयरिंग हो, उसकी पहली हकदार सूई ब्रांच और एटासिंगरासर माइनर के किसान हैं। इनको हमें निश्चित रूप से उसमें लाभान्वित करना चाहिए। जो कंडीशन आज हरियाणा में एस.वाई.एल. के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वह हमारे यहां पर नहीं बने इसलिए पाइंट जीरो सिक्स एम.ए.एफटी. जो पंजाब से लेना है वह भी लेना चाहिए और बी.वी.एम.बी. में हमारा प्रतिनिधित्व मजबूत होगा तो आने वाले समय में पानी की कंडीशन ऐसी नहीं होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पहले अंतिम बात मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि मेरे यहां पर नोहर-भादरा के 28 गांव जो सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, अब साहवा लिफ्ट में भी हम डिग्गियां सिस्टम लेकर आए हैं। 1700 करोड़ सरकार ने दिये हैं राजस्थान की सभी छह लिफ्टों पर, उसमें एक साहवा लिफ्ट भी है। उसमें डिग्गियां बनने के बाद जो सेविंग होगी उसके लिए भी यह जो 28 गांव हैं, इनको भी हमें सिंचाई सुविधा से जोड़ना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पानी चोरी, इर्रिगेशन एक्ट में चैंजेज करने पड़ेंगे। आपके माननीय मंत्री महोदय या माननीय प्रिंसिपल सैक्रेटरी के प्रयासों से हम चंडीगढ़ गये, हरियाणा सरकार से लोहा लिया, लड़ाई की। पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देता, हरियाणा फिर उसके बाद टेल पर नहीं देता, यह हम रोज नहीं कर पाएंगे। इर्रिगेशन एक्ट में पानी चोरी को पहली बात तो हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और हरियाणा के साथ बड़े स्ट्रांगली आब्जेक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से पंजाब हरियाणा को और हरियाणा हमारी टेल को पानी कम दे रहा है, हमें उसमें बड़ा स्ट्रांगली आब्जेक्ट करके उनके साथ विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हमारी टेल तक पानी पहुंच पाएगा। जो खाले निर्माण के लिए आपने आश्वासन दिया और कहा, उसको भी पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से टेल के किसानों तक पानी पहुंच जाएगा।

आप खड़े हो चुके हो इसलिए अब मेरा बोलना उचित नहीं है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, छोटा-सा अनुरोध है मेरा आपके माध्यम से कि मैंने जो 'कखा' हैड बोला है, उसकी जगह मेरा 'बागीड़ा हैड' नोट किया जाए। यह छोटा-सा अनुरोध है।

श्री सभापति: कर देना, भैया।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मेरा अनुरोध यह भी है माननीय मंत्री महोदयजी से कि दो बारी और दी जाएं। जो आई.जी.एन.पी. नहर का रैगुलेशन है, मेरा छोटा-सा अनुरोध आपके माध्यम से कि दो बारी और दी जाएं।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। माननीय सदस्य श्री अमृत लालजी।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27- पेयजल और मांग संख्या-46- सिंचाई पर आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं सबसे पहले हमारे सिंचाई मंत्रीजी और पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में 450 करोड़ की जयसमंद झील को भरा रखने के लिए, जो पेयजल के लिए स्वीकृति मिली उसके लिए धन्यवाद दूंगा।

साथ ही, हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी बहुत कठोर दिल के हैं, बजट इनके हाथ मुट्ठी में छूटता नहीं है लेकिन इस वर्ष आपको यह बजट पूरा ढीला, आपका खजाना ढीला करना पड़ेगा, 100 हैंडपम्प की स्वीकृति प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार मिली है, उसकी मंजूरी आप बहुत जल्दी निकालें ताकि अप्रैल-मई में यह खुद जाए, 500 आर.ओ. खोलने का काम भी आपने किया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर महाराणा प्रताप की भूमि है। जयसमंद की मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है और हाड़ा रानी की जन्म भूमि, आन-बान की भूमि है। वह झील

(श्री अमृतलाल)

जहां मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के 93 गांव उस जयसमंद परिधि के आस-पास है, पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सिंचाई मंत्रीजी से भी निवेदन है कि आप बहुत दयालु हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी परमिशन मिलेगी ताकि पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी अपनी पूरी गांठडी खोलकर के आस-पास के उन गांवों को पानी पिलाने का काम करेंगे। क्योंकि उसका सर्वे, दो साल पूर्व 111 लाख का सर्वे हो चुका है, 72 गांव सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के हैं और 21 गांव लसाड़िया पंचायत समिति के हैं।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में सलूम्बर के पास सोम-कमला-आम्बा एक बहुत बड़ा बाँध है, वहां भी बिलकुल किनारे पर फ्लोराइड ज्यादा है, पानी की मांग है, उस मांग को ध्यान में रखते हुए सोम-कमला-अम्बा डैम से ईंटाली खेड़ा के सभी गांव, लाम्बी डूंगरी ग्राम पंचायत के सभी गांव, एमनिया पाड़ला, खेरोली, डगार, खराड़ी फलां, खारवा फलां, देवली, नोली, बरोड़ा और बामनियां तक के 15 गांवों को शुद्ध पेयजल, पानी पिलाने का काम करें, मेरा यही निवेदन है।

नगरपालिका क्षेत्र सलूम्बर में उच्च जलाशय और टंकियों का निर्माण 7, 12, 16 और 17 वार्डों में और अंडर ग्राउंड हमारी जो पुरानी पाइप लाइन्स हैं उनको स्वीकृत करवाकर बदला जाए।

इसी तरह से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सराड़ा के सराड़ा, चावण्ड, बड़गांव, सगतड़ा, पीलादर, परसाद, कातनवाड़ा, रठौड़ा, सेमाल, पहाड़ी, बुटवास आदि गांवों में भी पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। सलूम्बर के भी कुछ गांव इसी जयसमंद के आस-पास हैं- खैराड़, चिबूड़ा, गामड़ापाल, माकड़सीमा, ईडाणा, खरका, मैथूड़ी, करावली, डांगीवाड़ा, डाल, इसरवास, बस्सी, सामचोत, झुझावत, आदि में बड़ी टंकियां, उच्च जलाशय की टंकियां बनाई जाएं।

मेरा अब विशेषकर के हमारे सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन है, सिंचाई मंत्रीजी का वैसे मेरे प्रति बड़ा लाड़-प्यार है, शुरू से रहा है, मैं नया विधायक बनकर आया और थोड़ा मेरा कलर भी काला है इसकी वजह से इनका शौक भी, मुझे बहुत ज्यादा कृष्ण भगवान की तरह मानते हैं तो मैं भी उनको बहुत बड़ा मानता हूं। आपने मुझे जल संसाधन विभाग से 153 करोड़ रुपये सलूम्बर और जयसमंद नहरों की सुदृढ़ीकरण के लिए आपने दिया तो मैं इस मौके पर

(श्री अमृतलाल)

आपको इस सदन की तरफ से और हमारे सभी मंत्रियों की तरफ से, हमारे मुख्य मंत्रीजी की तरफ से मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद दूंगा जो आपने मुझे अगले साल 148 करोड़ रुपये मेरे जयसमंद की नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए और निर्माण करने के लिए, जयसमंद डैम को जो 1731 में निर्माण हुआ था उसकी पाल को सही हाइट बनाने के लिए आपने स्वीकृत किये, मैं धन्यवाद दूंगा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, आप कृष्ण के अवतार हैं तो यह राम के अवतार हैं।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): इतना ही नहीं मुख्य मंत्री महोदयजी ने 2018-19 में 52 हजार करोड़ की जो घोषणा की है, मैं कोटि-कोटि उनको बधाई देना चाहूंगा। मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि मुझे कहना तो बहुत था लेकिन आपने जो माही बांध के दायी ओर 265 किलोमीटर लंबी हाई-लेवल कैनाल नागलिया पिकअप वियर से प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के 17 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जो योजना बनाई है, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और मेरी एक मांग है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग है, वह डाया डैम है, डाया बांध, जो सारे बांध भर जाते हैं लेकिन वह खाली रहता है। अब मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, टीडी नदी जो उसका काफी पानी बहकर सोम-कमला-अम्बा में और सोम-कमला-अम्बा से माही में और माही से आगे कड़ाना में जाता है।

वहां एक एनीकट का निर्माण किया जाए और सुरंग द्वारा अगर डाया बांध को भरा जाये तो उस क्षेत्र के कई गांवों को पानी मिलेगा जिसमें धावडिया, महुआड़ा, सर्सिया, मंत्री महोदय, सर्सिया मेरा ससुराल है, अगर वहां भला कर देंगे तो मजा आ जाएगा उनको पानी पीने में। हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब भी जानते हैं, वह उदयपुर कलेक्टर रहे थे, उन अरावली पहाड़ियों को, उन झरनों को भी जानते हैं, हर नदी-नाले को भी जानते हैं। इनका और आपका अगर तालमेल बैठ जाएगा तो काफी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

इतना ही नहीं, मेरा यह भी कहना है कि थूर घाटी का तालाब की दो मीटर हाइट बढ़ाई जाए और उससे निकलने वाली नहरों को पक्का किया जाए। चावण्ड, बंडौली, लालपुरिया, डायली थाना, केवड़ी और केजड़ जोयरा तक वह

(श्री अमृतलाल)

पानी बहकर जाता है। केजड़ तालाब की मुख्य नहरें दायीं और बायी, कैनाल नंबर 4 जो केजड़ तालाब से निकलकर सुरखण्ड खेड़ा, कोलर, कालीघाटी, मालर, चौकड़ालिमडी, हमीरगढ़, पनवा और बाणाखुर्द, बाणाकलां होकर जाता है तो उस क्षेत्र का जो असिंचित क्षेत्र है, वह पूर्ण होगा।

हरचरण तालाब का सुदृढ़ीकरण किया जाए और उसकी पाल के ऊपर कई प्रकार पेड़ व विलायती बबूल उगे हुए हैं, उनको कटवाया जाए। बुझों का नाका एनीकट का सुदृढ़ीकरण किया जाए। वह एनीकट अगर बन जाता है तो निचले स्तर पर पानी की पिलाई बहुत होगी। आलदरा का एनीकट का निर्माण भी है और इतना ही नहीं, मेरा एक निवेदन है कि सलूम्बर में झामरी नदी और गोमती नदी पर जीरो लेवल के एनीकट बनाकर कराकली, उथरदा, बासा, खाटिया खेड़ा, केनपुरा, गुडेल, गिंगला, कोटा, कांट, लोदा, रतनपुरा, कोटड़ी, पाडला, देवपुरा, और इसमें सबसे बड़ी मांग है। माननीय सभापतिजी, ट्रिपल आर के अन्तर्गत, तीन आर-आर के अन्तर्गत हमारे उस क्षेत्र के जितने भी तालाब हैं, उनका सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार किया जाये तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आकली वाला जो तालाब है, मुलेश्वर तालाब है, इनका बजट जारी किया जाए। ऊपला गुड़ा एनीकट, भारिया तालाब का बजट भी जारी किया जाए। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, गोतम कुमारजी।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डैम, जिसके लिये आज उनको जितना धन्यवाद दिया जाये, उतना कम है। मैं तो विपक्ष के जो सदस्य विराजे हुए हैं, उनका भी ध्यान चाहूंगा कि आप सुबह किसानों की बहुत बात कर रहे थे। इसके साथ ही किसानों की आय दुगुनी हो, इसके बारे में भी आपके बार-बार विचार आते रहते हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक डैम के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पिछली बार जब हमारे मुख्य मंत्रीजी थे आदरणीय वसुंधरा जी, तो उन्होंने पिछली बार अपने बजट में एक पिंड डैम की घोषणा की और उस घोषणा के साथ ही बजट की स्वीकृति भी दी और स्वीकृति देने के बाद उस डैम का उन्होंने शिलान्यास भी किया, लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही भी उस समय प्रारम्भ हो गयी, लेकिन जैसे ही

(श्री गोतम कुमार)

आपकी सरकार आयी तो उस पिंड डैम को आपने ठण्डे बस्ते में रख दिया। कैसे आप बात करते हैं, कैसे आपकी सरकार काम करती है, इस पर आपको थोड़ा-सा विचार करने की जरूरत है।

चूंकि समय की कमी है, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य मटोरिया जी बात कर रहे थे कि अपने ऊर्जावान मंत्रीजी हैं। आपकी इतनी उम्र होते हुए भी आप उस पिंड डैम का जब निर्माण कार्य चल रहा था तो आप स्वयं वहां गये और एक-एक मोरी को चैक करके वहां कोई निर्माण कार्य कैसे अच्छा हो, उसकी जांच करके एक-एक इंस्ट्रक्शन आपने व्यक्तिगत रूप से दिया। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वास्तव में जिस प्रकार से एक मंत्री को अपने विभाग की जानकारी होनी चाहिये, जिस प्रकार की जानकारी आप रखते हैं, निश्चित रूप से हमारे इस पांच साल के कार्यकाल में सिंचाई में, जिस तरह से अभी एक-एक व्यक्ति, जैसे अभी सलूम्बर से आने वाले विधायक हों, चाहे नोहर से आने वाले विधायक हों, सभी सदस्य करोड़ों-करोड़ों और अरबों-अरबों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से विकास के इतने सारे काम हुए हैं।

मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, धन्यवाद देते हुए थोड़ी-सी मांग अपनी ओर से रखना चाहूंगा। पिछले साल भी हमारे यहां आपने कालिया भाटा डैम की स्वीकृति दी थी, उसके लिये भी धन्यवाद देते हैं चार करोड़ की। झांतला बांध के लिये भी आपने बारह करोड़ की स्वीकृति दी पिछले बजट में। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस झांतला के काम को शीघ्र ही चालू करवाने का भी प्रयास करें।

एक-दो डिमांड भी मैं आपके माध्यम से और रखना चाहूंगा। एक हमारे वहां मामादेव एनीकट है, जिसकी मेरी लगातार आपसे बात होती रहती है और आपने आश्वस्त भी किया है कि आज की जो रिप्लाई होगी, उसमें मामादेव एनीकट और उसकी फीडर की बात जरूर आप रखेंगे।

एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि हमारे वहां पारसोली का एक तालाब बना हुआ है। पिछली बार आदरणीय भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उस बांध का निर्माण हुआ था और उस समय बांध का मुआवजा वगैरह भी दिया गया था, लेकिन पिछली बार जब आपकी सरकार

(श्री गोतम कुमार)

बनी, तो उस बांध की एक मीटर हाइट बढ़ा दी गयी, हाइट तो आपने बढ़ा दी, लेकिन वहां के पीड़ितों का किसी प्रकार का कोई, जिसकी डूब क्षेत्र में जमीन आ रही है, उनके ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि चूंकि उस पारसोली के डूब क्षेत्र में आने वाले लोग आदिवासी और गरीब भाई हैं, उन आदिवासी गरीब भाइयों को कैसे राहत मिल सके, उस डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को कैसे मुआवजा देकर उनको अपन राहत देने का काम कर सकें, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस पारसोली बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले जो किसान हैं, उनको मुआवजा दिलाकर उनको राहत दिलाने का काम करें।

ऐसे ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा डैम स्थित है वागन डैम, जो 1982-83 में निर्मित हुआ था और उसके बाद में 25-30 साल से ऊपर हो गये, लेकिन आज दिन तक उसकी नहरों पर कभी कोई काम नहीं हुआ। लगभग 1400 एम.सी.एफ.टी. का वह डैम है, 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उसकी नहरें जा रही हैं, लेकिन उसकी नहरें क्षतिग्रस्त होने से पिछले साल भी वह भरा था, उससे पिछली साल भी भरा था, लगातार दो-तीन सालों से वह बांध लगातार भरता हुआ आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसानों को सही पानी मिले, उसके लिये उस वागन बांध पर भी आपका ध्यान उस ओर जाएगा और वहां के बांध की नहरों का भी अगर पुनर्निर्माण होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र के किसानों को उससे काफी राहत मिलेगी। जो किसानों की आय दुगुनी और तिगुनी करने की बात हो रही है, अगर इन बांधों का काम होगा, तो निश्चित रूप से इससे किसानों की आय दुगुनी क्या तिगुनी और चौगुनी भी हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए आदरणीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी हैं, मैं उनका और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरह से जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है हमारी विधान सभा क्षेत्र में, उस प्रतापगढ़ क्षेत्र के 554 गांवों के लिये, जिसमें लगातार जनवरी-फरवरी के बाद में पेयजल की समस्या हो जाती है, उन 554 गांवों के लिये पिछले बजट में 912 करोड़ की घोषणा की और घोषणा करने के बाद में उसकी वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति भी आपने जारी कर दी। आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया का और आदरणीय मंत्री महोदय का धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे

(श्री गोतम कुमार)

उस योजना के लिये आपने बजट का प्रावधान भी कर दिया है तो उसका काम जल्दी से जल्दी पूरा होकर कैसे उन 554 गांवों के उन क्षेत्रों में निवासरत गरीब लोगों का, चूंकि प्रतापगढ़ क्षेत्र एक ट्राइबल बैल्ट है, वहां हैण्ड पम्प भी एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर होते हैं और गर्मी में पीने के पानी की बहुत दुविधा रहती है। तो, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रतापगढ़ की जो पेयजल योजना स्वीकृत की है, डी.पी.आर. भी बन गयी है, टेंडर भी होने की प्रक्रिया में है, वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराकर कैसे उन 554 गांवों के लोगों को राहत मिल सके, इसके लिये आप प्रयास करें।

एक हमारे विधान सभा क्षेत्र में बोयड़ा गांव है, उसके लिये भी एक पेयजल योजना पिछली सरकार में स्वीकृत हुई थी और उसकी कैसे क्रियान्विति हुई। जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, वह कभी वहां आये और वहां की उस पेयजल योजना की स्थिति देखें तो आज दिन तक वह 10 किलोमीटर दूर से पाइप लाइन लाकर बोयड़ा गांव में पेयजल की योजना थी।

आज दिन तक एक बूंद पानी उस बोयड़ा गांव को नहीं मिला। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उस बोयड़ा गांव को पानी मिले उस पेयजल योजना से। इसके लिए पुनर्गठित, चूंकि उसकी जांच भी हो रही है, इसमें जिन अधिकारियों ने काम किया, उनकी जांच तो हो रही है लेकिन लगभग 10-12 हजार की आबादी का गांव है बोयड़ा, वहां के लोगों को राहत देने के लिए या तो पेयजल की पाइप लाइन बदलें या कैसे भी व्यवस्था करके आप बोयड़ा गांव के लिए, पिछली सरकार में चार करोड़ रुपये का घोटाला करके जो योजना बनायी, उसको ठीक करते हुए कैसे योजना को नया मूर्त रूप देकर कैसे गांव के लोगों को पानी पिला सकें, उस गांव के लोगों को हम राहत दे सकें, इसके लिए आप प्रयास करें।

मैं एक बार पुन: आपको धन्यवाद देता हुआ कि किस तरह से आपने इस बार के बजट में सौ-सौ हैण्डपम्प हरेक विधायक को दिये। सौर ऊर्जा के सोलर वगैरह सब कुछ दिया है। हमारे यहां फ्लोराइड की भी समस्या है, उसके लिए भी आपने आर ओ सैंक्शन किये हैं।

(श्री गोतम कुमार)

मैं छोटा-सा आग्रह आपसे यह भी करना चाहूंगा। हमारे यहां पर जनता जल की काफी योजनाएं चल रही हैं। उसके कुछ प्रस्ताव भी आपके पास पहुंच चुके हैं। उनको भी जनता जल योजना के पुनरुद्धार के लिए उन चार-पांच योजनाओं के लिए भी आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाकर उन चार-पांच प्रस्तावों पर ध्यान देकर उनको भी स्वीकृत कराने का अगर आप आदेश फर्मा देंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को काफी राहत मिलेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री मनोज कुमारजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे भिरानी हैड से लेकर सिद्धमुख उप तहसील के 14 गांवों के सिंचाई के पानी के लिए 29 वर्ष से लगातार मेरी विधान सभा क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं। किसान बार-बार आन्दोलन कर रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं और इसके लिए बार-बार आन्दोलन भी किये गये हैं लेकिन 29 वर्ष में चाहे विपक्ष वाले हों, चाहे पक्ष वाले हों, इन दोनों की सरकार लम्बे अर्से तक रही है, लेकिन आज तक हमारे किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। उनको पानी नहीं मिल रहा है। माननीय मंत्री महोदय जिस तरह से उदारता रख रहे हैं, जिस तरीके से नहर, सिंचाई विभाग परिवहन की मानीटरिंग रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सिद्धमुख नहर वितरिका के लिए 14 गांवों को पानी और उनके जितने भी खाले, नाले हैं, वह आज तक नहीं बने हैं। मंत्री महोदय के लिए सत्ता पक्ष के लोगों ने पांच करोड़, तीन करोड़, दस करोड़ की बात कही है लेकिन हमारा छोटा-सा एरिया है, मात्र 14 गांव, उनके खाले, नालों का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे शेष बचे हुए नाले, खालों के लिए आज बजट में घोषणा करें।

दूसरा, माननीय मटोरियाजी ने जिस तरीके से बात रखी है, उन्हीं का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि चोरी के लिए हमें जरूर सिंचाई एक्ट में संशोधन करके चोरी की पैट्रोलिंग किस तरीके से हो सकती है, उनके खिलाफ कार्यवाही कैसे हो सकती है, इसके लिए पूरी सरकार को गम्भीरता से सोचना है। यह मेरे अकेले 27 किलोमीटर का मामला नहीं है, यह पूरे प्रदेश का

(श्री मनोज कुमार)

मामला है और पूरे प्रदेश में जहां-जहां भी सिंचाई विभाग में चोरी हो रही है, उसकी मानीटरिंग करके उनको पानी कैसे दिया जा सकता है, इस बात पर विचार करने की जरूरत है क्योंकि लम्बे अर्से से आखिर संघर्ष की स्थिति में आ गया।

माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कमाण्ड क्षेत्र की बात, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना मेरे तारानगर तक पहुंच गयी। उसका कमाण्ड एरिया घटा कर, पहले 238 लाख हैक्टेयर भूमि उसमें कमाण्ड थी, उसको घटा दिया और उसके लिए किसान पिछले दो वर्ष से लगातार तारानगर में आन्दोलनरत हैं, लेकिन सरकार उस कमाण्ड को जो अन कमाण्ड में कर दिया, उसको वापिस कमाण्ड करने की मांग किसान कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस पर आप पूरा गौर करें।

एक गम्भीर समस्या, डार्क जोन हमारे पूरे प्रदेश में है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 46 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से मात्र 07 पंचायतें ऐसी हैं जहां पानी लगता है लेकिन पूरी तहसील को डार्क जोन घोषित कर दिया। इसके कारण हमारी दोनों समस्याएं हैं। सिंचाई विभाग और पेयजल दोनों की हैं। दोनों में डार्क जोन के कारण बड़ी गम्भीर समस्या आ रखी है। इसलिए दोनों माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए हो या न हो, लेकिन कम से कम पेयजल में इस डार्क जोन को छूट दी जाए। जो लोग ढाणियों में बस गये, आपकी योजना आने के बाद भी ढाणियों में बसे हुए लोग डार्क जोन की पीड़ा झेल रहे हैं।

इसके साथ-साथ माननीय मंत्री महोदय, दो-चार दिन पहले मैंने यहां सदन में बात रखी थी तो माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने सिंचाई मंत्री महोदय की जगह जवाब दिया, मैं कहना चाहूंगा कि यह जिम्मेदारी भी हमारी है, उन्होंने जवाब दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लिए पानी के बंटवारे के लिए गये हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आपकी है। राज्य में सरकार आपकी है और केन्द्रीय जल बोर्ड के माध्यम से हमारी यह समस्या 600 क्यूसैक पानी की बार-बार आ रही है और इसके लिए कह रहे हैं कि 600 क्यूसैक की जगह हमें 470 क्यूसैक पानी मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, कई बार सदन में भी कह चुके हैं कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम प्रयास कर रहे हैं और केन्द्र

(श्री मनोज कुमार)

सरकार के साथ भी प्रयास कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करके हमारे अन्तिम टेल पर आने वाले उन गांवों को पानी पहुंचाने का काम करें जिससे हमारे लोग उसका लाभ ले सकें क्योंकि इसके कारण से हमारे लोग पानी से वंचित हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 29 वर्ष के समय तक हमें वंचित रखा, उसके लिए मंत्री महोदय आप उदारता रखते हुए हमारे सिद्धमुख वितरिका के लिए पूरा प्रयास करते हुए टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। एक कम्प्यूटराइज्ड गेज की बात सदन में कई बार आयी और यह कहा कि गेज का जो मामला है, उसको कम्प्यूटराइज करेंगे। तो वह सरकार कब तक करेगी? इस पारदर्शिता का सरकार कब तक कर देगी? माननीय मंत्री महोदय आज अपने जवाब में जरूर बतायें।

इसी के साथ, पेयजल योजना के बारे में कहूंगा कि मेरी तहसील आपणी योजना से जुड़ी हुई है, 188 गांव और मेरा शहर पूरा जुड़ा हुआ है और 37 गांव मेरे पहले से जुडे हुए हैं इसलिए पूरी तहसील आपणी योजना से जुड़ी। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी जैसी तहसील जो बिलकुल खारे पानी में थी, उसको आपने पानी पिलाने का काम तो किया लेकिन अभिषेक जी मटोरिया की भी वही समस्या थी और वही समस्या मेरी है और सदन में आप घोषणा कर भी चुके हैं, वह तीन हजार पापुलेशन वाली, जो घर-घर कनेक्शन करने की आपकी बात थी। घर-घर कनेक्शन करने के लिए कितनी जागरुकता आप में है, कितनी आपके अधिकारियो में जागरुकता है, उस अनुसार लोगों को घर-घर कनेक्शन दे दिया जाए तो आपकी यह योजना फेल नहीं हो क्योंकि पांच सौ-पांच सौ करोड़ रुपये लग कर यह योजना शुरू हुई है। इसकी बिल की और एक बड़ी समस्या है। पूरे गांव में पैसा उगाह कर गांव की कमेटी को लाना पड़ता है। गांव के दस लोग भी अगर मना कर देते हैं तो पानी महीनों-महीनों तक उस बिल को भरने के अभाव के कारण रुक जाते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि जब तक आप घर-घर कनेक्शन नहीं कर दें तब तक ये सार्वजनिक नल लगे हुए हैं, इनका बिल सरकार वहन करे। इसके लिए भी आप घोषणा करें क्योंकि इस बजट में ऐसा प्रावधान हो सके।

(श्री मनोज कुमार)

इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ढाणियां वंचित रह गयी थीं हमारे प्रोजेक्ट में। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार दुबारा सर्वे करवाकर उन ढाणियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाए। इसके साथ शहरी क्षेत्र में पाइप लाइन 20 से 25 वर्ष पुरानी हैं, जिसकी गहराई भी 15-15 फुट हो गयी। अगर लीकेज हो जाता है तो माननीय मंत्री महोदय, जेसीबी के बिना उसके लीकेज ठीक नहीं किये जा सकते इसलिए पाइप लाइन का जो प्रोजेक्ट है, शहरी क्षेत्र में आप लेकर आएं। वैसे हमारा आरयूआईडीपी स्कीम में किया गया है जिसमें पाइप लाइन जोड़ी गयी है। हो सकता है, सरकार ने वह घोषणा पिछले बजट में की थी लेकिन अभी तक एक कदम भी चले नहीं हैं, अगर उस स्कीम में भी हम शामिल हो जाते हैं और वह काम हो जाता है तो हमें आपसे अलग से मांगने की जरूरत नहीं है और अगर नहीं होता है तो हम आपसे डिमाण्ड करते हैं कि शहर की पाइप लाइन पूरी की पूरी बदली जाए। दुबारा डाली जाए। जो गहरी लाइन हो गयी, उसको ठीक किया जाए।

आपणी योजना में राजस्व गांव जो पहले से जुड़े हुए थे, उन के लिए गांवों में उस कम्पनी ने न तो नई पाइप लाइन डाली, न किसी का विस्तार किया इसलिए जहां विस्तार की जरूरत है वहां विस्तार किया जाए। राजस्व गांव जो थे, उनको उसी, जो पहले पेयजल स्रोत था उसी से जोड़ कर सप्लाई कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, न तो योजना में नई लाइन डाली और न क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसलिए जो राजस्व गांव शुरू से पहले से थे, उन राजस्व गांवों की दुबारा एक बार फिर मानीटरिंग कराएं। दिखाएं पूरे को, कि राजस्व गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने थे, उनमें पाइप लाइन क्यों नहीं डाली गयी और योजना में अगर है तो उनको तुरन्त डलवाया जाए, अगर नहीं है तो उन राजस्व गांवों के विस्तार के लिए एक नई योजना बनायी जाए, जिनसे उन लोगों को जोड़ा जा सकता है।

इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री मंगला रामजी। समय का खयाल करें।

श्री मंगलाराम (कठूमर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27

(श्री मंगलाराम)

और 46 पेयजल, सिंचाई की अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में आने वाले समय में गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नगरपालिका खेड़ली, जो बहुत बड़ा कस्बा है, नगरपालिका है, उसमें 9 ट्यूबवैल सूख चुके हैं, जिससे पानी की भारी समस्या है। इनमें तीन तो मंत्री महोदय ने सैंक्शन कर दिये हैं और उनका कार्य अति शीघ्र कराया जाए नहीं तो भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा और 9 के स्थान पर तीन से काम नहीं चलेगा, कम से कम पांच और कराये जाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

इसी प्रकार से कठूमर में कस्बा बड़ा है, यहां पर भी एक स्कीम है। वो स्कीम अवधि होने के बाद में भी तक पूरी नहीं हुई है और यहां भी पानी की जटिल समस्या आयेगी। मैं आपको और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को यह धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से बहुत सारे गांवों में खारे पानी की किल्लत थी, उस खारे पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 75 आर.ओ. सैंक्शन किये हैं। उन 75 आर.ओ. में 10 आर.ओ. चालू हैं और 25 आर.ओ. के ट्यूबवैल हो गये हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की किल्लत को मिटाने के लिए उन आर.ओ. के। अति शीघ्र कार्य कराया जाए। विभाग ने जहां अन्य खारे पानी की समस्या है उनके प्रपोजल आपके सामने और भेज दिये हैं, ऐसे 52 गांव और हैं जो खारे पानी से जूझ रहे हैं इसलिए वहां भी आर.ओ. सैंक्शन किये जाएं।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सोंखरी ग्राम पंचायत में बहुत पहले आपकी स्कीम 2013 में आपने सैंक्शन की थी और स्कीम पूरी हो गयी मगर पहले जो वहां पर टंकियां बनी थीं उस स्थान को आज वो वन विभाग का मानते हैं, वन विभाग पता नहीं चलाकर डिले कर रहा है या क्या कर रहा है। मेरी आपसे ऐसी आशा है कि 50 साल से पहले जो टंकी बन रही थी, वो खराब होने के कारण से आपने दूसरी स्कीम चालू की है। उस स्थान पर अति शीघ्र टंकी का निर्माण कराया जाए। सोंखरी बड़ा ग्राम पंचायत गांव है, उनको भी पानी पिलाने के लिए आप व्यवस्था करें।

(श्री मंगलाराम)

मेरा आपसे एक और निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे जो हैण्डपम्प हैं वो सूख गये हैं इसलिए उनके स्थान पर और हैण्डपम्प चालू कराये जाएं। इसके अलावा मेरे यहां कुल मिलाकर के करीब 52 ऐसी स्कूलें हैं जिनमें बच्चों को पानी पिलाने के लिए बड़ी समस्या है, वहां पानी नहीं है इसलिए उन 52 गांवों की लिस्ट मैं दे रहा हूं, उन पर आप सैंक्शन कराएं। यह मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मैथना ग्राम पंचायत में इर्रिगेशन विभाग से निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल का पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र मैथना में करीब 1400 बीघा जमीन है, उसमें अगर स्टोरेज बनाया जाए तो सभी जगह, नदबई, नगर और अलवर जिले तक भी पहुंचेगा। मेरा आपसे इस तरह का निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की किल्लत है उसको मद्दे नजर रखते हुए जो और नई स्कीमें बनायी हैं जिससे जो समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, उन स्कीमों की लिस्ट भी मैं आपको संलग्न कर रहा हूं, वो भी स्वीकृत करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री महोदय का धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री भागीरथ जी चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल एवं मांग संख्या 46 सिंचाई पर सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी को और हमारे जलदाय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने गत बजट 2015-16 में मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में चिर प्रतीक्षित शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना की स्वीकृति जारी की। उसमें लगभग 207 करोड़ रुपये की महती योजना की क्रियान्विति अभी चालू है और उसी का परिणाम है कि आज पूरे शहर में 650 किलोमीटर पानी की पाइप लाइन बिछ रही है। जो 15 उच्च जलाशय मेरे किशनगढ़ शहर में बन रहे हैं इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और हमारे जलदाय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री भागीरथ चौधरी)

हमारे विपक्ष के भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पर विश्वास करती है। सुनो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह तो देख लिया, सभापति महोदय।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गयी है। मैं और बता दूं यह जो चुनाव परिणाम आये हैं न अजमेर, अलवर दो सांसद और माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किशनगढ़ के।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, किशनगढ़ के, मैं आपको बता दूं।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें, समय बहुत कम है। आप तो मेरी तरफ ध्यान रखें बस।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं आपको बता दूं ये हमारी क्या कमी-खामी है, उसके लिए जनता ने हमें सचेत किया है, उस कमी-खामी को हम पूरी करेंगे और आपको मैं और बता दूं कि आपको गुरूर करने की ये जनता ने गलतफहमी पैदा कर दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनता कभी गलतफहमी पैदा नहीं करती, आपके गलतफहमी है अभी भी।

श्री सभापति: विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कतई गलतफहमी नहीं है। अब थोड़े ही हैं, नवम्बर-दिसम्बर, 2018 में आपको पता लग जाएगा।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 285 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। 2008 से 2013 में आपके पूर्ववर्ती मुख्य मंत्रीजी किशनगढ़ में गये उन्होंने इसी पुनर्गठित योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की घोषणा की, बड़े-बड़े बैनर और होर्डिंग लग गये, बड़े-बड़े फोटो लग गये मुख्य मंत्रीजी के और आपके सारे नेताओं के, दुर्भाग्य से 200 रुपये स्वीकृत नहीं किये। आज भी वहां जनता हंस रही है। यह कम बात नहीं है। आप कितना असत्य बोलते हो। जैसा बाबा आप लबार...

श्री सभापति: भागीरथ जी, असत्य बोलते हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, थोड़ा-सा। यह लक्ष्मणगढ़ वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं तो, 'जैसा बाबा आप लबार वैसा उनका कुल परिवार', जैसे बाबा स्वयं +++ हैं वैसे ही उनके परिवार +++ हैं। यह विपक्ष असत्य का सहारा लेकर और इन्होंने 53 साल तक किसानों पर राज किया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह +++ असंसदीय है और इनको थोड़ा सिखा दो कि क्या बोलना चाहिए। आप तो पानी की डिमाण्ड पर आ जाओ।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, पानी। हमारी मर्जी हम बोलेंगे, आप क्यों चिंता करते हो। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं, वो 200 करोड़ रुपये की घोषणा कर के आये हैं, नहीं आये हैं तो आप बता देना।

श्री सभापति: मेरा निवेदन सुन लें। यह जो टाइम आपका जाया हो रहा है, टाइम होते ही मैं नहीं बोलने दूंगा, अभी आगे लाइन बहुत लम्बी है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, हम वैसे ही ज्यादा तो नहीं बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: इधर ध्यान क्यों रखते हैं आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): तो यह बार-बार बोलते हैं तो हमें थोड़ा-बहुत तो बोलने दो न। जो इनको बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गयी न उसको तो थोड़ा दूर करें।

श्री सभापति: इनकी गलतफहमी इनके पास है आप तो अपना वक्तव्य दो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां। सभापति महोदय, आज मैं पेयजल के लिए जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि 650 किलोमीटर जो शहर में पाइप लाइन डल रही है उसमें जलदाय विभाग ने 135 किलोमीटर मेरे शहर में पाइप लाइन डाल दी है परन्तु सारी सड़कों को खोद दिया है, उन सड़कों को वापस रिपेयर नहीं किया है इसलिए आज शहर में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी है इसलिए जलदाय मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जलदाय विभाग जो सड़कें खोद रहा है, आपके विभाग को हाथों हाथ उन सड़कों को वापस रिपेयर करना चाहिए। जब ही तो लक्ष्मणगढ़ वाले माननीय सदस्य खुश हो रहे हैं कि उससे जनता नाराज हो गयी। सारी सड़कों को खोद दिया है और सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं हम, हमारी गलती, कमी-खामी को हम दूर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो सच्चाई स्वीकार करते हो लेकिन स्वास्थ्य मंत्रीजी नहीं करते हैं सच्चाई को स्वीकार।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका विभाग जो पाइप लाइन डाल रहा है, आपके विभाग की ड्यूटी है कि वह हाथों हाथ उन सड़कों को रिपेयर करें ताकि जनता को कोई कठिनाई नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो पाइप लाइन पहले आदरणीय सांवरलालजी जाट माननीय मंत्रीजी थे तब उन्होंने पाइप लाइन पानी की जो डाली थी वह सीमेंट की थी, वह जीर्ण-शीर्ण हो गई है, टूट गई है उसकी वजह से गांवों में पानी जा नहीं रहा है, आधे ही गांवों में पानी जा रहा है, जो ऊंचाई की जगह है वहां पर पानी नहीं जा रहा है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन गांवों में बराबर पानी नहीं जा रहा है, वहां आप पाइप लाइन डालकर या जहां टंकियों की आवश्यकता है वहां टंकियां बनाकर वहां पानी जरूर पहुंचाने का कष्ट करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इतनी जल्दी नहीं, जलदाय विभाग का विषय ही ले रहा हूं, सिंचाई विभाग तो बाकी पड़ा है।

श्री सभापति: समय बाकी नहीं पड़ा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): समय तो, यहां तो आधा-आधा घंटे बोलते हैं, ऐसा मत करो आप।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, सभी सदस्य बड़े हिम्मत वाले हैं, वह यह देखना चाहते हैं कि बारह बजे भूत आते हैं कि नहीं आते हैं, यह सुनिश्चित करना है। धीरज भी बड़े धीरज से बैठा है आज।

श्री सभापति: हमारे पास समय कम है। आप जल्दी करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, पेयजल पर मेरी पांच मांगें हैं। किशनगढ़ शहरी क्षेत्र में मेरे जो पुनर्गठित स्वीकृत पेयजल योजना है, जो राइजिंग लाइनें हैं, वह मैंने बता दी हैं, वहां खुदाई हो रही है, उनको ठीक करें। शहरी क्षेत्र की पुनर्गठित परियोजना की लागत 215 करोड़ की स्वीकृत कराने के लिए ठोस क्रियान्विति करने हेतु विभागीय

(श्री भागीरथ चौधरी)

अधिकारियों को निर्देशित कराएं ताकि वह जल्दी से जल्दी पाइप लाइन डालकर कार्य पूरा हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति किशनगढ़ अंराई में विभिन्न गांवों की पेयजल योजनाएं जो जयपुर स्थित मुख्यालय पर लम्बित हैं उनको आप जल्दी से पूर्ण कराएं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में तीन पंचायत समितियां हैं, दादिया, करसोरा और बांदर सिंदरी, घर-घर पेयजल योजना के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी क्रियान्विति जल्दी से हो ताकि घर-घर पानी वहां पहुंच सके। बजट घोषणा पत्र 2018-19 के बिन्दु संख्या 43 के अन्दर पेयजल समस्या के समाधान हेतु आगामी गर्मियों में आप प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सौ हैंडपम्प देंगे, मेरा यह मानना है कि आप शहरी क्षेत्र में चाहे कटौती करवा दो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मेरी चालीस ग्राम पंचायतें हैं वहां सौ की जगह डेढ़ सौ हैंडपम्प होने चाहिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): मेरे सौ हैंडपम्प आप ले लो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी बांध हैं, तालाब हैं वह सारे ग्राम पंचायतों को सुपुर्द कर दिए, अब ग्राम पंचायतों के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, इससे न तो उन बांधों की रिपेयर होती है न कोई मोरियों की रिपेयर होती है, इस वजह से वह सारी की सारी समस्या खड़ी है। मैं चाहूंगा कि जितनी भी ग्राम पंचायत को आपने ये सब दिए हैं वे वापस सिंचाई विभाग को आने चाहिए ताकि वह बांध ठीक तरह से maintain हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आप इतनी जल्दी नहीं करें।

श्री सभापति: इतनी जल्दी करनी पड़ेगी। नहीं तो भूत आ जाएंगे। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नहीं, भूत नहीं आने देंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग में पंचायत समितियों में...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भूत आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं लेकिन +++ जरूर आ गया, +++ बीच में बैठा है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, इन माननीय सदस्य को बार-बार मत उठने दो।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति मुख्यालय अंराई में सिंचाई विभाग का नवीन सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित तो कर दिया आपने। वित्त विभाग द्वारा 7.11.2017 को स्वीकृत कर दिया लेकिन जल संसाधन विभाग के जयपुर मुख्यालय पर स्थित विभागीय अधिकारियों ने वहां पर अधिकारी नहीं लगाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लगा देंगे अधिकारी। अब आप विराजो।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे पांच बिन्दु हैं। इतनी भी जल्दी मत करो।

श्री सभापति: नहीं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भूत नहीं आएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जयनारायणजी पूनिया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ऐसा मत करो माननीय सभापति महोदय।

जल ही जीवन, जल सा जीवन,

जल्द ही जल जाओगे,

अगर न बची जल की बूंदें,

कैसे प्यास बुझाओगे?

रिश्ते-नाते पीछे होंगे, जल की होगी मारामारी,

रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।

इसलिए इस जल को बचाना जरूरी है। मेरी पांच मांगें हमारे जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से हैं।

श्री सभापति: आप विराजो, आप उनको दे देना।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हां, मैं उनको दे दूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री जय नारायण पूनियां।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आज जिस पर बहस हो रही है वह पीने का पानी और सिंचाई है। इनमें मैं पहले पीने के पानी पर चर्चा करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में पीने के पानी का कोई लोकल सोर्स नहीं है सिर्फ एकमात्र योजना है और वह भी आपणी योजना। उस योजना के आधार पर वहां पर पानी गांव में सप्लाई किया गया। आठ-दस साल तक तो उससे रिलीफ रही, बाद में यह स्कीम लड़खड़ानी शुरू हुई। लड़खड़ाते-लड़खड़ाते हालत यह हो गई है कि आज किसी भी गांव के अन्दर सही ढंग से पानी नहीं पहुंचता। इसके अन्दर आबादी बढ़ गई, पानी का सोर्स वही है पुराना उसके साथ में कुछ जोड़ना चाहिए था वह न जोड़कर पुराने सिस्टम से ही पानी देने की कोशिश कर रहे है उससे पानी नहीं पहुंचता। कैपेसिटी नहीं है उस सिस्टम की। इसका पुनरुद्धार करना चाहिए और नए सिरे से इसको बनाना चाहिए नहीं तो गांवों में बड़ी तकलीफ है, मामूली बात नहीं है यह। वहां पर 6 गांव ऐसे हैं उस क्षेत्र में जिनका मैंने बार-बार जिक्र भी किया है जिनमें पांच-छह साल से पानी बिलकुल भी नहीं पहुंच रहा है, एक बूंद भी नहीं पहुंचा, ये टेल पर पड़ते हैं सब के सब। ये गांव हैं, सारायण, बास सारायण, कोहीना, मदावास, यूनरास, थेलाना। इन गांवों को पानी देने का एक ही तरीका है कि इन छह गांवों के बीच में एक ग्रुप बनाकर इनके बीच में एक टंकी का निर्माण किया जाए और उस टंकी को छह गांवों से जोड़ दिया जाए। इस पानी का सोर्स जो पुराना सोर्स है वह गड़बड़ा गया है, इसलिए नये सोर्स भालेरी पम्पिंग स्टेशन से इसको जोड़ा जाए। भालेरी का पानी बहुत ही नजदीक पड़ता है और पम्पिंग स्टेशन भी बहुत नजदीक है, आठ-नौ किलोमीटर ही है। यह ग्राम तो इतने दूर आ गए, पहले वाले सिस्टम में जिसके कारण से यह बहुत दु:ख पा रहे हैं, इनके पानी का संकट इसका किस तरह से निराकरण हो सकता है। आप लोगों ने एक बात और भी देखी है, सरकार ने सब गांवों में एक ऐसी आस जगा दी कि घर-घर टूंटी देंगे, आज हर गांव वालों के यह जंचा हुआ है कि घर-घर टूंटी कब लाओगे? (व्यवधान) बार-बार जनता का यह आग्रह रहता है कि घर-घर टूंटी लगाओ। पानी की स्कीम के अन्दर मेरे क्षेत्र के अन्दर 5 हजार से 8-9 हजार

(श्री जय नारायण पूनियां)

तक की आबादी के 15 गांव हैं। जिनके नाम मैं गिनाना चाहता हूं, धीरवास बड़ा, सात्यूं, बाय, भालेरी, जैतसीसर, बरजानसर, चंगोई, सारायण, रेया कुंडा, कोहीना, पुनसीसर, सिबला, रतनपुरा, बोघेरा और रातुसर, इन गांवों को घर-घर टूंटी के पानी से जोड़ा जाए। इनको इस तरह से करके पानी शुरू किया जाए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इनको, सभी ने यह कहा है कि घर-घर टूंटी लगा देंगे इस बार, इस बार लगा देंगे तो लोगों की यह मान्यता हो गई है कि ये असत्य बोलते हैं इसलिए इस बजट के अन्दर इसको शुरू किया जाए। काफी गांवों में नाम मैंने गिनाए हैं, 15 गांव तो मेरे हैं और उनको घर-घर टूंटी योजना से जोड़ा जाए, इसमें पानी की खपत कम होगी क्योंकि टूंटी लगाने से पानी बेकार नहीं जाएगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है और चोरी भी रोकी जा सकती है। पानी की भी चोरी हो रही है, तो चोरी के लिए तो दंड देने के लिए कोई विधान होना चाहिए। नहरी पानी की जहां चोरी होती है वहीं पर पीने के पानी की भी चोरी हो रही है। तो इस तरह से पानी की चोरी रोकने के लिए भी कोई विधान इस प्रकार का बनाना चाहिए, चोरी करने वालों को नहीं छोड़ना चाहिए।

यह योजना ऐसी है, इसको बहुत साल हो गए, बनानी शुरू की, बीच में रुक गई। फिर शुरू की, फिर रुक गई। और हालत यह हुई है कि आखिर में इसका पानी भी पीने के लिए दे दिया गया। बहुत से गांव भी इससे वंचित हो गए। वो गांव बड़े निराश हैं। अगर हो सके तो इनको पुन: जोड़ा जाए, अगर नहीं हो सके तो यह जो बाकी बचा पानी है, जिसकी यह नहर चालू है, उसके लिए कम से कम डिग्गी और फव्वारा सिस्टम से इस योजना में लिया गया है। इसका बजट पूरा होना चाहिए। अब यह बीच में कहीं ठहरनी नहीं चाहिए। पूरा बजट देकर इसको कमप्लीट करवाया जाए। मंत्रीजी से मैं मिल चुका हूं, उनसे मैंने अभी बात की है और समस्या का हल यही है कि बजट पूरा आना चाहिए, कभी इसमें रुकावट नहीं करनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य नंदकिशोर जी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति जी, आपने मांग संख्या 27 और 46 पर बोलने का मौका दिया। हमारा प्रदेश पूरे देश में सबसे कम पानी वाला प्रदेश है। भू-भाग में हम पूरे देश में 10 परसेंट में हैं

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

और पानी में मात्र एक परसेंट में। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य को केन्द्र से बातचीत करके, चाहे पेयजल हो या सिंचाई हो, पानी के मामले में खास तौर से विशेष दर्जा दिलाया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारा सीकर जिला लगभग आधे से ज्यादा सिंचाई की सुविधा से महरूम हो चुका है। आज के दिन नीमकाथाना, दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, इस पूरे क्षेत्र में ग्राउंड वाटर लगभग समाप्त होने को आ गया है और यही स्थिति पेयजल की है और आगे भी ऐसी कोई योजना सरकार की अब तक दिख नहीं रही कि आने वाले समय में सीकर में सिंचाई और पेयजल की कोई व्यवस्था अच्छे से हो पाए।

फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की जो 832 करोड़ की योजना पूरी हो जानी चाहिए थी मई, 2015 में, वह अब तक पैंडिंग है। पिछली बार मुख्य मंत्रीजी ने बजट में विशेष घोषणा की थी कि मार्च, 2018 तक इसको हर हालत में पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, हालांकि वे यहां हैं नहीं अभी, कि यह योजना तुरन्त पूरी हो जाए, जिससे लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर क्षेत्र को पीने का पानी मिल सके। हमारे 2 एसडीएम हैडक्वार्टर हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में- रामगढ़ और फतेहपुर, लेकिन एक्सईएन आफिस पीएचईडी की वहां कम ही हैं। तो दो उपखण्डों को देखते हुए और जनसंख्या को देखते हुए वहां एक एक्सइएन आफिस हो जाए और रामगढ़ उपखण्ड पर मात्र एक एईएन की पोस्ट है, वहां अगर एईएन बैठना शुरू कर दे तो क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा।

अभी जो स्थिति अपने प्रदेश की पानी के मामले में है, उसमें खास तौर से किस जगह कौन-सी फसलें बोनी चाहिए, यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में गेहूं जैसी फसलें आज के दिन बोई जा रही हैं, जो लगभग 1300 लीटर पानी एक किलो गेहूं पैदा होने में खर्च होता है तो इसके लिए सरकार को कोई अभियान चलाकर कि किस एरिया में किस तरह की फसलें बोई जाएं और माइक्रो इर्रिगेशन वगैरह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अभी जो बजट में घोषणाएं हुई हैं, ये घोषणाएं ज्यादा दिख रही हैं और इनमें बजट कम दिख रहा है। उसी तरह केन्द्र सरकार में भी बातें हुईं सिंचाई की तो 9 लाख करोड़ की बातें हुईं और बजट सिर्फ 2600 करोड़ दिया गया, यानी कि 346 गुना और हमारे प्रदेश की सरकार जो है, वह घोषणाएं

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

करने में केन्द्र से भी आगे चली गई। 52 हजार करोड़ की घोषणाओं में मात्र 70 करोड़ बजट, यानी 742 गुना घोषणाएं, तो प्रदेश की जनता को इस तरह से घोषणाएं करके गुमराह न किया जाए। एक बार मैं फिर आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि हमारे दो उपखण्ड हैं, उनमें एक एक्सईएन आफिस खोला जाए फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में, जनता के लिए ठीक रहेगा और हमारी 832 करोड़ की योजना तीन साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लास्ट बजट में जनता से वादा किया था कि अगले साल तक पूरी कर देंगे, वह भी अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेन्द्र जी कटारा। कृपया समय की मर्यादा का खयाल करें।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, पेयजल और सिंचाई पर आपने बोलने की अनुमति दी, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से यहां विधान सभा में आया हूं, जो पूरा आदिवासी इलाका है और वर्षा की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा में होती है और अगर हम लोग पानी की व्यवस्था के बारे में चिंता करें तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा भूजल उस क्षेत्र में है। माननीय सभापति महोदय, 1950 से लेकर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं एक सैकिण्ड लूंगा। एक थोड़ी-सी शंका हो गई, क्योंकि विधान सभा में भूत आ रहे हैं और +++ आ ही गया तो अब क्या होगा, बताएं आप। कोई खतरा तो नहीं है हमको कि भूत भी आ गया, +++ भी आ गया और +++ भी आ गया।

श्री सभापति: खतरा है तो आपको अपने आपसे ही है और किसी से नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह दीर्घ शंका है या लघु शंका है?

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): ना पक्ष को भूत का बहुत बड़ा डर है और 2018 में बिल्कुल भूत उनको लगना ही लगना है।

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): आप किसी को लाकर चैक करा दें, डोटासरा जी, 12 बजे पहले।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, भूतनी भी आ गई अन्दर, भूतनी भी। मैंने गैलेरी में भूतनी को देखा था और यहां आकर बैठी थी, गायब हो गई अभी तो।

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें, देवेन्द्र जी।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, 1950 से लेकर अब यदि हम शासन व्यवस्था की, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करें, 68 साल में...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): और सदस्यों का पता नहीं, पर डोटासरा आपकी खैर नहीं, रात को आ रहे हैं भूत आज आपके पास।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, 68 साल में आधे विधान सभा क्षेत्र में हां पक्ष का शासन रहा है और 55 साल तक ना पक्ष का शासन रहा है और आधे विधान सभा क्षेत्र में 66 साल तक ना पक्ष का शासन रहा है और दो साल तक यानी 61 साल इनका शासन रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस दरमियान जब पूरी बारिश हो रही हो उस क्षेत्र में, इसके बाद में एक भी बांध, एक भी बड़ा तालाब, जिससे कि क्षेत्र की जनता को पानी का लाभ मिल सके, सिंचाई के लिए पानी को संचित किया जा सके, भूजल को ऊपर लाया जा सके, ना पक्ष के कार्यकाल में एक भी बड़ा तालाब या बांध नहीं बनाया गया। स्थिति यह बनी कि आज भी सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में बारिश हो रही है, गर्मियों में टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जब पीने का पानी टैंकरों से सप्लाई करने की बात आती है तो सिंचाई की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वहां पर बहुत ही कम लागत में बड़े-बड़े बांध बनाए जाने की स्थिति हमारे वहां पर है, लेकिन विपक्ष ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और एक भी तालाब नहीं बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज करोड़ों रुपया पेयजल में, टैंकरों की सप्लाई में या हैंडपंप के नाम से खर्च हो रहा है। सभापति महोदय, जब बड़े-बड़े बांध बहुत कम लागत में बनाए जा सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा बांध नहीं बनाना क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा दुखदायी समय रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां का आदिवासी पशु से प्रेम करता है, पशुपालन का धंधा भी है, लेकिन वहां गर्मियों में पानी के अभाव में 6 महीने तक चारा-पानी की

(श्री देवेन्द्र कटारा)

कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां का आदिवासी पशुपालन से भी धीरे-धीरे पीछे हटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पानी की काफी समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, दो तालाब, बड़े बांध, मेवाड़ा सिंचाई परियोजना भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी।

(22.00 बजे)

अपरघोढ़ी बांध भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई बांध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जब क्षेत्र की जनता की बात हम करते हैं तो हमारे सामने बार-बार एक ही बात आती है, हर खेत को पानी देने की बात आती है, हर घर तक हम पीने के पानी की बात आती है। वहां का आदिवासी बैल्ट है और एक-एक पहाड़ी पर एक-एक मकान है तो ऐसी स्थिति में हम लोग घर-घर नल के माध्यम से पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक मात्र चारा बचता है कि नदी-नालों को हम लोग बांधें। सबसे ज्यादा नदी-नाले अगर हैं तो हमारे क्षेत्र में हैं। ऐसी स्थिति में और चाहे वो कोई भी सरकार रही हो लेकिन पूरे राजस्थान का मैप अगर हम देखते हैं तो वास्तव में डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी परियोजना वहां पर लागू नहीं हुई जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां का आदिवासी हमारे लिए त्राहि-त्राहि करता रहा। लेकिन इस चार साल के शासन में मैं माननीय सिंचाई मंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमको दो एनीकट दिये और दोनों एनीकटों की वजह से प्रत्येक एनीकट से छह-छह पंचायतों का भू-जल स्तर भी ऊपर उठा और वहां के कुओं में जो पानी था वो भी ऊपर उठा। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे छह गांव पूरे के पूरे व्यवस्थित हो गये।

यही नहीं, मेवाड़ा सिंचाई परियोजना जब भैरोंसिंह जी शेखावत के समय में तो बनी लेकिन इसकी नहरों का विस्तार नहीं हो पाया था। दो करोड़ 55 लाख रुपये टीएडी के माध्यम से हमको....

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं। मेरा सिंचाई का ही विषय है और इसके अलावा कोई दूसरा विषय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति में मेवाड़ा सिंचाई परियोजना के करीब 6 गांव हैं और जो 6 नई नहरों के जीर्णोद्धार की बात

(श्री देवेन्द्र कटारा)

आई है। निश्चित तौर पर हमें इसका लाभ मिला है और बजट घोषणा हुई है जिसका किसानों को लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से मांग चली आ रही है जो पणियाला वाला दर्रा की बात आ रही है, वहां वो क्षेत्र आंशिक वन क्षेत्र है। माननीय सभापति महोदय, उस बांध को बनाने के लिए हमें एक रुपया किसी को विस्थापित होने के कारण देना नहीं पड़ रहा है और न ही कोई और परेशानी है। हमारे वहां उस बांध को बनाने के लिए अगर डीपीआर की घोषणा हो जाती है तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लिए काफी लाभप्रद रहेगा।

इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की सिंचाई के सम्बन्ध में बेड़ा नाका का बांध फर्स्ट, नया गांव फरास एनीकट, बेड़ा नाका सैकिण्ड एनीकट, गुंजल का नाका पीथापुर बांध, कवालियादरा एनीकट, माण्डविया एनीकट, चामुण्डा माता एनीकट, ये जो हमारे प्रमुख एनीकट बनने लायक जगह हैं जिनसे उस क्षेत्र के आदिवासी किसानों को बहुत-बहुत लाभ मिलने की स्थिति है। इसलिए इन बांधों को बनाया जाए और बहुत ही कम लागत में, अगर पूरे विधान सभा क्षेत्र में तमाम, पूरा पानी हम रोकते हैं तो 50 करोड़ से ज्यादा की कोई लागत नहीं है, 50 करोड़ में पूरा क्षेत्र भी सिंचित हो रहा है, पूरा आदिवासी बैल्ट लाभान्वित हो रहा है और पूरा पानी अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पेयजल योजना के बारे में निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे यहां पर पेयजल स्कीम होनी चाहिए थी वो वास्तव में, हालांकि मंत्री महोदय ने हैण्डपम्प वगैरह हमको दिये हैं लेकिन इससे आदिवासी क्षेत्र में क्योंकि मकान बहुत छितरे-छितरे हैं और वहां पर आबादी 4-4, 5-5 घरों की है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ी परेशानी आती है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। सौर आधारित सिस्टम को अगर डवलप करके वहां पर लगाया जाता है तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी डिमांड पर निवेदन करना चाहता हूं कि हमने मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन स्कीम के तहत कुएं तो खोद दिये लेकिन वहां पर पी. एण्ड टी. स्कीम के माध्यम से जिस तरह से पाइप के

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माध्यम से अगर जोड़ दिया जाता है तो उन कुओं का लाभ आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों को पूरी तरह से मिलेगा। उसके लिए भी माननीय पेयजल मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन स्कीम के तहत जो भी गांवों में कुएं खोदे गये हैं उन कुओं का लाभ हम लोगों को मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरा उप खण्ड मुख्यालय बिछीवाड़ा है और तहसील मुख्यालय वहां पर है, उसके बाद वहां पर सहायक अभियंता का आफिस है लेकिन न तो हमारे आफिस का निर्माण हुआ है और न उच्च जलाशय है। ऐसी स्थिति में वहां पर उच्च जलाशय की आवश्यकता है जो काफी चिंतनीय विषय है। हमारे चुण्डावाड़ा में हमने टंकी तो बना दी लेकिन टंकी की हालत इतनी जीर्ण-शीर्ण है कि कभी भी गिर जाए तो वहां पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। वो टंकी न तो अभी भरी जा रही है और न उससे पानी सप्लाई हो रहा है। उसको डिस्ट्राय करने के लिए बार-बार डिमांड हुई लेकिन इसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल जी।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना और मांग संख्या 46 सिंचाई पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बीसलपुर परियोजना की मेरे क्षेत्र में 2003 से 2008 में योजना सैंक्शन की थी वो 2008 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार में बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई थी। दुबारा हमारी सरकार आई तो 2013 के बाद में उसको चालू किया और 2016 के अन्दर वो बीसलपुर के पानी की योजना चालू हुई इसके लिए मैं मंत्री महोदय को और हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी बीसलपुर का चल रहा है लेकिन घर-घर कनेक्शन नहीं होने की वजह से जो पीएसपी में पानी चल रहा है। एक पीएसपी से लगभग 250 की आबादी पर

(श्री कन्हैया लाल)

पानी मिलता है और वो पानी आधे घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है जिसकी वजह से आधे गांवों में यह योजना लगभग बन्द सी पड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका समय थोड़ा बढ़ाया जाए। मेरे क्षेत्र के लोगों को लगभग 9 एमएलडी पानी मिल रहा है। अब क्योंकि गर्मी का समय आने वाला है और गर्मी के समय में इस बार हमारे बहुत ज्यादा अकाल की स्थिति है। अकाल की स्थिति की वजह से पूरे तालाबों में इस बार एक बूंद भी पानी नहीं आया और पूरे के पूरे जानवरों के लिए भी पानी की आवश्यकता है। जो पानी इन्होंने जोड़ रखा है उसमें जानवरों के लिए पानी नहीं था पर इस बार हमें जानवरों को भी पानी पिलाना पड़ेगा इसलिए पानी का कुछ परसेंटेज बढ़ाया जाए जिससे जानवरों और आदमियों को पूरा पानी मिले।

इसके साथ-साथ पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए कुछ पेयजल के टैंकर भी चालू किये जाएं। टैंकरों के साथ-साथ हमारे जो हैण्डपम्प हैं वो भी जल्दी से जल्दी लगाये जाएं जिससे आने वाली गर्मी हमारी अच्छी तरह से कट सके। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे क्षेत्र में हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कई योजनाएं पिछले दो साल पहले सैंक्शन की थीं जिसमें टोडारायसिंह की पुनर्गठित योजना थी, टोरड़ी सागर है, कांटोलिया है, बृजलाल नगर है और लगभग हर नगरपालिका क्षेत्र में तीन करोड़ रुपये के आस-पास इन्होंने सैंक्शन भी किये थे पर अभी तक हमारे यहां शायद मूर्त रूप में नहीं हुआ है इसलिए यह काम जल्दी से जल्दी चालू कराएं जिससे लोगों को इसका पूरा बैनेफिट इस गर्मी में मिल सके।

इसके साथ-साथ, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कुछ गांव बीसलपुर की योजना से छूट गये थे जिसमें मेरे एक जाजमों की ढाणी है, शहरी पेयजल योजना में मेरा एक सांडला गांव था, लावा के अन्दर भी पानी की टंकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और दो महीने पहले ही उसकी सीढ़ियां टूटकर गिर गई थीं जिससे लोगों के लग भी गई थी तो उस टंकी को भी दुबारा बनाया जाए। इसके साथ-साथ पीएसपी योजनाओं में जो दिक्कत आ रही है तो 3 हजार से 4 हजार तक की आबादी में भी जल्दी से जल्दी घर-घर कनेक्शन करने की कृपा करें।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी

(श्री कन्हैया लाल)

को कि हमारे प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नदियों को जोड़ने का सपना था, उसमें इन्होंने ईआरसीपी योजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत लगभग 38 हजार करोड़ रुपये की एक योजना बनाई है। उसको जल्दी स्वीकृति के लिए भेजा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिससे मेरे क्षेत्र के कई बांध जैसे टोरडी सागर है, मासी है, लाम्बा हरिसिंह, किरावल, इन बांधों के ओवरफ्लो पानी से जोड़ने का काम करने की योजना बनाई इसके लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ ब्राह्मणी नदी को भी और जो वेस्ट पानी चम्बल में जाता था उसकी भी 6 हजार करोड़ की योजना इन्होंने बनाई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना आपने चालू कर दी बाकी इसको बनने में काफी समय लगेगा। जो ईसरदा बांध बन रहा है उसमें भी लगभग 8 से 10 साल लग जाएंगे और जब तक जो पानी ओवर-फ्लो होकर बहकर जाएगा उस पानी के लिए लगभग मोटा-मोटा एस्टीमेट 180 करोड़ रुपये का है तो कम से कम उस पानी को टोरड़ी सागर और मासी में डाल दें तो आने वाले 8-10 साल में अगर 3-4 बार भी पानी भरता है, ओवर-फ्लो होता है तो हमारे किसानों को लगभग करोड़ों रुपये की आमदनी होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रधान मंत्रीजी कह रहे हैं उसमें उनकी आय दुगनी बढ़ेगी।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना को भी मूर्त रूप दें। आपने मुझे इस मांग संख्या पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामपाल जी।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 46 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले राजस्थान की मसीहा बनी हमारी मुख्य मंत्रीजी महोदया की दूरगामी सोच द्वारा भागीरथी प्रयास को 50 से 55 वर्षों में कांग्रेस के द्वारा रसातल में भेजे राजस्थान को उबार कर धरातल पर लाने का जो प्रयास किया है, वह सराहनीय प्रयास रहा है।

मैं तो यहां से शुरू करूं "अरुण गगन पर महा प्रगति का अब फिर

(श्री रामपाल)

मंगल गान हुआ, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया राजस्थान जगा"। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का और माननीय सिंचाई मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना पर, परवन सिंचाई परियोजना पर 6,500 करोड़ रुपये की लागत की बहुत बड़ी योजना का शुभारम्भ करके, पूरे क्षेत्र का कायाकल्प किया है और इससे मेरे क्षेत्र में 313 गांवों की दो लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी। साथ ही 1,821 गांवों को पेयजल का लाभ भी मिलेगा। वहां का मेरे क्षेत्र का प्रत्येक वर्ग मजदूर, किसान, व्यापारी, हर क्षेत्र में उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और पूरा क्षेत्र सरसब्ज होगा। मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार हरियाणा पंजाब का नाम पूरे भारतवर्ष में कृषि के लिए पुकारा जाता है। मेरे क्षेत्र में, मेरे बारां की धरती का नाम भी भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर पुकारा जायेगा इस परवन सिंचाई परियोजना से, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही माननीया मुख्य मंत्रीजी की और माननीय मंत्री महोदय की विशेष घोषणा से, मेरे बारां शहर में हर साल हल्की सी बारिश होते ही बाढ़ का भयानक दृश्य हो जाता था और उस सबको देखते हुए 60 दिन की कार्य योजना में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रीजी ने प्रपोजल तैयार करके, 58.15 करोड़ रुपये की योजना को 150 करोड़ रुपये में तब्दील कर दिया और 90 प्रतिशत काम हो चुका है और आने वाले समय के अन्दर बारां शहर में अब कोई बाढ़ का दृश्य नजर नहीं आएगा तो यह ऐतिहासिक सराहनीय कदम है। इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्रीजी का और साथ ही माननीया मुख्य मंत्रीजी का।

यही नहीं, मेरे क्षेत्र में कटावर गांव है। वह कटावर गांव परवन नदी के बहाव से, धीरे-धीरे कटाव करता-करता नष्ट होता जा रहा है और 10-15 मकान गिर भी चुके हैं। इस पर मैंने माननीय मंत्रीजी से और माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया और अभी इसी बजट में तीन करोड़ रुपये की घोषणा करके सुरक्षा दीवार के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन

(श्री रामपाल)

करता हूं, मेरे क्षेत्र में अंधेरी नगरी में बेंगनागट्टा, पटपड़ स्थान पर एक एनीकट का निर्माण हो। अंधेरी नगरी पर जोगीदा स्थान पर जर्जर पुराने एनीकट की मरम्मत की जाये। बड़ोरा गांव परवन नदी के पास में है। उस पर एक नाला है। उस नाले पर लोगों के द्वारा कच्चा एनीकट बनाया हुआ है, उसको पक्के एनीकट में तब्दील किया जाए।

साथ ही, मेरे गांव बोकड़ा के पास कालीघाट स्थान पर पुराना एनीकट बना हुआ है। उसमें रिसाव होता है। उस रिसाव को रोकने और उसकी ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने का भी मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही मैं पेयजल के विषय पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अटरू ऐसा स्थान है, जब इस राजस्थान में कहीं से कोई पेयजल की मांग नहीं उठती थी, उस समय से पूरे क्षेत्र में अटरू से पेयजल की मांग उठती रहती थी और बरसों-बरसों से लोग धरना, प्रदर्शन, पैदल यात्राएं दुनिया भर के ज्ञापन देते रहते थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय मंत्री महोदय ने इस ओर विशेष ध्यान देकर 89 करोड़ रुपये की शेरगढ़ पेयजल परियोजना की घोषणा करके अटरू कवाई बड़े कस्बे सहित 36 गांवों में इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है और उसका निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका है तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कुछ गांव छूटे हुए हैं माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। इसमें जो ड्राई क्षेत्र में है और उसमें गहरे ट्यूबवैल करवाने के बावजूद भी उन गांवों में पानी नहीं मिलने की संभावना है तो इस स्थिति में बरला, मूंडला, चारणखेड़ी, गासखेड़ी, सोडलेडी, गोविन्दपुरा, मेरवांचा, बेड़किया, गंदोलिया, मैजपुरा, पटना सिंदणी, रानीहेड़ा, फत्तूखेड़ी, आमापुरा और केरवालिया, ऐसे 16 गांव हैं, इनको भी उस योजना में सम्मिलित किया जाता है तो बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा।

साथ ही मेरा निवेदन है, मेरे दो गांव ऐसे हैं मण्डोला और पाटेड़ा, जहां से इकडे से पूरे बारां शहर की जनता को पानी पिलाया जाता है परन्तु उसी लाइन पर किनारे पर बसे पाटेड़ा और मण्डोला गांव ऐसे हैं जो उस पेयजल योजना में प्यासे हैं और बरसों-बरसों से मांग चली आ रही है, वहां

(श्री रामपाल)

पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से मेरा निवेदन है, उस पेयजल पाइप्ड योजना से इन दोनों गांवों को जोड़कर पानी पिलाने का श्रम करें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: बहुत अच्छा बोला है।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, बस एक मांग और है। साथ ही एक आभार और व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का, आपने परवन अकावद परियोजना की जो घोषणा की है, इसी से पेयजल की स्कीम के तहत 2,000 करोड़ रुपये की एक डीपीआर तैयार की है और इसी से 1,821 गांवों को पेयजल का पानी आने वाले समय में उपलब्ध होगा। उसके लिए भी मैं कोटि-कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मेरा और निवेदन है, ड्राई क्षेत्र में ऐसे गांव भी हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा का अधिक प्रभाव देखा गया है। ऐसे में बडोरा गांव, केरवालिया, देवाली, बोकड़ा, उम्मेदगंज, ढूंटी में सौर ऊर्जा आधारित आर.ओ. लगाने का आप श्रम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

आपके द्वारा मेरे क्षेत्र में दो पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सेरोद और मेरमातालाब में, उस परियोजना के लिए तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं पर माननीय, इतनी बड़ी राशि देने के बावजूद छोटी-छोटी तीन-तीन टंकियां उस गांव में बनाई जा रही हैं, जिससे उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अत: माननीय आपसे निवेदन है, उन तीन-तीन टंकियों की जगह एक बड़ी टंकी बनाकर, उसी राशि में पेयजल व्यवस्था करवाये जाने के आदेश फर्माएंगे तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

साथ ही जनता जल योजना भी बंद पड़ी सिंधनी निमोदा गांव की पेयजल परियोजना का शुभारम्भ किया जाए। इसी के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं अंतिम वक्ता हूं न सर? अंतिम वक्ता मैं ही हूं न।

श्री सभापति: आप वक्ता कौनसे हैं, आप समय की मर्यादा के अन्दर बोल लें बस।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पांच-सात मिनट तो बोलने देंगे न।

श्री सभापति: पांच-चार मिनट।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ज्यादा देना पांच-सात मिनट। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के 70 साल बाद आज पीने के पानी की गम्भीर समस्या राजस्थान के अन्दर है। हमारा राज्य क्षेत्रफल के अन्दर देश का सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी बाड़मेर जैसलमेर सहित पूरे राजस्थान के अन्दर हर समय पीने के पानी को लेकर लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं, कभी मटके फोड़ते हैं, कभी महिलाएं मटके फोड़ती हैं और जगह-जगह इस प्रदेश के अन्दर चाहे सरकार कोई सी भी रही, पीने के पानी को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर हमेशा आंदोलन हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां एक बात और भी चलती थी। अब की बार सिंचाई मंत्रीजी हनुमानगढ़ जिले से हैं तो हनुमानगढ़-गंगानगर के अन्दर पहले बात चला करती थी कि बाहर के जिलों के सिंचाई मंत्री होते थे, उनको सिंचाई के बारे में और नहरी क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और अब की बार हमारे जिले के सिंचाई मंत्री आये हैं तो निश्चित रूप से सिंचाई के मामले में हनुमानगढ़-गंगानगर सहित, जहां भी हमारा 22 से 23 प्रतिशत इलाका सिंचित है राजस्थान के अन्दर, उस इलाके को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा और सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा लेकिन दुर्भाग्य से आज सबसे ज्यादा आंदोलन राजस्थान के अन्दर पीने के पानी को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के पानी को लेकर बात करें तो सरकार ने 52,000 करोड़ रुपये की घोषणा की है लेकिन इनका कोई बजट प्रावधान नहीं बताया। घोषणाएं हर साल होती हैं बजट प्रावधान नहीं बताया। घोषणाएं हर साल होती हैं कभी तो बजट के अभाव के अन्दर घोषणाएं पूरी नहीं होतीं और कभी घोषणाएं कागजों के अन्दर ही सिमट जाती हैं। सभापति महोदय, मुझे नहीं लगता कि 52 हजार करोड़ की जो घोषणाएं आपने इस बार सिंचाई के अन्दर की हैं, वे आप अगस्त तक पूरी कर पाओगे, क्योंकि सितम्बर में तो आचार संहिता लग जाएगी और फिर आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आपको चुनाव के अन्दर जाना पड़ेगा। तो पढ़ने में तो ये घोषणाएं अच्छी लगती हैं लेकिन वास्तव में आजादी के 70 साल बाद जो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सपना आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा था, उन्होंने कहा था, पूरे देश के नदी, नालों को जोड़ेंगे, इस देश में सिंचित क्षेत्र बढ़ाएंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर प्रदेश का सिंचित क्षेत्र बढ़े तो बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान राजस्थान के अन्दर हो सकता है। आधी से ज्यादा आबादी को आप खेती के अन्दर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातार इलाकों में अकाल पड़ते हैं, कहीं बाढ़ आती तो आप नदी-नालों को जोड़कर राजस्थान के अन्दर के एक बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र विकसित कर सकते हो, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हर बार सरकारें आती हैं जाती हैं। सिंचाई मंत्रियों के भाषण होते हैं, और चले जाते हैं और वो का वो आंदोलन राजस्थान के अन्दर चलता है और राजस्थान के अन्दर जहां भी हम जाते हैं लोग टकटकी लगाये देखते हैं कि राजस्थान की सरकार इस बार सिंचित क्षेत्र बढ़ाएगी।

मैं जैसलमेर, बाड़मेर के मोहनगढ़, नाचणा के अन्तिम छोर पर जहां इन्दिरा गांधी नहर का पानी जाता है, वहां भी मैं गया था। कहने को तो वह सिंचित क्षेत्र है अनूपगढ़, घड़साना, रावला का इलाका भी कहने को सिंचित क्षेत्र है, लेकिन पानी को लेकर वहां हमेशा किसान सड़कों पर रहता है। ऐटा सिंगरासर, महेन्द्रगढ़ का मामला सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र का दो साल पहले बड़ा आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ, किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए।

सभापति महोदय, मंत्रीजी ने समझौता भी किया था वहां बैठकर किसान नेताओं के साथ, हो सकता है कि मंत्रीजी की मंशा, उस इलाके के अन्दर पानी लाने की हो, लेकिन अगर चाहते तो दिल्ली में आपकी सरकार है प्रदेश के अन्दर आपकी सरकार है, जब रातों रात हजारों करोड़ की रोड आप बना सकते हो, बड़े-बड़े पुल बना सकते हो तो ऐटासिंगरासर के 54 गावों के लोगों के साथ आपको न्याय करना चाहिए। वहां महिलाएं आंदोलन के अन्दर थीं।

हां, आपने एक छोटा काम वहां पर किया था, केवल आंदोलनकारियों के साथ बैठकर कुछ ट्यूबवैल आपने बनाये 1100-1200 उससे निश्चित रूप से थोड़ा बहुत, उनको बेनीफिट हुआ होगा, लेकिन मंत्रीजी, अपने दोनों जिलों के अन्दर आप कम से कम लोगों को बार-बार, देखो हर आदमी जैसे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री नागौर के बने तो उन्होंने डीडवाना का भला कर लिया, कम से कम अपने इलाके का तो भला कर लिया। बाकी जिले का नहीं, उनको वहीं से चुनाव लड़ना है तो आप दोनों जिलों का भला करो, ताकि लोग आपको यह कहें कि हमारे जिले का सिंचाई मंत्री बना था, नहीं तो फिर लोग यह कहेंगे कि

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जैसे दूसरे जिलों के बनते थे हनुमानगढ़, गंगानगर के लड़के अक्सर बात करते थे कि काश, हमारे जिलों का सिंचाई मंत्री बने। सुई ब्रांच का मामला चल रहा है रावतसर, पल्लू इस साइड के अन्दर चाहे कुम्भाराम लिफ्ट का मामला हो, चाहे दूसरे जो भी आपके रायसिंहनगर से आने वाली विधायक कह रही थीं कि फिरोजपुर फीडर बहुत पुराना हो गया, उसका काम चालू हो, मैं तो आपसे मांग करूंगा कि राजस्थान कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल जो पंजाब से चलकर राजस्थान के अन्दर आती है और हमारे गडरा रोड तक जाती है। इस नहर का नये सिरे से पूरा निर्माण हो और नहर के अन्दर जो कैळी उगती है, मैं मसीतावाली हैड के ऊपर अभी गया था । मंत्रीजी आपने कैळी को काटने की मशीन खरीदी है करोड़ों रुपये की, उसमें खर्च किये, लेकिन वह मशीन खराब हो गई खरीदते ही दस दिन के अन्दर-अन्दर तो उसका क्या कारण रहा। आपको उसको तैयार कराकर उसको साफ-सफाई के लिए करना चाहिए।

मैं मांग करूंगा अभी 37 हजार करोड़ रुपये की लागत से ईआरसीपी परियोजना की केवल डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गयी है। अभी तक योजना स्वीकृत नहीं हुई है न ही कोई बजट का प्रावधान तो 52 हजार करोड़ आपके... दो-तीन मिनट बोलूंगा साहब। सरकार ने पिछले बजट में 1 लाख 81 हजार 618 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र बनाये जाने की घोषणा की थी, लेकिन यहां सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा, वो घोषनाएं कागजों के अन्दर रह गयीं और किसानों को सड़कों पर आंदोलन करके अपने मांग के लिए सड़कों पर आना पड़ा और अभी किसान आंदोलन चल ही रहे हैं राजस्थान के अन्दर। मैं नर्मदा लिफ्ट परियोजना से किसानों ने अपनी जमीन नहर के लिए समर्पित की जालौर जिले के अन्दर, सांचौर में बाड़मेर के अन्दर गुड़ामालानी क्षेत्र के अन्दर। सभापति महोदय, वहां आदमी पिछले मतलब सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है एक गुड़ाहेमा गांव है वहां एक हजार....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज, ये भूत...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बैठ जाओ, गोविन्द जी, अब सुनो आप, बाद में कर लेना, आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, वहां लोगों ने अपनी जमीन दे दी नहर के लिए, लेकिन नहर के एक छोर पर तो सिंचित क्षेत्र कमाण्ड एरिया है, लेकिन नहर का दूसरा छोर खाली है, वहां सिंचाई नहीं हो

(श्री हनुमान बेनीवाल)

रही है और इसको लेकर गुड़ा हेमा गांव के अन्दर कम से कम लगातार 6 महीने से ज्यादा से किसान धरने पर बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं, जालौर में सेवों की ढाणी, ढोकियों की ढाणी, महलावास सहित पनोरिया लिफ्ट के करीब द्वेषतापूर्व कमाण्ड एरिया से बाहर कर दिये गये। अत: सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्र को कमाण्ड एरिया में शामिल करें, 24 महीने से जो लोग... दो मिनट साहब, ऐसा क्या कर रहे हो।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): ये नाम ही गांव का गलत ले रहे हैं, हेमागुड़ा है। विधान सभा में तो असत्य बातें मत कहो। हेमागुड़ा है उसका नाम।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो आप ठीक करा दो न सारा काम।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): वो तो हो रहा है न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे को लेना ही नहीं पड़े नाम, सुनो। ये आप एम.एल.ए. साहब, अपने तो पानी लाना है, आप ले आओ तो मैं आपको कह रहा हूं... ले आओ आप। अब तो हम राजस्थान की चिन्ता करेंगे, जालौर नहीं कोई अलग थोड़े ही है जालौर। सभापति महोदय, पनोरिया लिफ्ट नहर अब आप घन्टी मत बजाओ साहब, मेरे को 3 मिनट नहीं हुए, सुबह से सुन रहा हूं मैं बैठा-बैठा। तीन मिनट तो बोला हूं मैं दो मिनट आराम से बोल रहा आप घन्टी....

श्री सभापति: एक मिनट में पूरा करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ना-ना ऐसे नहीं, एक मिनट में साहब, ऐसे कैसे करो। सबको दिया 5-7 मिनट तो बोलने दो। पनोरिया लिफ्ट नहर की ग्राम डूंगरी, खांडराई, माइनर तथा कृषि योग्य भूमि को नर्मदा नहर से सिंचाई हेतु वंचित कर दिये जाने से खेतों को कमाण्ड एरिया में शामिल किया जाए। सांचौर के अन्दर, सांचौर बोल रहा हूं अब। सांचौर के अन्दर पंचायत समिति चीतलवाड़ा के ग्राम नहर क्षेत्र, ग्राम पंचायत भीमण्डा में अतिवृष्टि के कारण सिंचित भूमि को इसमें योजना बनाकर लोगों को राहत प्रदान करें। जोधपुर के अन्दर कपड़े धोने की कास्टिक फैक्टरियों के संचालन से पानी में खारेपन की मात्रा बढ़ गयी है, इससे कार्य योजना बनाकर लोगों को राहत प्रदान करें। अजबपुरा ग्राम के रामचन्द्रोणी ढोकियों की ढाणी में पानी लाने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहां नजदीकी पंचायत क्षेत्र से ओपन वैल पर इन ग्राम ढाणियों की व्यवस्था...दो मिनट...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पेयजल पर, एक मिनट। पेयजल पर मैं अपनी बात रखूंगा। साहब, आज दुर्भाग्य से राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और हमारे जितने भी ब्लाक राजस्थान के अन्दर हैं सभापति महोदय, इन ब्लाकों के अन्दर 203 ब्लाक डार्क जोन में हैं, 30 ब्लाक में खारा पानी है, 6 ब्लाक सेमी क्रिटिकल जोन में हैं और 8 ब्लाक सुरक्षित हैं।

श्री सभापति: जाने दो, लेट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनसे मंत्रीजी से मेरी मांग रहेगी कि मेरे नागौर खींवसर के अन्दर भी डार्क जोन की बहुत बड़ी दिक्कत है और यहां विधान सभा के अन्दर 2008 से 2013 में मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि तीन-चार पंचायत समितियों की पुन: हम जांच कराएंगे कि वो पानी का स्तर वहां बढ़ा है तो मैं मंत्रीजी से मांग करूंगा कि आप डार्क जोन के अन्दर तो डाल देते हो, लेकिन कई जगहों पर पानी ऊपर आ जाता है तो वहां वापस आप इसको चैक करवाएं कि वास्तव में पानी जहां गहरा चला गया, 1000 फीट से नीचे चला गया, 1500 फीट से नीचे चला गया। उनको तो आप डार्क जोन में रखो, लेकिन जहां पानी 400 फीट है, 600 फीट है, 800 फीट है वहां किसान को सिंचाई के लिए आपको इसमें परमिशन देनी चाहिए तो मैं मांग करूंगा कि डार्क जोन का पुन: सर्वे राजस्थान के अन्दर करायें और नागौर लिफ्ट कैनाल का पानी, जो नागौर खींवसर के अन्दर आ रहा है वह नागौर जिले में कब जाएगा। करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दिये हमारे माता सुख लिग्नाइट पेयजल परियोजना चल रही थी, उसमें जायल क्षेत्र के अन्दर हमारे विधायक ने भी मामला उठाया था 172 गावों को पानी देना था, सभापति महोदय भारी भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपये उठा लिये। मंत्रीजी कभी तो कोई जांच की भी घोषणा किया करो। +++

श्री सभापति: ऐसा नहीं प्लीज, नो-नो मैंने हटवा दिया, नहीं अधिकार नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): इस प्रकार किसी अधिकारी के खिलाफ, इस तरह नहीं बोल सकते...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): +++ ऐसे नहीं बोल सकते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका क्या लगता है वो?

श्री सभापति: वो रिकार्ड नहीं हुआ।

श्री ओमप्रकाश (संसदीय सचिव): आप +++ नहीं बोल सकते चीफ इंजीनियर को। बहुत बढ़िया शानदार चीफ इंजीनियर काम कर रहा है।

श्री सभापति: वो रिकार्ड नहीं हुआ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ ...(व्यवधान) +++...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके पास यदि कोई सबूत हैं तो कोई नियम ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): क्या आपके ऊपर कांग्रेस का पूरा असर गया, +++ ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सबूत मैं दे दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये रिकार्ड नहीं हुआ, आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनका दोष नहीं है, वो भूत का असर हो गया।

श्री सभापति: आप विराजिए, बात सम्पूर्ण करें, एक मिनट... नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): भूत का असर तो ये है कि एक शकुन्तला जी, एक साथ वहां इकट्ठे डर के मारे हो गये हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मैंने आप पर आरोप थोड़े ही लगाया है। पूरी दुनिया चोर है तो आप उसका अपने ऊपर ले लोगे क्या सारा। अभी मैंने आपको....

श्री सभापति: आप वक्तव्य दें, आसन को सम्बोधित करें, नहीं। आप मंत्री को नहीं, मुझे सम्बोधित करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं सभापति महोदय, कि यहां पेयजल योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार की गूंज रही है इन सवा चार साल में और पूर्व मंत्री को इसलिए हटाया, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगे थे। चम्बल में जो नादौती सवाईमाधोपुर चम्बल पेयजल योजना थी। एसपीएमएल कंपनी को काम दिया, उनका ओएसडी पकड़ा गया, 700 करोड़ का भ्रष्टाचार किया पूर्व मंत्री ने और सरकार को हटाना पड़ा।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपको नहीं कह रहा हूं। आप भी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करोगे तो आप पर भी आरोप लग जाएंगे और नहीं करोगे तो नहीं लगेंगे, लेकिन किसी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बिना नोटिस के...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन सा नोटिस?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और माननीय मंत्री पर आरोप ये लगा रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कौन से मंत्री पर लगाया मैंने? इन पर लगाया क्या मैंने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर इनके पास तथ्य हों, अगर इनके पास कोई ठोस प्रमाण हों तो 273 में नोटिस दे दें, हम जवाब दे देंगे।

श्री सभापति: आप विराजिये। कृपया विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हमारे पास तो बहुत तथ्य हैं उनका सब खुलासा कर देंगे।

श्री सभापति: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी, आदरणीय सुरेन्द्र जी गोयल।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। एक मिनट के लिए।

श्री सभापति: विराजिये आप अभी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, एक मिनट मैं मेरी मांग तो रख दूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट मंत्री महोदय, इसमें आपका कोई नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं कि जो आपने सौ-सौ हैंडपंप देने की बात कही है, एक मिनट रुक जाओ साहब।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-27 पर 39 माननीय सदस्यों ने सदन में चर्चा में भाग लिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो सौ-सौ हैंडपंप राजस्थान में कामयाब नहीं हैं वहां कैसे खोदेंगे हैंडपंप, तो मैं मांग करता हूं कि सौ-सौ हैंडपंप की जगह सौ-सौ ट्यूबवेल या सौ-सौ सिंगल फेस या पचास-पचास ट्यूबवैल उनकी जगह दें, आप इस बात को नोट कर लें और एक मैं आपको निवेदन करूंगा...

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, कृपया जारी रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, सुनो। एक मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप दुबारा ज्यादा बेइज्जती नहीं कराओगे चुनाव के दौरान।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या-27 पेयजल पर करीब 39 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया और ऐसी बातें भी बताई जो विभाग के हित में हों। मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों ने जो भी सुझाव दिये, जो भी समस्याएं बताई हैं, जो भी परियोजनाएं आपने सब्मिट की हुई हैं, जो-जो आपने सदन में बताई हैं उनको प्रोसीडिंग देखकर के विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर उनकी टैक्निकल स्वीकृति करवा करके जिस प्रकार से उनको प्राथमिकता से अमलीजामा पहना सकूं, वो अमलीजामा पहनाने का काम करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज सौ माननीय सदस्यों ने करीब 279 कट मोशन प्रस्तुत किये, मैं 48 घंटे के भीतर-भीतर उन कट मोशंस का जवाब आपके आवास पर पहुंचा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जो ये मांग है पेयजल, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा और मैं भी आपसे निवेदन करूं कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, क्योंकि जल के बिना कोई भी प्राणी चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इन्सान हो और चाहे पेड़-पौधे हों, कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इस मांग का बहुत महत्व है और इस मांग के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आज जो माननीय सदस्य बोले, उनको करता हूं कि सिवाय हनुमान जी बेनीवाल के अलावा किसी ने एक भी शब्द विभाग के बारे में नहीं कहा। सबने धन्यवाद ही दिया। सबने ये ही कहा कि हमारी स्वीकृतियां जारी हुई। सबने कहा कि हमारा स्मूथली काम चल रहा है। सबने ये ही कहा कि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

गर्मियों में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं और धन्यवाद इस अवसर पर मेरे अधिकारियों को भी देता हूं और विशेष तौर से तकनीकी कर्मचारियों को देता हूं जो छोटे लेवल पर हैल्पर, फीटर आदि हैं उन्होंने गर्मी में वो काम किया जिसके लिए मैं सदन में उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि पचास डिग्री टेम्प्रेचर था उस टेम्प्रेचर में टैंकरों से भी निजात दिलाने का काम किया। कहीं अव्यवस्था नहीं होने दी और किसी जगह मटके नहीं फूटने दिये। किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं होने दिया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि आज पेयजल की मांग है और पेयजल की मांग के ऊपर मैं निवेदन करूं कि राजस्थान में आज भौगोलिक परिस्थितियां अलग तरह की हैं। आज 6 करोड़ 86 लाख की पापुलेशन है जो पूरे देश की जनसंख्या का 5.5 परसेंट है। सतही जल 1.16 परसेंट है। भूजल 1.47 परसेंट है। इन परिस्थितियों में जहां-जहां बस्तियां बसी हुई हैं, बहुत अलग-अलग दूरी पर बसी हुई हैं। गांव अलग-अलग बसे हुए हैं। बहुत लंबी-चौड़ी जैसलमेर और बाड़मेर जिले तो ऐसे जिले हैं जहां पर दस-पन्द्रह किलोमीटर में बस्तियां बसी हुई हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं पूर्ववर्ती सरकारों को भी धन्यवाद करता हूं और हमारी मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय-समय पर पेयजल की परियोजनाएं बनाईं और परियोजना बना कर के ग्रामीण पेयजल चाहे हैंडपंप से हो, चाहे पी एंड टी से हो, चाहे पाइप की स्कीम से हो, पानी पिलाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, धीरे-धीरे पानी आज कृषि और उद्योग पर ज्यादा खर्च होने लगा है और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज 85 परसेंट पानी खर्च हो रहा है कृषि और उद्योग पर, सिर्फ 15 परसेंट पीने के पानी के लिए खर्च हो रहा है और जो पानी है वो मैं सभापति महोदय, आपको निवेदन करूं कि आज विश्व की जल उपलब्धता प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 2000 केएल है वहीं भारतवर्ष की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 केएल है। राजस्थान की 640 केएल है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। इससे आज अंदाज लगा सकते हैं सभापति महोदय, कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता कितनी है। यह प्रतिवर्ष उपलब्धता क्यों कम हुई क्योंकि सैंकड़ों वर्षों से जब से सृष्टि की रचना हुई है पानी का दोहन हो रहा है। मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है इस बात का भी कि आज जो पानी है वो देश

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

का 89 परसेंट लवणीय पानी राजस्थान में है। पचास परसेंट फ्लोराइडयुक्त पानी देश का राजस्थान में है, 58 परसेंट नाइट्रेटयुक्त पानी राजस्थान में है। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया कि आज राजस्थान के हालात दिनोंदिन पानी के मामले में कहीं हजार फुट, कहीं आठ सौ फुट, कहीं नौ सौ फुट, पांच सौ फुट, छह सौ फुट पानी नीचे चला गया है और वो भी ऐसा जैसा मैंने कहा कि नाइट्रेटयुक्त और लवणीय और फ्लोराइडयुक्त हो गया है। यह पोजिशन आई क्यों, यह पोजिशन इसलिए आई कि आज 295 ब्लाक हैं उनमें 195 ब्लाक अति दोहित हैं, 10 ब्लाक क्रिटिकल हैं, 30 ब्लाक सेमी क्रिटिकल हैं, 35 ब्लाक अधिसूचित हैं और 25 ब्लाक ही सेफ हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यह सोचने का विषय है। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गये। सरकारें आईं और सरकारें गईं, परन्तु किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि राजस्थान में आने वाले समय में किस प्रकार की पानी की समस्या होगी। राजस्थान की जनता को पानी के लिए किस प्रकार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले समय में कोई युद्ध होगा, वो पानी के लिए होगा, किसी ने नहीं सोचा है। मैं धन्यवाद करता हूं इस अवसर पर, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी का, उन्होंने इस बारे में सोचा और जब मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री था तो उस समय उन्होंने हमारी एक टीम को यहां से भेजा तेलंगाना और महाराष्ट्र में, वहां जाकर इन्क्वायरी करके आओ कि वहां उन लोगों ने पानी को संचय करने के लिए क्या काम किया। पानी के लिए आत्मनिर्भर कैसे होने लगे। उनका देखकर के यहां आये और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का आगाज किया। आज मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान का आगाज हुआ, इसकी सराहना प्रधान मंत्रीजी ने की है। ईवन नामीबिया के प्रतिनिधिमंडल ने की है। दक्षिण अफ्रीका से आये उन्होंने की है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आज फर्स्ट फेज में 3,529 काम हाथ में लिये और करीब 95 हजार स्ट्रक्चर बने। सैकिण्ड फेज में 4200 गांवों में काम हाथ में लिया और करीब 1 लाख 31 हजार स्ट्रक्चर बने। थर्ड फेज की भी डीपीआर बन गयी है। मैं धन्यवाद करता हूं मंत्रीजी को, कि इन्होंने 4240 गांवों की डीपीआर बनाई है और करीब 1

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लाख 40 हजार स्ट्रक्चर बनेंगे। इससे राजस्थान में जो खेत का पानी खेत में घर का पानी घर में और गांव का पानी घर में रहेगा, जिससे वह गांव पानी के मामले स्वावलंबी बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को एक योजना के रूप में नहीं लिया, इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में लिया। इसमें जनता का सहयोग लिया। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया। दानदाताओं, भामाशाहों, धर्मावलंबियों, सैनिकों, पुलिस का सबका सहयोग लेकर के इस काम को हाथ में लेकर के आगे बढ़ाया। मैं जितना धन्यवाद मुख्य मंत्री जी को दूं उतना ही कम है और आने वाले समय में धीरे-धीरे करके पूरे राजस्थान में मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन का काम होगा तो भूजल स्तर ऊपर आयेगा। जहां पांच सौ मीटर है अबकी बार मुझे खुशी है फर्स्ट फेज का और सैकिण्ड फेज का काम हुआ। कहीं दो मीटर बढ़ा है पानी कहीं चार मीटर बढ़ा है, दस-दस मीटर तक पानी ऊपर आया है जिससे लोग स्वावलंबी हुए हैं और मुझे यह कहते हुए कोई संकोच नहीं है, आज मेरे विभाग में जो ईस्टर्न राजस्थान में बरसात कम हुई तो सिर्फ 105 टैंकर लगाने का काम हुआ, बाकी वो पानी का रिचार्ज हुआ और जलस्तर ऊपर बढ़ा जिससे लोगों को मीठा और शुद्ध पेयजल पीने को मिला।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज इससे भी आगे बढ़ कर जैसे मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों जैसे घनश्याम जी तिवाड़ी ने और मेहर साहब ने और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बिना फंडिंग के आपने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। आपने ब्राह्मणी नदी की घोषणा कर दी। आपने साबरमती से पानी लाने की घोषण कर दी।

आपने माही बांध से लाने की घोषणा कर दी। आपने साबरमती से पानी लाने की घोषणा कर दी। मैं आपको निवेदन करुं कि यह मुख्य मंत्रीजी की सोच है, यह उनका विजन है, उन्होंने यह अभी से सोचा कि राजस्थान में आने वाले समय में पानी का कोई संकट होगा तो उस संकट से निजात दिलाने के लिये अभी से योजना नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर क्या होगा। सभापति महोदय, आज मुझे बताते हुए खुशी है इन्होंने बजट में घोषणा की है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर 37 हजार करोड़ रुपये खर्चा आयेगा, जिसमें 20 हजार करोड़ इर्रिगेशन डिपार्टमेंट देगा, 17 हजार करोड़ पीएचईडी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

देगा। जिससे नदियों को नदियों से जोड़ेंगे और नदियों को नदियों से जोड़कर बांधों को भी भरेंगे और जो समुद्र में पानी जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में पानी जा रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। केन्द्रीय जल आयोग के सामने हमने डीपीआर को प्रस्तुत कर दिया है। उसके लिये अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से मदद भी लेंगे। भारत सरकार से भी मदद लेंगे। इसके अलावा यमुना का पानी झुंझुनूं और चूरू लाने के लिये कई नेता आये, उन्होंने घोषणा की, कम से कम इन्होंने बजट में घोषणा की कि इस प्रकार से हम पानी लाकर झुंझुनूं और चूरू जिले को पानी पिलायेंगे, यह भी कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। अनास बांध से जयसमंद तक पानी पहुंचाने के लिये ढाई हजार करोड़ की योजना बनाई, यह भी कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। साबरमती से जंवाई बांध में पानी लाकर आज पाली, जालौर, जोधपुर, सिरोही जिले को पानी मिलेगा। इसकी डीपीआर का काम अप्रैल तक पूरा होगा, फिर बाद में अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोनिंग करके, फंडिंग करके उसको अमलीजामा पहनाने का काम करेंगे तो आने वाले समय में यह मील का पत्थर साबित होगा और राजस्थान की बहबूदी के लिये और पीने के पानी के लिये, सिंचाई के लिये, कृषि के लिये काम आयेगा और राजस्थान में खुशहाली आयेगी। आज राजस्थान को सूखे के नाम से जाना जाता है परन्तु यह सूखे का कलंक मिटेगा, उसमें सबसे बड़ा कोई योगदान होगा तो वह माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे का होगा कि उन्होंने इस प्रकार की योजना को अमलीजामा पहनाने का काम किया।

(22.41 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे विभाग के संबंध में निवेदन कर दूं। मेरे विभाग को चार भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है वृहद पेयजल योजना का अलग से चीफ इंजीनियर बैठता है। शहरी पेयजल योजना में अलग से चीफ इंजीनियर बैठता है। ग्रामीण पेयजल योजना में अलग से चीफ इंजीनियर बैठता है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने के लिये अलग से चीफ इंजीनियर बैठता है। चारों चीफ इंजीनियर अपना अलग-अलग काम करके इस विभाग को आगे ले जाने का काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज निवेदन करूं कि माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने 2014-15 में राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड की घोषणा की थी। उसकी क्रियान्विति करने के लिये मुझे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

खुशी है कि उन्होंने प्रदेश में वाटर ग्रिड की स्थापना का मूल उद्देश्य भी यही है कि हम जल से वंचित क्षेत्रों को उन क्षेत्रों से जोड़कर जहां सतही जल उपलब्धता सरप्लस है एवं बारिश के दौरान जल व्यर्थ बहकर अन्य राज्यों या समुद्र तक चला जाता है, इससे जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्ष पर्यंत जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। जल की प्रत्येक बूंद का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिये ग्रिड को परिवर्तित कर शुद्ध पेयजल को प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराने की कार्य योजना अंतिम चरण में है, मुझे बताते हुए खुशी है। इस दिशा में रीजनल वाटर ग्रिड बनाकर राज्य में पेयजल की उपलब्धता एवं आपूर्ति का दूरगामी समाधान हमारी सरकार का प्रथम लक्ष्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट परिदृश्य निवेदन करूं, जैसा आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहीं किया और आपने बजट में कमी कर दी और आपने भट्टा बैठा दिया, यहां तक के शब्द बोले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं हमारी चार साल की सरकार और पांच साल पूर्ववर्ती सरकार ने तीनों परियोजनाओं, चाहे ग्रामीण पेयजल हो, चाहे शहरी पेयजल हो, चाहे वृहत् पेयजल हो, तीनों में खर्चा किया। उन्होंने 15125 करोड़ का प्रावधान किया, उसके विरुद्ध 12225 करोड़ रुपये पांच साल में खर्च किये। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने 21176 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया जिसमें 2017-18 में 4896 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया, उसके विरुद्ध 18337 करोड़ रुपये हमने 31 जनवरी तक खर्च कर दिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस साल के अंत तक 20 हजार करोड़ तक इस खर्चे को पहुंचा देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वृहद् पेयजल योजना के बारे में सदन को अवगत करा दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को अवगत करा चुका हूं कि राज्य में भूजल की विषम परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट अभिमत बना है कि पेयजल के दीर्घकालीन समाधान हेतु पेयजल योजनाओं को भूजल से शिफ्ट कर सतही जल पर लाना होगा। राजस्थान में स्थाई सतही जल स्रोत की उपलब्धता बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्रोत भी या तो इंदिरा गांधी नहर है या चंबल नदी है या नर्मदा नहर है या बीसलपुर बांध है या जंवाई बांध है या माही बांध है या छोटे मोटे एनीकट हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थाई स्रोत राज्य के अलग-अलग कौनों में स्थित हैं। राज्य का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इन स्थाई स्रोतों से सभी शहरों एवं ग्रामों को

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वृहत् पेयजल परियोजना में लागत भी काफी अधिक आती है। अत: वृहत् पेयजल योजनाओं का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता अनुसार चरणबद्ध तरीके से ही किया जाना संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसकी प्लानिंग बहुत ही ध्यान से ऐसी की जानी चाहिये कि संसाधनों का कम से कम समय में, कम से कम लागत में समुचित उपयोग हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने 1992 में आपणी योजना जो झुंझुनूं, चूरू और हनुमानगढ के लिये लागू की, क्योंकि वहां पर पानी का भयानक संकट हो गया था। मीनव्हाइल अजमेर में बहुत भयंकर संकट आ गया था, 1995 में बीसलपुर से पानी लाने की व्यवस्था की। उसके बाद में धन्यवाद करता हूं भैरोंसिंह जी का, 1996 में जोधपुर में पानी का संकट आ गया था, उन्होंने इंदिरा गांधी नहर से लिफ्ट करके जोधपुर जिले को पानी पिलाने का काम किया, यह अपने आप में उस समय उनकी सोच थी भू जल से सतही जल पर लाने का उन्होंने काम किया। धीरे धीरे कर के विभिन्न सरकारों में 120 परियोजनाओं का काम हाथ में लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृहत् परियोजनाओं पर जो खर्चा हुआ उसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं 1992 से लेकर आज दिन तक की ज्यादा चर्चा नहीं करुंगा, मैं सिर्फ पांच साल कांग्रेस सरकार के और चार साल हमारी सरकार के, हमने जो किया वह मैं आपसे निवेदन करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पांच साल में 2008 से 2013 तक वृहत् पेयजल योजनाओं पर 6755 करोड़ रुपये व्यय किया और हमने 2013 से जनवरी, 2018 तक 11410 करोड़ रुपये खर्च किये। उन्होंने प्रतिवर्ष 1351 करोड़ रुपये व्यय किया और हमने प्रतिवर्ष 2852 करोड़ रुपया व्यय किया। उन्होंने पांच साल में 21 परियोजनाओं को पूरा किया, हमने इन चार सालों में 36 परियोजनाओं को पूरा किया। उन्होंने 2775 हैबिटेशन को लाभान्वित किया, हमने इन चार सालों में 7744 हैबिटेशन को लाभान्वित किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया, हमने अभी जनवरी तक एक करोड़ एक लाख लोगों को लाभान्वित किया। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिसम्बर, 2018 तक डेढ करोड़ लोगों को हम सतही जल से लाभान्वित करने का प्लान लेकर चल रहे हैं और डेढ़ करोड़ लोगों को लाभान्वित करेंगे।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें विरासत में कांग्रेस सरकार से 67 अपूर्ण योजनाएं मिली थीं। इनमें से अधिकांश संसाधनों के समुचित प्रबंधन एवं प्लानिंग के बिना स्वीकृत की गई थीं। इनमें से अंतिम वित्तीय वर्ष में, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि उन्होंने 2013-14 में 11662 करोड़ रुपये की 25 वृहत् पेयजल योजनाएं आनन फानन में स्वीकृत की थीं। इस सरकार ने इन योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के फोकस के साथ काम हाथ में लिया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 की बजट घोषणा में 46 परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम हाथ में लिया। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि इन परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया है। विगत चार वर्षों में वृहत् पेयजल योजनाओं से 27 शहर, 2625 गांव, 5119 ढाणियां, एक करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो 36 वृहत् परियोजनाएं पूरी की हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सदन को अवगत कराना चाहूंगा। हमने फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाय मसूदा तृतीय चरण, जिला अजमेर, 2. शहरी जलापूर्ति योजना मकराना, जिला नागौर, 3. ग्रामीण जलापूर्ति योजना रेवा, जिला झालावाड़, 4. जलापूर्ति योजना भीमनी, जिला झालावाड़, 5. जलापूर्ति योजना माधवी, जिला झालावाड़, 6. जलापूर्ति योजना खुड़ियाला जीयाबैरी आगोलाई, जिला जोधपुर, 7. जलापूर्ति योजना कोलायत (गजनेर लिफ्ट), जिला बीकानेर, 8. देवास परियोजना, द्वितीय चरण, जिला उदयपुर, 9. फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना अजमेर पीसांगन, जिला अजमेर, 10. जंवाई पाइप लाइन परियोजना द्वितीय चरण प्रथम भाग, जिला पाली, 11. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना नावां तहसील (बीसलपुर-दूदू परियोजना) जिला नागौर, 12. इन्द्रोका-माणकलाव-दांतीवाड़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर, 13. जयपुर शहर व जयपुर, टोंक एवं नागौर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ करने हेतु बीसलपुर बांध स्थित सुरजपुरा प्लांट में 200 एमएलडी का नये प्लांट का निर्माण, 14. अजमेर पुष्कर पेयजल योजना, जिला अजमेर, 15. कानसिंह की सिद्ध मंडौर परियोजना, फलौदी, जिला जोधपुर, 16. जालौर शहर पेयजल परियोजना सुदृढ़ीकरण, जिला जालौर, 17. मल्लार-जोड-हिण्डालगोल, फलौदी जिला, जोधपुर, 18. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, आर.जी.एल.सी. आर.डी.-42 घाटौर कानासर बाप, जिला जोधपुर, 19. नर्मदा डीआर परियोजना (टांसमिशन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सिस्टम) जिला नागौर, 20. कोलायत जलप्रदाय योजना (कोलायत लिफ्ट), जिला बीकानेर, 21. पीपलाद पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़, 22. बांसवाड़ा (बागीदोरा) पेयजल परियोजना, 23. बूंगी, राजगढ़ परियोजना, जिला चूरू एवं झुंझुनूं, 24. चंबल-बूंदी पेयजल परियोजना, जिला बूंदी। 25. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फलोदी हेडवर्क्स भौरी-कलां-खारा-जालोडा, जिला जोधपुर। 26. तिवरी मथानियां-ओंसियां-भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर, 27. नागदा-अंता-बलदेवपुरा पेयजल परियोजना, जिला बारां, 28. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, 29. देवानिया-नाथरू-शेरगढ़-छाबा-फेज प्रथम एवं द्वितीय पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर, 30. चंबल-भीलवाड़ा परियोजना, फेज प्रथम, 31. जवाई-पाली योजना द्वितीय चरण पार्ट-द्वितीय, जिला पाली, 32. नर्मदा एफ.आर. परियोजना बागौर-आहोर-जालौर, 33. जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के तहत खो नागोरियान क्षेत्र के लिये पेयजल परियोजना। 34. क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना तहसील निवाई तथा टोंक, जिला टोंक, 35. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बस्सी पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, 36. क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पीलवा-सादड़ी जंबेश्वर नगर पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 36 परियोजनाओं में हमने पृथक रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा सिवाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, उसको भी सितम्बर, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य हमने तय किया है। सितम्बर, 2018 तक इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा मैं सदन को इस बात के लिये भी आश्वस्त करता हूं कि इन 11 पेयजल परियोजनाओं को गति देते हुए सितम्बर, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य हाथ में लेकर चल रहे हैं। उनमें हैं।

1. बीसलपुर-दूदू-सांभर-फुलेरा पेयजल परियोजना, जिला जयपुर।
2. बीसलपुर-दूदू फागी पेयजल परियोजना, जिला जयपुर।
3. आई.टी.जे.एस.के. पेयजल परियोजना, जिला झुंझुनूं
4. शहरी संवर्धित पेयजल परियोजना, किशनगढ़, जिला अजमेर
5. फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना, जिला सीकर
6. आपणी योजना, फेज-द्वितीय, रतनगढ़-सुजानगढ़, जिला-चूरू

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर वृहत् पेयजल परियोजना मई, 2015 में पूरी होनी चाहिए थी। आपने डिले किया फिर भी मुख्य मंत्री ने पिछले बजट में यह घोषणा की थी कि 31 मार्च, 2018 को यह पूरी हो जायेगी। अब आप सितम्बर का कह रहे हैं। मुझे तो यह लगता है कि आपका राज जाने के बाद जब हमारा राज आयेगा तब हम ही इसका उद्घाटन करेंगे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैंने यह कहा है कि सितम्बर तक इन 11 योजनाओं को हम पूरा कर देंगे, उसके पहले भी हो सकती है। जून में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है, मई में भी हो सकती है। मैं तो जुलाई का टारगेट लेकर चल रहा हूं।

7. शहरी संवर्धित पेयजल परियोजना, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़।
8. नर्मदा-गुढामलानी एच.आर. (आधारभूत ढांचागत निर्माण कार्य) जिला बाड़मेर
9. पेयजल परियोजना राजगढ़, जिला झालावाड़
10. बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़
11. चंबल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, फेज द्वितीय (चार पैकेजेज) जिला भीलवाड़ा,

ये 11 परियोजनाएं हम सितम्बर के पहले-पहले पूरी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1739 करोड़ रुपये की लागत की आठ नवीन वृहत् पेयजल परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं, जिनमें 5 शहर, 652 एवं 53 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। 1767 करोड़ रुपये की लागत की 3 परियोजनाओं के कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाएंगे, जिनसे 991 ग्राम एवं 17 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वाटर ग्रिड परिकल्पना को साकार करने के लिये इस वर्ष के बजट में दो वृहत् परियोजनाओं की घोषणा की है।

पहली परियोजना Mahi High Level Canal to Jaisamand Drinking Water Project है। इस परियोजना के अन्तर्गत माही बजाज सागर में उपलब्ध

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

पानी को हाई लेवल कैनाल एवं लिफ्ट द्वारा जयसमन्द झील में स्थानान्तरित किया जायेगा। इस परियोजना से राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। इस योजना पर 450 करोड़ रुपये का व्यय होना संभावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी परियोजना बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना फेज द्वितीय है। इस परियोजना के अन्तर्गत बीसलपुर बांध के समीप स्थित सूरजपुरा में अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र निर्माण किया जाएगा। साथ ही, सूरजपुरा से बालावाला तक 97 किलोमीटर लंबी दूसरी मुख्य पाइप लाइन बिछायी जाएगी। इस परियोजना पर 1 हजार करोड़ रुपये की लागत संभावित है।

मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी बजट घोषणाओं के साथ-साथ विभाग का फोकस पूर्व में चल रही वृहत् पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण कर संबंधित क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित करने का है। इसी क्रम में वर्तमान में प्रगतिरत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्रों के स्थायी समाधान हेतु माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस वर्ष के बजट में सतही स्रोत आधारित 5 वृहत् पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की है।

1. परवन-अकावद पेयजल परियोजना से खानपुर, मनोहरथाना, लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद, अंता, बारां-अटरू, छबड़ा एवं किशनगढ़ क्षेत्र के 1 हजार 821 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। इस परियोजना पर 2 हजार करोड़ रुपये लागत आएगी।

2. डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा वृहत् पेयजल परियोजना से डूंगरपुर शहर सहित आसपुर एवं दोवड़ा क्षेत्र के 151 गांव एवं 244 ढाणियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस परियोजना पर 365 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

3. गरड़दा वृहत् पेयजल परियोजना से बूंदी जिले की बूंदी व तालेड़ा क्षेत्र के 111 गांवों एवं 91 ढाणियों में रहने वाले लगभग 2 लाख 90 हजार की आबादी को लाभ मिलेगा, जिसकी लागत 182 करोड़ 86 लाख रुपये संभावित है।

4. झालाजी का बराना वृहत् पेयजल परियोजना से बूंदी जिले के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

केशवरायपाटन क्षेत्र के 72 गांवों की 1 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। इस परियोजना पर 109 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत आएगी।

5. कछावन पेयजल परियोजना से बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र के 16 गांवों एवं 3 ढाणियों की लगभग 20 हजार आबादी को लाभ मिलेगा। परियोजना की लागत 55 करोड़ 47 लाख रुपये संभावित है।

इन 7 वृहत् पेयजल परियोजनाओं से 1 कस्बा, 2 हजार 170 गांव एवं 339 ढाणियों में रहने वाली लगभग 17 लाख आबादी को लाभ मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने वृहत् पेयजल परियोजना से सदन को अवगत कराया। अब ग्रामीण पेयजल योजना है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिये किये गये कार्यों से सदन को थोड़ा अवगत करा दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के तहत पेयजल से वंचित से ग्राम/ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य दिये जाते हैं। मैं यहां सभी माननीय सदस्यगण को हर्ष से सूचित करता हूं कि हमने 2016-17 में 2039 ग्राम/ढाणियों के लक्ष्य के विरुद्ध 3291 गांव और ढाणियों को लाभान्वित किया है, जिसका मैंने गत वर्ष अपने भाषण में वादा किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017-18 में भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 गुणवत्ता प्रभावित हेबिटेशन्स सहित कुल 2500 हेबिटेशन्स को पेयजल से लाभान्वित किये जाना, लक्षित किया गया था, जिसके विरुद्ध माह जनवरी, 2018 तक 1368 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन्स, 279 अनूसूचित जाति बहुल हैबिटेशन्स और 862 अनूसूचित जन जाति बहुल हैबिटेशन्स, 86 अल्पसंख्यक हैबिटेशन्स सहित कुल 3905 हैबिटेशन्स को लाभान्वित किया जा चुका है। इस प्रकार निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के दो माह पूर्व ही सराहनीय प्रगति हो चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनवरी माह तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये राशि रुपये 1143 करोड़ 09 लाख की कुल 5595 योजनाएं स्वीकृत की गयीं, जिनमें एक करोड़ से ऊपर के 114 कार्यों, जिनकी लागत रुपये 370.68 करोड़ है, भी सम्मिलित हैं। इसके विरुद्ध अब तक 3812 कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य भी चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिये जाएंगे।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में ग्रामीण पेयजल योजना बताया था, इसमें हमें स्वीकृतियां दी थीं, हमें धन्यवाद दिया। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं। इस प्रकार से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आर.ओ. प्लांट, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी की महती योजना थी इसके बारे में निवेदन कर दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता से प्रभावित गांवों में तात्कालिक योजना के तहत ऐसे ग्राम और ढाणियों में, जो बहु-गुणवत्ता प्रभावित हैं, एवं जिन्हें वृहत् परियोजनाओं से जोड़ने में लागत व समय अधिक लगने के कारण अविलम्ब राहत पहुंचाने के लिये आर.ओ. प्लांट लागने के कार्य हाथ में लिये गये हैं। योजना की सफलता के लिये 7 वर्ष तक संचालन एवं संधारण भी मूल कार्य में सम्मिलित है जो स्थापना करने वाली फर्म द्वारा ही किया जाना है। ग्रामवासियों से उपचारित पेयजल हेतु मात्र 10 पैसा प्रति लीटर (प्रथम चरण में) एवं 20 पैसा प्रति लीटर (द्वितीय चरण) में राशि लिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में वर्ष 2014-15 में राज्य के 15 जिलों में 895 आर.ओ. प्लांट स्थापित किये गये हैं। द्वितीय चरण में 2016-17 में कुल 1066 आर.ओ. प्लांट्स (लागत 245 करोड़ 90 लाख) के विरुद्ध 1021 आर.ओ. प्लांट्स चालू कर दिये गये हैं। तृतीय चरण वर्ष 2017-18 में स्वीकृत 1191 आर.ओ. प्लांट्स (अनुमानित लागत 343 करोड़ 56 लाख) के विरुद्ध 441 आर.ओ. प्लांट्स की स्थापना का कार्य पूर्ण कर कमीशन कर दिया गया है। इस तरह अब तक 3052 आर.ओ. प्लांट्स के विरुद्ध 2357 आर.ओ. प्लांट्स जनवरी, 2018 तक चालू कर दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहु-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये इस बार 500 नये आर.ओ. प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। हमारे बहुत से माननीय सदस्य यह मांग लेकर आते थे कि खारे पानी वाले क्षेत्रों में भी आर.ओ. प्लांट की स्थापना करवाई जावे, जबकि नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत अब तक केन्द्रीय मदों से सिर्फ फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में आर.ओ. प्लांट लगाये जा सकते हैं।

(23.00 बजे)

इससे हमारे डांग क्षेत्रों विशेषकर भरतपुर संभाग की जनता की लंबे

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

समय से चल रही मांग भी पूर्ण हो पायेगी। इन 500 नए आर.ओ. प्लांट्स की स्थापना का कार्य अक्टूबर, 2018 से पहले पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस हेतु संबंधित क्षेत्रों के प्रस्ताव विभाग में आने शुरू हो गए हैं। इससे इन क्षेत्रों की आम जनता को मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सौर ऊर्जा आधारित नलकूप और डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र की स्थापना के बारे में थोड़ा सदन को अवगत करा दूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं उन्होंने राज्य में सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना करने की जो पहल की उससे ऐसे क्षेत्रों में भी जल उपलब्ध करवाना सम्भव हुआ है, जहां विद्युत की उपलब्धता नहीं है या अनियमित है अथवा भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंड पंप संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है या हैंड पंप फेल हो गए हैं। वर्ष 2015-16 में गुणवत्ता प्रभावित गांव-ढाणियों में जहां केवल फ्लोराइड की समस्या है, वहां प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 345 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत 37 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। अब तक 335 संयंत्र (डी.एफ. यूनिट) चालू कर दिए गए हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण में कुल 1175 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र अनुमानित लागत 137 करोड़ की स्वीकृति जारी कर माह जनवरी, 2018 तक 906 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 84 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्रों का कार्यादेश भी माह जनवरी, 2018 में दे दिया गया है। इस तरह अब तक माह जनवरी, 2018 तक 1604 के विरुद्ध 1241 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं।

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश में गुणवत्ता प्रभावित 5000 आर.ओ. प्लांट एवं अन्य संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2018-19 में स्वीकृत नए 500 आर.ओ. प्लांट्स सहित हम कुल 3552 आर.ओ. प्लांट्स और 1604 सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरीडेशन संयंत्रों की स्थापना का कार्य माह अक्टूबर, 2018 से पूर्व स्थापित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और 5000 की घोषणा का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यह प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरक्त 2015-16 में कुल 1044 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्रों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अनुमानित लागत 94 करोड़ 26 लाख की जारी की गई। इसके विरुद्ध 708 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र माह जनवरी, 2018 तक स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है। उनको भी समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जनता जल योजनाओं के बारे में भी काफी जिक्र किया गया था। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि जनता जल योजना ग्राम पंचायतों की लाइफ लाइन है और बहुत ही लोकप्रिय रही है। इन योजनाओं को पूर्ववर्ती सरकार ने 2011 में बिना बिजली, फंड की व्यवस्था किए, बिना व्यवस्था का संधारण किए, आनन-फानन में बजट पर कोई नियंत्रण नहीं और पंचायत राज विभाग के माध्यम से करने का नीतिगत निर्णय ले लिया। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बिजली के बिलों के भुगतान के अभाव में अधिकांश जनता जल योजनाएं बंद हो गईं। उनके आवश्यक संवर्द्धन कार्य भी नहीं हो पाए। उन्हें चालू करने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, उन्होंने 2015-16 में जनता जल योजना को दुरुस्त करने के लिए 133 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत के 1577 योजनाएं स्वीकृत कीं और 2016-17 में 1000 अतिरिक्त योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए 177 करोड़ 31 लाख रुपये लागत की 1074 योजनाएं स्वीकृत कर कार्य हाथ में लिये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2017-18 में 78 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत की 541 अतिरिक्त जनता जल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये गये हैं। राज्य में अब तक कुल 3192 जनता जल योजनाओं को दुरुस्त कर पुन: चालू करने हेतु राशि रुपये 389 करोड़ 66 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति कर कार्य हाथ में लिए गए हैं। इनमें से 2697 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद इस बात का भी मुख्य मंत्री जी का करता हूं कि उन्होंने जनता जल योजना के विद्युत बिलों के भुगतान से संबंधित समस्या का भी निपटारा कर दिया है और मुख्य मंत्री महोदया के आदेश के तहत जनता जल योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान पंचायत राज संस्थाओं द्वारा राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत आबंटित धनराशि से किया जा रहा है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब नहरी पेयजल योजनाओं, डिग्गी परियोजना जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के लिए हैं, उसके लिए भी मुझे कहते हुए खुशी है कि इन तीनों जिलों की 150 नहर आधारित योजनाओं के सुदृढ़ीकरण रेपिड ग्रेविटी फिल्टर निर्माण कार्य अनुमानित लागत 132.18 करोड़ के कार्यादेश माह अक्टूबर, 2015 में जारी किए गए जिसके तहत 51 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष जल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 99.10 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य को मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। द्वितीय चरण में नहर आधारित 181 पेयजल परियोजनाओं के पुनरुद्धार हेतु जिला हनुमानगढ़, गंगानगर एवं बीकानेर में रुपये 145.02 करोड़ की स्वीकृति जारी कर निविदाएं दिनांक 14.12.17 को प्राप्त की जाकर स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, मान गए आपको।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी तो और सुनना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण पेयजल योजनाओं से आप सबको अवगत करा चुका हूं। अब मैं शहरी जलप्रदाय योजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं के बारे में सदन को अवगत करा दूं। राज्य के सभी 222 शहरों व कस्बों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। इनमें से लगभग 28 प्रतिशत शहरों को सतही जल स्रोतों से, 50 प्रतिशत शहरों को भू-जल स्रोतों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष लगभग 22 प्रतिशत शहरों की पेयजल योजनाएं सतही एवं भू-जल दोनों जल स्रोतों पर आधारित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने पांच वर्षों में शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर कुल 1220 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट आबंटित किया जिसके विरुद्ध मात्र 984.58 करोड़ का ही व्यय किया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारे चार वर्ष के कार्यकाल में 1610.77 करोड़ का प्रावधान किया है जिसके विरुद्ध जनवरी, 2018 तक रुपये 1279.02 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। चार वर्ष के कार्यकाल में शहरी क्षेत्र में 2222 नये कार्य लागत राशि रुपए 1514.81 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। इस अवधि में स्वीकृत कार्य में से 1170 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 1052 कार्य

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

प्रगतिरत हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधित राशि रुपये 432.36 करोड़ के विरुद्ध जनवरी, 2018 तक राशि 267.45 करोड़ व्यय किए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में शहरी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु 430 करोड़ का प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्षों में वर्तमान में प्रगतिरत कार्यों एवं आवश्यकता अनुसार शहरी जलप्रदाय योजनाओं की जलापूर्ति में उत्तरोत्तर सुधार के लिए कार्य स्वीकृत कर, इन्हें क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विभिन्न कार्यों का संक्षिप्त विवरण मैं माननीय सदस्यों के सामने निवेदन करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्वीकृत 18 कार्य राशि रुपए 648.71 करोड़ तो जयपुर शहर, एनआरडब्ल्यू, टोंक, किशनगढ़, द्वितीय चरण अजमेर, सवाईमाधोपुर, लाडनूं, फलौदी, सुमेरपुर, आमेट, नावां, सरवाड़, डीडवाना, खैरवाड़ा एवं एनसीआर के अन्तर्गत 5 शहरों क्रमश: अलवर, तिजारा, राजगढ़, बहरोड़ एवं भिवाड़ी की जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने पिछले वर्ष सदन में यह घोषणा की थी कि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एक लाख से कम आबादी के 100 कस्बों की पेयजल योजनाओं के पुनरुद्धार एवं पुर्नगठन के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। उक्त घोषणा के अन्तर्गत अभी तक 30 कस्बों की पेयजल योजना लागत राशि रुपए 144.80 करोड़ की स्वीकृति की जा चुकी है तथा शेष कस्बों के लिए स्वीकृति के कार्य प्रक्रियाधीन हैं। इस कार्य पर 300 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की खपत कम करने के लिए एस्को माडल जो राजस्थान में लागू किया है, जो अपने आप में बहुत सही साबित हुआ है, उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं। विद्युत खपत में कमी करने के उद्देश्य से पम्प हाउसों एवं नलकूपों का संचालन एवं संधारण एस्को पद्धति पर दिए जाने का कार्य हाथ में लिया गया है। एस्को पद्धति में पानी के सम्पूर्ण तंत्र के रख-रखाव को अनुबंध पर दिया जाकर अनुबंधक के निवेश से उच्च दक्षता वाली पंपिग मशीनरी आदि लगाकर जलप्रदाय योजना के तंत्र को ऊर्जा दक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार विद्युत व्यय में बचत से कुछ अंश राशि विभाग को प्राप्त होती है। शेष बचत से अनुबंधक अपने निवेश की भरपाई करता है। इस योजना के तहत अब तक उदयपुर-जयसमंद योजना, जोधपुर-कायलाना हैडवर्क्स, भीलवाड़ा-कांकरोलिया घाटी हैडवर्क्स, भरतपुर शहर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एवं राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल-जोधपुर इत्यादि का संचालन एवं संधारण एस्को पद्धति पर किया जा रहा है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि 58 करोड़ रुपये इससे बचत हुई है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बैठो न आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के सभी...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ईमानदारी की बात है हम आपकी विद्‌वता के कायल हैं। आप हमारा अब पीछा छोड़ दो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसी है हमारी विद्‌वता है या नहीं है उसके लिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं के एस्को माडल पर पंप मशीनरी बदलने की निविदाएं दिनांक 26.11.17 को प्राप्त की गईं। अनुमोदन कर दिया गया है। कार्यादेश शीघ्र दिया जा रहा है। अजमेर शहर के पंप सैट बदलने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। कोटा तथा जयपुर शहर के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उदयपुर शहर के लिए अमृत मिशन के अन्तर्गत निविदा प्राप्त कर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार अमृत मिशन के अन्तर्गत अन्य शहरों के लिए भी ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य प्रगतिरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर राजस्व जल में कमी के लिए। जहां 35 से 40 परसेंट पानी व्यर्थ में बह जाता है न तो राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है, न पीने का पानी काम आता है। इस गैर राजस्व जल को राज्य की शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर काम करते हुए 15 से 20 प्रतिशत लाया जाएगा। इस हेतु मुख्यालय स्तर पर तथा सभी संभागीय स्तर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन के अन्दर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर में गैर राजस्व जल में कमी करने हेतु प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में गैर राजस्व जल में कमी करने के लिए राज्य सरकार द्‌वारा जायका जापान के साथ एमओयू किया गया है। जिसके अन्तर्गत जापानी विशेषज्ञों की सहायता से शहर के पायलट एरिया में गैर राजस्व में कमी करने हेतु कार्य करवाया गया है। जिसके अन्दर जयपुर शहर के चार पायलट एरिया में बनीपार्क, चित्रकूट नगर, आदर्श नगर, मानसरोवर सैक्टर एक में 43.19 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

18 हजार मीटर उपभोक्ता जल संबंध एवं वितरण पाइप लाइन बदलने का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर जनवरी 2018 तक 17 हजार 412 मीटर लाइन, 7 हजार 877 उपभोक्ता जल संबंध एवं 40.1 किलोमीटर पाइप लाइन बदलने का कार्य किया जा चुका है। जिस पर 14.22 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। गैर राजस्व जल की मात्रा जो पूर्व में 35 प्रतिशत थी वह घटकर 20 प्रतिशत रह गई है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य में औसत 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गिलास से कुछ नहीं होगा, रामझारा मंगवा लो। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह तो एक तिहाई में पानी पीते हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गैर राजस्व जल में कमी करने में जयपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। जिसमें Leak Detection Equipment के उपयोग हेतु तकनीकी कर्मचारियों, अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने का वार्षिक कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अटल नवीनीकरण शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत जिसको बोलते हैं। (व्यवधान) डिटेल बतानी पड़ेगी...(व्यवधान) घोषणा तो मुख्य मंत्रीजी ने कर दी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पक्ष का पूरा समर्थन है खुले बोलो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि मुहैया कराने के उद्देश्य से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन की स्थापना की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन के अन्तर्गत 23 शहरों में पेयजल से संबंधित कार्य हाथ में लिए गए हैं। उक्त कार्य में पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलना, पुराने पम्प सैटों को बदलना, खराब मीटरों को बदलना, पानी की छीजत को कम करना, तथा मानीटरिंग हेतु स्काडा आदि के कार्यो को प्राथमिकता से लिया गया है। 23 शहरों में क्रमश: भिवाड़ी में 17 करोड़ 89 लाख, ब्यावर में 28 करोड़ 53 लाख, गंगापुरसिटी में 59 करोड़ 81

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

लाख, सुजानगढ़ में 13 करोड़ 6 लाख, अलवर में 90 करोड़ 62 लाख, सीकर में 30 करोड़ 50 लाख, धौलपुर में 41 करोड़ 67 लाख, बारां में 78 करोड़ 31 लाख, नागौर में 50 करोड़ 06 लाख, बूंदी में 46 करोड़ 36 लाख, भीलवाड़ा में 23 करोड़ 33 लाख, कोटा में 70 करोड़ 25 लाख, सवाईमाधोपुर में 47 करोड़ 32 लाख, झालावाड़ में 75 करोड़ 23 लाख, बीकानेर 34 करोड़ 95 लाख, हिण्डौन में 20 करोड़ 57 लाख, चूरू 20 करोड़ 79 लाख, चित्तौड़गढ़ में 55 करोड़, भरतपुर 49 करोड़ 98 लाख, जोधपुर 10 करोड़ 16 लाख, जयपुर 50 करोड़, उदयपुर 30 करोड़ एवं अजमेर 29.98 करोड़ हेतु कुल राशि 975.42 करोड़ की डीपीआर की स्वीकृति अमृत योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा की जा चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक 21 शहरों के लिए राशि रुपये 1005.71 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उक्त कार्यों पर अभी तक 90 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर के लिए अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी परियोजना स्वीकृत कार्य राशि 49.96 करोड़ के साथ निविदा विभाग द्वारा आमंत्रित की गई है। उदयपुर शहर के लिए अमृत योजना एवं स्मार्ट सिटी परियोजना स्वीकृत कार्य राशि 34.46 करोड़ के साथ निविदा स्मार्ट सिटी कारपोरेशन उदयपुर द्वारा आमंत्रित की गई है। इनकी निविदाएं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्काडा पद्धति के बारे मैं निवेदन करूं। स्काडा पद्धति से प्रभावी मानीटरिंग कर इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाना सम्भव है। पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं आंकड़ा अर्जन प्रणाली यानी स्काडा पद्धति से पेयजल आपूर्ति से संबंधित आंकडे यथा जल स्रोत, हैडवर्क्स से जल का प्रवाह, स्वच्छ एवं उच्च जलाशयों का जल स्तर, वितरण प्रणाली में की गई आपूर्ति की मात्रा इत्यादि को कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर स्क्रीन अथवा स्मार्ट फोन पर आनलाइन देखा जा सकता है। स्मार्ट सिटी अमृत मिशन के अन्तर्गत स्काडा संबंधी कार्य सम्मिलित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी अमृत मिशन के अन्तर्गत 23 शहरों में उक्त कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है तथा 21 शहरों के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय किशनगढ़बास और खैरथल कस्बों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं क्रमश:

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

राशि रुपये 36 करोड़ 26 लाख एवं 21.06 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उक्त स्वीकृतियों से पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की पेयजल की योजनाएं, अलवर जिले के 5 शहर पेयजल योजना एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण से प्रगतिरत है। अलवर शहर के लिए राशि रुपये 174.86 करोड़, राजगढ के लिए 20.24 करोड़, बहरोड़ के लिए 26 करोड 2 लाख, भिवाड़ी के लिए 40 करोड 69 लाख और तिजारा के लिए 16 करोड़, 46 लाख, कुल राशि 278.27 करोड़ की योजनाएं लगभग 50 परसेंट पूर्ण हुई हैं, जिन्हें सितम्बर 18 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हनुमान जी बेनीवाल ने कहा, मैं निवेदन कर दूं, नागौर लिफ्ट फेज द्वितीय...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम बैठे हैं नागौर की सुनने के लिए, बोलिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा जायका से वित्त पोषित नागौर लिफ्ट परियोजना की फेज द्वितीय की क्रियान्विति हेतु वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में घोषणा की गई। इस परियोजना की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 2938 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। परियोजना के अन्तर्गत कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु 10 पैकेजेज में बांटा गया है। पैकेज 1, 2, 3 आधारभूत ढांचागत निर्माण कार्यों से संबंधित है जिनका कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार जल वितरण प्रणाली के पैकेजेज 4, 5, 6, 7, 8 व 9 परबतसर, मकराना, डीडवाना, डेगाना, लाडनूं व कुचामन के कार्य प्रगति पर हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, एक मिनट। मैं तो नीचे से भागकर आया हूं। आपने नागौर को क्या दे दिया, क्या कह रहे हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): सब कुछ नागौर को दिया है, सब कुछ।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2938 करोड़ रुपये दिए नागौर को दिए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी वह मेरे कहने से दिए न। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पैकेज 10 का कार्य एफ एम पी की आई ई सी से संबंधित है। परियोजना के मुख्य ट्रांसमिशन पैकेज 1, 2 व 3 कार्य मार्च 2018 तक पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना पर माह जनवरी 2018 तक कुल राशि 1366.04 करोड़ व्यय किया जा चुका है। इस योजना से नागौर ज़िले के सात शहर एवं 986 गांवों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जा सकेगा। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तालियां मत बजाओ, अगर लाइन चूक गए तो दुबारा पूरा सुनना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पांच वृहत् पेयजल परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण के माध्यम से कार्य प्रारम्भ करने की वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जायका से ऋण लेने की स्वीकृति तथा ऋण संवहनीयता प्रमाण पत्र debt sustainability certificate जारी कर परियोजनाओं के अन्तर्गत जायका से ऋण स्वीकृति के प्रस्ताव विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। इसके अतिरिक्त बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना फेज द्वितीय के अन्तर्गत जायका से ऋण स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के लिए ए एफ डी द्वारा वित्त पोषित परियोजना है उसके संबंध में मैं सदन को निवेदन करूं। जोधपुर शहर में पर्याप्त एवं इसके आसपास के नव विकसित क्षेत्रों में सुचारु जलापूर्ति हेतु विभाग द्वारा 740 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति जारी की गई। ए एफ डी द्वारा इस परियोजना के विभिन्न पैकेजों का कार्य प्रगति पर है। परियोजना पर माह जनवरी 2018 तक कुल 379.28 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत सूरपुरा में 90 एम एल डी क्षमता का जलशोधन संयंत्र चालू कर जोधपुर शहर के नादड़ी, दिगाड़ी, माता का थान एवं लाल सागर क्षेत्र की लगभग 3.6 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने विभाग के अन्दर जो काम किए और करने जा रहे हैं उनसे सदन को थोड़ा अवगत करा दूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आसन के अधिकारों का सदुपयोग करो नहीं तो हमारा तो यहां कोई रखवाला नहीं है।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आपको पहले ही कहा कि 12 या एक बजेगे, तो आपको बैठना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीष्म 2018 में पेयजल समस्या के तुरन्त समाधान हेतु सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस प्रकार पहले 2017-18 में ग्रीष्म ऋतु में निर्देश दे दिए थे उसी प्रकार, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए विभाग को अवगत करा दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हैण्डपम्प मरम्मत अभियान व जल योजनाओं के संधारण हेतु किराये के वाहन एवं संविदा श्रमिकों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। वर्ष 2017-18 में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,70,007 एवं शहरी क्षेत्रों में 28878 हैण्डपम्पों का मरम्मत कार्य सम्पन्न करवाया जा चुका है।

वर्ष 2017-18 में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 1690 नलकूप एवं 4093 हैण्डपम्प स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं। माननीया मुख्य मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अधिकतम 100 हैण्डपम्प की स्थापना की घोषण की गई है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा दूं कि इन 100 हैण्डपम्प में, जहां हैण्डपम्प तकनीकी रूप से फिजिबल नहीं हैं वह माननीय सदस्यों की मांग के अनुरूप उक्त हैण्डपम्पों के स्थान पर समान राशि के सोलह ट्यूबवैल स्वीकृत करने की कार्यवाही भी हम लोग करेंगे।

वर्तमान में 6 शहरों जिनमें 1968 टैंकर ट्रिप्स प्रतिदिन पेयजल परिवहन किया जा रहा है। इसी प्रकार पेयजल की कमी वाले 150 गांव व ढाणियों में 204 टैंकर ट्रिप प्रतिदिन से पेयजल परिवहन किया जा रहा है। जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया जाएगा।

जिला एवं ब्लाक स्तरीय प्रयोगशालाएं, विभागीय जलप्रदाय योजना की जल गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रभावी मानिटरिंग के अतिरिक्त दूसरी पेयजल, मौसमी बीमारियां, जनजनित बीमारियों के रोकथाम के लिये जल शुद्धिकरण एवं पेयजल गुणवत्ता के प्रभावी मानिटरिंग का कार्य सुचारु रूप से कर रही है। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में जल गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी के कार्य हेतु अब

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

तक 20 जिलों में सचल प्रयोगशाला की स्थापना का कार्यादेश दे दिया गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सभी 33 जिलों में सचल प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक क्षेत्र के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को आकस्मिक कार्य हेतु माह अप्रैल में प्रत्येक जिले हेतु 50 लाख रुपये तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये अधिकृत कर दिया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि 2018 के दौरान कहीं पर भी पेयजल की समस्या नहीं आने देंगे और सब की समस्याओं का निदान हम तुरन्त करने का प्रयत्न करेंगे।

अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा प्रशासनिक तंत्र के बारे में सदन को अवगत करा दूं। विभागीय कार्य प्रणाली को सुचारु बनाये रखने, सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन, पेयजल परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कराने, जल वितरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं अन्य विभागीय सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभाग में की गई नियुक्तियां एवं कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से पदोन्नतियां दी गई हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

राजपत्रित संवर्ग में 155 नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गयीं। अराजपत्रित/अधीनस्थ संवर्ग के 1444 कार्मिकों को सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध नियुक्तियां प्रदान की गयीं।

नवनियुक्त सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं को विभागीय कार्यों एवं कार्य प्रणाली की जानकारी दिये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

सहायक अभियंता के सीधी भर्ती के 696 और कनिष्ठ अभियंता के 270 रिक्त पदों को भरे जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ संवर्ग में तकनीकी वर्ग के पम्प ड्राइवर-II, फिटर-II, इलेक्ट्रीशियन-II, लाइनमैन-II, मीटर रीडर एवं हैल्पर के कुल 1294 रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 08.08.2013 को आनलाइन एवं दिनांक 13.08.2013 को प्रकाशन की विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में नियुक्ति

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हमने अभी उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरु की है और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके इन भर्तियों को भी पूरा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2013 से 2018 तक की अवधि में राजपत्रित संवर्ग में कुल 1063 अभियंताओं को पदोन्नतियां प्रदान की गयीं। उक्त अवधि में मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सवंर्ग के 3086 कार्मिकों को पदोन्नतियां प्रदान की गयी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने विभाग में आई.टी. की पहल भी की है। हमारे सभी काम आनलाइन किये जा रहे हैं। मानिटरिंग के साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिये आई.टी. के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग में सभी योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आनलाइन की जा रही है तथा उसमें निहित सभी विभागीय कार्यों का भुगतान भी आनलाइन किया जा रहा है। इसी के साथ विभागीय वेबसाइट को भी अपडेट कर सभी स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी आनलाइन की जा रही है।

हमारी सरकार द्वारा विभाग के सभी प्रगतिरत वृहत् पेयजल परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर की गई है। प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु विभाग की वैबसाइट पर प्रोमिस माड्यूल (ProMIs) द्वारा सभी वृहत् परियोजनाओं की प्रगति का इन्द्राज किया जा रहा है। साथ ही मुख्य मंत्री सूचना प्रणाली के तहत भी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति प्रतिमाह अपडेट की जा रही है।

सभी पेयजल योजनाओं, विभागीय कार्यकलाप इत्यादि की मानिटरिंग के साथ-साथ विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिये भी आई.टी. के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने विस्तार से सदन के सामने मेरी बात रखी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एक बात रह गई। प्रदेश में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम पते, वह भी बता दो।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): क्या, क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सुन लो, पहले सुन लो बैठ कर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लगे हाथ ही विभाग में प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम-पते भी बता दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने को रहना तो यहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भूत का असर होने लग गया। इनके ऊपर भूत का असर होने लग गया। (व्यवधान) अब इनको सम्भालना...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज अपने को रहना तो यहीं है, तो विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पूरे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, उनके भी नाम पते बता दो तो ठीक रहे।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसा है कि विभाग ने जो काम किये, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किये और राजस्थान की पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया और आज की तारीख में इतने माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में जो व्यवस्था कही और धन्यवाद दिया है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार इन चार वर्षों में आपसे कितनी आगे निकल गयी। कितना काम किया है, उसको तो सदन के सामने बताना ही पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जैसे माननीय चन्द्रकान्ताजी मेघवाल, माननीय सदस्य ने कहा, एक तो रामगंजमण्डी, सुकेत एवं अन्य 14 गांवों के पेयजल योजनाओं के पुनरुद्धार बाबत, तो मैं इनको अवगत करा दूं कि शहरी योजना रामगंजमण्डी के प्रस्ताव 20.10.2015 को रुपये 1409.70 लाख के स्वीकृत किये गये थे, जिसके समस्त कार्य दिसम्बर, 2017 में पूर्ण कर लिये गये हैं। शहरी योजना सुकेत की पुनर्गठन योजना, दिनांक 03.01.2018 को 15.44 करोड़ की स्वीकृत कर दी गई है। शेष 14 गावों में रामगंजमण्डी, पचपहाड़ वृहत् पेयजल योजना से नोर्म्स के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उन्होंने चेचट, खेराबाद, मोडक, सहरावदा ग्रामीण योजनाओं को शहरी योजनाओं में बदलने के सम्बन्ध में कहा, तो इन गावों को रामगंजमण्डी पचपहाड़ वृहत् पेयजल योजना से नोर्म्स के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहरी क्षेत्र की 18 कालोनियों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। मैं निवेदन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

कर दूं कि यह कालोनियां वर्ष 2016 में नगर विकास न्यास द्वारा अधूरी पेयजल प्रणाली के विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई थीं, जिनमें समस्या थी। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर इन कालोनियों की जल आपूर्ति सुधार के अति आवश्यक कार्य स्वीकृत कर चालू कर दी गई है। स्थाई समाधान हेतु विस्तृत डी.पी.आर. कोटा शहर के लिये तैयार की जा रही है।

एक बोरावास-मण्डाना पेयजल परियोजना को पूर्ण करने में देरी एवं नेशनल हाई-वे निर्माण से पाइप लाइन क्षतिग्रस्त बाबत। बोरावास-मण्डाना पेयजल परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति में देरी से योजना के कार्य में देरी हुई। जुलाई, 2017 में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। हाई-वे निर्माण से पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से वैकल्पिक मार्ग पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। अब किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। मई, 2018 तक परियोजना से सभी 60 गांवों एवं 21 मजरों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना सम्भावित है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि शंकरसिंहजी राजपुरोहित ने कहा, जालौर जिले के नर्मदा ई.आर. परियोजना से 256 गांवों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने हेतु ई.आर. आधारभूत, इन्फ्रा का कार्य प्रगति पर है, जिसका 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ई.आर. क्लस्टर का कार्य शीघ्र हाथ में लिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य राजकुमारजी ने विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ की योजना पूर्ण करने एवं क्षेत्र में अन्य पेयजल योजनाओं को संवर्धन करने के लिये कहा। मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि नवलगढ़ पेयजल योजना को पूर्ण कर जनता को लाभान्वित कर दिया गया है। नवलगढ़ कस्बे में पेयजल योजना को पूर्ण करने के पश्चात् स्थानीय निकाय द्वारा सीवर लाइन का कार्य आरम्भ किया गया, जिसके कारण अनेक बार पानी की पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त किया गया। इस सम्बन्ध में अनेक बार नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत कराया गया। नवलगढ़ योजना को पूर्ण करने के पश्चात् कस्बे में जलापूर्ति में व्यापक सुधार हुआ है। ग्राम पाडीला में डी.एस.टी. द्वारा आर.ओ. प्लाण्ट स्थापित किया गया था, जिसका विद्युत कनेक्शन विभाग द्वारा करा दिया गया था। उसे चालू करना और संधारण करना डी.एस.टी. विभाग के द्वारा किया जाना है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मुकुन्दगढ़, परसरामपुरा, चिराना, बसावा, बाई आदि योजनाओं के संवर्धन के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने के बारे में निवेदन कर दूं कि नवलगढ़ से झुंझुनूं एवं सीकर जिले के शेष गांवों व कस्बों को नहरी पानी उपलब्ध कराने के लिये डी.पी.आर. बनाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 17.01.2017 को रुपये 4 करोड़ 53 लाख 63 हजार की जारी की हुई है। इस डी.पी.आर. को बनाने का कार्य पीडीकोर को दिनांक 28.11.17 को जारी किया है। डी.पी.आर. बनाने की कार्य अवधि 12 माह निर्धारित है। पीडीकोर द्वारा इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण डी.पी.आर. माह नवम्बर, 2018 तक बनना सम्भावित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने सवा चार साल में सीकर को पेयजल के लिये महरूम रखा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पृथ्वीराज नगर और मदरामपुरा को बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित करने की योजना के बाबत कहा। पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास के क्षेत्र, जिसमें मदरामपुरा भी सम्मिलित है, में सतही जल स्रोत बीसलपुर आधारित परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में सूचित किया गया था। इस कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से 60 करोड़ रुपये जमा कराये गये थे। इसके पश्चात् कुल जमा किये जाने वाले 240 करोड़ रुपये के विरुद्ध शेष राशि प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग द्वारा इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र में सम्पूर्ण पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास बसी घनी आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रथम फेज में ट्रांसमिशन मुख्य लाइन एवं पेयजल वितरण तंत्र की स्थापना हेतु राशि रुपये 854 करोड़ 22 लाख के प्रस्ताव बनाये गये हैं तथा तकनीकी सहमति प्रदान की गई है। वर्तमान में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन हैं। वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित होने पर परियोजना के कार्यों का निष्पादन प्रारम्भ किया जायेगा।

इसी प्रकार गोवर्धन नगर को बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित करने

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

की योजना के बारे में जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस कार्य हेतु पूर्व में कोई घोषणा नहीं की गई थी। डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के मध्य का क्षेत्र, जिसमें गोवर्धन नगर भी सम्मिलित है, को बीसलपुर पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 30.85 लाख के प्रस्ताव बनाये गये, जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि बाकी जो भी माननीय सदस्यों ने सदन के सामने अवगत कराया, प्रोसीडिंग देख करके उसका किस प्रकार से निराकरण हो सके, उसका निराकरण करने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 27 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: जल संसाधन मंत्री, डा. रामप्रताप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 पर माननीय सदस्यों ने बहुत ही सारगर्भित विचार प्रकट किये, उससे काफी ज्ञानवर्धन हुआ। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा जल संसाधन मंत्री महोदय का भाषण भी सुना है डिमांड के ऊपर, उनका वरबेटम भी देखा है तो एक सेरमोनीअल चीज बन गयी कि हमारे पास में इतना पानी है, इतना हमारे पास में एरिया है लेकिन इससे ज्यादा आगे बात बढ़ी नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी और हवा दो ऐसी चीज हैं, प्रीशियस आइटम्स हैं, इनका कोई अल्टरनेट ही नहीं। धन तो आता जाता रहता है लेकिन यह बेशकीमती चीज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर दो महापुरुषों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो महाराजा गंगासिंह, जिसका सेंचुरी का सबसे बड़ा अकाल और उसके अन्दर अगर कोई मेरे जैसा साधारण कोई रूलर होता तो वह कोई कहीं पर हैंडपम्प लगा देता, कहीं पर ट्यूबवैल खुदवा देता लेकिन महाराजा गंगासिंह hold forte a legal battle for 20 years and then he won the battle. और उसके बाद में गंग कैनाल का एन्विसेज किया और उस इलाके को सर-सब्ज किया, किसानों के चेहरे पर खुशियां आईं।

(डा. रामप्रताप)

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी का, जिन्होंने इंटरलिंकिंग आफ रिवर्स को एन्विसेज करने की कोशिश की, उसके बाद में दुर्भाग्य यह रहा कि दस साल तक राज दूसरी पार्टियों का रहा और यह एक बहुत ही पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी, इसमें देरी हुई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी की कमी है, यह तो हर बच्चा ही जानता है लेकिन इसके बारे में किसी ने चिंता नहीं की। राजस्थान में पानी की कमी है लेकिन मैं राजस्थान को इस बात के लिए सौभाग्यशाली भी मानता हूं कि कुछ बेसिन्स अगर डेफिसिट हैं तो कुछ सब बेसिन्स हैं, वह सरप्लस भी हैं। इस बात के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे सरप्लस बेसिन्स हैं, सब बेसिन्स हैं, पार्वती है, कालीसिंध है, पूल है, कून है, डाकण है, मेज है, ब्राह्मणी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैम, जैसे आपका जवाई डैम है शायद 1953 या 1954 में बना होगा? और पिछले इतने लम्बे समय के अन्दर सिर्फ नौ दफा पूरा पानी भरा है, उसमें डेफिसिट है। इसी तरीके से आज बीसलपुर की स्थिति यही है। जो कितने लम्बे चौड़े क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करता है। आने वाला वक्त किस किस्म का होगा, यह शायद ही किसी ने परिकल्पना की होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्टियां आती-जाती हैं, राज आते-जाते हैं। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है आलोचना करने की लेकिन अपने गांवों में विशेष तौर से यह कहावत है कि- "घाव तो बैरी के भी सहलाने चाहिए।" अब यहां पर ई.आर.सी.पी., 37 हजार करोड़ की यह डी.पी.आर. बन रही है इस बात के लिए आलोचना हो रही है। ई.आर.सी.पी. एन्विसेज करने वाली राजस्थान की मुख्य मंत्री, आने वाला वक्त इस चीज का आकलन करेगा कि कितनी बड़ी चीज राजस्थान को दी है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्वती, कालीसिंध कून, कुल्लू, चाकन, मेज इनका पानी राजस्थान का वह इलाका, जहां पर आज पीने के पानी की भयंकर समस्या है। माननीय जलदाय मंत्रीजी यह अच्छी तरह से जानते हैं। जहां आज से छह-सात साल पहले 800 फुट पानी गहरा था, आज 1900 फुट गहरा है और हर छह महीने के बाद में पानी सूख जाता है ऐसे 13 जिलों को

(डा. रामप्रताप)

पीने का पानी देगा और न केवल पीने का पानी देगा बल्कि दो लाख हैक्टेयर में नया सिंचित क्षेत्र सृजित होगा और 80 हजार हैक्टेयर है जो आलरेडी जो सिंचित है, उसको रीएनफोर्स किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साड़ियां बाटने से, कर्जा माफी से किसान का भला नहीं होगा। जैसे ईस्ट से सूरज निकलता है और उसकी रोशनी चेहरों पर पड़ती है, चमकते हैं, उस तरीके से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का जब पानी आएगा और दो लाख हैक्टेयर में किसान को सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा तो उसके चेहरे में रौनक आएगी, उसका चेहरा चमकेगा। अब इस समय आपसे यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय घनश्यामजी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने कहा कि डी.पी.आर. बना दी 37 हजार करोड़ की। अब उनको शायद यह जानकारी है, मैं उनका बहुत मान और सम्मान करता हूं, डी.पी.आर. से पहले प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। उसमें हाईड्रोलोजी होती है कि आया, उसमें पानी है कि नहीं तो हाईड्रोलोजी तो एक बहुत बड़ा मेजर कम्पोनेंट है। उस हाईड्रोलोजी में चूंकि, यह इंटर स्टेट मैटर है, उसकी प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने केन्द्रीय जल आयोग से क्लियर करवा ली है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद में उसकी डी.पी.आर. है, वह भी मेरे ख्याल से 22 करोड़ की है तो उस पर भी पैसा लगेगा और बिना डी.पी.आर. के आपको कौन फंडिंग करेगा? तो यह पहले स्टेप्स हैं, यह लेने पड़ते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके लिए लेने पड़ते हैं तो ई.आर.सी.पी. राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से बीसलपुर को सप्लिमेंट करने के लिए ब्राह्मणी से बनास का लिंक, इसी तरीके से साबरमती से जवाई का लिंक तो यह तमाम बातें हैं, यह प्रोजेक्ट्स आपको बड़े दिख रहे हैं लेकिन हमें इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट न केवल इन 13 जिलों के लिए पीने का पानी देगा बल्कि सिंचाई के लिए भी देगा। बाकी एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपकी डी.एम.आई.सी. है। माननीय उद्योग मंत्रीजी यह अच्छी तरह से जानते हैं, उसके अन्दर कितनी इंडस्ट्रीज आएंगी? कितना उसमें ह्यूमन पापुलेशन आएगा? इंडस्ट्रीज के लिए

(डा. रामप्रताप)

पानी चाहिए। ह्यूमन पापुलेशन के लिए पानी चाहिए, उसके कम्पोनेंट को भी हमने एड्रेस किया इसके अन्दर इसलिए इसकी डी.पी.आर. की आलोचना करना मेरे ख्याल से इसकी बजाए उनकी सदाशयता यह होती कि वह आगे बढ़कर इस बात की तारीफ करते, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत ही सारगर्भित भाषण आपके डिमांड के ऊपर माननीय जलदाय मंत्रीजी ने दिया है, थोड़ा लम्बा जरूर हो गया था और अब सभी माननीय सदस्य हैं वह इस इंतजार में हैं कि कब जल्दी पीछा छूटे, मैं बहुत संक्षेप में...(व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। राजस्थान के हित में शांति से सुनो। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातों के बारे में आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं हैं, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछे थे। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, पहले प्रमुख रहे हुए हैं, हाउस में पहली दफा आए हैं, थोड़ा ज्ञान कम है लेकिन जगह बहुत बड़ी है, मैं उनका मान-सम्मान करता हूं। उन्होंने मेरे से सवाल पूछे थे कि इंटर स्टेट मैटर्स में आपने ध्यान नहीं दिया। मैं इंटर स्टेट के बारे में आपसे दो ही चीजों का आग्रह करना चाहूंगा, आन रिकार्ड लेने के लिए इसलिए माफी चाहूंगा समय जरूर लगेगा।

माही बांध, इसका एग्रीमेंट 1966 में हुआ था गुजरात के साथ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उनको, कालू लालजी को तो जगाओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समझौते के हिसाब से माही से 40 टी.एम.सी. पानी है, वह गुजरात को देना था। कब तक देना था? जब तक नर्मदा प्रोजेक्ट उनका आ रहा है, वह उस क्षेत्र को सिंचाई करने के लिए काबिल नहीं हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों को पता है कि नर्मदा प्रोजेक्ट से खेड़ा में, खास तौर से वहां पर सिंचाई होने लगी है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर क्लेम नहीं छोड़ा था। यह जानकर पूरे सदन को इस बात की खुशी होगी कि पिछले दिनों नर्मदा सब-कमेटी की मीटिंग के अन्दर गुजरात ने यह मान लिया कि हमारा नर्मदा प्रोजेक्ट का कैनाल सिस्टम

(डा. रामप्रताप)

डवलप हो गया है And it is on record मिनिट्स में आ गया है, इसलिये हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से एक चीज का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा सबसे पहले, और बीच में अगर मैं थोड़ा-सा यह भी निवेदन कर दूं कि मेरे से दो-तीन सवाल भी पूछे थे घनश्याम जी ने, उन्होंने मुझसे यह कहा था कि रावी-व्यास वाटर में आप अपने शेयर का पूरा पानी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अवगत कराते हुए मुझे खुशी है कि जितना हमारा ड्यू शेयर था, चाहे लड़ झगड़कर लिया, किसी तरीके से लिया, पर जितना हमारा शेयर था, उससे फालतू पानी हमने पंजाब-हरियाणा को नहीं दिया और मेरे पास में इसका पूरा रिकार्ड है।

उनका तीसरा सवाल था कि आपने कमांड एरिया डवलपमेंट कम किया। मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि इतने ज्ञानी आदमी हैं, उन्होंने यह बात कही कैसे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैम की बाडी बनती है तो उसमें भी टाइम लगता है और डैम की बाडी बनने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनेगा तो वह अपना समय लेगा। अब मेरे पास में बहुत-से अभी आन रिकार्ड है जैसे घाघरी नहर, ल्हासी है, अहमदी है, राजगढ़ है, इनकी डैम की बाडी बनने के बाद में हमारा कैनाल सिस्टम डवलप हो रहा है, नैक्स्ट रबी के अन्दर सिंचाई के लिये पानी देंगे तो वह कमांड हो जाएगा और जब तक नहीं आता है तो हमारे कमांड में शामिल नहीं होता। इसी तरीके से नर्मदा, मेरे ख्याल से 1993-94 में बनना शुरू हुई थी और 2007-08 में इसका लोकार्पण हो गया था। उसके बाद में इसका कैनाल सिस्टम डवलप हुआ है, इसका इर्रिगेशन सिस्टम डवलप हुआ तो उसमें समय लगा। जिसका राज था, उसके टाइम में शुरू हो गया तो कमांड उसने डवलप कर दिया, ऐसी बात नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं ले सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इंटर-स्टेट का जो माननीय डूडी साहब ने मेरे से पूछा था, यमुना वाटर के लिये, आज पूरे सदन को मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है, यह 1994 का एग्रीमेंट है, 24 साल हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में यमुना बोर्ड के अन्दर हमारा सिस्टम तय हो गया कि यह पानी हमें गुडगांव मैन कैनाल से मिलेगा, इतना पानी चूरू-झुन्झुनूं के लिये मिलेगा, लेकिन हमारे पास में

(डा. रामप्रताप)

कैरियर चैनल नहीं था। हमने प्रयास किया, चाहे कांग्रेस के साथी हों, चाहे हमारी पार्टी के हों, वह उनकी वैष्णवी कैनाल है, 100-150 साल पुरानी बनी हुई है, उस कैरियर चैनल को हम यूज कर रहे हैं और उसका रिनोवेशन कर दें तो उनकी भी तो कैनाल नई बन जायेगी और हमारा पानी उससे चला जायेगा। वह इस बात पर एग्री नहीं हुये। एक जगह यू.पी. में उसके पास में पड़ती है तो वहां बोले कि आप बैराज बना लो, पर वहां नया कैचमेंट, वहां नया डूब क्षेत्र आयेगा, नई जमीन वहां से अधिग्रहण करनी पड़ेगी। लब्बोलुआब यह था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि हरियाणा के मन में पाप था कि यह पानी हम यूज करते रहे, इनका सिस्टम डवलप नहीं हो।

अभी माननीय सदस्य ओला जी बैठे हैं, इन्होंने भी पूछा था तो सबसे पहले तो मैं दो बात निवेदन कर दूं। मैं आपसे मेरा ज्ञानवर्धन भी चाहता हूं, मैंने आपसे कभी इस बारे में चर्चा नहीं की। स्वर्गीय ओला साहब केन्द्र में जल संसाधन मंत्री रहे थे। (व्यवधान) नहीं यहां वाला तो कोई मायने नहीं रखता। केन्द्र में राज्य मंत्री, जल संसाधन रहे हैं। अब वह भी इंडिपेंडेंट रहे हैं। वह तो और भी बड़ी चीज है। वह नहीं करवा सके। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यहां आये, उनको 0.05 एम.ए.एफ. हमारी आई जी एन पी से था।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपने इसी सदन में यह कहा था कि ओला साहब ने बहुत प्रयत्न किये, बहुत प्रयत्न किये। वह सदन के रिकार्ड पर है। (व्यवधान) कभी भी पानी के नाम पर कोई मुद्दा उठाया नहीं। कभी नहीं उठाया।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): पांच बार पानी के नाम पर लोक सभा में गये थे। पांच चुनाव जीते हैं, इस पानी के नाम पर। पांच चुनाव जीते हैं पानी के नाम पर।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): कभी नहीं उठाया ...(व्यवधान) और मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि उन्होंने बहुत प्रयत्न किये पर चौटाला जी यहां आये और कमला जी को यह कह गये कि बहन जी, वह अपना तो दस्तख्त कराकर ले गये और राजस्थान के एम.ओ.यू. पर किया नहीं। यह माननीय मंत्रीजी ने कहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं बहुत इज्जत करता हूं और हमने कभी भी पानी के ऊपर राजनीति नहीं की। हमने

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कोशिश यह की कि पानी आये राजस्थान के हिस्से का, उसमें चाहे मंत्रीजी अपना योगदान दें, चाहे और कोई दे, कोई भी श्रेय ले ले, पर अपना पानी अपने को मिलना चाहिये। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह आपने बहुत ही बेशकीमती बात कही है। आपने पार्टी लाइन से हटकर बात की है। मैं उनका मान-सम्मान करता हूं, मैंने कहा उनका भी प्रयास रहा, लेकिन सफल नहीं हुए और केन्द्र में जल संसाधन मंत्री वही इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो, वह तो वह थे। अब आगे की बात सुनो आप। उसके बाद में कमला जी यहां पर सिंचाई मंत्री थीं, चौटाला साहब यहां आये, जो आप बता रहे हो, वही हुआ। उनको .05 एम.एफ. हमारी आई जी एन पी से लेना चाहिये था तो इन्होंने यह सवाल रखा कि हमारा यह एम ओ यू है, इस पर आप साइन करो। बोले आप यह तैयार करके भिजवा दो और हम दिखवाकर साइन कर देंगे। वह खुद अपने वाले पर साइन करवाकर ले गये। न सी डब्ल्यू सी में गये, न ही कहीं गये। स्टेट बजट से अपनी तीनों नहरें निकाल लीं। अब कमला जी यहां से लैटर बनाकर ले गयीं, एम ओ यू भिजवाया। यह मेरे पास में चौटाला जी को लिखा हुआ उनका पत्र है। तारीख नहीं दिखाई दे रही है, यह है 14.2.2003 का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लैटर उन्होंने लिखा है कि मैं एम ओ यू भिजवा रही हूं, इस पर आप साइन फर्मा दें। यह एम ओ यू है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत, चीफ मिनिस्टर राजस्थान आन बिहाफ आफ स्टेट आफ राजस्थान, श्री ओम प्रकाश चौटाला, चीफ मिनिस्टर हरियाणा आन बिहाफ आफ स्टेट आफ हरियाणा। आज की तारीख तक यह एम ओ यू अन-साइंड पडा है। जो यह मेरे से पूछ रहे हैं इंटर-स्टेट का आपने क्या किया? दो इतनी बड़ी हस्तियां कमला जी, उधर से ओला साहब और यह अन-साइंड पड़ा है। उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आपको कोई तकलीफ है क्या? चेयर ने मुझे इजाजत दी है। माननीय मंत्री महोदय, आप यह भी बता दें कि सैंट्रल वाटर कमीशन ने कब मंजूरी दी और ओला साहब सिर्फ चार महीने के लिये जल संसाधन मंत्री रहे थे, फिर वह सरकार गिर गयी थी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गयी थी। उन चार महीनों में ... (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): चार महीनों में तो 120 दिन होते हैं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): बैठिये आप। आप विराजिये, मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता हूं। सैंट्रल वाटर कमीशन ने उसको मंजूरी दी, प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 700 कुछ करोड़ की उसको मंजूरी दी, पर मैं यह नहीं कह रहा, इसमें आपने जो बात कही, मैं यह कह रहा हूं कि चार महीने में जो काम किया जा सकता था, वह उसमें किया, पर वह कोई एक व्यक्ति का, एक सरकार का नहीं है, यह निरन्तर प्रक्रिया है। सारे राजस्थान के लिये है, यह हमारा इंटर-स्टेट का मामला है। इसमें कोई राजनीति आपको नहीं घुसानी चाहिये।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस विषय को उठाता ही नहीं, आपके प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मेरे से पूछा जब बता रहा हूं और आप फर्मा रहे हो कि केन्द्रीय जल आयोग फाइनल बाडी नहीं है। केन्द्रीय जल आयोग ने ...(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आप लोगों ने भी तो अभी यही कहा है कि हमने केन्द्रीय जल आयोग को फिजिबिलिटी रिपोर्ट उससे अप्रूव करवा रहे हैं तो वह तो उसमें आपको जाना पड़ता। अपर यमुना बोर्ड का गठन हो गया था। आप यह बताइये उसमें प्रोसेसे तो शुरू हुआ न। (व्यवधान) मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं जो माननीय सदस्य महोदय टोक रहे हैं ... (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय ओला जी को बताना चाहता हूं मोबाइल से भी नैना बंगाल से गुजरात चली गयी थी, इच्छा शक्ति चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इतने समय तक कहां थे गुरुदेव?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं आपको कान्ट्राडिक्ट नहीं कर हूं मंत्रीजी। आप प्रयत्न कर रहे हैं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, इसको स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार सीडब्ल्यूसी को है। तो सीडब्ल्यूसी ने यह शर्त लगायी कि हरियाणा की सहमति ली जाए। मैं पढ़ कर सुनाऊं आपको? 'वर्ष 2003 में राजस्थान के प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी कि हरियाणा राज्य सरकार उनके क्षेत्र में होने

(डा. रामप्रताप)

वाले निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान करे।' उस सहमति का मतलब ही एमओयू है। वह अनसाइन्ड पड़ा रहा। अब मैं आपको नयी सूचना दे रहा हूं इसलिए पूरे सदन को एक बात पर एकमत होकर माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15.02.2018 को माननीय नितिनजी गडकरी, जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में यमुना रिव्यु कमेटी की बैठक हुई जिसमें हरियाणा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स को जाना था क्योंकि वे रिव्यु कमेटी के मैम्बर होते हैं। मंत्री जो होते हैं वह बोर्ड के मैम्बर होते हैं। किसी कारण से माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं जा सकीं और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर भी नहीं जा सके। मुख्य मंत्रीजी ने गड़करीजी से टेलीफोन पर बात की, कि हमारे झुन्झुनूं, सीकर, चूरू क्षेत्र सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो इसका निस्तारण किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी लाइन मैं जो बोल रहा हूं, ऐसे इन्सान की जितनी तारीफ की जाए, उतनी कम है। ये विषय एजेंडे में आया और आते ही हरियाणा के प्रिंसीपल सैक्रेटरी, इर्रिगेशन ने माननीय गडकरीजी से निवेदन किया कि हमारे सी एम साहब ने कहा है कि इस एजेंडे के इस आइटम को डैफर किया जाए क्योंकि वह नहीं आ सकते हैं तब गडकरीजी ने कहा कि आपके चीफ मिनिस्टर से मैं बड़ा हूं और आपके आब्जेक्शंस को ओवररूल करता हूं। आब्जेक्शन उन्होंने यहां तक कर दी कि लम्बे टाइम तक जब बात पुरानी हो गयी तो हमारे शेयर पर भी सवाल उठाना खड़े कर दिये थे। तब माननीय गडकरीजी ने फैसला दिया कि शेयर जितना यमुना बोर्ड ने तय किया है, वह का वह होगा और राजस्थान को यानी हमें कहा कि डीपीआर बनाइये। उनको कहा कि सारे आब्जेक्शंस को खारिज किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

आगे और सुन लीजिए। माननीय घनश्यामजी नहीं हैं, वह कहेंगे, यह भी मेरे खयाल से 18-20 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है क्योंकि कम से कम राजस्थान के लिए नयी चीज है कि हम पाइप्ड वाटर लेकर आ रहे हैं जबकि कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में भी थोड़ी आशंका व्यक्त की। महाराष्ट्र में टोटल इर्रिगेशन सिस्टम पाइप्ड है। हमें पाइप्ड इसलिए करना पड़ा कि लैण्ड एक्वीजिशन आजकल कोई सस्ता नहीं रह गया और ओपन चैनल जब होगा तो एवोपटेशन लोसेज भी बहुत होंगे। फिर उसकी मेंटीनेस भी ज्यादा होगी।

(डा. रामप्रताप)

थैप्ट के केसेज हम आलरेडी एक्सपीरिएंस कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों का आकलन करने के बाद हम पाइप सिस्टम पर आये और राजस्थान का यह सबसे बड़ा पाइप सिस्टम है जो हमने प्रपोज किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने गडकरीजी से यह भी निवेदन किया कि हमें फण्डिंग में मदद की जाए तो उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि फण्डिंग के लिए डिपार्टमेंट आफ इकोनोमिक अफेयर्स या जहां कहीं भी जरूरत होगी, मैं आपकी मदद करूंगा और थोड़े दिन बाद पाइप बनाने वाली फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग है, उसमें उन्होंने बताया कि आजकल पाइप इस किस्म का है कि बीच में रिंग्स लगती है, उसकी कास्ट कम कर दी। मैं आपसे कोई ताली बजवा कर राज़ी नहीं हूं लेकिन आपको ताली बजानी चाहिए। नहीं बजानी चाहिए?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): उपाध्यक्ष महोदय, वही वाली बात बीच में आ गयी। क्या हरियाणा ने इसको मान लिया है? एमओयू साइन हो गया है क्या राजस्थान और हरियाणा का?

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि Upper Tamuna Review Committee is the highest body. Who is Haryana to refuse? हरियाणा रिफ्यूज करने वाला होता कौन है? जब आप इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे तो फिर तो मेरा बात करना ही बेकार हो गया। अब मैं इस इश्यु को यहीं बन्द करता हूं। The job is over. हमारी डीपीआर बन कर क्लियर होने के बाद हम फण्ड्स के लिए जाएंगे और हमारी मदद होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओला साहब ने इसके साथ-साथ कुछ शंकाएं और जाहिर की थीं। आपने घग्घर के बारे में कहा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 59 के एग्रीमेंट में हमारा घग्घर पर जो शेयर था वह रावी व्यास पर डायवर्ट हो गया था। Now we have a big zero, as far as Ghaghar water is concerned. जो ओटू में उन्होंने वियर बना रखा है, वह तो कभी न कभी, बरसात ज्यादा होती है तो वह ओवर फ्लो होकर आ जाता है। हमारा उस पर कोई क्लेम नहीं है। जैसी आपने शंका व्यक्त की थी कि वहां से आगे जाकर पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान छोड़ो, वह तो हनुमानगढ़ तक ही नहीं आता। अब उस पानी पर हमारा हक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के लिए और सदन की मार्फत पूरे

(डा. रामप्रताप)

राजस्थान के लिए चाहे माही वाटर का मामला हो, चाहे यमुना वाटर का मामला हो These are two big achievements, as far as inter-state workers are concerned.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, मैंने पिछले साल भी जायका से ऋण लेकर नहरों के सुधार की चर्चा की थी। मैं आपकी मार्फत सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह 25 जिलों के अन्दर 137 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को इसके अन्दर सम्मिलित किया गया है। इसकी अनुमानित लागत 2576 करोड़ रुपये है। इसमें राजस्थान का इर्रिगेशन स्ट्रक्चर, उसका हम स्ट्रेंथन करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आईजीएनपी का भी मेरे से डूडी साहब ने एक सवाल पूछा था। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आईजीएनपी के फीडर पार्ट का रेनोवेशन का काम मैं शुरू करूंगा। माननीय डूडी साहब को मैं निमंत्रण देता हूं कि वह इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित रहें जिससे उनको यह पता चले कि हमने आईजीएनपी में कुछ किया या नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि हमें आज की तारीख में टेल पर पानी नहीं मिलता। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं हनुमानगढ़ का मंत्री हूं, I am not the Minister of Hanumangarh. I am the Minister of Rajasthan. मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला जरूर हूं। मेरे लिए ऐसे ही जैसलमेर है, ऐसे ही हनुमानगढ़ है, ऐसे ही बांसवाड़ा है, ऐसे ही दूसरी जगह है, एवरी व्हेयर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार की बात से पहले मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगा माननीय सदन से माफी चाहते हुए, सेम की समस्या की स्थिति का मैं आपसे निवेदन करूं, सेम प्रभावित इलाके में जहां हमने अनूपगढ़ शाखा का जीर्णोद्धार शुरू किया, अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, सूरतगढ़ से आने वाले। सूरतगढ़ ब्रांच की आज इन्होंने मेरे को फोटो भी दिखायी। जहां वाटर था, आज वहां पर फसल खड़ी है। अब मैं माननीय डूडी साहब से यह पूछना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने अकेले आईजीएनपी का पूछा है You are the leader of opposition. Whole of Rajasthan. आपने माही का क्यों नहीं पूछा? आपने नर्मदा के बारे में क्यों नहीं पूछा? आप पूरे राजस्थान के हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो सब पूछना चाहते थे लेकिन आपने षड्यंत्रपूर्वक आरोप लगाकर मामला पूरा गड़बड़ करा दिया। क्या करें? बताओ आप।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिस्टम टेल फीड नहीं होती जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य या दूसरे आगे का, जो बीकानेर का पार्ट है, चिन्ता करते हैं कि हमें पानी कम देते हैं।

(24.00 बजे)

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां मेरे वाटर लोसेज हरिके बैराज से लेकर कैलकुलेटेड लोसेज 1100 होने चाहिए, उसकी जगह आज मैं 2500 क्यूसैक लूज कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो 1400 क्यूसैक उस नहरी सिस्टम का मैं कहां से लेकर आऊं क्योंकि Canal is very heavily damaged. कैरिंग कैपेसिटी कम हो गयी। अब आज माननीय सदस्यों ने चार में से दो ग्रुप चलाने की बात कही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी होते हुए भी चार में से दो ग्रुप इसलिए नहीं चलाये जा सकते, बड़ी मुश्किल आती है क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी खतम हो गयी। अब मुझे याद आ गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, कालू लाल जी वाला पूजा पाठ वाला दस्तूर तो करा लो, पूरे के पूरे 12 बज गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): वो गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, गये कहां, सो रहे हैं। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहरी तंत्र और इतना बड़ा सिस्टम, इसकी सेफ्टी के लिए ...(व्यवधान) चुप करो न।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): ताबीज कराना पड़ेगा कल शनिवार के दिन इनके। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.जी.एन.पी. इतना बड़ा सिस्टम है, इस सिस्टम के अन्दर कम से कम हर 50 आरडी के ऊपर क्रास रेगुलेटर होना चाहिए जिससे नहर में पानी पोंडेड रहे और बाहर का प्रेशर नहीं आकर के उसकी लाइनिंग के ऊपर असर नहीं पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कभी साथ लेकर चलूं, 200-200 आरडी के अन्दर क्रास रेगुलेटर्स नहीं है। जो नहर आज से 20-30 साल और अच्छी तरह से चलती उसको खराब हुए को 20-30 साल हो गये। माननीय उपाध्यक्ष

(डा. रामप्रताप)
महोदय, इससे कैनाल की सेफ्टी भी ज्यादा होती है साथ में उसके बीच में जो सिस्टम्स आते हैं उनको भी उनके हिस्से का पूरा पानी मिलता है क्रास रेगुलेटर्स की वजह से।

अभी पिछले दिनों हमनें फीडर पार्ट के अन्दर 583 बुर्जी के ऊपर एक क्रास रेगुलेटर का निर्माण करवाया, अब माननीय डूडी साहब नहीं हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप याद रखना, पिछले साल काम शुरू किया था और अब क्लोजर के टाइम उसको खोल कर के कैनाल के अन्दर चलाएंगे। एक साल के अन्दर रिकार्ड टाइम में पूरा किया है। एक क्रास रेगुलेटर 109 आरडी पर 2008 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यकाल में लास्ट में जाकर के हमने उसका वर्क आर्डर दे दिया था और डूडी साहब का राज आया, 2016 में पूरा हुआ। उसका पीरियड 08 साल का, हमने बनाया है वो एक साल के अन्दर बनाया और 15 गांव कम से कम 15 साल से तड़प रहे थे, उनको उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.जी.एन.पी. के बारे में कहने से पहले जाकर के देखना चाहिए। और हालात ये बना दिये कि जो 18 हजार क्यूसैक की कैनाल है और आपने उसके गेट 15 हजार के ही बना दिये, अब आपने 18 का क्यों नहीं बनाया? जब 18 की पूरी कैनाल की कैपेसिटी बना दी आपने तो उसके गेट्स 15 के क्यों बनाये? अब 15 बनाने के बाद में पास में वहां गुरुद्वारा साहब हैं, अब अगर आप बनाना चाहो तो आपके पास जगह नहीं क्योंकि राइट साइड में जाओ तो फीडर आ गयी। मानसून पीरियड में और कैनाल की अगर कैरिंग कैपेसिटी हो तो हमें कोई 15 से ज्यादा देना चाहे तो हम ले नहीं सकते।

तो ये कमियां-खामियां रहीं, उनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 500 क्यूसैक से बड़ा सिस्टम होगा या तीन से ऊपर गेट होंगे तो उसके गेट्स को आपरेट करने के लिए भी साइंटिफिकली चलना पड़ता है आपको, पहले बीच का गेट खुलेगा फिर साइड के गेट खुलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा गांधी फीडर का हरिके के ऊपर फर्स्ट और सैकिण्ड गेट दोनों खुल गये और बंद नहीं हो रहे थे, साइड वाले। उसके बाद में पैरेलल उसके फिरोज फीडर है, बीच का जो बैंक है वो कामन है, जब उसके ऊपर पानी का फोर्स पड़ता है, स्पाउरिंग होकर के उसका बैंक 15 फुट का रह गया, 15 फुट का बैंक रहने के बाद में उन्होंने पीछे से डैम से पानी बंद कर

(डा. रामप्रताप)

दिया। अब डैम से पानी बंद करने के बाद में, माननीय डोटासरा साहब, शायद थोड़ा-बहुत पानी आपके सीकर में भी आता होगा, 10-12 जिले हैं, पीने के पानी के लिए तरस जाते हैं। मैंने मेरे इंजीनियर्स को भी भेजा, मैं खुद वहां पहुंचा। उनसे हाथा जोड़ी करके कम कैपेसिटी में कि कम से कम पीने का पानी देओ, साथ में उसका रिपेयर शुरू करवाया। क्लोजर पीरियड के अन्दर मैं हरिके बैराज शाम को पहुंचा, सुबह मैं घूमने चला गया, दो किलोमीटर का ही फासला है। मेरे चीफ इंजीनियर 12 बजे आने वाले थे। मैंने उसके नीचे जाकर देखा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टील है वो गल कर के नीचे लटक रही थी It was a horrifying picture. अगर वो स्ट्रक्चर निकल जाए तो आपको दो साल ही पीने का पानी नहीं मिले। मेरे चीफ इंजीनियर आये, वो आगे काम चल रहा था उसको देख रहे थे, मैं ऊपर खड़ा था, ऊपर खड़े-खड़े मैंने आवाज दी कि, सारा कुछ देख लिया, कि देख लिया, मैंने कहा इसके नीचे घुसो। मैं भी चला गया। नीचे घुस कर देखा तो आंख खुली की खुली रह गयी। उसके बाद में मैंने कहा इसको हमें क्लोजर पीरियड में रिपेयर करना है। जिसके लिए शार्ट कटिंग वो कौनसी मशीन होती है, क्रीटिंग मशीन, कोटा से मंगवाकर के उसके स्टील की शार्ट कटिंग, ग्रीटिंग की गयी। और जब यह काम चल रहा था तो एस.ई. रैंक के पंजाब के अधिकारी, वो भी वहीं पर थे। उन्होंने नीचे जाकर देखा कि, भई, काम तो जोरदार हो रहा है। तो वो अपनी फिरोजपुर फीडर की साइड में गया उन वाली की भी यही हाल थी क्योंकि दोनों पैरेलल ही है, तो उन्होंने कहा कि हमारे वाली भी ठीक कराओ। मेरे पास मैसेज आया कि वो कह रहे हैं कि हमारे वाली भी ठीक कराओ। मैंने कहा यह अपने लिये इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इंदिरा गांधी है क्योंकि इस साइड वाली निकल गयी तो भी अपने गये, 60 साल हो गये हरिके बैराज को बने हुए को आपने गेट के ग्रीसिंग तक नहीं की और मुझे कहते हुए फख्र है इस बात का ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, आप इजाजत दें तो।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ऐसे उलाहने दे रहे हैं, 29 साल में 90 से लेकर के 19 साल आपका राज रहा है और 10 साल हमारा रहा है, 20 साल में केन्द्र में 10 साल हमारा राज रहा है और नौ, सवा नौ साल आपका राज हो गया। मतलब, राज्य सरकार तो आपकी 19 साल रही है,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

9 साल ज्यादा रही है 1990 से लेकर, हम तो केवल 10 साल ही राज में रहे हैं। तो आप हमें ही हमें औलमे दे रहे हो, थोड़े बहुत खुद भी लेओ। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1956 से लेकर 1992 तक इन्होंने कभी भी, 50 करोड़ रुपये भी केन्द्र की सरकार ने राज्य को नहीं दिये इस योजना में। केवल पहली बार 1977 में 50 करोड़ रुपये मिले, पहले कभी नहीं मिले, न बाद में मिले। यह रिकार्ड की बात है, यह मंत्रीजी बतायेंगे। मंत्रीजी, बताएं, कभी भी उन्होंने ऐड नहीं दी, 50 करोड़ रुपये भी नहीं दिये केन्द्र ने।

श्री उपाध्यक्ष: अब एक मिनट आप सब विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सी.एम. साहब, सी.एम. साहब, आप विराजो, मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्रिस्टल क्लीयर वहां मंत्रीजी जब चीज बता रहे हैं न तो let him do the explanation.

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने गलती की है कि तो मैं अपने को अलग नहीं कह रहा और न मेरी फितरत है ऐसे काम में उलझने की। यह तो आपके डूडी साहब ने पूछा है जब मुझे जवाब देना पड़ा। मेरे पास में उनका लैटर पड़ा है, आपको दिखा दूं। नहीं तो मैं इस पचड़े में ही नहीं पड़ता। अब आप कह रहे हो कि, भई, हमारा राज रहा, आप वो भी सुन लो। 2008 के मई के महीने में राजस्थान की एक मात्र मुख्य मंत्री हैं जिसने हरिके बैराज से लेकर तनोट की टेल तक इसका दौरा नहीं किया था नजदीक से बीमारी को, तकलीफ को देखा था। माननीय राजेन्द्र जी साथ में थे, स्वर्गीय सांवर लाल जी, हम तीनों ही थे, और देखने के बाद में, आप कान खोलकर सुन लेना, उसकी जर्जर हालत को देखते हुए 952 करोड़ रुपये का फीडर पार्ट का रिनोवेशन का इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिए केन्द्र सरकार को भेजा और 402 करोड़ का ब्रांच पार्ट का जीरो आरडी से लेकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि उस इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस को लैप्स कर दिया इनके राज में। 402 करोड़ तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिए नहीं भेजा, यहीं पड़ा रहा। अब आप यह बताओ, भई, 1100 की जगह मैं 2500 क्यूसेक लूज कर रहा हूं, आप उसको 1000 मान लो, 1400 की

(डा. रामप्रताप)

जगह 1000 मान लो, एक क्यूसेक पानी दोमट मिट्टी के अन्दर 365 दिन अगर किसान को दिया जायेगा तो डेढ़ करोड़ की उपज पैदा करेगा। यानी कि डेढ़ हजार करोड़ की ईयरली इनकम है उस किसान की, आप छीन लेते हो उससे।

और अगर वह इंवेस्टमेंट क्लीयरेंस होता तो आज से कितने साल पहले काम हो जाता? और यह सुन लो आप, आप कह रहे थे न कि आपका राज था, हमारे राज में तो हमने यह किया, उसके लिए भेजा और इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस लैप्स हो गया। दुबारा उसको रिवाइव करने के लिए अब हमने 32 सौ करोड़ 91 लाख का न्यू डवलपमेंट बैंक से लोन लिया है। ताली तो बजा दो, बजा दो, लोन लिया है जिसके अन्दर आईजीएनपी के टोटल मेजर सिस्टम्स को और माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि हमारी छोटी माइनर्स वगैरह डेमेज्ड हैं इन सबका जीर्णोद्धार होगा। इस जीर्णोद्धार से सेम समस्या के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि अगर कैनाल का रिनोवेशन हो जाएगा तो उसके बाद में लाखों एकड़ जमीन है जो सेमग्रस्त है वह सेम से बाहर आ जाएगी। यह कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, राज का मतलब नहीं है इसमें। प्रतिपक्ष के नेता, माननीय डूडी साहब यहां नहीं हैं, मुझे बड़ी उम्मीद थी, आज गांव चले गए बताते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ गंग कैनाल, तीस दिन के क्लोजर के अन्दर 60 करोड़ रुपए का काम कराया है, 60 करोड़ रुपए का। जिसमें एच डिस्ट्रीब्यूटरी है, आओ, आपको कभी ले चलूं, पहले तो 496 पर यह काम देखना फिर मेरे साथ में वहां चलना, बोर्डर के ऊपर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राइट बैंक के ऊपर उसके फैंसिंग है पाकिस्तान की, उधर पाकिस्तान है, बैंक के ऊपर फैंसिंग है। सुबह आ जाना चाहे, मेरे पास फोटो पड़े हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कैनाल इतनी हैवी डैमेज, कच्ची कैनाल, उस साइड की जमीन नीची, पाकिस्तान, पाकिस्तान पर चिल्ला रहे हो, वह पानी वहां से उस डैमेज कैनाल के अन्दर से पाकिस्तान साइड में जा रहा था और वहां पर ट्यूबवैल्स लगे हुए और अच्छी खेती हो रही थी, पानी हमारा, हमारा किसान सूखा बैठा है। उसका रिनोवेशन किया, 9 बजे से पहले तो वहां पर सिक्योरिटी पाइंट आफ व्यू से वहां बीएसएफ वाले जाने ही नहीं देते। शाम के 5 बजे के बाद रहने नहीं देते। फिर ऊपर उसमें क्या है ट्रांजिट पाइंट से हाइट ज्यादा होती है तो उधर आब्जेक्शन

(डा. रामप्रताप)

होता है और उधर से पाकिस्तान वाले देखते हैं, उनकी नजर पड़ जाए तो वह आब्जेक्शन कर दें तो वह काम अटक जाए। तो रेंजर्स की और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग्स होती है, मैं वहां देखने गया तो मुझे उन आफिसर्स ने बताया, हालांकि उन्होंने आब्जेक्शन तो नहीं किया लेकिन वह कैनाल के ऊपर से आकर इस साइड के पास में उनकी चैक पोस्ट थी तो वह बोले कि पाकिस्तान वाले रेंजर्स हमें कहते रहते हैं कि इसको पक्का तो बना लो लेकिन इसका बैड कच्चा रखना, तो कम से कम नीचे से तो पानी जाता रहे। आज आप उस कैनाल को देखो तो दो घड़ी देखने वाली कैनाल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रहूं कि नहीं रहूं, मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य रहूं कि नहीं रहूं, मैं इस संसार में रहूं कि नहीं रहूं लेकिन माननीय डोटासराजी, जो काम किए हैं उनको दुनिया याद करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत सी बातें हैं, लम्बा-चौड़ा नहीं जाकर उदयपुर के बारे में थोड़ा सा जिक्र करके बात को समाप्त करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर का जिक्र जरूर करूंगा। धौलपुर लिफ्ट, नाम रहता है आदमी का, आदमी परमानेंट नहीं रहता। Dholpur Lift was envisaged by non else than Sardar Jagdish Singh. जो 1977 में एमएलए बने, उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घड़ियाल सैंक्चुअरी का मैटर है, लटकती रही, चलती रही, राज बदल गया क्योंकि उसमें वाइल्ड लाइफ का एलीमेंट आने के कारण से सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड कमेटी आई, वह इसको क्लीयर करती है, 2007 से लेकर 2014 तक it was a dead issue. 2014 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आने के बाद में इसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाकर इसको और करौली वाली को, दोनों को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लीयर करवाया। न केवल क्लीयर करवाया बल्कि धौलपुर लिफ्ट सिस्टम, मेरी जहां तक जानकारी है हिन्दुस्तान का एकमात्र इरिगेशन सिस्टम है जो टोटली कम्प्यूटराइज्ड है from head to the farmers' field. Totally computerised.

इसी के साथ-साथ परवन का भी जिक्र जरूर करूंगा, अब मेरे याद आ गया। यह भी मेरी तरफ से मैं नहीं कह रहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय बोल रहे थे, उन्होंने पूछा था कि परवन का चार साल में क्या किया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बहुत धीर गम्भीर आदमी हैं और बहुत ही निष्पक्ष भाव से काम करते हैं। आपकी कार्यशैली का मैं कायल हूं। मैं आपको

(डा. रामप्रताप)

डाकूमेंट्स दे देता हूं, मेरे से कोरे कागज पर दस्तखत करा लें और माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बिठा लें। मुझे गुस्सा इस बात का है कि पब्लिक एक्स-चैकर, हम इसको ruthlessly इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परवन प्रोजेक्ट जिसका सर्वे 2005 में माननीय वसुंधरा जी ने शुरू करवाया उसके बाद में इसकी क्लियरेंसेज अलग-अलग स्टेज पर जैसे फोरेस्ट की है, एनवायर्नमेंट की है, इन क्लियरेंस के लिए भेज दिया। भेजने के बाद में राज चला गया। जाने के बाद में रूटीन में ही वहां से वापस आते गये। Nobody took care about it. और उसके बाद में जब 2012 के करीब पता नहीं इनको कैसे याद आ गई, चुनाव नजदीक आ गये तो इसमें बारां भी है, कोटा भी है, झालावाड़ भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा तो अनुभव नहीं है लेकिन जितनी चीजें मेरी जानकारी में हैं, इस किस्म का शिलान्यास मैंने जिन्दगी में नहीं देखा। न उसकी फोरेस्ट क्लियरेंस, फोरेस्ट क्लियरेंस में अपन ने शायद 350 करोड़ लगाये, क्योंकि फोरेस्ट के डाइवर्जन की कोस्ट है, और है, उसके सैकिण्ड स्टेज में देने पड़ते हैं। न उसकी आपके एनवायर्नमेंट की क्लियरेंस, न आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, न आपकी टीएसी। अब चुनाव आ गये तो उसका शिलान्यास करना था। मैं यहां माफी चाहते हुए कहूंगा, नहीं तो कल को फिर आप डिलीट कराते फिरोगे, जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक भले आदमी से उसका शिलान्यास करवा दिया। इतना कोई भी आइटम नहीं है, वर्क आर्डर तो दूर की बात है, आपने उसका लैण्ड एक्वीजिशन नहीं किया, जिसकी जमीन डूब क्षेत्र में आ रही थी उसको आप मुआवजा नहीं दोगे? No acquisition. No 'dhara' No execution. No compensation. और वहां ले जाकर आपने शिलान्यास करवा दिया। मैं रोषपूर्ण तरीके से कहता हूं कि यह शिलान्यास नहीं था, यह सत्यानाश था और इसको भाटा कहें तो मैं गलत नहीं कह रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हीरा है वो भी तो पत्थर होता है और जब उसको तराशते हैं तभी तो वह हीरा कहलाता है। तो चाहे वो ग्रेनाइट था लेकिन जिस रूप में लगा उस रूप में तो उसको भाटा ही कहेंगे। हमारा राज आने के बाद में टोटल क्लियरेंसेज कराकर, I am subject to correction. मेरे खयाल से 350 करोड़ रुपये तो हमने फोरेस्ट से डाइवर्जन के लिए दिये और हर साल उसमें बजटरी प्रोविजन रखा, कम से कम 1000-1100 करोड़ रुपये का हम कम्पनसेशन दे चुके। टोटल क्लियरेंसेज के बाद में विधिवत रूप से उसका शिलान्यास हुआ है, उसका काम चल रहा है। Everything is on. हां, काम थोड़ा धीमा चला रहा है,

(डा. रामप्रताप)

उससे मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूं। I am reviewing it at every stage. लेकिन विधिवत रूप से। उसके लिए आप मेरे से पूछ रहे हो कि चार साल में गवर्नमेंट ने क्या किया। अब मुझे न छेड़ो तो मैं ऐसी सूगली बातें कैसे बताऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा का ऐसे किस्सा मेरे यहां पर आईजीएफ का जो 583 पर क्रास रेगुलेटर मैंने बनाया, जनता जो सूगले काम करती है, नकली काम करती है वो देखती है, बेबस है, बोलती नहीं है लेकिन उसकी आत्मा बहुत दु:खी होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन एमएलए साहिबा ने जब चुनाव नजदीक आये तो वहां नहरों में पानी जा नहीं रहा था तो उसने वहां पम्प हाउस लगाने के लिए भाटा लगा दिया ग्रेनाइट का। अब पम्प हाउस क्रास रेगुलेटर का काम थोड़े ही करेगा। जब मैं उसकी शुरूआत करने के लिए गया तो बड़ा सुन्दर सा वो लगा हुआ और बीच में छेद At a very technical set. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो किसी गरीब ने गुस्से में मारा कि इसको लगाया किसलिए, हमें लाभ क्या हुआ इसका? अब जो क्रास रैगुलेटर है उसका जहां पर निर्माण हो रहा है वहां पर एक बुजुर्ग था जिसके हाथ में गेड़ी थी।

मेरे पास खड़े-खड़े उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर आपको नहीं जंचे तो मेरे साथ आना, किशन बाबू नाम है और नगराणा गांव है। आप उसका कर्जा माफ कर रहे हो। जब उसको ड्यू शेयर पानी का नहीं मिलेगा तो मरेगा ही, कर्जे में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर स्तर से हमने किसान को, चाहे खाळों का, कच्चे खाळों से पक्के खाळों में करने में सबसे ज्यादा हैवी लासेज 30 परसेंट उसी में होते हैं। चाहे गंग कैनाल है, चाहे भाखड़ा है, चाहे आपके नोहर सिद्धमुख है, चाहे आपके इधर बीसलपुर में, चाहे चंबल में।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय, 29 साल हमारे किसानों की आंखों में आंसू ही आए हैं, सिद्धमुख वितरिका का भी आप थोड़ा-सा बता देना, आप उनको पानी कब तक पहुंचा दोगे। इनका पत्थर वो भी 1989 में इन्हीं का लगाया हुआ है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): अब ये नये-नये पंगे ले रहे हैं बिना मतलब के। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एग्जेक्ट डेट तो पता नहीं है, शायद 2002 की या पता नहीं कब की बात है, उसका लोकार्पण कहते हैं जिसको, वह सोनिया जी से कराया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सोनिया जी का बहुत दुरुपयोग किया है इन्होंने।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): I have failed to understand. न आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, न आपने आउटलैट लगाए, एक क्लोज चैनल का आपने उसका उद्घाटन करा दिया। उसके fall-outs के लिए मैं आगाह कर रहा हूं। I am facing that problem now. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें पानी पड़ा है तो किसान पानी के लिए तरसता है। अब उसने ट्यूबवैल लगाकर के पानी उठाना शुरू कर दिया। पानी उठाया तो फसल हुई। उसने किया तो मैंने भी पड़ोस में कर लिया। अब यों करते-करते जब वह सिस्टम डवलप हुआ, अब उनकी चोरी की आदत पड़ गई। अब वे चोर बन गए। बनाया किसने? अगर यह गंदा काम नहीं करके पूरा सिस्टम डवलप करके आप उसकी शुरुआत कर देते, चोर किसी को कहना, अगले आदमी की इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होगी, बनाया किसने? अब वह सिस्टम इतना कॉलैप्स हो गया कि with the best of my efforts of my Engineers of the Administration, I am yet to feel that the tale end... ये इसने इसका कचरा कर दिया। इस तरीके से मेरा आपसे निवेदन है कि चलाकर के क्यों पंगे लेते हो? अब मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? वो माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे पूछो। एक भी अनूपगढ़ शाखा हो, सूरतगढ़ ब्रांच हो, एक का भी लेवल सही नहीं और लेवल सही नहीं होगा तो किसान के लिए वह कैंसर का काम करेगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मंत्री महोदय, इनके साथ ही क्यों ले लिया आपने। मुझे इनके साथ मत लो आप तो। इनके भुगते हुए हैं। अब आप कर दो तो हमारी खुशी होगी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): नहीं, नहीं, आपको साथ नहीं लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं मेरी आखिरी बात आपसे निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। सूरतगढ़ ब्रांच पर एक झोरियांवाला चक है। वहां पर एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है। सेम की समस्या लंबे समय से है। जो भी एफर्ट्स हुए, चाहे वे हाफ-हार्टेड थे, कैसे भी थे, टोटलिटी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। वो चक है, वहां पत्थर लगा हुआ आपके रामप्रताप जी कासनियां का। He is from BJP. उससे पहले भैरोंसिंह जी ने रंगमहल में escape में वहां पर बनाया था तो उसका किसानों ने ऐतराज किया। वो भी उन्होंने बनाया था। चला, नहीं चला, यह अलग बात है। अब वो पंप हाउस जहां हमने

(डा. रामप्रताप)

बनाकर छोड़ा था, आपके कार्यकाल में उसका ट्रांसफार्मर लोग चुरा कर ले गए। जब मेरी जानकारी में यह आया तो मैंने बिजली वालों से कहा कि भई आपके चोरी हो गई तो आपको एफआईआर करानी चाहिए थी, तो वे थोड़े गिल्टी हो गए तो मैंने कहा, कल शाम तक दूसरा लगना चाहिए। हमने उसकी सिल्ट क्लियरेंस की... मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई माननीय सदस्य मेरे साथ चले, जिनके खेत में एक हरा पत्ता नहीं होता था, एक-एक किसान के 10-10, 12-12 लाख की पैडी हुई...और वो अगर यहां आ गए तो मैं कम से कम डोटासरा साहब से तो जरूर मिलवा दूंगा। अब वो अच्छी होल्डिंग के मालिक हैं, लेकिन जब खेत में एक पत्ता ही नहीं होता तो उनका गुजारा कैसे हो। कैसे पशुधन को रखें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक मार्मिक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो अच्छी होल्डिंग के थे, जब उनके सेम नहीं थी तो आगे रिश्तेदारी भी उसी लेवल की थी। अब जब सेम आ गई तो दूसरे रिश्तेदारों से दाना लेकर आते हैं, चारा लेकर आते हैं तो ब्याह-शादी में वो कहां से खर्चा कर देंगे, तो उनकी लड़की का मायरा था और उस घर में दो-तीन शादियां इकट्ठी, joint family थी। वो लड़की अपनी ससुराल से रात को आई। अपने मां-बाप को पांच लाख रुपए देकर गई। पिताजी आप आओगे, दूसरे रिश्तेदार मायरा भरेंगे, आपके पास में खाने के दाने नहीं हैं, अपनी बेइज्जती होगी, ये पांच लाख रुपए ले लो। ऐसी दयनीय स्थिति थी। आज उनके 10-10, 12-12 लाख की पैडी हो रही है। उस दयनीय स्थिति वाले को आप 50 हजार का कर्जा माफ कर दो। क्या हो जाएगा उसमें। आपका कर्जा रिलीफ देगा या 10-12 लाख की पैडी उसको रिलीफ देगी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत-सी बातें हैं। अभी एक माननीय सदस्य बहुत देर से...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने जो काम रोका, वो बताओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): इन्होंने तो बहुत-से काम रोके हुए हैं। मेरे पास में रिपोर्ट है। 15-15, 18-18 साल...अभी एक माननीय सदस्य पिंड का बता रहे थे। पिंड का काम इन्होंने कई साल तक रोके रखा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट मंत्री महोदय, अगर ये इसके लिए माफी मांग लें तो, फिर तो छोड़ दो, साहब।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मंगवाओ माफी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इनको माफ करो अब।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में गरड़दा बांध। (व्यवधान) देखो, टैक्निकली कोई चीज हमारे यहां भी खराब बन सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है। 2010 में बना, बनते ही कॉलेप्स हो गया, टूट गया वो। आने के बाद में आपने कुछ नहीं किया, पड़ा ही रहा वो ऐसे। हमारे आने के बाद में हम डरे हुए थे कि दुबारा नहीं इस तरीके से हो जाए इसकी सॉइल टैस्टिंग नहीं कराई, CWC के मार्गदर्शन में अभी उसका निर्माण हो रहा है, तो आप ही बना सकते हो। क्यों किसी को 50 हजार देते हो? उसके घर गरड़दा बांध होता, पानी आता, सिंचाई होती, फसल होती तो 50 लाख की फसल होती वहां पर। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये आपके सामने जो पिंड वाले माननीय सदस्य बता रहे थे बांध की बात, बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं वो। ऐसी बहुत-सी जगह हैं, जिनको Dam structure बनने के बाद में उसको वहीं स्टाप कर दिया। हमारे साथ आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, उस गरीब के साथ में कौन-सी प्रतिद्वंद्विता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास घोषणाएं तो बहुत हैं, परन्तु सुनेगा कोई नहीं इतनी देर। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में वाड़िया की खोरी ग्राम पंचायत चांदोली में एनीकट बनाने की मांग को तकनीकी रूप से उपयुक्त पाए जाने पर आवश्यक स्वीकृति। ग्राम पंचायत केली के रंठाजाना गांव तथा अरनिया जोशी से कृपारामजी के खेड़े के रास्ते पर पुलिया कार्य का निर्माण। सवाईमाधोपुर जिले के खण्डार विधान सभा क्षेत्र में लोलाई देह परियोजना हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड से स्वीकृत कराने के प्रयास किए जाएंगे। टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में भोण्डवाडा एनीकट के निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ओखला से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है। यह सात महीने का काम है, घोषणाओं की बातें कर लो, काम तो हम ही करेंगे 10 महीने बाद।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो गर्मियों की छुट्टी में घर आता था तो थोड़ा शहर वगैरह में पढ़ते हैं तो थोड़ा इधर-उधर से बातों का ज्ञान हो जाता है। बुजुर्ग

(डा. रामप्रताप)

बैठे रहते, वे आपस में हंसाई करते, बात करते तो मैं बीच में बोलता तो कहते, तू चूप रह, तू टाबर है। तू चुप रह, तू टाबर है। मतलब मेरी बात का जवाब नहीं तो मेरा मुंह बंद करने के लिए हथियार था उनके पास। इसी तरीके से माननीय सदस्यों के पास में ये 7-8 महीने, क्या आना-जाना, क्या होगा इसमें। आप इसको गम्भीरता से क्यों नहीं ले रहे? आदत से मजबूर हो। (व्यवधान) ओखल से मिलने वाले यमुना के पानी से प्रस्तावित योजनाओं की वितरण प्रणाली प्रेशर सिंचाई व्यवस्था से बनाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेशर आ गया बीच में, ये हमने पूरा इर्रिगेशन सिस्टम जो नया डवलप होगा, That will be on pressure irrigation. यह माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। पानी की बचत की जाएगी तथा बचे हुए पानी को सीकरी बांध में डालने के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाएगा। मालपुरा-टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में नमूकिया एनीकट निर्माण पर 3.25 करोड़ तथा डूंगरी एनीकट निर्माण पर 4 करोड़ रुपए तथा भोमिया जी लांबा हरिसिंह डब्ल्यू एच एस निर्माण पर 1 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में सुराघाटा फीडर के निर्माण पर 2.90 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। चाकसू विधान सभा क्षेत्र में चंदलाई बांध की फीडर के जीर्णोद्धार का काम कराया जाएगा।

दूदू विधान सभा क्षेत्र में छापरवाड़ा बांध की इटगोई फीडर एवं नहरों, बामनवास विधान सभा क्षेत्र में मोरेल बांध की ईस्ट कैनाल की मरम्मत, केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में गजसागर बांध की मरम्मत तथा देवली उनियारा विधान सभा क्षेत्र में गलवा बांध की नहरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घाट पिकअप वीयर की नहरों का जीर्णोद्धार, यह घाट पर मुझे याद आया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को जैसे-जैसे याद आया, गुड़गांवा नहर कैनाल से एक घाटा पोर्शन है जो टोटल ही एक किस्म की टनल है डेढ़ किलोमीटर की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 1996 से टोटल ही सिल्टेड है और उसमें सांप और बिच्छू थे। जब पानी आगे नहीं जाता तो आगे कैनाल का जो पार्ट है वहां किसानों ने जोत कर खेती शुरू कर दी। 2016 में उस नहर को क्लियर करवाकर टेल तक उस नहर का दुबारा निर्माण कराकर उसमें किसान को पानी दिया और सिंचाई करवा दी। इसी तरीके से आपके बारां वीयर, जयसमंद फीडर, पीछे से किसानों ने साफ कर दिया और पानी नहीं आया तो सिल्टेड हो

(डा. रामप्रताप)

गई। उसको क्लियर करवाया और पिछले साल जब पानी आया तो जयसमंद में पानी आया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, आपकी नजर में हमने कोई अच्छा काम भी किया तो एक-आधा वो भी बताओ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): ध्यान आसी तो बता देऊं। हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में देव बाबा एनीकट के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाएंगे।

डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में भरतपुर फीडर, भरतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी एवं सजोला माइनर की मरम्मत के कार्य चरणबद्ध तरीके से कराये जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गुड़गांवा मेन कैनाल का इश्यू आ गया, यह हमारी उस रिव्यू कमेटी की मीटिंग में जो पिछले दिनों हुई है जिसमें यमुना वाटर का डिसाइड हुआ। उसमें हमने थैप्ट के केसेज जो हरियाणा करता है यह बात भी वहां पर रखी तो इसके अन्दर माननीय गडकरी जी ने खुद ने कहा कि इसमें टेलिमेटरी सिस्टम लगाया जाएगा। टेलिमेटरी सिस्टम से ये जो चोरी-चकारी करते हैं, कभी कहते हैं कि पीछे से कम आया, कभी कहते हैं कि आगे से कम आया तो उसके ऊपर रोक लगेगी।

टोंक विधान सभा क्षेत्र में चंदलाई बांध की नहरों के पुनरुद्धार कार्य को आवश्यकतानुरूप करवाया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में सिणेर अन्नपूर्णा माताजी बांध तथा नाल खेडाणा नाडा बांध निर्माण के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मुम्बारी एनीकट, कुम्पावास एनीकट, तेलवाड़ा ऐलाना बांध निर्माण तथा लूणी नदी की कुल लम्बाई 22 कि.मी. में आवश्यकतानुरूप चरणबद्ध तरीके से चैक डैम निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

मामाजी का स्थान महिलावास, सैला, पीपलू, कांखी कुआं बेर, जिनपुर, गोगामाड तेलवाड़ा, भागवा नारेलीमाता, धीरा पुराना खेड़ा तथा मांगी प्रथम एवं द्वितीय एनिकटों की मरम्मत का काम किया जाएगा। लूणी नदी में कोटड़ी, करमावास एवं समदड़ी तथा लालाना में बाढ़ से होने वाली क्षति को बचाने के लिए आवश्यक प्रोटेक्शन के काम करवाये जाएंगे।

गोयना भाकर में एनीकट तथा हेमावास से बाकली नहर के प्रस्ताव का तकनीकी रूप से परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(डा. रामप्रताप)

मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में चावण्डिया एनीकट की मरम्मत तथा जोगड़ावास बांध प्रथम एवं द्वितीय के फेस वाल निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, धारिया बांध, जिसका आपके पी.ए.सी. का पैरा बना हुआ था और बहुत लम्बे समय से लटका पड़ा था, काफी बड़ी कैपेसिटी का बांध है। उसके एग्जैक्ट अमाउंट का तो मुझे पता नहीं है शायद 40 या 50 करोड़ की लागत से हम उसका दुबारा निर्माण करवा रहे हैं।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तिकी देवरी धाम एनीकट का निर्माण कराया जाएगा।

नावां विधान सभा क्षेत्र में बावड़ी बांध के पुनरुद्धार का कार्य करवाया जाएगा।

बाली विधान सभा क्षेत्र में आमलिया बांध के जीर्णोद्धार का कार्य जायका के सहयोग से तथा मादरा की नाल बांध का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। बाली तहसील में 12 तथा देसूरी तहसील में 5 सब सरफेस बेरियर के निर्माण चरणबद्ध तरीके से नाबार्ड से वित्त पोषित कराकर किया जाएगा।

जालौर विधान सभा क्षेत्र में भागली सिन्धलान के पास एनीकट निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के बिठूजा से बालोतरा तक लूणी नदी में आवश्यक बाढ़ बचाव कार्यों के कार्य हेतु चरणबद्ध तरीके से आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर आपके भीनमाल में एक सागी नदी है जिसके अन्दर जूलीफ्लोरा इतना हो गया कि उससे सिल्ट-अप होकर उसने अपना डाइवर्जन ले लिया और बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। अब हम उस पूरे जूलीफ्लोरा को क्लीयर कराकर उसमें प्रोटेक्शन वर्क कराएंगे।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जैतपुरा एवं राजकीवास बांध का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। वणधर बांध की मरम्मत का काम शीघ्र पूरा किया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बाला की ढाणी बांध के रिनोवेशन का कार्य ड्रिप योजना में करवाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल, यह मैं बोल दिया। आहौर विधान सभा

(डा. रामप्रताप)

क्षेत्र में भैसवाड़ा डाइवर्जन चैनल को सरदारगढ़ बांध तक बढ़ाने तथा बीबलसर में एनीकट बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण कराकर उपयुक्त पाये जाने पर आवश्यक स्वीकृति जारी की जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र पोकरण में खुहड़ा गांव की खुहड़ा नदी में दो एनीकटों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में महादेव एनीकट निर्माण कार्य एवं गोडाणा बांध ओवरफ्लो रेजिंग का कार्य कराया जाएगा।

बागोलिया बांध को भरने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हाईली डेफिसिट पार्ट है पीएचईडी के कम्पोनेंट के हिसाब से बागोलिया का, माननीय सदस्य बैठे हैं। बागोलिया बांध को भरने के लिए फीडर बनाने की डी.पी.आर. का कार्य जून, 2018 तक पूरा हो जाना सम्भावित है, इसकी डी.पी.आर. बन रही है और उसके पश्चात् इस काम के लिए वित्तीय प्रबन्धन किया जाएगा। उदयसागर बांध एवं इसकी नहरों का जीर्णोद्धार पर 65 करोड़ का व्यय जायका से वित्त पोषित कराकर किया जाएगा।

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में रेहटो का नाका की नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा।

निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के कोछवा, कैलाश नगर कोटड़ी, श्मशान घाट कोटड़ी तथा बजेडवाला एनीकट की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित सादी बांध की नहरों की मरम्मत, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में वागन सिंचाई परियोजना की नहरों का सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाएगा। मामादेव से बड़वई तालाब को जोड़ने के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत की जाएगी।

चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कालुसेड़ा एम.एस.टी. के निर्माण पर 4 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में 7 करोड़ रुपये की लागत के माण्डविया एनीकट का कार्य कराया जाएगा। गुंजल का नाका पीथापुर बांध का कार्य आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त कर कराया जाएगा। चामुण्डा माता एनीकट निर्माण के प्रस्ताव का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अपरघोड़ी बांध की नहरों के जीर्णोद्धार का काम कराया जाएगा। नया गांव फरास पर एनीकट

(डा. रामप्रताप)

बनाने के प्रस्ताव का हाइड्रोलाजी के आधार पर परीक्षण करवाया जाकर उपयुक्त पाये जाने पर कराया जाएगा।

बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में झाम्बुरीवाला तथा बड़वाला एनीकट निर्माण के लिए 3.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। हाण्डीकुण्डी वाले नाले पर एनीकट, काकन सेजा तथा दानपुर लिफ्ट के लिए सर्वे का कार्य कराया जाएगा।

कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बालाचूना कुण्डियावाला नाका, फरणियादेव नलवई, खूटा, ठूमट एवं खाण्डा घाटा एनीकट का निर्माण आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त होने पर कराया जाएगा। आवश्यक क्लियरेंस इसलिए कि यहां पर ज्यादा फोरेस्ट के एलीमेंट आते हैं।

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में देवद कराडिया सिंचाई परियोजना हेतु सर्वे तथा डी.पी.आर. बनाने का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। ओ थोड़ो झांसो सो लागै है, डी.पी.आर. ज्यादा आगे चली गई।

राजसमन्द बांध एवं नंदसमन्द बांध की नहरों के पुनरुद्धार का कार्य नाबार्ड से वित्त पोषित कराकर किया जाएगा।

भीम विधान सभा क्षेत्र में दातो के देव एनीकट के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा।

आसपुर विधान सभा क्षेत्र में सोनारमाता एनीकट को नाबार्ड से वित्त पोषित कराकर आगामी वर्ष में कराया जाएगा। साथ ही देव सोमनाथ एनीकट का सर्वे कराकर निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर निर्मित कराया जाएगा।

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में हरचन्द तालाब एवं नहरों की मरम्मत नाबार्ड से वित्त पोषित कराकर करायी जाएगी। केजड़ तालाब में पानी की उपलब्धता होने पर नहर संख्या 4 के निर्माण का काम कराया जाएगा। उपलागुडा एनीकट तथा झामरी, गोमती एवं टीडी नदी पर जीरो लेवल बैरियर निर्माण के प्रस्ताव को तकनीकी रूप से जांच कराकर उपयुक्त पाये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में फूटा एवं दाडमिया एनीकट तथा सेमारी की नहरों की मरम्मत का काम कराया जाएगा। घाटकोन तथा कहरी घाटी एनीकटों की मांग के प्रस्ताव तकनीकी रूप से परीक्षण कराया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(डा. रामप्रताप)

घाटोल विधान सभा क्षेत्र में बोरीवान घाटी की नहरों की मरम्मत एवं लाम्बा डाबरा तालाब की दायीं नहर का निर्माण तथा बायीं नहर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा एवं साथ ही बामनपाड़ा, टोपिया डूंगरी, बलौता का खेड़ा, सिंगपुरा, माटीया एवं उण्डावेला गांवों में एनीकट निर्माण का काम कराया जाएगा।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के लोडीसर बांध की नहर की मरम्मत का काम पूरा किया जाएगा एवं डागोला कोकापुर एनीकट का निर्माण कराया जाएगा।

कपासन विधान सभा क्षेत्र में पहुना एनीकट के सुदृढ़ीकरण के काम के साथ-साथ मातृकुण्डिया एवं मेजा फीडर मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाएगा।

गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में अरथुरा डिस्ट्रीब्यूटरी की लालपुरा माइनर के नवाघरा में एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही गोविन्दपुरा, नवाघरा, रोहालवाले नाले पर तथा पनासी बड़ी नाले पर एनीकटों का निर्माण कराया जाएगा।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) विधान सभा क्षेत्र में अरवर बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य डी.एम.एफ.टी. मद से 5 करोड़ रुपये स्वीकृत कर कराया जाएगा।

कुम्भलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में धोबीघाटा एनीकट की मरम्मत करवाकर पूरा कराया जाएगा। साथ ही खोबा का नाका से लक्ष्मण सागर तालाब फीडर, काबरी तालाब में आव नहर तथा हाजेलावास तालाब में आव नहर के निर्माण की मांग का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

सांगोद विधान सभा क्षेत्र में कनवास डाइवर्जन योजना के प्रथम चरण को मिनरल फण्ड से पोषित कराकर क्रियान्वित किया जाएगा। चन्द्रावाला एवं हिंगी एनीकटों हेतु 4 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी। दीगोद लिफ्ट योजना के पुनरुद्धार हेतु जायका से वित्तीय स्वीकृत कराने के प्रयास किये जाएंगे।

आवां एवं किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजना की फिजिबिलिटी एवं बी.सी. रेशो का पुन: परीक्षण कराया जाएगा।

कोटा शहर के शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर गैर कृषि गतिविधियों के

(डा. रामप्रताप)

कारण 1,600 हैक्टेयर जमीन को डी-कमांड घोषित करने की मांग के परीक्षण के उपरान्त ऐसा होने पर इससे बचने वाले पानी के उपयोग हेतु आवश्यक योजना बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में पीएचईडी द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने पर काला खाखरा एनीकट की ऊंचाई बढ़ाई जाने तथा आहू नदी पर घग्घर इनलेट का कार्य पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करके किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ईसरदा का मैं बताना भूल गया था...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, अभी कौनसा दिन उग गया है। आप तो आराम से पढ़ो। आप इनको भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोरम की पूर्ति है, वह तो जो जग रहे हैं, उनसे मानी जाएंगी या उपस्थित हैं जो सो भी रहे हैं, उनसे भी मानी जाएंगी। वह बता दो बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): मैं तो बिन पढ़े ही बोल रहा हूं। नहीं, आप मेरे से धाप गये हैं तो आप जा सकते हैं। नहीं तो आप बैठकर सुन लो।

मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में तलावड़ा एवं कांवड़िया खेड़ी परियोजना में सिंचाई तंत्र का पुनरुद्धार किया जायेगा तथा नये माइक्रो डैम निर्माण की मांग के तहत सर्वे करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

डग विधान सभा क्षेत्र में रोसाणा तालाब एवं रावलसादड़ा के पास माइक्रो डैम तथा रेवा नदी पर नारायण खेड़ा एनीकट का निर्माण कराया जाएगा।

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर राजपुरा एनीकट के निर्माण हेतु छह करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाएंगे।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में छोटाजिना लघु सिंचाई परियोजना निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये, लाम्बाडेह एनीकट निर्माण हेतु चार करोड़ रुपये तथा हाथीबारी थिरिया परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक राशि नाबार्ड से स्वीकृत कराने के प्रयास किये जाएंगे।

छबड़ा छीपाबड़ौद विधान सभा क्षेत्र में 330 करोड़ रुपये की अंधेरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंधेरी और हथियादेह, ये पूछ रहे थे न कि कितने

(डा. रामप्रताप)

साल लगेंगे। हथियादेह और अंधेरी, दोनों सिंचाई परियोजनाओं को मध्य प्रदेश से बहुत लम्बे समय से, शायद 10-15 साल से हमें एनओसी नहीं मिली थी। आज हमें एनओसी भी मिल गई है और इसके लिए 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विस्तार ढाई करोड़ रुपये व्यय कर किया जाएगा।

रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में आहू नदी पर बड़ोदिया आंतरी के पास तथा पाटली नदी पर जुरमनी तथा ग्राम गुडवा में एनीकट निर्माण के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जाएगा।

बेगूं विधान सभा क्षेत्र में राणाप्रताप सागर बांध की नहरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में मेहराणा खाल से सुल्तान सब-ब्रांच में खराहो नाला से किशनगंज डिस्ट्रीब्यूटरी में नोनेरा के खाल से गोता डिस्ट्रीब्यूटरी में तथा लोहावट खाड़ी से अयानपुरा एवं लक्ष्मणपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी डालने के प्रस्ताव का सर्वे कराकर क्रियान्वयन कराने का प्रयास किया जाएगा।

रामसिंह आंता में जोगीदेह एनीकट, कोटड़ी का निर्माण कराया जाएगा।

विधान सभा क्षेत्र बूंदी में झामरिया ग्राम पंचायत, भैरूपुर बरड़ में एनीकट का निर्माण कराया जाएगा तथा ठीकरिया चारणान में अधूरे पड़े एनीकट को पूरा कराया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आफिसर्स गैलेरी से एक पन्ना ही एक बार में आ सकता है या 20 पन्ने पंच करके आ सकते हैं? बस यह बता दो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह तो पन्ना है। मेरे हाथ का लिखा हुआ आ जाएगा तो वह भी करूंगा। (व्यवधान)

केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में गांव करणपुर में नये एनीकट का निर्माण कराया जायेगा।

अटरू विधान सभा क्षेत्र में कोकड़ा में तालीवाड़ा नाले पर पूर्व में

(डा. रामप्रताप)

निर्मित एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने एवं गांव बडोरा के पास आचोली एनीकट की हैजिंग एण्ड सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव का परीक्षण कर आवश्यकतानुरूप कार्यवाही की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माही हाई लेवल कैनाल और अपर हाई लेवल कैनाल, अपर हाई लेवल कैनाल है, उसके मेरे पास में कागज हैं, अभी वह कई देर मिलेंगे नहीं, उसका पीपलखूंट तक 40 किलोमीटर का निर्माण करवाएंगे और इधर हाई लेवल कैनाल है, इसके पास के ये तीन-चार तहसीलें हैं। मेरे पास नाम लिखे हुए हैं। इनको इससे लाभ मिलेगा और जो भी हम सिंचाई परियोजना का निर्माण करेंगे, उसमें लोगों को परेशानी नहीं होगी। उनका विस्थापन नहीं हो, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

इसमें राजस्थान के अन्दर आपके झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर और डीएमआईसी को फायदा होगा।

यह तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। माही बांध से लगभग 2,000 करोड़ रुपये की लागत की अपर हाई लेवल कैनाल, इसमें गांगड़तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तथा बागीदौरा तहसीलों के लगभग 26,000 हैक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

माही बांध से पीपलखूंट तक लगभग 40 किलोमीटर लम्बी हाई लेवल कैनाल का निर्माण, इस परियोजना से पीपलखूंट खेत के लगभग 4,000 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी।

देवास थर्ड और फोर्थ, 1,000 करोड़ रुपये की लागत से इन बांधों के निर्माण से 1,000 एमसीएफटी पानी बचाया जा सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने आईजीएनपी की फर्स्ट स्टेज का जीर्णोद्धार का काम किया था। अब सैकिण्ड स्टेज के लिए आपके कंवरसेन लिफ्ट है और बीकानेर से आगे जैसलमेर साइड में बीच-बीच में जितनी भी नहरें हैं, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, चाहे दांतोर है, चाहे बरसलपुर है, चारणवाला है, इन सारे सिस्टम को, इनका रिनोवेशन किया जाएगा। आगे शहीद बीरबल शाखा का भी है, भोंटावाली, नाचना, अवांई, सांकड़िया नहर प्रणाली का, जिनकी अनुमानित लागत अलग-अलग है, इन सबका जीर्णोद्धार कराया जाएगा।

(डा. रामप्रताप)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खमेरा लघु सिंचाई परियोजना के चार चरणों में से तीन चरणों में मुख्य नहर का काम पूरा कराया जा चुका है तथा बाकी के काम एवं वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु टेण्डर आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम क्वार्टर में आमंत्रित कर दिये जाएंगे।

भीखाभाई सागवाड़ा परियोजना के 11 में से पांच चरणों का काम पूरा कर लिया गया है तथा छठे चरण का कार्य अगस्त माह तक पूरा कर सागवाड़ा को पानी दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब बाकी का... (व्यवधान) बहुत हो गया, पड़ौसियों का ध्यान ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चिंता नहीं करें। पैसे आपको यहां से रिलीज कर दिये गये हैं और बजटरी प्रोविजन के लिए कुम्भाराम लिफ्ट के लिए कहीं परेशानी नहीं आएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में चम्बल नहरों का जो हम पुनरुद्धार कर रहे थे, इसके 13 पैकेज थे, जिसके 694.56 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये गये थे, जिनमें से दो पैकेज के कार्य संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किये गये थे, जिनकी पुन: निविदाएं आमंत्रित करके कार्यादेश दे दिये। तीन पैकेज के कार्य में गुणवत्ता की कमी पाई गई, जिनको तुड़वा दिया गया और ठेकेदार की रिस्क और कोस्ट पर उसका दुबारा निर्माण करवा रहे हैं। बाकी के आठ कार्य प्रगतिरत हैं और जैसे ही अभी नहर का क्लोजर लेंगे तो काम गति से करवा दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना के नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। शेष कार्यों हेतु भी लगभग 159 करोड़ रुपये के कार्यादेश दे दिये गये हैं। रबी सिंचाई समाप्त होने के पश्चात् काम शुरू हो जाएगा।

बांसवाड़ा जिले में माही बांध के बैक वाटर से आम्बापुरा लिफ्ट परियोजना की घोषणा माननीया मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई थी। इस परियोजना की 53.20 करोड़ रुपये की निविदा कार्यवाही कर दी गई है, काम शुरू जल्दी हो जाएगा।

डूंगरपुर जिले में सोम कमला अम्बा बांध की नहरों के जीर्णोद्धार हेतु

(डा. रामप्रताप)

20 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। शेष कार्यों हेतु 20.84 करोड़ रुपये के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

प्रतापगढ़ जिले में जाखम परियोजना के जीर्ण-शीर्ण नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य करवाये गये हैं।

पिंड जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पिंड का काम 11 वर्षों से अटका हुआ था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इसका काम शुरू हो चुका है और करीब-करीब डैम का पार्ट पूरा हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा की चिर-प्रतीक्षित रेण का नाका परियोजना, इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। गति थोड़ी धीमी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से सांकेड़ा सिंचाई परियोजना का कार्य भी शुरू हो गया है।

भीलवाड़ा में जैतपुर बांध का जीर्णोद्धार 21.44 करोड़ रुपये का काम पूरा कर लिया गया है और करीब-करीब डैम पार्ट पूरा हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से धौलपुर में पार्वती बांध की बाडी में सीपेज हो रहा था और बहुत लम्बे समय से हो रहा था। उस डैम को पूरा सुरक्षित कर दिया गया है। उसकी लीकेज, सीपेज सारी बन्द हो गई है और पार्वती का कैनाल सिस्टम है, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसमें 18 करोड़ के कार्य पूरे करा लिये हैं, बाकी के 26 करोड़ के शेष कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में कराये जाएंगे।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, आपसे ग्राम पंचायत खानपुर मेवान में एनीकट के मरम्मत के कार्य करवाने हेतु डेढ़ करोड़ रुपये का कार्य स्वीकृत कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपसे निवेदन करूंगा की मांग संख्या 47 को पारित करवाकर मुझे अनुगृहित करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय मंत्री महोदय, तकली सिंचाई परियोजना, डी.एम.एफ.टी. का हमारा पैसा भी आप सांगोद में दे रहे हैं, यह हमारा अधिकार है, हमारी जनता का अधिकार है, किसानों का अधिकार है। (व्यवधान) तकली सिंचाई परियोजना, जिसका जिक्र नहीं किया, जहां के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं....

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रकान्ता जी की पुरानी पीड़ा भी आप साल्व करो, आपने कितना बड़ा अन्याय किया था, बताओ। उसका जवाब भी दो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या मैंने जब मेरी डिमाण्ड रखी तो अधिकारियों ने नहीं सुना, जब इतना लिखकर दे रहे हैं अधिकारी तो तकली सिंचाई परियोजना का जिक्र नहीं कर सकते थे, यह गलत बात है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक दलित विधायक के साथ इस तरह का ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): डेढ़ हजार किसान मरने को तैयार हैं, और हम लोग इस तरह से बैठे हैं, यह बहुत गलत है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नहीं-नहीं बोलो आप, खुलके बोलो, पूरी बात बोलकर बताओ आप पुरानी।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्य ने जो बात कही है, ये उनके कम्पनसेशन से रिलेटेड है। आज मुझे इन्होंने बताया डिटेल में, पूरा डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि मैं भी डिमाण्ड्स में व्यस्त था, कल मैं स्वयं इस सारे प्रकरण को, मेरे आंखों से देखकर अधिकारियों के साथ बैठकर के जितना भी हो सकता है, उतना करने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी इसकी लीगलिटी को देखूंगा।

मांग संख्या 27 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,55,93,32,000/- (रुपये बहत्तर अरब पचपन करोड़ तिरानवे लाख बत्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46-सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40,38,49,1000/- (रुपये चालीस अरब अड़तीस करोड़ उनचास लाख एक हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार दिनांक 26 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 00:53 बजे सोमवार, दिनांक 26 फरवरी 2018 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में प्रबोधकों के स्थानान्तरण की योजना

246. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रबोधकों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रबोधकों की पदोन्नति वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रबोधकों के स्थानान्तरण के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम-2008 के अन्तर्गत वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। अपितु प्रबोधकों सहित अन्य शिक्षकों के स्थानान्तरण संबंधी स्थानान्तरण नीति प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। राजस्थान पंचायती राज प्रबोधकों सेवा नियम, 2008 के नियम-29 के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रबोधकों के पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता अनुभव रखने वाले प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। लेकिन विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में वरिष्ठ प्रबोधक नाम से पद सृजित/स्वीकृत नहीं है। प्रबोधकों की पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले की ऐतिहासिक इमारतों का रख-रखाव

248. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में ऐतिहासिक इमारतों यथा किले व बावड़ियों के रख-रखाव तथा मरम्मत पर व्यय किया गया है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कुल कितना व्यय किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गत 04 वर्षों में किस-किस ऐतिहासिक इमारतों आदि का रख-रखाव व मरम्मत का कार्य किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर के बालाकिला को पर्यटन की दृष्टि से आमजन के लिये नि:शुल्क या न्यूनतम शुल्क पर देखने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या अलवर जिले के राजगढ़ के किले का स्वामित्व सरकार का है? यदि हां, तो रियासतों के विलीनीकरण के समय इस किले के बारे में Inverntoy में क्या दर्ज है?

(5) क्या सरकार राजगढ़ के किले को राजकीय अधिकार में लेने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में विगत 4 वर्षों में ऐतिहासिक इमारतों यथा-किले, बावड़ी आदि के रख-रखाव व मरम्मत पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर है।

(2) अलवर जिले में विगत 4 वर्षों में ऐतिहासिक इमारतों का रख-रखाव व मरम्मत कार्य किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर है।

(3) अलवर के बालाकिला में पर्यटकों पर शुल्क लगाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। रियासतों के विलीनीकरण के समय राजगढ़ किले के बारे में Inventory में "Ancestral property of His Highness of Alwar दर्ज है।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

249. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत किस-किस प्रकार के कार्य करवाये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में गत दो वर्षों में माडा योजना के अन्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में कौन-कौनसे विकास कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत 31 जनवरी, 2018 तक किस-किस ग्राम के विकास के कार्यों हेतु प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? क्या सरकार उक्त लम्बित प्रस्तावों पर स्वीकृति देकर राशि जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माडा योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पिछले दो वर्षों में माडा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 10 कार्यों की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त स्वीकृत कार्यों में से एक कार्य भूमि विवाद होने से कार्य निरस्त किया गया। शेष नौ कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं क्योंकि चैक अवधि पार होने से वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की सकी नवीन चैक प्राप्त होते ही कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत 31 जनवरी, 2018 तक कुल 33 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से सभी कार्य लम्बित हैं। सम्पर्क सड़क निर्माण के कार्यों के लिए भारत सरकार से विगत 2 वर्षों से राशि का आबंटन नहीं हुआ है। अन्य कार्यों हेतु राशि की उपलब्धता

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

एवं कार्य की आवश्यकता/उपादेयता के आधार पर ही स्वीकृत करना सम्भव है। लम्बित कार्यों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ में एम.आर.आई. मशीन की स्थापना

250. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चितौड़गढ़ जिले में वर्तमान में कितने राजकीय चिकित्सालय किस -किस स्तर के कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर सृजित हैं एवं उनमें से कितने प्रतिनियुक्ति पर हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में एम.आर.आई. मशीन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों एवं कार्य सम्पादन पर कार्यरत चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त चिकित्सालयों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों एवं कार्य सम्पादन पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित चिकित्सालयों में चिकित्सकों/अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों एवं कार्य सम्पादन पर कार्यरत कार्मिकों की सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(4) जी हां। राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में निजी जन सहभागिता के माध्यम से एमआरआई मशीन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में सहकारी समितियों के गोदामों का रख-रखाव

251. श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए एवं पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मत व रख-रखाव के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बजट से किन-किन गोदामों का निर्माण व मरम्मत व रख-रखाव का कार्य कराया गया व उन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान बजट घोषणा वर्ष 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में करेल ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100 मै. टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है। पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत व रखरखाव के लिये बजट घोषणा वर्ष 2017-18 में प्रावधान नहीं किया गया।

पीपाड़ शहर के राजकीय महिला महाविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

252. श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के राजकीय महिला महाविद्यालय पीपाड़ शहर में वर्तमान में विभिन्न संकायों में छात्राएं अध्ययनरत हैं? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में कौन-कौनसे पाठ्यक्रम कब-कब से स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन भामाशाहों/ दानदाताओं द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रत्येक छात्रा पर कितनी-कितनी राशि का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महिला महाविद्यालय, पीपाड़ शहर में स्ववित्त पोषित योजना अन्तर्गत सत्र 2010-11 से वाणिज्य संकाय संचालित है।

(2) जी हां। स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत छात्राओं से 2500 रुपये प्रति छात्रा प्रवेश शुल्क लिया जाता है। पाठयक्रम को संचालित करने के लिए शेष राशि दानदाता द्वारा दी जाती है, जिसमें शिक्षण कार्य का पारिश्रमिक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन भुगतान इत्यादि शामिल है।

(3) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 107 के तहत राजकीय महाविद्यालयों में 05 वर्षों से अधिक की अवधि से स्ववित्त पोषित योजना के तहत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के 64 विषयों के पाठ्यक्रमों को स्टेट फाइनेंसिंग में परिवर्तित करने की घोषणा की गयी है। जिसकी अनुपालना में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से राजकीय महिला महाविद्यालय, पीपाड़ शहर के वाणिज्य संकाय को नियमित किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं का समग्र विकास

253. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की कई आवासीय योजनाएं गत दो वर्षों में न तो विकसित की गई हैं और न ही आबाद हुई? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं? योजनावार खाली भूखण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय योजनाएं जयपुर शहर के केन्द्र बिन्दु से अधिक दूरी पर होने के कारण आबंटियों व सरकार का भारी निवेश व्यर्थ साबित हो रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि बेगस के पास परित्यक्ता, एकल महिलाओं के लिए जेडीए की 349 भूखण्डों की पन्नाधाय योजना के लिए मात्र 200 लोगों ने ही आवेदन किया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जेडीए द्वारा अब तक लांच की गई प्रत्येक आवासीय योजना में सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराकर समग्र विकास करते हुए इन्हें आवास योग्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह कहना सही नहीं है कि जयपुर प्राधिकरण की कई आवासीय योजनाएं गत दो वर्षों में न तो विकसित की गयीं ओर ना ही आबाद हुई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित योजनाओं में विकास कार्य का किया जाना एवं आबंटियों द्वारा आबंटित आवासीय भूखण्ड पर निर्माण कर योजना का आबाद होना एक सतत् प्रक्रिया है। भौतिक सर्वे किये जाने पर पूर्व के वर्षों में घोषित ऐसी योजनाएं जिनके गत दो वर्षों में पर्याप्त विकसित होने एवं आबाद होना शेष पाया गया है, योजनावार खाली भूखण्डों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त आवासीय योजनाएं जयपुर शहर के केन्द्र बिन्दु से अधिक दूरी पर होने का कारण शहर के केन्द्र बिन्दु के आस-पास भूमि उपलब्ध नहीं होना आवासीय प्रस्तावित योजना की भूमि का स्पष्ट स्वामित्व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सुनिश्चित किया जाना, मास्टर विकास प्लान में निर्धारित भू-उपयोग, उपलब्ध भूमियों के संबंध में विभिन्न न्यायिक प्रकरण व वांछनीय सम्पर्क सड़क इत्यादि है।

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में सृजित अनेक कालोनियों में सड़क, पेयजल, सीवरेज पार्क एवं विद्युत संबंधी कार्य किया गया है। जिसका योजनावार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। परिशिष्ट "ब" अनुसार शेष विकास कार्यों को भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं प्राथमिकता से लिये जा रहे हैं, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(3) जी हां। बेगस के पास परित्यक्ता, एकल महिलाओं के लिए जेडीए की 349 भूखण्डों की पन्नाधाय योजना के लिए मात्र 200 लोगों ने ही आवेदन किया था। कम लोगों द्वारा आवेदन का वास्तविक कारण संभवत: प्रश्नगत योजना का विशेष श्रेणी की योजना होना है।

(4) जी हां। जेडीए द्वारा अब तक लांच की गई प्रत्येक आवासीय योजना को सम्पूर्ण सुविधाओं से जोड़ते हुए समग्र विकास करते हुए इन्हें आवास योग्य बनाने को प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। आवासीय योजनाओं में विकास कार्य आवश्यकतानुसार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार किये जाते हैं। योजनावार विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज प्रकरण

254. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत गठित किशोर न्याय बोर्ड में वर्ष 2015 से दिसम्बर, 2017 तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये? जिलेवार एवं वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, 2015 के तहत 1 अप्रैल,

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक दर्ज प्रकरणों तथा लम्बित प्रकरणों का जिलेवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में किशोर न्याय बोर्ड में दर्ज प्रकरणों में से लम्बित का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में फीस एक्ट की पालना नहीं करने वाले निजी विद्‌यालयों के विरुद्‌ध कार्यवाही

255. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित निजी विद्‌यालयों द्‌वारा मनमाने तरीके से वसूली जाने वाली फीस पर रोक लगाने हेतु सरकार द्‌वारा फीस एक्ट लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से व उसमें अभिभावकों की भूमिका किस प्रकार निर्धारित कर चयन किया जाता है?

(2) उक्त एक्ट की पालना नहीं करने वाले विद्‌यालयों के विरुद्ध गत दो वर्षों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निजी विद्‌यालयों द्‌वारा ली जा रहीं फीस के विनियमन हेतु राजस्थान विद्‌यालय फीस का (विनियमन) अधिनियम, 2016 दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान विद्‌यालय फीस का (विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 14.02.2017 से लागू किये गये। अधिनियम एवं नियम की प्रति परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विद्‌यालय में एक माता-पिता अध्यापक संगम का गठन किया जाना है, जिसमें सभी विद्‌यार्थियों के अभिभावक तथा अध्यापक सदस्य बन सकते हैं। इस समिति के गठन के उपरान्त विद्‌यालय स्तरीय फीस समिति का गठन प्रत्येक विद्‌यालय में किया जाना आवश्यक है। जिसमें माता-पिता अध्यापक संगम में से पांच माता-पिता (अभिभावक) सदस्य होंगे, इनका चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाना होता है। इस समिति द्‌वारा आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्‌यालय प्रबन्ध द्‌वारा प्रस्तावित फीस के अनुमोदन का अधिकार है। उक्त निर्धारित की गई फीस आगामी तीन वर्षो तक प्रभावी होगी।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) निजी विद्यालयों द्वारा ली जा रहीं फीस के विनियमन हेतु राजस्थान विद्यालय फीस का (विनियमन) अधिनियम, 2016 दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान विद्यालय फीस का (विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 14.02.2017 से लागू किये गये, जो शैक्षिक सत्र 2018-19 से प्रभावी है। अभी तक अधिनियम की पालना नहीं करने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी विद्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले में संचालित निजी व सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

256. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले के सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों की वर्तमान में कुल कितनी सीटें रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में उक्त संस्थानों के परीक्षा मूल्यांकन (कापी चैकिंग) में नकारात्मक प्रणाली (नेगेटिव मार्किंग) अपनायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थानों की परीक्षाओं का परिणाम समय पर जारी नहीं किया जा रहा हैं व विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्तियां भी नहीं मिल पा रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा कोटा जिले में गत 4 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले कितने युवाओं को सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा जिले में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 386 व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 9244 सीटें रिक्त हैं। इस प्रकार विभिन्न ट्रेडों की कुल 9630 सीटें रिक्त हैं। जिसका ट्रेडवार विवरण परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में आई.टी.आई. की मूल्यांकन (कापी चैकिंग) में नकारात्मक प्रणाली (नेगेटिव मार्किग) नहीं अपनायी जा रही है। वर्ष फरवरी, 2015 से अगस्त 2017 तक नेगेटिव मार्किंग लागू की गयी।

डी.जी.ई.टी. के पत्र क्रमांक एम.एस.डी.ई. 180/11/डीजीटी/2017-टी.टी.सी. दिनांक 30 जनवरी, 2018 से नकारात्मक प्रणाली (नेगेटिव मार्किग) समाप्त कर दी गयी है।) परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। समय पर जारी किया जाता है। आई.टी.आई. की परीक्षा का परिणाम डी.जी.टी. नयी दिल्ली द्वारा एम.आई.एस. पोर्टल पर जारी किया गया जाता है, जो सामान्यत: 80 से 90 दिन तक की अवधि में जारी किया जाता है।

जी नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों में से नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों में आक्षेप/कमियां होने के कारण छात्रवृत्ति लम्बित रहती है, जिनका नियमानुसार समय पर आक्षेप/कमियां की पूर्ति करवाकर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा हैं। परिशिष्ट-04

(4) सरकार द्वारा कोटा जिले में गत 04 वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण युवाओं को सरकारी क्षैत्र में 430 व गैर सरकारी क्षेत्रों में 1637 (कुल 2067) को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। परिशिष्ट-05 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रूपवास (बयाना) के शाही तालाब का सौन्दर्यीकरण

257. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार वाणासुर नगरी बयाना (भरतपुर) का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कर उक्त स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रूपवास के शाही तालाब की सफाई, सौन्दर्यीकरण

(श्री बच्चू सिंह)

एवं जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बयाना में स्थित वाणासुर नगरी बयाना (भरतपुर) में स्थित विजय स्तम्भ के सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार के संबंध में वर्तमान में पर्यटन विभाग में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है। विभाग में किसी भी पर्यटक स्थल पर सौन्दर्यीकरण व विकास कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) रूपवास का शाही तालाब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक का हिस्सा है तथा उक्त तालाब की सफाई का कार्य नगर पालिका, रूपवास को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनापत्ति पत्र दिया गया है।

वर्तमान में पर्यटन विभाग में रूपवास के शाही तालाब स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं विकास के संबंध में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रखने के उपाय

258. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? आदेशों, अधिसूचनाओं व निर्देशों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखण्ड व महाराष्ट्र की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रखने के लिए उक्त क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए भूमि के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में वहां के मूल निवासियों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा पृथक से कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के हकों का संरक्षण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 41, 42 (ख), 43(2) धारा 46-क के प्रदत्त प्रावधानों के तहत किया जाता है। उक्त अधिनियम में वर्णित धाराओं की पालना सुनिश्चित करने हेतु जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की जाती है। धारा 183 व 183(बी) के तहत अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के खातेदारी भूमि पर अन्य सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर इन नियमों में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर कब्जा खातेदार को सुपुर्द कर भूमि के अधिकारों का रक्षण किया जाता है।

(2) गुजरात, मध्यप्रदेश, झारखण्ड व महाराष्ट्र की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों की भूमि सुरक्षित रखने के लिए उक्त क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए भूमि के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश के जनजाति बहुल गांवों का माडा योजना में विकास

270. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जनजाति बहुल पिछड़े एवं अविकसित राजस्व गांवों का माडा योजना के माध्यम से विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मानदण्डानुसार विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की तहसील अटरू एवं बारां के जनजाति बहुल राजस्व गांवों को माडा योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माडा क्षेत्र में चयनित ग्रामों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप क्षेत्र विकास एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। माडा योजना में गांवों को सम्मिलित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के अनुमोदन पश्चात् माडा क्षेत्र के गठन/विस्तार के प्रस्ताव तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं।

भारत सरकार द्वारा माडा क्षेत्र हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर बारां जिले की तहसील अटरू एवं बारां के जनजाति बहुल ग्रामों को प्रस्तावों में शामिल किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माडा योजना में चयनित गांवों में सड़क निर्माण

271. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चाकसू के

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

चयनित गांवों में सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

(2) उक्त योजनान्तर्गत चयनित गांवों में कौन-कौनसे कार्य करवाये जा सकते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। सरकार माडा योजनान्तर्गत प्राप्त सड़क बनाने के प्रस्तावों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चाकसू में माडा में चयनित गांवों में सडक निर्माण का विचार रखती है, जो उक्त मद में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने एवं राशि की उपलब्धता पर ही सम्भव है। विगत 2 वर्षों में माडा क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(2) माडा योजनान्तर्गत चयनित गांवों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर के पी.बी.एम. चिकित्सालय में भामाशाह योजना के लम्बित भुगतान

272. डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्यिम): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर के पी.बी.एम. चिकित्सालय में भामाशाह योजना के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने मरीजों का इलाज किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालय में भामाशाह योजना के चालू होने के पश्चात् कुल कितनी राशि इस योजनान्तर्गत व्यय की गई है?

(3) क्या भामाशाह योजना हेतु भुगतान करने वाली बीमा कम्पनी द्वारा अब तक हुए सभी इलाजों का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना भुगतान किन कारणों से लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भामाशाह योजना में लम्बित भुगतान हेतु उक्त चिकित्सालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में भामाशाह योजना के अन्तर्गत इलाज होने वाले मरीजों की वर्षवार सूची निम्नानुसार है:-

वर्ष	मरीज
13.12.2015 से 12.12.2016	13654
13.12.2016 से 12.12.2017	17804
13.12 2017 से 31.12.2017	524

(2) बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में भामाशाह योजना के चालू होने के पश्चात् कुल 16,64,54,702/- रुपये 15.02.2018 तक व्यय की जा चुकी है।

(3) बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालयों में 13 दिसम्बर, 2015 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 31982 कैस राशि रुपये 290945883/- के प्राप्त हुये जिसमें से 3633 कैस राशि रुपये 29826074/- के बीमा कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिये गये एवं शेष कुल 27955 कैस राशि रुपये 255201534/- को भामाशाह योजना हेतु भुगतान करने वाली बीमा कम्पनी द्वारा एप्रूव कर क्लेम का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष 394 कैश राशि रुपये 5918275/- का भुगतान विभिन्न कारणों से लम्बित है। जैसे कि कुछ केसेज प्रीओथ, प्रीओथ क्वेरी, क्लेम क्वेरी एवं क्लेम एप्रूवल पेंडिंग एट एनलाइजर आदि के कारण लम्बित हैं।

(4) भामाशाह योजना हेतु भुगतान करने वाली बीमा कम्पनी द्वारा जो आपत्ति दर्ज की जाती है उसका प्रतिउत्तर भिजवा दिया जाता है। इसके पश्चात् भी कोई समस्या आने पर वीडियो कांफ्रेंस द्वारा निदेशक एन.एच.एम. या स्टेट नोडल अधिकारी को बता दिया जाता है।

रानीवाड़ा के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का पुनर्निर्माण

273. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में माह जुलाई, 2017 में हुई बारिश के कारण अतिवृष्टि की स्थिति पैदा होने से उप स्वास्थ्य

(श्री नारायण सिंह देवल)

केन्द्रों के भवन पानी में बह गये और क्षतिग्रस्त हो गये? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह जुलाई, 2017 की अतिवृष्टि से रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी उपवास्थ्य केन्द्र का भवन पानी में नहीं बहा है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है-

1. धनोल 2. घामसीन 3. रूपावटी खुर्द 4. आलड़ी 5. चाटवाड़ा 6. दहीपुर 7. दांतवाड़ा 8. सांवलावास 9. जालेरा खुर्द

(2) जी हां। आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त क्षतिग्रस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन की मरम्मत/ पुनर्निर्माण करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

उदयपुर ग्रामीण में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

274. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या नियम निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ऐसे कितने गांव हैं, जहां उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं तथा उन गांवों की उप स्वास्थ्य केन्द्रों से दूरी 5 कि.मी. से अधिक है? क्या सरकार उक्त गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत चणावदा के राजस्व गांव नला जिसकी ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी 5 किमी है तथा आबादी 3500 है, में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 13 ग्राम ऐसे हैं जिनके 5 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत नहीं है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. चोकड़िया
2. गोरेला
3. नोरा
4. मामादेव
5. कमलोद
6. डेडकिया
7. कुण्डाल
8. फान्दा
9. खरपीणा
10. सरूपाल
11. आड
12. बामणिया
13. नला

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत पंचायत समिति गिर्वा एवं कुराबड का क्षेत्र आता है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति गिर्वा में 40 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 57 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति गिर्वा में उप स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति कुराबड में 32 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की

,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आवश्यकता के विरुद्ध 31 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति कुराबड में 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति कुराबड में आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के आधार पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

(3) ग्राम नला पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर के अन्तर्गत आता है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति गिर्वा में 40 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 57 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति गिर्वा में उप स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सी.बी.सी.एस. लागू करने की योजना

275. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि यू.जी.सी. के द्वारा सी.बी.सी.एस. लागू करने के कोई निर्देश जारी किये गये थे? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सी.बी.सी.एस. लागू किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विश्वविद्यालयों में व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यूजीसी ने सीबीसीएस लागू करने हेतु दिनांक 12.11.2014 एवं 08.11.2015 को निर्देश जारी किये हैं।

(विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(2) प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा हे।

(विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमाधोपुर के संस्कृत महाविद्यालय में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना

276. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में संचालित राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं व किन-किन सुविधाओं का अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, श्रीमाधोपुर एवं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, श्रीमाधोपुर अलग-अलग पारियों में एक ही परिसर में संचालित हैं। वर्तमान में संचालित भवन में 6 कक्षा-कक्ष, एक प्राचार्य कक्ष, एक कार्यालय कक्ष, एक परीक्षा कक्ष तथा एक स्टाफ रूम है एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध है। छात्र-छात्राओं हेतु पृथक से शौचालय सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं विद्यार्थियों हेतु कामन कक्ष का अभाव है।

महाविद्यालय का स्वयं का भूमि, भवन एवं खेल मैदान नहीं है। महाविद्यालय को भूमि आबंटन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, श्रीमाधोपुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के नियम 2(f) में रजिस्टर्ड है एवं अनुदान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के नियम 12(B) में रजिस्ट्रेशन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सोजत शहर के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

277. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सोजत शहर में राजकीय

(श्रीमती संजना आगरी)

महाविद्यालय स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण भामाशाहों व सरकार द्वारा करवाया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा भवन निर्माण में कितनी राशि व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय का भवन, चारदीवारी व पेयजल व्यवस्था का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार छात्र-छात्राओं की सुविधाओं के लिए उक्त महाविद्यालय में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2006 में राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी प्रारम्भ किया गया। जिसमें वर्तमान में कुल 1371 विद्यार्थी (619 छात्र एवं 752 छात्राएं) अध्ययनरत हैं।

(2) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी के भवन का निर्माण कार्य भामाशाह (सोजत शिक्षा विकास समिति) के द्वारा करवाया गया है।

राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी के मुख्य भवन निर्माण में सरकार द्वारा कोई भी राशि आबंटित नहीं की गयी।

(3) राजकीय महाविद्यालय में चारदीवारी एवं पेयजल व्यवस्था हेतु महाविद्यालय को निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 एवं 02 पर संलग्न है।

(4) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, सोजत सिटी में पेयजल की व्यवस्था महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में डेयरी बूथों से भुगतान का कलेक्शन

278. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी जिलों में डेयरी बूथों से दूध के भुगतान का कलेक्शन एजेंटों के माध्यम से करवाया जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पूर्व प्रदेश में कलेक्शन एजेंटों पर हमले एवं लूट की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरसीडीएफ में प्रत्येक क्षेत्र के अनुमोदित परिवहनकर्ता/वितरक द्वारा स्वयं के वितरित दूध भुगतान की राशि बूथों से अपने स्तर पर ही संकलित की जाती है। जिला दुग्ध संघों द्वारा सीधे तौर पर डेयरी बूथों से भुगतान का कलेक्शन नहीं करवाया जाता है।

जिला दुग्ध संघों द्वारा अपने अनुमोदित परिवहनकर्ता/वितरकों को चैक/आनलाइन (कैश-लैस) भुगतान पर ही दूध विक्रय किया जाता है।

(2) जी हां। उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु समस्त जिला दुग्ध संघों को दिनांक 01.02.2018 से दुग्ध व दुग्ध पदार्थ विपणन से प्राप्त राशि का लेन-देन RTGS/NEFT/Net Banking इत्यादि से करने के दिशा-निर्देश आरसीडीएफ के परिपत्र संख्या आरसीडीएफ/एफ.2 (लेखा) (परिपत्र)/ 2017-18 /42491-524 दिनांक 10.01.2018 के द्वारा जारी कर दिये गये हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौशाला खोलने के मानदण्ड

279. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौशाला खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में कितनी गौशालाएं कहां-कहां कब से संचालित हैं तथा इनमें कितना-कितना अनुदान किस-किस मद में सरकार द्वारा दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किस-किस जगह पर गौशाला खोलने हेतु प्रस्ताव सरकार के पास कब से विचाराधीन हैं? उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? प्रस्तावववार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में लम्बित गौशाला प्रस्तावों का शीघ्र निस्तारण कर गौशालाएं खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गौशालाओं की स्थापना व संचालन स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्टों/धार्मिक संस्थाओं द्वारा जन सहयोग से किया जाता हैं। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थापना नही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में 3 गौशालाएं संचालित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गौशाला का नाम व स्थान	संचालन वर्ष
1	गोपाल गौशाला सेवा समिति थली	वर्ष 2010 से
2	अन्नदाता गौशाला सेवा समिति भोजपुरा	वर्ष 2012 से
3	श्री निबार्क गौशाला नायला	वर्ष 2007 से

उक्त तीनों गौशालाओं द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत पात्रता की शर्त (न्यूनतम 200 गौवंश) पूर्ण नहीं करने के कारण कोई सहायता राशि नहीं दी गयी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थापना नहीं की जाती है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की स्थापना नही की जाती है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रदेश में बच्चों के विरुद्ध अपराध के दर्ज प्रकरण

280. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 01 अप्रैल,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये? उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया व कितने प्रकरण लम्बित हैं? जिलेवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त अवधि में बच्चों के विरुद्ध अपराध के कितने प्रकरण दर्ज हुये? जिलेवार व माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, 2015 के तहत 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक दर्ज प्रकरणों तथा लम्बित प्रकरणों का जिलेवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि के दौरान जिले में विभिन्न थानों में बच्चो के विरुद्ध अपराध के दर्ज मामलों का जिलेवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में संयुक्त सहायता अनुदान योजना में व्यय राशि

281. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 'संयुक्त सहायता अनुदान योजना' क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत नागौर जिले में वर्ष 2013 से 31 जनवरी, 2018 तक कितना बजट स्वीकृत हुआ एवं कितना-कितना बजट किस-किस कार्य पर व्यय किया गया? वर्षवार व विधान सभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को कृत्रिम साधन (प्रास्थैट्रिक एप्लाइन्स) विशेष प्रकार के वाहन, सहायक और उपकरण/यंत्रों एवं कच्चे माल की जरूरत है ताकि वह जीवन की सामान्य शारिरिक क्रियाएं करने में समर्थ हो सकें तथा आजीविका अर्जित करने के लिये स्वरोजगार स्थापित कर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें, उद्देश्य से सयुक्त सहायता अनुदान योजना संचालित की गयी है। उक्त योजना दिनांक 01.04.1986 से प्रारम्भ

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

की गयी है। योजना के संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक संयुक्त सहायता अनुदान योजना अन्तर्गत नागौर जिले को स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में पेंशन एवं छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन

282. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किन-किन योजनाओं के तहत किस-किस वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति, अनुदान, सहायता व पेंशन दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में छात्रवृत्ति, विधवा पेंशन, वृद्ध अवस्था पेंशन व विकलांग पेंशन के कितने प्रकरण लम्बित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पेंशन एवं छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग के द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/अनुदान/सहायता एवं पेंशन योजनाओं में जिन वर्गों को लाभान्वित किया जा रहा है उनका योजनावार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) जयपुर जिले में छात्रवृत्ति/विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन/विकलांग पेंशन योजनाओं के वर्ष 2016-17 के लम्बित आवेदन पत्रों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(छात्रवृत्ति योजना के रिकार्ड का संधारण विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता है)

(3) जी हां। छात्रवृत्ति योजनाओं के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण 31 मार्च, 2018 तक किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत लम्बित आवेदनों के शीघ्र

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

निस्तारण किये जाने के लिये समस्त जिला कलक्टर को निर्देशित कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बेघरों व निराश्रितों को आश्रय देने के मानदण्ड

283. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बेघरों एवं निराश्रितों को आश्रय देने हेतु मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में उक्त को आश्रय देने हेतु आश्रय स्थल बनाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां तथा कब-कब? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा ऐसे आश्रय स्थल में क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद श्रीगंगानगर के अन्तर्गत आश्रय स्थलों में बेघरों एवं निराश्रितों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त आश्रय स्थलों में बेघरों एवं निराश्रितों को आश्रय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बेघरों एवं निराश्रितों को आश्रय देने हेतु निर्धारित मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश की समस्त 191 नगरीय निकायों में कुल 176 आश्रय स्थल संचालित है। जिलेवार/निकायवार संचालित आश्रय स्थलों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा बेघरों एवं निराश्रित लोगों के लिए बनाये गये आश्रय स्थलों में हवादार कमरे, शौचालय (पुरुष/महिला दिव्यांग के लिए अलग-अलग), पीने एवं अन्य जरूरतों के लिये पानी, कूलर/पंखे, बिस्तर (रजाई/कंबल

(स्वायत्त शासन मंत्री)

और तकिये के साथ) प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन उपकरण, वेक्टर नियंत्रण (मच्छरों के लिए) निजी सामान को रखने के लिए लाकर्स तथा मनोरंजन हेतु साधन सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(4) जी नहीं। नगर परिषद, श्रीगंगानगर के माध्यम से निर्मित एवं संचालित दो आश्रय स्थलों के माध्यम से शहरी बेघरों एवं निराश्रितों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

(5) जी हां। नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा निर्मित दो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। DAY-NULM के अन्तर्गत निर्मित दो नये आश्रय स्थलों का शीघ्र ही संचालन किये जाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के बुद्धसिंहपुरा में बहुमंजिला बिल्डिंग का नियम विरुद्ध निर्माण

284. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों में कालोनी वासियों को कौन-कौनसी सुविधाएं देने का मानदण्ड निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर में निर्मित व संचालित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी मंजिल की स्वीकृति दी जाती है एवं उसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर के बुद्धसिंहपुरा सांगानेर में निर्मित बिल्डिंग कोरोनेशन को कितनी मंजिला बनाने की स्वीकृति दी गयी है एवं किन-किन नियमों के तहत भवन मालिक को कार्य किया जाना था? क्या भवन मालिक द्वारा सभी नियमों की पूर्ण पालना की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एकीकृत भवन विनियम, 2017 के विनियम संख्या 8.3 (i) के अनुसार "बहुमंजिले भवन न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड एवं आवासीय एवं संस्थागत उपयोग हेतु बड़े शहरों में न्यूनतम 18 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 15 मीटर तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु बड़े शहरों में न्यूनतम 24 मीटर व मध्यम/लघु शहरों में न्यूनतम 18 मीटर चौड़ी सड़क होने पर ही अनुज्ञेय होंगे। विनियम की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का अनुमोदन टाउनशिप पालिसी-2010 के अन्तर्गत किया जाता है। अनुमोदित योजनाओं में 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित की जाती है। जैसे:- सड़क, पार्क, कम्युनिटी हाल, खेल मैदान, बिजली का स्टेशन, पानी की टंकी, स्कूल, अस्पताल, फायर स्टेशन, पुलिस थाना आदि। जविप्रा द्वारा निर्मित कालोनियों को योजना मानचित्र में बतायी गयी सुविधाएं व प्रत्येक योजना के आरक्षित दर पर सम्मिलित सुविधाऐं प्राधिकरण में संसाधनों की उपलब्धता एवं बसावट के अनुसार चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाती हैं। पार्कों के सिविल विकास कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भवनों की ऊंचाई भवन विनियम के प्रावधानानुसार दी जाती है। भवन विनियम 2010 संशोधित 2011 के विनियम संख्या 8.11 (i) में उक्त प्रावधान निम्नानुसार है "12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्डों में भवनों की देय ऊंचाई 12 मीटर तक (स्टिल्ट का प्रावधान किये जाने पर अधिकतम 15 मीटर तक) सीमित होगी। 12 मीटर एवं इससे अधिक लेकिन 18 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर अधिकतम ऊंचाई सड़क की चौडाई के बराबर देय होगी। 18 मीटर एवं इससे अधिक लेकिन 30 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अधिकतम ऊंचाई सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुणा तक देय होगी। 30 मीटर एवं इससे अधिक चौड़ी सड़कों पर भवनों की ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई का डेढ़ गुणा एवं भूखण्ड के अग्र सैटबैक के योग के बराबर देय होगी। भवन में पार्किंग हेतु बेसमेन्ट का निर्माण किये जाने पर सामने की सड़क के स्तर से कुर्सी तक की ऊंचाई अधिकतम 1.2 मीटर एवं पार्किंग हेतु स्टिल्ट का निर्माण किये जाने पर कुर्सी तक से स्टिल्ट को छत की बीमतल तक अधिकतम ऊंचाई 2.8 मीटर बेसमेन्ट

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

एवं स्टिल्ट दोनो को पार्किंग हेतु प्रस्तावित किये जाने पर दोनों की ऊंचाई को जोडकर भवन की ऊंचाई की गणना में छूट दी जा सकेगी। मैकेनिकल पार्किंग की स्थिति में स्टिल्ड की ऊंचाई विनियम 9.8.4 के अनुरूप अनुज्ञेय ऊंचाई को भवन की ऊंचाई से छूट अनुज्ञेय होगी। पार्किंग के उपयोग हेतु प्रस्तावित मंजिलों की अधिकतम 6.2 मीटर की ऊंचाई (कुर्सी तल को छोड़कर) भवन की अनुज्ञेय ऊंचाई की गणना में शामिल नहीं की जायेगी" तथा एकीकृत भवन विनियम 2017 की तालिका "4" में निम्नानुसार प्रावधान है:-

क्र. सं.	**सड़क की चौड़ाई**	**अधिकतम ऊंचाई**
1.	9 मीटर से कम	भूतल + 1 मंजिल (8 मीटर)
2.	9 मीटर व इससे अधिक तथा 12 मीटर से कम	भूतल + 2 मंजिल (12.5 मीटर)
3.	12 मीटर व इससे अधिक तथा 18 मीटर से कम	भूतल + 3 मंजिल (15 मीटर)
4.	18 मीटर व इससे अधिक	सड़क की चौड़ाई का 1.5 गुणा + अग्र सैटबैक

(4) जयपुर के बुद्धसिंहपुरा सांगानेर में निर्मित बिल्डिंग जिसका नाम कोरोनेशन है, को जयपुर विकास प्राधिकरण के रिकार्ड अनुसार भूखण्ड संख्या सी-1, ग्राम बुद्धसिंहपुरा, जयपुर को नीलामी द्वारा मैसर्स अनन्त राज इण्डस्ट्रीज लि. पता ए.आर.ए. सेन्टर, ई-2, झण्डेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को दिनांक 08.05.2007 को किया गया था। आबंटी को उक्त भूखण्ड का कब्जा पत्र डी-1128 दिनांक 02.06.2007 एवं भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 27.06.2007 को मय 5205.00 वर्गमीटर मल्टी/कार्मीशयल का साइट प्लान जारी किया गया था। मूल आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान मैसर्स न्यू वर्ल्ड बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नवल सिंह रत्नावत पुत्र स्व. श्री नरैन सिंह रत्नावत को किये जाने पर कार्यालय के पत्रांक डी-1036 दिनांक 14.02.2013 को नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया था।

उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र दिनांक 08.08.14 को जारी किये गये हैं। अनुमोदित मानचित्रानुसार प्रस्तावित भवन की ऊंचाई भवन विनियम के प्रावधानानुसार (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+प्रथम तल

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

से सत्रह तल) 52.60 मीटर स्वीकृत की गयी थी। उक्त भूखण्ड की भवन मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2015 एवं 15.02.2018 को की गई जिसकी प्रति क्रमशः परिशिष्ट "स" एवं "द" पर संलग्न है। उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई वायलेशन नहीं है। इस प्रकार संस्था द्वारा वर्तमान में सभी नियमों की पूर्ण पालना की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर की मालन की गली का जीर्णशीर्ण भवन

285. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् क्षेत्र के मालन की गली में लूणा जी मन्दिर के सामने वर्षों पुराना खाली खण्डर मकान है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त मकान को कब तक गिरा दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मकान को आस-पास के रहने वालों ने कचरा पात्र बना रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मकान के कचरे का निस्तारण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मौके पर उक्त भवन के मालिक के नाम व पते की जानकारी नहीं हो पा रही है। मकान को गिराने के लिये समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई जाकर विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर क्षतिग्रस्त भवन को शीघ्र ही गिराने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। आस-पास के पड़ौसियों द्वारा भवन के खण्डित भाग में कुछ कचरा डाल रखा है जिसे शीघ्र ही हटवा दिया जाएगा।

जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में विकास कार्य

286. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नियमन राशि लेने एवं पट्टे जारी करने के उपरान्त भी जयपुर पृथ्वीराज नगर योजना की कई कालोनियों में विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती सोना देवी)

(2) उक्त योजना में नियमन व विकास शुल्क पेटे अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है व उक्त में से कितनी राशि व्यय की गई? कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जमा राशि में से हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत किये जाने हेतु खर्च होने वाली राशि विद्युत विभाग को स्थानान्तरित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विद्युत नगर, श्याम नगर, राम नगर, सोड़ाला में हाईटेंशन लाइनों के नीचे रखे गये 15 से 20 फीट ग्रीन कोरिडोर की भांति ही पृथ्वीराज नगर में ग्रीन कोरिडोर रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि जगदम्बा नगर-बी ब्लाक, अजमेर रोड का अभी तक नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक उक्त कालोनी का नियमन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर योजना में अभी तक कुल 439 कालोनियों का नियमन हुआ है जिनमें से 410 कालोनियों में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है एवं 27 कालोनियों में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 2 कालोनियों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पृथ्वीराज नगर में नियमन के पेटे राशि रु. 452.10 करोड़ तथा विकास शुल्क पेटे राशि रु. 295.82 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रु. 747.92 करोड़ वसूल की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। जिसमें से सडक निर्माण कार्य पर कुल रु. 175.29 करोड़ (आंतरिक सड़कों पर 84.11 करोड़ रुपये सहित) की राशि व्यय की गई है। विद्युत कार्यो पर 28.11 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई तथा पेयजल व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 60 करोड़ रुपये हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। जविप्रा द्वारा हाईटेंशन लाइनों को भूमिगत किये जाने हेतु खर्च होने वाली राशि, नियमन व विकास शुल्क के निर्धारण हेतु की गई गणना में सम्मिलित नहीं है। हाईटेंशन लाइनों का स्वामित्व रख-रखाव व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निर्माण का कार्य विद्युत निगमों द्वारा किया जाता है। अत: इस प्रकार की हाईटेंशन लाइनों का भूमिगत किये जाने का कार्य जविप्रा से संबंधित नहीं होने से जविप्रा स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के आदेश दिनांक 21.10.2009 के अनुसार सेफ्टी कोरिडोर हेतु निम्न प्रावधान है। पृथ्वीराज नगर एवं अन्य क्षेत्र में निम्नलिखित एच.टी. लाइनों के नीचे सेफ्टी कोरिडोर छोड़ने के पश्चात् सड़क अनुज्ञेय की जा रही है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "स/6" संलग्न है।

HT LINE (IN KV)	**Line width (in Mtr)**	**Horizontal in clearance from lowest conductor each side (in mtr)**	**Safe EHV line corridor (in Mtr)**	**ROW for line (in Mtr) as per IE Rule 1956**	**Minimum ground clearance from lowest conductor at 75 degree C. as per rule 77 of IER 1956 (in Mtr)**
1	2	3	4	5	6
132 KV	8	2.9	13.8	27	6.1
220 KV	11	3.8	18.6	35	7.0
440 KV	22	5.6	33.2	52	8.84

पृथ्वीराज नगर में मौके पर गुजर रही हाईटेंशन लाइनों के नीचे नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.18(44)निविवि/जयपुर/2014 जयपुर दिनांक 08.03.2017 द्वारा निर्धारित सेफ्टी कोरिडोर छोड़ते हुए योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। प्रपत्र परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी हां। जगदम्बा नगर-बी योजना पृथ्वीराज नगर योजना के अन्तर्गत अवाप्ति से छूटी हुई 1848 बीघा भूमि के अन्तर्गत सृजित है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मुख्य पीठ में विचाराधीन पी.आई.एल. 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 14.10.2017 के अनुसार अनाधिकृत कब्जे/ निर्माण का नियमन, संबंधित शहरी विकास निकाय द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने के पश्चात ही नियमन करें अन्यया नहीं इस क्षेत्र के जविप्रा द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सैक्टर डवलपमेन्ट बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है, नियमानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान/

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सैक्टर डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने के पश्चात ही नियमानुसार जगदम्बा नगर "बी" ब्लाक के नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रपत्र क्रमश: परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के कौशल विकास केन्द्रों को आबंटित राशि

287. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्य एवं केन्द्रीय मद में कितनी-कितनी राशि आबंटित की गयी? जिलेवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में प्रति छात्र कितनी राशि किस प्रशिक्षण हेतु आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में तीन कौशल प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें से दो योजनाएं, रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) तथा नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP) पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित हैं तथा एक योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त योजना है जिसमें केन्द्र तथा राज्य की क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की भागीदारी है। उक्त योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)	नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP)	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	
	राज्य मद राशि (रुपये में)	राज्य मद राशि (रुपये में)	राज्य मद राशि (रुपये में) 40%	केन्द्र मद राशि (रुपये में) 60%
2014-15	145136284	132000	266446899	177631266
2015-16	290923425	10885144	20123048	13415365
2016-17	510401223	42836858	133940659	89293773

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

वर्ष	रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ELSTP)	नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP)	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	
	राज्य मद राशि (रुपये में)	राज्य मद राशि (रुपये में)	राज्य मद राशि (रुपये में) 40%	केन्द्र मद राशि (रुपये में) 60%
2017-18 (दिसम्बर 2017 तक)	309093828	30140750	171679859	114453240
कुल राशि	**1255554760**	**83994752**	**592190465**	**394793644**
			कुल राशि DDU-GKY	**986984109**

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत राशि का आबंटन जिलेवार नहीं किया जाता है।

वर्ष 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) में 125.55 करोड़ रुपये, नियमित कौशल प्रशिक्षण योजना (RSTP) में 8.39 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य मद में किया गया है, तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) में 98.69 करोड़ रुपये का अग्रिम केन्द्रीय मद में दिया गया है। सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता को दिये गये भुगतान का वर्षवार विवरण परिशिष्ट अ-1, अ-2, अ-3, पर संलग्न है।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु श्रेणी अनुसार सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए प्रशिक्षण दर राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घण्टे प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधि के अनुसार योजनावार पृथक-पृथक निर्धारित है। आवासीय दरें अलग से निर्धारित हैं। दरों का विवरण परिशिष्ट "ब-1", "ब-2" पर संलग्न है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में राशि का निर्धारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। इन दरों का विवरण परिशिष्ट "ब-3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

288. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. फूल चन्द भिण्डा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में निर्माण श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किसका? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत उक्त विधान सभा क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को भी लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस श्रमिक को कब-कब कितना लाभ दिया गया? ग्राम पंचायतवार लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्माण श्रमिक योजना नाम से कोई योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा संचालित नहीं की जाती और न ही निर्माण श्रमिकों का पंजीयन योजनावार किया जाता है। मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों एवं निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीयन किया जाता है। विभाग के आनलाइन पोर्टल पर विधान सभा क्षेत्रानुसार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। विराटनगर शहर, विराटनगर पंचायत समिति व पावटा पंचायत समिति में कुल 6997 निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विराटनगर शहर, विराटनगर पंचायत समिति व पावटा पंचायत समिति में कुल 326 निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। सूची मय पते परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान पर्यटन विकास निगम की सम्पत्तियों के विक्रय की योजना

289. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की कुछ सम्पत्तियों के विक्रय करने की योजना है? यदि हां, तो किस-किस संपत्ति की व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गोलमा)

(2) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक सरकार द्वारा उक्त सम्पत्तियों के संचालन हेतु कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सम्पत्तियों के संचालन हेतु जनवरी, 2014 में कुल कितने कार्मिक/अधिकारी कार्यरत थे एवं जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 के मध्य उनकी संख्या में कितनी कमी/वृद्धि किन कारणों से की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सम्पत्तियों पर रोडवेज बसों एवं अन्य वाहनों का ठहराव बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार को उक्त सम्पत्तियों से जनवरी, 2009 से अप्रैल, 2017 तक कितनी आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु पर्यटन निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 125\2015 की अनुपालना में पीडीकोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नलिखित 15 इकाईयों के विक्रय की अनुशंषा की गई है तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा उक्त 15 इकाइयों के संचालन हेतु गत 4 वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित उक्त सम्पत्तियों में जनवरी 2014 में कार्यरत अधिकारियों\कर्मचारियों की संख्या एवं जनवरी 2014 से दिसम्बर 2017 के मध्य की संख्या का विवरण परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। कार्मिकों की संख्या में कमी का कारण सेवानिवृत्ति एवं नई भर्ती नहीं होना है।

(4) निगम की उक्त सम्पत्तियों में से मोटल बहरोड़ में राजस्थान

(राज्य मंत्री पर्यटन)

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ठहराव कर रही 15 बसों में से दिनांक 03.11.2016 से 8 बसों का ठहराव बन्द कर दिया था। इसके पश्चात् दिनांक 27.07.2017 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा मिडवे बहरोड पर 8 बसों का ठहराव पुन: शुरू किया गया।

मोटल महुआ पर दिनांक 01.12.2017 से पूर्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल 34 बसों का ठहराव होता था परन्तु दिनांक 01.12.2017 से रोडवेज द्वारा मोटल महुआ पर 12 बसों का ही ठहराव किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर रोडवेज बसों एवं अन्य वाहनों का ठहराव बन्द नहीं किया गया है।

(5) उपरोक्त इकाइयों से गत 9 वर्षों में प्राप्त आय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की प्राकृतिक सम्पत्तियों को बेचने की योजना

290. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश की प्राचीन सम्पत्तियां बेचने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु कौन-कौनसी प्राचीन सम्पत्तियां चिन्हित की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की प्राचीन सम्पत्तियां देश की धरोहर हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सम्पत्तियों को बेचने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा प्राचीन सम्पत्तियों के बेचान का कोई प्रकरण प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रदेश की प्राचीन सम्पत्तियॉ देश की धरोहर हैं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा प्राचीन सम्पत्तियों को बेचने का कोई प्रकरण प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विभाग में राज्य की किसी भी प्राचीन सम्पत्ति को बेचने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। न ही राज्य की कोई प्राचीन सम्पत्ति विक्रय

(राज्य मंत्री, कला, साहित्य एवं पुरातत्व)

हेतु पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित की गयी है। यद्यपि राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु पर्यटन निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारण किये जाने के प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 125/2015 की अनुपालना में पीडीकोर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में निम्नलिखित 15 इकाइयों के विक्रय की अनुशंसा की गयी है तदनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रमसा के तहत विद्यालयों में निर्माण कार्य

291. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत विद्यालयों में निर्माण कार्य करवाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस तरह के व उक्त कार्य कराने के क्या नियम/प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रमसा के तहत गत चार वर्षों में दौसा जिले के किस-किस विद्यालय में क्या-क्या निर्माण कार्य कितनी-कितनी रशि के करवाये गये? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के तहत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था के निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। यू-डाईस गैप के अनुसार उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) दौसा जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत 4 वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाएं

292. श्री रमेश (सपोटरा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की 10 प्रतिशत एवं 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की 25 प्रतिशत बालिकाएं स्कूली शिक्षा से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा स्कूलों का समायोजन किये जाने के कारण बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की संख्या में भारी कमी आई है?

(4) क्या यह सही है कि देश में शिक्षा से वंचित 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग की सर्वाधिक बालिकाएं प्रदेश में ही हैं? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिकतर बालिकाओं एवं बालकों तक शिक्षा मुहैया कराना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने का रहा है, इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में सभी जगह बालिकाओं के अध्ययन हेतु सह-शिक्षा के विद्यालय संचालित हैं जिनमें विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से बालिकाओं एवं बालकों तक शिक्षा मुहैया तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं, विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

स्रोत : बालिका जनसंख्या-Population Projection 2017, MHRD, GoI के अनुसार।

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में संचालित 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6, 7 तथा 8) हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा एवं आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिका शिक्षा नवाचारी गतिविधियों के अन्तर्गत आबंटित बजट के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, शहरी वंचित वर्ग की बालिकाओं के शैक्षिक उन्नयन तथा उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु निम्न नवाचारी गतिविधियों का आयोजन सत्र 2017-18 में किया जा रहा है:-

  1. सक्षम (आत्मरक्षा प्रशिक्षण
  2. मीना मंच
  3. अध्यापिका मंच
  4. जागृति

विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्नांकित योजनाएं संचालित हैं:-

1. शारदे बालिका छात्रावास योजना।

2. आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर।

3. ट्रासपोर्ट बाउचर योजना।

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल संचालित हैं। माडल विद्यालयों में न्यूनतम 55 प्रतिशत बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने का प्रावधान कर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमंद जिले के बन्द विद्यालयों को पुनः प्रारम्भ करने की योजना

293. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) राजसमंद जिले में विगत पांच वर्षो में सरकार द्वारा कौन-कौनसे विद्यालयों को किन-किन कारणों से बंद किया गया तथा उक्त विद्यालयों की छात्र संख्या कितनी-कितनी थी? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंद किये गये उक्त विद्यालयों को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन विहीन बंद किये गये विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराकर भवन निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में राजसमन्द के किसी भी राजकीय विद्यालय को बंद नहीं किया गया, अपितु अन्य राजकीय विद्यालयों में समन्वित किया गया, उनका छात्र संख्या एवं समन्वयन के कारण सहित विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 01 के अनुसार।

(3) विगत पांच वर्षों में जिला राजसमन्द के किसी भी विद्यालय को भवन के अभाव में बंद/अन्य राजकीय विद्यालयों में समन्वित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बानसूर कस्बे को नगरपालिका बनाया जाना

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बानसूर मुख्य कस्बा है जहां आबादी भी बहुत अधिक है और व्यावसायिक केन्द्र है। जहां अच्छी तादाद में व्यापारिक गतिविधियां होती हैं और व्यापारी वर्ग भी बहुतायत में निवास करता है। वर्तमान में बानसूर को ग्राम पंचायत बनाया हुआ है जबकि उक्त कस्बे की स्थितियों को देखते हुए बानसूर को नगरपालिका बनाया जाना चाहिए।

नगरपालिका नहीं बनने के कारण यहां पर साफ-सफाई, सड़क एवं आवागमन की समुचित व्यवस्था भी नहीं है जिससे व्यापारियों एवं आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बानसूर कस्बा नगरपालिका हेतु वांछित सारे मापदण्डों की पूर्ति करता है। कस्बे की जनसंख्या भी बहुत अधिक है एवं अन्य शिक्षण संस्थान भी काफी संख्या में हैं। यहां की परिस्थितियों को देखते हुए उक्त कस्बे में नगरपालिका स्थापित करने के सम्बन्ध में बार-बार मांग की जाती रही है परन्तु आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिये गये हैं। आंकड़े गिना दिए जाते हैं आंकड़े गिनवाकर वर्तमान सरकार ने चार वर्ष पूरे कर लिए। जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। बानसूर ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर पर कोर्ट भी है, एसडीएम कार्यालय भी है, बिजली पानी का कार्यालय भी है, कृषि मण्डी भी है एवं सरकार नारा देती है 'स्वच्छ भारत मिशन' तो उसकी पालना करने के लिए ही नगरपालिका बना दें, जिससे सैंकड़ो लोगों को सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाएगी। अत: बानसूर ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मैं मांग करती हूं।

नालों में गंदगी, बदबू व कचरे की भरमार है, कागजों में नियम आंकड़ों की भरमार है, सदन में असत्य घोषणाओं की भरमार है।

अत: इस प्रस्ताव प्रस्तुत के माध्यम से आपसे निवेदन है कि आज की

सदन की कार्यवाही को रोककर इस अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय को चालू कराने तथा उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर राजकीय महाविद्यालय

मान्यवर,

भीलवाड़ा जिले के सर्वाधिक पिछड़े एवं आदिवासी बहुल जहाजपुर तहसील जो कि स्वयं 40 किमी की परिधि में फैला हुआ है। एक भी राजकीय महाविधालय नहीं है। गत कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2013 में जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किया गया तथा प्राचार्य को नियुक्ति दे दी तथा अन्य स्टाफ बाबत भी स्वीकृतियां जारी कर दी गई किन्तु जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की चुनाव में हार होने के कारण राजनीतिक द्वेषतावश उक्त स्वीकृत महाविद्यालय को मंत्रिमंडलीय समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के नाम पर विगत 4 वर्षो से रोक रखा है। सरकार 4 वर्षों में इस विषय पर समीक्षा नहीं कर पाई है। इस दौरान प्रदेश में सरकार ने अनेक महाविद्यालय खोले हैं। किन्तु भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 90 किमी दूर जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय एवं तहसील जहाजपुर क्षेत्र के बच्चे 40-40, 50-50 किमी दूर तक चलकर अध्ययन हेतु जाने को विवश है। अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी होकर आवागमन के साधनों का नितान्त अभाव है। किन्तु सरकार ने अब तक जहाजपुर के स्वीकृत कालेज को अब तक चालू नहीं किया है।

इसी प्रकार से कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय की 30 किमी परिधि में कोई भी राजकीय एवं निजी महाविद्यालय नहीं है। इसके चलते दोनों उपखण्डों के छात्रों एवं अभिभावक सदैव मानसिक तनाव में रहते हैं तथा अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस प्रकार कोटड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यायल खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

अंतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर पर स्वीकृत राजकीय महाविधायल को तत्काल प्रारम्भ

कराया जाए तथा उपखण्ड मुख्यालय कोटड़ी पर भी राजकीय महाविद्यायल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा कराएं।

धीरज गुर्जर

(जहाजपुर)

किशनगढ़ बास व खैरथल में गन्दे पानी की निकासी व्यवस्था

महोदय,

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में नगरपालिका खैरथल व नगरपालिका किशनगढ़बास में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की निकासी नही है। नगरपालिका खैरथल की आबादी लगभग 50 हजार व नगरपालिका किशनगढ़बास की आबादी लगभग 35 हजार है। उक्त दोनों नगरपालिकाएं एन.सी.आर. क्षेत्र में आती हैं। नगरपालिका खैरथल में औद्योगिक क्षेत्र एवं राजस्थान की प्रमुख कृषि उपज मण्डी भी है। नगरपालिका किशनगढ़बास में बरसात के दिनों में पानी की निकासी सही नहीं होने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं की लगभग दूरी सात किमी है, दूरी कम होने पर उक्त दोनों नगरपालिकाओं में व्यापारियों व आमजन का आवागमन काफी बड़ी संख्या में रहता है। उक्त दोनों नगरपालिकाओं में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उक्त क्षेत्र के लोगों में काफी भारी रोष है।

अतः मैं सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि नगरपालिका खैरथल एवं किशनगढ़बास में सीवरेज व्यवस्था व गन्दे पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। जिससे आमजन को आवागमन में आसानी हो सके।

रामहेत सिंह यादव

(किशनगढ़बास)

संगरिया की खिनानियां नहर में पानी की आपूर्ति

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया की खिनानियां नहर जिसमें सिंचाई पानी की आपूर्ति तय सीमा से कम की जा रही है। कई वर्षो से किसानों को उनके हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है।

हरियाणा के टोहाणा हैड से काजल हैड तक पानी फतेहबाद ब्रांच सिद्धमुख फीडर से आता है। काजल हैड से नोहर के लिये हरियाणा की

फतेहबाद ब्रांच से पानी नहराणा (हरियाणा) हैड तक पानी आता है। नहराणा से सी.पी.-4 पर हरियाणा व राजस्थान जिसमें नोहर फीडर व वरवाली का पानी इकट्ठा होता है। नोहर फीडर से हरियाणा के किसानों द्वारा पानी चोरी किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा द्वारा बरवाली नहर में शेयर से ज्यादा रकबा सिंचित घोषित कर रखा है। परन्तु नहर की क्षमता नहीं बढ़ाई गई है। जिससे राजस्थान का 106 क्यूसेक पानी के हिस्से में से मात्र 50 क्यूसेक पानी अधिकतम सी.पी.-4 पर पहुंचता है। जिससे राजस्थान के नोहर के किसानों का हिस्सा मर रहा है।

फेफाना हैड से खिनानियां व जसाना नहर निकलती है। नोहर खण्ड द्वारा नहरों के दो ग्रुप बनाकर पानी चलाया जाता है। यदि खिनानियां प्रथम ग्रुप में पहली वरीयता में होने से खिनानियां. मलबानी, जसाना को पानी हरियाणा से कम होने पर भी किसानों को मिल जाता है। परन्तु जसाना प्रथम होने पर खिनानियां को टेल तक पानी नहीं मिलता है, क्योंकि जसाना नहर बड़ी होने के कारण जसाना के किसानों को 80 प्रतिशत तक पानी मिल जाता है, लेकिन खिनानियां को नहीं मिल पाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नहराणा हैड से वरबाली के कमान्ड एरिया के अनुसार नहर की क्षमता बढ़ाई जाए एवं नोहर फीडर से हो रही पानी चोरी को हरियाणा में रोका जाए। हरियाणा के मलवानी माइनर को क्षमता अनुसार गेट की तालाबंदी की जाए।

राजस्थान में नोहर डिवीजन द्वारा खिनानियां के शेयर के अनुसार पानी प्रतिमाह दिया जावे एवं खिनानियां के रतनपुरा हैड व पंजाब हैड के सीधे मोघो की तालाबंदी की जाए, जिससे खिनानियां माइनर के टेल तक किसानों को रतनपुरा हैड से पूरा पानी मिल सके।

कृष्णा कड़वा
(संगरिया)

अनूपगढ़ में आवारा पशुओं से किसानों को परेशानी

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद मुझे आपने नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया। अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र को वर्तमान में किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से मुख्य समस्या है आवारा पशुओं की समस्या व आवारा पशुओं से किसान परेशान ही नहीं बल्कि चौबीस घटों खेत की रखवाली करनी पड़ती है। चाहे सर्दी हो या

गर्मी खेत में ही सोना पड़ता है। कई बार तो हिंसक आवारा पशुओं से किसानों को अपनी जान का भी नुकसान उठाना पड़ता है। क्षेत्र में आये दिन आवारा पशुओं के कारण वाहनों के साथ दुर्घटना के मामले सामने आते हैं। किसानों के खेतों में जाकर गेहूं चना सरसों आदि फसलों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आज चाहे खेतों में जाओं सड़कों व बाजार में बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे आम जनता में दुर्घटना का कारण बनता है। आवारा पशुओं से किसान अपनी फसल की सुरक्षा करने में बहुत परेशान है। सभी गांवों में हजारों की सख्या में आवारा पशु हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए सरकार की तरफ से पशुओं की गौशाला या विशेष योजना बनाकर पशुओं की बाड़ाबंदी कर किसानों को आवारा पशु से राहत प्रदान करें।

सधन्यवाद

शिमला बावरी

(अनूपगढ़)

सिवाना के गांवों को पाली जिले के बांकली बांध से पानी दिया जाना

निवेदन है कि पाली जिले का बांकली बांध मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गावों के सीमा तक सिंचाई हेतु पानी देता है। इस वर्ष अधिक बरसात होने के कारण बांध लबालब भरा तथा बांध से अतिरिक्त पानी नदी में छोड़ा गया है।

इस बांध से रबी की सिंचाई हेतु विधान सभा क्षेत्र आहौर तथा पाली के कई गांवों को पानी दिया जाता है, जिनमें गांव बीजली, सेलड़ी, बांकली उमकली, रांखोणा, धीगाड़ा, गढवाड़ा, नौरया, भादरा जूनढाणी आदि गांवों को सिंचाई हेतु किसानों को पानी दिया जाता है। इस वर्ष बांध में पानी अधिक आने के कारण उपरोक्त गांवों में सिंचाई हेतु जो पानी दिया जाएगा उसके अलावा अतिरिक्त पानी इन्हीं गांवों के कई खेतों को बेकार कर देता है। खेतों में जल भराव होने के कारण खेत तो खराब होते ही हैं साथ ही पानी भी बेकार हो रहा है।

इस बेकार होने वाले पानी से मेरे क्षेत्र के कई गांवों को लाभान्वित

किया जा सकता है। इस बांध से आने वाला पानी जो सिंचाई हेतु दिया जाता है, उन गावों की सीमा से सटे हुए मेरे क्षेत्र के गांव जो बांकली बांध के पानी से लाभान्वित हो सकते हैं, उनमें रातड़ी, अर्थन्डी, छियाली, सेवाली एवं सांवरड़ा इन गांवों के तलाब बहुत बड़े हैं, जिनमें कच्चे नाले के जरिए पानी डालकर, लोगों को एवं पशुधन को पीने हेतु पानी दिया जा सकता है।

वर्षों पूर्व इन गांवों में बांकली बांध से पानी डाला भी गया था एवं विभाग द्वारा सर्वे करके सिंचाई हेतु पानी दिये जाने की कार्यवाही भी की जा चुकी है। मेरा निवेदन है कि व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर मेरे क्षेत्र के उपरोक्त गांवों के तालाबों में डाला जाए तो जनहित में रहेगा साथ ही पाली एवं आहोर क्षेत्र के गावों में जो अतिरिक्त पानी फैलाव करता है उससे भी बचा जा सकता है।

जल संसाधन विभाग, पंचायती राज एवं राजस्व विभाग एक संयुक्त टीम बनाकर बांध में पानी का आंकलन तथा मेरे क्षेत्र के गावों को पानी कैसे दिया जा सकता है, इस ओर सर्वे करवाकर राहत प्रदान किये जाने का श्रम कराएं।

धन्यवाद।

हमीरसिंह भायल

(सिवाना)

कोटा शहर में कृषि भूमि पर कालोनियां विकसित होने से 1600 हैक्टेयर कृषि भूमि को डी-कमाण्ड कर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कोटा जिले में स्थित चम्बल परियोजना मध्यप्रदेश व राजस्थान की साझा सिंचाई योजना है पिछले काफी वर्षों से कोटा शहर में लगातार नहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर नवीन कालोनियों के विस्तार होने के कारण 1600 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय कालोनियां बन चुकी हैं। उक्त क्षेत्र को-कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा सर्वे रिपोर्ट सरकार को भिजवायी गयी है ताकि असिंचित क्षेत्र के बदले सर्वे कराकर नया सिंचित क्षेत्र विकसित किया जा सके, लेकिन अभी तक भी उक्त क्षेत्र को डी-कमाण्ड घोषित नहीं किया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड दीगोद के कई ग्राम पंचायतों के गांवों में भू-जल स्तर 1000 फीट से भी नीचे होने के कारण सिंचाई का कोई

अन्य विकल्प नहीं है। जिससे क्षेत्र के किसानों की माली हालत खराब होती जा रही है। वर्तमान में पानी के अभाव में कई खेत सूखे पड़े हुए हैं एव गायों की रेवेन्यू दिनोंदिन गिरती जा रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा. रेलगांव, चारचौमा, पोलाई, कुराड़ के कई गांव असिंचित होने के कारण किसान आन्दोलनरत हैं। यदि कोटा शहर के विस्तार के कारण 1600 हैक्टेयर भूमि जो असिचित हो चुकी है उसे डी-कमाण्ड घोषित कर नये क्षेत्र के लिये सर्वे कराते हुए स्वीज पैटर्न पर नया टेण्डर कर क्षेत्र विकसित किया जाए तो क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजना से किसानों की फसलों के लिये सिंचाई जल मिल सकेगा।

माननीय मंत्रीजी का पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि कोटा शहर के नहरी क्षेत्र में लगभग 1600 हैक्टेयर कृषि भूमि पर कालोनियों विकसित होने से असिंचित भूमि को डि-कमाण्ड कर उसके बदले प्रस्तावित गांव में सर्वे कराते हुए स्वीज पैटर्न पर ब्लाक 1, 3, 4, 5 के गांव में नया सिंचित क्षेत्र विकसित करने का श्रम करें ताकि किसानों को राहत मिल सके।

हीरालाल नागर

(सांगोद)

बीसलपुर बांध के समीप स्थित वन विभाग की भूमि पर गौ-अभयारण्य

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध के समीप लगभग 250 बीघा वन विभाग की भूमि उपलब्ध है। बीसलपुर बांध भी उक्त क्षेत्र में ही आता है जिसके आस-पास का दृश्य अत्यन्त सुन्दर एवं मनमोहक है। यदि यहां गौ-अभयारण्य बना दिया आए तो अनेक लाभ होंगे। एक तरफ गौमाता की सेवा सरंक्षण का कार्य होगा वहीं दूसरी और सड़क, कस्बे में लावारिस घूमने वाले गौ-वंश एवं गौ-माता को अभयारण्य में रखा जाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। असंवैधानिक रूप से संचालित बूचड़खानों में गौ-वंश की हत्या किये जाने के प्रकरणों में भी कमी आ सकती हैं। गौ-अभयारण्य में हजारों गौ-माता एवं गौ-वंश स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। यहां काफी कम खर्च में गाय माता का भरण-पोषण, रख-रखाव एवं सुरक्षा हो सकती हैं।

मध्यप्रदेश में दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को ग्राम सामरिया जिला

शाजापुर को गौ-अभयारण्य घोषित जिसमें हजारों गायों का सरंक्षण एवं पालन करने की योजना कनाई गई हैं प्राचीन समय में गाय को प्राप्त सम्मान पवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए भारतीय गौ-वंश की नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन के व्यापक इंतजाम के उद्देश्य के लिए गौ-अभयारण्य बनवाया जाना आवश्यक हैं। अभयारण्य में गाय के गोबर और गौ-मूत्र से कीटनाशक का निर्माण, गौ-वंश के लिये चरागाहों का विकास, लावारिस और दान में प्राप्त और पुलिस द्वारा जप्त गायों के लिये आवास, आहार की सुनिश्चितता तथा गो-वंश के निर्भय एवं स्वतंत्र विचरण के लिये पर्याप्त व्यवस्था एक अच्छा कार्य है। जिसमें गौ-वंश के लिये स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करना भी अभ्यारण्य का प्रमुख लक्ष्य रखा जा सकेगा।

इस गौ-अभयारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गौ-मूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया जाकर अनेक लाभ हो सकेंगे, बीसलपुर के वन क्षेत्र के अभयारण्य में गौ-वंश के लिये बीसलपुर बांध के समीप होने के कारण जल की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी एवं पशु-चारे के लिये रजका एवं चारे की खेती भी आसानी से होगी।

राजेन्द्र गुर्जर

(देवली-उनियारा)

राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ना

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में कई राजस्व गांव पक्की सड़कों से वंचित हैं। इन गांवों में आने-जाने एवं बीमारी की हालत में आमजन को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र से भेदभाव नहीं करते हुए जितने भी राजस्व गांव सड़क से वंचित हैं उनको पक्की सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।

इस मांग की माननीय मंत्री महोदय द्वारा सदन में घोषणा कराई जाने की कृपा करें।

धन्यवाद।

गिर्राज सिंह

(बाड़ी)

सलूम्बर के राजकीय चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

महोदय,

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र मेंः-

1. राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर को 200 बैड में कनोन्नत किया जाए।
2. मुख्यालय उदयपुर से 72 किलोमीटर दूर जनजाति बहुल क्षेत्र में स्थित है।
3. सलूम्बर सामान्य चिकित्सालय की 50 किमी की परिधि में लगभग 500 गांव लाभान्वित हो रहे हैं।
4. वर्ष 2008 में सी एच सी में 50 बैड 100 बैड में कमोन्नत किया गया।
5. वर्ष 2011 में राजकीय सामान्य चिकित्सालय का दर्जा मिला तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित किया।
6. निम्नलिखित राजकीय सामान्य चिकित्सालय सलूम्बर की ओपीडी में दो नये वार्डो का निर्माण, 10 ओपीडी रूम, मीटिंग हाल एक स्टोर, 5 डाक्टर्स आवासीय भवन, 10 नर्सिंग आवासीय क्वार्टर का निर्माण।
7. निम्नलिखित राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कमोन्नत करें:-

   (1) सुरखण्ड का खेडा (सेमारी) (2) गामडापाल सलूम्बर, (3) रठोडा (सेमारी) (4) सिघटवाडा (सराडा) (5) खरका (6) कुण्डा (सेमारी) (1) ईडाणा (8) गुडेल।

8. निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक स्वा. केन्द्र को सीएचसी में क्रमोन्नत करें:-

   (1) चावण्ड सराडा (2) जावद सराडा (3) पलोदडा-सराडा (4) देवपुरा- सराडा (5) ईटाली खेडा-सलूम्बर (6) सेरिया सलूम्बर (7) उधरदा-सलूम्बर।

9. सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में वंचित राजस्व गांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं।

सादर।

अमृत लाल मीणा

(सलूम्बर)

राज्य में युवाओं को रोजगार

महोदय,

राज्य में संचालित एवं वर्तमान में स्थापित हो रहे उद्योगों में Robotic Pattern को अधिक महत्व दिये जाने के कारण से राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावना समाप्त होती जा रही है। एक ओर जहां राज्य सरकार युवाओं को दक्ष करने के लिए विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगने वाले बड़े-बड़े औद्योगिक घराने मानव श्रम के स्थान पर रोबोटिक प्रणाली को अधिक महत्व दे रहे हैं। जहां रोबोटिक प्रणाली से संचालित उद्योगों में मानव श्रम की आवश्यकता नहीं है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की बिजली की खपत भी अत्यधिक बढ़ रही है जिससे प्रदेश के विद्युत विभाग पर लगातार अतिरिक्त भार पड़ने की स्थिति बन रही है।

जहां राज्य के युवा सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त निजी संस्थानों एवं उद्योगों में नौकरी की आस लिये विभिन्न ट्रेड में तकनीकी कोर्सेज कर रहे हैं किन्तु रोबोटिक प्रणाली के कारण से इन युवाओं को उद्योगों में रोजगार की संभावना समाप्त हो गई है जिससे प्रदेश का युवा बेरोजगार होने के कारण से नशे व मानसिक अवसाद की जद में जाने की स्थिति में है। साथ ही उनके अपराध में लिप्त होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि प्रदेश के युवाओं को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने के लिए प्रदेश में रोबोटिक प्रणाली से संचालित उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाए व पूर्व में स्थापित रोबोटिक प्रणाली के उद्योगों में मानव श्रम नियोजित करने के निर्देश उद्योगपतियों को जारी किये जाएं।

धन्यवाद।

बनवारी लाल सिंघल

(अलवर शहर)

मसूदा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

मैं आपको अवगत कराना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण आने-जाने के लिए सीमित मार्ग एवं ग्रामीण सड़कें हैं। पूर्व में बनी सड़कें विभिन्न विभागों की होने के कारण लम्बे समय से इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। टूटी सड़कों पर ग्रामीणों के आने-जाने पर उनके वाहन खराब हो जाते हैं और समय भी अधिक लगता है। इस

कारण ग्रामीणों के मन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं राज्य सरकार की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मुझे सदन में बताते हुए बहुत ही खेद का अनुभव हो रहा है कि क्षेत्र की प्रमुख सड़क मसूदा से विजयनगर वाया रामगढ़, बांदनवाड़ा से मसूदा, नागोला से भिनाय का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण सड़कें बनने के साथ ही जगह-जगह से टूट गयी हैं, तथा सड़क की पूर्व की चौड़ाई को भी कम कर दिया गया है। बढ़ते वाहन और जनसंख्या के समय में सड़क की चौड़ाई को कम करना निश्चय ही अजीब है। नयी बनी सड़कों का गारण्टी अवधि में टूटने के कारण सड़क बनाने वाले ठेकेदार एवं तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही प्रतीत होती है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि टूटी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान कराएं तथा नयी बनी सड़कों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी कराएं।

सुशील कंवर

(मसूदा)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 27– पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर):

1. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कसौटिया पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में फ्लोराइड युक्त पेयजल से निजात दिलवाने हेतु शेष वंचित ग्राम पंचायतों में आर.ओ. प्लांट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के राजस्व गांव जाम्बड़ा लक्ष्मणगढ़ (चाबा) व बासनी मनणा में उच्च जलाशय बनाकर राजस्व गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहत् जलप्रदाय योजना आर.डी. 159 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-बालेसर एवं आर.डी. 134 देवानिया-नाथड़ाऊ-कनोडिया-54 मील-शेरगढ़-चाबा में वंचित रहे राजस्व गांव एवं चयनित ढाणियों के लिए प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति जारी करवाकर पेयजल से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल आपूर्ति सुचारु नहीं होने वाले स्थानों पर तंत्र सुधार योजना के तहत सीडब्ल्यूआर मय बूस्टर स्वीकृत कर पेयजल आपूर्ति सुचारु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नकारा नलकूप, ओपनवैल एवं हैण्डपम्प के स्थान पर गुणवत्ता वाले भू-जल स्थान पर नवीन नलकूप एवं हैण्डपम्प खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

7. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पाल-बाईपास चौराहा पर शहरी जलप्रदाय

योजना में ए.एफ.डी. पाल क्षेत्र में दो नवीन ओवर हैड का निर्माण कर पाल गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने एवं अन्य पाल क्षेत्र की पेयजल से वंचित कालोनियों में पेयजल उपलब्ध करवाने लूणी की ग्राम पंचायत नान्दड़ा कलां, नान्दड़ी, झालामण्ड, पाल, बोरानाडा, सांगरियां, कुड़ी भगतासनी एवं चौखा को शहरी पेयजल योजना में सम्मिलित कर 170 एल.पी.जी. पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत झालामण्ड, भाचरणा, बड़ला नगर, पंचायत समिति लूणी व चौखा व बड़ली, पंचायत समिति मण्डोर की विचाराधीन जलप्रदायों व चौखा, बड़ली, गोलासनी पेयजल योजना को शीघ्र पूर्ण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र लूणी के विभिन्न गांवों व ढाणियों में पेयजल की विभाग द्वारा बनाई गई विभिन्न पेयजल योजनाएं स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी में जो जलप्रदाय योजनाएं चल रही हैं, उनकी मुख्य पाइप लाइनों पर अनेक अवैध कनेक्शन की रोकथाम हेतु संसाधनों सहित विजिलैंस कमेटी गठित करने एवं भू-जल माफियाओं पर पाबंदी लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र लूणी की पंचायत समिति लूणी व मण्डोर जिला जोधपुर के नगर खण्ड व ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खण्डों में हैल्पर, लाइन मैन, जे.ई.एन., ए.ई.एन. व अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने, एक ही स्थान पर लम्बे समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थानान्तरित करने व अधिकारियों, ठेकेदारों व विभाग के कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उसमें कोताही बरतने पर सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

12. अलवर जिले को चम्बल के पानी की आपूर्ति हेतु योजना को अविलम्ब क्रियान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में भू-जल का स्तर अत्यधिक गहरा चला जाने के कारण पेयजल उपलब्ध करवाने की दृष्टि से शहर से बाहर से पानी लाया जाकर शहर को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

14. अलवर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दांतीवाड़ा-माणकलाव परियोजना से बिलाड़ा शहर एवं ग्रामों को उचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम की कुण्डा, जालेली फौजदारी, बीजवाड़िया बोरून्दा, पटेल नगर, बीजवाड़िया मालावास में उच्च जलाशय निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में माणकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल योजना में वंचित राजस्व ढाणियों को नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा शहर के वार्ड नं. 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22 में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा शहर, खारिया मीठापुर, पिचियाक बीजवाड़िया, उदलियावा झाक कालाऊना, रामपुरिया ग्रामों को फ्लोराइड युक्त खारा-मीठा पानी की आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 93 गांवों को जयसमन्द झील से जल आरक्षित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्रत्येक राजस्व गांव में पनघट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ईटाली खेड़ा, डगार सहित 15 गांवों में सोम कमला आम्बा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नगरपालिका सलूम्बर में उच्च जलाशय टंकी एवं अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराड़ा एवं सेमारी क्षेत्र के नवनिर्मित राजस्व ग्राम तक जयसमन्द से पेयजल आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण):

25. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम मृजीपुर में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम कस्बाडेहरा में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के ग्राम हाजीपुर में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन):

28. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के पटोदा में पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के सुरौठ में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. चम्बल का पानी हिण्डौन क्षेत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

31. टोंक जिला मुख्यालय पर पेयजल समस्या के समाधान हेतु शहरी पुनर्गठित पेयजल योजना में हो रहे धीमी गति के कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र टोंक के टोंक-देवली-उनियारा बीसलपुर पेयजल योजना से वंचित गांवों को पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. विधान सभा क्षेत्र टोंक में पंचायत समिति टोडारायसिंह की सम्मिलित 11 पंचायतों में बीसलपुर पेयजल योजना से वंचित नये राजस्व गांवों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र टोंक में फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों में आर.ओ. प्लान्टस लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

35. सहयोग अपार्टमेन्ट-टावर प्रथम सेक्टर छह विद्याधर नगर जयपुर में सरकारी आवासों में रह रहे सरकारी कार्मिकों एवं अन्य निवासियों को पेयजल आपूर्ति का स्थायी समाधान करने एवं इनको बिल प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

36. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ग्राम शहजादपुर एवं ग्राम मुण्डनवाड़ा कलां में रीजनल स्कीम बनाकर उच्च जलाशय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में ग्राम नागल रानिया में पेयजल की विकट समस्या से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर-ग्रामीण):

38. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के पैराफेरी U.I.T. एरिया में पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनता जल योजना को सौर ऊर्जा से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बड़ी तालाब से 12 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जयसमन्द से आने वाले पानी से तीतरड़ी की कालोनियों को पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

42. जैसलमेर स्थित जलदाय विभाग के कर्मचारियों की उपलब्धता कम होने एवं गर्मी के मौसम में टैंकर से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पुरानी पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. जैसलमेर जिले में गांवों में नये ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प खुदवाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. जैसलमेर जिले में पेयजल की लम्बी दूरी की पुरानी पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

46. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में विभाग द्वारा खोदे गये सार्वजनिक कुओं को पी. एण्ड टी. योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गांवों को सौर ऊर्जा आधारित पनघटों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के मेटाली, माथुगामडा खास, मेवाड़ा, चुण्डावाडा तथा मदार फली में उच्च जलाशयों का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के उप खण्ड मुख्यालय बिछीवाड़ा में उच्च जलाशय व सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. मुख्य मंत्रीजी की घोषणा डिमिया बांध की ऊंचाई बढ़ाकर डूंगरपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):

51. लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर वृहद योजना का कार्य समय पर पूरा नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

52. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायतों में स्थित जनता जल योजना में सुधार व मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला वाटर वर्क्स का पुन: जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में JJY वाटर वर्क्सों व PHED वाटर वर्क्सों में वर्तमान जनसंख्या के अनुसार नहरों से पेयजल स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में BSF के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

57. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की ग्राम पंचायत ओवरा कलां में जनता जल योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पुनर्गठित जल योजना सायरा की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

59. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में बड़े गांव एवं बड़ी पंचायतों में नलकूप पाइप लाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

60. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के गांव एवं शहरों को इन्दिरा गांधी नहर पर आधारित पेयजल योजना का पानी शीघ्र उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में पेयजल योजनाओं की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में सूखे नलकूप, ट्यूबवैल के स्थान पर नए ट्यूबवैल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

63. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की विचाराधीन स्कीमों को स्वीकृत करने एवं आपणी योजना में घर-घर कनेक्शन जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

64. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में समस्त P.H.E.D. व J.J.Y. संबंधी लम्बित पड़ी योजनाओं का जीर्णोद्धार कर समस्त ग्रामों, वार्डों एवं ढाणियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के समस्त जनता जल योजना के कार्मिकों को स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. पंचायत समिति रायसिंहनगर के ग्राम तरतासर में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के तहसील श्री विजयनगर में जनसंख्या वर्ष 2011 पर आधारित शुद्ध पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. रायसिंहनगर के ग्राम पंचायत भोमपुरा में शुद्ध पेयजल सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना):

69. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की नर्मदा योजना के कार्य को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में निर्मित उच्च जलाशयों को पानी की लाइनों से जोड़कर जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी एवं सिवाना PHED खण्ड में स्थित ढाणियों, मजरों, नये राजस्व गांवों को वर्तमान में कार्य कर रही योजना से जोड़ने एवं नई स्कीम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी में लगे आर.ओ. प्लान्ट की स्थिति एवं नवीन आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की तीन योजनाएं नर्मदा, पोकरण फलसूण्ड बालोतरा सिवाना एवं उम्मेदसागर धवा खण्डप योजना के धीमे काम को गति देकर जनता को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

74. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में जनता जल पेयजल योजना का विस्तार कर पेयजल से वंचित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सैंपऊ बसई नवाब क्षेत्र की स्वीकृत 44 गांवों के चम्बल पेयजल योजना से बचे गांवों का सर्वे कराकर पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग एवं ग्रामीण इलाकों में चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. बाड़ी शहर की 2050 की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर नई पेयजल परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में चम्बल परियोजना से सैंपऊ बसई नवाब क्षेत्र के 44 गांवों को दिये जाने वाली पेयजल परियोजना शीघ्र पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़):

79. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्राम मिर्रे कुहाड़वास सुल्ताना, मैनाना, डेलवास में आर.ओ. प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

80. विधान सभा क्षेत्र बायतू के दुर्गम गांवों में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए नलकूपों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र बायतु के सभी गांवों और ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर शेष गांवों व ढाणियों को जोड़ने के लिए पुन: सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. बाड़मेर की गिड़ा तहसील की जनता को मीठा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बिलिया से सणतरा भाखरी तक का कार्य जल्दी पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़):

83. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम माजीपुरा की पेयजल योजना की स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम सामरेड कलां की पेयजल योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम दीपपुरा में पानी की योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम धावपुरा में पानी की योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम भानपुर कलां में वृहत् स्तर पर पेयजल योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

88. सांचौर में DR प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों को पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा परियोजना पर स्थित ER Project के तहत क्लस्टर का कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज):

90. बारां कारागार में पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद के 11 कस्बों में पेयजल विस्तार हेतु एसएलआर टंकी स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़-अलवर):

92. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कम से कम 100 हैण्डपम्प, 20 आर.ओ. एवं 20 सिंगल फेज 4 स्कीम स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

93. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बजट घोषणा के अनुरूप 100 नये हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

94. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

95. नगर खण्ड बाड़मेर में 100 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

96. नगर खण्ड बाड़मेर में सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित ट्यूबवैल लोरटी हाइट (उण्डखा), दर्जियों की ढ़ाणी (सनावड़ा), शेर सिंह की ढाणी के पास (गंगासरा), ग्राम दांता (मारूड़ा) की स्वीकृति दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पार्ट 'ब' के बंद पड़े कार्य को शुरू करने एवं पार्ट 'स' के कार्य को शुरू कर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. नगर खण्ड बाड़मेर में ग्राम मलवा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु खोदे गये ट्यूबवैल पिछले छह महीनों से बंद होने तथा सोमोणी मीलों की ढाणी (गेंहू) में बंद पड़े ट्यूबवैल को शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. बाड़मेर में आगामी गर्मियों को देखते हुए पेयजल के कार्यों हेतु अतिरिक्त श्रमिक लगाने, वाहनों को रखने एवं कन्टींजेंसी प्लान स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

100. विधान सभा क्षेत्र सागवाडा के पादरडी बड़ी में पेयजल योजना का पुनर्गठन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के चितरी-बड़गी पेयजल योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. विधान सभा क्षेत्र सागवाडा में रामसोर माही नदी पर फिल्टर प्लांट लगाकर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में फलातेड़ गांव में पेयजल योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सिलोही गांव में पेयजल योजना का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

105. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों को चम्बल पेयजल योजना से जोड़े जोने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा):

106. रावलिया खुर्द पंचायत समिति गोगुन्दा में जनता जल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई):

107. बांदीकुई शहर व बसवा शहर में टैंकर द्वारा खारे पानी की सप्लाई होने एवं कम टैंकर सप्लाई कर ज्यादा का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बसवा व गुढ़ा कटला में, बिवाई बडियाल कलां में जीर्ण-शीर्ण हो चुकी पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर ओपन पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम पंचायत गुढ़ा कटला में पर्वूवर्ती सरकार के समय बने टैंकों में पाइप लाइन डालकर बोरिंग से कनेक्शन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चम्बल परियोजना से लिफ्ट नहर द्वारा किये जाने वाले पानी सप्लाई की योजना में बांदीकुई को भी जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की ग्राम पंचायत कोलवा, सोगला, गुढ़लिया, बिराई एवं बसवा में स्थानीय पेयजल योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल):

112. विधान सभा क्षेत्र जायल के गांव पिण्डिया/खीयावास/लाडियां/सेनिली में पेयजल हेतु ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. जायल उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित कस्तूरबा गांधी एवं शारदे आवासीय छात्रावास परिसर में ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर):

114. कोटा शहर में कृषि भूमि पर बसी कालोनियों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

115. जयसिंहपुरा खोर, जयपुर को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा):

116. अलसीसर ब्लाक के (झुंझुनूं) 85 गांवों को कुम्भाराम लिफ्ट पेयजल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम):

117. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में क्षतिग्रस्त एवं बंद पड़े कुओं को चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

118. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल कस्बों के लिए पुनर्गठित शहरी जलप्रदाय योजना स्वीकृत करने तथा जर्जर पेयजल लाइनें बदलने के संबंध में चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न कस्बों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने तथा ग्राम पंचायत नान्दरी में उच्च जलाशय का निर्माण एवं पाइप लाइन से पेयजल की सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर पेयजल परियोजना का कार्य धीमा होने तथा सांभर में नया अधिशासी अभियंता व किशनगढ़-रेनवाल में नया सहायक अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पी.एस.पी. पद्धति पर हो रहे कार्य की समीक्षा कर घर-घर नल कनेक्शन योजना द्वारा पेयजल सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत):

122. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर उप खण्ड स्तर पर उच्च जलाशयों सहित पुरानी पाइप लाइनों के स्थान पर नई पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

123. विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायत गुडा रामसिंह के खेजड़ी ग्वार ढाणी ग्राम भवर आरां, सालरमाला, रायरा कलां-मेराजी का स्थान, ग्राम खरनी खेड़ा, लाखों का खेत उपला पंचायत समिति सोजत में सौर ऊर्जा ट्यूबवैल स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

124. राजकीय महाविद्यालय सोजत शहर व स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल सोजत शहर में पेयजल कनेक्शन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

125. विधान सभा क्षेत्र नागौर के गांवों की पेयजल योजना की G.L.R. टूटने से पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र नागौर के सेवड़ी से छीला सतेरण, पीपासर की ओर पानी सप्लाई नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

127. विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़बास के ग्राम आकोली की दोनो ढाणियों व ग्राम आकोली में पेयजल की समस्या हेतु टैंक निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़बास में नगरपालिका खैरथल में 10

बोरिंग एवं किशनगढ़ नगरपालिका में 05 बोरिंग स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़बास के ग्राम पालपुर खानपुर अहीर बम्बोरा, खानपुर मेवान, माचा दोगड़ा, बसई कलां खोहवास बाझोर, सेखपुर बाधोड़ा, स्माइलपुर धमूकड़ा, नगला डूंगर गांवों में पीने के पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र किशगनगढ़बास की नगरपालिका खैरथल एवं किशनगढ़बास की वृहत् पेयजल NCRPB 3R1 स्वीकृत योजना को शीघ्र कार्यरूप देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल):

131. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित लाड़िया/पिण्डिया/खियांबास/बुगरड़ा गांवों में ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम डेह में स्थित कुंजल माता परिसर में ट्यूबवैल खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र जायल में स्थित निम्बोड़ा/आकोडा/कांगसिया/कमेड़िया/जानेवा गांवों को ग्राम जोधियासी में बने डैम से सीधा जोड़ने हेतु पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

134. बीसलपुर परियोजना का पानी ब्यावर क्षेत्र के 199 गांवों को देने के लिए स्वीकृत योजना को ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कराने एवं 04 वर्ष से कार्य पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

135. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों की वृहत् पेयजल योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के प्रत्येक ग्राम को शुद्ध पेयजल से जोड़ने के लिये हरीपुरा मांझी, एबरा व बड़ौद वृहत् पेयजल योजना को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में निर्मित जीएलआर एवं पेयजल वितरण के लिये डाली गई पाइप लाइनों के निर्धारित मापदण्डों के संबंध में चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में पेयजल स्रोतों के पुनरुद्धार एवं नये पेयजल स्रोत विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय सुल्तानपुर एवं इटावा में रिक्त चल रहे पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

140. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गांव सारायण, बास सारायण, कोहिना, मदावास, पूनावास, थैलाना में पीने के पानी की आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

141. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के अन्तिम छोर तक पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

142. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में छीपाबड़ौद तहसील के गांव लाड़पुरिया में लोगों द्वारा फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से हो रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिन्दुरीया देह पेयजल परियोजना छीपाबड़ौद (बारां) को मन्जूर कर कार्य शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

144. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में शुरू होने वाली अपूर्ण जल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर, शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के सभी राजकीय विद्यालयों में बीसलपुर जल परियोजना के तहत फ्लोराइड मुक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए PSP कनेक्शन मुफ्त देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

146. दौसा नगर परिषद क्षेत्र में नवविकसित कालोनियों में पाइप लाइन डालने एवं पुरानी डाली गई पाइप लाइन का मरम्मतीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र दौसा में फ्लोराइड एवं TDS आधिक्य वाली ग्राम पंचायतों का सर्वे कराकर वहां शुद्व पेयजल हेतु R.O. प्लान्ट स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र दौसा में 1000 से कम आबादी वाले राजस्व गांवों के लिए जल योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ऐसे एकल पाइन्ट जो बिजली कनेक्शन एवं मोटर तथा रखरखाव के अभाव में खराब पड़े हैं उन्हें पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

150. विधान सभा क्षेत्र दौसा में पुराने एवं सूखे नकारा हैण्डपम्पों के स्थान पर नवीन हैण्डपम्पों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी):

151. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की अलोद पंचायत के ग्राम ब्रह्मा की छापर को सरकारी कुआं या पचपहाड़ योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ग्रामों में पूर्व में निर्मित जनता जल योजना को पुन: जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित चेचर, माडेक, खैराबाद व कुम्भकोट को शहरी क्षेत्र के मापदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. एकलिंगपुरा से रामगंजमण्डी में पुरानी पाइप लाइन (PSCC) को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. रामगंजमण्डी सुकेट एवं 14 अन्य ग्रामों में पेयजल पुन: संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

156. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर के ग्राम पंचायत नेतेवाला की 1 G छोटी (ढका वाली ढाणी) में पेयजल सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर की ग्राम पंचायत 21 GG के गांव 19 GG

को वर्तमान पेयजल सप्लाई 18 GG की बजाय 19 GG में ही मिनी वाटर वर्क्स स्कीम बनाकर सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर की ग्राम पंचायत 4 Z की शहर से चिपकी कालोनियों को पारीक कालोनी (1 B) दर्शन कालोनी, दुर्गा विहार (1 B), बावरियों वाली ढाणी, रामदेव कालोनी, गोविन्द नगर-II, 1 E करणी मार्ग को शहरी जलप्रदाय योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर की ग्राम पंचायत 11 LNP ख्यालीवाला में वाटर वर्क्स निर्माण कर आस-पास के गांवों में पेयजल सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में गणेशगढ़ ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई डूंगरसिंहपुरा से न कर अलग GLR की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

161. विधान सभा क्षेत्र मावली में फ्लोराइड युक्त गांवों/ढाणियों में आर.ओ. प्लान्ट लगाकर, सोलर डीएफयू, सोलर लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र मावली के समस्त राजकीय विद्यालय आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र मावली में पेयजल की पुरानी क्षतिग्रस्त पाइप लाइन बदलने एवं मरम्मत करने वाली पुरानी पानी की टंकियां जो जर्जर अवस्था में हैं, उनके स्थान पर नई टंकियां बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र मावली में औद्योगिक क्षेत्र उमरडा, झामर कोटडा, हिन्दुस्तान जिंक, गुडली, फतहनगर, सनवाड सुखेर के आस-पास की पंचायतों में शुद्ध पेयजल के लिये पेयजल योजना/आरओ की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र मावली में ग्राम पंचायत नामरी, सागवा, गादोली, मागथला, भानसोल सिन्धु, नुरडा, रख्यावल, बासलिया, बडियार,

खेमली, जैवाणा, जावड, अम्बेरी, बेदला, भैसडाखुर्द साकरोदा में पेयजल योजना की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

166. विधान सभा क्षेत्र भीम को फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

167 विधान सभा क्षेत्र भीम को बीसलपुर व चम्बल परियोजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

168. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के कस्बों में जनसंख्या के मापदण्ड अनुसार बड़ी टंकियों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में फ्लोराइड युक्त गांवों में RO मशीन लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

170. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम दादूका, वेरी, खेड़ा निहालपुरा बासड़ी गोनेड़ा की पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम जयसिंहपुरा, रघुनाथपुरा, टापरी, नांगल चेचीका, मलपुरा करवास, दूदा बास, खुर्दी में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. नगरपालिका कोटपूतली में डाबला रोड के पास बसी सभी कालोनियों में पेयजल की समस्या का निदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 1000 से 1500 वाली आबादी वाले गांव व ढाणियों में पेयजल की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में फ्लोराइड पानी की समस्या को दूर करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

175. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के बीकानेर तहसील के अन्तर्गत आने वाले गांवों तक नहरी पानी पेयजल हेतु उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम सुरजड़ा, लाखाखर, सेवड़ा दादू में पेयजल योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने से योजना क्षेत्र के गांवों तक पेयजल नहीं पहुंचने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

177. बीकानेर जिले में जनता जल योजना के अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र कोलायत की पेयजल योजनाओं का रख-रखाव, पाइप लाइनों के लीकेज निकालने का कार्य व खराब ट्यूबवैलों को समय पर ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में नकारा/फेल ट्यूबवैल के स्थान पर नवीन ट्यूबवैल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल):

180. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के विभिन्न गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र झाडौल के गांवों में खराब पड़े हैण्डपम्पों व नलकूपों को नहीं सुधरवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

182. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) में शहरी क्षेत्र हेतु स्वीकृत एवं प्रगतिरत शहरी जल योजना की पुनर्गठित परियोजना के तहत वार्डों में बिछायी जा रही वितरण पाइप लाइन एवं मेन राइजिंग लाइनों की खुदाई से शहरी वाशिन्दों को आवागमन में हो रही कठिनाइयों से शीघ्र निजात दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) की पंचायत समिति किशगनगढ़ एवं अराई के विभिन्न गांवों की पेयजल संबंधी योजनाओं की स्वीकृति जयपुर स्थित मुख्यालय पर लम्बित होने से ग्रामीणों एवं महिलाओं में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय बांदर सिदरी (प.स. किशगनगढ़) एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय कटसूरा (प.स. अराई) में घर-घर पेयजल वितरण की योजना की स्वीकृति जयपुर मुख्यालय पर लम्बित होने से ग्रामीणों में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अज.) के शहरी क्षेत्र की जल योजना की पुनर्गठित परियोजना लागत राशि 215 करोड़ को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु ठोस क्रियान्विति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

186. बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 43 के अन्तर्गत पेयजल समस्या के समाधान हेतु आगामी गर्मियों में क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

187. विधान सभा क्षेत्र कपासन के बामनीया, मुंगाना, उपरेडा, मुरोली, सिंहाना पारी की पेयजल योजना के विस्तार के संबंध में चर्चा के लिए।

188. विधान सभा क्षेत्र कपासन में खराब पड़े हैण्डपम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

189. नगरपालिका कपासन में संचालित पेयजल योजना के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर):

190. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बन्द पड़ी जनता जल योजनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की अनुसूचित जाति/जनजाति की दूर-दराज आबादी क्षेत्रों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की कस्बाई, नगरपालिका आबूरोड क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल स्कीम के विस्तार-रिनोवेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पेयजल सप्लाई में स्वच्छता-सफाई के अभाव, क्लोरीन व फिटकरी आदि की उचित मात्रा उपयोग नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के नवीन प्रस्तावित पेयजल योजनाओं के लम्बित रखे जाने व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

195. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना से गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल स्कीम को बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में शामिल कर स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम पंचायत खजूरना में क्षेत्रीय पी एण्ड टी पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा, सीमल्या, मोरूकलां में स्वजल धारा योजना के पुनर्गठन हेतु पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम पंचायत आवां में पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में जालिमपुरा, पीतमपुरा एवं पीसाहेडा, झाड आमली क्षेत्रीय पाइप्ड पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

200. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के पेयजल योजना में जुड़े घर-घर कनेक्शन वाले चयनित गांवों में पाइप लाइन के क्षेत्रों का विस्तार करने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में आपणी योजना के द्वितीय चरण में चयनित गांवों में PSP की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में आपणी योजना से वंचित ढ़ाणियों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):

203. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के 82 गांवों की जवाई जल परियोजना के नियम विरुद्ध भुगतान करने एवं घटिया सामग्री लगाने, समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

204. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पेयजल की समस्या को देखते हुए जनता जल योजना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के गांव बोहेड़ा में पेयजल की पाइप लाइन डालकर पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में जाखम बांध से पेयजल हेतु स्वीकृत बड़ी योजना के कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में आर.ओ. प्लान्ट लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पंचायत समिति बड़ी सादड़ी डूगला एवं प्रतापगढ़ में पेयजल योजना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर):

209. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के ग्रामों की पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के सरकारी विद्यालयों में पानी की समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

211. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की तहसील जहाजपुर व कोटड़ी में स्वीकृत चम्बल वृहत् पेयजल परियोजना के ठेकेदार द्वारा ठेकों का कार्य सबलेट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

212. भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील में ग्राम पंचायत कोठाज के आसावरी गांव में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ किये गये सरकारी करार की पुन: समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. भीलवाड़ा जिले की ककरोलिया घाटी पेयजल परियोजना से भीलवाड़ा शहर की जलापूर्ति योजना की पुन: समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

214. अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंताओं को राज्य सरकार द्वारा जलप्रदाय योजनाओं में मोटरें खराब होने पर समयावधि में न बदले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

215. लूणकरणसर व ग्राम कालू दोनों गांवों के लिए कंवरसेन लिफ्ट की R.D. 291 से प्रस्तावित योजना व अर्जुनसर स्टेशन के लिए शुद्ध पेयजल योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

216. विधान सभा क्षेत्र निवाई में शहर निवाई में नलों की पाइप लाइन बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

217. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बिड़ोली फिल्टर प्लान्ट से निवाई शहर तक की पाइप लाइन को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर):

219. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नाहर खोरा, खो, साहडी, खेड़ा, कल्याणपुर, खोंकर जटवाड़ा, टीटपुरी, मुत्रैड़ा, तसही ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के संबंध में चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में अधूरी पेयजल योजना को पूर्ण करने एवं नई पेयजल योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

221. कठूमर कस्बे में पीने के पानी की समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

222. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में नगरपालिका खेली में पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

223. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्राम पंचायत बाडीजोडी, छापुडा खुर्द, प्रागपुरा, जाजैकला में स्थायी पेयजल व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्राम पंचायत पावटा में तीव्र गति से आबादी के विस्तार से पेयजल आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में ग्राम नाथावाला की मूल आबादी 4000 होने पर भी उच्च जलाशय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के पेयजल विहीन विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

227. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के प्रत्येक ग्राम में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. प्रदेश में रोडवेज एवं प्राइवेट बस डिपो पर PPP मोड पर आम जनता को रियायती दरों पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था स्थापित कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

229. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नागौर लिफ्ट योजना के अन्तर्गत कार्यरत कम्पनियों/फर्मों पर शास्ति/पेनल्टी राशि लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में ट्यूबवैल से जी एल आर तक गांवों में पांच वर्षों से अधिक पुरानी हो चुकी पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

231. नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना के अन्तर्गत द्वितीय पैकेज की तर्ज पर प्रथम पैकेज में चयनित/लाभान्वित गांवों व ढाणियों में भी घर-घर पाइप लाइन से पानी पहुंचाने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सूख चुके या तकनीकी कारणों से बंद हो चुकी ट्यूबवैलों के स्थान पर नये ट्यूबवैलों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

233. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के संखवास ग्राम में शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के समीप जर्जर पानी की टंकी के स्थान पर नई टंकी की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

234. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में पिण्डवाड़ा एवं झाड़ोली में नये S.R. बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

235. विधान सभा क्षेत्र आहौर में नर्बदा योजना से ER प्रोजेक्ट से 22 गांवों की पानी की समस्या सुधारने के संबंध में चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र आहौर के 22 गांवों को जवाई पेयजल योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

237. विधान सभा क्षेत्र आहौर में जालौर जिले के पेयजल हेतु नर्मदा योजना से ER प्रोजेक्ट से 256 गांवों को पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

238. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 10 नये नलकूप स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में विभाग के अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 4000 आबादी के गांवों को आपणी योजना में घर-घर पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

242. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के ग्रामों में नलकूप एवं पाइप लाइन स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. प्रेमचन्द बैरवा (दूदू):

243. विधान सभा क्षेत्र दूदू के राजकीय विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पानी की पुरानी क्षतिग्रस्त पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पुरानी पानी की टंकियों को नई बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

246. विधान सभा क्षेत्र आमेर को बीसलपुर लाइन से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. प्रदेश की पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

248. विधान सभा क्षेत्र आमेर में बंद पड़ी जनता जल योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

249. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में 10 नये सौर ऊर्जा पम्प लगाने एवं पूर्व में स्वीकृत सौर ऊर्जा पम्पों को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

250. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के नगरपालिका क्षेत्र उदयपुरवाटी में नये ट्यूबवैल, टंकी व पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पानी में अत्यधिक फ्लोराइड होने के कारण 20 R.O. स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में गिरते जल स्तर के मध्यनजर खराब पड़े ट्यूबवैलों की जगह नये ट्यूबवैल खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

254. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण की कालोनियों में पानी की नयी पाइप लाइन बिछवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

255. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण की कालोनियों और बस्तियों में उच्च जलाशयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

256. कोटा शहर में बढ़ती पेयजल आवश्यकताओं को देखते हुए एक नया फिल्टर प्लान्ट और इंटेक वैल का निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

257. कोटा शहर में पानी की पाइप लाइन बिछाने के कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

258. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के वाटर वर्क्स पर जलापूर्ति हेतु नई पाइप लाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की नीरबाना, जानकीदास वाला, मोकलसर में नये ओवर हैड टैंक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

260. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के बुगिया, 3SAD, 7GB पंचायत मुख्यालयों पर नई वाटर वर्क्स स्कीम स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

261. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के जैतसर मण्डी के पुराने वाटर वर्क्स तथा खुले नाले में बह रहे पानी के लिये बन्द पाइप डलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की जैतसर मण्डी में पेयजल सप्लाई व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

263. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर व सीकर जिले में पेयजल के नए स्रोत पैदा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

264. सीकर जिले में पर्याप्त पेयजल की सुनिश्चितता के संबंध में चर्चा के लिए।

265. प्रदेश की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

266. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में चल रही वृहत् पेयजल परियोजना को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

267. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में लक्ष्मणगढ़ वृहत् पेयजल योजना का कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़):

268. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में मण्डोल पचानपुरा इत्यादि बांध से वितरित पेयजल की शुद्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

269. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल परियोजना से अनवरत रूप से पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

270. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में हैण्डपम्प खुदाई के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

271. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल परियोजना को त्वरित रूप से पर्याप्त राशि देकर प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

272. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विभिन्न पेयजल स्कीम के बकाया बिल माफ कर पुन: सुचारु रूप से चलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

273. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सौर ऊर्जा द्वारा पनघट लगाकर शुद्ध पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

274. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्राम पंचायत सेमारी में पुरानी लाइन को बदलकर नई पाइप लाइन लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

275. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में ऋषभदेव एवं खैरवाड़ा ग्राम पंचायत की पाइप लाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन लगवाकर शुद्ध पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

276. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की 15 पंचायतों में जनता जल योजना से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

277. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

278. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के गांवों में घर-घर कनेक्शन देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

279. प्रत्येक वर्ष क्लोजर समस्या के निदान के लिए जोधपुर में अतिरिक्त स्टोरेज क्षेत्र में कायलाना का विकल्प तलाशने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 46-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में गोतावर नदी पर बांध निर्माण कर बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बड़े-बड़े तालाबों को विभाग के अधीन लेकर पीने के पानी के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा के समय व्यर्थ बहने वाले पानी के संरक्षण के लिए छोटे-छोटे चेक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नए एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले को जल संकट से निजात दिलवाने हेतु अन्तरराज्यीय समझौते के तहत राजस्थान के हिस्से में 8.6 एम.एफ. पानी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

6. सुरपुरा बांध क्षेत्र का पानी फीडर द्वारा कडवड़ बनाड़ होते हुए जोजरी नदी में डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पालड़ी फीडर पर आटिया नाला भोमिया जी के थान के पास पुल का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
8. साबरमती से जैसलमेर तक बनने वाली लिंक कैनाल के सर्वे एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में चर्चा के लिए।
9. जोधपुर शहर व उसके आस-पास ग्रामीण क्षेत्र के अनेक गांवों में पानी की मांग को देखते हुए इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम इन्द्रोका के जोड़ एरिये में तीन तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए क्षेत्र के बीच निकलने वाले बरसाती पानी को रोककर हेतु एनीकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर):

11. अलवर तहसील के जयसमंद बांध में आने वाले पानी को सरिस्का क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

12. अलवर जिले में स्थित अधिकतम बांधों से अतिक्रमण हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. अलवर शहर में स्थित प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर):

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर सहित सभी तालाबों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में थूरघाटी (चावड़) से कातनवाड़ा, सैपुर, सराडा पंचायतों में सिंचाई हेतु कैनालों का निर्माण एवं केजड बांध से कैनाल संख्या 4 को ढाकरडा से सुरखण्ड खेड़ा कोलार तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हरचन्द से नावडा पंचायत तक नहरों का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अदवास से जावद, नईझर सेमाल तक कैनाल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सैरिंग तालाब की पाल के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन):

19. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में चम्बल का पानी जगर बांध एवं क्यारदा बांध तक लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा):

20. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पिचियाक स्थित जसवंतसागर बांध की

क्षतिग्रस्त नहरें एवं नहरों पर निर्मित क्षतिग्रस्त पुलियाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मनरेगा में वर्ष 2007-08 में स्वीकृत कार्य खारियानाला पर बाढ़ बचाव हेतु मिट्टी का Embankment एवं पिचिंग की सामग्री व्यय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा के पास स्थित बांगणगंगा नदी पर बाला सर वर्ष 2007-08 में क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

23. जसवंतसागर बांध में आने वाली लूणी नदी के पेटे में स्थित नलकूपों, कुओं, एनीकट, तालाब एवं बांध को राज्य सरकार के आदेशों के बाद भी नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित लूणी नदी, मिठडी नदी, जोजरी नदी की पैमाइश कर मुटाम स्थापित कर सिंचाई विभाग को सुपुर्द कर अवैध अतिक्रमणों एवं अवैध बजरी खनन को नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक):

25. विधान सभा क्षेत्र टोंक में चन्दलाई बांध की नहर को रिमोडलिंग करने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र टोंक में स्थित बनास नदी पर सब सरफेस निर्माण कार्य अमीनपुरा के संबंध में चर्चा के लिए।

27. टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध की दायीं व बायीं नहरों का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

28. टोंक जिले में स्थित मोती सागर बांध का जीर्णोद्धार किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र टोंक में क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर):

30. जैसलमेर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहर से सिंचाई हेतु डिग्गी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. जैसलमेर में सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई का पूरा पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाले सिंचाई खालों की रिपेयरिंग करने एवं कच्ची साख को पक्की करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर):

33. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्राम पंचायत महिपालपुरा में पणियाला वाला दरा में बांध का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सोमनदी पर नया गांव फरापा (भरवाडा) एवं मेसवो नदी पर सेमलिया में एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्राम पंचायत शरम में चामुण्डा माता एवं कवालियादरा में एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में ग्राम पंचायत मोदर में माण्डविया में एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में गुंजल का नाका पीथापुर में बांध का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़):

38. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में किसानों को रबी व खरीफ फसल में सिंचाई हेतु एक साथ छह माही रेग्यूलेशन जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना में अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. अपूपगढ़ शाखा से निकलने वाली सभी माइनरों के बैड लेवल सही करने व मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में विभाग में रिक्त पड़े सभी वर्ग के पदों पर भर्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में नहरों की निगरानी के लिए बेलदार

लगाने एवं विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

43. विधान सभा क्षेत्र बानसूर से गुजरने वाली नदियों को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के गांवों में पानी भराव क्षेत्र का सर्वे कराकर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

45. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. यमुना के पानी में से राजस्थान के हिस्से के पानी को झुंझुनूं एवं चूरू में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा):

47. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के शेष कच्चे खालों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर):

48. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरजगढ़ ब्रांच व गंगनहर की समस्त माइनरों एवं करणीजी क्षतिग्रस्त माइनरों का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पंजाब में फिरोजपुर फीडर का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गोमावाली माइनर नहर का पुन: निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरतगढ़ ब्रांच की बाजुवाल नजामुद्दीन माइनर (7NZPD) का पुन: निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरतगढ़ ब्रांच की समस्त माइनरों का पुन: निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

53. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पाली हेमावास एवं बांकली बांध के बंजर भूमि में जाने वाले पानी को सेवाली गांवों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गोयणा भाखर बांध, सिकरे अन्नपूर्णा बांध रामदेवजी की बेरी कुम्पावास बांध, सैला एनीकट निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में केन्द्रीय अध्ययन दल जल संसाधन द्वारा सर्वे करके दी गई रिपोर्ट के आधार पर सिवाना क्षेत्र में किये जाने योग्य जल संरचनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नर्मदा नहर एवं इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर सिणधरी, सिवाना क्षेत्र के किसानों को खेती हेतु पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. राजस्थान की मुख्य नदी लूणी को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

58. धौलपुर जिले के बांधों एवं नहरों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

59. धौलपुर जिले के रामसागर बांध, तालाब शाही बांध, उर्मिला सागर बांध एवं पार्वती बांधों को गहरा करने एवं ऊंचाई बढ़ाकर सिल्ट निकालकर उनकी क्षमता बढ़ाये जाने के सबंध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की नहरों की लम्बाई बढ़ाकर और अधिक भूमि में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सिंचाई हेतु एनीकट निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. धौलपुर जिले के रामसागर बांध, पार्वती बांध, तालाब शाही बांध, उर्मिला सागर बांध को चम्बल नदी से पानी लिफ्ट करके सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

63. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में पंचायत समिति बूंदी के ग्राम खडीवारा,

लोहली, बगली और केसरपुरा को खखट नदी पर एनीकट बनवाकर लिफ्ट योजना से खेतों में पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगढ़):

64. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बिलासगढ़ सिंचाई परियोजना जिसके जीर्णोद्धार हेतु 19.70 करोड़ डीपीआर की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू):

65. जैसलमेर जिले में निर्मित सभी नहरों को वरीयता बनाकर पानी की उपलब्धता करवाकर किसानों को राहत प्रदान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में नहरों एवं माइनरों पर आबंटित कच्चे खालों के मुरब्बों के खालों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय फेज में आबंटित मुरब्बों की समय पर किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण खारिज मुरब्बों को पुन: बहाल करवाकर किसानों को राहत प्रदान करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. जैसलमेर जिले में सभी नहरों और माइनरों के टेल तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र बायतू के सिणधरी, बायतू, गिडा और पाटोदी पंचायत समितियों में नर्मदा नहर परियोजना से किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर):

70. नर्मदा परियोजना सांचौर के निर्माण कार्य में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता मौजूद नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

71. जोधपुर के उम्मेद सागर बांध के केचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कर इसे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. जोधपुर शहर के प्राचीन जल स्रोतों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

73. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर पर ग्राम नेंवा एवं कानासर में स्थानों को चिन्हीकरण कर आमजन एवं किसानों के आवागमन हेतु पुलियाओं का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट (फलौदी लिफ्ट) के सिंचित क्षेत्र 35604 हैक्टेयर के लिए निर्धारित 176 क्यूसेक पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल के पैट्रोलिंग हेतु निर्मित सड़क मार्ग की मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

76. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जम्भेश्वर लिफ्ट कैनाल के पम्पिंग स्टेशन 4 से 7 तक विद्युत लाइनों को पुन: लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू):

77. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के रामसागर बांध (चंदलाई) की नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के नाहर सागर (चांदमा कला, तहसील फागी) पर चादर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

79. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त बालेरा बांध के पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा):

80. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में लोडेरवर नहर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

81. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में लोडेरवर नहर को ढकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. लोडेरवर नहर निर्माण में किसानों की भूमि का मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में माही नहर के निर्माण में किसानों की भूमि का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में माही नहर का कार्य जल्द पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम):

85. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खेती के लिए सिंचाई हेतु जगह-जग्ह एनीकटों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल):

86. जयपुर के सिंचाई हेतु जल स्रोत रामगढ़ बांध एवं कूकस बांध के जल आपूर्ति क्षेत्र में आये अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

87. जयपुर जिले के कालख बांध में सीवरेज के पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर):

88. विधान सभा क्षेत्र नागौर की पंचायत समेरण-सेवड़ी-छोली-मकोडी-सरणवास बालवा को इंदिरा गांधी नहर योजना के II फेज से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र नागौर की ढाणियों को इंदिरा लिफ्ट नहर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र नागौर के मुडवा पंचायत समिति की पंचायतों, गौठड़ा, झुफण्डा-सिरोध-फिडोद गांवों में इंदिरा नहर के प्रथम फेज का पानी नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

91. यमुना नदी में राजस्थान के हिस्से का पानी अलवर जिले में लाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. अलवर जिले में चम्बल का पानी लाकर सिंचाई की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास (अलवर) में जल स्वावलम्बन के तहत योजना बनाकर ग्रामों के नजदीक जोहड़ों में बारिश के पानी को इकट्ठा कर जलस्तर को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

94. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर (अजमेर) में चुलिया देह बांध का पूरा पानी जालिया बांध में लाने हेतु रातामाता फीडर, सारोठ, सुरेह घाटा फीडर के निर्माण को शुरू कराकर पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा):

95. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नहरी रेगुलेशन के कार्य एवं नहरों में कराये जा रहे पक्के कार्यों की गुवावत्ता व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 1274 करोड़ राशि को समयबद्ध तरीके से व्यय करने का प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

96. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सीएडी विभाग में रिक्त चल रहे पदों को भरने एवं छंटनीशुदा कर्मचारियों को पुन: सेवा में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में नहरी रेगुलेशन के कार्य एवं नहरों में कराये जा रहे पक्के कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सीएडी विभाग की भूमि, नहरों एवं माईनरों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में व्यर्थ बह रहे पानी को लिफ्ट कर पुन: माईनरों में डालकर किसानों को टेल क्षेत्र में समय पर पानी मिले इसके लिए बनाई गई लिफ्ट परियोजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर):

100. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुम्भाराम जल सिंचाई योजना को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर):

101. जैसलमेर नहर में सीमेंट का प्लास्टर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा):

102. विधान सभा क्षेत्र दौसा में कृष्णा हास्पिटल के पास बिजोरी में निर्मित एनीकट की खुदाई कार्य एवं चौड़ाईकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए

103 विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम पंचायत खानवास के झेलमपुरा में एनीकट बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

104. विधान सभा क्षेत्र दौसा के महेश्वरा खुर्द बांध को गहरा करवाकर भराव क्षमता बढ़ाने के साथ पेयजल हेतु आरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. दौसा नगर परिषद में आगरा-जयपुर बाईपास बार्ड 2, 39 के आगे कच्ची नहर को पक्का करवाते हुए गेटोलाव बांध से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106. विधान सभा क्षेत्र दौसा के गेटोलाव बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर):

107. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में जलकुम्भी/केली की समस्या के स्थायी समाधान हेतु गंगनहर के समस्त हैडों पर कटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में गंगनहर की जी.जी., जैड, एच.एच. नेतेवाला, एम.एल., एल.एन.पी., बी.बी. वितरिकाओं में शेष बचे खालों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. श्रीगंगानगर में गंगनहर रेगुलेशन निर्धारण की मीटिंग सप्ताह में दो बार करने एवं क्षेत्र के समस्त सरपंचों को सदस्य नामित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. श्रीगंगानगर में गंगनहर की समस्त वितरिकाओं के मोघों के दुरुस्तीकरण कर उनके डिस्चार्ज को कम्प्यूटरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. श्रीगंगानगर में गंगनहर के समस्त हैडों पर गेज को कम्प्यूटराइज्ड कर सूचना केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली):

112. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध की बांई मुख्य नहर की चेन 480 से बागोलियो बांध तक फीडर निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र मावली में रवरताणा, सालेराकला, मागथला तालाबों

को भरने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर, बडगांव बांध की सभी कच्ची एवं जीर्णशीर्ण नहरों को दुरुस्त/पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

115. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बडगांव बांध से सिंचाई के लिए कमाण्ड क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र मावली में उदयसागर बांध की नहरों के सीपेज को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

117. विधान सभा क्षेत्र भीम में अधूरे पड़े बांधों को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी):

118. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में माही परियोजना की बड़ी नहरों पर आवागमन हेतु पुलिया नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में माही परियोजना की छोटी-छोटी सब माईनरों को मनरेगा योजना से ग्राम पंचायतों के द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में माही नहर परियोजना में मुख्य अभियंता का पद पुन: बहाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में छोटे धोरों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

122. बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना की अति जीर्णशीर्ण नहरों का सुदृढ़ीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली):

123. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के बुचारा बांध को यमुना नदी से जोड़कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):

124. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के

किसानों को फसल रबी हेतु मार्च माह में दो बारी पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के किसानों को निर्धारित ब्लाक के अनुसार पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में चारणवाला शाखा, बरसलपुर शाखा, भूरासर वितरिका, कोलायत लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट, बांगड़सर लिफ्ट सहित नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में कोलायत, गजनेर, बांगड़सर लिफ्ट क्षेत्र में निर्माणाधीन स्प्रिंकलर सिंचाई योजना का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाडोल):

129. विधान सभा क्षेत्र झाडोल के विभिन्न गांवों को मानसी वाकलां बांध से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र झाडोल की विभिन्न क्षतिग्रस्त नहरों व तालाबों की मरम्मत नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):

131. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर सिंचाई विभाग का नवीन सहायक अभियंता कार्यालय की स्थापना नहीं किये जाने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी तालाबों के पानी की आवकों, नालों एवं मोरियों पर हुए अतिक्रमण को विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते क्षेत्र में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिए।

133. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति अंराई परिक्षेत्र के

गागुन्दा स्थित सागर सिरोज स्थित जवाहर सागर एवं अंराई स्थित कोडिया सागर एवं सुरखेली सागर की नहरों एवं मोरियों को पक्का करने/मरम्मत कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के पानी को रोकने हेतु नवीन चैकडैमों एवं एनीकटों के निर्माण हेतु ठोस योजना की महत्ती स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर नवसृजित सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय को पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थापित कर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं मंत्रालयिक स्टाफ की अविलम्ब नियुक्ति/पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

136. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बांध व नहरों के रख-रखाव, रिनोवेशन में गुणवत्ता के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बांध व नहरों के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बांध व नहरों पर कार्यरत स्टाफ, अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा बांध व नहरों का समय-समय पर उचित देखभाल नहीं करने, किसानों की शिकायतों का निवारण में लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बांधों से निकलने वाली नहरों के क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई जल के अपव्यय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद):

140. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की कनवास तहसील की आवां लघु सिंचाई परियोजना एवं किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजना को नये सिरे से सर्वे कराते हुए डीपीआर बनवाकर आवां एवं किशोरपुरा लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में डीएमएफटी फण्ड कनवास तहसील में किसानों की फसलों को बचाने हेतु प्रथम फेज में डायवर्जन चैनल का निर्माण कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. कोटा शहर में कृषि भूमि पर कालोनियां विकसित होने से 1600 हैक्टेयर कृषि भूमि को डी-कमाण्ड कर ग्राम पंचायत भाण्डाहेडा, चारचौमा कुराड के असिंचित क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दीगोद तहसील के चामलाखाल पर चन्द्रावलां से कोटसुआं के मध्य एवं सांगोद तहसील के हींगी-किशनपुरा के मध्य एनीकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

144. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में परवन वृहत् बहुउद्देशीय सिंचाई एवं पेयजल परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई एवं पेयजल परियोजना घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर):

145. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिद्धमुख नहर वितरिका में निर्धारित पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाने तथा मानीटरिंग व जवाबदेही निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिद्धमुख नहर वितरिका से जुड़े गांवों में मुराबंदी, चकबंदी, किलाबंदी, बाराबंदी अतिशीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का विस्तार एवं किसानों को पानी उपलब्घ कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. प्रदेश में बरसाती नदियों को नदियों से जोड़कर प्रदेश को लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड जंक्शन):

149. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जक्शन के ग्राम चवाडिया के क्षतिग्रस्त एनीकट का सुदृढ़ीकरण एवं पुन: निर्माण की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी):

150. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वागन मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध की पाल की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सिंचाई हेतु खैरियादा में बांध के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वागन बांध सिंचाई परियोजना की नहरों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत बडवई में मामादेव एनीकट को बड़ा बनाकर बडवई तालाब हेतु आवनहर का पक्का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नवीन एनिकट निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

155. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित विभागीय बांधों का सुदृढ़ीकरण एवं नहरों की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में स्थित ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति के अधीन विभिन्न तालाबों की जंगल सफाई, स्लूस रिपेयर, तालाबों का सुदृढ़ीकरण, क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर):

157. मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लाइनिंग व राजस्थान फीडर की लाइनिंग के लिए बजट वर्ष 2016-17 में की गई महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति के संबंध में चर्चा के लिए।

158. विद्युत के अभाव से कंवरसेन लिफ्ट के काश्तकारों की बारियों के मारे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई):

159. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरड़ी सागर में व टोरडी सागर से मांसी बांध में कच्चे धोरों के माध्यम से डालकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलराम (कठूमर):

160. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के जीर्ण-शीर्ण बांधों/तालाबों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र कठूमर को चम्बल नदी से पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर):

162. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में बुचारा-पावटा-किराडोद नहर पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में छितोली बांध में सम्पूर्ण भराव क्षेत्र की भूमि का रिकार्ड का दुरुस्तीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित जलानपुरा धाबाई बांध की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित पुरानी नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर):

166. आसण माता मंदिर, पंचायत राजगढ़, तहसील माण्डलगढ़ में बनास नदी पर एक एनीकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):

167. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सिंचित क्षेत्र विकसित करने हेतु कार्य योजना को अमलीजामा पहनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. नर्मदा लिफ्ट कैनाल परियोजना से जालौर व बाड़मेर जिले के वंचित क्षेत्रों को कमाण्ड एरिया से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में खेती की सिंचाई के लिए वर्षा जल संरक्षित करने हेतु डिग्गियों व पोंड निर्माण हेतु किसानों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में एटासिंगरासर व सुई ब्रांच के जल्द निर्माण कर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व बाड़मेर जिले के आन्दोलनरत किसानों को कमाण्ड एरिया में शामिल कर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

172. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में लोटाणा, नादिया में गापिया बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

173. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में आबू पर्वत पर सालगाव बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर):

174. विधान सभा क्षेत्र आहौर में जवाई बांध से सिंचित गांवों में फुव्वारा पद्धति से सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. विधान सभा क्षेत्र आहौर में जवाई पुर्नभरण के साथ कमाण्ड क्षेत्र आहौर के 20 गांव जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

176. आहौर के रामथल ग्राम पंचायत में महाभारत काल के भीम तलाब को मिनी डेम बनाकर पानी की आवक बढ़ाने एवं सिंचाई करने के संबंध में चर्चा के लिए।

177. विधान सभा क्षेत्र आहौर में बावरला बांध, बांकली बांध के नहरों के खालियों को पक्के करने के संबंध में चर्चा के लिए।

178. विधान सभा क्षेत्र आहौर में भैंसवाड़ा डाइवर्सन कैनाल को सरदारगढ़ बांध तक पिचिंग एवं रास्ते में आ रहे अवरोध हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़):

179. खाजूवाला पूगल क्षेत्र 5-6 एस.एम. में टूटे खालों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास):

180. जिला अलवर में पानी की कमी को देखते हुए अतिशीघ्र चम्बल का पानी लाने हेतु परियोजना को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कृष्ण कड़वा (संगरिया):

181. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में सादुल ब्रांच नहर की आर.डी. 48 पर बने पुल को चौड़ा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में टिब्बी क्षेत्र के सेमग्रस्त ग्रामों में सेम समस्या का स्थाई समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा नहर के मोघा नं. 11 का बैड लेवल सही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

184. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इंदिरा गांधी मुख्य नहर पर 22 आर.डी. पर पुराना नकारा घोषित पुल के निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

185. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में सार्दुल ब्रांच नहर की आर.डी. 103 जर्जर पुल के स्थान पर नवीन पुल के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर):

186. प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

187. देश में बिगड़ी सिंचाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू):

188. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सिंचाई के लिए नये कुओं के कृषि कनेक्शन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी):

189. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के कोट बांध की ऊंचाई बढ़ाकर भराव क्षमता बढ़ाने की आवयश्कता पर चर्चा के लिए।

190. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के मनसा माता में मनसा डैम के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

191. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की ग्राम पंचायत पोषाणा के किरावण्डा धाम की पहाड़ियों में बांध निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

192. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में चम्बल नदी की सहायक नदियों को आपस में जोड़कर असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. कोटा जिले में ताकली बांध के निर्माण में हुए विलम्ब और भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

194. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में चम्बल नदी की दांयी और बांयी नहर के क्षेत्र में 1274 करोड़ रुपये की कार्ययोजना में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़):

195. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के भाखड़ा नहर प्रणाली की पीलीबंगा शाखा (पीबीएन) एवं सभी शाखाओं के नवनिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली संगीता माईनर (एस.डी.) के नवनिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर):

197. इंदिरा गांधी नहर व अन्य का प्रदेश के हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

198. प्रदेश में गिरते भू-जल के कारण सिंचाई में आ रही परेशानी के मध्यनजर प्रभावी सिंचाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

199. सीकर जिले में सिंचाई के लिए आगामी वर्षों की योजनाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

200. प्रदेश में सिंचाई के लिए नवीन योजनाओं व उनके बजट के संबंध में चर्चा के लिए।

201. सीकर जिले में सिंचाई हेतु नहर का पानी लाने की योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा):

202. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में एनीकटों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा):

203. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के ग्राम पंचायत गड़ावत में घाटकोन एनीकट का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत सारोली में सोम नदी पर कहली घाटी स्थान पर एक बांध बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के सोम कागदर, लुणदा, सेमारी, भुछर, अपर घोडी के बांधों की नहरों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

206. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में बने एनीकटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा नाकों पर बांध या एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।